

समहि कारण एण तमेव समहि पडिलठभई ।

— भगवती सूत्र ७/१

जो दूसरो के मुख एव कल्याण का प्रयत्न करता है वह स्वयं भी सुख और कल्याण को प्राप्त होता है ।

With best compliments

from :



M/s. SHAH GEMS

Gopalji Ka Rasta, Johari Bazar, Jaipur
(Rajasthan) Pin No 302 003

Tel No 47363 Resi. 46168 Off

अपरिग्रह : मानव-जीवन का भूषण

□ आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा०

हजारों धर्मोपदेशकों के उपदेश, प्रचारकों का प्रचार और राज्य के नवीन अपराध निरोधक नियमों के बावजूद भी जनता में पाप क्यों नहीं कम हो रहे, लोभ को सब कोई बुरा कहते हैं फिर भी देखा जाता है—कहने वाले स्वयं अपने संग्रह को बढ़ाने की ओर ही दौड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? रोग को मिटाने के लिए उसके कारणों को जानना चाहिए।

पाप घटाने के लिये भी उसके कारणों को देखना आवश्यक है। शास्त्र में आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि दस संज्ञाएँ बताई गई हैं। संसार के आबाल वृद्ध जीव मात्र इन संज्ञाओं से त्रस्त हैं। सामायिक के बाद, हम प्रतिदिन आलोचना करते हैं कि चार संज्ञाओं में से कोई संज्ञा की हो "तस्स मिच्छामि दुक्कड्ढ" पर किसी संज्ञा में कमी नहीं आती। आहार, भय और मैथुन संज्ञा में अवस्था पाकर फिर भी कमी आ सकती है, पर लोभ-परिग्रह संज्ञा अवस्था जर्जरित होने पर भी कम नहीं होती। इसके लिये सूत्रकार ने ठीक ही कहा है—

“जहा लाहो तथा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढइ।”

लाभ वृद्धि के साथ लोभ भी बढ़ता है, इसीलिए तो अनुभवियों ने कहा है—“तृष्णैका तरुणायते”, समय आने पर सब में जीर्णताजन्य दुर्बलता आती है, पर करोड़ों-अरबों वर्ष बीतने पर भी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती बल्कि वह तरुण ही बनी रहती है।

लोभेच्छा की वृद्धि के, शास्त्र में अन्तरंग और वहिरंग दो कारण बताये हैं। लोभ, मोह या रतिराग का उदय एव मूर्च्छा भाव आदि अन्तर के मूल कारण हैं। खान-पान, अच्छा रहन-सहन, यान-वाहन, भवन-भूषण आदि दूसरे के बढ़े-चढ़े परिग्रह को देखने-सुनने से लोभ भावना बढ़ती है। परिग्रह का चिन्तन भी लोभ वृद्धि का प्रमुख कारण है। मेरे पास कौड़ी नहीं, स्वर्ण-रत्न के आभूषण नहीं और अमुक के पास है, इस प्रकार अपनी कमी और दूसरों की बढ़ती का चिन्तन करने से परिग्रह संज्ञा बढ़ती है।

परिग्रह घटाइये, सादगी बढ़ाइये

गाँव में परिग्रह का प्रदर्शन कम है तो वहाँ वस्त्राभूषण आदि के संग्रह का नमूना भी अल्प दृष्टिगोचर होता है। शहर और महाजन जाति में परिग्रह का प्रदर्शन अधिक है तो वहाँ पाप मानते हुए भी वस्त्राभूषण, धन-धान्य आदि का संग्रह अधिक दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि परिग्रह के उन साधनों से ही आदमी का मूल्यांकन होता है। कितना ही ब्रती, सेवाभावी, गुणी एवं विद्वान् भी क्यों न हो, सादी वेश-भूषा में ही तो आदर प्राप्त नहीं करता, यदि बढ़िया वेश और उच्च स्तरीय आकर्षक रहन-सहन ही तो दर्शकजनों की दृष्टि में बढ़ा माना जाता है। यही दृष्टि-भेद संग्रह-वृत्ति और लोभ-वृद्धि का प्रमुख कारण है।

अपरिग्रह भाव को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था और बाह्य वातावरण सादा एवं प्रदर्शन रहित होना चाहिए।

आगल शासकों की अधीनता से मुक्त होने को गाँधीजी ने सादा और बिना प्रदर्शन का अल्प परिग्रही जीवन अपनाया था। बड़े-बड़े धनी, उद्योगपति और अधिकारी भी उस समय सादा जीवन जीने लगे। फलस्वरूप उन दिनों सेवा और मेवावृत्ति को ऊँचा माना जाने लगा। लोगों में न्यायनीति, सेवा और मदाचार चमकने लगा। आज फिर सामाजिक स्तर से देश को सादगी का विस्तार करना होगा, प्रदर्शन घटाना होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाय, नव नक्र परिग्रह का बढ़ता रोग कम नहीं हो सकता।

प्रदर्शन करने वाले के मन में ईर्ष्या, मोह और अहंकार उत्पन्न होता है और दूसरों के लिये उमका प्रदर्शन, ईर्ष्या, हरणवृद्धि, लालच एवं आर्त्त-उत्पत्ति में कारण होता है, अतः प्रदर्शन को पाप-वृद्धि का कारण समझ कर त्यागना परिग्रह मजा घटाने का कारण है। आज मसार में परिग्रह की होड लगी हुई है। ऐसी परिस्थिति में परिग्रह भाव घटाने में निम्न भावनाएँ अत्यन्त उपयोगी हो सकती हैं—

१. परिग्रह भय, चिन्ता और चञ्चलता का कारण एवं क्षणभंगुर है।
२. प्रसन्नता वृत्ति के पशु-पक्षी मनुष्य की अपेक्षा सुखी और प्रसन्न रहते हैं।
३. परिग्रह मानव को पराधीन बनाता है, परिग्रही बाह्य पदार्थों के अभाव में निरन्तर रहता है।
४. परिग्रह को उत्तम में उत्तम और नीचे नीचे मिलती है।
५. परिग्रह ही अज्ञान है। अज्ञान ही है

अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान प्रभ, अज्ञान ज्ञान मुद्यान ।

अज्ञान ही अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ॥'

६. जिसको चाह है वह अरबों की सम्पदा पाकर भी दुःखी है । चाह पर ही चिन्ता मिटती है । सन्तो ने ठीक ही कहा है—

“सन्तोषी सदा सुखी, दुःखी तृष्णावान् ।”

संसार के अगणित पशु-पक्षी और कीट पतंगादि जीव, जो संग्रह नहीं करते, वे मानव से अधिक निश्चिन्त एवं शोक रहित हैं । संग्रहवान्, आसक्त मानव से वह अधिक सुखी है जो अल्प संग्रही और आसक्ति रहित है । संसार की सारी संपदा किसी एक असंतोषी को मिल जाय तब भी उस लोभी की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है । ज्ञानियों ने कहा है—मानव, इस नश्वर सम्पदा के पीछे भान भूलकर मत दौड़ । यह तो पापी जीव को भी अनन्त बार मिल गई है । यदि सम्पदा ही मिलानी है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आत्मिक सम्पदा मिला, जो शाश्वत आनन्द को देने वाली है, अन्यथा एक लोकोक्ति में कहा गया है—

“सुत दारा, अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय ।

सत समागम, प्रभु कथा, दुर्लभ जग मे द्योय ॥”

पैसे वाले बड़े नहीं, बड़े हैं सद्गुणी, जिनकी इन्द्र भी सेवा करते हैं ।

परिग्रह-मर्यादा का महत्त्व

परिग्रह-परिमाण पाँच अणुव्रतों में अन्तिम है और चार व्रतों का संरक्षण करना एवं बढ़ाना इसके आधीन है । परिग्रह को घटाने से हिंसा, असत्य, अस्तेय, कुशील, इन चारों पर रोक लगती है । अहिंसा आदि चार व्रत अपने आप पुष्ट होते रहते हैं । इस व्रत के परिणामस्वरूप जीवन में शान्ति और सन्तोष प्रकट होने से सुख की वृद्धि होती है । निश्चितता और निराकुलता आती है । ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से धर्म-क्रिया की ओर मनुष्य का चित्त अधिकाधिक आकर्षित होता है । इस व्रत के ये वैयक्तिक लाभ हैं, किन्तु सामाजिक दृष्टि से भी यह व्रत अत्यन्त उपयोगी है । आज जो आर्थिक वैषम्य दृष्टिगोचर होता है, इस व्रत के पालन न करने का ही परिणाम है । आर्थिक वैषम्य इस युग की एक बहुत बड़ी समस्या है । पहले बड़े-बड़े भीमकाय यंत्रों का प्रचलन न होने के कारण कुछ व्यक्ति आज की तरह अत्यधिक पूजा एकत्र नहीं कर पाते थे; मगर आज यह बात नहीं रही । आज कुछ लोग यंत्रों की सहायता से प्रचुर धन एकत्र कर लेते हैं तो दूसरे लोग धनाभाव के कारण अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने से भी वंचित रहते हैं । उन्हें पेट भर रोटी, तन ढकने को वस्त्र और औषध जैसी चीजें भी उपलब्ध नहीं । इस स्थिति का सामना करने के लिए अनेक वादों का जन्म हुआ है । समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदयवाद आदि इसी के फल हैं । प्राचीन काल में अपरिग्रहवाद के द्वारा इस समस्या का किया जाता था । इस वाद की विशेषता यह है कि यह धार्मिक रूप

है। अतएव मनुष्य इसे बलात् नहीं, स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार करता है। साथ ही धर्मशास्त्र महारभी यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी लगा कर आर्थिक वैषम्य को उत्पन्न नहीं होने देने की भी व्यवस्था करता है। अतएव अगर अपरिग्रह व्रत का व्यापक रूप में प्रचार और अंगीकार हो तो न अर्थ वैषम्य की समस्या विकराल रूप धारण करे और न वर्ग संघर्ष का अवसर उपस्थित हो। मगर आज की दुनिया धर्मशास्त्रों की बात सुनती कहीं है। यही कारण है कि संसार अशान्ति और संघर्ष की क्रीड़ा भूमि बना हुआ है और जब तक धर्म का आशय नहीं लिया जायगा, तब तक इस विषम स्थिति का अन्त नहीं आएगा।

देशविरति धर्म के साधक (श्रावक) को अपनी की हुई मर्यादा से अधिक परिग्रह नहीं बढ़ाना चाहिए। उसे परिग्रह की मर्यादा भी ऐसी करनी चाहिए कि जिससे उसकी तृष्णा पर अकुश लगे, लोभ में न्यूनता हो और दूसरे लोगों को कष्ट न पहुँचे।

सर्वविरत साधक (श्रमण) का जीवन तो और भी अधिक उच्चकोटि का होता है। वह आकर्षक शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श पर राग और अनिष्ट शब्द आदि पर द्वेष भी नहीं करेगा। इस प्रकार के आचरण से जीवन में निर्मलता बनी रहेगी। ऐसा साधनाशील व्यक्ति चाहे अकेला रहे या समूह में रहे, जगल में रहे, या समाज में रहे, प्रत्येक स्थिति में अपना व्रत निर्मल बना सकेगा।

स्वाध्याय की भूमिका

परिग्रह वृत्ति को घटाने में स्वाध्याय की असरकारी भूमिका होती है। स्वाध्याय वस्तुतः अन्तर में अलौकिक प्रकाश प्रकट करने वाला है। स्वाध्याय आत्मा में ज्योति जगाने का एक माध्यम है, एक प्रणस्त साधन है, जिससे प्रमुप्त आत्मा जागृत होती है, उसे स्व तथा पर के भेद का ज्ञान होता है। स्वाध्याय में आत्मा में स्व-पर के भेद के ज्ञान के साथ वह स्थिति उत्पन्न होती है, निरन्तर वह भूमिका बनती है, जिसमें आत्मा स्व तथा पर के भेद को समझने में प्रतिक्षण जागृत रहती है। मधेप में कहा जाय तो स्वाध्याय के द्वारा स्व-पर के भेद का ज्ञान प्राप्त होना है। जिस प्रबुद्ध आत्मा को स्व तथा पर के भेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी पौद्गलिक माया में ममता स्वतः ही कम हो जायगी।

ममता घटने पर दान की प्रवृत्ति

स्व-पर के भेद का बोध हो जाने की स्थिति में ही अपने शरीर पर दान की ममता कम होगी। जगत् एवं भोज्यों-भोज्यादि पर ममता कम होने पर दान करने की उद्यत होगी। भौतिक सामग्री पर ममता घटेगी, परन्तु अर्थिक अभाव में दान देने की प्रवृत्ति बलवती होगी। ममता घटेगी

तभी सेवा की वृत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि ये सारी चीजे ममता से सम्बन्धित है। आलोचना का व्यक्ति के स्वयं के जीवन-निर्माण से सम्बन्ध है। आलोचना वस्तुतः व्यक्ति के स्वयं के जीवन निर्माण का प्रमुख साधन है, जबकि दान स्व और पर दोनों के जीवन-निर्माण का साधन है। दान का सम्बन्ध दूसरे लोगों के साथ स्वघर्मी बन्धुओं के साथ आता है और इसमें स्व-कल्याण के साथ पर-कल्याण का दृष्टिकोण अधिक होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दान देते समय दानदाता द्वारा स्व-कल्याण को पूर्णतः ठुकरा दिया जाता है। क्योंकि पर-कल्याण के साथ स्व-कल्याण का अविनाभाव सम्बन्ध है। पर-कल्याण की भावना जितनी उत्कृष्ट होगी, उतना ही अधिक स्व-कल्याण स्वतः ही हो जायगा। जो स्व-कल्याण से विपरीत होगा, वह कार्य व्यावहारिक एवं धार्मिक, किसी पक्ष में स्थान पाने लायक नहीं है।

तो दान की यह विशेषता है कि वह स्व और पर दोनों का कल्याण करता है। दान देने की प्रवृत्ति तभी जागृत होगी जब कि मानव के मन में अपने स्वत्व की, अपने अधिकार की वस्तु पर से ममता हटेगी। ममत्व हटने पर जब उसके अन्तर में सामने वाले के प्रति प्रमोद बढेगा, प्रीति बढेगी और उसे विश्वास होगा कि इस कार्य में मेरी सम्पदा का उपयोग करना लाभकारी है, कल्याणकारी है, तभी वह अपनी सम्पदा का दान करेगा।

किसान अपने घर में संचित अच्छे बीज के दानों को खेत की मिट्टी में क्यों फैंक देता है ? इसीलिये कि उसे यह विश्वास है कि यह बढ़ने-बढ़ाने का रास्ता है। अपने कण को बढ़ाने का यही माध्यम है कि उसे खेत में डाले। जब तक बीज को खेत में नहीं डालेगा, तब तक वह बढ़ेगा नहीं। पेट में डाला हुआ कण तो खत्म हो जायगा, जठराग्नि से जल जायगा किन्तु, खेत में, भूमि में डाला हुआ बीज फलेगा, बढ़ेगा। ठीक यही स्थिति दान की भी है। थोड़ा सा अन्तर अवश्य है।

बीज को खेत में डालने की अवस्था में किसान की बीज पर से ममता छूटी नहीं है। बीज को खेत में फैंकने में अधिक लाभ मानता है, इसलिये फैंकता है। पर हमारे धर्म पक्ष में दान की इस तरह की स्थिति नहीं है। दान की प्रवृत्ति में जो अपने द्रव्य का दान करता है, वह केवल इस भावना से ही दान नहीं करता कि उससे उसको अधिक लाभ होगा, बल्कि उसके साथ यह भावना भी है कि—यह परिग्रह दुःखदायी है, इससे जितना अधिक स्नेह रखूँगा, मोह रखूँगा, यह उतना ही अधिक क्लेशवर्द्धक तथा आर्त एवं रौद्र-ध्यान का कारण बनेगा।

‘स्थानांग’ सूत्र में श्रावक के जो तीन मनोरथ बताये गये हैं, उनमें पहले मनोरथ में परिग्रह-त्याग को महती निर्जरा का महान् कारण बताते हुए उल्लेख किया गया है—

“तिहि ठाणेहि समणोवासए महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ त जहा-
कया णं अहं अप्पं वा बहुअं वा परिग्गह परिचइस्सामि,....एवं समणसा सवयसा
सकायसा जागरमाणे समणोवासए महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ ।”

अर्थात्—तीन प्रकार के मनोरथों की मन, वचन और क्रिया से भावना
भाता हुआ श्रावक पूर्वोपाजित कर्मों को बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट और भवाटवी
के बहुत बड़े पथ को पार कर लेता है । परिग्रह घटाने सम्बन्धी मनोरथ इस
प्रकार है—अरे ! वह दिन कब होगा, जब मैं अल्प अथवा अधिकाधिक परिग्रह
का परित्याग कर सकूँगा ।

‘स्थानाग’ सूत्र में जिस प्रकार श्रावक के तीन मनोरथों का वर्णन किया
गया है, उसी प्रकार साधु के तीन मनोरथों का भी उल्लेख है । गृहस्थ का
जीवन व्रत-प्रधान नहीं, शील प्रधान और दान-प्रधान है । साधु का जीवन सयम-
प्रधान एवं तप-प्रधान है । गृहस्थ के जीवन की शील और दान ये—विशेषताएँ
हैं । गृहस्थ यदि शीलवान् नहीं है तो उसके जीवन की शोभा नहीं । जिस प्रकार
शीलवान् होना गृहस्थ जीवन का एक आवश्यक अंग है, उसी तरह अपनी सचित
सम्पदा में से उचित क्षेत्र में दान देना, अपनी सम्पदा का विनिमय करना और
परिग्रह का सत्पात्र में व्यय करना, यह भी गृहस्थ-जीवन का एक प्रमुख भूषण
और कर्तव्य है ।

धर्मस्थान में अपरिग्रही बनकर आना चाहिए

धर्मस्थान में आने वाले भाई-बहिनो से यह कहना है कि सबसे पहले
ध्यान यह रखा जाय कि अपरिग्रहियों के पास जाते हैं तो वे ज्यादा-से-ज्यादा
अपरिग्रहियों का रूप धारण करके जायें । हम लोग क्या हैं ? अपरिग्रही ।
हमारे पास मोने का कन्दोरा है क्या ? नहीं, बढिया सूट है क्या ? नहीं ।
हमारे पास पैसा होने की शंका है क्या ? नहीं, हमारे पास सिंहासन भी रजत
का, मोने का, हीरा-मोती जटित है क्या ? नहीं । जैन साधु अपने पास एक
फटी छोटी भी नहीं रख सकता यहाँ तक कि चण्डे की टण्डी में किमी धातु की
रौन भी हो तो हमारे काम नहीं आयेगा । जब तक दूसरा नहीं मिले, तब तक
भरे ही रहें ।

आपके मन उनसे अपरिग्रही और आप धर्मस्थान में आवे तो सोचें कि
दिया मुट फटन कर लेंगे । चाँही सोचती है कि माने के गोखर हाथों में पहन
ना, मोने की तट लेंगे में उतर लें, मोने की जौन कमर में बांध लें, यहाँ तक
कि माला के मन्ते भी अपनी चरण के रखा हों, चाँही के दानों की माला
रख लें ।

जब धर्मस्थान में अपरिग्रहियों के परिग्रह रूप धारण करने, जग-जग सी
लेने का आशय है परिग्रह के ह्रासक होगा तो चिन्ता पैदा होगी या

नहीं ? चोरी होगी तो आप कितनों को लपेटे में लेंगे ? वेतन पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी लपेटे में आयेगे, कमेटी के व्यवस्थापक भी लपेटे में आयेगे ।

दूसरे लोग कहें न कहे लेकिन हम अपरिग्रही हैं, इसलिए कहता हूँ कि अपरिग्रह के स्थान पर तो ज्यादा से ज्यादा अपरिग्रह रखने की ही भावना आनी चाहिए ।

अपरिग्रह : मानव-जीवन का भूषण

परिग्रह की ममता कब कम होगी ? जबकि स्व का अध्ययन करोगे । अपने आप को समझ लोगे तो जान लोगे कि सोने से आदमी की कीमत नहीं है । आप समझते हैं कि गले में सोने की लड़ होगी तो लोग सेठ समझेंगे । कई युवक और वुजुर्ग बैठे हैं जिनके गले में सोने की लड़ नहीं है, कुर्ता या कमीज पहन कर चले आते हैं तो क्या उनका सेठाइपना खत्म हो जायेगा ? सेठ नहीं समझकर यह समझेंगे कि कोई मुनीम है ? चार अंगुलियों में चार सोने की बीटिया पहन रखी है और सन्तों की अंगुलियों में एक भी बीटी नहीं है तो क्या सन्तों में सन्तपना नहीं होगा ? होगा ।

एक बाई की भावना अठाई करने की है । इस चातुर्मास में नहीं होगी तो कब होगी ? लेकिन घरवाला कहता है कि अभी मत कर । अभी मेरी हैसियत खर्चा करने की नहीं है ।

एक बाई से यह पूछा कि आप व्याख्यान में क्यों नहीं आती ? वह कहने लगी—“बापजी ! जी तो घणो ही टूटे हैं कि व्याख्यान में आऊँ पण काई करूँ, अकेली हूँ पैरण ने जेवर नहीं है । बिना दागीना पहने जाऊँ तो घर की इज्जत जावे ।” आपने इस तरह का वातावरण समाज में बना रखा है । इस वातावरण के कारण व्याख्यान में आने से वंचित रहना पड़ता है । यह गलत रूप है । सोने के आभूषणों से कीमत नहीं, लेकिन आत्मा की कीमत है सदाचार से, प्रामाणिकता से, सद्गुणों से । सत्य और क्रियावादी होना भूषण है । दान चाहे देने के लिए पास में कुछ भी नहीं हो, जो भी आवे उसका योग्यता के कारण सम्मान करना चाहिए । तिरस्कार करके नहीं निकालना यह हाथ का भूषण है । गुणवान को नमस्कार करना यह सिर का भूषण है । परिग्रह को घटाकर सत्सग में जाना, कही किसी की सहायता के लिए जाना यह पैरो का भूषण है । सत्सग में ज्ञान की प्राप्ति होगी ।

मनुष्य का शरीर यदि सोने से लदा हुआ है लेकिन वह सद्गुणी नहीं । तो निन्दनीय है ।*



* आचार्य श्री के प्रवचन से श्री सजीव भानावत द्वारा सम्पादित ।

इच्छा-सरोवर और परिमाण की पाल

□ आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

पाप और साँप दोनों ही जगत् में भयंकर माने जाते हैं। दोनों से बचकर रहना विवेकी मनुष्य के लिये अनिवार्य है। प्रभु महावीर ने जिन महापापों से बचने के लिये व्रतों का विधान किया है, उनमें पाँचवाँ व्रत परिग्रह से विरत होना बताया है। परिग्रह एक प्रकार का पाप है, क्योंकि वह मानव को पतन के गहरे गर्त में डाल देता है। परिग्रह वह भयंकर ग्राह है, जिसने समस्त संसार को बुरी तरह पकड़ रखा है। यह वह बन्धन है, जिससे सारी दुनिया बंधकर परेशान हो रही है। आत्मिक शान्ति और विश्व शान्ति के लिये यह अत्यन्त बाधक और घातक है। इसीलिये जैन धर्म ने आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से परिग्रह को पाप बताकर अपरिग्रह को व्रतों में स्थान दिया है।

परिग्रह पाप के दो रूप हैं—इच्छा और मूर्च्छा। इच्छा में अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना होती है और मूर्च्छा में जो प्राप्त है उस पर तीव्र ममत्व भाव या आसक्ति होती है। जगत् में इच्छा रूप परिग्रह का विस्तार बहुत अधिक है। क्योंकि इच्छाएँ आकाश की तरह अनन्त और असीम हैं। इच्छाओं का कभी अन्त नहीं आता। मनुष्य की आयु का तो एक दिन अन्त आ जाता है परन्तु इच्छाओं का सहसा अन्त नहीं होता। मनुष्य की देह बूढ़ी हो जाती है, परन्तु इच्छा, तृष्णा और आशा कभी बूढ़ी नहीं होती। इच्छाएँ पानी में उठने वाली तरंगों के समान हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि सौ दूसरी उच्छ्राएँ पैदा हो जाती हैं।

जिस प्रकार स्थिर शान्त सरोवर में कोई व्यक्ति ककर या मिट्टी के ढेले फेंकता है तो तुरन्त उसमें लहरे उठने लगती हैं। उस ककर या मिट्टी के ढेले के गजन और उसे फेंकने की गति के अनुरूप ही तीव्र-मद लहरे उठा करती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्योंही कोई इच्छा प्रविष्ट होती है त्योंही उसमें तीव्र-मन्द गति और प्रबलता-निर्बलता के अनुरूप मानस में लहरे उठने लगती हैं। अर्थात् वह मूल इच्छा अनेक छोटी-मोटी तरंगों को जन्म देती है। इस प्रकार ज्ञान एवं स्थिर मन-मग्निक में तृप्तान उठने लगता है, हलचल मच जाती है, चतुःप्रपञ्च और चञ्चल हो जाता है।

मनुष्य की असीमित उच्छ्राएँ मदा से मधुर्ष का कारण रही हैं। दुनिया में होने वाले भीषण महावृद्धों के मूल में ये ही उद्दाम इच्छाएँ रही हुई हैं। चाहें

वह महाभारत का युद्ध हो, चाहे वह कोणिक-चेड़ा का संग्राम हो, चाहे आज के युग में लड़े गये विश्व युद्ध हों—सबके मूल में धन और सत्ता की उद्दाम लालसा, असीम अभिलाषा और अमर्यादित इच्छाएँ हैं। लाखों लोगों की हत्या, भोषण नर-संहार, लूटपाट, चोरी, डकैती, छल-कपट, बेईमानी आदि सब पापों के मूल में परिग्रह का पिशाच काम कर रहा है। अनियंत्रित इच्छाओं की बढ़ती ही संसार में सारे पाप हो रहे हैं। 'प्रश्न व्याकरण' में इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—

“परिग्रह के कारण लोग हिंसा करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, बड़ी-बड़ी चोरियाँ, डकैतियाँ, परिग्रह के कारण होती हैं, मिलावट, तोल-माप की गड़बड़ी, जालसाजी, व्यभिचार, अपहरण, बलात्कार आदि पाप परिग्रह के कारण होते हैं।”

इस प्रकार शास्त्रकारों ने समस्त पापों का उत्पत्ति स्थान परिग्रह को बताया है। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं है जो परिग्रह के निमित्त से न होता हो।

पापों का केन्द्र : परिग्रह

परिग्रह पाप-बन्ध का कारण है। 'भगवती' के दूसरे शतक में गणधर इन्द्रभूति गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में, श्रमण भगवान महावीर ने कहा— गौतम ! इच्छा, मूर्च्छा और गृद्धि से क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कषायों का तादात्म्य सम्बन्ध है। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ क्रोधादि चार कषाय अवश्य होते हैं और जहाँ क्रोधादि चार कषाय होते हैं, वहाँ परिग्रह आदि पाप अवश्य होते हैं। इस प्रकार परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ इन पापानुबन्ध-चतुष्टय का जनक है। परिग्रह समस्त पापों का केन्द्र है। समस्त पाप परिग्रह से उत्पन्न होते हैं।

अपनी निकृष्ट इच्छाओं, गलत महत्त्वाकांक्षाओं एवं वस्तु के प्रति आसक्ति तथा मोह-ममता को लेकर संसार के बड़े-बड़े पाप होते हैं। जहाँ इच्छा-मूर्च्छा नहीं होती या सीमित होती है, वहाँ प्रायः पाप कर्म नहीं होता।

संग्रह-बुद्धि : विषमता का कारण

पदार्थों के प्रति इच्छा और मूर्च्छा होती है, तब उनको संग्रह करने की बुद्धि होती है। इच्छा-मूर्च्छा होने से उस पदार्थ की ओर से संतुष्टि नहीं होती, भले ही वह पदार्थ उसे चाहे जितनी संख्या में या चाहे जितनी मात्रा में मिल जाए, तृप्ति उसे नहीं होती। संसार में आज जो दुःख की प्रचुरता है वह प्रायः संग्रह-बुद्धि का फल है।

इच्छा-सरोवर और परिमाण की पाल

□ आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

पाप और साँप दोनों ही जगत् में भयंकर माने जाते हैं। दोनों से बचकर रहना विवेकी मनुष्य के लिये अनिवार्य है। प्रभु महावीर ने जिन महापापों से बचने के लिये व्रतों का विधान किया है, उनमें पाँचवाँ व्रत परिग्रह से विरत होना बताया है। परिग्रह एक प्रकार का पाप है, क्योंकि वह मानव को पतन के गहरे गर्त में डाल देता है। परिग्रह वह भयंकर ग्राह है, जिसने समस्त संसार को बुरी तरह पकड़ रखा है। यह वह बन्धन है, जिससे सारी दुनिया बंधकर परेशान हो रही है। आत्मिक शान्ति और विश्व शान्ति के लिये यह अत्यन्त बाधक और घातक है। इसीलिये जैन धर्म ने आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से परिग्रह को पाप बताकर अपरिग्रह को व्रतों में स्थान दिया है।

परिग्रह पाप के दो रूप हैं—इच्छा और मूर्च्छा। इच्छा में अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना होती है और मूर्च्छा में जो प्राप्त है उस पर तीव्र ममत्व भाव या आसक्ति होती है। जगत् में इच्छा रूप परिग्रह का विस्तार बहुत अधिक है। क्योंकि इच्छाएँ आकाश की तरह अनन्त और असीम हैं। इच्छाओं का कभी अन्त नहीं आता। मनुष्य की आयु का तो एक दिन अन्त आ जाता है परन्तु इच्छाओं का सहसा अन्त नहीं होता। मनुष्य की देह बूढ़ी हो जाती है, परन्तु इच्छा, तृष्णा और आशा कभी बूढ़ी नहीं होती। इच्छाएँ पानी में उठने वाली तरंगों के समान हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि सौ दूसरी इच्छाएँ पैदा हो जाती हैं।

जिस प्रकार स्थिर शान्त सरोवर में कोई व्यक्ति ककर या मिट्टी के ढेले फेंकता है तो तुरन्त उसमें लहरे उठने लगती हैं। उस ककर या मिट्टी के ढेले के वजन और उसे फेंकने की गति के अनुरूप ही तीव्र-मद लहरे उठा करती हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्योंही कोई इच्छा प्रविष्ट होती है त्योंही उसकी तीव्र-मन्द गति और प्रबलता-निर्वलता के अनुरूप मानस में लहरे उठने लगती हैं। अर्थात् वह मूल इच्छा अनेक छोटी-मोटी तरंगों को जन्म देती है। इस प्रकार शान्त एवं स्थिर मन-मस्तिष्क में तूफान उठने लगता है, हलचल मच जाती है, वह अज्ञान्त और चंचल हो जाता है।

मनुष्य की असीमित इच्छाएँ सदा से संघर्ष का कारण रही हैं। दुनिया में होने वाले भीषण महायुद्धों के मूल में ये ही उद्दाम इच्छाएँ रही हुई हैं। चाहे

वह महाभारत का युद्ध हो, चाहे वह कोणिक-चेड़ा का संग्राम हो, चाहे आज के युग में लड़े गये विश्व युद्ध हो - सबके मूल में धन और सत्ता की उद्दाम लालसा, असीम अभिलाषा और अमर्यादित इच्छाएँ हैं। लाखों लोगों की हत्या, भीषण नर-संहार, लूटपाट, चोरी, डकैती, छल-कपट, बेईमानी आदि सब पापों के मूल में परिग्रह का पिशाच काम कर रहा है। अनियंत्रित इच्छाओं की बढ़ती ही संसार में सारे पाप हो रहे हैं। 'प्रश्न व्याकरण' में इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—

“परिग्रह के कारण लोग हिंसा करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, बड़ी-बड़ी चोरियाँ, डकैतियाँ, परिग्रह के कारण होती हैं, मिलावट, तोल-माप की गड़बड़ी, जालसाजी, व्यभिचार, अपहरण, बलात्कार आदि पाप परिग्रह के कारण होते हैं।”

इस प्रकार शास्त्रकारों ने समस्त पापों का उत्पत्ति स्थान परिग्रह को बताया है। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं है जो परिग्रह के निमित्त से न होता हो।

पापों का केन्द्र : परिग्रह

परिग्रह पाप-बन्ध का कारण है। 'भगवती' के दूसरे शतक में गणधर इन्द्रभूति गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में, श्रमण भगवान महावीर ने कहा— गौतम ! इच्छा, मूर्च्छा और गृद्धि से क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कषायों का तादात्म्य सम्बन्ध है। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ क्रोधादि चार कषाय अवश्य होते हैं और जहाँ क्रोधादि चार कषाय होते हैं, वहाँ परिग्रह आदि पाप अवश्य होते हैं। इस प्रकार परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ इन पापानुबन्ध-चतुष्टय का जनक है। परिग्रह समस्त पापों का केन्द्र है। समस्त पाप परिग्रह से उत्पन्न होते हैं।

अपनी निकृष्ट इच्छाओं, गलत महत्वाकांक्षाओं एवं वस्तु के प्रति आसक्ति तथा मोह-ममता को लेकर संसार के बड़े-बड़े पाप होते हैं। जहाँ इच्छा-मूर्च्छा नहीं होती या सीमित होती है, वहाँ प्रायः पाप कर्म नहीं होता।

संग्रह-बुद्धि : विषमता का कारण

पदार्थों के प्रति इच्छा और मूर्च्छा होती है, तब उनको संग्रह करने की बुद्धि होती है। इच्छा-मूर्च्छा होने से उस पदार्थ की ओर से सतुष्टि नहीं होती, भले ही वह पदार्थ उसे चाहे जितनी संख्या में या चाहे जितनी मात्रा में मिल जाए, तृप्ति उसे नहीं होती। संसार में आज जो दुःख की प्रचुरता है वह प्रायः संग्रह-बुद्धि का फल है।

मानव शरीर तब तक स्वस्थ रहता है जब तक उसके हर अवयव को रक्त का प्रवाह मिलता रहता है। जब शरीर के किसी भी भाग में रक्त का प्रवाह रुक जाता है, तब शरीर में दर्द होने लगता है। क्या आज के समाज का दर्द भी यही नहीं है? जब तक गृहस्थ समाज के हर अवयव तक धन का प्रवाह पहुँचता है तब तक समाज पीड़ित नहीं होता। जब यह धन-प्रवाह कुछ लोगों तक पहुँच कर रुक जाता है या एक के पास जमा हो जाता है तो समाज में पीड़ा का प्रारम्भ हो जाता है। आज के समाज की पीड़ा है - धन का कुछ हाथों में एकत्रित हो जाना।

यह मानना पड़ेगा कि एक ओर पहाड़ होगा तो दूसरी ओर खाई होगी। सम्पत्ति जब कुछ ही स्थानों पर सग्रहीत होगी तो दूसरे लोगों को उससे वंचित रहना पड़ेगा। सामाजिक विषमता का यही कारण है। एक ओर पदार्थों का अम्बार लगा है, इनको इतने पदार्थों की आवश्यकता नहीं, दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास उन पदार्थों का अभाव है, वे उन पदार्थों के उपभोग से वंचित हैं। कुछ लोगों के पास धन का अत्यधिक संग्रह है, जबकि दूसरे लोग एक-एक पैसे के लिये तरस रहे हैं। एक ओर अत्यधिक अन्न कोठारों में जमा है, जबकि दूसरी ओर अन्न के दाने के अभाव में हाहाकार मचा हुआ है। एक ओर सन्दूकों में वस्त्र पडे सड रहे हैं, उन्हें दीमक खा रहे हैं, दूसरी ओर लोग सर्दियों से ठिठुर रहे हैं। कुछ के पास सीमा से अधिक जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन ही नहीं है। इस प्रकार की विषमता सग्रहचोरी या जमाखोरी की देन है।

संग्रह से मुख्यतया दो बुराइयाँ जन्म लेती हैं—विलास और क्रूरता। जब संग्रह के रूप में परिग्रह बढ जाता है तो आलस्य, अकर्मण्यता, दूसरे के श्रम पर गुलछरें उड़ाने की वृत्ति, विलासिता आदि दुर्गुण आ जाते हैं। परिग्रही व्यक्ति चाहता है कि उसके मार्ग में कोई बाधक न बने। दूसरे चाहे मरे या जीये, उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे दूसरों के सुख-दुःख की जरा भी परवाह नहीं होती। रोम का सम्राट नीरो इसी प्रकार का क्रूर व्यक्ति था। कहते हैं कि रोम जल रहा था तब भी वह अपने ही मौज-शौक में लीन था।

संग्रह बुद्धि के पीछे मूल आशय यह रहता है कि वे सग्रहीत पदार्थ व्यक्ति को मुख देते हैं। परन्तु यह धारणा निर्मूल और आन्तिपूर्ण है। तत्त्वदर्शी पुरुषों का चिन्तन और अनुभव इससे विपरीत है। वे तो कहते हैं कि परिग्रह अनर्थों का मूल है, अशान्ति का कारण है, दुःख रूप है, बन्धन रूप है, पाप का कारण है, दुर्गति का हेतु है। उन्होंने धन और परिग्रह को अभिशाप माना है। कहा है—

“दु खमेव धन-व्याल विप विध्वस्त चेतसाम् ।
अर्जने रक्षणे नाजे पुसा तस्य परिक्षये ॥”

धन रूपी विषधर के विष से जिनका चित्त खराब हो गया है, उन लोगो को सदैव दुःख ही दुःख रहता है। उन्हें धनोपार्जन में दुःख होता है, रक्षा करने में भी दुःख होता है और धन के नाश या व्यय में भी दुःख होता है। महाकवि शेक्सपियर ने कहा है—

“मनुष्यों की आत्मा के लिये सोना निकृष्टतम विष है। इस दुःखमय विश्व में धन का विष अन्य विषों की अपेक्षा अधिक मारक और सहारक होता है।”

महान् दार्शनिक लूथर ने कहा है कि— हे परमात्मा ! मैं तेरा आभारी हूँ कि जो तूने मुझे निर्धन बनाने की कृपा की। ऐसा न करता तो मुझे तेरी उपस्थिति का भान न होता।

संसार का धनकुबेर हेनरी फोर्ड ने अपनी डायरी में लिखा है— धन का अभिशाप तो मैं इसी जीवन में भोग रहा हूँ। धन की अधिकता के कारण सारा जीवन अनियन्त्रित वासनाओं और कामनाओं में बीतने से आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि विपुल सम्पत्ति के होते हुए भी मुझे चाय के अतिरिक्त और कुछ पी लेने के लिये डॉक्टरों ने मना कर दिया है।

अत्यधिक संग्रह करने के कारण अनेक प्रसंगों में व्यक्ति को जन-आक्रोश का शिकार होना पड़ता है। उसकी जिन्दगी और धन-सम्पत्ति सदा सकट में रहती है। किसी भी क्षण वह लूट-ली जा सकती है, राज्य-शासन द्वारा छीन ली जा सकती है या अन्य तरीकों से उस व्यक्ति को उससे वंचित होना पड़ता है। अतएव परिग्रह को, धन-सम्पदा को सुख का कारण समझना भ्रान्ति ही है। भगवान् महावीर तो स्पष्ट फरमाते हैं कि—

“वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते”

प्रमत्त व्यक्ति धन-सम्पदा को त्राण रूप, शरण रूप मानता है परन्तु वह धन उसके लिये त्राण रूप नहीं होता।

इसलिये यह मानना कि धन या परिग्रह मनुष्य को सुखी बनाता है, बहुत बड़ी भ्रान्ति है। यदि ऐसा होता तो सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव न राज्य-पाट, धन वैभवादि छोड़ते और न अपरिग्रह का उपदेश ही देते।

इच्छा-सरोवर और परिमाण की पाल

बिना ओर-छोर वाले इच्छा के सरोवर की अनिष्टकारिता और अरमणीयता को दूर करने के लिये उसके चारों ओर परिमाण की पाल बाँध देनी चाहिये। ऐसा करने से उस सरोवर की अनिष्टकारिता भी दूर हो जाती है।

और उसके स्वरूप में रमणीयता भी आ जाती है। इसीलिये भगवान् महावीर ने परिग्रह की अनिष्टता को दूर करने के लिये श्रावको को इच्छा विधि परिमाण करने का निर्देश और उपदेश दिया है।

प्रभु महावीर द्वारा श्रावको के लिये उपदिष्ट इच्छा परिणाम व्रत का आश्रय लेने से परिग्रह की विषाक्तता कम हो जाती है। यह वह मणि है जो परिग्रह के विष को दूर कर देती है। इस व्रत को स्वीकार करने से गृहस्थ श्रावक का कोई भी व्यावहारिक कार्य रुकता नहीं, न विकास कार्य में रुकावट ही होती है, बल्कि आत्म-चिन्तन, भगवद्भक्ति, धर्म ध्यान आदि कार्य निश्चिन्तता-पूर्वक कर सकता है। वह निराकुलता के साथ गार्हस्थ्य जीवन सुख-शान्तिपूर्वक चला सकता है। इच्छाओं और तृष्णाओं के भार से आक्रान्त व्यक्ति का जीवन अशान्त, चिन्तातुर और मशीन की तरह व्यस्त बना रहता है परन्तु जिसने इच्छाओं और तृष्णाओं पर परिमाण की पाल द्वारा नियन्त्रण कर लिया हो, वह व्यक्ति उक्त सभी परेशानियों से बच जाता है और अत्यन्त सुख शान्तिपूर्ण निराकुलतामय जीवन आनन्दपूर्वक जीता है। अमर्यादित इच्छाओं वाला व्यक्ति न तो शान्ति से खा-पी सकता है, न निश्चिन्तता से जीवनयापन कर सकता है और न प्रभु भक्ति या आत्म कल्याण ही कर सकता है। उसके पास सारे ससार का वैभव आ जाए तो भी वह अशान्त ही बना रहेगा। इस अशान्ति को हटाने का एक ही मार्ग है और वह है—इच्छाओं का परिमाण करना। इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार कर लेने से सब प्रकार की अशान्ति दूर हो जाती है।

इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला महा परिग्रह से बच जाता है। क्योंकि उसने इच्छाओं को सीमित कर दिया है। इस कारण जितने अश में उसकी इच्छा शेष है, उतने अश के परिग्रह के सिवाय शेष समस्त परिग्रह से वह निवृत्त हो जाता है। उसे सम्पूर्ण परिग्रह की क्रिया नहीं लगती, अपितु जितने अंश में परिग्रह रहा है उसकी ही क्रिया लगती है। इसलिये वह महापरिग्रही न रहकर अल्प परिग्रही हो जाता है। जितना परिग्रह शेष है, उसमें भी वह जल-कमलवत निर्लिप्त रहता है तो उसी भव में, नहीं तो सात-आठ भवों में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यद्यपि उसने पूर्णतया परिग्रह नहीं त्यागा है तथापि आंशिक रूप से परिग्रह त्याग एवं इच्छा परिमाण किया है, अतः उतने अशो में वह जन्म-मरण के कण्डो से छूट जाता है, नीच गति का पथिक होने से बच जाता है, या तो वह सुगति में जाता है या मुक्ति पथ का पथिक हो जाता है।

इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी इस बात से चिन्तित या दुःखी नहीं होता कि उसकी वस्तु कोई छीन लेगा, या नष्ट कर देगा। वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति सहज रूप से कम हो जाती है अतः उसके लिये दुःख का कोई कारण नहीं रहता। इसके विपरीत महापरिग्रही व्यक्ति मृत्यु के

समय या पुण्य की हीनता से उन वस्तुओं को छूटती हुई जानकर घोर कष्ट का अनुभव करता है। शास्त्र के कथनानुसार महापरिग्रही को मरते समय आर्त्त-रौद्र ध्यान आता है, जो दुर्गति का कारण है। इच्छा परिमाणव्रती श्रावक के पास ऐसा दुःख कभी नहीं फटकता।

एक सघन वृक्ष है। उसका सहारा एक बन्दर भी लेता है और पक्षी भी। पक्षी अपने पखों के आश्रय पर रहता है, वृक्ष के साथ उसका लगाव नहीं होता, अतएव वृक्ष के गिर पड़ने पर पक्षी को दुःख नहीं होता परन्तु बन्दर वृक्ष को अपना मानकर रहता है, अतएव वृक्ष के गिरने से बन्दर को बहुत दुःख होता है। यही अंतर इच्छा परिमाण व्रतधारी श्रावकमें और व्रत न लेने वाले परिग्रही में होता है। इच्छा परिमाण करने वाले को अपनी मर्यादा से गृहीत पदार्थों का आधार छूट जाने पर भी पक्षी की तरह दुःख नहीं होता क्योंकि वह उन पदार्थों पर भी उतनी भ्रमता नहीं रखता जिससे दुःख हो। इच्छा परिमाण न करने वाले को पदार्थों के छूट जाने पर बन्दर की तरह बहुत दुःख होता है।

इच्छा परिमाण व्रत

इच्छा परिमाण व्रत का अर्थ है—धन-धान्यादि पदार्थों की इच्छा को मर्यादित करना, सीमित करना। सम्पूर्ण अपरिग्रह व्रत को अंगीकार करने वाला तो संसार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा और मूर्च्छा का त्याग करता है लेकिन इच्छा परिमाण व्रतधारी को संसार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा-मूर्च्छा का त्याग नहीं करना पड़ता। उसे उन्हीं पदार्थों पर से इच्छा-मूर्च्छा का त्याग करना पड़ता है जो पदार्थ महा परिग्रह में माने जाते हैं या जिन पदार्थों की इच्छा निकृष्ट है, दूसरों के लिये घातक है।

इच्छा परिमाण व्रत के ग्रहणकर्ता को इस बात का सकल्प करना होता है कि वह इन-इन पदार्थों से अधिक पदार्थों पर स्वामित्व का भ्रमत्व नहीं रखेगा, न उन पदार्थों के अतिरिक्त किसी पदार्थ की इच्छा करेगा। आशिक रूप से परिग्रह से विरत होकर महापरिग्रही न होने की जो प्रतिज्ञा ली जाती है, उसे भी इच्छा परिमाण व्रत कहते हैं।

इच्छा परिमाण व्रत का उद्देश्य दुनिया भर के समस्त पदार्थों की विस्तृत इच्छाओं से अपने मन को खींचकर एक सीमित दायरे में कर लेना है। इच्छा परिमाण में मर्यादा जितनी कम होगी उतना ही दुःख और संसार-भ्रमण कम होगा। क्योंकि उसका ध्येय तो एक दिन परिग्रह या इच्छा का सर्वथा न करने का होता है। वह अपनी मंजिल तक तभी पहुँच सकता है, जब इच्छा को न्यून से न्यूनतम कर लेगा। श्रावक का उद्देश्य इच्छा और

के साथ-साथ आवश्यकताओं में भी कटौती करना है, तभी वह एक दिन निष्परिग्रही निर्ग्रन्थ की मजिल पर पहुँच सकेगा ।

जो व्यक्ति ससार के समस्त पदार्थों से अपना ममत्व हटा लेता है और केवल आत्म-साधना के लिये जीवन-निर्वाह हेतु अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार अल्प से अल्प, बाह्य साधन ग्रहण करता है वह अपरिग्रही है । अपरिग्रही के लिये मूर्च्छा का सर्वथा त्याग आवश्यक है । साधु वस्त्र, पात्र आदि रखते हुए भी उसमें मूर्च्छा न होने से अपरिग्रही कहे जाते हैं । जैन धर्म के अनगार साधुओं के लिये सर्वथा अपरिग्रही होना आवश्यक बताया है । गृहस्थों के लिये भी परिग्रह की मर्यादा करने और उत्तरोत्तर परिग्रह को कम करने का व्रत बताया है, यही परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है ।

पाँच विक्षेप

आचार्य समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' में इस परिग्रह परिमाण व्रत के पाँच विक्षेप बताये हैं—

“अतिवाहनाति संग्रह-विस्मय लोभातिभार वहनानि ।
परिमित परिग्रहस्य विक्षेपा पच लक्ष्यन्ते ॥

अर्थात्—अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ और अतिभार वहन ये पाँच परिग्रह परिमाण के विक्षेप हैं—अन्तराय हैं ।

जिस पुरुष के पास वाहन बहुत हो वह उन्हें छोड़ने या मर्यादित करने में हिचकिचाता है । इसी प्रकार अति संग्रह भी व्रत में विक्षेप डालता है । अति संग्रह के कारण मनुष्य त्याग की ओर झुकने में हिचकिचाता है । इसी प्रकार चक्रवर्ती, धनकुबेर या वैभव सम्पन्न की ऋद्धि और ठाठ-वाट देखकर विस्मय में पड़ा हुआ व्यक्ति सहसा परिग्रह की मर्यादा करने से कतराता है । जिसकी लोभ वृत्ति बढी हुई है, वह भी परिग्रह की सीमा करने में झिझकता है, तथा जो आदमी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियाँ ओढ़ लेता है या किसी प्रकार के एहसान के बोझ से दबा है, वह भी परिग्रह परिमाण करने में आनाकानी करता है अथवा जिसका जीवन अत्यन्त खर्चीला है, वह उस खर्च की पूर्ति हेतु परिग्रह में वृद्धि करेगा, घटाएगा नहीं अतः व्रतधारी का जीवन सरलता, सादगी और मितव्ययिता से ओतप्रोत होना चाहिये । इन पाँच विक्षेपो से स्वयं को बचाकर चलना चाहिये ।

सच्चा गृहस्थ अल्प आरम्भी और अल्प परिग्रही होता है । उसकी धन

लोलुपता इतनी बढी हुई नहीं होती कि वह उसके पोछे न्याय-नीति और धर्म को हार जाय । इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए श्रावक को परिग्रह का परिमाण करना चाहिये । कहा है—

“अमरा किकरायन्ते संतोषो यस्य भूषणम्”

संतोषी के लिये देव भी किकर तुल्य है ।

यह गृहस्थ का पाँचवा अणुव्रत है । इसका निरतिचार पालन करने से उद्भूत शान्ति, निराकुलता और आनन्द की अनुभूति के साथ आत्मा का परम कल्याण होता है ।



इच्छा रा दूहा

‘भानावत’ मन-लालसा, रसना तणो सभाव ।
चावै कतरो रस चखै, रहै अभाव अभाव ॥ १ ॥

‘भानावत’ घापै नहीं, मन मापै आकास ।
जतरो पाणी दाँ अनै, वतरी जागै प्यास ॥ २ ॥

ज्यूं ज्यू इच्छा पूरवै, नव नव वधै अनेक ।
एक बीज सूं रुख ज्यूं, धारै अगणित भेख ॥ ३ ॥

इच्छा कामण नित सजै, पिया मिलन रै काज ।
नय-नव नखरा देख नै, साजन जावै भाज ॥ ४ ॥

नव गैणा नव वेस घर, इच्छा री गणगौर ।
ईसर पूजै रात-दिन, पण न मिले सुख-कोर ॥ ५ ॥

इच्छा आंधी वावडी, पाणी ग्यो पाताल ।
मन सन्तोषी नेज सूं, लोटा भरै, निहाल ॥ ६ ॥

अपरिग्रहवाद का विपरीतार्थक शब्द है “परिग्रहवाद” जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। मानव जीवन की सफलता क्रमशः “अपरिग्रह” और “परिग्रह” इन दोनों को भली-भाँति समझने में निहित है। एक में जीवन का उत्थान है, कल्याण है और निर्माण है, तो दूसरे में जीवन का पतन है, हानि है और विनाश है। जो विवेकशील है वह जीवन के उत्थान की ओर प्रवृत्त होता है और जो विवेकहीन है, वह जीवन के विनाश की ओर बढ़ता है। संसार के प्रायः सभी महामानव, मनुष्य को सन्मार्ग की ओर उन्मुख होने की सदा सन्मति देते आये हैं। भगवान् महावीर ने लोक कल्याण की भावना से कहा था—

लोभ कलि-कसाय-महवखधो ।

चिन्तासयनिचयविपुलसालो ॥ प्रश्न व्याकरण १/५

अर्थात्—परिग्रह रूप एक विशाल वृक्ष है जिसके स्कन्ध है लोभ, क्लेश और कषाय। उस परिग्रह के वृक्ष की बड़ी ही सघन एवं विशाल शाखाएँ हैं अनेक प्रकार की चिन्ताएँ।

शास्त्रकार ने शब्दों की इस छोटी-सी गागर में महान् सागर भर दिया है। जीवन की निखिल समस्याओं का, उलझनों का, सतापो का, परितापो का, अन्तर्द्वन्द्वों का, आकस्मिक कर्मबन्धों का और जीवन के निर्मल क्षणों के परिस्पन्दनों का उक्त सूत्र रूप शास्त्र-वचन में समाधान निहित है। जीवन की समस्याओं का समाधान, जीव अन्तर्जगत में न खोजकर वहिर्जगत में खोजता है। जिसके परिणामस्वरूप उसके दुःख की ग्रन्थियाँ सुलझने के स्थान पर और अधिक उलझती जाती हैं। उसका सारा जीवन उनको सुलझाने में ही व्यतीत हो जाता है। वह उन ग्रन्थियों की उलझन में स्वयं उलझ कर अपना जीवन तो भार रूप बनाता ही है, किन्तु जिस परिवार में, समाज में और राष्ट्र में वह रहता है, उसे भी महती हानि पहुँचाता है। यदि मानव अपनी दुःखद समस्याओं के मूल कारण को अन्तर्जगत में ही खोजने का प्रयत्न करता, तो उसकी सारी विपम समस्याएँ स्वतः हल हो सकती थीं। मनुष्य के दुःख का मूल कारण उसके बाहर नहीं अपितु उसी के अन्दर है। मात्र दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है।

इच्छाएँ और आवश्यकताएँ

जीवन की आवश्यकताएँ तो जीव के गर्भ में आते ही आरम्भ हो जाया करती है। जन्म के पश्चात् उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होने लगती है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे वैरागी हो, चाहे सन्त हो, कोई भी हो, भोजन की, वस्त्र की और निवास स्थान की आवश्यकता तो उसे रहेगी ही, वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। उपेक्षा करता है तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने अत्यावश्यक आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने पर अधिक बल नहीं दिया है, आसक्ति न रखने की सन्मति अवश्य दी है। इच्छा के निरोध को और आसक्ति के निरोध को जीवन के लिये हितकर बताया है। आवश्यकताओं का क्षेत्र तो सीमित है, किन्तु इच्छाओं का क्षेत्र तो अनन्त है। जिस प्रकार जल में डेला फेंकने से पहले एक लहर-चक्र, फिर दूसरा चक्र, तीसरा, चौथा आदि अनेक चक्र स्वतः उत्पन्न होते ही जाते हैं, उसी प्रकार एक इच्छा अनेक इच्छाओं का उपक्रम आरम्भ कर देती है। इस इच्छा के अतिरेक का ही दूसरा नाम तृष्णा है। इच्छा और तृष्णा का कही अन्त नहीं है। भगवान् महावीर का कथन है कि—

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ।

—उत्तराध्ययन ६/४८

अर्थात् जिस प्रकार आकाश का कही अन्त नहीं उसी प्रकार इच्छाओं का भी अन्त नहीं है।

“कसिणं पि जो इमं लोय, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणावि से ण संतुस्से, इह दुप्परए इमे आया ॥”

—उत्तराध्ययन ८/१६

अर्थात् धन-धान्य से परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाये तब भी वह उससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। आत्मा की इच्छा का या तृष्णा का पूर्ण होना कदापि संभव नहीं है।

“जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई ।

दो मासकयं कज्जं, कोडिए वि न निट्ठियं ॥”

—उत्तराध्ययन ८/१७

अर्थात्—ज्यों-ज्यों मनुष्य को लाभ होता जाता है, त्यों-त्यों उसका लोभ अधिकाधिक के लिये बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार लाभ से लोभ की वृद्धि होती जाती है। दो मासे सोने से सन्तुष्ट होने वाला व्यक्ति (कपिल) करोड़ों से भी सन्तुष्ट नहीं हो पाया।

लाभ और लोभ

अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि लाभ और लोभ के परिणामस्वरूप अर्जित किया हुआ धन क्या मनुष्य को सुखी बनाने की सामर्थ्य रखता है ? इस प्रश्न का उत्तर निषेधात्मक है । जीवन का सुख अर्जित धन में नहीं, वह तो त्याग में है, त्याग लोभी व्यक्ति कर नहीं सकता । इसका परिणाम होता है, सामाजिक विषमता । वर्तमान युग में हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास इतना धन सग्रह है कि उन्हें चिन्ता है कि इसे कहाँ खर्च करे, कहाँ लगावे, इसके विपरीत ऐसे लोग या परिवार तो बहुत बड़ी सख्या में हैं जिनको यह चिन्ता है कि दो जून का अन्न जुटाने के लिये पैसा कहाँ से लावे ? घनाढ्य परिवारों के सदस्य अधिक पौष्टिक भोजन खाने के कारण बीमार और रोग ग्रस्त रहते हैं और अकिंचन परिवारों के सदस्य सामान्य कोटि के खाद्यान्न के अभाव में ही जीर्ण-शीर्ण होकर दम तोड़ देते हैं । निःसन्देह शोषक और शोषित, दुखी दोनों हैं । परन्तु दोनों के दुःखों के मूल कारण सग्रह या परिग्रह के पोषक-शोषक ही हैं । शोषको ने अपनी सग्रह की प्रवृत्ति के कारण ही स्वयं के और दूसरों के जीवन को भार बना दिया है । यदि कोई एक व्यक्ति देश का सारा धन, अन्न-वस्त्र अपने ही खजाने और भण्डार में भर लेगा तो जन सामान्य के लिये उसका वितरण बन्द हो जाने से देश-वासियों का जीवन अर्थ और अन्न-वस्त्र के संकट से ग्रस्त होना स्वाभाविक है ।

वर्नाडिंशा यूरोप के प्रख्यात नाटककार थे । बड़े ही दुबले-पतले शरीर के थे । चर्चिल ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री थे जो शरीर से मोटे-ताजे थे । ये दोनों महा-पुरुष वर्तमान युग में हुए हैं । एक बार किसी सभा में दोनों की भेट हो गई । दुबले-पतले, सूखे-शरीर वाले वर्नाडिंशा को देखकर चर्चिल साहब ने कहा— “आपको देखने से तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको रोटी नसीब न होती हो और आप भूखे रहते हो ।” भट से वर्नाडिंशा ने उत्तर दिया, “आपको देखने से लोग तुरन्त समझ जाते हैं कि मैं दुबला-पतला क्यों हूँ और मुझे भूखा क्यों रहना पड़ता है ?”

वर्नाडिंशा के व्यग्य ने तीर की तरह चर्चिल के चित्त को चित्त कर दिया । चर्चिल साहब बल खाकर रह गये, कुछ भी उत्तर नहीं बन पड़ा । शा की बात वास्तव में सत्य थी । एक का मोटापा दूसरे की दुर्बलता का कारण होता है । एक की सम्पन्नता दूसरे की विपन्नता को जन्म देती है । एक की सग्रह की प्रवृत्ति, अनेक के संकटों का बीजारोपण करती है और एक की स्वार्थ प्रवृत्ति सहस्रो परिवारों को नारकीय यातनाओं में धकेल देती है । हेमन्त ऋतु में हमने अनेक बार देखा है, बड़े-बड़े नगरी में, बड़े-बड़े धनी तो बहुमूल्य ऊनी कपड़ों के बोझ से लदे फिरते हैं और बेचारे अकिंचन, नगे वदन कापते हुए शरीर का भार

ढोते फिरते हैं, बड़े-बड़े बंगलो में अमीर तो रेशम की रजाइयो में भी सर्दों का अनुभव करते हैं और बेचारे गरीब सड़को के किनारे टाट के टुकड़ों में चिथड़ो में लिपटे हुए कांप-कांप कर रात काटते हैं। मानव की मानव के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा से यदि शोषित वर्ग में विद्वेष की और घृणा की भावना उत्पन्न न होगी तो फिर और किस में होगी ? इस गर्हणीय उपेक्षा की नीव में परिग्रह की भावना गढी हुई है। आज के युग में जो सम्पन्न देश है, जिनके पास अपार अन्न-धन की राशि है, वे भी दूसरे देशों पर आक्रमण इसलिये करते हैं कि उन्हें लूटें, वहाँ अधिक कमाने के लिये अपनी मण्डियाँ स्थापित करें। उनका यह लोभ जब भयानक-रूप धारण कर लेता है, तो युद्ध में परिणत हो जाता है। जन-संहार होता है, अत्याचार होता है और लूट का प्रसार होता है।

अतएव संसार यदि सुख की नीद सोना चाहता है—युद्धों की विभीषिका से बचना चाहता है, सर्वनाश से अपनी रक्षा करना चाहता है, जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाना चाहता है, विषमता के दुष्परिणामों से ब्राण पाना चाहता है और मानव होकर मानवता को पहचानना चाहता है तो उसे भगवान् महावीर के अपरिग्रहवाद के सिद्धान्त को अपनाना होगा, जीवन में उतारना होगा और उस पर निरन्तर अमल करना होगा। भगवान् महावीर के निम्नलिखित उपदेश को कभी नहीं भूलना चाहिये।

“सतोसपाह्नरए स पूज्जो ।”

—दशवैकालिक सूत्र, ६/३/५

अर्थात् जो सन्तोष के पथ पर चलता है, वही व्यक्ति पूजा, प्रतिष्ठा के योग्य है।



○ भाग्यवान वह है जिसका धन गुलाम है और अभाग्य वह है जो धन का गुलाम है।
—वाल्तेयर

○ यदि तुम अपनी आय से कम में निर्वाह कर सकते हो तो निश्चय जानो कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है।

—वेजामिन फ्रैंकलिन

अपरिग्रही जीवन ही सुखी जीवन

□ पंडित रत्न श्री हीरा मुनि

भलीभांति विचार कर देखा जाये तो अपरिग्रही जीवन से बढ़कर दूसरा कोई जीवन सुखी नहीं है। कीट से लेकर कैठिभारि-विष्णु तक का जीवन इच्छाओं के वश में है। अतृप्ति और तृष्णाधिकता के कारण उनको कभी सच्ची शान्ति और वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। कीचड में फंसे गज की तरह पुत्र, स्त्री और कुटुम्बादि में आसक्त प्राणी सतत दुःख उठाता रहता है।

पहले तो धनोपार्जन से ही अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न होती है। एक से एक बढ़कर विघ्न बाधाये अर्थ-संग्रह के मार्ग में सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी रहती है। उन सब विघ्नों को पार करके कठोर श्रम का पसीना बहा करके, सद्भाग्य से धन मिल भी गया तो उसमें अतृप्ति बनी रहती है। साथ ही प्राप्त द्रव्य के संरक्षण की चिन्ता भी सांसों में समायी रहती है। दुर्योग से कदाचित् वह संग्रहीत परिग्रह नष्ट हो जाये तो मरणान्तिक पीडा होने लगती है।

मनुष्य सोचता है कि वह परिग्रह प्राप्त कर सुख से जीवन व्यतीत कर सकेगा, मगर ऐसा उसको नसीब नहीं होता। धनवानों और परिग्रहियों पर लोग चारों ओर से नजर लगाये रहते हैं। कैसे इनका धन लिया जाये? कैसे इनकी सम्पत्ति का अपहरण किया जाये? आदि दुर्विचारशील व्यक्तियों की आक्रामणात्मक कार्यवाही से उनका जीवन अशान्त एवं व्यथित बना रहता है। जैसे, मास के टुकड़े को जल में मछलियां, पृथ्वी पर कुत्ते आदि जानवर और आकाश में पक्षिगण मिलकर खाते हैं, वैसे ही सर्वत्र धनवानों को भी सब खाना चाहते हैं।

मनुष्य के पास में जब परिग्रह का वह संग्रह हो जाता है तो उसका होश ठिकाने नहीं रहता। वह बेभान एवं हृदयहीन बन जाता है। उसकी इन्द्रिया भी ठीक से काम नहीं कर पाती। किसी के दुःख-दर्द को वह न तो मुन पाता है और न उसके मन पर उसका कुछ प्रभाव ही पडता है। दूसरों की तो बात ही क्या, परिग्रही अपने व्यक्तियों से भी बात करने में कतराता है। कर्त्तव्य एवं अकर्त्तव्य का मार्ग भी वह निश्चित नहीं कर पाता। वास्तव में धन एक प्रकार की अभिन्न व्याधि है, जो मरक्षक को अन्धा, बहुरा और गूंगा बना देती है। अतः परिग्रह कभी सुखद नहीं कहा जा सकता।

जो जन अपने जीवन में आसक्ति और तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देता है, जिसकी दृष्टि में स्वर्ण का मोल मिट्टी के ढेले से अधिक नहीं एव जो संग्रह के प्रति भी उदासीन बना रहता है, निश्चय उसका जीवन, सुखी जीवन है। जिस जीवन में चिन्ता, ममता, आसक्ति और परवशताओं का जाल बिछा हो, उसे सुख कैसे मिल सकता है ?

जिसके मन में किसी वस्तु की चाह या कामना नहीं है, बड़ा से बड़ा परिग्रह भी जिसका मन ललचाने में समर्थ नहीं होता, जिसको स्वसुख की अपेक्षा पर-सुख दर्शन की लालसा लगी रहती है, जो परोपकार को ही जीवन का सर्वस्व समझता है, जो स्वयं खाने के बनिस्पत किसी अन्य को खिलाने को भी कर्तव्य मानता है, ऐसे निस्पृही व्यक्ति का जीवन सुखी जीवन कहा जाता है।

भारतीय सस्कृति में, आध्यात्मिक परम्परा में, साधु और परिव्राजको का जीवन सुखी जीवन माना गया है। परिव्राट् बड़े-बड़े सम्राटों से भी बढ़कर सुखी होते हैं। जो आनन्द और खुशी एक फकीर को पेड़ की शीतल घनी छाया में प्राप्त होती है, वह राजमहलो में रहने वाले राजाओं को भी नसीब नहीं। अनेक चिन्ताओं के दुश्चिन्तन में, विविध राजकीय उलझनों में उलझा उनका मन क्षण पल भी चैन नहीं पाता। आनन्द की सच्ची अनुभूति वह कभी नहीं पा सकता जो परिग्रह-ग्रह-ग्रस्त है। चिन्ताओं से चिन्तित तथा इच्छाओं के वशीभूत जन को सच्चा सुख कहां से मिल सकता है ?

अपरिग्रहता ही शान्ति का मार्ग

ससार में आज चारों ओर भय, घृणा, द्वेष, कलह, अशान्ति और विग्रह-मूलक जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके मूल में परिग्रह का ही हाथ है। परिग्रह ने सृष्टि रत्न मानव को आज दानव जैसा बना दिया है। धन के लोभ में मनुष्य अशान्ति के दल-दल में फसकर प्राण गवाना चाहता है। अच्छे से अच्छे नर को भी परिग्रह के लालच ने कौड़ी का तीन बनाकर छोड़ दिया है।

मनुष्य की गुरुता और महानता तभी तक स्थिर रहती है जब तक कि वह परिग्रह के पीछे भाग दौड़ प्रारम्भ नहीं करता अथवा धनाशा से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ऐसी आदत अगर एक बार भी लग जाये तो वह सहसा छूट नहीं पाती। मनुष्य इसके लिये क्या-क्या नहीं करता ? मगर इससे हीनता और लघुता ही बढ़ती है। 'रामसतसई' में ठीक ही कहाँ है—

तौ लगि जोगी जगतगुरु, जौ लगि रहत निराश ।

जब आशा मन में जगी, जगगुरु जोगी दास ॥

सचमुच में अपनी आवश्यकताओं को कम कर जीवन निर्वाह करने का व्यक्ति ही जगत का गुरु बनकर रह सकता है। ज्योत्सी इसके मन में आशा

तृष्णा जेमेगी त्योही योगी दास बन जाता है। परिग्रही को शान्ति नहीं मिल सकती। ग्राम या नगर छोड़कर वह जंगल में भी चला जाये फिर भी उसे चैन मिलना मुश्किल है। अतिशय सम्पन्न व्यक्ति भी लालसा के फेर में पड़कर सुखी नहीं रह सकता। इस ससार में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त से अधिक पदार्थ है, सुख के भरपूर साधन है, परन्तु सबकी तो बात अलग, एक की भी इच्छा भरने के लिए वह पर्याप्त नहीं कही जा सकती।

इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। एक की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक इच्छायें पुनः उठ खड़ी होती हैं। जैसे आग ईंधन डालने से शान्त नहीं होती, वैसे इच्छाये पूरी नहीं होती, सतत अधूरी ही बनी रहती है। इच्छापूर्ति की कोशिश क्षितिज छूने जैसा असफल प्रयत्न है जिसमें आज तक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया और न आगे ही सफल होने की सम्भावना है।

शान्ति के प्रेमी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि अगर तुम वास्तविक शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इच्छाओं की दासता से, गुलामी से मन को अलग कर लो। जिस क्षण तुम इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे यानी इच्छा के सामने झुकना छोड़ दोगे, स्वतः इच्छित वस्तु तुम्हारी तलाश करने लग जायेगी। सच है कि "सुखी वह है, जिसकी इच्छाये कम है।"

"अगुत्तर निकाय" में एक स्थान पर कहा है—ससार में दो व्यक्ति दुर्लभ हैं, एक वह जो स्वयं तृप्त है—सन्तुष्ट है, परिग्रह की भूख जिसे नहीं सताती, और दूसरा वह जो दूसरों को, दीन-दुःखियों को तृप्त-सन्तुष्ट करता है। अपरिग्रहता ही शान्ति का वास्तविक मार्ग है। इससे मनुष्य के मन की सारी हाय-हाय धाय-घायं मिट जाती है। जब तक अपरिग्रहता की भावना मन में घर नहीं करेगी तब तक तृष्णा उछल-कूद मचाती ही रहेगी।

जो जरूरत से अधिक संग्रह की भावना नहीं रखता और न उपयोग की इच्छा ही करता है, सच्ची शान्ति उसे ही मिलती है। जिसने बड़े-बड़े महल बना लिये, बाग-बगीचे और खेत-खलिहान तैयार कर लिये, सोने-चांदी आदि द्रव्यों से खजाने भर लिये, उसको रात में नीद नहीं आती। वह सोना चाहता है, मगर पास का जमा सोना उसे सोने नहीं देता, वह करवटों पर करवटे बदलता रहता है, पर गाड़ी नीद नहीं आ पाती। कहते हैं कि अमेरिका के पूंजीपति नीद की गोलियां लिये बिना नीद नहीं ले सकते।

दूसरी ओर देखा जाता है कि मांगकर सूखी रोटी खाकर पानी पीने वाला भिखारी जहां चाहता है चैन से भोली अलग रखकर सो जाता तथा खरटे भरने लग जाता है। उसे इस बात की कोई भी चिन्ता नहीं है कि मेरी भोली कोई उठा ले जायेगा। एकान्त शान्त स्थान में अकेला सोया देखकर कोई घातक आक्रमण कर देगा। कैसे रात आयी और गयी, दिन कब निकला, इसका उसे पता ही नहीं चल पाता।

कहने का आशय इतना ही है कि जीवन में परिग्रह की मात्रा जितनी कम होगी, सुख और शान्ति उतनी ही अधिक रहेगी। वस्तुतः सच्चा सुख चिन्ताओं का सर्वथा अभाव ही माना जाता है। अपरिग्रहता की दशा में किसी से वैर-विरोध या ईर्ष्या-द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता। थोड़े में निर्वाह करने वाले को किसी से द्वेष क्यों रहे? लडाई-भगड़ा और तूतू-मैमै का सवाल तो वहाँ उठता है, छीना-भपटी तो वहाँ होती है, जहा दो की इच्छा किसी एक वस्तु पर टकरा जाती है। शान्ति भी वही भग होती है जहा परिग्रह का भाव जोर पकड़ लेता है। जहा इच्छाये, लालच और अहभाव अपना रंग नहीं जमाते वहाँ अशान्ति का कारण क्या? अतः मानना होगा कि अपरिग्रहता ही शान्ति का सच्चा मार्ग है।

अपरिग्रहता ही सुख की कुंजी

संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, शान्ति चाहता है। मगर इसके वास्ते वास्तविक प्रयास नहीं करता। जाने क्यों, आज सब ने परिग्रह को ही सुख का मूल मान रखा है। उन सब की धारणा है कि अधिक से अधिक परिग्रही सग्री अधिक से अधिक सुख का भागी हो सकता है। वह परिग्रह को एक उलझन एव दुःख भरी समस्या नहीं मानता।

परिग्रह बढ़ाने में मनुष्य को अपना प्रिय जीवन और सुख शान्ति सब कुछ दाव पर लगा देना पड़ता है। कठिन से कठिन श्रम करके, बड़ी कठिनाई के बाद तब कही परिग्रह प्राप्त होता है। परिग्रह से मन में एक प्रकार की उत्तेजनात्मक गर्मी बढ़ जाती, किन्तु थोड़ी भी शान्ति नहीं आती। परिग्रह के वश में मनुष्य बुरे विचार और आचार का दास बन जाता है। और अन्त में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जिससे अपने ही रचे परिग्रह के जाल में उलझ कर वह जीवन से हाथ धो बैठता है।

पूर्व में भी लोग परिग्रह बढ़ाने का प्रयास करते थे, किन्तु उनके इस प्रयास का अर्थ कुछ दूसरा होता था। वे अड़ी-बड़ी का काम निकालने, बीमारी, बेकारी के समय काम आने तथा सार्वजनिक या सामाजिक किसी काम को करने तथा दुष्काल आदि के समय में लोक सेवा का काम रुके नहीं, एव द्वार पर आने वाला रिक्त हाथ वापस नहीं लौटते, अतएव अर्थोपार्जन करते थे। उनके इस अर्जन की कुछ मर्यादाएँ थी, कुछ सीमाएँ थी। किससे अर्थ मिलाना, कैसे मिलाना एव किस प्रकार के धंधों से मिलाना आदि कुछ वधो हुई व्यवस्थाएँ थी। वे नियमों और व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करते थे।

पहले के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बड़ी से बड़ी भर सकती है, पेट भर सकती है, किन्तु मन कभी नहीं भर सकता है। विश्व की सारी सम्पदा ही वयो न हाथ में आ जाये, त्रिभवन के वैभव

के एकच्छत्र स्वामी क्यों न बन जाये, परन्तु उनसे भी इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है। बड़वानल समुद्र में रहकर भी जैसे शान्त नहीं होती, वैसे इच्छाएं भी अतुल सम्पत्ति के मध्य में भी अतृप्त ही रहती है।

परिग्रह की साधना में पशु-पक्षी भी रात-दिन अनियन्त्रित रूप से संलग्न रहते हैं। अगर मानव भी उन्हीं की भांति हर क्षण उसी के पीछे लगा रहे तो मानव और पशु में क्या अन्तर? क्या मानव होकर भी मानव पशु तुल्य नहीं समझा जा सकता? तिजोरी के भीतर पड़ा परिग्रह भी जब मानव का सब सुख चैन छीन लेता है, तो जो सिर पर चढा रहता है, उससे मुक्ति कैसे सम्भव हो सकती है?

यह सच है कि धन के बिना आज के युग में जीवन-यापन कठिन है। अतः गृहस्थ को धन का संग्रह तो करना पड़ेगा, मगर संग्रह करते हुए भी हमें इस पर विचार करते रहना पड़ेगा कि कहीं यह संग्रह हमारे लिये ग्रह रूप तो नहीं बन रहा है? हम संग्रह करे किन्तु वह कर्तव्य भाव से ही करे, ममत्व और आसक्त रूप में नहीं। न्याय और नीति पूर्वक जो भी संग्रह होगा उससे जीवन का भी निर्वाह होगा, साथ ही उससे परोपकार भी किया जा सकता है। गृहस्थी का कार्य भी मुचारु रूप से चले और घर आये अतिथि देव के सत्कार में भी कोई कसर नहीं हो। इस तरह के भावों से किया गया संग्रह अनर्थ का कारण नहीं बनता। पेट में अन्न और तिजोरी में धन सीमित मात्रा में ही लाभदायक होते हैं। जो इस भाव की अवहेलना करता है, उसका जीवन दुःखद बनता है।

जीवन में कल्याण की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह परिग्रह से होने वाली हानि और अपरिग्रह की दशा में उपलब्ध सुख को अच्छी तरह निरखे, परखे और पुनः विवेक से काम ले। इस तरह वस्तु मात्र के प्रति अनासक्त और निर्मम जन ही सच्चा सुख पा सकता है। क्योंकि धन जितना दुःख का कारण नहीं, उससे बढ़कर उसके प्रति किया जाने वाला ममत्व भाव दुःखदायी होता है।

अपरिग्रहवाद से ही विश्व का कल्याण

आज भौतिकता की चकाचौंध में अर्थ की अनर्थकारी आधी के भोके में, मानव इस बात को भूल सा गया है कि वह कौन है, कहां से आया है और कहा जायेगा? उसका यह भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है जिसके लिए कि वह रात-दिन हाय-हाय करता है। अपने मात्र साढ़े तीन हाथ के शरीर की सुविधा के लिए आलीशान कोठिया तैयार करता, शानदार बड़े बगले बनाता, बाग-बगीचे लगाता तथा दुनिया भर के परिग्रह को अपने घर में जमा करता है। मुट्ठी भर दानों से भरे जाने वाले इस पेट के लिए वह अन्न का भण्डार भरता, और हीरे जवाहरातों से तिजोरियों को भर कर हर्ष एव आमोद मनाते रहता

है। वह धनार्जन के लिए तरह-तरह के अवैध उपायो को काम में लेता और सतत अतृप्त और धनाभिलाषी बना रहता है। वह चाहे जितना अर्जन करले, किन्तु उसकी चाह कभी पूरी नहीं हो सकती।

संसार में अपने ऊपर आने वाले कष्टों और पीड़ाओं के कारणों को दूँटा जाये तो स्पष्ट मालूम होगा कि इनका मूल असन्तोष ही है। धन के वास्ते आज लोग जितने दुःखी नहीं हैं, उससे अधिक असन्तोष के चलते रहने से दुःखी हैं ! जीवन-निर्वाह के लिए किसको कितना चाहिये, उसके पेट के लिए कितना अन्न पर्याप्त समझा जा सकता है तथा तन के लिए कितने वस्त्र की अपेक्षा हो सकती है ? उत्तर स्पष्ट है कि इस सबके लिए अधिक उपलब्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के खाने और पहनने के लिए जितना अपेक्षित है, वह तो उस व्यक्ति के दैनिक श्रम से ही उपलब्ध किया जा सकता है। फिर भी उसके मन में असन्तोष की आग भड़कती रहती है और जिसमें व्यक्ति की सारी शान्ति और निराकुलता भस्म होती रहती है।

कण की आवश्यकता वाले प्राणी की मण की लालसा रहती है। इससे कितनी भी अपार सम्पत्ति हाथ में आ जाये फिर भी अधिक के हेतु इच्छाये तड़कती रहती है, लालसाए लहराती है। हजारों है तो लाखों की और लाखों पर करोड़ों की कामना मन को कुलबुलाती रहती है। असलियत तो यह है कि जितना ही अधिक लाभ होता है, लोभ उससे भी अधिक बढ़ने लग जाता है।

आज देखा जाता है कि हर घर में, भाई-भाई में, अडोसी-पड़ोसी तथा राष्ट्र-राष्ट्र के बीच तनाव और वैषम्य बना रहता है। सर्वत्र दंगे और फसाद होते ही रहते हैं। न्यायालयों में अभी जितने भी अभियोग चल रहे हैं, उनका मूल परिग्रह से ही सम्बन्धित है। जीवन-यात्रा में सुख का माप-दण्ड द्रव्य समझा जाता है। पैसे ने परमात्मा का रूप धारण कर लिया है। नगद को लोग नारायण कहने लग गये हैं। आज कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर पाता कि द्रव्य के बिना भी जीवन का निर्वाह हो सकता है ? सबको यह आश्चर्यजनक जान पड़ता है। क्योंकि आज परिग्रह की धुरी पर ही जीवन-रथ का चक्र चलता है। परिग्रह की कोई सीमा या इयत्ता निर्धारित नहीं है। चाहे जैसे भी हो प्रचुर परिग्रहों से अपनी कोठी भर लेनी चाहिये। यही आज का प्रमुख लक्ष्य है।

परिग्रह की होड़ में कब क्या होगा, कुछ कहना कठिन है। आज इन्सान इसके लिए हैवान जैसा बन गया है। वह धन के वास्ते जीवन देने और लेने के लिए तत्पर दिखाई देता है। हम सब आज परिग्रह के नाम पर लड़ने और मारने-मरने तक को तैयार रहते हैं, किन्तु इससे क्या ? सोचना है कि उन नृशंसों ने, अत्याचारियों ने परिग्रह बटोर-बटोर कर आखिर क्या किया ? क्या उनके साथ में कुछ जा सका ? लूट की, हिंसा से प्राप्त की गई वे सारी वस्तुएँ यही की यही पर रह गयीं।

अतएव यह आवश्यक है कि हम अपरिग्रहवाद के प्रसार व प्रचार में जीवन लगा कर, जग में इसका विस्तार करें। धन के माहात्म्य को आज का बच्चा-बच्चा जानता है। मगर विश्वकवि टैगोर के इन उद्गारों से उसे परिचित कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा—“हमारा देश आज आत्मदान का ऐश्वर्य चाहता है, विपुल धन की महिमा और प्रतियोगिता नहीं। धन अब मनुष्य को अर्ध्य नहीं चढाता वरन् उसे अपमानित करता है और प्रतियोगिता विस्मित करती है, आनन्दित नहीं, इससे ईर्ष्या होती है—प्रणसा नहीं।”

निश्चय ही आज के इस सतृष्ण विश्व का कल्याण अगर किसी साधन के द्वारा हो सकता है तो वह अपरिग्रहवाद ही है। अपरिग्रह का प्रयोग सदा ही जन-कल्याण में सहायक बनेगा, ऐसा सोच कर जीवन-यात्रा में कदम आगे बढ़ाना चाहिये।



आत्म-संतोष

नगर सेठ सागरमल भगवती महालक्ष्मी के स्वर्ण छत्र पर नये मणिमुक्ता अर्पित करके लौट रहे थे। मार्ग में एक छोटा-सा देवालय था। उन्होंने देखा, एक उपासक दरिद्र वेश में खड़ा कृतज्ञता भरे स्वर से कह रहा था—“हे शिवशंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ। कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। न मैं किसी से ईर्ष्या-द्वेष करता हूँ और न कोई अन्य मुझ से ईर्ष्या-द्वेष करता है।”

नगर सेठ ने उसे रोक कर पूछा—“उपासक, तुम ने प्रभु के सामने यथार्थ निवेदन नहीं किया। यह तुम कैसे कह सकते हो कि कोई तुम से ईर्ष्या नहीं करता। मैं ही तुम से ईर्ष्या करता हूँ।”

“मुझ से ईर्ष्या?” दरिद्र उपासक का कौतूहल जगा।

“हाँ, तुम से ईर्ष्या? लक्ष्मी का वरदान पाकर भी मेरे मन में सुख-चैन नहीं और तुम इतने सुखी हो इसका क्या कारण है?”

समाधान पाने के लिए दोनों मन्दिर के मुख्य पुजारी के पास गये। पुजारी ने ‘दया ते पुण्या लक्ष्मीमरियन्तु’ इस शास्त्र वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा—हे नगर सेठ! भगवती की कृपा से आपके पास इतना धन है कि आप उसमें मनमाना खेलते हैं, किन्तु इस दरिद्र के पास इतना आत्म-संतोष है कि स्वयं भगवती इसके हृदय में रमण करने को लालायित रहती है। आपके दुःख और इस परित्यागी व्यक्ति के मुख में यह अन्तर है।

नगर सेठ को ज्ञात हो गया कि आत्म-संतोष लक्ष्मी की कृपा से भी श्रेष्ठ है।

प्रत्येक प्राणधारी प्राणियो मे शरीर, आयु, आहार, निद्रा, भय आदि की प्रवृत्तियाँ समान रूप से होते हुए भी अन्य प्राणियो से मानव के श्रेष्ठ कहलाने का एकमात्र कारण है 'वृत्तियाँ'। मनुष्य में मानवीय वृत्तियाँ भी है और दानवीय भी। जब मानव अपने अन्तस् में बसे हुए काम, क्रोध आदि विकारों को जीतने के लिए अग्रसर होता है तो वह मानव कहलाने लगता है और जब क्रोधादि विकारो का दास बनकर संहार करने पर तुल जाता है तो अपने दानवीय रूप में प्रकट होता है। अन्तर्वृत्तियाँ ही नर को नरदेव या नरोत्तम बनाती है तथा वे ही नर-पिशाच भी बनाती है। इन वृत्तियो की श्रेष्ठता तथा निकृष्टता का आधार बनती है—मनुष्य की तृष्णा और इच्छाएँ। आवश्यकताएँ मर्यादित है, सीमित है, परिमित है और तृष्णा अमर्यादित। मनुष्य अपनी इच्छाओ को ही आवश्यकता मानकर उनकी पूर्ति मे अपनी शक्ति को समर्पित कर देता है। परिणामतः एक इच्छा पूरी हुई कि सैकड़ो इच्छाएँ पैदा हो जाती है और उसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि जीवन समाप्त हो जाने पर भी इच्छाओ का प्रवाह चलता रहता है और अन्त मे वह कह उठता है—“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा”—तृष्णा तो बूढी नही हुई, लेकिन हम जरूर बूढे हो गए। इच्छाओ की अनियंत्रित वृद्धि से समाज मे विषमता फैलती है, वर्ग-सघर्ष को बढावा मिलता है। अतः इस स्थिति का निराकरण करने, आवश्यकताओं को नियंत्रित रखने और मनुष्य ही नही, प्राणिमात्र को सुख-शांतिपूर्वक जीवन बिताने की मूल भूमिका को सबल बनाने के लिए भगवान् महावीर ने अहिंसा, अनेकान्त के साथ “अपरिग्रह” का उपदेश-सदेश दिया है।

इस विश्व मे अपरिग्रह के समान शुभ और परिग्रह के समान अशुभ वृत्ति अन्य कोई नही है। जहाँ लोभ है, वही परिग्रह है, मूर्च्छाभाव है और ससार का सबसे कठोर वन्धन है, पीडाएँ-विषमताएँ है। भगवान् महावीर ने “प्रश्न-व्याकरण सूत्र” मे भी कहा है:—

“नत्थि एरिसो पासो पडिवघो अत्थि सव्व जीवाणं सव्वलोए ॥”

—संसार में परिग्रह के समान प्राणियो के लिए दूसरा कोई जाल वधन रूप नही है।

वस्तु व पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति—मेरापन की भावना हीं परिग्रह है अर्थात् किसी भी वस्तु को अपनी मानकर उसकी ममता में लिप्त हो जाना और ममत्व के वश होकर आत्म-विवेक को खो बैठना परिग्रह है। वस्तुतः प्रभु महावीर ने मानव की प्रकृति को भली-भाँति समझ लिया था और परिग्रह के दुष्परिणामों का वृहद् अवलोकन किया था। इसीलिए उन्होंने सग्रहवृत्ति का घोर निषेध करते हुए मुमुक्षु को इस वृत्ति से बचने का आदेश दिया। उन्होंने कहा—“मुच्छा परिग्रहो वृत्तो” मूर्च्छा ही परिग्रह है।

परिग्रह महापाप है जो कि आत्मा को कर्म बधनों से जकड़ कर उसका अगला लोक तो मिट्टी में मिलाता ही है, इस लोक में भी चैन नहीं लेने देता। आजकल समाचार पत्र इन्हीं समाचारों से रगे रहते हैं कि सरकार ने अमुक व्यक्ति के यहाँ छापा मारकर इतना सोना, चाँदी या रुपया अपने कब्जे में किया या कि अमुक सेठ के गोदामों की तलाशी लेकर हजारों ही नहीं लाखों की कीमत की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ निकाली जो बाजार में अप्राप्य हो रही हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि परिग्रह आदि पाप भले ही कुछ दिन मनुष्य को कृत्रिम सुख, सतोष का अनुभव करा दे, किन्तु अन्त में वे अपना फल प्रदान किये बिना नहीं रह सकते। इसलिए सन्त-महापुरुष या आत्म-मुक्ति के इच्छुक, परिग्रह रूपी महापाप से दूर रहने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। वे भगवान के वचनों पर विश्वास रखते हुए सदा यही भावना रखते हैं कि—“अप्पगाहा समुद्द सलिले अचेल-अत्थेण” अर्थात् ग्राह्य वस्तु में से भी अल्प ही ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार सागर के अथाह जल में से अपने वस्त्र धोने के योग्य अल्प जल ही ग्रहण किया जाता है।

वस्तुतः अल्प परिग्रह भी किस प्रकार मोक्ष मार्ग की साधना में विघ्न डालता है, इसे महापुरुष ही वारीकी से समझ सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक प्रसंग है —

स्वामीजी ससार से विरक्त होने के कारण सदा आत्म-साधना में जुटे रहते थे। अपने अमूल्य जीवन के एक-एक क्षण को विना व्यर्थ खोये सदुपयोग करते थे।

एक बार उनके किसी भक्त ने उन्हें एक बड़ा कीमती वस्त्र भेट में दिया। स्वामीजी ने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया क्योंकि ऐसा बहुमूल्य वस्त्र उन्हें पहली बार ही मिला था।

किन्तु उस कीमती वस्त्र का प्रभाव उन्हें शीघ्र ही दिखाई दे गया। वह इन प्रकार कि जब वे ध्यान करने बैठे तो ध्यान के बीच में ही उस वस्त्र का विचार बार-बार आने लगा। स्वामीजी ने सोचा—“कोई बात नहीं, अभी वस्त्र

नया है और अभी-अभी मिला है अतः इसका विचार आ रहा है । कुछ समय बाद मैं स्वयं ही इसे भूल जाऊँगा ।”

पर ऐसा हुआ नहीं । कई दिन तक वस्त्र शरीर पर रहा और उनकी दृष्टि पुनः पुनः उसकी ओर जाती रही । एक दिन उस नये वस्त्र को धारण किये हुए वे अपनी आराध्या महाकाली के दर्शनार्थ भी गये, किन्तु वहाँ भी उस वस्त्र का ही दिमाग में ध्यान बना रहा और देवी की भक्ति में पूरा मन नहीं लगा । यहाँ तक कि जब वे देवी की प्रतिमा के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करने लगे तो यह ख्याल आया—“जमीन पर लेटकर प्रणाम करने से यह सुन्दर वस्त्र खराब हो जाएगा ।”

स्वामी परमहंस विचारो की ऐसी लीला देखकर हैरान हो गये और अगले ही क्षण उस वस्त्र को शरीर से उतार कर दूर फेंकते हुए बोले—“जो भी वस्तु आत्म साधना में, मन की शान्ति प्राप्त करने में और भगवान से मिलन में व्यवधान डालती है, उसकी मुझे तनिक भी आवश्यकता नहीं, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यो न हो ।”

उदाहरण पर गहराई से विचार करें तो ज्ञात होता है कि जब एक ही वस्त्र को अत्यल्प काल के लिये ही अपने पास रखने पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को साधना में बाधा महसूस होने लगी, तब फिर जो लोग अपने शरीर पर अनेक वस्त्राभूषण रखते हैं या लाखों का धन संचय कर लेते हैं और तिजोरियों को ठसाठस भर लेते हैं, उनका चित्त आत्म-साधना में कैसे लगता होगा ? स्पष्ट है कि नहीं लग सकता । ऐसे व्यक्तियों की तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है । लाभ मिलने पर मन में सतोष और तृप्ति होनी चाहिये, पर बजाय सन्तोष के लोभ अधिक तीव्र हो जाता है । अग्नि में जैसे घी डालने से उसकी ज्वाला अधिक भडकती है, वैसे ही इच्छा की पूर्ति रूप लाभ मिलने पर लोभ अधिक बढ़ता है और फिर मनुष्य मकड़ी के जाल की तरह लाभ और लोभ के जाल में फँस जाता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा भी है—“जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डइ ।” अर्थात् ज्यो ज्यो लाभ होता जाता है, त्यो त्यो लोभ भी बढ़ता जाता है । इस प्रकार अनुचित सग्रह या परिग्रह मानव के लिए अभिशाप है और जन्म-जन्मान्तर तक के लिए दुःख का कारण है । परिग्रह की वृद्धि करके वह कभी सच्चा सुख हासिल नहीं कर सकता । सच्चा सुख उसे तभी महसूस होता है, जबकि वह परिग्रह को कम से कम कर लेता है । जैसा कि कहा गया है—“Happy is he, whose wants are few” सुखी वही है जिसकी आवश्यकताएँ कम से कम हैं ।

अपरिग्रह की पाँच भावनाएँ

□ श्री राजेन्द्र मुनि शास्त्री

अपरिग्रह भावना की साधना मनुष्य के लिए परिग्रह के घातक प्रहारों के विरुद्ध एक समर्थ कवच सिद्ध होती है। जगत् है तो इसमें भौतिक आकर्षण भी रहेंगे अवश्य पर कोई इन तीव्र आकर्षणों में रहकर भी इनसे अप्रभावित रहना चाहे तो अपरिग्रह उसकी सहायता कर सकता है। शास्त्रों में ऐसी पाँच भावनाओं का वर्णन मिलता है जो अपरिग्रह महाव्रत को रक्षित और पुष्ट करती है, विकसित करती है। इन भावनाओं का आराधक कभी परिग्रह-प्रपञ्च का शिकार नहीं बन सकता, उसका आत्मिक उत्थान अवरुद्ध नहीं होता और वह सतोष-सागर में अवगाहन करता हुआ शान्ति की लहरों का आनन्द लेता रहता है। उसका मन स्ववश में हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है और सन्मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा और शक्ति से वह सम्पन्न हो जाता है। एक अकेला अपरिग्रह ही अपने आप में मानव-कल्याण की अपरिमित शक्ति रखता है।

अपरिग्रह की ५ भावनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय सवर भावना ।
- (२) चक्षुरिन्द्रिय सवर भावना ।
- (३) घ्राणेन्द्रिय सवर भावना ।
- (४) रसनेन्द्रिय सवर भावना ।
- (५) स्पर्शनेन्द्रिय सवर भावना ।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त भावनाओं का सीधा सम्बन्ध मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों से है। ये ऐन्द्रिक अनुभव ही भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण को उत्पन्न करते हैं, उसे तीव्र बनाते हैं और मनुष्य के मन में उसे प्राप्त करने की ललक उठने लगती है। इस प्रकार वह परिग्रह के फेर में पड़ जाता है। इन्द्रियों की प्रवृत्ति पर नियामक और नियन्ता बन कर ये भावनाएँ परिग्रह के घातक प्रहारों से मनुष्य की रक्षा करती हैं। इन्द्रियों के ये विषय सुन्दर-असुन्दर, मधुर-कटु दृश्य, शब्द, गंध, स्वादादि जगत् में सर्वत्र और राशि-राशि विखरे हुए हैं। मनुष्य के लिए इन विभिन्न अनुभूतियों में सर्वथा दूर रहना कठिन है किन्तु इनके मध्य रहकर

भी इनसे राग-द्वेष न करना—ये भावनाएँ सिखाती है। इस प्रकार अपरिग्रह महाव्रत के पालन में ये समर्थ सहायक सिद्ध होती है। आवश्यकता इन भावनाओं के माहात्म्य को स्वीकार करते हुए इन पर चिन्तन-मनन करने की है। यह वह मार्ग है जिससे मनुष्य के मन में इन भावनाओं के प्रति आस्था भी जागृत होती है और इनके अनुपालना की सशक्त प्रेरणा भी मिलती है।

(१) श्रोत्रेन्द्रि संवर : शब्द निःस्पृह भावना

इस भावना का सम्बन्ध श्रुति से, कर्णेन्द्रिय अनुभूति से है। कर्णेन्द्रिय की प्रवृत्ति है—सुनना। कान जगत् में उत्पन्न और सुलभ शब्द, स्वर, ध्वनि को ग्रहण करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया होने लगती है—मन में। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुरूप ये शब्द या स्वर मधुर और प्रिय भी हो सकते हैं और कटु तथा अप्रिय भी। जब व्यक्ति की खुशामद की जा रही हो, उसका कारण-अकारण प्रशस्ति गान किया जा रहा हो—सम्बन्धित शब्द उसे बड़े मधुर लगते हैं। एक कामना उसके मन में उठने लगती है कि यह प्रसंग जितना अभिर्वाधित होता चला जाय उतना ही अच्छा है। वह विभिन्न प्रश्नादि पूछ कर भी वाचक के लिए ऐसी स्थिति बनाता रहता है कि यह तथाकथित मधुर प्रसंग और आगे बढ़ता चला जाय, उसके अनेक प्रिय अशों की पुनरावृत्ति होती चली जाय। अपनी प्रशंसा सुनने में भी व्यक्ति को एक अद्भुत सुख मिलता है और इस सुख के लिए उसके मन का चप्पा-चप्पा लालायित होकर सजग हो उठता है। अपनी रुचि के अनुरूप सगीत की स्वर लहरियाँ, वाद्यों की झणकार, पक्षियों का कलरव, नदी का कल-कल, पवन की मर्मर ध्वनि आदि भी मनुष्य को रसानुभूति प्रदान करती है।

जैसे मधुर शब्द आनन्दप्रद होते हैं—वैसे ही कटु और अप्रिय शब्द मनुष्य के लिए दुःखद भी होते हैं और वह इनसे दूर रहने की चेष्टा करता है। इनका प्रतिकार करता है। पर निन्दा तो मिष्ठान्न से भी अधिक मधुर होती है। व्यक्ति इसमें बड़ा रस लेता है। खोद-खोद कर पूछता और सविस्तार सुनने की कामना रखता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के अपवाद कदाचित कुछ ही समयों में हो सकते हैं।

जगत् में अनेकानेक मधुर-कटु, प्रियाप्रिय स्वर हैं—शब्द है और श्रवणेन्द्रिय का उनके सम्पर्क में आना भी अति स्वाभाविक है। शब्द का त्याग किया जाना सहज सभाव्य चाहे न हो; किन्तु प्रतिक्रिया स्वरूप शब्दों के प्रति उपजने वाले राग-द्वेष का त्याग अवश्य किया जा सकता है। हम तटस्थ भाव का निर्वाह कर सकते हैं। यह मुनिजन के लिए तो एक आवश्यक समय है। प्रिय स्वर पर रीझना अथवा अप्रिय शब्द पर रोष करना साधु का स्वभाव नहीं

उपेक्षापूर्वक, तटस्थ और अप्रभावित रहना ही श्रोत्रेन्द्रिय सवर भावना का मूल मंत्र है। साधक को चाहिये कि वह शब्दों में अपने बुद्धि व मति को लगाए ही नहीं, उन प्रिय-अप्रिय शब्दों में मन न रमाए। राग-द्वेष जागरण की सभावना ही इससे समाप्त हो जायगी। साधक शब्दों को सुने, पर सुनकर—

“न तेसु रज्जियव्वं, न सज्जियव्वं, न रुसियव्वं, न हीलियव्वं ।”^१

अर्थात् न उनसे राग उत्पन्न होने दे, न रोष करे, न किसी को डाँटे-टफकारे, अथवा निन्दा करे। जो इस प्रकार राग-द्वेष रहित होकर ‘सम’ बना रहता है—वही वीतराग है। सवर भावना का अभिप्राय यही है कि मनुष्य अपने मन को इस प्रकार की तटस्थता की शिक्षा दे।

(२) चक्षुरिन्द्रिय—रूप निःस्पृह भावना

नेत्र मानव-मन को अनेकानेक सुन्दर-असुन्दर स्थितियों के सम्पर्क में लाते हैं। चक्षु ही दृश्यमान जगत् से मनुष्य का परिचय कराते हैं। जगत् में अनेक मन-भावन दृश्य, वस्तुएँ और व्यक्ति हैं जिन्हे देखकर मनुष्य आनन्दित होता है, उनमें अनुरक्त होता है। इसके विपरीत अनेक कुदर्शी वस्तुएँ ऐसी हैं जो रोष, घृणादि उपजाती हैं। दोनों ही परिणाम घातक हैं।

देखना मानव की सहज प्रवृत्ति है। यह न स्वाभाविक है न आवश्यक कि वह कुछ देखे ही नहीं। वह देखे, किन्तु किसी प्रिय या सुन्दर वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसके प्रति अनुरक्त होना अथवा असुन्दर के प्रति रोष करना अनुपयुक्त है। तटस्थ भाव से समस्त दृश्यमानों का अवलोकन करना ही साधक का धर्म है।

वस्तु कोई भी स्वयं में सुन्दर अथवा असुन्दर नहीं होती। जो वस्तु किसी एक के लिए अति सुन्दर है - वही किसी अन्य के लिए असुन्दर भी हो सकती है। जो हमें आज सुन्दर प्रतीत होती है, वही वस्तु कल सभव है कि हमें ही सुन्दर न लगे। यह सौन्दर्य वस्तु का गुण न होकर दर्शन की दृष्टि में निवास करने वाला एक तत्त्व है। अतः रूपारूप आधारित प्रतिक्रिया सर्वथा मिथ्या है। साधक जन के लिए यह अपेक्षित है कि स्थितप्रज्ञ सा वह चक्षु के समक्ष आये दृश्यो को देखता रहे और मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वस्तुओं को देखकर उसमें राग-द्वेष उत्पन्न न हो। यही चक्षुरिन्द्रिय सवर भावना का मूल मंत्र है।

(३) घ्राणेन्द्रिय संवर भावना

‘घ्राण’, अर्थात्—नासिका द्वारा हमें वस्तु की गंध से परिचित होने का अवसर मिलता है। सुगंध हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है और उस सुगंधित पदार्थ के प्रति एक अनुराग जागृत कर देती है। इसके विपरीत दुर्गंध हमारे मन को अप्रिय ही नहीं कष्टकर भी लगती है और वस्तु के प्रति घिन उपजाती है। यह सहज स्वाभाविक मानव वृत्ति है, किन्तु इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करना, सम-भाव के साथ सुगंध और दुर्गंध के प्रति राग-द्वेष न करना साधक की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वस्तुस्थिति यह है कि सुगंध अथवा दुर्गंध वस्तु विशेष का स्थायी गुण धर्म नहीं है। सुगंधित वस्तु कब दुर्गंध पूर्ण या गंधहीन हो जाय, अथवा दुर्गंधित वस्तु में कब सुगंध आने लग जाय—कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर गंध के आधार पर वस्तु के प्रति राग-द्वेष या प्रीति-घृणा करना कैसे उचित कहा जा सकता है। तीर्थंकर भगवती मल्लिकी की स्वर्ण प्रतिमा में सुगंधित, सुस्वादु खाद्य पदार्थों का एक ग्रास प्रतिदिन डाला जाता था। विवाहोत्सुक अनेक नरेशों के एकत्रित होने पर जब प्रतिमा को खोला गया तो वह सचित सुगंधित खाद्य पदार्थ विकृत होकर भयकर दुर्गंध व्याप्त करने लगा। यह नियति है सुगंधपूर्ण अनुभव होने वाले पदार्थों की। ऐसी सुगंध पर मुग्ध होना सर्वथा मिथ्या है।

‘ज्ञाता सूत्र’ का एक दृष्टान्त है जो यह सिद्ध करता है कि समस्त पुद्गल गुण धर्म में परिवर्तन शील है और उनसे इन तात्कालिक गुणों के आधार पर राग-द्वेष करना व्यर्थ है। राजा जितशत्रु का मंत्री सुबुद्धि इसी प्रकार का तटस्थ मनोवृत्ति वाला पुरुष था। नगर के समीप की खाई से पानी की सड़ाध से जब राजा एवं अन्य राजपुरुष उद्विग्न हो उठे, तब भी सुबुद्धि सर्वथा सामान्य बना रहा। राजा को आश्चर्य हुआ और उसकी जिज्ञासा को तुष्ट करते हुए सुबुद्धि ने उत्तर दिया कि परिवर्तन पुद्गलों का स्वभाव है, अतः जल की इस दुर्गंध पर मन में घृणा लाना व्यर्थ है। यही जल कभी स्वच्छ और सुगंधित भी हो सकता है। राजा को सहसा कथन पर विश्वास नहीं हुआ। कालान्तर में मंत्री ने राजा को अपने यहाँ निमंत्रित किया। भोजन के साथ जल भी राजा को रुचिकर लगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह जल उसी खाई का दुर्गंधपूर्ण जल है जिससे कभी आपने नाक भौं सिकोड़ कर घृणा की थी। अमुक प्रक्रिया द्वारा मंत्री ने उस जल को शुद्ध कर दिया था। अस्तु, गंध के आधार पर वस्तु को हेय या प्रेय मानना; उसके प्रति राग अथवा द्वेष विकसित करना समीचीन नहीं है। साधक को चाहिये कि वह पुद्गलों के पूरण-गलन धर्म का ध्यान रखते हुए तटस्थ वृत्ति के साथ समत्व योग की साधना में रत रहे और आत्मा को

प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दित ही रखे । सुगन्ध और दुर्गन्ध—दोनों ही स्थितियों में समभाव बनाये रखे—जो स्थितप्रज्ञ का स्वभाव है ।

(४) रसनेन्द्रिय संवर भावना

अन्य ज्ञानेन्द्रियों का एक-एक ही धर्म होता है (यथा—नेत्र का देखना, कान का सुनना आदि) ; किन्तु रसनेन्द्रिय, अर्थात्—जीभ के दो धर्म हैं—स्वाद लेना तथा बोलना । बोलने के सम्बन्ध में सयम की भावना का विषय भाषा समिति के अन्तर्गत होता है । हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके स्वाद से जीभ ही हमें परिचित कराती है । पदार्थ सरस, स्वादिष्ट भी हो सकते हैं और नीरस या अप्रिय स्वाद वाले भी । साधक को मन में अच्छे स्वाद के प्रति अनुराग या आकर्षण भी नहीं उठना चाहिये और बुरे स्वाद के प्रति जुगुप्सा या विकर्षण भी नहीं ।

यहाँ यह प्रश्न भी चिन्तनीय है कि आहार का मूल प्रयोजन क्या है ? वस्तुस्थिति यह है कि साधक को अपनी साधना हेतु शरीर को पर्याप्त सशक्त रखने मात्र के लिए आहार ग्रहण करना चाहिये, सरसता से रसना को तुष्ट करने के प्रयोजन से नहीं । चाहे श्रेष्ठ व्यजन मिले और चाहे तुच्छ, स्वादहीन पदार्थ—दोनों ही स्थितियों में साधक के लिए यह निष्कर्ष ही अनिवार्य है कि न तो वह काम्य पदार्थ है और न वह उपेक्षणीय है । मुझे तो जीवन-यात्रा चलाने के लिए कुछ आहार रूप में चाहिये; अतः जो भी प्राप्य है—उसे ग्रहण करना है । उदर-पूर्ति मात्र के लिए आहार करना है ।

“अणासयमाणे लाघविय आगममाणे तवे से अचिरमन्नागए भवई ।”

भोजन के समय जो उसका निग्रह कर अस्वाद भाव से आहार ग्रहण करता है, वह भोजन करते हुए भी कर्मों को क्षीण करता है और आहार करते हुए भी तपस्वी है । आवश्यकता इसी बात की है कि वह स्वादेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करले । यह 'रस-विजय' सभी विजय का मूलाधार है—'सर्वजित जिते रसे' । जिसने रसना पर विजय प्राप्त करली उसने सब कुछ जीत लिया ।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय संवर भावना

गीतल, उष्ण, मुकोमल, कठोर, मुखद-दुःखद अनेक स्पर्श इस जगत् में हैं जो हमारे कलेवर में सम्पर्क में आकर मुखात्मक और दुःखात्मक अनुभूतियाँ जागृत करते हैं—मन में चाचल्य अथवा जैथिल्य का संचार करते हैं । कभी गीतल-मद पवन आकर प्रफुल्लित कर जाती है तो कभी भ्रूभावात् आकर घातकित कर जाती है । कभी लू की तप्त पवन आकर झुलसा जाती है । कठोर

चट्टानों का खुरदरा स्पर्श भी होता है तो निर्मल, शीतल जल का सुखद स्पर्श भी होता है। साधक इन सभी सुखद और दुःखद स्पर्श-स्थितियों में सदा सम बना रहे—यह आवश्यक है। शीत व ताप की अधिकता अथवा न्यूनता से उसे सदा अप्रभावित ही रहना चाहिये, अन्यथा प्रमाद में घिर कर वह साधना के पथ पर अग्रसर न हो सकेगा। सुखद स्पर्शों से मोह भी उतना ही घातक है, जितना दुःखद स्पर्शों से वचाव की प्रक्रिया। शरीर को सुखानुभव देने वाले स्पर्श आत्मा को कुठित कर सकते हैं। भयंकर ताप, लू आदि के कण्टों से विचलित होकर शीतल पवन के आगमन की प्रतीक्षा में आतुर हो जाना भी अनुपयुक्त है। जैसी भी परिस्थिति हो समत्व भावना के साथ उसका स्वागत करते हुए उसमें जीना और साधना-यात्रा को शिथिल न होने देना—यही साधक का धर्म है। कर्कश, कठोर, उष्ण और दुःखद स्पर्श साधक को धैर्ययुक्त करते हैं, अचंचल बनाते हैं और सहिष्णुता की शान्ति प्रदान करते हैं।



अन्तर

एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा—“गुरुजी, आप तो कहते थे कि संसार के सभी दरिया समुद्र में जा मिलते हैं? फिर समुद्र का पानी इतना खारा क्यों है? जब कि हर दरिया का पानी मीठा होता है।”

गुरु ने कहा—“वह समुद्र लेता ही लेता है, देता एक बूंद भी नहीं। जो केवल सच्य करता है, उसमें कड़वाहट के अतिरिक्त और होगा ही क्या?”

शिष्य ने फिर पूछा—“कहते हैं कि समुद्र का पानी सूर्य सोखता रहता है, वही पानी बादल बनकर वरसता है, फिर आप यह कैसे कहते हैं, कि देता एक बूंद भी नहीं?”

गुरु ने समझाते हुए कहा—“छोने जाने और देने में पृथ्वी-आकाश का अन्तर है बेटे! तुम्हारे पैसे या सामान कोई छिन ले तो वह देना नहीं हुआ, देने की भावना से दिया गया ही देना होता है।”

ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी सारी तमन्नाएँ सहज भाव से पूरी होती चली जायं, क्योंकि जैसे हमारी तमन्नाएँ हैं, वैसे औरों की भी तमन्नाएँ हैं। और बहुधा हमारी तमन्नाओं से टकराती हैं। यदि हमारी तमन्ना पूरी हो तो किसी अन्य की तमन्ना टूटती है। किसी अन्य की तमन्ना पूरी हो तो हमारी टूटती है। ऐसी अवस्था में हमारी तमन्नाओं की पूर्ति के रास्ते में जहाँ भी कोई अवरोध पैदा होता है, वही हमें भु भलाहट होती है, गुस्सा आता है, हमारा आन्तरिक तनाव कई गुना बढ़ जाता है। शरीर और मन की प्रथिया और अधिक उलझ जाती है। हम अधिक चिडचिडे होने लगते हैं। हमारी शांति अधिक भग होती है। सच्चाई को जाने बिना हम अपने दुःखों का कारण औरों पर आरोपित करने लगते हैं। मन में द्वेष, दौर्मनस्य भरते रहते हैं। रागरजित चित्त में जो गाँठें बंधती हैं और उनके द्वारा जो मानसिक व शारीरिक तनाव पैदा होता है, वह इस द्वेष दूषित अवस्था में कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मन का उत्तेजन और उत्तापन तीव्र हो उठता है। अशांति और बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगती है। प्रतिक्षण अपने मकसद की पूर्ति न हो सकने की आशकाएँ हमारी व्याकुलता बढ़ाती रहती हैं और इस प्रकार हमारा मन और तन दोनों अस्वस्थ हो उठते हैं। जीवन का वास्तविक सुख हमसे कोसों दूर रहता है।

जीवन के सारे भौतिक सुख-साधन, वैभव-विलास, ऐश्वर्य-सम्पदा हमें फीकी लगने लगती हैं। क्योंकि हम हमेशा जो हैं, उससे किसी अन्य ऊंची स्थिति की खोज में पागल रहते हैं। जीवन सतत अभावग्रस्त बना रहता है। इस अभाव की पूर्ति में बाधा स्वरूप आने वाले हर व्यक्ति, वस्तु, घटना व स्थिति के प्रति चित्त दुर्मन बना रहता है। मनचाही बात होती नहीं, इसकी पीडा तो होती ही है। दूसरी ओर अनचाही होती रहती है। यह उस पीडा की आग में पेट्रोल छिड़कने का काम करती है। मनचाही स्थिति को हम अपनी ओर खेंचने का प्रयास करते हैं और अनचाही स्थिति को दूर ढकेलने का। इस खिचाव और इस दुराव के कारण, इस राग और इस द्वेष के कारण जो आन्तरिक सघर्ष चलता रहता है, वही हमारा दुःख है। जहाँ यह सघर्ष समाप्त हुआ, वही खिचाव-तनाव दूर हुए, दुःख-दर्द दूर हुए और सही सुख तथा सही शांति मिलने लगी।

जैसे द्वेष की उत्पत्ति राग से होती है, वैसे ही राग की उत्पत्ति मोह-मूढता से होती है। यह मोह मूढता क्या है? यह हमारे चित्त की वह अज्ञान अवस्था है, जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति को और साथ ही साथ अपने आपको चिरस्थायी मानकर उसके प्रति आसक्त हुए चले जाते हैं। विषयनासायना द्वारा जब चित्त एकाग्र होकर अपने इस बेचैन अन्तर्मन का स्वयं दर्शन करना है तो उसे यह सारा खेल समझ में आने लगता है। वह अपने ही समान नारी ब्राह्म वस्तुओं को, व्यक्तियों को और स्थितियों को अनित्य मद्दुन करने लगता है। उनके प्रति नित्यभाव की मिथ्या दृष्टि दूर होती है।

उनके नश्वर भंगुर और परिवर्तनशील स्वभाव को सही-सही समझने लगता है । इस प्रकार सही बात को सही रूप में देखने-समझने वाली जो प्रज्ञा जागती है, वह हमें उन भंगुर आलम्बनों के प्रति आसक्त होने से, चिपकने से, बचाती है । राग के प्रति जहाँ वह चिपकाव टूटता है, वही राग से उत्पन्न होने वाले दुःख दूर हो जाते हैं । और जब राग के प्रति चिपकाव टूटता है तो द्वेष दूषित होने का कोई कारण नहीं रह जाता । अतः द्वेष के कारण पैदा होने वाले दुःखों से छुटकारा मिल जाता है । इसी प्रकार राग और द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले भय, आशंका, घृणा, दुर्भावना, क्रोध, दौर्मनस्यता, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि-आदि सभी प्रकार के मनोविकारों से छुटकारा मिल जाता है और इनके कारण उत्पन्न होने वाले सभी दुःखों से भी छुटकारा मिल जाता है । जहाँ दुःखों की जड़ उखड़ी वहीं सारे दुःख उखड़े । जहाँ दुष्प्रज्ञता उखड़ी, वहाँ उससे उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष तथा तज्जनित अनेकानेक मनोविकारों का आवेश रुक गया । इसीलिए आवश्यक है कि दुःख से आत्यंतिक विमुक्ति पाने के लिए हम उसकी जड़ को उखाड़ फेंके । मोह-मूढता को समूल नष्ट करे । प्रतिक्षण विद्या जागती रहे, प्रज्ञा जागती रहे, बोधिधर्म जागता रहे । बेहोशी में पडकर राग की आसक्तियों में न उलझने पाये । इसी में हमारी वास्तविक सुख-शांति समायी हुई है । इसी में हमारा मंगल-कल्याण समाया हुआ है । □□□

समय का सदुपयोग

सन्त दाऊद को पिता की विरासत में तीस दीनार मिले । उन्होंने उसी से जिन्दगी के तीस वर्ष काटे और उतने से ही अपना खर्च चलाया । लोगों ने सहायता करनी चाही तो उन्होंने सदा इन्कार किया और कहा— गुजारे के लिए जो मिला हुआ मौजूद है तो ज्यादा की हविस क्यों करूँ ?

वे सत्तू घोलकर पीते थे । किसी ने पूछा—आप रोटी क्यों नहीं बना लेते ? जवाब दिया—जितनी देर में रोटी बनाऊँ उतनी देर में पचास आयतों का पाठ क्यों न करूँ ?

पीने का पानो धूप में रखा था । किसी ने पूछा—इसे छाया में क्यों नहीं रख लेते ? दाऊद ने कहा—इतनी सुविधा के लिए भगवान के लिए लगने वाले समय को अपने लिए खर्च करूँ ?

भोग और संग्रह की रुचि के त्याग से ही भगवत्प्राप्ति

□ स्वामी रामसुखदास

मनुष्य में जहाँ संसार की कामना है, वहाँ ही उसमें भगवान् की तरफ चलने की रुचि भी है। यदि भगवान् को प्राप्त करने की रुचि जम जाय तो फिर कामना नष्ट होकर भगवत्प्राप्ति में देरी नहीं है। यह मानव के विवेक की महिमा है। यह सत्य है कि प्रायः पापियों के ऐसा निश्चय हुआ नहीं करता, परन्तु ऐसा नहीं है कि पापी ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। महान् से महान् पापी अपना उद्धार कर सकता है। जब तक मृत्यु काल नहीं आया है, तब तक इस मनुष्य में यह शक्ति है कि वह भगवत्प्राप्ति का निश्चय कर सकता है। परन्तु भोगों का, धन का महत्त्व हृदय में रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकता।

यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि किये हुए पाप मनुष्य को भगवान् की ओर जाने में नहीं रोक रहे हैं। इसी तरह पदार्थ भगवान् की ओर जाने में नहीं रोक सकते। परन्तु वर्तमान में भोगों का महत्त्व जो है, वह बाधा दे रहा है। भोग उतना नहीं अटकाते, जितना भोगों का महत्त्व अटकाता है। आपकी रुचि नियत-प्रधान है। पापी ने पाप बहुत किये, परन्तु अब उसकी रुचि नियत पाप करने की नहीं रही, अब उसने निश्चय कर लिया कि एक परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। इसलिए उसे धर्मात्मा बनते देर नहीं लगती है। क्योंकि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है।

यदि भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे, तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ भोगों की रुचि नहीं है, वहाँ ही परमात्मा है। रुचि जब तक भोग संग्रह में है, मान, बड़ाई, आराम में है, तब तक कोई भी परमात्मा में नहीं लग सकता। क्योंकि उसका चित्त भोगों की रुचि द्वारा हरा गया। जो शक्ति थी, वह भोग और ऐश्वर्य में लग गयी। भोग और संग्रह से मनुष्य को मिनेगा कुछ नहीं, बल्कि वह परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जायेगा। धोखा हो जायेगा। थोखा, मान, बड़ाई कितने दिन रहेगी? मान, बड़ाई मिलकर भी क्या निहाल करेगी? भोग कितने दिन भोगेंगे? संग्रह कितने दिन रहेगा? माना, यहाँ नून धन डकट्टा किया, मर जाओगे तो धन यही रह जायेगा। आयु समाप्त हो जायेगी। परमात्मा की प्राप्ति में वंचित रह जाओगे।

इसलिए भगवान् के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि परमात्मा की प्राप्ति वास्तव में चाहते हो, तो भोग और संग्रह को महत्त्व मत दो। आज तो खर्च के लिए ही रुपयों का महत्त्व नहीं, बल्कि उनकी संख्या को भी महत्त्व दे रहे हैं। हम लखपति हो जायें। हमारे इतना संग्रह हो जाय। रुपया है, उसको खाने में खर्च नहीं कर सकते, अच्छे काम में खर्च नहीं कर सकते। एक धुन धन जोड़ने की लगी हुई है। संख्या कम न हो जाय, मूलधन में कम से कम एक लाख रुपया तो इस साल जमा हो जाय, ऐसी रुचि रहती है। लड़कों को उपदेश देते हैं कि “जोड़ो ! नहीं तो कमाओ उतना खाओ। मूल पूँजी खर्च करते हो, तुम में अकल नहीं है।” मूल खर्च करते हुए दुःख होता है। मूल में क्या तूली लगाओगे ? नहीं खर्च करोगे तो क्या करोगे ?

संग्रह की यह वृत्ति नरकों में ले जाने वाली है। माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, वे लड़कों को समझाते हैं कि ‘तुम लोग बेअकल हो। मूलधन खर्च करते हो। इस मूलधन को मत छोड़ो। जितना कमाओ उतना खर्च कर लो। मूल धन मत कम करो।’ ऐसे पुरुष परमात्मा की प्राप्ति क्या करोगे ? वे कर ही नहीं सकते। साधु हो, गृहस्थ हो, पढा-लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पण्डित हो, भाई हो अथवा बहिन हो, इस प्रकार संग्रह करने की, तथा संग्रह बना रहे, यह रुचि रहेगी, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में नहीं चल सकते। आपको ऐसे संग्रह की रुचि नहीं है, तो चाहे आपके पास लाखों, करोड़ों रुपये हैं, आपको अटका नहीं सकते। बैंकों में बहुत धन पड़ा है, शहर में बहुत मकान हैं। वे हमको नहीं अटकाते। क्यों नहीं अटकाते ? क्योंकि उनमें हमारी ममता नहीं है। उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा हो जायेगी तो हम फँस जायेंगे। ससार में बहुत धन है। हमारा बन्धन कहाँ है ? जितने धन में हमने ममता की है, वही तो बाँधनेवाला है। ससार मात्र से हमारा मुक्ति स्वतः है। १०-१२ आदमियों को, जिनको अपना मान रखा है, वही ही बन्धन है। लाख दो लाख रुपया अपना मान रखा है, मकान अपना मान रखा है, वे मनुष्य मर जायें, उनको कुछ भी हो जाय, हमारे चित्त पर कुछ असर नहीं पड़ता। जिन मकानों को अपना नहीं माना, वे सबके सब घराशायी हो जायें, तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन रुपयों को हमने अपना नहीं माना, वे चले जायें, लाखों-करोड़ों की उथल-पुथल हो जाय तो हम बाँधे हुए नहीं हैं।

जब सारे ससार से बन्धन नहीं है, यदि इन थोड़ों को (जिन्हें अपना मान रखा है) भी त्याग कर दो, तो निहाल हो जाओगे। थोड़ी सी मुक्ति वाकी है, ज्यादा बंधन नहीं है। ज्यादा सा बन्धन तो छूटा हुआ है ही। जिनमें आप ममता करते हो, उनमें आप बाँध जाते हो। मनुष्यों में ऐसी ही चाल है। वे ज्यादा व्यक्तियों-पदार्थों में ममता करना चाहते हैं। वक्ता भी चाहता है, श्रोता ज्यादा आ जायें-। ऐसी इच्छा नहीं रखेंगे तो फँसेंगे कैसे ? फँसने की तैयारी

है। इसलिए भोग मिल जाय, संग्रह हो जाय। अधिक मिल जाय पर और चाहने से मिलता नहीं। यदि मिल जाय तो टिकेगा नहीं और टिकेगा तो आप नहीं टिक सकेंगे। बन्धन जायेगा नहीं, बन्धन तो आपके छूटने से छूटेगा। इस तरह आप फँसे ही रहोगे। मरने के बाद आप छूट सकोगे नहीं—

“मैं मैं बुरी बलाय है, सको तो निकलो भाग ।
कब तक निबहे रामजी, रूई लपेटी आग ॥”

रूई में लपेटी आग कितने दिन ठहरेगी ? वह जलायेगी ही। जिन पदार्थों में 'मैं मैं' करते हो, वे कितने दिन ठहरेगे ? आप सम्बन्ध रखोगे, तो जल ही जाओगे। इसलिए प्रत्येक भाई-बहिन के लिए बहुत आवश्यक है कि ससार के भोगों को और उनके संग्रह की इच्छा को भीतर से त्याग दे।

भीतर से पदार्थों की इच्छा छोड़ देने पर पदार्थ प्रारब्धानुसार स्वतः आते हैं। चाहना से पदार्थों के मिलने में आड़ लगती है। अपनी चाहना का त्याग होने से आपकी आवश्यकता फलती है। स्वतः लोगों के मन में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरणा होती है। हमारे चाहना रखते हुए, हमारी इच्छा हममें सीमित हो जाती है। आड़ लग जाती है। जब कामना रखते हुए हमें धन-मकान मिलता है, हम अपने को सफल मानते हैं। चाहना का त्याग होने पर वस्तुएँ हमारे काम में आकर सफल होगी। आपके हृदय से पदार्थों-प्राणियों की गुलामी निकल जायेगी।

परमात्म तत्त्व में नित्य निरन्तर स्थिति चाहते हो तो उत्पत्ति-विनाश वाली वस्तुओं का आकर्षण सर्वथा मिटाओ। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं में फँसे रहोगे, तो अनुत्पन्न तत्त्व नहीं मिलेगा। सदा साथ में रहता हुआ परमात्मा नहीं मिलेगा। उससे वंचित रह जाओगे। भोग और संग्रह रखोगे तो परमात्मा से वंचित रहने के सिवाय अन्य कुछ लाभ नहीं होगा। धन भी नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो रहेगा नहीं। न भोग मिलेंगे, यदि मिलेंगे तो रहेगे नहीं। और न आप रहोगे। केवल आपको जन्म-मरण में डालने वाला, नरकों में ले जाने वाला बन्धन रहेगा। इसलिये भोग और संग्रह की इच्छा सर्वथा त्याग दो।

आपके पास धन रहने से मेरा विरोध नहीं है। आप जो उसके गुलाम बनते हो, उसमें मेरा विरोध है। न्याययुक्त कमाते हुए, लाख रुपया आ जाय तो मौज, लाख चला जाय तो मौज। वास्तव में धनपति आप तब हो। लाखों-करोड़ों आ जाय तो वही प्रसन्नता, चले जायें तो भी आपको वही प्रसन्नता ! तब तो आप धनपति हो। पर धन आने से हो जाओ प्रसन्न और चले जाने पर रोने लग जाओ, तो आप धनदास हुए, धनपति नहीं हुए। रुपये जाने से रोना ही रोना आ रहा है। हमारा मालिक धन चला गया, अब कैसे रहे ? उससे पूछा

जाय कि क्या चला गया भाई ? अरे, जिसने कमाया था, वह तो मौजूद है । परन्तु बात अकल में आती नहीं । धन को हमने अपना इष्टदेव मान रखा है, उनको भूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी का आश्रय लेना पड़ता है । उनके मन में दृढता से यह भाव जम गया है कि भूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, ठगी, ब्लेक-मार्केट किये बिना पैसा पैदा नहीं हो सकता । धन को चाहने वाले को भूठ, कपट, ब्लेक आदि के प्रति भक्ति पैदा होगी । जैसे, रामजी का भक्त रामजी को याद करता है, ऐसे ही धन के भक्त को भूठ, कपट, छल, ठगी आदि की भक्ति करनी पड़ती है । कोई कितना कहे उनको यही बात जँची हुई है कि भूठ, कपट, चोरी बिना पैसा पैदा नहीं हो सकता । ब्रह्माजी की भी ताकत नहीं, जो उन्हें समझा दे । कोई उन्हें ठीक बात समझाये, तो उसको वे मूर्ख समझते हैं । आज के जमाने में भूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय बिना काम कैसे चल सकता है ? यह दृढ़ धारणा उनके मन में बैठ गयी है । इसलिए यदि परमात्म तत्त्व की प्राप्ति करनी है, तो घनादि पदार्थ के भोग और संग्रह की आशा का कतई त्याग करना ही पड़ेगा ।

भोग और संग्रह की रुचि छोड़ते नहीं और सच्चे हृदय से इस रुचि को छोड़ना चाहते नहीं । इस रुचि को त्यागे बिना परमात्म तत्त्व की बाते समझ में आती नहीं ।



भ्रमर-वृत्ति

जिस प्रकार भ्रमर द्रुम-पुष्पो से रस ग्रहण करके अपना जीवन-निर्वाह करता है, पर किसी भी पुष्प का विनाश नहीं करता और अपने को भी तृप्त कर लेता है, उसी प्रकार लोक में जो अपरिग्रही श्रेयार्थी मानव है, उन्हें दाता द्वारा दिये जाने वाले विविध आलम्बनों से उतना ही लाभ उठाना चाहिये, जितने से अपना निर्वाह ठीक से हो जाये, उनका शोषण और विनाश न हो ।

मालिकियत : बाहर की, भीतर की

□ आचार्य रजनीश

अपरिग्रह को समझने के लिए परिग्रह को समझ लेना आवश्यक है। परिग्रह का अर्थ है वस्तुओं पर मालिकियत की भावना—पजेसिवनेस। वस्तुओं के प्रति ही नहीं, हम व्यक्तियों के प्रति भी परिग्रही होते हैं।

परिग्रह हिंसा का ही एक आयाम है। सिर्फ हिंसक व्यक्ति ही परिग्रही होता है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर मालिकियत की घोषणा करते हैं वैसे ही हम गहरी हिंसा में उतर आते हैं। बिना हिंसक हुए मालिक होना असम्भव है। मालिकियत हिंसा है। पति मालिक है पत्नी का। पति शब्द का अर्थ ही मालिक होता है। स्त्रियां पति को स्वामी भी कहती हैं। स्वामी भी पर्याय है मालिक का। परिग्रह का अर्थ है स्वामित्व की आकांक्षा। पिता बेटे का मालिक बन जाता है, गुरु शिष्य का। जहाँ भी मालिकियत है वहाँ परिग्रह है, हिंसा है। बिना किसी को गुलाम बनाये मालिक नहीं हुआ जा सकता। बिना परतन्त्रता थोपे स्वामी होना असम्भव है।

मनुष्य के मन में मालिक बनने की आकांक्षा क्यों है? इसका कारण है कि हम अपने स्वामी नहीं हैं, हमें अपने ऊपर भी अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपना मालिक हो जाता है, उसकी मालिकियत की धारणा खो जाती है। चूँकि हम अपने मालिक नहीं हैं, इसलिए हम इस अभाव की पूर्ति आजीवन दूसरों के मालिक होकर करना चाहते हैं। लेकिन कोई सारी पृथ्वी का मालिक हो जाय तो भी यह कमी पूरी नहीं हो सकती। अपना मालिक होना एक आनन्द है, दूसरे का मालिक होना सदा दुःख है। इसलिए जितनी बड़ी मालिकियत होती है, उतना बड़ा दुःख पैदा होता है। पर याद रहे कि दूसरे का मालिक बनकर अपनी मालिकियत नहीं पाई जा सकती है। असल में मालिकियत दोहरी परतन्त्रता है। जिसके हम स्वामी बनते हैं वह तो हमारा गुलाम बनता ही है, हमें भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। मालिक अपने गुलाम का गुलाम होता है। सम्राट जहाँ अपने साम्राज्य का मालिक होता है, वहाँ वह भय का गुलाम भी होता है, क्योंकि जिन्हें हम परतन्त्र करते हैं वे हमारे प्रति विद्रोह और वगावत शुरू करते हैं, वे भी हमें परतन्त्र करना चाहते हैं। मालिक और गुलाम में इतना ही फर्क होता है कि एक की गुलामी दृश्य होती है और दूसरे की अदृश्य। हम जिसे गुलाम बनाते हैं वह हमें भी गुलाम बना लेता है। बड़े गुलाम वे हैं जिन्हें

दूसरो के सम्राट होने का भ्रम पैदा होता है और बड़े गरीब वे है जो बाहर की सम्पत्ति से भीतर की गरीबी मिटाना चाहते है । इसी तरह बड़े परतन्त्र वे ही है जो दूसरों को परतन्त्र करके स्वयं स्वतन्त्र होने के खयाल में भटकते है । कोई भी आदमी किसी को परतन्त्र करके स्वतन्त्र नहीं हो सकता । जेलखाने के बाहर खड़ा सन्तरी भी उतना ही कैद है जितना जेलखाने मे बन्द कैदी । एक दीवाल के भीतर बन्धा है, दूसरा दीवाल के बाहर । न दीवाल के भीतर वाला भाग सकता है, न दीवाल के बाहर वाला । मजे की बात तो यह है कि दीवाल के भीतर वाला भागने का उपाय भी करता है, बाहर वाला भागने का उपाय भी नहीं करता । वह इस खयाल मे होता है कि वह स्वतन्त्र है । जिन्दगी के अनूठे रहस्यो मे एक रहस्य यह भी है कि हम जिसे बांधते है उससे ही हमें बंध जाना पडता है ।

परिग्रह की पहली कोशिश यह होती है कि मुझे यह खयाल भूल जाय कि मैं अपना मालिक नहीं हूँ । जितना ही पता चलता है कि मैं अपना मालिक नहीं हूँ उतना ही बाहर की मालकियत को फैलाता चला जाता हूँ । मैं भीतर मालिक क्यों नहीं हूँ ? जो भीतर है उसे मैं जानता ही नहीं, इसलिए उसका मालिक होना असम्भव है । बादशाहत इस बात से शुरू होती है कि जितना हूँ उतना ही पर्याप्त हूँ । कोई कमी नहीं है जिसे मुझे पूरी करनी पड़े, कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं खाली रहूँ । बादशाहत एक भीतरी आप्तता है । सब है, इसलिए कोई कमी नहीं है । लेकिन सम्राट के पास कुछ भी नहीं है । हम सब भीतर रिक्त है । इस रिक्तता को हम फर्नीचर से, मकान से, यश और पद से भरने की चेष्टा करते है । धन का ढेर लगा देते है, फिर भी भीतर की रिक्तता ज्यों की त्यों रहती है ।

मैं कहता हूँ कि परिग्रह का सम्बन्ध वस्तुओ से नहीं है, उसका सम्बन्ध वस्तुओ पर मालकियत कायम करने से है । जिस दिन इसका ज्ञान होता है कि मैं अपना मालिक हूँ, उसी दिन भीतर की रिक्तता भर जाती है, अन्यथा नहीं । यह जो अपनी मालकियत है, वह एक विधायक उपलब्धि है । ऐसी मालकियत आते ही बाहर की पकड नहीं होती ।

असल में जो पाना है वह है दिशा "वीङ्ग" की, और जो हम पा रहे है, वह है दिशा "हैविग" की । जो हम पा रहे है वे है चीजे और जो हमें पाना है, वह है आत्मा । ये चीजें कभी भी आत्मा नहीं बन सकती । अनेक जन्मो का अनुभव भी हमे इस बात से रोक नहीं पाता कि हम वस्तु को आत्मा न बना सकेंगे— "हैविग" कभी "वीङ्ग" नहीं बन सकता । कभी नहीं । इसलिए महा-वीर या बुद्ध या जीसस उन लोगों को पागल कहते है जो परिग्रह में पड़े है ।

सुना है मैने कि डायोजनिज ने सिकन्दर से एक वार पूछा कि अगर तू पूरी दुनिया पा लेगा तो फिर क्या करेगा ? यह मुनकर सिकन्दर उदास हो

गया । उसने कहा—ठीक कहते है आप, क्योंकि दूसरी तो कोई दुनिया नहीं है । अगर मैं एक पा लूँगा तो फिर क्या करूँगा ?

आपने कभी सोचा कि आप जो चाहते है, वह आपको मिल जाय तो क्या होगा ? अगर हम कभी इस दुनिया मे कल्पवृक्ष बना सके तो प्रत्येक आदमी को महावीर हो जाना पड़ेगा और सारी दुनिया अपरिग्रही हो जायगी । जैसे ही कोई चीज आपको तत्काल मिल गई, वैसे ही वह बेकार हो गई । आप फिर पुरानी जगह खड़े हो गये । आप एक भूख है, एक खालीपन, एक रिक्तता, जो हर चीज के बाद फिर आगे आकर खड़ी हो जाती है । मनुष्य की वासनाएँ सर्कुलर है, गोल है, इसलिए आशा उपलब्ध बनती हुई दिखाई पड़ती है, बनती कभी नहीं । हम अपने को धोखा दिए चले जाते है ।

हम सोचते है कि एक रुपया हमे मिल जाय तो हम आनन्दित हो जायेंगे । रुपया हमें मिल जाता है, पर हम आनन्दित नहीं होते । सोचते है, दूसरा मिल जाय । वह भी मिल जाता है, तीसरा भी मिल जाता है, परन्तु आनन्द नहीं मिलता । हम भूल जाते है कि दूसरा रुपया भी पहले रुपये की प्रतिलिपि है, कापी है, तीसरा दूसरे की प्रतिलिपि है, वह भी उसी का चेहरा है । ये मिलते चले जाते है और हम इनमें खोते जाते है । करोड़ रुपये एकत्र हो गये फिर भी आशा ज्यों की त्यों है । इसलिए कभी-कभी हमे हैरानी होती है कि करोड़पति भी एक रुपये के लिए इतना पागल क्यों होता है ? करोड़पति भी एक रुपये के लिए उतना ही दीवाना होता है जितना वह होता है जिसके पास एक भी नहीं है । आपके पास, वह दौडता चला जाता है । और कई बार करोड़पति तो और भी कृपण हो जाता है, क्योंकि उसका अनुभव बताता है कि करोड़ रुपये हो गये, फिर भी अभी उपलब्ध नहीं हुई । अब एक-एक रुपये को जितना जोर से पकडा जा सके उतना ही ठीक है, क्योंकि जीवन चुक रहा है । वह भूल जाता है कि दुनिया मे कोई कभी वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ वह पहुँचना चाहता है । फासला सदा वही रहता है जो शुरू करते वक्त होता है । जन्म के दिन जितना फासला होता है, मृत्यु के दिन उतना ही फासला होता है । सिर्फ एक फर्क पड़ता है । जन्म के दिन सूरज निकलता है, मृत्यु के दिन सूरज ढलता है और अन्धेरा होता है । जन्म के दिन आशाएँ होती है, मृत्यु के दिन विषाद होता है, हार होती है । जन्म के दिन आकाक्षाएँ होती है, अभीप्साएँ होती है, दौडने का बल होता है, मृत्यु के दिन थका मन होता है, हार होती है, हम टूट गये होते है । लेकिन फिर भी ऐसा समझने की भूल न करे कि मरता हुआ आदमी परिग्रही हो जाता हो । मरता हुआ आदमी भी यही सोचता है कि काश, थोडा वक्त और होता तो दौड़ लेता और पहुँच जाता ।

ईश्वर के मार्ग में चलने वाले संस्कारी पुरुष सत्कर्मों के द्वारा नाम जप व चिंतन के द्वारा, गीता के निष्काम कर्मयोग के सिद्धांतों का अध्ययन कर सोच लेते हैं कि व्यवहार में यदि हम संतोषी हैं, लोभ-लालच नहीं करते, व्यर्थ धन एवं वस्तु सग्रह के पीछे नहीं दौड़ते, तो हम अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं। साधारण मनुष्य की बुद्धि इससे आगे कम सोच पाती है।

पातजलि योग दर्शन में ईश्वर की मजिल तय करने के लिए ५ यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह तथा ५ नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान बताये गये हैं। यम-नियम का अर्थ ग्रहण व त्याग के हैं। ये सभी चरित्र-निर्माण में सहायक होते हैं। यदि हम केवल ग्रहण ही करते चले जाएँ, त्याग नहीं करें तो कष्ट होगा। मनुष्य भोजन करता है, अच्छा लगता है परन्तु दूसरे दिन यदि मल-त्याग न करे, अनुग्रहण की इच्छा नहीं होगी। जलवायु बराबर लेते हैं, त्यागते रहते हैं तभी जीवन आनन्द से है। धन, विद्या, वैभव, पुत्र सब सुन्दर वस्तुएँ हैं, समय पर इन्हे ग्रहण करना उचित है पर कभी इनका त्याग भी करें अथवा अपना नहीं समझे तो ही आंतरिक आनन्द मिलेगा। रुपया, पैसा, धन का सग्रह, विद्या, बल सभी आत्मा पर बड़ा बोझा है। यदि इनका विचार त्याग दे फिर भले भौतिक दृष्टि से पास में रहे, भोग करते रहे पर आसक्ति नहीं हो, लिप्त नहीं हो तो कोई बोझ नहीं। आनन्द ही आनन्द है। ऐसी त्याग की भावना, दूसरो से अधिक सहायता न लेना, इकट्ठा न करना यही अपरिग्रह है।

ऐसी अपरिग्रह की भावना, त्याग की भावना कैसे आए? सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ सचय करना चाहता है। कोई पैसा, कोई रत्न, कोई विद्या, तो कोई उससे भी आगे आत्म तत्त्व भी खोजते हैं। यह सब जीवन के लिए है। परन्तु आत्म विद्या पाने पर फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। जब मनुष्य आगे बढ़ते-बढ़ते सत्य ज्ञान अर्थात् विवेक को पा जाता है तो उसको पता लगता है कि मुझे क्या संग्रह करना है और क्या त्याग? विवेकमय ग्रहण व त्याग ही अपरिग्रह है। उसके उपरांत वह जीवन के भार से हल्का हो जाता है।

संसार की वस्तुएँ ग्रहण न करने तक ही अपरिग्रह सीमित नहीं है, मन के संकल्प भी त्यागने होंगे जिनमें वस्तुओं के ग्रहण करने की वासना है। यह ईश्वर-ध्यान के द्वारा ही संभव है। ईश्वर के प्रकाश से जब विवेक उदय होगा तो स्वतः ग्रहण की वासना से मुक्ति मिलेगी। जैसे ससार को रोजाना देखते-देखते संसार हमारे मन में बस गया है, वैसे ही ईश्वर का ध्यान करते-करते संसार की जगह भगवान् बसता जाएगा। फिर ग्रहण की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं।

परन्तु त्यागी में जो त्याग का अहंकार उदय होता है, वह भी त्यागना होगा, तभी सच्चा अपरिग्रह होगा। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी इस त्याग के अहंकार के शिकार हो जाते हैं। यह सूक्ष्म अहंकार त्यागना सहज काम नहीं। अपनी बड़ाई सुनना और प्रसन्न होना, अपने अंतर्मन में अपने त्याग की भावना को छुपाए रखना भी एक बोझा है जिसके बिना अध्यात्म की सुन्दर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाई करना मुश्किल है। ऐसे सूक्ष्म त्याग का भी त्याग केवल ईश्वर प्राणिधान, समर्पण और सतों की कृपा से ही संभव है। सच्चे संतो के समक्ष बैठकर, विवेक जागृत कर, मन में ईश्वर को बसाकर, अपना हर कर्म यंत्रवत् हो जाने के बाद ही सच्चे अर्थों में अपरिग्रह सम्भव है।



काबिल नहीं... !

असार संसार से विरक्त एक इसान पारसी सत आजर कैवान के पास आया और बोला—“हजरत, मैंने कसम खायी है कि फानी दुनिया के सारे ऐशो-इशरत छोड़ दूँगा, इस फंदे को तोड़ दूँगा।”

सत ने गभीर स्वर में कहा—“तुमने ठीक सोचा है।” वही व्यक्ति कुछ दिन बाद फिर आया और कहने लगा—“मैं अभी गुदड़ी और फकीरी पोशाक बनवा रहा हूँ। सारे सामान तैयार होते ही मैं फकीर हो जाऊँगा।”

सत जोर से हँस पड़े—“भाई, सरोसामान छोड़ने के लिए ही कोई दरवेश होता है और तू उसी को जुटाने के लिए परेशान है। अपनी दुनिया में लौट जा। तू अभी फकीरी के काबिल नहीं है।”

घर से बेघर : मोक्खस्स सोवाणं

□ डॉ. महेन्द्र सागर प्रचंडिया

विश्व की तमाम धार्मिक मान्यताएँ जन्म-मरण के निरर्थक झूठ-मोचन की चर्चा करती हैं। भारतीय धार्मिक मान्यताओं द्वारा इस दिशा में पहल हुई है। वैदिक, बौद्ध और जैन प्राचीन भारतीय मान्यताओं में आवागमन के चक्रमण से मुक्त होना जीव की उत्तम परिणति कही गयी है। चार पुरुषार्थों—काम, अर्थ, धर्म तथा मोक्ष में इसे उत्तम माना गया है। मुक्ति प्राप्ति में अनेक व्यवधान उल्लिखित हैं जिनमें परिग्रह का स्थान शीर्षस्थ है। यहाँ परिग्रह पर सक्षेप में चर्चा करना हमें मुख्यतः अभिप्रेत है।

परिग्रह का अर्थ है—ग्रहण करना। 'परिगृह्यते इति परिग्रहः' अर्थात् जो ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह है। 'परिगृह्यते अनेने ति परिग्रहः' अर्थात् जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह है। यहाँ बाह्य पदार्थ के ग्रहण में कारणभूत परिणाम परिग्रह कहा जाता है। इस प्रकार ग्रहण करने की इच्छा ही परिग्रह है—इच्छा परिग्रह।

परिग्रह का मूल केन्द्र घर है। घर शब्द का गठन वस्तुतः दो अक्षरों की ध्वनियों के समीकरण से हुआ है। 'घ' ध्वनि और 'र' ध्वनि मिलकर 'घर' शब्द का संगठन करती है। अब विचार करें कि इन ध्वनियों का अर्थ—अभिप्राय क्या है? ये अभिप्राय सार्थक हैं। 'घ' ध्वनि का अर्थ है घेरा, घिराव, एक जगह को घेरना अथवा घिरी हुई जगह और 'र' ध्वनि का अभिप्राय है एकत्र करना, सग्रह करना अथवा इकट्ठा करना। इस प्रकार जो सामग्री अथवा पदार्थ बाहर बिखरा पड़ा है, उसे एकत्र कर एक सुनिश्चित घेरे में बाधना। घिरे हुए स्थान का नाम घर है। जो पदार्थ-वस्तु परकीय है, विकीर्ण है, उसे सकीर्ण तथा किसी स्वामित्व के अधीन एकत्र करना वस्तुतः परिग्रह है। इस प्रकार घेरे में घिरी—घर की सामग्री परिग्रह है, जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व है।

विचार करने योग्य बात है कि परिग्रह का मूलाधार क्या है? परिग्रह का मेरुदण्ड है—मोह। मोह की अनेकानेक प्रकृतियाँ कही गई हैं। समग्र विभावों का विवेचन और विनिमय मोहजन्य विभिन्न प्रकृतियों के अधीन होता है। परिग्रह पाप है तो मोहवृत्ति महापाप है। सारे पापों की जड़ मोह है। अन्तरंग और बहिरंग नामक दो भेदों में परिग्रह की चर्चा की गई है। अन्तरंग परिग्रह मुख्य है। उसी की प्रेरणा से बहिरंग परिग्रह भी पुष्ट होता है। पदार्थ के परिग्रह में

विचार का परिग्रह अधिक सूक्ष्म और सशक्त होता है। विचारो की सूक्ष्म परिणति का नाम वस्तुतः मन है। मन की महिमा अनन्त है। मन की परिधि पर मोह का मनोराज्य चिरजीवी होता है। इन्द्रिय-भोग ससार का कारण है। भोग की लालसा अनन्तानुबन्धी बध का आधार है। पेट भरना व्यवहार—विश्व में सर्वथा सार्थ है परन्तु पेट भरना सर्वथा अनर्थ। पेट भरना वस्तुतः परिग्रह है। इससे प्राणी घिरता है। घिराव ही बधन है। बधन वेदना/कष्ट का कारण है। सुख, शाश्वत सुख के लिए बधन/घिराव से विमुक्त होना होता है। परिग्रह का पूर्ण समापन अनन्त आनन्द का कारण होता है। उत्तम अकिंचय धर्म धार्मिक लक्षण के जगाने से परिग्रह परिमाण शनैः शनैः कम होने लगता है।

ठूठा शहर का एक पुराना किस्सा है। वहाँ का बादशाह अपनी बेगम और एकमात्र रूपवती और गुणवती कन्या को पाकर सुख-शान्ति पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता है। अचानक दुर्दिन आते हैं। महामंत्री बगावत करता है। बादशाह को बंदी बनाया जाता है और महामंत्री राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है। बादशाह को देश निकाला कर दिया जाता है। बादशाह अपनी बेगम के साथ सैलौनी कन्या को लेकर जंगल-जंगल भटकता है। जब असाता कर्मों का उदय होता है तब सकंठ चारों ओर से घिरा करते हैं। कन्या जब वयस्क हो जाती है तब मा-बाप को उसके विवाह की चिन्ता हो जाना स्वाभाविक है। बादशाह को इस चिन्ता के साथ अतिरिक्त चिन्ता इस बात की और है कि उसे ऐसी हालत में कन्या के लिए वर कहां से मिल सकता है ?

सयोग से एक दिन उसी सघन जंगल में एक युवक लकड़हारा मिला। देखने में हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर तथा श्रमी ? युवक को देखकर बादशाह का मन भर आया। उसने अपनी बेगम से परामर्श किया और तय हुआ कि राजकुमारी को कुछ क्षणों के लिये उसके साथ रहने की सुविधा जुटानी चाहिए ताकि बेटों अपने जीवन साथी के स्वभाव से परिचित हो सके। बादशाह ने ऐसा ही किया। एक दिन शाम को राजकुमारी उस लकड़हारे के साथ उसके घर गई जहाँ उसने अपनी आँखों से देखा कि एक अत्यन्त साधारण सा घर लेकिन साफ-सुथरा। उसमें एक घड़ा, माटी का कटोरा और एक माटी की हाडी। यही उस घर की शोभा-सामग्री उसने पाई। लकड़हारे ने तुरन्त खाना पकाया और मिलकर दोनों ने एक साथ भोजन किया। बड़ा आनन्द आया उन्हें। राजकुमारी ने कहा कि आप आराम कीजिये। मैं अभी बर्तन साफ किए देती हूँ। उसने एक रोटी सुबह के लिए बचाकर रखली। लकड़हारे ने रोटी का बचाव देख लिया और विरोध व्यक्त करते हुए उसने कहा कि सुबह के लिए एक रोटी बचाना उपयोगी नहीं है। कल पुनः परिश्रम करेंगे और तब नया भोजन पकाया जाएगा। ताजा भोजन का स्वाद ही कुछ और होता है। एक रोटी रात भर हमें निश्चित सोने नहीं देगी। उमकी रक्षा हमें निरर्थक चिन्तित करेगी। खा डालिए उसे अभी

मिलकर । और उसने उस रोटी को भी मिल-बाट कर खा डाला । राजकुमारी अपने मां-बाप के पास लौटकर आई और वहां के सारे वृत्त सुना डाले । बादशाह को लकड़हारे का अपरिग्रही विचार बहुत अच्छा लगा । उसने विचारा—जिस आदमी मे अपने परिश्रम पर इतना अधिक भरोसा है वह जीवन्तः कभी दुःखी नहीं रह सकता । अपनी पुत्री के लिए उसने लकड़हारे को मंगलद्वेष स्वीकार किया ।

इस किस्से से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीमती कभी परिग्रही नहीं होता । वह जी भरकर परिश्रम करता है और निर्द्वेष प्रहकट विश्राम करता है ।

जिस चर्या मे श्रम के प्रति तलाक दे दिया गया है विपुलता बड़ा अनुदित आ जाती है । श्रम जिन्दगी मे ताजगी पैदा करता है । श्रमहीन जीवन मे उपयोग बल निर्बल हो जाता है । विचार करे कि अपरिग्रह भावे जीवन मे उपयोग बल बढ़ाता है, जगाता है । उपयोगहीन जीवन मरन की भांति व्यर्थ है । छोटे-छोटे सकल्पो से हम अपना जीवन परिग्रह परिमाण से समित कर उसे उपयोग बल से विभूषित कर सकते है ।

एक वृत्त का स्मरण हुआ है । एक नगर के बहुत बड़े श्रीमंथ हैं श्रीमंथ धन है । पत्नी है, पुत्री है । उसे एक ही कष्ट है पुत्र नही है । बहुत मनोतिया मनाई गई । देवी-देवताओं की पूजा-उपासनाओं की भी शक्ति का शरण म जाना हुआ और समय आने पर उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई । बड़े ध्यार दुलार के साथ उसका पालन-पोषण किया गया । बयस्क प्रयन्त उसे किसी प्रकार का कोई अभाव अनुभव नहीं कराया गया । ऐसी परिस्थिति मे उसकी शिक्षा भी साधारण स्तर की ही हो सकी । अन्तोगर्वा से उजी ने विचार किया कि परिवार का दीपक निठल्ला जीवन जिए इससे बड़ा और कष्ट क्या होगा ? उसने अनेक विद्वानो और सतो की शरण ली । एक सीख के अनुसार उसने अपने प्रिय पुत्र मे सद्संस्कारो को जगाने हेतु प्रयोग किया ।

एक दिन सेठजी ने पुत्र को बलीकर कड शब्दो मे कहा कि आप नित्य चार बजे दस रुपये लेकर दुकान पर हाजिर होंगे । आदेश पाकर बालक चितित हुआ । उदास देखकर उसकी वहिन ने पूछा कि क्या कारण है तुम्हारी उदासी का ? बालक ने सारी घटना कह सुनाई । वहिन ने कहा कि लो दस रुपये और उदासीनता का त्याग कीजिए मेरे प्यारे भाई । नित्यतः समग्र घर वह दुकान पर पहुँचा । सेठजी ने पूछा—कहिए, बरबुरदार दस रुपये लाए है क्या ? उसने दस रुपये दिखाते हुए कहा, लाया है । सेठजी ने कहा कि उन्हें अंगोठो मे जला दीजिए । बालक ने तुरन्त रुपये जला दिये । सेठजी ने विचार किया कि कदाचित्

वहिन ने यह सहायता की होगी अतः उसने उसे माताजी के यहाँ पहुँचा दिया ।

अब बालक के सामने समस्या आ खड़ी हुई । माताजी ने लाडले को उदासीन देखकर कारण पूछा, जिसे उत्तर देते हुए लाडले ने बताया कि पिताजी के पास दस रुपये लेकर पहुँचना है । माता ने नाहक परेशान होने की बात दुहराई और राजा बेटे को तुरन्त दस रुपये लाकर दे दिये । राजा बेटा निश्चित समय पर दस रुपये लेकर पिताजी के पास हाजिर हुआ । पूर्व की भाँति उन्होंने पूछा—रुपये लाये हो ? उसने कहा दस रुपये लाया हूँ । इन्हें भी अग्नि में जला दीजिए । उसने ऐसा ही किया । पड़ताल कर उसने माताजी को भी उसकी ननिहाल पहुँचा दिया । इस बार राजा बेटा के सामने बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई । बहुत कुछ विचारने के बाद उसने सोचा कि अब उसे स्टेशन जाकर मजदूरी करना चाहिए । वह पूरे दिन मजदूरी करके कठिनाई पूर्वक केवल दो रुपये पैदा कर पाया । कुछ लेट वह पिताजी के सामने हाजिर हुआ । पिताजी ने सविलम्ब आते हुए राजा बेटा से पूछा, रुपये लाये हैं ? उसने कहा कि आज बड़ी मुश्किल से दो रुपये ही ला पाया हूँ । उसने कारण पूछे बिना उन्हें अंगीठी में जलाने का आदेश दिया । उसे सुनकर अब की बार वह जरा गरम हो गया और भल्ला कर बोला कि बड़ी मुश्किल से सारे दिन परिश्रम करने के बाद दो रुपये कमा पाया हूँ और आपने कह दिया कि जला दीजिये । यह सुनकर सेठजी बहुत खुश हुए । उन्होंने कहा कि आज रुपये का सही मूल्य आका गया है । हर रोज दस रुपयों को अंगीठी में जलाने में कोई कष्ट नहीं होता था । आज रुपये के उपयोग का ज्ञान उदय हुआ है । कारण स्पष्ट है कि आज परिश्रम किया गया है रुपये के अर्जन करने में । श्रम के साथ उपयोग शक्ति का संचार होने लगता है । उन्होंने कहा—मेरे बेटे, मुझे भारी प्रसन्नता है कि अब तुम में श्रम के सस्कार पैदा होने लगे हैं ।

परिग्रह पदार्थ के उपयोग का बल क्षीण करने लगता है । श्रम के अभाव में विलासिता और विमूढता के संस्कार जागृत होने लगते हैं । और ऐसी परिस्थिति में प्राणी मूर्च्छित जीवन जीने का अभ्यासी होने लगता है । जागृत जीवन जीने के लिए चर्या में श्रम के सस्कार जगाने पड़ते हैं । विचार करे कि श्रमी सदा अपरिग्रही होता है । अपरिग्रही सदा सुखी रहता है ।

क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं । कपाय जीवात्मा को प्रायः कसा करते हैं । कसी आत्मा पराधीन हो जाती है । पराधीन जीवनचर्या सदा परिग्रही होती है । कोई भी प्राणी काम और अर्थ-अर्जन में पराधीन रह सकता है किन्तु धर्म और मोक्ष नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए उसे विनम्र होना आवश्यक होता है । स्वाधीन हुए बिना कोई प्राणी कभी वार्मिक

और मोक्ष पुरुषार्थ को अपने अन्तरंग में उजागर नहीं कर सकता है। अन्तरंग और बहिरंग अर्थात् सभी प्रकार के परिग्रह का परित्याग। किये बिना कोई प्राणी कभी आत्मिक पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकता। पवित्रता सदा स्वाधीन होती है। स्वाधीन आत्मा के सारे बंधन निर्बंध हो जाते हैं। निर्बंध अवस्था ही उसकी मुक्तावस्था होती है। इस प्रकार यह सहज में कहा जा सकता है कि परिग्रह सासारिक परिधि का चक्रमण है जबकि अपरिग्रह मोक्ष केन्द्र तक पहुँचने का सोपान।



बहुमूल्य रत्न

मगधाधिपति अशोक आस-पास के राज्यों को जीतकर अपने भंडार को रत्नों से भरता जाता था और मन को दर्द से। राजगृह का एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पाटलिपुत्र पहुँचा, तो अशोक ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजनोपरांत अपना विशाल रत्न-भंडार भिक्षु को दिखाते हुए अशोक ने एक बड़ा रत्न हाथ में लेकर कहा—‘भिक्षुराज ! ऐसा बहुमूल्य व विशाल रत्न भारतवर्ष में दुर्लभ है।’ भिक्षु बोला—‘राजन् ! रत्न तो बहुमूल्य पत्थर ही है, या अन्य वस्तु ?’

‘रत्न पत्थर ही है महाराज !’

भिक्षु बोला—‘राजन् ! तुम्हारे ही राज्य में मैंने इससे भी कीमती रत्न-पत्थर देखे हैं। विश्वास न हो, तो मेरे साथ चलो, वे जहाँ हैं मैं दिखा सकता हूँ।’

अशोक भिक्षु के साथ चल पड़ा। नगर के छोर एक कुटिया के पास भिक्षु रुका और उसमें रखी पत्थर की चक्की की ओर संकेत करके बोला—‘यह रहा वह बहुमूल्य रत्न-पत्थर।’

‘यह तो चक्की है।’

‘हां ! इससे इस कुटिया में रहने वाली वृद्धा को रोज भोजन मिलता है। क्या तुम्हारे कोई रत्न-पत्थर किसी को रोटी या रोजी देते हैं ? ऊपर से उनकी रक्षा के लिए तुम पहरेदारों पर बहुत धन खर्च करते हो। उन्हें पाने के लिए न जाने तुमने कितनों का रक्त बहाया है, और कौन कह सकता है कि भविष्य में भी कितनों का रक्त बहेगा। ये पत्थर जीवन देते हैं, तुम्हारे पत्थर मृत्यु।’

कहते हैं, महल में लौटकर सम्राट अशोक ने उसी दिन संपूर्ण रत्न-भण्डार दान कर दिये।

परिग्रह-वृत्ति के मूल में एक गहरी भूल है। हम मान रहे हैं कि हम दुःखी इसलिये हैं कि हमारे पास सुख-सामग्री कम है जबकि हमारे दुःख का वास्तविक कारण यह है कि हम अपने स्वरूप को विस्मृत किये हुए हैं। अनन्त सुख का सागर हम में उपस्थित है। हमारी वेदना वस्तुतः यह है कि हम उस सुखसागर के सहज अधिकारी होकर भी उसके संस्पर्श से वंचित हैं किन्तु प्रतीति में यह आता है कि हम परिग्रह के अभाव से दुःखी हैं। आत्मानन्द के अभाव की पूर्ति हम भोगानन्द से करना चाहते हैं। भोगानन्द आत्मानन्द से गुणात्मक रूप (क्वालिटेटिवली) से भिन्न है। भोगानन्द का परिणाम (क्वान्टीटी) बढ़ जाने से यह गुणात्मक भेद की खाई नहीं पट सकती। अतः परिग्रह कितना भी क्यों न बढ़ जाये, हमारी वेदना शान्त नहीं होती।

परिग्रह के सचय से वेदना शान्त नहीं होती किन्तु हम उसकी व्याख्या सदा इस प्रकार कर लेते हैं कि परिग्रह की अल्पता के कारण वेदना शान्त नहीं हो रही है। अतः हमारा सारा प्रयत्न परिग्रह के परिमाण को बढ़ाने में लगा रहता है। हमारी इस भ्रमात्मक दृष्टि का भी एक कारण है। आपाततः हमें दुःख का कारण परिस्थिति की प्रतिकूलता प्रतीत होता है। परिग्रह परिस्थिति की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है। फिर भी सुख नहीं हो पाता क्योंकि सुख परिस्थिति की अनुकूलता से नहीं, कर्मों की लघुता से उत्पन्न होता है। परिग्रह कर्मों के भार को हल्का नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। अतः परिग्रह अन्ततोगत्वा दुःख को ही जन्म देता है।

सुख की यात्रा का प्रारम्भ विन्दु सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन का अर्थ है—स्व तथा पर के स्वरूप का निश्चय। इस निश्चय के होते ही व्यक्ति की दिशा बदल जाती है। जो बाहर मुख ढूँढ रहा था वह आन्तरिक सुख की अभीप्सा करने लगता है। यही अपरिग्रह का प्रारम्भ विन्दु बन जाता है। दर्शन मोहनीय के टूटने पर चारित्र्य मोहनीय का टूटना प्रारम्भ हो जाता है। ज्यों-ज्यों अन्तर का मोह क्षीण होता है, बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति भी क्षीण होने लगती है तथा ज्यों-ज्यों बाह्य पदार्थों का त्याग बढ़ता है, त्यों-त्यों अन्तर का मोह क्षीण होने लगता है। यह मूर्च्छा से जागृति की ओर जाने की प्रक्रिया है।

परिग्रह मूर्च्छा है तो अपरिग्रह जागृति है। जागृति मायाजाल को छिन्न-भिन्न कर देती है। जागरण जैन संस्कृति का मूल मंत्र है। उत्तेजना का जीवन मूर्च्छा का जीवन है। जागरण का जीवन आत्मरमण का जीवन है। जो आत्मा के प्रति जागरूक है वह मानो सासारिक वैभव के प्रति सो जाता है। जो सांसारिक वैभव के प्रति जागरूक है वह आत्म वैभव के प्रति सुप्त है। चेतना स्वयं रसमय है, उसे आनन्द के लिये किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं—जो इस तथ्य को जान लेता है उसके लिये परिग्रह स्वतः ही त्याज्य हो जाता है। ऐसे अपरिग्रह फलित होने पर हिंसा, भूठ, चोरी तथा मैथुन भी स्वयं ही छूट जाते हैं। अतः परिग्रह ही समस्त पाप का मूल है।

अपरिग्रह की एक शर्त सशक्त होना है। परिग्रह एक सहारा है। सहारा उसे चाहिये जो स्वयं समर्थ नहीं है। अतः जो परिग्रह की खोज करते हैं, वे अपनी आन्तरिक निर्बलता को ही अभिव्यक्त करते हैं। जैसे अहिंसा के लिये बलवान होना आवश्यक है उसी प्रकार अपरिग्रह के लिये भी अपने आप में ही परिपूर्ण होना आवश्यक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं में परिपूर्ण है, उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता ही नहीं तथा यदि कोई अज्ञानवश बाहरी सहारा चाहता भी है तो उसे निराशा ही हाथ लगती है। महावीर ने स्वावलम्बन का उपदेश दिया। आलम्बन तो परमात्मा का भी श्रेयस्कर नहीं फिर धन का आलम्बन लेना तो महामूर्खता है। महावीर का सन्देश है—अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

अपरिग्रह की दूसरी शर्त श्रमशीलता है। हम परिग्रह का सचय इसलिये करते हैं कि श्रम से वचना चाहते हैं। पशु-पक्षी प्रतिदिन के श्रम का फल प्रतिदिन भोगते हैं। मनुष्य एक बार ही इतना सचय कर लेना चाहता है कि जीवन भर कुछ भी श्रम किये बिना ही सब सुख मिलते रहे। जैन धर्म संग्रह में नहीं, श्रम में विश्वास करता है। जैन धर्म का एक पुराना नाम 'श्रमण धर्म' है। जैन साधु का जीवन तो कठोर श्रम तथा स्वावलम्बन का उत्तम निदर्शन है।

अपरिग्रह की तीसरी शर्त अहिंसा है। अहिंसा जैन धर्म का पर्यायवाची बन चुकी है। दूसरे को—चाहे वह पदार्थ जड़ हो या चेतन—अपने अधीन बनाकर रखने की इच्छा हिंसा है। अतः समस्त परिग्रह हिंसा है। परिग्रह के साथ अहिंसा का कोई तालमेल नहीं है। वस्तुतः परिग्रह ही समस्त हिंसा का कारण है। अपरिग्रह को अहिंसा की अनिवार्य शर्त मानना जैन धर्म की अपनी विशेषता है। इसी तथ्य को कला के क्षेत्र में इन शब्दों में कहा जाता है कि त्याग प्रेम की अनिवार्य शर्त है। प्रेम देने में मुख मिलता है, लेने में नहीं। जहाँ लेने में मुख है, वह वासना है, प्रेम नहीं।

अपरिग्रह की चौथी शर्त कुशलता है। जो अकुशल है वह सदा भयभीत रहता है कि न जाने उसे कब किस मकट का नामना करना पड़े। कुशल व्यक्ति

को सदा यह आत्म-विश्वास रहता है कि वह अपनी कार्यकुशलता से जहाँ चाहेगा वहाँ अपनी आवश्यकता के उपकरण जुटा लेगा। उसे भविष्य के लिये सग्रह करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। बौद्ध परम्परा में कुशल शब्द प्रसिद्ध है। जैन परम्परा में उसके स्थान पर अप्रमत्त शब्द प्रचलित है। हिन्दू परम्परा में कर्म कुशलता को ही योग कहा गया है। देखा जाये तो किसी भी कार्य की सफलता के पीछे चाहे वह कार्य लौकिक हो चाहे अलौकिक—अप्रमाद एव कर्म-कुशलता ही रहती है।

अप्रमाद अथवा जागरूकता की जैन परम्परा ने एक विशिष्ट व्याख्या की है। प्रत्येक क्रिया के दो पक्ष रहते हैं—एक द्रव्य, दूसरा भाव। द्रव्य क्रिया का अर्थ है यान्त्रिक रूप में किया गया क्रिया का बाह्य रूप। भाव क्रिया का अर्थ है क्रिया के साथ कर्त्ता के भाव का तादात्म्य। द्रव्य क्रिया में मन कहीं, तन कहीं होता है। भाव क्रिया में शारीरिक क्रिया के साथ पूर्ण मनोयोग रहता है। कुशलता अथवा जागरूकता का अर्थ है हमारी प्रत्येक क्रिया भाव क्रिया हो, द्रव्य क्रिया नहीं। यही अप्रमाद है। ऊँचे स्तर पर जहाँ भेद-विज्ञान बना है, वहाँ द्रष्टा-साक्षी भाव बनाये रखते हुए क्रिया करना भाव क्रिया है। यह भाव क्रिया ही अपरिग्रह का मूल है। इस भाव क्रिया के कारण ही साधु के उपकरण उसके परिग्रह नहीं बन पाते। जिसमें यह भाव क्रिया नहीं है वह लौकिक दृष्टि से भले ही अकिञ्चन भी क्यों न हो किन्तु अपरिग्रही नहीं है। यदि ऐसा न मानेंगे तो समस्त पशु-पक्षी अपरिग्रह महाव्रती मानने होंगे।



यदि तुम थोड़े ही में अपना काम अच्छी तरह चलाना चाहते हो तो किसी चीज में पैसा लगाने से पहले स्वयं अपने से दो प्रश्न पूछ लिया करो—

१. क्या मुझे सचमुच इस चीज की जरूरत है ?
२. क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है ?

—सिडनी स्मिथ



तन और धन की ममता को छोड़ने की अपेक्षा मन की ममता को छोड़ना कहीं अधिक कठिन है। तन का परिग्रह, धन का परिग्रह ये दोनों बाह्य परिग्रह हैं। महिमा-पूजा की कामना से, नाम के लिए, किसी भी प्रकार की लोकैषणा के लिए तप, जप, दान आदि कोई भी कार्य करना मन का परिग्रह है।

—आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा०

अपरिग्रह : मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुव्यवस्था की आधारशिला

◇ श्री हरिभाई कोठारी

भगवान महावीर की दृष्टि से तो निःस्पृहता का ही दूसरा नाम है अपरिग्रह। स्पृहा ही मनुष्य को परिग्रह करने के लिये लालायित करती है। “निःस्पृहस्य तृण जगत्”—निःस्पृही मनुष्य के लिए जगत के सभी पदार्थ तृण के समान हैं। संत साहित्य में उचित ही कहा गया है कि—

“चाह गई चिता मिटी, मनुवा बेपरवाह,
जिनको कछु न चाहिए, वे शाहन के शाह ।”

सम्राट सिकन्दर ने एक बार किसी एक फकीर से कुछ मांगने को कहा। फकीर ने कहा, “मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है।” सिकन्दर ने जब अपने आग्रह को बार-बार दोहराया तो अन्त में फकीर ने कहा, “ठीक है, तू अगर मुझे कुछ देना ही चाहता है तो जरा बाजू भर खिसक जा क्योंकि तू बीच में खड़ा रहकर मुझे प्राप्त होने वाली सूर्य किरणों को रोक रहा है।” सिकन्दर यह सुनकर दंग रह गया, उसने उस फकीर के सामने अपने आप को कंगाल महसूस किया।

निःस्पृहता के मूर्तिमत् स्वरूप मरीचि ऋषि का वर्णन करते हुए, महाकवि कालिदास ने ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ में लिखा है—

“प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने
तोये काञ्चनपद्म रेणुकपिशे घर्माभिषेक क्रिया ।
ध्यान रत्नशिलातलेषु विलुघस्त्रीसंनिधौ संयमो
यत्काङ्क्षन्ति तपोभिरन्त्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी ॥”

अर्थात् “कल्पवृक्षो के वन में रहकर भी ये लोग वायुसेवन ही करते हैं। जलक्रीडा के लिए उपयुक्त जल से ये मुनि घर्माभिषेक क्रिया ही करते हैं। रत्न जड़ित शिलाओं पर बैठकर ये लोग ध्यान करते हैं और सुन्दर अप्सराओं के समूह में भी ये संयमी रहते हैं। अन्य लोग जिन चीजों की प्राप्ति के लिए तप करते हैं, वे सारी चीजे उपलब्ध होते हुए भी ये मुनि तपश्चर्या कर रहे हैं।”

“Simple living and high thinking” को अपना आदर्श मानने वाले ये महानुभाव कल्पवृक्ष से कुछ मांगने में भी छोटापन महसूस करते हैं। कल्प याने इच्छा, इस दृष्टि से इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष को कल्पवृक्ष कहते हैं। इच्छा पर ही जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, वे भला कल्पवृक्ष से क्या मांगेंगे और क्यों मांगेंगे ?

ऐसे अपरिग्रही मानव की बड़ाई करते हुए उम्मेर खय्याम ने अपनी एक रुवाई में कहा है—

“सिर्फ आधी रोटी पर ही जो गुजारे दिन तमाम,
जिसको दो गज से जियादा, हो नहीं धरती से काम ।
इस जगत में जो किसी का दास कि स्वामी न हो,
ऐसे महा नर के जीवन आदर्श को सौ-सौ सलाम ॥”

ज्ञानराणा शिव और भगवान महावीर का दिग्म्बर स्वरूप इस बात का द्योतक है कि ज्ञानी को किसी भी बात की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा ज्ञानी तो अपरिग्रह के चरम शिखर पर विराजमान होता है। विभूति को वैभव समझने की हिम्मत रखने वाला ही परम ज्ञानी कहलाता है।

वैसे भी हमारा जीवन एक यात्रा ही है और यात्रा में तो सामान जितना कम रहता है सुविधा ज्यादा रहती है। Travel light यह प्रवासियों को दी जाती सूचना जीवन-प्रवासियों के लिए भी उतनी ही उपयुक्त है।

‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ ‘Excess in everything is bad.’ परिग्रह का भी ‘अति’ हानिकारक सिद्ध होता है। कामना की तृप्ति कभी होती ही नहीं है। “It is the fundamental nature of craving not to be fully satisfied.” राजषि मनु ने ‘मनुस्मृति’ में इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है—

“न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविसा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥”

अर्थात् “कामनाओं के उपभोग से काम कभी शांत होता नहीं है, उलटे वह ज्यादा प्रज्वलित होता है जैसे कि आहूति देने से अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होती है।”

टॉल्सटॉय ने इस बात को पुष्ट करते हुए एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी है। एक आदमी को जमीन की बड़ी लालसा थी। वह लोभी अधिक से अधिक जमीन जुटाने में लगा हुआ था। एक बार उसे एक फरिश्ता मिल गया।

फरिश्ते ने उससे पूछा, 'तुम्हें क्या चाहिये ?' उसने कहा, 'मुझे जितनी दे सको उतनी जमीन चाहिए ।'

फरिश्ते ने कहा—'ठीक है ! अब सूर्य उदय हो रहा है, तुम दौड़ना शुरू करो । सूर्यास्त तक वापस लौट आना । जितनी जमीन पर तुम दौड़कर आओगे, वह सारी जमीन तुम्हारी हो जायेगी ।' लोभवश उस आदमी ने तो जान की बाजी लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया । अधिक से अधिक जमीन प्राप्त करने की लालसा में वह बहुत लम्बा निकल गया । सूर्यास्त के समय जब वह वापस लौटा तो फरिश्ता जहा खड़ा था, उससे एक दो फर्लांग दूर ही गिर पडा । उसे खून की उल्टी हुई और वही उसकी मृत्यु हो गई । ढेर सारी जमीन को माप कर आया हुआ वह मनुष्य दो गज जमीन को प्यारा हो गया । टॉलस्टॉय ने कहानी को शीर्षक दिया है— "How much land does a man need ?"

परिग्रह की तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती । इसी तृष्णा के आधार पर तो मनुष्य धनी या कंगाल कहलाता है । राजर्षि भर्तृहरि ने लिखा है—

"वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्व च लक्ष्म्याः ।
सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः ।
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला,
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दरिद्रः ॥"

(अपरिग्रही मुनि राजा से कहता है) "हे राजन् ! हम वल्कल से सतुष्ट है और आप लक्ष्मी से तृप्त है । इस दृष्टि से देखने पर हममें कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का संतोष समान है । दरिद्र तो वही है जिसकी तृष्णा अधिक है । मन के संतुष्ट होने पर न कोई दरिद्री है, न कोई धनी ।"

परिग्रह का एक अर्थ है, देह रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक का सग्रह करना । इस विषय में आद्य शंकराचार्य ने लिखा है—

क्षुद् व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिन भिक्षौषध भुज्यताम्,
स्वाद्बन्धनं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सतुप्यताम् ।"

अर्थात् "क्षुधा को व्याधि समझकर प्रतिदिन भिक्षा रूपी अन्न का औषध लेकर उसकी चिकित्सा करो । स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो और विधिवशात् जो प्राप्त हो उसमें संतोष मानो ।" औषधि की तरह अन्न का सेवन भी जरूरी मात्रा में ही करना चाहिये ।

‘भगवद् गीता’ में भी कहा है कि ‘योगी पुरुष को ‘त्यक्तसर्वपरिग्रह.’ याने सर्व प्रकार के भोग पदार्थों का त्याग करके ही रहना चाहिए । आगे बढ़कर गीताकार ने कहा है कि योगी को ‘यदृच्छालाभसतुष्टो’ याने भगवदिच्छा से, बिना मागे जो कुछ मिले, उसी में संतोष मानना चाहिये । अपरिग्रही मनुष्य जब अयाचक व्रत का पालन करता है तब उसकी कड़ी कसौटी होती है और उससे पार उतरने पर ही वह महिमावान बनता है ।

परिग्रह के मूल में विश्वास का अभाव है । अनिश्चित भावी की फिकर मनुष्य को परिग्रह करने के लिए प्रेरित करती है । ‘मेरे लिए जो चीज, जब भी आवश्यक होगी तब वह मुझे प्राप्त हो ही जायेगी’ ऐसा दृढ विश्वास मनुष्य को अपरिग्रह व्रत का पालन करने की शक्ति प्रदान करता है । ‘फिकर की फाकी करे, उसका नाम फकीर ।’

अकबर बादशाह ने एक बार किसी एक फकीर से पूछा, ‘क्यों फकीर जी ! तुम्हारी रात कैसे गुजरी ?’ फकीर ने हसकर जवाब दिया, ‘जहांपनाह ! कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी गुजरी ।’ बादशाह ने पूछा, ‘वो कैसे ?’ फकीर ने कहा, ‘जो रात नींद में गुजरी वो तुम जैसी ही गुजरी और जो जागृति में बीती वह तुमसे अच्छी बीती, क्योंकि जागृति में तुम भोग में रमण थे और मैं योग में संलग्न था ।’

भीतरी अनासक्ति ही मानव को सच्चा अपरिग्रही बनाती है । परिग्रह की लालसा मानव के सहज जीवन विकास में रुकावट पैदा करती है । बाह्य साधनों को जुटाने में व्यस्त मनुष्य अपने आंतरिक सत्व को खो बैठता है । बाह्याडंबर के नाद में पकड़कर वह अपने आत्म धन को नष्ट कर देता है । “The more you have, the less you are and the less you have, the more you are”

मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अपरिग्रह का पालन अत्यावश्यक है । भारतीय अर्थशास्त्र में लिखा है,

“अकृत्वा परसताप, अगत्वा खलमदिरम् ।

अक्लेशयित्वा चात्मानं, यदल्पमपि तद्वहः ॥”

“दूसरे को सताप पहुँचाये बिना, दुष्ट के द्वार पर गए बिना और अपने आत्मा को क्लेश पहुँचाये बिना जो थोड़ा भी प्राप्त होता है, उसे बहुत समझो ।”

अर्थोपार्जन करना कोई गुनाह नहीं है किन्तु उसकी मर्यादा को समझना चाहिए । अर्थ का विनियोग भी सही ढंग से होना चाहिए । इस बारे में लिखा है कि,

“अलब्धं चैव लिप्सेत, लब्धं रक्षेदवक्षयात् ।
रक्षित वर्धयेत् सम्यक् वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत् ॥”

अर्थात् “अनुपलब्ध को प्राप्त करने की इच्छा रखो, प्राप्त पदार्थों को नष्ट होने से बचाओ, रक्षित वैभव को अच्छी तरह बढाने की कोशिश करो और सर्वाधिक वित्त को तीर्थ क्षेत्र (अच्छे कामों) में बहा दो ।” इस श्लोक के तीन पद मनभावन मालूम होते हैं, चौथे पद का पालन ही कष्टदायक है और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए वही आवश्यक है । सत-साहित्य में भी कहा है—

“पानी बाढे नाव में, घर में बाढे दाम ।
दोनों हाथ उलीचिए, यही संयानो काम ।”

वित्त, विद्या, कीर्ति, सत्ता हर चीज का परिग्रह हानि पैदा करता है । एक तरफ की विपुलता दूसरी तरफ न्यूनता निर्माण करती है । यही तो सहितो और रहितो (Haves and Have-nots) के संघर्ष की जड़ है । एक सुभाषित है—

“पिपीलिकार्जितं धान्य, मक्षिका संचितं मधु ।
लुब्धेनोपार्जितं द्रव्य, समूलं च विनश्यति ॥”

“चीटी द्वारा इकट्ठा किया हुआ अनाज, मधुमक्षिका द्वारा संचित मधु और लोभी द्वारा जुटाया हुआ दाम, मूलसहित नष्ट होता है ।” नष्ट होने से पहले ही उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए—यही तो है अपरिग्रह ।

विद्या के बारे में भी कहा गया है कि,

“अपूर्वं कोऽपि कोशोऽय, विद्यते तव भारति ।
व्ययतो वृद्धिमायाति, क्षयमायातिसचयात् ॥”

“हे भारति (सरस्वती) ! तुम्हारा यह कोश अपूर्व है, जिसका व्यय करने से वह बढ़ता है और अतिसचय करने से उसका क्षय होता है ।”

कीर्ति का भी परिग्रह नहीं करना चाहिए । ‘मैंने किया’ इसमें कीर्ति का परिग्रह है जबकि “हम सबने मिलकर किया” इस यज्ञीय भावना में कीर्ति का अपरिग्रह है । सत्ता का अधिक परिग्रह सरमुखत्यारणाष्टी को जन्म देता है जबकि अपरिग्रह सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर देता है ।

अपरिग्रह के व्रत को महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप दिया । उनका कहना था ‘फड से बंड निर्माण होते हैं ।’ सामाजिक संस्था यदि संचित निधि के

व्याज पर चलने लगे तो उसके संचालक निश्चित और परिणामतः निष्क्रिय बन जाते हैं। निधि का अभाव संचालको को सदा क्रियाशील और सजग रखता है। उनका लोकसपर्क जारी रहता है और सस्था जीवन्त रहती है। कन्फ्युसियुश का भी कहना है कि, “जहां वित्त केन्द्रित होता है वहां मानव बिखर जाते हैं और जहां वित्त विकेन्द्रित होता है, वहां मानव समूह महक उठता है।” वित्त से ऊपर व्यक्ति को जो महान् समझता है, वही समाज जीवन में अपरिग्रह व्रत का आचरण कर सकता है।

अन्त में एक चीनी कहावत का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। ‘नये मकान में पहले शैतान रहने को जाता है। पुराना मकान अगर ठीक है तो नया बनवाने की क्या जरूरत है?’ कहने का तात्पर्य यह है कि, ‘बिना जरूरत की हर चीज मानव को शैतानियत की ओर ले जाती है।’

शास्त्र मर्यादा को छोड़कर निन्दायुक्त मार्ग से वित्त प्राप्त करना; बिना परिश्रम किये, दूसरे का हक छीनकर समृद्ध बनना, देह रक्षा के लिए आवश्यक चीजों से अधिक का संग्रह करना—परिग्रह है और इन बातों का त्याग ही अपरिग्रह है। हम वित्त के मालिक नहीं, किन्तु रक्षक हैं। समाज हित के लिए सर्वस्व का अर्पण करके फिर आवश्यकतानुसार ही स्वल्पमात्रा में ग्रहण करना ही अपरिग्रह की भावना के साथ सुबद्ध है। अपरिग्रह का ऐसा निष्ठायुक्त आचरण ही हमें मानसिक स्वास्थ्य और समाज को सुव्यवस्था प्रदान कर सकता है।



जीवन का अर्थ

क्षण-क्षण पल-पल खुद को देना,
यह जीवन का अर्थ है।
जितना अधिक दे रहा है जो,
उतना अधिक समर्थ है।
जो जितना ज्यादा देता है,
उतना ज्यादा वह जीता है।
वर्षा मेघ न बरसे तो फिर,
भरा हुआ भी वह रीता है।

दुःख-मुक्ति का उपाय : अपरिग्रह

□ श्री धर्मचन्द्र जैन

नये
नपा
। हर

विना
शयक
ग ही
लिए
रना
पुक्त
कर

भगवान् महावीर द्वारा महाव्रत एवं अणुव्रत के रूप में प्रतिपादित 'अपरिग्रह' का सिद्धान्त एक सर्वव्यापक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक सत्य है। परिग्रह सर्वत्र दुःख का मूल माना गया है। इसीलिए 'आचारांग' सूत्र में कहा गया है—“परिग्रहाओ अप्पाण अवसक्केज्जा” अर्थात् परिग्रह से अपने को दूर रखो। परिग्रह शान्ति एवं समता को भग कर अशान्ति एवं विषमता उत्पन्न कर देता है। जीवन में आकुलता, विषाद और नीरसता का विष घोल देता है। यह हृदय को संकीर्ण, बुद्धि को भोगोन्मुख, मन को चपल और इन्द्रियो को अनियन्त्रित बना देता है। बाहर से सुख-सामग्रियों का अम्बार लगे होने पर भी भीतर से सुख को सोख लेता है। यह परिग्रह तृष्णा को उत्तरोत्तर बढ़ाकर मनुष्य को अनन्त दुःख के भयानक जगल में छोड़ देता है जहाँ पर भटकाव के अतिरिक्त कोई मार्ग दिखाई नहीं देता।

वस्तुतः यह परिग्रह क्या है? 'परिग्रह' शब्द सस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति 'परि' उपसर्गपूर्वक 'ग्रह' धातु 'घञ्' प्रत्यय लगकर होती है। 'ग्रह' धातु का अर्थ होता है ग्रहण करना या पकड़ना और परिग्रह का अर्थ है—भली-भांति पकड़ लेना अर्थात् जकड़ लेना। पर-पदार्थों को मानसिक रूप से पकड़े रखना या उनमें आसक्ति रखना ही परिग्रह है। पर-पदार्थों में आत्मा के अतिरिक्त सृष्टि की सारी वस्तुएँ, व्यक्ति, धन-सम्पत्ति, शरीर आदि सभी पदार्थ सम्मिलित हो जाते हैं। यह पदार्थ मेरा है, यह मुझे चाहिए, इसका विनाश मेरा विनाश है, इसका विकास मेरा विकास है, यह तो बढ़ते रहना चाहिए, इससे सुख भोगना है आदि समस्त मानसिक विकल्प परिग्रह रूपी वृक्ष की ही शाखाएँ हैं। इसीलिए कहा है—“नस्थि एरिसो पासो पड्विंघो सव्वजीवाण” अर्थात् परिग्रह के समान जगत् में जीव के लिए कोई बन्धन नहीं है। परिग्रह का यह आतरिक अथवा वास्तविक रूप है।

भाषा-विज्ञान के अनुसार यह आतरिक परिग्रह जो पदार्थों में सम्बन्ध रखने के कारण होता है, उपचार से पदार्थों पर ही आरोपित कर दिया गया अर्थात् पदार्थों को भी परिग्रह कहा जाने लगा। प्राचीन काल में मोटे रूप से स्त्री के प्रति ही पुरुष की गहरी आसक्ति होती थी अतः उसे 'परिग्रह' नाम दिया

गया । संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति "अभिज्ञानशाकुन्तलम्" में 'परिग्रह' शब्द का प्रयोग 'स्त्री' के अर्थ में ही किया है ।^१ धीरे-धीरे आसक्ति के विस्तार के साथ-साथ परिग्रह के अर्थ का भी विस्तार होता गया । गाय, बैल, भैस आदि पशुओं को परिग्रह कहा जाने लगा । तदनन्तर भूमि, भवन एव अन्य भोग्य-पदार्थों को भी परिग्रह के परिसर में समाविष्ट किया गया । आज वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामस्वरूप भोग्य-पदार्थों की अगणित वृद्धि हुई है । विविध प्रकार की सुख-सुविधाओं का विस्तार हुआ है । घड़ी, रेडियो, टेलीविजन, स्कूटर, कार, टेलीफोन, कूलर, रेफ्रिजरेटर एवं एयरकंडीशनिंग तो साधारण सुविधाएँ हैं, जो प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक बन गई हैं । अन्य और भी पदार्थों का संग्रह करने की मनोवृत्ति मनुष्य में जन्म लेती जा रही है, किन्तु पदार्थ अनन्त हैं, उनका कोई पार नहीं तथापि वस्तुओं का संग्रह-रूप परिग्रह सीमित होता है । जिन पदार्थों के प्रति आसक्ति है वे ही परिग्रह की परिभाषा में प्रवेश कर पाते हैं, अन्य पदार्थ नहीं । 'तत्त्वार्थ' सूत्र में इस आसक्ति को मूर्च्छा शब्द से अभिव्यक्त करते हुए कहा है—'मूर्च्छा-परिग्रह' अर्थात् मूर्च्छा ही परिग्रह है ।

एक समय ऐसा आया जब परिग्रह शब्द के अर्थ का अत्यधिक ह्रास हो गया और कहा जाने लगा—आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना ही परिग्रह है । यह परिभाषा निस्सदेह सदेहोत्पादक है । आवश्यकता को परिभाषित करना दुस्तर सागर को तैरने से कम नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के मानदण्ड भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और होते हैं यही कारण है कि अमेरिका में जो पदार्थ व्यक्ति की आवश्यकता के रूप में गिने जाते हैं वे ही भारत में विलासिता (Luxury) के रूप में गिने जाते हैं । सारे अर्थशास्त्री मिलाकर भी आवश्यकता के विषय में एकमत नहीं हो सकते हैं तो फिर उस पर आधारित परिग्रह की परिभाषा को कैसे निश्चित किया जाए ।

'न परिग्रहः इति अपरिग्रहः ।' अपरिग्रह शब्द में नश्म् समास है । न अर्थात् 'अ' का संस्कृत भाषा में छह अर्थों में प्रयोग होता है—सादृश्य, अभाव, भिन्नता, अल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध । इन अर्थों में से यहाँ पर अभाव अर्थ में प्रयोग हुआ है अतः अभाव अर्थ में अपरिग्रह का अर्थ होगा—परिग्रह का न होना । परिग्रह का सर्वथा अभाव ही अपरिग्रह है ।

महावीर बाह्य एव आभ्यन्तर दोनो प्रकार से परिग्रह-मुक्त थे । उनके साथ शरीर था किन्तु उसका परिग्रह नहीं था क्योंकि शरीर में उनकी आसक्ति नहीं थी ।

१ परिग्रहवद्वेषि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे ।

ममूद्रवसना चोर्वी सगी च युवयोरियम् ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम्—३-१७)

पर पदार्थों के प्रति आसक्ति न हो—यही भगवान् महावीर के अपरिग्रह सिद्धान्त का मूल लक्ष्य है। इस सिद्धान्त को जीवन में आत्मसात् करने पर शान्ति, समता एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। दुःख अपना झोली-झंडा समेट कर भाग जाता है। निराशा, असतोष एवं नीरसता के बादल छूट जाते हैं। सदैव प्रेम, दया एवं करुणा की अजस्रधारा प्रवाहित होने लगती है। बन्धन का अंत एवं मुक्ति का उदय होता है। पराधीनता की बेड़ियाँ टूट जाती हैं। 'ईशावास्योपनिषद्' में भी आसक्ति को छोड़ने हेतु प्रेरित करते हुए कहा है—

“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जोथा , मा गृद्ध कस्यस्विद्धनम् ॥१॥

अर्थात् इस ससार के पदार्थों का त्याग भाव से भोग करो तथा किसी के धन के प्रति आसक्त मत होओ। त्याग भाव से भोग करने का अर्थ है—आसक्ति-त्याग अथवा अपरिग्रह। त्यागभाव के कारण भोग्य पदार्थों से सम्बन्ध स्थापित नहीं होता फलस्वरूप परिग्रह नहीं होता। यही भाव 'भगवद्गीता' में भी है। श्रीकृष्ण फल की कामना से रहित होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना ही आसक्ति को जन्म देती है और उससे रहित होने पर जो कार्य किया जाता है वह बाँधता अथवा जकड़ता नहीं है। प्राणी तनावग्रस्त नहीं होता। वह परिग्रह से परे रहता है।

'कठोपनिषद्' में एक कथा आती है जिसमें यम से नचिकेता आत्मा की अमरता के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है और जानना चाहता है कि आत्मा क्या है। यम नचिकेता की परीक्षा लेने हेतु उत्तर को टालते हुए धन-सम्पत्ति, भौतिक सुख-समृद्धि एवं ऐश्वर्य का प्रलोभन देता है। वह कहता है—हे नचिकेता ! तुम सौ-सौ वर्षों तक जीने वाले पुत्र एवं पौत्रों को मांग लो। गाय, भेड़, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भू-मण्डल के साम्राज्य को मांग लो तथा इन सबको भोगने के लिए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहो।^१ किन्तु नचिकेता इनकी यथार्थता को जानता है और कहता है—'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः', अर्थात् मनुष्य कभी भी धनादि द्वारा तृप्त नहीं किया जा सकता। वह कहता है मुझे मात्र आत्मा की अमरता के रहस्य को जानना है। ये सब धनादि तो विनश्वर हैं।

हम धन की अभिवृद्धि में लगे रहते हैं किन्तु तृप्ति दूर भागती नजर आती है। धनाकांक्षा का कहीं अंत नहीं है। यौवन से वृद्धावस्था तक पहुँचने

१ शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व, बहून् पद्भ्यो हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतन वृणीष्व न्वय च जीव शरदो यावदिच्छन्ति ॥

पर भी धन की लालसा अर्थात् तृष्णा तरुण रहती है। तृष्णा की आग का शमन करने के लिए ही परिग्रह-परिमाण एव उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रतों की प्रेरणा दी गयी है। ये दोनों व्रत साधन हैं—अपरिग्रह एव अनासक्ति तक पहुँचने के लिए। क्षेत्र-वस्तु, हिरण्य-स्वर्ण, दोपद-चौपद, धन-धान्य, कुविय-धातु आदि का परिमाण एव कर्मादान की आजीविका का त्याग करने से तृष्णा एव परिग्रह पर नियन्त्रण प्रारम्भ होता है। परिग्रह के इस बाह्य नियन्त्रण के पश्चात् आंतरिक नियन्त्रण भी सम्भव है। आंतरिक नियन्त्रण ही परिग्रह पर सच्चा नियन्त्रण है और वही परिग्रह जनित दुःख को समाप्त कर सकता है। 'दशवैकालिक' सूत्र के चतुर्थ अध्यायन में कहा है—

“जया चयइ संजोगं, सन्भितरवाहिरं ।

तया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं ॥

अर्थात् बाह्य एवं आभ्यन्तर संयोग (आसक्ति) को जो मनुष्य त्याग देता है वह मुण्डित होकर अणगार बनता है। वही अणगार दुःख से मुक्त होता है।

संक्षेप में यदि कहा जाए तो पर पदार्थों से मानसिक सम्बन्ध जोड़ लेना ही उनका परिग्रह है। पदार्थ, मनुष्य से, उसकी आत्मा से बाहर रहते हैं किन्तु मनुष्य उनमें अपनी आसक्ति स्थापित कर, दुःखी होता रहता है, उनमें ही अपनी आत्मा को समझने लगता है। यह भ्रम (मिथ्यात्व) है। और यह भ्रम अविवेकपूर्ण है। विवेक की बात तो यह है कि पर-पदार्थों से मानसिक सम्बन्ध केवल माना हुआ होता है। प्राणी चाहे तो उनमें सम्बन्ध न माने और सम्बन्ध न मानते ही वह अपरिग्रही हो जाता है। अपरिग्रही होने के पश्चात् दुःख से मुक्ति मिल जाती है।



अपरिग्रह

प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी मनुष्य के पास व्यक्तिगत कोई वस्तु नहीं है, कारण कि जो शरीर प्राप्त है वह भी समष्टि भौतिक पदार्थों से निर्मित है। उस मिले हुए शरीर के सदुपयोग द्वारा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है। कारण कि शारीरिक तथा बौद्धिक श्रम के सहयोग से ही वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। यदि उनका संग्रह तथा उनसे ममता न की जाय और उनका दुरुपयोग भी न किया जाय तो मगलमय विधान के अनुसार आवश्यक वस्तुएँ मिलती हैं। अतः दरिद्रता का अंत करने के लिए मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग अनिवार्य है।

अपरिग्रह शाश्वत सुख पाने का द्वार है

□ डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीप्ति'

इच्छाओं के अधीन रहकर कोई भी सुखी नहीं होता। 'अति सम्पदा अति आपदा' की उक्ति कितनी सार्थक है। आज का व्यक्ति सम्पदा के बढ़ाने में अन्धा हो रहा है। भौतिक सुख में अपना सुख समझ रहा है और उसी ओर भाग रहा है। वह अपने आगे पड़ौसी की भी नहीं सोचता। विचार भी आएगा तो खोटा। धन हथिया लो पड़ौसी का। प्रतिष्ठा भंग कर दो उसकी। बहका दो उसकी बहू-बेटी को। माहौल दूषित हो गया है, सर्वथा विष से लवालब। रिश्ते टूट रहे हैं, सम्बन्ध छूट रहे हैं, लोग दुःखी हो रहे हैं। अपरिग्रह भाव की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। असल में हम बहरे जो हो गए हैं।

जरूरत से ज्यादा चीजे क्यों इकट्ठी की जा रही है? यह समझ के दायरे से बाहर की बात है। चीजे हैं थोड़ी और इच्छाएँ हैं घनेरी। एक व्यक्ति ही चाहता है सारे लोक की सम्पदा। कैसे पूरा पड़े? सरकार नियंत्रण और नियमन की गुत्थी सुलझाना चाहती है। परन्तु विषमता और कठिनाई बढ़ती जाती है। मुझे लगता है जब तक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक गुत्थी सुलझ पाना सम्भव नहीं दीखता।

व्यक्ति का धन की ओर झुकाव हो गया है। धन ही उसका रक्षा कवच जो बन गया है। धन बुरा नहीं है, बुरी है उसकी आसक्ति। व्यामोह ही उसका परिग्रह है। परिग्रह है वस्तु के प्रति ममत्व। धन अभ्युदय का उपादान कारण हो सकता है' अध्यात्म का कदापि नहीं। व्यक्ति बाहर से स्वस्थ और जागरूक बनने का अभिनय कर रहा है परन्तु उसका अन्तर नाना रोगों से सड़ रहा है। भोगासक्त व्यक्ति ससार में भ्रमण करता है और भोगों से विरक्त व्यक्ति निर्वन्ध होता है। इसमें जीवन का सौन्दर्य प्रच्छन्न है। परिग्रह से आसक्ति, आसक्ति से हिंसा और हिंसा से है दुःख-जन्म-मरण की परम्परा का चक्र। बड़ा हुआ परिग्रह-नदी का वेग क्या-क्या क्लेश नहीं करता? प्राज्ञ पुस्तक के लिए भी परिग्रह नाश का कारण कहा गया है। अपरिग्रह का सच्चा अर्थ है देहभाव नहीं सा होना, क्योंकि देह ही मुख्य परिग्रह है। अपरिग्रह की भावना स्थिर हो जाने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। मूर्च्छा रहित पुरुषों के लिए तीनों लोकों का ऐश्वर्य भी अपरिग्रह है। अपरिग्रह अभ्युदय है। निर्मोह अवस्था है। केवल आत्मदर्शन। वस्तुतः अपरिग्रह शाश्वत सुख पाने का द्वार है।

वैराग्य के बिना त्याग विडम्बना मात्र है। अणु मात्र परिग्रह के रखने से मोहकर्म की ग्रथि दृढ होती है और इससे तृष्णा की ऐसी वृद्धि हो जाती है कि उसकी शांति के लिए समस्त लोक की सम्पत्ति से भी पूरा नहीं पडता। इच्छा परिग्रह है। राग, लोभ और मोह जब मन में उगते हैं तब बाह्य परिग्रह ग्रहण करने की बुद्धि होती है। बाह्य त्याग के बिना अन्तरग त्याग अशक्य है। आभ्यन्तर त्याग में सर्व बाह्य त्याग अन्तर्भूत है। जो अन्तरग परिग्रह अर्थात् रागादि से युक्त है उसके बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल है। बाह्य परिग्रह से रहित दरिद्री व्यक्ति तो स्वभाव से ही होते हैं किन्तु अन्तरग परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं होता। आकिचन्य भावना से अपरिग्रह मुखर होता है।

परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारक है। जो लोभ कषाय को कम करके, सन्तोष रूपी रसायन से सतुष्ट होता हुआ सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णा का घात करता है और अपनी आवश्यकता को जानकर धन-धान्य, सुवर्ण और क्षेत्र वगैरह का परिमाण करता है वह अपरिग्रही बन जाता है। विश्वविजेता सिकन्दर को कौन नहीं जानता? जब वह बीमार पडा और मौत के आगोश में पहुँचने को था तब उस समय उसके पास प्रमुख सेनापति, मंत्री व सैकड़ों सरदार और उमराव खडे थे। वैद्यो और हकीमो की कतारे लगी थी। किन्तु जब उसने देखा कि ये सभी लोग और धन के भण्डार मुझे मौत से नहीं बचा सकते तब उसके दुःख और विस्मय का पारावार न रहा। मन गहरे अवसाद से भर गया। लोगो को ससार की सही स्थिति का ज्ञान कराने हेतु उसने प्रधान सेनापति को आदेश दिया कि शवयात्रा के समय मेरे दोनो हाथ कफन से बाहर रखे जाएँ जिससे सबको यह जानकारी हो सके कि विशाल वैभव न मुझे मृत्यु से बचा सका और न मैं एक तार भी साथ ले जा रहा हूँ। मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। सोचिए, सिकन्दर की व्यथा में अपरिग्रह की कथा निहित नहीं है क्या?

चक्रवर्ती का सुख राग भाव को बढ़ाने वाला तथा तृष्णा को बढ़ाने वाला होता है। अतएव परिग्रह का त्याग करने पर राग-द्वेष रहित साधक को जो सुख मिलता है, चक्रवर्ती का सुख उसके अनन्त भाग की बराबरी नहीं कर सकता। समस्त परिग्रहो से जो रहित हो और इन्द्रियो को सवर रूप करने वाला हो ऐसा स्थिर चित्त सयमी साधक विभु वर्द्धमान की कही हुई ध्यान धुरी को धारण कर सकता है। अतीत उपभोग है, वह अतीत के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। भविष्य का उपभोग यदि वाञ्छा में आता है तो वह परिग्रह भाव को धारण करता है और वर्तमान का उपभोग रागवृद्धि से हो रहा है तो वह भी परिग्रह भाव की सीमा का स्पर्श करता है। प्रमाद परिग्रह है। उसके अभाव में निजगुणो में मूर्च्छा का भी अभाव होता है। निरपेक्ष भाव से किया गया त्याग ही अपरिग्रह है।

इच्छा आकाश के समान अनन्त है। इच्छा की पूर्ति पर आकुलता मिटती है और सुख झलक उठता है। हमें इच्छा पिशाच को पछाड़ना होगा और करना होगा जीवनयापन के लिए सच्चाई से आजीविका अर्जन। लोभ और इच्छा का शिकार न होकर सत्पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वह है जिसमें अपनी आकुलता घटे और दूसरों की आकुलता न बढ़े। अपना-पराया सबका भला हो। सुख बाहर नहीं भीतर जो है। इसके लिए संग्रहवृत्ति से दूर होना होगा। विश्व के सभी प्राणियों के लिए परिग्रह के समान दूसरा कोई जाल बंधन नहीं। विचारों और कामनाओं के अन्त से सुख-सागर लहराएगा। अपरिग्रह आकाश में परिग्रह के बादल नहीं छाएँगे। संकल्प के सूरज से परिग्रह की कालिमा मिट जाएगी और अपरिग्रह की अरुणिमा आत्मा के आगन में सर्वत्र बिखरी/छिटकी पड़ी होगी।



दान का अपरिग्रह

श्री भूदेव मुखोपाध्याय ने अपनी एक लाख साठ हजार रुपये की सम्पत्ति दान करके अपने पिता श्री विश्वनाथ तर्कभूषण की स्मृति में 'विश्वनाथ फंड' स्थापित किया था। इस फंड से देश के सदाचारी विद्वान् ब्राह्मणों को दिना माँगे प्रतिवर्ष पचास रुपये की सहायता मनिआर्डर से उनके घर भेजी जाती थी। पंडितों को न तो सहायता पाने के लिये प्रार्थना करने की आवश्यकता थी और न फंड के कार्यालय में आने की। इस फंड के प्रथम वर्ष की वृत्तियों का विवरण 'आनन्द वाजार पत्रिका' में देने के लिये एक कर्मचारी ने मुझे बताया। उसमें लिखा था—“इस वर्ष में जिन-जिन अध्यापकों एवं विद्वानों को 'विश्वनाथ-वृत्ति' दी गयी, उनकी नामावली।” श्री भूदेव बाबू ने यह सुनी देखी तो अचरित होकर बोले—“तुमने यह क्या लिखा? इसे इस प्रकार लिखा इस वर्ष जिन-जिन अध्यापकों और विद्वानों ने 'विश्वनाथ वृत्ति' स्वीकार करने की कृपा की, उनकी नामावली।”

ऐसे थे प्रशसा एवं दान के अपरिग्रही भूदेव बाबू।

(१) पर में कर्त्ता बुद्धि न रख दृष्टा बनने का अभ्यास करे । इससे कर्म-बंध भी नहीं होते । जैसाकि 'समयसार' में कहा है—

“कर्म करे सो ही करतारा, जो जाने जो जाननहारा ।
कर्त्ता सो जाने नहीं सोई, जाने सो कर्त्ता नहीं होई ॥”

(२) आवश्यकता से अधिक सग्रह न करे ।

(३) अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को उत्तरोत्तर कम करे ।

(४) जो सामग्री मिली है उसका स्वयं के लिए कम से कम उपयोग करे तथा अन्य जीवों के कल्याण के लिए उसका अधिक से अधिक उपयोग एवं वितरण करे ।

(५) वस्तुओं को उनके तथ्य में देखे, आशाओं में नहीं । उन्हें कभी भी साध्य न समझना, साधन समझना ।

(६) वस्तु को आत्मा से अधिक महत्त्व न दे । यदि वस्तु के लिए जीवन होगा तो वहाँ मूर्च्छा बढ़ेगी और जहाँ मूर्च्छा बढ़ेगी वहाँ परिग्रह निश्चित बढ़ेगा । स्वयं की मालकियत कभी वस्तुओं के मायाजाल में न खो जाए, इसके लिए सचेत रहना ।

(७) प्राप्त सामग्री का सदुपयोगार्थ विसर्जन करना सीखे । मात्र धन की पकड़ करने वाला धनी नहीं, वह तो धन का गुलाम होता है । धन का विसर्जन सच्ची मालकियत का लक्षण है । महान् तत्त्ववेत्ता रस्किन ने कहा है कि मनुष्य धनी तब होता है जब वह धन को दान कर पाता है, नहीं तो वह गरीब ही होता है । इस प्रसंग में टुन्ड्रा निवासी एस्किमो की उदार वृत्ति उल्लेखनीय है । जब कभी कोई उनकी किसी वस्तु को अच्छी कहता है तो वे तत्काल उस वस्तु को प्रशंसक को सस्नेह भेंट कर देते हैं । चाहे फिर उन्हें परेशानी उठानी पड़े । उनकी मान्यता है कि यह उनकी संस्कृति है और ऐसा करने में उ विशिष्ट आनन्द की अनुभूति होती है तथा जो प्रशंसक की, वस्तु के प्रति लालची, वह भी उसे मिल जाने से शांत हो जाती है ।

(८) ब्रह्म भावना का अभ्यास करें। भावना चार प्रकार की होती है। प्रथम-दानवी—जिसमें दूसरे की वस्तु भी अपनी बनाली जाती है। दूसरी मानवी—जिसमें दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं बनाई जाती पर अपनी वस्तु को अपनी मान दूसरे को नहीं देना। तीसरी दैवी भावना होती है जिसमें अपनी वस्तु भी दूसरे के लिए दे दी जाती है। चौथी ब्रह्म भावना सर्वोत्तम है। इसमें वस्तु न मेरी है न किसी अन्य की है। मेरा तो सिर्फ मेरा ज्ञानदर्शन है, ऐसा उत्तम चित्तन होता है जिससे वस्तु के प्रति रही मूर्च्छा सर्वथा समाप्त हो जाती है। चारों भावनाओं के चार उदाहरण प्रस्तुत हैं। दानवी भावना के कौरव, मानवी भावना के पाण्डव, दैवी भावना के मर्यादा पुरुषोत्तम राम और ब्रह्म भावना के भगवान् महावीर आदर्श उदाहरण हैं। ब्रह्म भावना परिग्रह के लिए ब्रह्म अस्त्र समान है।

(९) तीन मनोरथ का चिन्तन करें। श्रावक की जीवनचर्या का यह महत्त्वपूर्ण सूत्र है। इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। मात्र नित्य चित्तवन करना होता है और भाव सहित चित्तवन से महान कर्मों की सहज निर्जरा होती है व इसके प्रभाव से अपरिग्रह की साधना को विशेष बल एवं गति मिलती है। तीन मनोरथ इस प्रकार हैं।

(i) वह शुभ दिन मेरे परम कल्याण का होगा जब मैं नव प्रकार के बाह्य एव चौदह प्रकार के आभ्यन्तर परिग्रह से निवृत्त होऊँगा।

(ii) वह शुभ दिन मेरे परम कल्याण का होगा जब मैं ६ काया का आरम्भ त्याग कर द्रव्य से मस्तक व भाव से मन को मुण्डित कर पंच महाव्रत एव पाँच समिति, तीन गुप्ति का शुद्ध आराधक निर्ग्रथ साधु बनूँगा।

(iii) वह शुभ दिन मेरे परम कल्याण का होगा जब मैं आलोचना निन्दा करके, अठारह पाप तथा चारों आहार का त्याग करके सलेखना सथारा सहित समाधि मरण को प्राप्त करूँगा।

(१०) अनासक्त होने हेतु इस सूत्र को सदा ध्यान में रखे—आता है जो आने दे, जाता है जो जाने दे, और होता है जो होने दे।

अपरिग्रह साधना के लाभ

(१) सुख, शान्ति व धर्म की सिद्धि—‘उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा है ‘सो ही उज्जुय भूयस्स, घम्मो सुइस्स चिट्ठु’ धर्म वही टिकता है जहाँ गेती है। सरलता भाव परिग्रह के त्याग से आती है। परिग्रह ज्यों-ज्यों जाता है, प्राणी को सुख, शान्ति व धर्म की त्यो-त्यो उपलब्धि एवं उसकी

होती है। द्रव्य एवं भाव परिग्रह में सबका मूल लोभ परिग्रह है। लोभ वृत्ति ज्यो-ज्यो साधना के द्वारा कम होती है, आरम्भ-परिग्रह स्वभावतः कम होकर छूटते जाते हैं। इनके कम होने पर सुख, शान्ति व धर्म की उपलब्धि जीवन में बढ़ती जाती है।

(२) स्व-पर कल्याण का हेतु—अपरिग्रह की साधना में स्व-पर व समग्र विश्व का हित सन्निहित है। जैन धर्म अपरिग्रह प्रधान होने से ही इसे आचार्य समन्त भद्र ने 'सर्वोदय तीर्थ' कहा है। किन्तु यह विशेषता तभी सार्थक है, जब जैन धर्मानुयायी अपरिग्रह को कथनी के साथ जीवन में लाते हैं।

(३) मुक्ति का द्वार—परिग्रह नरक और अपरिग्रह मुक्ति का द्वार है। 'ठाणाग सूत्र' के ठाणा ४ में नरक के चार कारणों में एक कारण परिग्रह को भी बताया है। जबकि 'कषाय मुक्ति किल एव मुक्ति' कह-कहकर कषाय जो आन्तरिक परिग्रह है, के त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होना बताया है। इसके विपरीत परिग्रही कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता।

(४) सद्गुणों की सहज उपलब्धि—अपरिग्रह साधना से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और सभी गुण सहज में उपलब्ध हो जाते हैं। कारण अपरिग्रह साधना से आसक्ति छूट जाती है और आसक्ति छूट जाने से मोक्ष मार्ग में गति करने में सहायीभूत सभी आत्मिक गुण स्वतः प्रगट होने लगते हैं।

(५) सच्ची स्वाधीनता की प्राप्ति—परिग्रह बड़ा बंधन है। ससार में जीव को कैद कर रखने वाला परिग्रह ही है। उर्दू कवि असगर ने परिग्रह को फंदे में फसना बताते हुए कहा है—

“फंदे में फसना चाहे तो जा दाम की तरफ ।

आराम अगर चाहे तो आ राम की तरफ ॥”

अपरिग्रह साधना से ही इस महाफंदे से मुक्त हुआ जा सकता है और मुक्त होने पर जो सच्ची स्वाधीनता की अनुभूति होती है, इसके सुख के आगे ससार का सभी सुख तुच्छ और नगण्य है।

(६) सर्व दुःखों से छुटकारा—'सूत्रकृताग सूत्र' में कहा है—जो मनुष्य सजीव या निर्जीव या थोड़ी या अधिक वस्तु को परिग्रह बुद्धि से रखता है या पर को रखने की आज्ञा देता है, वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता। इसके विपरीत अपरिग्रह साधना से, मूर्च्छा भाव न रहने से सजीव या निर्जीव, थोड़ी या अधिक वस्तु का संयोग या वियोग दुःख उत्पन्न नहीं कर सकता। क्योंकि सुख-दुःख वस्तु में नहीं, मूर्च्छा-अमूर्च्छा भाव से सम्बन्धित होते हैं। वस्तुतः सुख पर-पदार्थों में है भी नहीं। यदि पर-पदार्थों में सुख होता तो एक पदार्थ एक समय सुख का

और दूसरे समय वही दुःख का कारण क्यों बन जाता है ? इस पर एक उदाहरण प्रस्तुत है ।

एक बार एक योगी के पास चार व्यक्ति पहुँचे । उनकी सेवा से प्रसन्न हो योगी ने पूछा—तुम्हें क्या चाहिए ? एक ने कहा—मुझे धन चाहिए ! दूसरे ने कहा—मुझे सुन्दर स्त्री चाहिए ! तीसरे ने कहा—मुझे पुत्र चाहिए ! चौथे ने कहा—मुझे यश चाहिए ! योगी ने चारों को तथास्तु कह कर आश्वस्त किया । योगी कुछ वर्षों बाद पुनः उसी नगर में आया । चारों व्यक्ति योगी की सेवा में पुनः पहुँचे । योगी ने पूछा—आप लोग अब तो सुखी हैं ? पहिला बोला—आपकी कृपा से धन तो बहुत मिल गया पर उसकी रक्षा की चिन्ता में रात-दिन दुःखी हूँ । नीद नहीं आती । दूसरे ने कहा—सुन्दर स्त्री तो मिल गई पर उसके संसर्ग से ऐसा रोग लगा कि जिन्दा रहना दूभर हो गया । तीसरे ने कहा—पुत्र तो हो गया, पर आज्ञाकारी नहीं और उसके दुराचारी होने से दुःखी हूँ । चौथे ने कहा—यश तो बहुत मिल गया पर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से बहुत परेशान हूँ । योगी ने समझाया—सुख पर पदार्थों में नहीं । उनसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता । सच्चा सुख आत्मा में है जो सन्तोष धारण करने से मिलता है । योगी अकिंचन होकर भी बड़े सुखी होते हैं, क्यों ? कहा है—

“तीन टुक कोपीन के, बिन भाजी बिन लूण ।
जो मन में सन्तोष है, इन्द्र विचारा कूण ?”

(७) सबको अभय और निर्भोकता मिलती है - परिग्रह समस्त चिताओं की जड़ और अशरणभूत है । प्रमादी पुरुष धन संग्रह से इस लोक या परलोक में (त्राण) रक्षण नहीं पाता । धन को 'सूत्रकृताग सूत्र' में मांस के टुकड़े की उपमा दी है । जैसे मांस को स्थल पर सूअर, कुत्ते, बिल्ली आदि का, जल में मगरमच्छ, घड़ियाल आदि का और नभ में गिद्ध, चील, वाज आदि पक्षियों का भय बना रहता है और सर्वत्र असुरक्षित रहने से चिन्ता पैदा करता है, वैसे ही परिग्रह सर्वत्र भय, असुरक्षा और चिन्ता का कारण है । परिग्रही को सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कोट, किले, अग रक्षक आदि होने पर भी चैन नहीं मिलता है । जबकि अपरिग्रही जंगल में अकेला होने पर भी निश्चित और निर्भय रहता है । कवि की भाषा में उसे—

“न च चोर भय, न च राज भय, न च लोक भय न च काल भयं ।
इह लोक सुख, परलोक हितं, श्रमणत्व इदं परमत्व सुखम् ॥”

(८) सन्तोष रूपी कल्पवृक्ष की प्राप्ति—जैसे अग्नि में घृत डालने में वह तृप्त नहीं होती वैसे ही ज्यो-ज्यो धन का लाभ होता है, परिग्रह रूपी दानव की भूख-प्यास और बढ़ती है । शास्त्रकार कहते हैं—“जहा लाहो, तहा लोहो

लाहो लोहो पवड्ढइ ।” अर्थात् ज्यों-ज्यों लाभ में वृद्धि होती है, त्यों-त्यों लोभ बढ़ता जाता है । वस्तुतः तृष्णा अमर बेल है जो बिना सन्तोष के बढ़ती ही जाती है । अपरिग्रह की साधना से सन्तोष रूपी कल्पवृक्ष पैदा होता है जिसकी प्राप्ति पर कोई इच्छा शेष नहीं रहती है ।

(६) प्राणी मात्र से मैत्रीभाव होता है—ससार में वैर विरोध का मूल राग-द्वेष है जो आभ्यन्तर परिग्रह है । अपरिग्रह साधना से रागद्वेष का क्षय होता है जिससे प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीभाव स्थापित होता है । मैत्री भाव से अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है और दूसरे प्राणी भी जो सम्पर्क में आते हैं उन्हें भी आनन्द एवं आत्मीयता की अनुभूति होती है । शत्रु भी मित्र हो जाते हैं । वास्तव में कोई किसी का शत्रु नहीं है । सभी आत्माएँ परमात्म स्वरूप हैं, किन्तु हमारी आन्तरिक द्वेष वृत्ति ही दुश्मनी पैदा करती है । कहा है—

“हमारे अन्दर के दुश्मन ही दुश्मनी बढ़ाते हैं ।
बाहर के व्यक्ति तो निमित्त बन जाते हैं ॥”

अपरिग्रह साधना से ज्यों-ज्यों रागद्वेष क्षय होते हैं त्यों-त्यों ‘मिति मे सव्व भुएसु वरं मज्ज न केणइ’ की प्रशस्त भावना जीवन में चरितार्थ होकर जीवन को अलौकिक आत्मिक आनन्द से प्रफुल्लित कर देती है ।

आज के भौतिक विज्ञान प्रधान युग में व्यक्ति की आकाशाँ और आवश्यकताएँ असीम बढ़ती जा रही हैं । फलतः ‘पैसा’ उसके लिए परमेश्वर हो गया है । उसका लक्ष्य एक मात्र अधिक से अधिक अर्थ उपार्जन का हो गया है । वह मात्र पैसे का पुजारी रह गया है ।

भौतिकवाद की बढ़ती दौड़ ने मात्र श्रावक वर्ग को ही प्रभावित नहीं किया है, वरन् श्रमणों पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव हुआ है । उदाहरण के लिए बहुमूल्य वस्त्रों, उपकरणों का सग्रह, वातानुकूलित वगलो में आवास करना, भोजन में अताहारी पताहारी आहार की गवेषणा की प्रथा का लुप्त हो जाना तथा राजपिण्ड जैसे वादाम पिष्टे आदि से निर्मित सरस व गरिष्ठ आहार अकारण ग्रहण करना और ‘एग भत्त’ की जगह सुबह से शाम तक गोचरी लाना व भोगना आदि-आदि श्रमणाचार के प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ श्रमणों में भी अपरिग्रह व्रत में शिथिलता आने का सकेत है ।

श्रावकाचार तो परिग्रह के प्रदूषण से इतना प्रभावित हुआ है कि आज उनके अधिकांशत धार्मिक अनुष्ठान भी सदोष होते हैं । बाहर से सभी द्रव्य क्रियाएँ निर्दोष करते हैं किन्तु अन्तर भावों में सांसारिक स्वार्थ सम्बन्धी चिन्तन की प्रधानता रहती है । श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज ने इस तथ्य को बड़े स्पष्ट शब्दों में विवृत्तमान भगवान् की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा है—

“श्रवणगुण ढांकन काज करूँ जिनमत क्रिया,
दृष्टि रागनो पोल तेह समवित गणु ।
स्याद्वादनी रीत न देखुँ निजपणुं,
बिरहमान भगवान सुणो मुझ विनती ।
जगतारक जगन्नाथ अहो त्रिभुवन पति ॥”

श्रावक सामाजिक, पौषध, संवर, दया आदि अनुष्ठानों में बाह्य परिग्रह का त्याग तो सरलता से कर देता है, साधु जैसा भेष भी अपना लेता है किन्तु अन्तर का भाव परिग्रह उसे धर्म साधना में स्थिर नहीं होने देता । कवि कहता है—

“परिग्रह बाहर नहीं अन्दर है, इसी से यह बवण्डर है ।
जिसकी इसके प्रति उदासी है, वह गृहस्थ होकर भी संन्यासी है ।”



त्याग की महिमा

कटक से कुछ दूर एक गाँव में बापू का भाषण हो रहा था । भाषण समाप्ति के पश्चात् बापू ने हरिजन-फंड के लिए चढ़ा मांगा । तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लडका मंच के पास आया और उसने एक लम्बा ताजा काशी-फल सामने रख दिया । गांधीजी ने उसे स्वीकार करते हुए पूछा—“कहाँ से लाये ?”

“मेरे छप्पर पर इसकी बेल है बापू ।”

“इसे मुझे दे रहे हो फिर सब्जी किसकी बनाओगे ?”

“माँ ने कहा है कि इसे महात्माजी को दे आना । आज हम लोग बिना साग के काम चला लेंगे ।”

गांधीजी की आँखें भर उठी । हृदय गद्गद् हो उठा । फिर सभा को सम्बोधित करते हुए बोले—“बन्धुओ, हमारा देश हजारों वर्षों से विदेशी आक्रमणों का सामना करते हुए भी टिका हुआ है । उसका कारण यह त्याग की शक्ति ही है । खुद न खाकर दूसरों को दे देने की भावना से ही दुनिया में मान-वता टिकी हुई है ।”

प्रभु महावीर ने सतत साधना और चिन्तन द्वारा मानव जाति के समक्ष सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्त, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर लोक-कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त किया।

भगवान् महावीर के चिन्तन में जितना महत्त्व अहिंसा को मिला, उतना ही अपरिग्रह को भी। उन्होंने जहाँ-जहाँ हिंसा का निषेध किया, वहाँ-वहाँ परिग्रह का भी। उन्होंने बताया कि परिग्रह एक वृत्ति है। यह प्राणी की अन्तरंग चेतना की एक अशुद्ध स्थिति है। अतः जब चेतना बाह्य वस्तुओं में आसक्ति, मूर्च्छा तथा ममत्व भाव का आरोप करती है तभी परिग्रह वृत्ति आती है। इस वृत्ति से सचय की प्रवृत्ति बढ़ती है। उचित-अनुचित का विवेक किये बिना व्यक्ति इच्छाओं के वशीभूत होकर वस्तुओं को जकड़ लेना, पकड़ लेना, जमा करना चाहता है। उनका मर्यादाहीन, गलत व असामाजिक रूप से उपभोग करता है। इस प्रकार की संग्रह वृत्ति से व्यक्ति दुःखी बनता है। संग्रह से संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ती है।

आज का व्यक्ति येन-केन प्रकारेण धन इकट्ठा करना चाहता है। अधिक कमाने के लिए जमाखोरी, मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, घोखा-धड़ी, मिलावट, हत्या आदि राष्ट्र विरोधी अनैतिक कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाता। उसकी धन के प्रति तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि वह अपनी पाँच-दस पीढ़ियों के लिये धन इकट्ठा करना चाहता है। परिणाम यह हो रहा है कि समाज में घोर विपमता पैदा हो गई है। एक ओर बड़ी-बड़ी हवेलियाँ हैं जिनमें प्रचुर भोग-विलास की सामग्री भरी पड़ी है, दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी है जिसके पास पेट भरने को रोटी नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं। इस सामाजिक विपमता से वर्ग-संघर्ष बढ़ता है। आज इसीलिये सर्वत्र भय और अशांति का वातावरण बना हुआ है। महावीर ने इस प्रकार की विपम स्थिति को देखा था। उनका हृदय बार-बार कर्षणा से ओतप्रोत हो उठता था। इस विपमता से मुक्ति दिलाने के लिये ही उन्होंने अपरिग्रह का सदेश दिया।

आज विश्व में चारों ओर जो अशांति के वादल मड़रा रहे हैं और मनुष्य मनुष्य के बीच वैर-विरोध बढ़ रहा है, यदि उसके कारणों पर गम्भीरतापूर्वक

विचार किया जाय तो पता चलेगा कि उसके मूल में मानव की अनन्त इच्छा है। इन इच्छाओं का अन्त कहाँ ? चाहे उसे विश्व के सारे पदार्थ मिल जाये तो भी उसकी इच्छा और प्राप्त करने की रहेगी। प्रभु महावीर के शब्दों में—

“सुवण्ण रूवस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलाससमा असंख्या ।
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि, इच्छाहु अगाससमा अणतया ॥”

यदि कैलाश पर्वत जितने बड़े सोने-चाँदी के अणुगिनत ढेर हो, तो भी लोभी मन उनसे संतुष्ट नहीं होता। इच्छाएँ आकाश की तरह अनन्त होती हैं।

इच्छाओं का यह अतिरेक ही व्यक्ति को अप्रामाणिक और भ्रष्ट बनाता है। ससार में जितने भी पाप होते हैं, उनके मूल में यही इच्छा वृत्ति है। इसी से अधिकार लिप्सा और ममत्व बुद्धि का जन्म होता है। प्रभु महावीर ने वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति इस ममत्व बुद्धि को ही परिग्रह बतलाया है—मुच्छा परिग्गहवुत्तो ।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना होगा कि इच्छा और आवश्यकता में अन्तर है। आवश्यकता है शरीर की और इच्छा है मन की। शरीर को बनाये रखने के लिए आवश्यकता है पौष्टिक आहार की, ग्रीष्म-शीत से बचने के लिए योग्य वस्त्र तथा हवा-पानी से युक्त आवास की। आवश्यकता की पूर्ति करनी पडती है। यह परिग्रह नहीं है। परिमाण करने का विषय है इच्छाएँ जो अबाध छोड़ने पर कभी तृप्त नहीं होती। भारत की वर्तमान स्थिति को देखा जाये तो सारा दृश्य अमर्यादित इच्छाओं की कुत्सा को प्रतिबिम्बित करता है। जिसके पास धन, सत्ता, अधिकार अधिक है, वह अपने आपको बड़ा समझ कर दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखता है। अभावग्रस्त लोग अपने से अधिक समृद्ध व्यक्ति को देखकर ईर्ष्याविश जलते रहते हैं। लोगों के मन में द्वेष, घृणा, कलह, विरोध, सघर्ष, भेद-बुद्धि व अशांति की ज्वाला सुलग रही है।

शांतिपूर्ण, चिन्ता मुक्त जीवन जीने के लिये प्रभु महावीर ने मानव जाति को अपरिग्रह का सिद्धान्त बताया है। जिसका अर्थ है जीवन में निस्पृहता आये, वस्तुओं पर से आसक्ति घटे, आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह न हो, इसके लिए इच्छाओं का नियमन आवश्यक है। इच्छाएँ सीमित होंगी तो चिन्ता और अशांति भी कम होंगी। इस दृष्टि से गृहस्थ के लिए प्रभु महावीर ने इच्छा परिमाण व्रत का उपदेश दिया। सद्गृहस्थ यह निश्चय करता है कि मैं इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूँगा। इच्छा परिमाण एक प्रकार में स्वामित्व-विसर्जन की प्रक्रिया है। महावीर के समक्ष जब वैजाली का आनन्द श्रेष्ठी इच्छा परिमाण व्रत का सकल्प लेने उपस्थित हुआ, तो महावीर ने कहा—
तुम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो। अपार नावन-भाग्यी तुम्हारे हैं, उसका पूर्ण रूप में नहीं तो, उचित सीमा में विसर्जन करो। एक

आधक धन, वस्त्र, वर्तन आदि पर अपना अधिकार मत रखो, आवश्यकता से अधिक स्थान, मकान, भूमि पर अपना स्वामित्व मत रखो । इसी प्रकार पशु, नौकर-चाकर आदि को भी अपने सीमाहीन अधिकार से मुक्त करो ।

स्वामित्व विसर्जन के लिए प्रभु महावीर की यह सात्विक प्रेरणा थी, जो समाज में सम्पत्ति के आधार पर फैली अनर्गल विषमताओं का प्रतिकार करने में सफल सिद्ध हुई । मनुष्य जब आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति व वस्तु के सग्रह पर से अपना अधिकार हटा लेता है तो वह समाज और राष्ट्र के लिए उन्मुक्त हो जाती है जिससे समाजवादी प्रक्रिया प्रारम्भ होती है ।

श्रमण भगवान् महावीर के परिग्रह और अपरिग्रह के दृष्टिकोण को वर्तमान युग में महात्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रायोगिक रूप दिया ।

उन्होंने कहा—जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, उसे जिसके अधिकार में वह है, उसके पास से उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है । अनावश्यक एक भी वस्तु न लेना चाहिए । मन से हमने किसी की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा की या उस पर झूठी नजर डाली तो वह चोरी है । गांधीजी के विचार में सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे घटाना है । ज्यों-ज्यों परिग्रह घटाएँगे, त्यों-त्यों सच्चा सुख और सच्चा सतोष बढ़ता है—सेवा शक्ति बढ़ती है । गांधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त इसी बात पर बल देता है कि तुम अपने धन के मालिक नहीं ट्रस्टी हो, संरक्षक हो । जो धन तुम्हारे पास है, वह समाज का है । समाज के कल्याण में इसका उपयोग होना चाहिए ।

इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान् महावीर का अपरिग्रह सिद्धान्त व्यक्ति को ममत्व बुद्धि से हटाकर, समाज सेवा और समता भाव की ओर ले जाता है । उन्होंने सम्प्रदायवाद, सकीर्ण विचार, अहंकार, लोभवृत्ति, क्षोभ, मायाचार आदि जीवन की कमजोरियों को भी परिग्रह कहा है । जब व्यक्ति बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के परिग्रहों से दूर हटता है तभी वह सच्चा इन्सान बनता है । प्रभु महावीर का अपरिग्रह संदेश मानवीय संवेदना जागृत कर प्राणी मात्र के प्रति समता भाव स्थापित करने पर बल देता है ।

सक्षेप में, भगवान् महावीर के अपरिग्रह-संदेश की तीन मुख्य बातें हैं ।

१. तुम अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का सग्रह मत करो ।
२. अपनी आवश्यकताओं को भी कम करो ।
३. जो साधन-सामग्री तुम्हारे पास है, उसका स्वयं के उपभोग के लिए कम-से-कम उपयोग करो तथा जनकल्याण के लिए उसका स्वेच्छापूर्वक अधिक-से-अधिक वितरण करो । □

‘नीतिशतक’ में एक पद्य में भर्तृहरि ने परिग्रह को तुच्छ कहा है। अनुप-युक्त वस्तुओं का संग्रह ही परिग्रह है। कई व्यक्ति इसी वृत्ति से अनेक वस्तुओं का संग्रह करने में कार्यरत होते हैं। ऐसी संगृहीत वस्तुएँ कालक्रम से कीट आदि से नष्ट होती हैं या चोर की नजर में भी आ जाती हैं। महात्मा ईसा ने अतएव कहा है कि यदि वस्तुओं का संग्रह करने की इच्छा हो तो उनका संग्रह परलोक में करे जिससे कोई नुकसान न हो सके।

विवेकयुक्त मानव परिग्रह नहीं करते हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि परिग्रह क्षमता का शत्रु है, अतृप्ति का मित्र है, मोह का आराम स्थान है, पाप की खान है, आपत्ति का स्थान है, व्याकुलता का निधान है, शोक का हेतु है, और क्लेश का क्रीडागण है। संगृहीत वस्तु को अच्छी तरह सम्भालने की चिन्ता हमको दुःख देती है। संग्रह वृत्ति का यह अमंगल परिणाम है। संग्रह करने से मन वहाँ आसक्त रहता है। मन की एकाग्रता नष्ट होती है। अतः परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह का स्वीकार करना चाहिए। किन्तु ईसा ने कहा है कि परलोक में संग्रह करना चाहिये। वहाँ जिसका संग्रह हम कर सकते हैं वे हैं—सदाचार, प्रामाणिकता, जनकल्याण आदि। ईसा की आज्ञा का पालन करने से जगत की अशांति रूप परिग्रह का नाश होगा।

अपरिग्रह का सम्बन्ध अस्तेय के साथ भी है। सत्य शोधक अहिंसक व्यक्ति कभी परिग्रह नहीं करेगा। आवश्यक वस्तुओं के लिए हम चिन्ता करते हैं किन्तु भक्तगण ऐसी चिन्ता कभी नहीं करते हैं।

घनाढ्य के घर पर अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह होता है। वे नष्ट होती जाती हैं किन्तु गरीब लोग इन वस्तुओं के अभाव से भूखे मरते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक वस्तु का ही संग्रह करे तो किसी को अभाव का सामना करना नहीं पड़ेगा।

परिग्रह को पाप का मूल माना जाता है, किन्तु नमाज में परिग्रह करने की प्रक्रिया देखी जाती है। मानव जिन्दगी का ध्येय धन प्राप्त करने का है, ऐसा किसी ने नहीं कहा है, किन्तु धन निकम्मा है ऐसा कहने में दम्भ होता है

क्योंकि मानव के लिए और जनसमाज के कल्याण के लिए धन उपयोगी अवश्य है। 'सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते' ऐसा कथन भी सत्य नहीं और 'सर्वे दुर्गुणाः कांचनमाश्रयन्ते' ऐसा कथन भी उपयुक्त नहीं।

परिग्रह की विषमता कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अपनी मर्यादा बाध कर जो अधिक धन बचता है उसका उपयोग धर्म कार्य के लिये करना चाहिये। यदि इस तरह का व्रत लेना मुश्किल हो तो दान देना सरल मार्ग है। परिग्रह के पाप का प्रायश्चित्त दान देने से कम अवश्य होता है।

आत्यन्तिक अपरिग्रह तो कोई अवधूत ही कर सकता है। सामान्यजन को प्रतिदिन परिग्रह वृत्ति की परीक्षा करनी चाहिये और परिग्रह को कम करना चाहिये। गांधीजी ने भी कहा है कि परिग्रह कम होने से सुख, सन्तोष और सेवा करने की भावना में वृद्धि होती है।

वस्तु के बारे में अपरिग्रह आवश्यक है, इसी तरह विचार का अपरिग्रह भी आवश्यक है। मगज (मस्तिष्क) में निरर्थक ज्ञान भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विचार हमको ईश्वराभिमुख नहीं बनाता है वह परिग्रह की कोटि में ही आता है। अतः अपरिग्रह का हमारे जीवन में बहुत लाभकारी स्थान है।

अपरिग्रही दम्पती

राँका और बाँका पति-पत्नी थे। वे ईश्वर के बड़े भक्त थे। सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे सर्वथा निःस्पृह थे। एक बार भगवान् ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी।

एक दिन वे लकड़ी लाने के लिये जंगल को जा रहे थे। पति आगे-आगे चल रहा था और पत्नी पीछे-पीछे आ रही थी। मार्ग में किसी वस्तु पर राँका को ठोकर लगी। उसने देखा—सोने की मोहरों से भरी थैली खुली पड़ी है। वह उसे देख कर जल्दी-जल्दी धूल डाल कर उसे ढकने लगा। इतने में बाँका आ पहुँची। उसने पति से पूछा—“क्या कर रहे हो?” राँका ने पहले तो नहीं बताया, पर विशेष आग्रह करने पर कहा—“सोने की मोहरें थीं। मैंने समझा, इन पर कहीं तुम्हारा मन न चल जाए, इसलिए इन्हें धूल डालकर ढक रहा था।”

बाँका ने हस कर कहा—“वाह, धूल डालने से क्या लाभ है? सोने और धूल में भेद ही क्या है, जो आप इन मोहरों को ढक रहे हैं।”

पति से भी पत्नी अधिक निःस्पृही लगी।

ऐसा था अपरिग्रह दाम्पत्य जीवन राँका-बाँका का।

आत्मा शाश्वत सुख की अनुभूति कर्म-मुक्त होने के बाद ही कर सकती है। 'मुक्ति' का वाच्य अर्थ है—छुटकारा। मोक्ष भी मुक्त दशा को कहा जाता है। मिथ्यात्व आत्मा का सबसे बड़ा एवं प्रगाढ बन्धन है। उसके जाल से छुटकारा पाना ही मुक्तावस्था का प्रारम्भ है। अष्टविध कर्मों में मोह कर्म सभी कर्मों का राजा है। मोहनीय कर्म की जो अट्टावीस प्रकृतियाँ हैं, उनमें से एक मिथ्यात्व प्रकृति भी है।

ऊपर की ओर उठना, यह आत्मा का स्वभाव है, धर्म है। आत्मा जब स्व-स्वभाव में स्थित होती है, तब वह ऊपर की ओर चढ़ती है। चढ़ना क्षेत्र की दृष्टि से भी होता है। जैसे—सातवीं नरक से ऊपर चढ़ते-चढ़ते 'मनुष्य' गति में आ जाना। आत्मा इस प्रकार—क्षेत्र और गति इन दोनों की अपेक्षा से ऊपर की ओर चढ़ती है। "गुणस्थान" की दृष्टि से भी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। आत्मा 'मिथ्यात्व' नामक प्रथम गुणस्थान से 'अविरति सम्यग्दृष्टि' नामक चतुर्थ गुणस्थान में आती है। चौथे से पाचवे, छठे, सातवे—इस प्रकार वह भव्य आत्मा उत्तरोत्तर ऊँची चढ़ती जाती है। गुणस्थान की दृष्टि से आत्मा ऊपर की ओर तो अवश्य चढ़ती है, किन्तु क्षेत्र अर्थात् स्थान की अपेक्षा से वह वही की वही रहती है। मात्र उस आत्मा की स्थिति-परिस्थिति में बदलाव आता है। आत्मा उन्नत अवस्था में पहुँच जाती है, उच्च भूमिका पर अवस्थित हो जाती है। पाप उस उन्नत-अवस्था से—आत्मा को पतित कर देता है, उसे गिरा देता है।

अठारह प्रकार के पापों में पाँचवा पाप परिग्रह है। परिग्रह का अर्थ है किसी भी वस्तु की पूरी पकड़ होना और यह वह पकड़ है, जिसको दूसरे को देना, हम स्वयं भी समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि हम किसी के द्वारा दिये हुए हैं। जो वस्तु हमारे अधिकार में है, हमारी इसके प्रति जो आसक्ति है, ममता है, वही परिग्रह है। आसक्ति का अपर नाम 'मूर्च्छा' भी है। मूर्च्छा के प्रति रहे हुए ममत्व भाव को परिग्रह कहा है। मूर्च्छा को ही परिग्रह माना गया है। यह आसक्ति अथवा मूर्च्छा भाव ही आत्मा को वस्तुओं के आसक्त कर रखती है। जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है, वह कहीं पर भी पड़ी हुई है, कितना ही बड़ा अन्तर क्यों न हो, डोरी और शृंखला के आसक्त में भी वही

हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसे खींच लेती है। दूरस्थ वस्तु की सहसा रूप से स्मृति आते ही हम सब कुछ छोड़कर उसकी उपलब्धि के लिये प्रलम्ब यात्रा के लिये कटिबद्ध हो जाते हैं। इसी आसक्ति या आकर्षण को बन्धन कहा जाता है। कभी-कभी तो यह बन्धन इतना अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है कि वह हमें गहरी चिन्ताओं की प्रचण्ड ज्वालाओं से जला डालता है। हम अर्हनिश अशान्त रहने लगते हैं। जो वस्तु हमें प्राणों से भी प्यारी है, कोई उस पर अपना आधिपत्य न जमा ले, उसे नष्ट न कर दे, विकृत न कर दे, वह वस्तु मूल्यवान् रत्न हो, भव्य भवन हो, पुत्र हो, मित्र हो, कोई भी हो और कुछ भी हो। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हमारे अधिकार में भी नहीं है, और वह वस्तु हमारे से सम्बन्धित नहीं है। किन्तु दूसरों की है, दूसरों के अधिकार में है, उस वस्तु की उपलब्धि के लिये लालायित रहना, अर्हनिश उसी के चिन्तन में डूबे रहना, आदि-आदि 'वांछा' कहलाती है। वांछा का बन्धन भी एक बड़ा बन्धन है। निष्कर्ष यह है कि वस्तु के असद्भाव में उसकी आकांक्षा-इच्छा करना 'वांछा' है और सद्भाव में उसके प्रति आसक्ति रखना 'ममत्व' है।

जो सम्यग्दृष्टि व्यक्ति है, वह इस प्रकार वांछा का परिग्रह भी नहीं रखता है। वह यही विचार करता है कि जो वस्तु मेरी नहीं है, उसको प्राप्त करने हेतु अभिलाषा क्यों करूँ ? परिग्रह के पाप को देखते हुए मुझे अपनी वस्तु का भी त्याग करना पड़ेगा। फिर भला अन्य की वस्तु को चाहना, मेरे लिये कथमपि उचित नहीं है। ममता और वांछा इन दोनों के प्रगाढ़ बन्धन से छुटकारा पाकर अपने आत्म-स्वरूप में रमण करना ही मेरा कर्तव्य है।

परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द है—अपरिग्रह ! मानव-जीवन की सफलता और विफलता क्रमशः अपरिग्रह और परिग्रह इन दोनों को भली-भांति समझने में सन्निहित है। एक में जीवन का कल्याण है, निर्माण है, और उत्थान है तो दूसरे में जीवन का पतन है, विनाश है। जो व्यक्ति विवेकशील है, वह जीवन के उत्थान की दिशा की ओर प्रवृत्त होता है, अग्रसर होता है और विवेकहीन है, वह जीवन के पतन की ओर बढ़ता है। परिग्रह पतन का मार्ग है, इसीलिये कहा गया है कि विराट् विश्व के समस्त प्राणियों के लिये परिग्रह के समान दूसरा कोई जाल नहीं, बन्धन नहीं।^१ जो आत्माएँ परिग्रह-सग्रह वृत्ति में व्यस्त हैं, वे संसार में अपने प्रति वैर की ही अभिवृद्धि करती हैं।^२ जीवन की समस्त

१—नत्व एरिसो पासो पडिदवो अत्वि,
सव्व जीवाण सव्वलोए

२—परिग्रह निविट्ठाणं वेर तेनि पवड्ढई ।

—प्रश्न व्याकरण सूत्र १/५

—सूत्रकृतांग १/६/३

समस्याओं का, परितापों का, उलझनों का, अन्तर्द्वन्द्वों का, कर्मबन्धों का, और जीवन के निर्मम क्षणों के परिस्पन्दनों का इस अपरिग्रहवाद में यथार्थ समाधान निहित है। पर व्यक्ति समस्याओं का समाधान अपरिग्रहवाद में न खोजकर परिग्रहवाद में खोजता है। जिसके फलस्वरूप उसके दुःख-क्लेश की ग्रन्थियां सुलझने के स्थान पर और भी अधिक उलझती जाती है। उसका समूचा जीवन उनको सुलझाने में ही व्यतीत हो जाता है। वह उन विकट ग्रन्थियों की उलझन में स्वयमेव उलझकर अपने जीवन को भार रूप बनाता है।

यह सत्य है कि मानव को भोजन की, वस्त्र की, निवासस्थान की आवश्यकता रहेगी। वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि वह उनकी उपेक्षा करेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। अत्यावश्यक-आवश्यकताओं पर नियन्त्रण नहीं रखना है। इच्छा के विरोध और आसक्ति के निरोध पर बल देना चाहिए। आवश्यकताओं का जो क्षेत्र है, वह सीमित है, किन्तु इच्छाओं का क्षेत्र अनन्त है। जिस प्रकार एक अगाध-अपार महासागर में डेला फँकने से पहले एक लहर-चक्र, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा आदि अनेक चक्र स्वतः ही उत्पन्न होते जाते हैं, इसी प्रकार एक इच्छा अनेक इच्छाओं का उपक्रम आरम्भ कर देती है। इस इच्छा के अतिरेक का दूसरा नाम 'तृष्णा' भी है। इच्छा और तृष्णा इन दोनों का कही अन्त नहीं है। जिस प्रकार आकाश का कही अन्त नहीं है, उसी प्रकार इच्छाओं का भी अन्त नहीं है। यदि धन-धान्य से परिपूर्ण यह समूची सृष्टि किसी एक व्यक्ति को दे दी जाय, तब भी उसे सन्तोष होने का नहीं है, क्योंकि लोभी व्यक्ति की तृष्णा दुष्पूर होती है। अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि लाभ और लोभ के परिणाम-स्वरूप उपाजित किया हुआ धन क्या मानव को सुखी बनाने की सामर्थ्य रखता है? इस प्रश्न का उत्तर निषेधात्मक है। सुख अजित धन में नहीं है। वह तो त्याग में है। जो व्यक्ति ममत्व बुद्धि का त्याग कर सकता है, वही परिग्रह का त्याग करने में समर्थ हो सकता है।^१ और उसके जीवन का सुरम्य प्रासाद अपरिग्रह के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। उसके अन्तर्मन में सुख-शान्ति की सरस-सरिता प्रवहमान हो जाती है।



१—जे ममाद्भ्रं भद् जहाद्, ते जहाद् ममाद्भ्रं ।

अपरिग्रह—गाथा

मूल

लाभुत्ति न मज्जिज्जा,
अलाभुत्ति न सोइज्जा ।
बहुं पि लद्धुं न निहे,
परिगहाओ अप्पाणं अवसक्किज्जा ॥

—आचारांग १/२/५

अनुवाद

धन पाकर तुम गर्व करो मत,
नहीं मिले, तो शोक न भारी ।
अधिक मिले, तो संचय मत कर,
परिग्रह-वृत्ति नही सुखकारी ।

—बशीर अहमद 'मयूख'

□ □ □

जे पावकम्मेहि धणं मणुस्सा,
समाययन्ती अमयं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिये नरे,
वेराणुबद्धा नरयं उवेन्ति ॥

—उत्तराध्ययन ४/२

जो जन अमृत समझकर धन का,
पाप कर्म से संचय करते ।
छल-चोरी-मिथ्या-भाषण से,
अपनी सिर्फ तिजोरी भरते ।
उनके पास उन्ही की बेड़ी,
बन, समाज से वैर बढ़ाते ।
धन रह जाता, पर वे जीवन,
में ही नारकीय गति पाते ॥

□ □ □

वित्तेण ताणं ण लभे पमत्ते,
इममि लोए अदुवा परत्था ।
दीवप्पणट्टे व अणत्तमोहे,
नेयाउय दट्ठुमदट्ठुमेव ॥

—उत्तराध्ययन ४/५

पाप-कर्म से धन-संचय कर,
नर दुःखो से त्राण न पाता ।
किसी लोक में भी पहुँचे,
पर उसका पाप उसी को खाता ।
जैसे दीपक बुझ जाने पर,
भवन अंधेरे में खोता है ।
वैसे नर विवेक को खोकर,
नेत्र सहित अन्धा होता है ।

—डॉ. हरिराम आचार्य

□ □ □

परिग्रह का अर्थ है “परि ग्रहणं परिग्रह” अर्थात् चारो ओर से ग्रहण करना परिग्रह है। ग्रहण उसे ही किया जाता है जो सुखद प्रतीत हो। यह नियम है कि जिसे जो वस्तु सुखद लगती है वह उसका भोग करना चाहता है। सुख भोगने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है, अतः भोगी व्यक्ति भोग्य पदार्थों का संग्रह करता है, संग्रह परिग्रह ही है। प्राणी सुखद वस्तु को अपनाना चाहता है, यह अपनापन, मेरापन का भाव अर्थात् ममता ही परिग्रह का मूल है, बीज है। जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, वृक्ष में बीज विद्यमान रहता है, उसी प्रकार बिना ममता के परिग्रह नहीं होता। अतः जहाँ परिग्रह है वहाँ ममता है, जहाँ ममता है वहाँ परिग्रह है। भूमि-भवन, धन-धान्य, सोना-चादी, मुद्रा, पशु, खेत आदि द्रव्य, द्रव्य परिग्रह है। वृक्ष की तरह द्रव्य बाहर प्रकट होता है अतः उसे बाह्य परिग्रह भी कहते हैं और बीज के समान भाव भीतर अंतर में विद्यमान रहता है अतः उसे आभ्यन्तर परिग्रह कहते हैं। बाह्य परिग्रह आभ्यन्तर परिग्रह का द्योतक है। प्रकटीकरण है, व्यक्त रूप है। अतः जहाँ बाह्य परिग्रह है वहाँ आभ्यन्तर परिग्रह है। जैनागमो में बाह्य परिग्रह में खेत, वस्तु, धन-धान्य, धातुएँ, द्विपद-चौपद, पशु-दास, दासी कहे गये हैं। पशु के साथ दास-दासी इसलिए कहे गए हैं कि आगम काल में पशु के समान ही दाम-दासी भी खरीदे-बेचे जाते थे। राजकुमारी चदनवाला, राजा हरिश्चन्द्र के तारा आदि के उदाहरण इसके साक्षी हैं। आभ्यन्तर परिग्रह में कषाय-नोकषाय, राग-द्वेष कहे गये हैं। सक्षेप में कहे तो ममता के जितने भी भेद-प्रभेद हैं, वे आभ्यन्तर परिग्रह हैं। जहाँ मोह है वही परिग्रह है।

आभ्यन्तर परिग्रह अर्थात् मूर्च्छाभाव, मोह ही नहीं सकता। कोई भी वस्तु परिग्रह तब ही अधिकार की, स्वामित्व की भावना जुड़ी हो। है उस वस्तु को दूसरा कोई ले जाना चाहे दुकान में बैठे हैं या बाजार में जा रहे हैं। लगा है तो यह वस्तुओं का डेर परिग्रह नष्ट होने में या न होने से हमें सुख-दुःख

वह हजारों-लाखों वस्तुओं का ढेर भी हमारे लिए परिग्रह नहीं है, परन्तु हम जिस सुई को अपनी मानते हैं और वह खो जावे या उसे कोई ले जाये और हमें अखरे तो वह परिग्रह है। सुख राग का और दुःख द्वेष का द्योतक है। अतः जहाँ राग-द्वेष है वहाँ ही परिग्रह है। जिस वस्तु के न रहने पर दुःख होता है अर्थात् जिस वस्तु को हम अपने पास बनाये रखना चाहते हैं, दूसरा ले जाना चाहे या ले जावे तो हम रोकते हैं, दुःखी होते हैं, वह परिग्रह है।

बाह्य परिग्रह हो और आभ्यन्तर परिग्रह न हो यह कभी भी सम्भव नहीं है। यदि यह सम्भव होता तो तीर्थकर जैसे ज्ञानी घर द्वार का त्याग कर संयम ग्रहण न करते। कोई भी व्यक्ति बिना आसक्ति के भोग्य वस्तुओं का संग्रह कर नहीं सकता, रख नहीं सकता, कारण कि उस वस्तु की आवश्यकता लाखों व्यक्तियों को है और वे उसे लेने के लिए लालायित हैं। यदि उन्हें न रोका जाये तो अभी ले जाये। आवश्यकता अनुभव करने वाले उन लोगों को न ले जाने देना, उस वस्तु के प्रति राग होने का ही द्योतक है। जिसे जिस वस्तु का भोग नहीं करना है, वह उस वस्तु का न तो संग्रह करेगा और न किसी को उन वस्तुओं के ले जाने से रोकेगा। अतः संग्रह परिग्रह का ही दूसरा रूप है। संग्रह, परिग्रह, आग्रह समानार्थक ही है। वस्तु के संग्रह के समान अपनी बात या विचार मनवाने का आग्रह भी परिग्रह है। आग्रह में भी आसक्ति, ममत्वभाव समाहित रहता ही है।

परिग्रह अर्थात् भोग्य पदार्थ का सम्बन्ध भोग से है। भोग पाप है अतः परिग्रह भी पाप है। अठारह पापों में परिग्रह पाँचवा पाप है। और इस पाप का वर्णन करते हुए भगवान् ने खेत-वस्तु, धन-धान्य आदि का परिग्रह के रूप में नामोल्लेख स्पष्ट रूप से किया और इन वस्तुओं को स्वयं ने त्यागा और दूसरों को भी त्यागने का उपदेश दिया। यह नहीं कहा कि वस्तुएँ तो भले ही रहें, इनकी आसक्ति त्याग दो। अतः यह कहना कि वस्तुएँ भले ही बनीं रहे, उनकी आसक्ति त्याग दो—भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन है, परिग्रह का प्रकारान्तर से समर्थन है, धोखा है। कारण कि यह कभी सम्भव ही नहीं है कि कोई आसक्ति त्याग दे फिर भी भोग्य वस्तुओं का स्वामी बना रहे। स्वामित्व परिग्रह का ही द्योतक है। वस्तुओं के संग्रह या धन को प्रभु ने परिग्रह रूप पाप कहा है। कही पुण्य या धर्म नहीं कहा है। अतः पाप को पाप मानने में ही भला है। 'ठाणांग' में नौ प्रकार का पुण्य कहा है। उसमें देने को ही पुण्य कहा है। वस्तु संग्रह करने को नहीं है। देना, लेना (संग्रह करना) से विपरीत है।

पुण्य है प्राप्त वस्तुओं का भोग न कर-दूसरों की सेवा में उनका सदुपयोग करना। दूसरे शब्दों में कहे तो उस वस्तु के भोग से वचना व दान के रूप में उसका त्याग करना पुण्य है। सेवा में महत्त्व वस्तु का नहीं, वस्तु के त्याग का

है। कोई व्यक्ति वस्तुएँ अल्प मात्रा में दे या अधिक मात्रा में दे, अल्प मूल्य की दे या अधिक मूल्य की दे, उसमें महत्त्व उसकी करुणा या त्याग भावना का है। किसी के दबाव से, बिना भावना के दिया गया दान, दान नहीं दंड है।

उदाहरण के लिए एक करोड़पति व्यक्ति ने एक हजार का दान दिया और एक व्यक्ति जिसे चार रोटी की भूख है और उसके पास दो रोटी है, उसमें से भी दूसरे भूखे व्यक्ति को एक रोटी दे दी तो यह अधिक उच्च स्तर का दान है। कारण कि करोड़पति ने तो अपनी सम्पत्ति का दस हजारवां भाग अर्थात् ०.०००००० प्रतिशत का त्याग किया और दूसरे व्यक्ति ने पचास प्रतिशत त्याग किया। अथवा किसी ने सैकड़ों व्यक्तियों को मिष्ठान्न खिलाया, परन्तु खीभक्ते हुए, खिलाया और दूसरे ने रूखी-सूखी रोटी प्रेम से खिलाई तो खाने वाले को मिठाई तो जहर लगेगी और रोटी प्यारी लगेगी। तुलसीदासजी ने कहा भी है—

“आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन मे नेह।

तुलसी तहाँ न जाइये, कंचन वरसे मेह ॥”

सम्पूर्ण परिग्रह की जड़ है मिथ्यात्व अर्थात् जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी मानना अथवा विवेक विरोधी मान्यता। विषय भोग जो दुःख युक्त है, उन्हें सुखद मानना, पर से सुख चाहना, धन-धान्य आदि पर वस्तु के भोग की दासता को, पराधीनता को स्वाधीनता मानना, मिथ्यात्व है। यह नियम है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु से सुख भोग करने लगता है वह वस्तु उसे सत्य और प्रिय लगने लगती है। सत्य लगने से वह यह भूल जाता है कि वस्तु नाशवान है और प्रिय लगने से उसके प्रति ममता हो जाती है। जिस वस्तु से ममता हो जाती है उस वस्तु को वह प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त वस्तु को रखना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, उसका संग्रह करना चाहता है। इस प्रकार विषय में सुख है, इस भ्रान्त और मिथ्या मान्यता से ममताभाव, अपनत्व भाव उत्पन्न होता है, जो कामना और मूर्च्छा के रूप में प्रकट होता है। जो वस्तु अप्राप्य है उसकी चाह होना, उसके न मिलने पर दुःखी और मिलने पर हर्ष होना इच्छा, तृष्णा, कामना है। और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए चिन्तित होना, उसकी हानि की आशंका से भय होना, उसे अपना जीवन मानना, उसका वियोग होने पर दुःखी रहना मूर्च्छा है।

कामना की पूर्ति के लिए उद्यम करना आरम्भ है और कामना पूर्ति ने प्राप्त वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही परिग्रह है। यह आरम्भ-परिग्रह ही नमन्त दुःखों की जड़ है। नारकीय स्थिति पैदा करने वाला है। इसीलिए, इन नरक का कारण बताया है और आगम में आरम्भ-परिग्रह के त्याग के दिग्ग प्रतिदिन

भावना करने को श्रावक का प्रथम मनोरथ बताया है । परिग्रह का त्याग ही मुक्ति है । कहा भी है—

“कामानां हृदये वासः संसार इति कीर्तित ।

तेषा सर्वात्मा नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥”

अर्थात् मनीषिगण कहते हैं कि हृदय में कामनाओं की वासना ही संसार अर्थात् जन्म-मरण है । समस्त कामनाओं का नाश ही मोक्ष है । आशय यह हुआ कि ममता या परिग्रह का पूर्ण त्याग ही मुक्ति है ।

अब जानना यह है कि इच्छा उत्पन्न क्यों होती है ? कहना होगा कि 'सुख कामना पूर्ति में है' इस मान्यता से कामना उत्पन्न होती है । पूर्व जीवन के संस्कार के कारण जैसे-जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे-वैसे जगत् के पदार्थों का अधिक परिचय होता जाता है । जिन-जिन पदार्थों का परिचय होता जाता है उन-उन पदार्थों से सुख पाने की इच्छा की भी वृद्धि होती जाती है । इस प्रकार अवस्था के बढ़ने के साथ-साथ ही कामना की वृद्धि होती जाती है । कामना की वृद्धि के साथ-साथ ही जिन पदार्थों से कामना की पूर्ति होती है उन पदार्थों के संग्रह की इच्छा प्रबल होती जाती है । उस इच्छा की पूर्ति पदार्थों के संग्रह से की जाती है ।

प्राचीन काल में जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तब वस्तुओं की संख्याएँ सीमित थी । व्यक्ति सीमित वस्तुओं से परिचित था इसलिए उसकी संग्रह या परिग्रह वृत्ति भी सीमित थी परन्तु जैसे ही वैज्ञानिक युग आया, विज्ञान के आविष्कारों के द्वारा वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई वैसे ही उन पदार्थों की प्राप्ति और संग्रह की लालसा भी बढ़ती गई । परन्तु वस्तुओं की संख्या वर्तमान में इतनी अधिक बढ़ गई कि इन सब वस्तुओं का क्रय करना जन साधारण के लिए संभव नहीं । इच्छा का उत्पन्न हो जाना परन्तु उसकी पूर्ति के न होने से अभाव का अनुभव होता है । वस्तु के नही होने से अभाव अनुभव नहीं होता है । जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता तो उसे शराब की इच्छा नहीं होती और इच्छा न होने के कारण उसके पास शराब न होने पर भी शराब का अभाव नहीं अनुभव होता । अभाव का अनुभव तभी होता है जब इच्छा उत्पन्न हो और उसकी पूर्ति न हो ।

आज जन-साधारण रेडियो, टेलीविजन, विडियो, सिनेमा, साइकिल, स्कूटर, कार, बस आदि साधनों एवं अनेक प्रकार की खान-पान की चीजों का भोग करता है जो पुराने जमाने में अशोक-अकबर जैसे बड़े-बड़े सम्राटों को भी प्राप्त नहीं थी । इतनी भोग की सामग्री होते हुए भी आज का मानव पहले

से अधिक अभाव से ग्रसित है। इसका कारण है भोग्य वस्तुओं से उसका परिचय। आगे भी जैसे-जैसे विज्ञान का विकास होता जायेगा, विज्ञान के द्वारा अगणित प्रकार की भोग्य वस्तुएँ उपलब्ध होती जायेगी, वैसे-वैसे इच्छाओं की वृद्धि होती जायेगी, और उनको क्रय करने में असमर्थता से कामना पूर्ति न होने के कारण अभाव की वृद्धि होती जायेगी। अभाव का होना ही दुःख है। अतः दुःख की वृद्धि होती जायेगी। इस प्रकार विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सामग्री मानव के लिए दुःख का कारण बनती जायेगी। कारण कि प्राप्त वस्तु से जो सुख मिलता है, वह तो क्षण मात्र से अधिक रहता नहीं है और अप्राप्त की कामना प्राप्त होती जाती है जिसका अंत नहीं है, इसीलिए कहा जाता है—“इच्छा ह्य आगाससमा अणन्तिया।”

अर्थात् इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं। और जितनी इच्छाएँ हैं उतना ही अभाव है। इसीलिए अभाव भी अनन्त है। अभाव का होना ही दुःख है। इसलिए दुःख भी अनन्त है।

जैसे परिग्रह दो प्रकार का है बाह्य और आभ्यन्तर, वैसे ही मनुष्य के पास दो प्रकार की सम्पत्ति होती है—स्थूल और सूक्ष्म अथवा भौतिक और आध्यात्मिक। बाह्य वस्तुओं का संग्रह भौतिक सम्पत्ति है और हृदय की शुद्धता आंतरिक या आध्यात्मिक सम्पत्ति है। क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मृदुता, विनम्रता, कोमलता, उदारता, धैर्य, सयम आदि सद्गुण आध्यात्मिक सम्पत्ति हैं। जैसे स्थूल या भौतिक सम्पत्ति घटती-बढ़ती रहती है उसी प्रकार आध्यात्मिक सम्पत्ति भी घटती-बढ़ती रहती है। जैसे भौतिक सम्पत्ति के अपव्यय से, अभाव से, कमी होने से मनुष्य कठिनाई में पड़ता है वैसे ही आध्यात्मिक सम्पत्ति-हृदय की शुद्धता के अभाव से, सद्गुणों की कमी से, मनुष्य दुःखी होता है। विकास की दृष्टि से विचार किया जाय तो आध्यात्मिक सम्पत्ति ही महत्त्व की वस्तु है। धन या भौतिक सम्पत्ति के परिग्रह से जो सुख मिलता है वह सुख स्थायी हो, ऐसा नहीं होता। वह सुख क्षणिक होता है। भोग्य वस्तु के रहते हुए भी उस सुख में प्रतिक्षण क्षीणता आती ही है और अंत में वह नीरसता में बदलता ही है। परन्तु हृदय की पवित्रता से, सद्गुणों रूप आध्यात्मिक सम्पत्ति से जो सुख मिलता है, वह स्थायी होता है, उसमें क्षीणता नहीं आती, उसका अंत नीरसता में नहीं होता। यह नई कामना को जन्म नहीं देता, अतः अभाव एवं अशांति रहित होता है। इसकी प्राप्ति में अपने में भिन्न किसी वस्तु, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं होती है अतः स्वाधीन होता है। जबकि भोग का सुख पूर्णतः भोग्य पदार्थ पर निर्भर होता है। पराधीन होता है। भौतिक या भोग के सुख को Pleasure और आध्यात्मिक सद्गुण के सुख को Happiness कह सकते हैं। भौतिक सुख के पहले व अंत में दुःख होता ही है। भौतिक सुख के भोगी को दुःख भोगना ही पड़ता है। यही नहीं, भौतिक सुख भोगने समय भी पराधीनता,

उत्तेजना, आकुलता, अशांति रूप दुःख साथ लगा रहता ही है। अतः भौतिक सुख दुःख ही है।

मानव जितने भी प्रयत्न करता है, वे सब सुखी होने के लिए करता है। साधारणतः होता यह है कि सुखी होने के इन प्रयत्नों में हम उचित-अनुचित प्रवृत्ति का, कामो का, कर्तव्य का ध्यान नहीं रखकर घन-संग्रह करने के पीछे पड़े रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि सच्चा व स्थायी सुख हृदय की पवित्रता रूप सद्गुणों से मिल सकता है, भौतिक वस्तु से नहीं। यही कारण है कि आज धनी भी दुःखी है और निर्धन भी दुःखी है।

जैसे-जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है उसे भोग में दुःख और त्याग में सुख अनुभव होता जाता है। अतः वह भोग छोड़ता जाता है, त्याग करता जाता है। भोग का पूर्ण त्यागी अर्थात् संयमी ही पूर्ण सुखी होता है। संयम ही सुख का हेतु है। अतः मानव जाति के सुख व विकास के लिए भोग की अपेक्षा त्याग, स्वार्थपरता की अपेक्षा सेवा भाव, सकीर्णता की अपेक्षा विशालता-विभुता ही आवश्यक है।

परिग्रह-त्याग का स्वरूप

जैन दर्शन में परिग्रह-भोग व भोग्य पदार्थ के त्याग को चारित्र्य कहा है। यह नियम है कि सम्यक् चारित्र्य, सम्यक् दर्शन के बिना नहीं हो सकता। साधना के क्षेत्र में अर्थात् सच्चे सुख की प्राप्ति में सम्यक् चारित्र्य का ही महत्त्व है, मिथ्या चारित्र्य का नहीं! जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ ही मिथ्या चारित्र्य है। मिथ्यात्व है विषय भोग जो संसार भ्रमण का मार्ग है उसे मोक्ष का मार्ग समझना। आशय यह है कि भोग को सुख मानना व इसे दुःख से मुक्ति पाने का उपाय समझना मिथ्यात्व है। भोग बिना भोग्य पदार्थों के सम्भव नहीं है, अतः भोग और भोग्य पदार्थ (परिग्रह) में अटूट सम्बन्ध है। अतः परिग्रह में सुख मानना, परिग्रह को भला, हितकारी, कल्याणकारी, समझना मिथ्यात्व है। परिग्रह को दुःखद समझना, दुःखद होने से त्याज्य समझना, त्याग में ही अपना भला, हित व कल्याण समझना सम्यक्त्व है। त्याग में ही मुक्ति है। परिग्रह ही बन्धन है कारण कि परिग्रह भोग का द्योतक है। जहाँ भोग है वहाँ बन्धन है। भोग की इच्छा व भोग ही विकार है। रोग है। मलेरिया, ज्वर, कैंसर आदि शारीरिक रोग, वाह्य रोग है। जैसे ज्वर है शरीर के तापमान का बढ़ना और उसका कारण है मच्छर का विष आदि। ज्वर में तापमान की वृद्धि होना ज्वर का वाह्य लक्षण है और मच्छरों के काटने का विष आंतरिक कारण है, वास्तविक कारण है। ज्वर का तापमान आंतरिक विष का द्योतक है। इसी प्रकार भोग रूपी रोग का घन-घान्य का संग्रह रूप परिग्रह वाह्य लक्षण है और

मिथ्यात्व, कपाय, नो कपाय रूप आभ्यन्तर परिग्रह आंतरिक कारण है। सम्यक्त्वी पुरुष भोग को रोग मानता है अतः वह बाह्य व आभ्यन्तर इन दोनों परिग्रहों को त्याज्य मानता है। जैसे कोई भी शारीरिक रोगी-ज्वर ग्रस्त व्यक्ति रोग के ज्वर को बढ़ाना नहीं चाहता, घटाना चाहता है इसी प्रकार ज्ञानी जो परिग्रह को रोग-विकार-दोष समझता है वह उसे घटाने में ही अपना कल्याण मानता है। अतः वह प्रथम तो परिग्रह का पूर्ण त्याग कर सयमी बनना चाहता है परन्तु किसी कमजोरी से पूर्ण त्याग नहीं कर सकता है तो कम-से-कम अभी जितना परिग्रह है उसे बढ़ाना तो नहीं चाहता—इसीलिए परिग्रह परिमाण व्रत धारण करता है। और परिमाण को सतत घटाने का प्रयास करता है बढ़ाने का नहीं। यही परिग्रह परिमाण व्रत का स्वरूप है। परन्तु जो परिग्रह परिमाण को ग्रहण करते समय वर्तमान परिग्रह से अधिक परिग्रह रखना चाहता है तो यह मानसिक तनाव को सीमित रखने वाला होने से अच्छी बात तो है परन्तु सच्चे त्याग की कमी का द्योतक है। सम्यक्त्वी मनुष्य तो विद्यमान परिग्रह रूपी रोग को घटाने का ही प्रयत्न करता है, बढ़ाने का नहीं। कारण कि कौन ऐसा रोगी होगा जो रोग बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहेगा? कोई भी नहीं। अतः जो परिग्रह बढ़ाने को आवश्यक, सुखद व अच्छा समझता है तो कहना होगा कि उसने परिग्रह को दुःखद, त्याज्य समझा ही नहीं और जिसने परिग्रह को त्याज्य न समझा वह सम्यक्त्वी नहीं है। सम्यक्त्व रहित परिग्रह की कमी का साधना के क्षेत्र में महत्त्व नहीं है। कारण कि ऐसा परिग्रह का अभाव तो भिखारी, पशु व वृक्ष के भी देखा जाता है परन्तु उनको अपरिग्रही नहीं कहा जाता, कारण उनका अपरिग्रही होना अपरिग्रहाभास है। जिसका साधना से या आत्म-कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं है। आशय यह है कि जीवन में महत्त्व विवेकपूर्वक परिग्रह त्याग का है, परिग्रह के अभाव का नहीं। अभाव और त्याग में बहुत अंतर है। जहाँ अभाव है, वहाँ अशांति है, दुःख है, जहाँ त्याग है, वहाँ शांति है, अक्षय सुख है।

निर्धनता और अपरिग्रह में अन्तर

वस्तुओं के संग्रह या असंग्रह से निर्धनता व अपरिग्रह का सम्बन्ध नहीं है। वस्तुओं का संग्रह तो वृक्ष, पशु-पक्षियों के भी नहीं है परन्तु इसके कारण उन्हें न तो निर्धन ही कहा जा सकता है और न अपरिग्रही ही। निर्धन तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें धन की चाह नहीं है। चाह न होने से अभाव का अनुभव नहीं है। अभाव का अनुभव होना ही निर्धनता है, दरिद्रता है। तथा इन्हे अपरिग्रही इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने विवेक से परिग्रह में पराधीनता का अनुभव कर त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार साधु व केवलज्ञानी के प्रातःकाल में सायंकाल के भोजन का प्रबन्ध न होने जैसी निर्धनता की गरीबी की स्थिति होने पर भी उन्हें निर्धन, दरिद्री या भिखमगा

नही कहा जाता है यद्यपि वे भीख (भिक्षा) से ही जीवनयापन करते हैं कारण कि इन्हें भोजन के मिलने न मिलने का हर्ष शोक, सुख-दुःख, भय-प्रलोभन नहीं है। इन्हें दरिद्री न कहकर असीम पुण्यशाली कहा जाता है कारण कि साधु के परिग्रह का त्याग होने से अभाव या पराधीनता का दुःख नहीं है। यदि अभाव होता तो अभाव का दुःख होता। और केवली को तो लाभान्तराय का पूर्ण क्षय होने से अनन्त लाभ, अनन्त ऐश्वर्य—सम्पन्न कहा गया है। वस्तुतः दरिद्री वह है जहाँ दरिद्रता है। दरिद्रता वहाँ है जहाँ कामना या चाह है। चाह या कामना में ही कमी का अनुभव होता है। जिसके कमी है वही कमीना है, वही दरिद्र है। अपरिग्रही वह है जहाँ कामना-चाह का त्याग है अर्थात् जो संग्रह या परिग्रह में सुख का अनुभव नहीं करता।

बाह्य रूप से दरिद्रता और अपरिग्रह इन दोनों में संग्रह का अभाव है। अतः बाह्य दृष्टि से दोनों एक लगते हैं परन्तु आभ्यन्तर रूप से वे परिणाम में महान् अन्तर है। दरिद्र के पास वस्तु या धन होने पर भी उसके दिल में वस्तु या धन का मूल्य, धन का महत्त्व, धन की अभिलाषा, धन की रुचि रहती है। वह वस्तुओं का भोगी होता है जबकि अपरिग्रही चारों ओर वस्तुओं से घिरा होने पर भी, उनसे जल-कमलवत अलिप्त रहता है। उसकी दृष्टि में वस्तु का मूल्य, महत्त्व, अभिलाषा, रुचि आदि कुछ नहीं होता है। दरिद्र भोगी होता है, अपरिग्रही योगी। दरिद्रता की देन है द्वन्द्वता और अपरिग्रह की देन है निर्द्वन्द्वता, निश्चिन्तता। दरिद्रता अभाव की द्योतक है, अपरिग्रहता पूर्णता की। दरिद्रता पराधीन बनाती है और अपरिग्रह स्वाधीन। दरिद्रता—कमी, अभाव किसी को भी अभीष्ट नहीं है फिर भी कुछ न कुछ कमी प्रत्येक परिस्थिति में बनी रहती है। और न चाहते हुए भी आ जाती है। कोई भी व्यक्ति उस कमी को दूर करने में समर्थ व स्वाधीन नहीं है, परन्तु अपरिग्रही होने में सब समर्थ और स्वाधीन है। यद्यपि दरिद्रता और अपरिग्रह दोनों ही में वस्तुओं का अभाव है परन्तु अन्तर यह है कि दरिद्रता में वस्तु न होने पर भी वस्तु से सम्बन्ध बना रहता है जैसे दरिद्री सड़क पर बसेरा डाले होने पर भी मकान के स्वप्न देखता रहता है, मकान से सम्बन्ध बनाये रखता है और अपरिग्रह में वस्तु तो बनी रहती है पर उससे सम्बन्ध नहीं रहता है अर्थात् साधु भव्य भवन में ठहरने पर भी उस भवन से सम्बन्ध नहीं जोड़ता है। वस्तुतः वस्तु का सम्बन्ध ही बन्धन है, दुःख है, कारण कि इससे ही विषय-कषाय आदि दोषों की तथा अभाव, पराधीनता, सघर्ष आदि दुःखों की उत्पत्ति होती है। दरिद्रता में वस्तु का अभाव होता है और अपरिग्रह में वस्तु के सम्बन्ध का अभाव या नाश होता है। वस्तु न हो या न रहे और उसका सम्बन्ध बना रहे और वस्तु रहे पर उसका सम्बन्ध न रहे, इन दोनों के परिणाम में बड़ा अन्तर है। सम्बन्ध बना रहे और वस्तु न रहे तो उसकी आसक्ति व्यक्ति को अज्ञाति, पराधीनता, अभाव

आदि दुःखों से आक्रांत कर देती है तथा सम्बन्ध नहीं रहा और वस्तु बनी रही तो वह व्यक्ति को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकती। कोई कैसा भी उच्च कोटि का साधक हो शरीर, भूमि, पर्यावरण आदि वस्तु तो वहाँ बनी ही रहेगी। इस दृष्टि से किसी वस्तु का होना या न होना साधना में हेतु नहीं है। प्रत्युत वस्तुओं का सम्बन्ध विच्छेद होना अपरिग्रह है। यही अपरिग्रह पराधीनता के दुःख से मुक्ति देकर स्वाधीन अक्षय अखड सुख देने वाला है, ऐश्वर्य-सम्पन्नता प्रदान करने वाला है।

समस्त वस्तुओं से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद हो जाने पर वर्तमान में ही साधक वीतराग होकर चिर शान्ति, पूर्ण मुक्ति (स्वाधीनता) अक्षय-अव्यावाह-अनन्त सुख को प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान काल में अधिकांश लोगों का ऐसा विचार है कि धन या श्रीमताई से सुख होता है फलतः प्रत्येक व्यक्ति जिस किसी भी उपाय से श्रीमत् बनने के लिए प्रयत्नशील है परन्तु 'श्रीमत् लोग सुखी होते ही हैं' उनकी यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है। वस्तुतः सुख किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की उपलब्धि पर निर्भर नहीं है प्रत्युत उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का हम कैसा उपयोग करते हैं अथवा उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर निर्भर है। स्वादिष्ट मिष्ठान्न उपलब्ध हो जाने पर भी भोजन का आनन्द मिल जाय, यह आवश्यक नहीं है। स्वादिष्ट भोजन होने पर भी भूख न हो, आमाशय में पाचन-शक्ति न हो, मधुमेह जैसा रोग हो, तो भोजन का आनन्द नहीं मिल सकता, सुख का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे कितने ही श्रीमत् देखने में आते हैं कि जिन्हें सब प्रकार स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है फिर भी लूखी रोटी ही खानी पड़ती है। दूसरी ओर ऐसे भी श्रमिक देखे जाते हैं जो उपलब्ध भोजन का आनन्द लेते हैं। मधुर सगीत हो परन्तु कान बहरे हों, सुन्दर चित्र या प्राकृतिक दृश्य हो पर नयन दृष्टिहीन हों तो सगीत के माधुर्य का और चित्र-दृश्य के सौंदर्य का आनन्द नहीं आ सकता।

जिस प्रकार श्रवण कान का और दर्शन नयन का विषय है, इसी प्रकार सच्चा सुख हृदय का विषय है। पवित्र हृदय के बिना मनुष्य सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सच्चे सुख के अभाव के कारण ही मनुष्य सुख की खोज में रात-दिन गोता खाता रहता है, चक्कर काटता रहता है, एक वस्तु या परिस्थिति को छोड़कर दूसरी वस्तु या परिस्थिति की ओर दौड़ता रहता है। मन की चंचलता का यही कारण है।

जब व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है कि सुख की उपलब्धि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर निर्भर न होकर हृदय की पवित्रता, शुद्धता पर निर्भर

है तब उसका ध्यान वस्तु, परिस्थिति आदि परिग्रह से हटकर अर्थात् बाह्य से हटकर अतःकरण की ओर जाता है। फिर वह हृदय की शुद्धि के लिए तत्पर होता है।

परिग्रह की वृद्धि और हृदय की शुद्धि इन दोनों का साथ सम्भव नहीं है। जहाँ परिग्रह है वहाँ परमात्मा नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है, वहाँ काम नहीं, यह सत्य है। अतः स्वर्ग के सुख का, अपवर्ग के आनन्द प्राप्ति का उपाय परिग्रह रहित होना ही है। स्वर्ग या देवलोक में भी जो देवता जितना उच्च स्तर का है उतनी ही उसके इन्द्रिय भोग की सामग्री कम है, वह कम भोगी है। इससे सिद्ध होता है कि सयम में ही स्वर्ग का व अपवर्ग का सुख निहित है। हृदय की अपवित्रता या असयम ही नारकीय दुःख का कारण है। परिग्रह भोग वृत्ति या असयम का ही द्योतक है। इसीलिए जैनागम में महा परिग्रह को नरक का कारण बताया है जो उचित ही है। कोई परिग्रह धारी भी रहे और मुक्ति तथा स्वर्ग के श्रेष्ठ सुख भी पाना चाहे यह कदापि सम्भव नहीं है।

परिग्रह की पूर्ति असम्भव

हम आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों ओर कुछ ही दूरी पर आकाश और धरती मिले हुये हैं। इसे क्षितिज कहते हैं। विषय सुख इसी क्षितिज के समान है। जिस प्रकार क्षितिज में धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ दूर चलने से क्षितिज के स्थान पर पहुँच कर धरती और आकाश के मिलन को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है परन्तु जैसे ही व्यक्ति क्षितिज पर पहुँचने की आशा से उस ओर चलता है तो जितना वह आगे बढ़ता जाता है क्षितिज भी उतना ही आगे बढ़ता जाता है। और कोई भी व्यक्ति निरन्तर एक जीवन की तो क्या कहे अनन्त जीवन तक चलकर भी क्षितिज पर नहीं पहुँच सकता। उसकी और क्षितिज की दूरी ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं होती। सच तो यह है कि क्षितिज प्रतीत ही होता है। वास्तव में उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। उसका अस्तित्व धोखा है। यदि क्षितिज का अस्तित्व है तो उस जगह पर भी है जहाँ पर स्वयं क्षितिज देखने वाला वह व्यक्ति खड़ा है। आशय यह है कि यदि क्षितिज है तो सब जगह है अथवा कही नहीं है।

इसी प्रकार विषय-सुख की पूर्णता की प्राप्ति के लिए वस्तुओं का सग्रह या परिग्रह का सचय कर कृतार्थ हो जाने की आशा करना अपने आपको धोखा देना है। जैसे-जैसे विषय सुख का भोगी व्यक्ति पूर्ण सुखी होने के लिए सुख की कमी को दूर करने के लिए परिग्रह की एक सीमा का लक्ष्य निर्धारण करता है और उस सीमा या लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वस्तुओं का सग्रह करता जाता

है वैसे ही वैसे वह लक्ष्य या सीमा आगे बढ़ते जाते हैं और लक्ष्य व उसके बीच की दूरी में रंच मात्र भी कमी नहीं होती। वह दूरी ज्यों की त्यों बनी रहती है। सुख की पूर्णता के लिए एक जन्म तो क्या, अनन्त जन्म तक भी कोई कितना ही संग्रह करे, परिग्रह बढ़ावे, पूर्ण सुख की उपलब्धि कभी हो नहीं सकती। कारण कि उस स्थिति की प्रतीति ही होती है, वास्तव में उसकी स्वतंत्र सत्ता व स्थिति नहीं है क्योंकि सत्ता, स्थिति या परिस्थिति कोई भी कैसी भी क्यों न हो, उसमें कमी बनी ही रहती है। वह कमी कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। इस दृष्टि से संग्रह या परिग्रहजनित सभी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ एक ही समान हैं। उनमें कोई अन्तर नहीं है। उनमें जो अन्तर दिखाई देता है वह वैसा ही है जैसा कि एक बटे दो में और एक लाख बटे दो लाख में है। कारण कि कोई भी कितनी ही परिग्रह की वृद्धि करे, किसी भी परिस्थिति का निर्माण करे, उसमें नीरसता, पराधीनता, अभाव, जड़ता, आयेगी ही। यह उसकी देन होगी ही। इस प्राकृतिक विधान को कोई मिटा नहीं सकता।

आकाश का अंत पाने के लिए क्षितिज तक पहुँचने तक कोई कितना भी प्रयत्न करे, नहीं पहुँच सकता अर्थात् आकाश का अंत नहीं पा सकता। आकाश अनन्त है। इसी प्रकार परिग्रह की प्राप्ति से कामनाओं की पूर्ण पूर्ति कर उसका अन्त करना कभी भी सम्भव नहीं है। जो असम्भव है उसे सम्भव करने का प्रयास भूल है, धोखा है, अपने समय, शक्ति व श्रम को व्यर्थ खोना है।

मूल्यांकन दृष्टि का अन्तर

‘पर’ का ग्रहण ही परिग्रह है। ‘पर’ वह है जो सदा साथ न रहे, जिसका वियोग हो जावे। जो अनित्य है ‘पर’ है। उसको अपना मानना भूल है, धोखा है, मिथ्यात्व है। ‘पर’ के आधार पर अपना मूल्यांकन करना भूल है। इस दृष्टि में धन, बल, विद्या, वस्तुएँ आदि की न्यूनाधिकता के आधार पर अपने व दूसरे के महत्त्व का मूल्यांकन करना, उससे हीन-महान् समझना, छोटा-बड़ा मानना ‘पर’ से मूल्यांकन करना है। धन की कमी से अपने को हीन व छोटा समझना, धन की अधिकता से अपने को बड़ा मानना अपना मूल्य खोना है। फिर मूल्य धन का ही हुआ अपना नहीं, जड़ का ही हुआ चेतन का नहीं। जड़ को मूल्यवान् मानना, चेतन को मूल्यहीन मानना, धन को जीवन मानना है जो धोर मिथ्यात्व है। जीवन चेतन का लक्षण है। अतः धन को जीवन मानना जड़ या अजीव में जीवन बुद्धि होना है, अजीव को जीव मानना है जो मिथ्यात्व है। सम्यक्त्वो वह है जो ज्ञान-दर्शन आदि चेतना के गुण के विकास के आधार पर चेतना के विकास का मूल्यांकन करता है।

परिग्रही और अपरिग्रही में मूल्य की दृष्टि का ही अन्तर है। परिग्रही वस्तुओं से, अपरिग्रही त्याग से अपना मूल्यांकन करता है। परिग्रही घन में, जड़ से, पर से, विनाशी वस्तुओं की वृद्धि से अपना मूल्यांकन करता है। अपरिग्रही ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि गुणों की वृद्धि से अपना मूल्यांकन करता है। मूल्य के इस परिवर्तन में ही जीवन की सार्थकता है।

जो भीतर से रीता है, वह उस रिक्तता को दूर करने के लिए बाहर से अपने को भरने की कोशिश करता है। परन्तु बाहर की वस्तुएँ स्थूल हैं। वे भीतर के सूक्ष्म स्तर के क्षेत्र में प्रवेश कर नहीं सकती। इसीलिए वह जितना-जितना अपने को बाहरी वस्तुओं के संग्रह से भरने की कोशिश करता है, उतना-उतना बहिर्मुखी होता जाता है। जो जितना बहिर्मुखी है वह भीतर से उतना ही दूर है अर्थात् उसके भीतर में रिक्तता ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये वस्तुएँ उस रिक्तता पर आवरण-आवेष्टन का काम करती हैं। इस कारण परिग्रही व्यक्ति पर उस रिक्तता का प्रभाव भी नहीं पड़ता अर्थात् वह बाहर में इतना उलझा रहता है कि भीतरी रिक्तता का, नीरसता का वह अनुभव ही नहीं कर पाता है और वह रीता का रीता रहता हुआ शरीर छोड़ देता है। बाहर से घनाढ्य कहला कर भी भीतर से दरिद्र-अभावग्रस्त रहता हुआ वह अपना पूरा जीवन खो देता है। जो जीवन रिक्तता को सदा के लिए विदा कर देने के लिए मिला था वह जीवन या अवसर चूक जाता है। यह अपने ही द्वारा अपना घोर विनाश करता है।

तात्पर्य यह है कि परिग्रह के भोग से परलोक में, नरक में दुःख मिलता है, परिग्रह के त्याग से परलोक में स्वर्ग में सुख मिलता है, कोई ऐसा माने या न माने इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। कारण कि वर्तमान जीवन में परिग्रह के कारण पराधीनता, नीरसता, अभाव, तनाव, जडता, दबाव, द्वन्द्व, संघर्ष आदि दुःख प्रत्यक्ष भोगने पड़ते हैं और परिग्रह-त्याग से स्वाधीनता, मुक्ति, शक्ति, शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, सुख साक्षात् प्रकट होते हैं। अतः सम्पूर्ण दुःखों से मुक्ति और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हम सबको परिग्रह का त्याग करना ही होगा। यदि हम अपनी कमजोरी से परिग्रह का पूर्ण त्याग न कर सकें तो दुःख-वृद्धि से ही मुक्त होने के लिए हमें परिग्रह-परिमाण-व्रत-धारण करना ही चाहिए।

मानव जीवन की बड़ी महिमा है, कारण कि केवल इसी जीवन में व्यक्ति चिन्ता, दुःख, भय, निराशा, अभाव, तनाव आदि से सदा-सदा के लिए मुक्त होकर शांति, मुक्ति, भक्ति से अभिन्न होकर यह अनुभव कर सकता है कि उसने पाने योग्य सब कुछ पा लिया है, जानने योग्य सब कुछ जान लिया है और करने योग्य सब कुछ कर लिया है ।

जीवन का एक क्रम है—जन्मना—प्रति क्षण बदलना और अंत में मर जाना । व्यक्ति का जन्म होता है, एक अवस्था तक शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास होता है और इसके बाद इन शक्तियों का ह्रास आरंभ हो जाता है और शरीर की अंतिम गति है—मृत्यु । इस प्राकृतिक क्रम को बदलने में मानव सर्वथा पराधीन है । कोई, किसी भी उपाय से इस क्रम में परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है ।

वही मानव धन्य है, उसी का मानव जीवन सफल है जो प्राकृतिक शक्तियों के रहते-रहते, शरीर के नाश होने के पहले-पहले दुःख, चिन्ता, भय आदि से सर्वांश में मुक्त होकर अखण्ड आनन्द से अभिन्न हो जाय । ऐसा अनुभव करले कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मुझे मिला है, और मृत्यु के समय यह अनुभूति करके असीम आनन्द से भर जाय कि मैं नहीं मर रहा हूँ, शरीर मर रहा है । मैं तो अमर आत्मा हूँ, सत, चित्, आनन्द हूँ, अविनाशी हूँ, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम ही मेरा स्वरूप है । इस चिन्तन के साथ शरीर सानन्द प्रकृति को भेट करदे और स्वयं निजानन्द में लीन हो जाय ।

मानव मात्र ऐसा कर सकता है । आज कर सकता है, अभी कर सकता है, इसी क्षण कर सकता है । इसके लिये किसी भी विशेष बल, बुद्धि, शक्ति, योग्यता, प्रयास, अभ्यास, परिश्रम, पराश्रय, अप्राप्त सामग्री आदि की किञ्चित् मात्र भी आवश्यकता नहीं है । जो जिस परिस्थिति में जहां जैसे है, वह उसी परिस्थिति में वही वैसे ही ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है । मानव मात्र इसका जन्मजात अधिकारी है, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म, सम्प्रदाय मत, मतान्तर, विचारधारा, पंथ आदि का क्यो न हो ।

इसकी प्राप्ति का आधारभूत उपाय है—अपरिग्रह । सच्चे और वास्तविक अपरिग्रही बने । भयभीत मत होइये, चौंकिये नहीं, आश्चर्य मत कीजिये । मानव मात्र सच्चा अपरिग्रही बन सकता है । इसमें किंचित् मात्र भी बाधा नहीं है । सब कुछ रखते हुए भी आप अपरिग्रही बन सकते हैं और सब का त्याग करके भी आप परिग्रही रह सकते हैं । आइये, विचार करे कि अपरिग्रह का वास्तविक आशय क्या है ?

स्थूल अर्थ में अपरिग्रह का तात्पर्य होता है—सग्रह न करना, कल का प्रबन्ध आज न करना । विचार कीजिये, क्या हम घर-परिवार में रहने वाले, व्यवसाय, नौकरी करने वाले, वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे अपरिग्रही बन सकते हैं ? कदापि नहीं । ऐसा करने पर हमारा सुख, सम्मान पूर्वक समाज में रहना कठिन हो सकता है । इसलिये घरबारी व्यक्ति अपरिग्रह की साधना को कल्पना मात्र मानकर छोड़ देता है । पर बात ऐसी नहीं है ।

अपरिग्रह का वास्तविक अर्थ है—“अपने लिये ‘पर’ की आवश्यकता न रहना ।” ‘पर’ की जरूरत, ‘पर’ की चाह न रहना । ‘पर’ में ममता, लगाव, प्रियता, सुख की आशा, खिचाव, आकर्षण का न रहना ही वास्तव में अपरिग्रह है । जिसको ‘पर’ की जितनी ज्यादा जरूरत अनुभव होती है—ऐसा महसूस होता है कि ‘पर’ के बिना मेरा काम कैसे चलेगा, वह उतना ही बड़ा परिग्रही है, चाहे उसने स्वरूपतः सबका त्याग कर दिया हो । जिसको अपने लिये ‘पर’ की किंचित् भी आवश्यकता नहीं रहती, वही वास्तव में सच्चा अपरिग्रही है, चाहे स्वरूपतः उसने वस्तुओं व व्यक्तियों का त्याग किया है अथवा नहीं । ‘पर’ का त्याग, अर्थात् ‘पर’ में ममता व ‘पर’ की कामना का त्याग ही सच्चा अपरिग्रह है और इसी का नाम है “जीवन-मुक्ति”, “परम स्वाधीनता” शरीर के रहते-रहते जो अनुकूलता की दासता और प्रतिकूलता के भय से मुक्त हो जाता है, वही ‘जीवनमुक्त’ है । ‘जीवनमुक्त’ ही वास्तव में कर्तव्यपरायण, सच्चा सेवक, सुधारक, नेता बनकर परिवार, समाज, देश, ससार व प्राणी मात्र के लिये उपयोगी बन सकता है ।

‘पर’ कौन है ? जो जन्मदाता है वदलता है और अंत में मर जाता है, उसी का नाम ‘पर’ है । ‘पर’ की सूची (List) में हम क्रम से निम्न को शामिल कर सकते हैं—सबसे पहले अपना शरीर, फिर अपना परिवार, अपनी संपत्ति, समाज, ससार, सम्पूर्ण सजीव प्राणी, जड़ जगत आदि । सावधान, यदि मुझे मेरे लिये मिले हुए शरीर की भी जरूरत अनुभव होती है कि अभी शरीर रहना चाहिये, मैं अभी मरूँ नहीं, तो मैं परिग्रही हूँ, पराधीन हूँ, बंधा हूँ । यदि मैं पराधीन हूँ तो सदैव दुःख, चिंता, भय आदि से पीड़ित व ग्रसित ही रहूँगा, चाहे मेरी वाह्य स्थिति कैसी भी क्यों न हो, चाहे मैं कितना ही बलवान, धनवान, गुणवान, कुलवान, विद्वान्, पंडित, सम्मानित क्यों न हूँ । कहा है—

“पराधीन सपनेहुँ सुख नांही”

‘पर’ के त्याग का तात्पर्य ‘पर’ को स्वरूप से छोड़ना नहीं है (कहीं भी जायेंगे तो शरीर तो साथ ही रहेगा, तो कैसे छोड़ पायेंगे), ‘पर’ से संघर्ष करना भी नहीं है, ‘पर’ से ईर्ष्या-द्वेष करना भी नहीं है, ‘पर’ को कहीं छोड़ना व फेंकना भी नहीं है। ‘पर’ के त्याग का तात्पर्य ‘पर’ को नष्ट करना भी नहीं है (व्यक्ति ‘पर’ का न तो निर्माण कर सकता है और न उसे नष्ट ही कर सकता है)। ‘पर’ के त्याग का सच्चा व वास्तविक तात्पर्य यह है कि—

(i) ‘पर’ मेरा नहीं है।

(ii) ‘पर’ से मुझे कुछ नहीं चाहिये—न अभी चाहिये, न कभी चाहिये।

वास्तव में गंभीर चिंतन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ‘पर’ मेरा नहीं है क्योंकि इसे मैंने नहीं बनाया, यह मेरे नियंत्रण में भी नहीं रहता, इसका मालिक मैं नहीं हूँ। चाहे कोई भी हो, पर मैं नहीं हूँ। ‘पर’ से मुझे कुछ नहीं चाहिये। ‘पर’ की आवश्यकता केवल शरीर को है, ‘पर’ की पहुंच व सीमा केवल शरीर तक है। ‘शरीर’ स्वयं ‘पर’ है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझे मिला है। मैं इसे यथासंभव सभाल कर रखूंगा, इसकी सेवा करूंगा। अन्य जो भी ‘पर’ (शरीर व सम्मान) मुझे मिला है—उनकी भी मैं सेवा करूंगा, उनका सदुपयोग करूंगा। वस, यही मेरा दायित्व है ‘पर’ के प्रति। ‘पर’ के प्रति अपने दायित्व को सावधानी पूर्वक पूरा करने से ‘पर’ से सम्बन्ध (ममता व कामना) टूट जाता है, ‘स्व’ की अनुभूति हो जाती है, मानव वास्तविक रूप में अपरिग्रही बन कर शांति व मुक्ति को पा लेता है।

‘पर’ मेरा नहीं है, ‘पर’ से मुझे कुछ नहीं चाहिये, जीवन के इस सत्य को ईमानदारी से स्वीकार करना ही अपरिग्रही बनना है। वास्तव में मुझे जो कुछ भी चाहिये, वह इस मिले हुए शरीर को चाहिये। विचार कीजिये, शरीर को अलग करके क्या आपको रोटी, कपड़ा, मकान, सुख, सुविधा, पति, पत्नी, पुत्र, सम्बन्धी, मान-सम्मान आदि चाहिये? ये सब शरीर को चाहिये, मुझे नहीं। जैसे ही मानव इस सत्य को स्वीकार करता है, वैसे ही वह अपरिग्रही बन जाता है। फिर चाहे वह हिमालय में रहे अथवा महल में, व्यवसाय करे अथवा नौकरी, संन्यासी वेष में रहे अथवा गृहस्थी वेष में आदि आदि। इन बाह्य चीजों से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता।

सत्य की स्वीकृति में मानव मात्र सर्वथा स्वाधीन है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया, अभ्यास, बल, बुद्धि, योग्यता, परिश्रम आदि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वीकृति में समय भी नहीं लगता। दूसरे से मकान खरीदते खरीदार तुरन्त स्वीकार कर लेता है कि अब यह मकान मेरा है, विन्त

मान लेता है कि यह मकान मेरा नहीं है । सत्तर-पचहत्तर वर्षों से उस मकान में रहने वाला वह विक्रेता यह नहीं कह सकता है कि विक्रय के बाद कई माह तक उसे यह अभ्यास करना होगा कि मैं मकान को अपना न मानूँ । तुरन्त ही मान लेता है कि मेरा नहीं है । शादी होते ही पति स्त्री को अपनी पत्नी और पत्नी पुरुष को अपना पति स्वीकार कर लेती है और यह सम्बन्ध जीवन पर्यन्त चलता है । स्पष्ट है कि स्वीकृति या मान्यता, समय, श्रम व अभ्यास साध्य नहीं है । इसीलिये हम सब अपरिग्रही बन सकते हैं ।

‘पर’ में ममता व ‘पर’ की कामना का त्याग करके मानव अपरिग्रही बन गया, इसकी कसौटी क्या है ? कही धोखा न हो जाय । बात सूक्ष्म है—मार्ग दुर्गम है । इसलिये हमें सावधान व सजग रहना होगा । जब व्यक्ति सच्चे रूप में अपरिग्रही बन जाता है, तब ‘पर’ से उसका सम्बन्ध टूट जाता है । फिर उसके जीवन में दुःख, चिंता, भय, पीड़ा, निराशा, अभाव, तनाव आदि का लेशमात्र अंश भी नहीं रहता । वह सर्वाश में बुराई रहित हो जाता है । उसके जीवन में न दीनता रहती है, न अभिमान । वह शांति पूर्वक सब के प्रति स्वयं, समाज, देश, विश्व, जड़ जगत आदि, सबके प्रति अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक पालन करता है । उसका कर्तव्य पालन सेवा बन जाता है । उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति लोकहितार्थ होकर पूजा बन जाती है । प्रवृत्ति के अंत में उसे सहज निवृत्ति प्राप्त हो जाती है । निवृत्ति काल में वह निजानद में मस्त रहता है और प्रवृत्ति काल में सेवा का आनन्द लेता है । यही वास्तव में सच्चा जीवन है ।

अपरिग्रह की साधना व्यक्ति के कल्याण व सुन्दर समाज के निर्माण में हेतु है ।

एक संत की अनुभूत वाणी में अपरिग्रह के भावों की झलक यों मिलती है—

१. जिसे कुछ भी चाहिये, वह सेवा व प्रेम कर ही नहीं सकता ।
२. जिसे कुछ भी चाहिये, उसे कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है ।
३. जिसे कुछ नहीं चाहिये, उसे सब कुछ मिलता है ।

अपरिग्रह : ममत्व-विसर्जन की कला

□ डॉ. नेमीचन्द जैन

जैन शास्त्रों में परिग्रह को बहुत गहराई में (इन-डेप्थ) परिभाषित किया गया है। मूर्च्छा को परिग्रह कहा गया है (मूर्च्छा परिग्रह—तत्त्वार्थसूत्र, ७/१७)। मूर्च्छा क्या है? मूर्च्छा निःसंज्ञ/वेहोश होने की संज्ञा है; किन्तु यहाँ मूर्च्छा का अर्थ और अधिक गहरा गया है। मूर्च्छा यहाँ होश में वेहोशी की संज्ञा है। हम जान रहे हैं कि 'यह ऐसा, वह वैसा है' फिर भी नहीं जान रहे हैं कि 'यह ऐसा और वह वैसा है'। जब प्राणी में 'सम्बन्ध-तत्त्व' अत्यन्त सूक्ष्म होकर पैठ जाता है, तब वह मूर्च्छा की शकल ग्रहण कर लेता है।

मूर्च्छा कोई स्थूल वस्तु नहीं है। वह एक गहन/महीन अनुभूति है। इन्द्रिय विषयों के प्रति जब हमारे मन में गहरे कहीं राग-द्वेष जमते-जागते हैं, तब वे ही मूर्च्छा में रूपान्तरित हो जाते हैं। हम जब वस्तु को अपना/इतना अपना मानने लगते हैं कि उसकी अपनी स्वतंत्रता आच्छादित/अपहृत होने लगती है (वैसा होना सम्भव नहीं है; मात्र आभास हो सकता है; क्योंकि यह असम्भव ही है कि कोई वस्तु अन्य किसी वस्तु की निजता को ढंके या उसका अपहरण करे); तब हम उसे जो मम नहीं मम मानने लगते हैं। यह ममत्व क्रमशः इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हम उस वस्तु को लेकर अत्यन्त आसक्त हो जाते हैं और उससे अपने इष्ट-अनिष्ट/मंगल-अमंगल को जोड़ लेते हैं। उसके सयोग में सुख और वियोग में दुःख मानने लगते हैं।

भाषा की दृष्टि से जब हम 'परिग्रह' शब्द की व्याख्या करते हैं तब हमें कई नये तथ्य हाथ लगते हैं। 'परिग्रह' शब्द 'ग्रह' धातु में 'परि' उपसर्ग तथा 'अप्' प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है 'पकड़, गिरफ्त, लिप्तता, अरेस्ट (अग्रेजी)।' जब हम किसी वस्तु की मजबूत गिरफ्त में होते हैं, उसकी अनुरक्ति के नाग-पाश में होते हैं, तब वह स्थिति मूर्च्छा की स्थिति है। परिग्रह में वस्तु हमें नहीं पकड़ती हम वस्तु को पकड़ते हैं। वस्तु की पकड़ सम्बन्ध-तत्त्व के कारण इतनी सूक्ष्म और चुम्बकीय होती है कि उससे तुरन्त बच पाना सम्भव नहीं होता।

अग्रेजी में एक शब्द है 'अटेचमेट', जिसके मायने हैं आसक्त होना, अनुरक्त होना, लिप्त होना, फँसना। परिग्रह का सरोकार इस अटेचमेट से ही है। हम

भ्रमवश यह मानने लगते हैं अपनी निजता को विसार कर कि अमुक वस्तु मेरी है। यदि वह नहीं होगी तो हम नहीं होंगे; कुछ गजब हो जाएगा कदाचित् प्रलय उसके वियोग में। परिग्रह वस्तुतः वस्तु में स्वयं को गहरे डाल देने का नाम है इतने गहरे कि पृथक् करना कठिन प्रतीत होने लगे। उत्पीड़ित, असल में, वे ही लोग होते हैं जो 'अटेचड' या लिप्त होते हैं; जो 'डिटेचड' या अनासक्त होते हैं उनके दुःखी होने का कोई सवाल ही नहीं है।

इस दृष्टि से हम एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिये कोई एकसीडेट होता है। आप उसकी खबर किसी अखबार में पढ़ते हैं। तुरन्त पता लगाते हैं कि हताहतों में आपका कोई सम्बन्धी तो नहीं है। जब आपको पता लगता है कि उनमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था तो आप राहत की सास लेते हैं और बड़े तटस्थ चित्त से अपने काम में लग जाते हैं; किन्तु जैसे ही कोई सूचित करता है कि आपने जो कुछ जाना वह गलत था वस्तुतः आपकी बहिन उसमें गम्भीर रूप से घायल हुई है तब आप सिर से पैर तक काप उठते हैं और भाग-दौड़ शुरू कर देते हैं। प्रश्न सम्बन्ध का है; स्थितियों से नि.संग होने पर आपके मन में कोई विकल्प उठेगा ही नहीं। अपरिग्रह इसी सम्बन्ध-तत्त्व से जूझने की प्रक्रिया है।

दूसरा दृष्टान्त लीजिये। आपकी एक कलम है, जिसे आप लगातार काम में ले रहे हैं। एक तरह से वह आपकी जीवन सगिनी बन गयी है। अचानक वह गुम जाती है। आप छटपटाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यदि वह नहीं मिलेगी तो आपका सारा लेखन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। आप उस कलम से 'अटेचड' हैं। आपने कलम से स्वयं को बाँध लिया है इतना गहरे कि अब आप उसके वियोग को सह नहीं पा रहे हैं। यह मूर्च्छा है। वस्तुतः परिग्रह एक अनुभूति है—अधे मोह की प्रगाढ अनुभूति। जो हमारा अपना नहीं है, जिसके निमित्त मृत्यु के क्षणों में शून्य हो जाना होगा उसे ही जब हम अपना/बहुत अपना/अत्यन्त अभिन्न मानने लगते हैं तब एक आध्यात्मिक सकट का सूत्रपात होता है। यह सकट मूलतः मानसिक ही होता है; किन्तु उपलक्षणों में कायिक दीख पड़ता है। असम्भव ही है यह कि तन पर मन का असर न पड़े। वह तो होगा ही। मन तन को और तन मन को परस्पर प्रभावित करते ही हैं। यह सनातन चक्र है।

जरूरी नहीं है कि परिग्रह कोई स्थूल वस्तु ही हो। वह अमूर्त भी हो सकता है। यहाँ अमूर्त से तात्पर्य भाववाचकता से है। इसे तब हम अतरंग परिग्रह कहते हैं। परिग्रह जो आँखों के सामने खड़ा है बाह्य है और जो भीतर टागों पसारे है वह अतरंग है।

बाह्य परिग्रह में धन-दाँलत, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी, रथ-वग्घी, खेत-

खलिहान, बाग-वगीचे, महल-मकान, दोस्त-यार आदि आते हैं; जिन्हें हम इतना अपना मानने लगते हैं कि उनके समृद्ध होने में अपना सुख मानते हैं और विपन्न होने में दुःख । ये तमाम बाह्य परिग्रह हैं अर्थात् ये ऐसे चुम्बक हैं जो हमारी निजता को बाहर की ओर खींचते हैं और ऐसा कोई मौका नहीं देते कि हम सोच पायें कि 'हम क्या हैं' और 'ये क्या हैं'; अर्थात् जो वस्तु-स्वरूप पर काला पर्दा डाले रहता है वह परिग्रह है ।

वस्तु का स्वरूप क्या है ? वह कैसी है ? उसकी निजता क्या है ? क्या वह जैसा हम मान रहे हैं वैसी है या उसका अपना भी कोई अस्तित्व-व्यक्तित्व है ? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो परिग्रह के निरूपण से जुड़े हुए हैं । इन्हें जाने बिना हम परिग्रह के स्वरूप को ठीक-ठीक समझ नहीं पायेंगे; और जब हम किसी वस्तु को उसकी निजता में समझ नहीं पायेंगे तब हम उसमें मूर्च्छित हो जाएँगे । मूर्च्छा का सबसे बड़ा कारण मिथ्यात्व है । सम्यक्त्व मूर्च्छा के निवारण का, उसे बाहर निकाल फेंकने का सर्वोत्तम उपाय है ।

अज्ञान या भ्रांति के कारण ही बहुत-सी विपदाएँ खड़ी होती हैं, इसलिए परिग्रह की तीव्रता को कम करने के लिए सबसे पहला कदम है सम्यक्बोध अर्थात् वास्तविकता की तलाश और प्रतीति । हम ढूँढें कि हमारा निज-का क्या है और ऐसा क्या है ? जो हमारा निज-का नहीं है ? बहुत ईमानदारी से इस बात पर विचार करे कि ऐसी कौन-सी वस्तुएँ हैं, जो हमारी हैं और ऐसी कौन-सी वस्तुएँ हैं जो हमारी नहीं हैं ?

एक कसौटी है । हम जानते हैं कि मृत्यु अटल है । संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो अमर हो । मरण अनिवार्य है । मूल बदले, न बदले; किन्तु मूल की तात्कालिक अभिव्यक्ति में हेरफेर अवश्य होने वाला है । मृत्यु यदि है तो वह कैसी है ? क्या स्वरूप है उसका ? मरणशील क्या है और अ-मरणशील क्या है ? ऐसा क्या है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाएगा ? और ऐसा क्या है जो मौत के बाद यही छूट जाएगा ? क्या यह सब जो सम्पदा/सम्बन्धों के रूप में दिखाई पड़ रहा है; साथ जाएगा/साथ गया है/साथ जा सकता है ? वह क्या है जो देहान्त के क्षणों में सब कुछ शून्य/व्यर्थ कर देता है ? ऐसा क्यों है कि जिन्हे/जिसे हम निपट अपना मान रहे होते हैं, उसे हमें एकवारगी छोड़ देना होता है ? जिस देह को देह से सम्बन्धितों को, उसके रग-रूप को हम लगभग अमरणशील मान रहे थे, वह सब जहा-का-तहा/ज्यों-का-त्यो क्यों पड़ा रह जाता है—साथ क्यों नहीं जाता ? 'क्यों नहीं जाता ?' इसके विश्लेषण में निरूपण गभित है मूर्च्छा का जिसका अपर नाम है परिग्रह । निष्कर्ष यो बनता है कि हम वस्तुओं के मालिक बने किन्तु अलिप्त । मानें कि ये है, किन्तु मेरी नहीं है । यह मान लेना कि इनके होने, न होने से मेरे सुख-

दुःख जुड़े है, निपट मृगमरीचिका है। असल में मृत्यु के स्वरूप को ठीक से समझकर ही हम मूर्च्छा के स्वरूप को समझ सकते हैं।

ऊपर हम बाह्य परिग्रह की बात कर आये हैं; किन्तु अभी तक हमने अंतरंग परिग्रह पर विचार नहीं किया है। अंतरंग मूर्च्छा बाह्य मूर्च्छा की तुलना में अधिक सूक्ष्म और घातक होती है। क्रोध; मान, माया और लोभ अंतरंग परिग्रह हैं। हम क्रोध करते हैं, क्यों करते हैं? हम मान करते हैं, क्यों करते हैं? हम माया बटोरते हैं, क्यों बटोरते हैं? हम 'एक' के सग्रह के बाद 'अनेक' की ओर क्यों दौड़ते हैं; क्यों करना चाहते हैं ज्यादा-से-ज्यादा संचय? हमारे भीतर जो आग धधक रही है और जिसकी आँच से हम लगातार जल-भुलस रहे हैं किन्तु सोच रहे हैं कि उससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है; क्या यह ऐसा सम्भव है? नहीं है। ये जो क्रोध, मान, माया और लोभ की असख्य ज्वालामुखियाँ हमारे भीतर पल-प्रतिपल लावा उगल रही हैं, वे ही मूर्च्छाएँ हैं जो हमें निरन्तर डसती हैं और हमें चिरन्तन आनन्द की प्राप्ति से वंचित रखती हैं। इन ज्वालामुखियों का शमन ही परिग्रह का परिहार है।

क्रोध क्या है? जब हम किसी वस्तु को पाने में निष्फल हो जाते हैं और वह किसी अन्य को प्राप्त हो जाती है तो हमारे मन में एक डाह/एक भु भुल्लाहट/एक भुल्लाहट पैदा होती है। क्रोध ऐसी भुल्लाहटों के समूह का एक उदार शीर्षक है। क्रोध इष्ट-अनिष्ट/चाहे-अनचाहे के संयोग-वियोग की तीव्रताओं के मुताबिक किस्म-किस्म का होता है। उसका एक भेद नहीं है, नाना है। क्रोध आता ही तब है जब हम सम्यक्त्व से विचलित होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ-जनित भ्रान्तियों में से उत्पन्न होता है। जब हम खुद को 'जैसे हैं' उससे अधिक मानकर दूसरों को छोटा या हीन मानने लगते हैं और हर जगह अपने 'मैं' को आरोपित करते हैं, तब उसमें से अँगड़ाई लेता है अहंकार। अहंकार एक मिथ्या मनोदशा है। वह मूलतः अज्ञानजनित है। तमाम कषायें अज्ञानजनित हैं। जब हम सम्यग्बोध के द्वारा वस्तुओं को उनके परमार्थ में जानने लगते हैं, तब परिग्रह अपना विस्तर-वोरिया वाधने लगता है। मनोविकार आभ्यन्तरिक परिग्रह है तथा उनसे सम्बन्धित बाह्य वस्तुएँ और अवस्थाएँ बाह्य परिग्रह हैं। समझें कि वस्तुओं में अंधा और प्रगाढ़ ममत्व मूर्च्छा है।

इस मूर्च्छा से मोर्चा लेना आसान नहीं है। इसे क्रमशः कतरना होता है। यह इतनी स्निग्ध होती है कि इस पर से हमारी पकड़ सहसा फिसल जाती है। चित्त की अँगुलियाँ इसे गिरफ्त में लेते-लेते अचानक रिपस जाती हैं। इन्हें हम मानसिक काई कह सकते हैं, जिस पर मन-के-पाँव हरचन्द कोशिश पर भी टिक नहीं पाते। यह उस खलवाट पुरुष की भाँति है, जिसकी खोपड़ी पर हमारी पकड़ (यत्नशील होने पर भी) मुश्किल होती है।

मूर्च्छा एक तरह की मिथ्या वाछा है, जो लगभग मृगमरीचिका की तरह ही होती है। हमें लगता है कि उसका कोई सिरा है, किन्तु होता इसके विपरीत है; वह अन्तहीन होती है। उसे लेकर बार-बार होता है कि 'यह रहा अन्त, यह आया छोर, यह रहा तट, किन्तु न कोई अन्त आता है, न छोर, न तट। क्रोध, मान, माया और लोभ की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वे जितने अधिक जिये या किये जाते हैं, उतने ही बढ़ते हैं।

क्रोध का कोई अन्त नहीं है। क्रोध में से सदैव क्षतियाँ ही बाहर आती हैं खुद की, दूसरों की। यह असम्भव ही है कि कोई क्रोध करे और अन्दर-बाहर से अविघटित, अक्षत/अचूक बना रहे। अविचलित/अक्षत बनाये रखने वाली तो क्षमा ही हो सकती है, जो हममें है, किन्तु हम नहीं जानते कि वह हममें है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर की दौलत नहीं जानते और बाहर के ककर-पत्थर बीनते फिरते हैं।

इसी तरह मान से व्यक्ति कभी सम्पूर्ण नहीं बन सकता। मान सिर्फ भ्रम है : यह कि 'मैं बड़ा हूँ', यह कि 'वह छोटा है'। असल में कहीं कोई छोटा-बड़ा नहीं है। सब समान है। समत्व ही मान के निराकरण का कोई अमोघ उपाय है। जिसकी आख में समत्व प्रतिष्ठित है, अपरिग्रह भीतर का/बाहर का उसे मिला ही समझिये।

माया के इन्द्रजाल से भला कौन बच सकता है? वह प्रतिपल अपने चेंगुल में फाँसे रहती है। कवीर कहते हैं : 'माया बहु ठगिनी हम जानी। तिरगुन फाँस लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी ॥' माया की बात ही निराली है; बोलती वह मीठी है किन्तु जब उसका दंश रोम-रोम में व्यापता होता है तब प्राणी सिहर उठता है। माया की व्याप्ति असीम है, और उसके लुभावने आवरण असख्य हैं।

लोभ माया का बेटा है। वह कभी शान्त नहीं बैठता, कभी सतुष्ट नहीं होता। उसकी प्यास अन्तहीन है। तृष्णा उसका अपर नाम है। तृष्णा कभी नहीं मरती, आदमी मरता है; इसलिए अपरिग्रह एक ऐसा महायुद्ध है जो इन चारों के खिलाफ है। ये चारों अतरंग परिग्रह हैं यानी भीतर से प्राणी को अपनी गिरपत में कैसे हुए हैं। बाहर जो भी दिखाई पड़ता है, वह इन्हीं की आकृति है। सब जानते हैं : जो भीतर होता है, वही बाहर चाही-अनचाही शकल ग्रहण करता है। हम यदि खोजेंगे तो पायेंगे कि जो हमें बाहर दीख पड़ता है उसका सूक्ष्म अकुर पहले भीतर बनता है और फिर बाहर आकर वह अमर-वेल की तरह हमारे जीवन के आनन्द को चूसने लगता है। वस्तुतः जो भीतर

की निष्पक्ष/अनासक्त समीक्षा करता है, वह बाहर के फैलाव को आसानी से समझ सकता है ।

आखिर क्या समाधान है इस परिग्रह का, जो जड़ है तमाम रोगों की ? एक ही मार्ग है । हम मानें कि 'यह हमारा नहीं है' । हमारे लिए यह साधन-मात्र है जिसका हमें बड़े अननुरक्त/अनासक्त भाव से—दूसरों के लिए छोड़ते हुए—उपयोग करना है । छोड़ना है उन लोगों के लिए जिन्हें इसके पाने का उतना ही हक है जितना हमें है । क्या हम संग्रह की भावना को वाला-ए-ताक रखकर वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते ? क्या हम 'पेट समाता लेय' वाली सूक्ति पर ध्यान नहीं दे सकते ? क्या हमारा ध्यान गाँधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की ओर नहीं जा सकता ? इस तरह कुछ कि यह सब मेरा कहां है ? मैं तो मात्र इसकी देखभाल के लिए नियुक्त हूँ । जितनी आवश्यकता मेरी बनती है, इसमें से मुझे उतना ही लेना है; शेष का मालिक तो यह समाज है, यह जगत् है ।

अपरिग्रह 'ट्रस्टीशिप' का पर्याय शब्द है । हम मानें कि जो हमारे इर्दगिर्द है वह सब अमानत है । हमें इसका अनासक्त उपभोग करना है । समर्पण और त्याग की भावना से किया गया उपभोग अधिकृत है और अपरिग्रह की परिधि में आता है । उपभोग इस तरह कुछ कि अपनी अनिवार्यता भी सरे और दूसरों को कोई कष्ट या क्षति न पहुँचे । अपरिग्रह में प्रथम शर्त अहिंसा है; यह कि हम लें किन्तु इस तरह कि किसी का जी न दुखे, किसी को क्लेश न हो । सबको सुख-शान्ति सुलभ हो और हम भी आत्मोन्नयन के मार्ग में बने रहें, उसे दूसरों के लिए प्रशस्त करें—इस भावना से जो भी किया जाएगा/किया जाता है, वह सब अपरिग्रह है ।

परिग्रह-गृद्धि

मक्खि सिलिम्मे पड्डिओ, मुवइ जहा तह परिग्गहे पड्डिं ।
लोही मूढो खवणो, कायकिलेसेसु अण्णाणी ॥

—रयणसार

जैसे श्लेष्म में लिपटी हुई मक्खी तत्काल ही मर जाती है, उसी प्रकार परिग्रह में आसक्त, लोभी, मूढ़ और अज्ञानी कायक्लेश को ही प्राप्त होता है ।

अनादि काल से जीव अज्ञान-राग-द्वेष-मोह आदि वैभाविक भावों के कारण कर्मों से बद्ध है। जीव और कर्म का सम्बन्ध प्रवाह रूप से है। जीव के रागद्वेष, मोह रूप विकारी-विपरीत भावों से कर्म का बन्धन और इन कर्मों के उदय के फलस्वरूप जीव पुनः रागद्वेष, मोह आदि विकारी भावों में परिणत होता आ रहा है। यह श्रृंखला अनादि से जीव को कर्मों से बद्ध, फिर कर्मों के उदय से जन्म-मरण रूप चतुर्गतियों में भ्रमण, जहाँ त्रिविध आधि-व्याधि-उपाधि मय ताप से भयकर दुःख हो रहा है। कर्मों से ही देह धारण, देह से सवधित, कुटुम्ब परिवार, धन-वैभव-पद आदि से जीव बद्ध-अबद्ध अवस्थाओं से गुजर रहा है। आज तक कहीं भी कर्म रहित जीव हुआ नहीं, इसलिए शरीर धारण करता आ रहा है।

जीव एक चैतन्य द्रव्य है, उपयोग इसका मुख्य लक्षण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, सुख, वीर्य आदि जीव के विशेष लक्षण हैं। अनादि से जीव चैतन्य स्वरूप ही है, कर्मों के व देह सग रहता हुआ भी जीव कभी भी जड़ या पुद्गल नहीं बना और न ही कर्म या देह कभी जीव बने। कर्म व देह दोनों पौद्गलिक हैं। अनन्त पुद्गल परमाणुओं का पिण्ड रूप स्कन्ध ही एक कर्म है और यह देह है चाहे वह एकेन्द्रिय की हो, वेदन्द्रिय की हो, तेजन्द्रिय की हो, चउरिन्द्रिय की हो अथवा पचेन्द्रिय प्राणी की हो। मन, वचन व काया तीनों ही देह रूप हैं। देह के मुख्य अंग हैं। जीव त्रिकाली पदार्थ है। अमूर्तिक है, नित्य-परिणामी है, अजर-अमर-अविनाशी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनन्त गुण पर्यायों का पिण्ड है, अपने आपमें परिपूर्ण अभेद्य, अखण्ड, एक स्वतन्त्र चैतन्य द्रव्य है, जिसका कभी भी विनाश अथवा जन्म नहीं होता, जो कभी भी अन्य द्रव्य रूप परिणत नहीं होता, सदाकाल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से युक्त है। जबकि कर्म या देह पुद्गल स्वरूप है, जडरूप से परिणमन करता है। वर्ण, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्द इसके मुख्य लक्षण हैं, सङ्ग-गलन-विध्वंसन रूप हैं।

लोक में जीव के साथ कर्मों का संबन्ध और कर्म के फलस्वरूप देह का सवध तथा देहाश्रित माता-पिता, स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब एव इनसे सवधित धन, वैभव, सम्पत्ति आदि का सवध संयोग सवध कहलाता है। चूँकि इनका वियोग

सुनिश्चित है। अतः इसे ही परिग्रह की संज्ञा दी है। इसके विपरीत मात्र आत्मा जो कर्म से, देहादि से सर्व बाह्य सबधो से रहित है, वही अपरिग्रही है।

गहराई से चिंतन करने पर यह स्पष्ट अनुभव में आता है कि न कर्म, न देह, न कुटुम्ब, न धन-वैभव आदि परिग्रह है वल्कि इनसे संबंधित होना, इनमें आसक्त होना, इनमें ममत्व करना, अहमत्व करना ही परिग्रह है। 'तत्त्वार्थ सूत्र' में कहा है—मूर्च्छा परिग्रहः अथवा "अध्यात्मविदो मूर्च्छा परिग्रह वर्णयन्ति" अर्थात् वास्तव में मूर्च्छा ही परिग्रह है। यह मूर्च्छा आसक्ति-ममत्व-अहमत्व-राग-स्नेह ही परिग्रह है। यह भी निश्चित है कि यह मूर्च्छा-आसक्ति आदि किन्हीं बाह्य पदार्थों पर ही होगी, इसलिए कर्म, देह, कुटुम्ब, धन, वैभव आदि इस मूल परिग्रह के हेतु हो सकते हैं। मूल में तो जीव का राग, द्वेष, मोह, अज्ञान रूप भाव ही परिग्रह है। इन वैभाविक भावों से रहित होने पर अपरिग्रही हो सकता है, चाहे देह भी हो। श्रीमद् राजचन्द्र जी के शब्दों में—'देह छूतां जेनी दशा वर्तें देहातीत', देह के रहते भी अपरिग्रही अवस्था संभव है, फिर न कही लगाव है, न मूर्च्छा ही है, न कोई चाह है न कोई अपेक्षा है, और न कोई किसी से संवध है।

जीवात्मा भेद ज्ञान सहित अर्थात् जीवाजीव का, स्व-पर का, बन्ध-मोक्ष का यथार्थ निर्णय कर अशत. अथवा पूर्णत. बाह्य सम्बन्धों से, सयोगी पदार्थों से मुक्त हो जाता है अर्थात् द्रव्य से व भाव से बाह्य से जितने अंशों में लगाव कम हो जाता है, उतना-उतना ही अपरिग्रह भाव प्रगट होता जाता है। अशतः भाव व द्रव्य से श्रावक अपरिग्रही होता है और पूर्णत. तीन करण, तीन योग से सर्वथा प्रकार से पदार्थों से सबध भी व लगाव भी छूट जाता है जो अप्रमत्त धर्म ध्यान में स्थित हो जाता है। जिसे कभी भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं, चाह नहीं, ममत्व नहीं, मूर्च्छा तो किंचित् भी नहीं, वही सच्चे माने में अपरिग्रह का स्वरूप ज्ञानी के होता है। मात्र उसकी साधना अपने ही निज गुण-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना में लीन होने की ही होती है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव उदित हो जाता है। वैसे ज्ञानी की साधना में देह, वस्त्र, पात्र, रजो-हरण भी हो तो भी उनमें किंचित् भी स्नेह राग नहीं। उनसे भी हटकर अन्तर-मुख मात्र शुद्ध चैतन्य स्वभाव में रमण करता है। श्रीमद् देवचन्द्र जी ने कहा है—

“स्वस्वरूप एकत्वता, साधे पूर्णानन्द हो मित्त ।
रमे भोगवे आत्मा, रत्नत्रयी गुण वृन्द हो मित्त ॥”

परिग्रह के भेद

अंतरंग भाव परिग्रह को कहते हैं जबकि बाह्य सयोगी पदार्थों का संवध बहिरंग परिग्रह कहलाता है। बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह का निमित्त है।

अंतरंग परिग्रह

इसके मुख्य रूप से चौदह भेद हैं—

१. मिथ्यात्व :

सद्देव, सद्गुरु व सद्धर्म का यथार्थ स्वरूप न जानने से कुदेवादि का श्रद्धान मिथ्यात्व है । जीव-अजीव आदि तत्त्वों का सम्यक् स्वरूप न जानकर उनमें अन्यथा, विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्व है । बन्धन व मोक्ष के स्वरूप को, इनके कारणों को यथार्थ न समझ कर विपरीत मान्यता करना मिथ्यात्व है ।

स्व-पर का अथवा जड़ चैतन्य का यथार्थ स्वरूप न जानकर विपरीत श्रद्धान करना मिथ्यात्व है ।

मूल में स्व के प्रति वेभान रहना ही मिथ्यात्व है । अतः यह सभी आश्रव के कारणों में प्रथम व अनंत ससार बढ़ाने का कारण है । यही मुख्य परिग्रह है ।

२. क्रोध :

यह एक मानसिक किन्तु सवेग की उत्तेजनात्मक अवस्था है । इसकी निम्न अवस्थाएँ हैं :

कोप—क्रोध से उत्पन्न स्वभाव की चंचलता ।

रोष—क्रोधादि का परिस्फुट रूप ।

दोष—स्वयं पर या 'पर' पर दोष थोपना ।

अक्षमा—अपराध को क्षमा न करना—उग्रता ।

सज्वलन—बार-बार जलना, तिलमिलाना ।

कलह—जोर-जोर से बोलकर अनुचित भाषण करना ।

चाण्डक्य—रौद्र रूप धारण करना ।

भडन—पीटने, मारने पर उतारू हो जाना ।

विवाद—आक्षेपात्मक भाषण करना ।

क्रोध के आवेश में आक्रमण या आक्रमण की तैयारी होती है । मान या अहंकार की रक्षार्थ क्रोध का जन्म होता है । यह एक क्षणिक उफान है । मूल में चैतन्य स्वभाव से अरुचि ही क्रोध है । क्रोध से मन में, तन में कपकपी छूट जाती है । उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है ।

३. मान :

अहंकार, अभिमान. अहं, धमण्ड ये मान के पर्यायवाची हैं । इसकी निम्न अवस्थाएँ हैं—

- मान—अपने किसी गुण पर भूठी अहंवृत्ति ।
 मद - अहंभाव मे तन्मयता ।
 दर्प—उत्तेजनापूर्ण अहंभाव ।
 स्तम्भ अविनम्रता ।
 गर्व—अहंकार ।
 अत्युत्क्रोश—अपने को दूसरो से श्रेष्ठ कहना ।
 परपरिवाद—दूसरों की निन्दा ।
 उत्कर्ष - अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ।
 अपकर्ष—दूसरों की हीनता प्रकट करना ।
 उन्नत - दूसरो को तुच्छ समझना ।
 उन्नतनाम - गुणी के सामने भी न झुकना ।
 दुर्नाम—यथोचित रूप से न झुकना ।

मान के आठ भेद :

कुलमद, बलमद, ऐश्वर्यमद, जातिमद, ज्ञानमद, रूपमद, तपमद, अधिकारमद ।

वैसे मानव मे स्वाभिमान की मूल प्रवृत्ति है ही परन्तु जब उसमे उचित से अधिक शासित करने की भूख जाग्रत होती है और जब अपने गुणो व योग्यताओ को परखने मे भूल कर जाता है तब उसके अन्तःकरण मे मान की वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है । अभिमान मे उत्तेजन व आवेश होता है । उसे अपने से बढकर या अपनी बराबरी का कोई व्यक्ति दीखता ही नहीं ।

४. माया :

- छल, कपट, धूर्तता, दम्भ आदि माया है । इसकी निम्न अवस्थाएँ हैं—
 माया - कपटाचार ।
 उपाधि—ठगे जाने योग्य व्यक्ति के समीप जाने का विचार ।
 निकृति—छलने के अभिप्राय से अधिक सम्मान करना ।
 बलय—वक्रतापूर्ण वचन ।
 गहन—ठगने के विचार से अत्यन्त गूढ भाषण करना ।
 नूम—ठगाई के उद्देश्य से निकृष्टतम कार्य करना ।
 कल्क—दूसरे को हिंसा के लिए उभारना ।
 कुरूप—निन्दित व्यवहार ।
 जिम्हता—ठगाई के लिए कार्य मन्द करना ।
 किल्बपिक—भांडो की भाँति कुचेष्टा करना ।
 आदरणा—अनिच्छित कार्य भी अपनाना ।

गूहनता—अपनी करतूत को छिपाने के लिए प्रयत्न करना ।

वचकता—ठगी ।

प्रतिकुंचनता—किसी के सरल रूप से कहे गये वचनों का खडन करना ।

सातियोग—उत्तम वस्तु मे हीन वस्तु मिश्रित करना ।

सक्षेप में मन मे कुछ, वचन मे कुछ और काया में कुछ और ऐसी वक्रता जीवन मे होना माया है ।

५. लोभ :

मोहनीय कर्म के उदय से चित्त मे उत्पन्न होने वाली तृष्णा या लालसा लोभ है । इसकी १६ अवस्थाएँ हैं—

लोभ—संग्रह करने की वृत्ति ।

इच्छा—अभिलाषा ।

मूर्च्छा—तीव्रतम संग्रहवृत्ति ।

कांक्षा—प्राप्त करने की आशा ।

गृद्धि—प्राप्त वस्तु मे आसक्ति होना ।

तृष्णा—जोडने की इच्छा, वितरण की विरोध वृत्ति ।

मिथ्या—विषयो का ध्यान ।

अभिध्या—निश्चय से डिग जाना ।

आशंसना—इष्ट प्राप्ति की इच्छा करना ।

प्रार्थना—अर्थ आदि की याचना ।

लालपनता—चाटुकारिता ।

कामाशा—काम की इच्छा ।

भोगाशा—भोग्य पदार्थों की इच्छा ।

जीविताशा—जीवन की कामना ।

मरणाशा—मृत्यु की कामना ।

नन्दिराग—प्राप्त सम्पत्ति मे अनुराग ।

६. हास्य —खिली ठठ्ठा करना, मजाक करना ।
७. रति —आरम्भ आदि असंयम-प्रमाद मे राग करना ।
८. अरति —संयम, तप आदि में अरति या द्वेष करना ।
९. भय —इहलोक-परलोक-मरण-वेदना-अजस्मात् भय, आरक्षण भय, अगुप्ति भय ।
१०. शोक —इष्ट-वियोग में शोक-विह्वल होना ।

११. जुगुप्सा — ग्लानि होना ।
 १२. स्त्रीवेद — पुरुष के साथ रमने का भाव ।
 १३. पुरुषवेद — स्त्री के साथ रमने का भाव ।
 १४. नपुंसकवेद—स्त्री-पुरुष दोनों के साथ रमने का भाव ।

उपर्युक्त चौदह प्रकार का आभ्यन्तर परिग्रह ही निश्चय से भाव परिग्रह है । यही मूल दुःख है ।

वहिरंग परिग्रह

केवल चैतन्य आत्म तत्त्व का छोड़कर जिन-जिन पदार्थों का सयोग आत्मा के साथ है, होता है, वे सभी पदार्थ परिग्रह है । चूँकि इन वस्तुओं का सयोग होने से वियोग निश्चित होता है अतः वे बाह्य परिग्रह हैं । कर्म भी पौद्गलिक है, शरीर भी पौद्गलिक है, ये दोनों बद्ध परिग्रह हैं और इन्द्रिय भोग्य पदार्थ जिनसे विषय भोगे जाते हैं । वे अबद्ध पदार्थ हैं । वे नौ प्रकार के हैं—

१. क्षेत्र — खेत, बाग, बगीचे आदि ।
२. वास्तु — भवन, घर, दुकान, बगला आदि ।
३. चादी — चादी के आभूषण या चाँदी ।
४. सुवर्ण — सोना या सोने के आभूषण आदि ।
५. धन — मोहर, गिन्नी, रुपये-पैसे, सिक्के नोट आदि ।
६. धान्य — सभी प्रकार का अनाज ।
७. द्विपद — नौकर, दास-दासी, पक्षी आदि ।
८. चतुष्पद—गाय, भैंस, घोडा, बैल, बकरी आदि जानवर ।
९. कुप्य — धातु (सोने-चाँदी के सिवाय) सब प्रकार की ताम्बा, पीतल, स्टील, लोहा, लकड़ी तथा कपड़े की बनी हुई वस्तुएँ ।

ये नौ प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं ।

वैसे 'स्थानाग सूत्र' में भगवान् महावीर ने परिग्रह के तीन प्रकार बताये हैं : (१) कर्म परिग्रह, (२) शरीर परिग्रह, (३) बाह्य भाण्डमात्र उपकरण परिग्रह ।

'उपासक दशाग' सूत्र में परिग्रह के चार भेद भी बताये हैं :—
 (१) गणिम—जिनको गिनकर दिया जा सके । (२) धरिम—जो वस्तु तोल कर दी जाये जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, चावल आदि । (३) मेय—जो मापकर दी जाये जैसे कपडा, जमीन आदि । (४) परिच्छेद्य—जो वस्तु परखकर परीक्षा करके दी जाय जैसे हीरा, माणक आदि ।

‘प्रश्न व्याकरण सूत्र’ में परिग्रह के मुख्य रूप से तीस नाम गिनाये हैं—
 (१) परिग्रह, (२) संचय, (३) चय, (४) उवचय, (५) विधान, (६) संभार,
 (७) संकर, (८) आदर, (९) पिड, (१०) द्रव्यसार, (११) महेच्छा,
 (१२) प्रतिबन्ध, (१३) लोभात्मा, (१४) महर्द्धि, (१५) उपकरण,
 (१६) संरक्षण, (१७) भार, (१८) सम्पातोत्पादक, (१९) कलिकरण्ड,
 (२०) प्रविस्तर, (२१) अनर्थ, (२२) संस्तव, (२३) अगुप्ति, (२४) आयास,
 (२५) अविवेग, (२६) अमुक्ति, (२७) तृष्णा, (२८) अनर्थक, (२९) आसक्ति,
 (३०) असन्तोष ।

इस तरह अपरिग्रह एव परिग्रह भेद विभिन्न अवस्थाओं से यत्र-तत्र सूत्रों में बताये गये हैं ।

धन नहीं, धर्म-संचय

श्रावस्ती का मृगार श्रेष्ठि बीस करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं का स्वामी था । रात दिन उसे अधिकाधिक धन-संग्रह की ही चिन्ता रहती । लोक-परलोक, धर्म अथवा मोक्ष की परिभाषाओं से वह सर्वथा अनभिज्ञ था । श्रेष्ठि की बहू विशाखा भगवान् बुद्ध के धर्म की अनुयायी थी । मृगार पर उसके गुणों की धाक थी । किन्तु धन-वैभव की मरीचिका के पीछे तृपित हरिण की भाँति दौड़ने वाले श्वसुर को वह कैसे रोके, उसकी समझ में नहीं आता ।

मृगार श्रेष्ठि एक दिन भोजन करने बैठा तो विशाखा ने संकुचित स्वर में पूछा, ‘भोजन कैसा है, तात ? कोई त्रुटि तो नहीं ।’ “त्रुटि और विशाखा-सी चतुर वहू से ?” मृगार कौर चबाता हँस पड़ा, “तुम ऐसा क्यों सोचती हो, आयुष्मती ? तुमने सदा ही ताजे भोजन से मुझे तृप्त किया है ।”

“यही तो आपका भ्रम है तात ।” विशाखा ने दृष्टि नीची कर कहा, “मैं आज तक आपको वासी भोजन ही परोसती रही हूँ । मेरी प्रबल इच्छा है कि आपको ताजे व्यजन खिलाऊँ, किन्तु विवश हूँ । आपके भण्डार में ताजे भोजन की व्यवस्था ही नहीं है ।” मृगार के हाथ का कौर हाथ में ही रह गया—“क्या कह रही हो शुभे ?”

विशाखा ने गभीर स्वर में उत्तर दिया, “यह जो आपके भण्डार में अन्न है, कोष में धन है, पशुशाला में गाये हैं—सभी आपके पूर्वजन्म कृत पुण्य के परिणाम हैं । इस जीवन में आप इन वैभवों को भोग रहे हैं, किन्तु ये वासी हैं । इस जन्म में आपका पुण्य-पुरुषार्थ मैंने देखा नहीं, अतः यह भोजन वासी ही तो हुआ ।” विशाखा की बातें सुनकर मृगार श्रेष्ठि हतप्रभ रह गया । वह धर्म एव पुण्य संचय में प्रवृत्त हो गया ।

‘सूयगडो’ (सूत्रकृतांग) नामक प्रसिद्ध जैनागम के प्रथम अर्धययन ‘समय’ (समए) के प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ में जम्बू-सुधर्मा-सवाद उपस्थित किया गया है—

चित्तमंतमचित्त वा, परिगिज्भ किसामवि ।

अण्णं वा अणुजाणाइ, एव दुक्खा ण मुच्चई ॥^१

सुधर्मा ने कहा—“जो मनुष्य चेतन या अचेतन पदार्थों में तनिक भी परिग्रह बुद्धि रखता है और दूसरो के परिग्रह का अनुमोदन करता है, वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।” हिंसा का कारण परिग्रह है । कर्मबन्ध के मुख्य हेतु दो हैं—आरम्भ और परिग्रह । राग-द्वेष, मोह आदि भी कर्म-बन्ध के हेतु हैं किन्तु वे भी आरम्भ और परिग्रह के बिना नहीं होते । इन दोनों में भी परिग्रह गुरुतर कारण है । परिग्रह के लिये ही आरम्भ किया जाता है । जम्बू ने आर्य सुधर्मा से पूछा—“भगवान महावीर की वाणी में बन्धन क्या है और उसे कैसे तोड़ा जा सकता है ?” सुधर्मा ने उत्तर दिया—‘परिग्रह बन्धन है ।’^२ ‘बन्धन का हेतु है—ममत्व ।’^३ प्राणातिपाद आदि पाँच आश्रवों में भी परिग्रह को गुरुतर माना गया है,^४ ‘जिससे विरति की जाती है’, चूर्णिकार ने वैर कहा है ।^५ हिंसा करना, हिंसा करवाना और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करना—ये तीनों गलत हैं । परिग्रह के लिये हिंसा होती है । जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा का होना निश्चित है, इसलिये परिग्रह और हिंसा—ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं । ये एक ही वस्त्र के दो अचल हैं । ये दोनों बन्धन के कारण हैं । यद्यपि राग और द्वेष भी बन्धन के कारण हैं, किन्तु वे भी परिग्रह और हिंसा से उत्तेजित होते हैं, इसलिये परिग्रह और हिंसा बन्धन के पार्श्ववर्ती कारण बन जाते हैं ।

१—सूयगडो १ (सम्पा) युवाचार्य महाप्राज्ञ, १, १, २ ।

२ वही, १, १, २-३ ।

३—वही, १, १, ४ ।

४—चूर्णि, पृ २१, २२—आरम्भ-परिग्रहो बन्ध हेतु—प्राणातिपादादि आसवाण परिग्रहो गुरुतरो त्ति कातु तेण पुव्व परिग्रहो वुच्चति ।

५—चूर्णि, पृ २२—विरज्यते येन तद्वैरम् ।

आगम मे अपरिग्रह को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है क्योंकि इसको मान्यता के अनुसार 'जीव' परिग्रह के निमित्त हिंसा करता है असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन का सेवन करता है और अत्यधिक मूर्च्छा करता है ।^१ सम्पूर्ण परिग्रह से मुक्त, शीतीभूत, प्रसन्नचित्त श्रमण जैसा मुक्ति सुख पाता है, वैसा सुख चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता ।^२ परिग्रह-त्याग से इन्द्रियाँ वश मे होती है ।^३ सग्रह करना भीतर रहने वाले लोभ की झलक है ।^४ परिग्रह दो प्रकार का है—आभ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तर परिग्रह के १४ भेद है ।^५ एव बाह्य परिग्रह के १० भेद है ।^६ सजीव या निर्जीव स्वल्प वस्तु का भी जो परिग्रह रखता है अथवा दूसरे को उसकी अनुज्ञा देता है, वह दुःख से मुक्त नहीं होता है ।^७ इसका अर्थ है कि परिग्रह मे ममता और आसक्ति है ।

'मूर्च्छा परिग्रह है' ऐसा कहा गया है । मूर्च्छा का अर्थ है किसी भी वस्तु मे अपनत्व का अनुभव करना या उसे अपनी मालिकी समझना । यह ममता या अपनत्व की भावना रागवश होती है । फिर उसके अर्जन, सचय एवं संग्रहण के लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता है । इन बाह्य पदार्थों के ऊपर स्वामित्व स्थापित करने के लिए और ऐसा करके अपने राष्ट्रवासियों की सुख-सुविधा बढ़ाने के लिए राष्ट्रों के बीच युद्ध होते है । व्यापार-विस्तार की प्रतियोगिता एवं अपने उत्पादित वस्तुओं की विक्री के लिए बाजारों की खोज और होड ही आज के विश्व की सबसे दुर्दान्त समस्या है । सक्षेप में इन सब प्रवृत्तियों की तह मे मूर्च्छा ही काम करती है । जैन दार्शनिकों ने बड़ी ही सूक्ष्मता से अपरिग्रह व्रत के अतिचारो को रक्खा है ताकि व्यावहारिक जीवन मे अपरिग्रह की साधना मे व्यक्ति को दिशा-निर्देश मिल सके—क्षेत्रवास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, धन-धान्य, दासी-दास एवं कुप्य-भांड के प्रमाणो का अतिक्रम ये परिग्रह-परिमाण व्रत के पाँच अतिचार है ।^८ अतिचार के साथ-साथ अपनी गृहव्रत की भावनाओं की व्याख्या मे भी जैन चिन्तकों ने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एवं शब्द के प्रति राग-द्वेष वर्जन की बात रक्खी है । जैन दर्शन के अतिरिक्त भी अपरिग्रह का महत्त्व

१—सुमणसुत्त, गाथा-१४०, पृ. ४४

सगनिमित्त मारइ ? भणइ अलीअ करेइ चोरिक्क ।

सेवइ मेहुण मुच्छ, अप्परिमाण कुणइ जीवो ॥

२—वही, गाथा-१४५, पृ. ४६ ।

३—भगवती आराधना, (शिवकोटी आचार्य, सोलापुर) गाथा-११६८ ।

४—दशवैकालिक, ६/१६ ।

५—भगवती आराधना (शिवकोटी आचार्य) गाथा-१११८ ।

६—वही, गाथा-१११६ ।

७—समणसुत्त, गाथा-१४१ ।

८—उमा स्वामी तत्त्वार्थ सूत्र, १७, मूर्च्छा परिग्रह ।

भारतीय चिंतन में स्वीकार किया गया है। वेद-उपनिषद् में तेन त्यक्तेन भुंजीथाः' एवं 'मा कस्य स्विद् धनमे'१ कहकर परिग्रह-त्याग का मार्ग प्रशस्त किया गया है। असल में काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया गया है।२ लोभ पर गदा प्रहार के लिये ही अपरिग्रह व्रत की परिकल्पना है। अपरिग्रह को भावात्मक शब्दावली में हम सन्तोष भी कह सकते हैं जिसका महत्त्व शास्त्रों में पर्याप्त रूप से वर्णित है। योगशास्त्र३ ने अपने पंच यमों में यदि अपरिग्रह को स्थान दिया है तो नियमों में सन्तोष का भी उल्लेख किया है। बौद्ध पंचशील४ एवं मनु स्मृति५ में स्पष्टतः अपरिग्रह का उल्लेख नहीं है किन्तु 'अस्तेय' को दोनों ने माना है।

जिसकी हमें आज आवश्यकता नहीं है उसे भविष्य की चिन्ता से सग्रह कर रखना ही परिग्रह है। ईश्वर में अखण्ड आस्था रखने वाला परिग्रही ही नहीं सकता क्योंकि उसकी मान्यता है कि जिस ईश्वर ने जन्म दिया है, जो आज हमारी जीवन रक्षा कर रहा है, भविष्य में भी वही हमारा संरक्षण करेगा। जिस वस्तु की जब सच्ची आवश्यकता होगी तब वह अवश्य प्राप्त हो जायगी। इसलिये उसे सग्रह के प्रपंच में पडने की आवश्यकता नहीं।६ यह है सच्ची आस्तिकता और नैतिक नियमों में विश्वास। किन्तु इसका अर्थ पुरुषार्थहीनता से परिपूर्ण भाग्यवाद नहीं होता है। जो शक्तिमान होते हुए भी श्रम नहीं करता उसकी आवश्यकताएँ परमेश्वर यो ही पूरी नहीं कर देता। परिश्रम करने की जिसे इच्छा नहीं, जो उसे मुसीबत समझता है उसके अन्दर तो यह विश्वास ही नहीं जम सकता कि भगवान् सबकी आवश्यकताएँ पूरी करने वाला है। वस्तुतः वह तो अपनी परिग्रह-शक्ति पर ही भरोसा रखता है। फिर बौद्ध एवं जैन तो श्रमण-संस्कृति की धाराएँ हैं जो आत्म-पुरुषार्थ का धर्म है, इनमें तो ईश्वर जैसे अलौकिक तत्त्व के प्रति परमुखापेक्षी होने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर इसका यह भी अर्थ नहीं कि समाज में रहकर अपरिग्रही-व्रती अपने पास आयी हुई वस्तुओं को कहीं रास्ते में फैंक दे या खराब होने दे। वह अपने को उन वस्तुओं का रक्षक समझे और उनकी पूरी हिफाजत रखे, वह पल भर भी अपने को उन वस्तुओं का मालिक न माने। अतः जिन्हें उनसे काम लेने की आव-

१ - ईशावास्योपनिषद्, श्लोक-१।

२—श्रीमद् भगवद्गीता, १६, २१—त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयत्यजेत् ॥

श्रीमद्भागवत महापुराण, ७, ११, ८-१२—सतोप समदक सेवा।

३—योगसूत्र, २, ३०।

४—ग्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं मादक द्रव्य निषेध।

५—मनु स्मृति, धृति धर्मा दमोअस्तेय शौर्यमिन्द्रियतिग्रह । ७/६२।

६—मश्रुवाला, कि० घ० गावी विचार दोहन, पृ० २०-२१।

शक्यता हो उन्हें उनका इस्तेमाल करने देने में बाधक न हो। अपने या बाल-वच्चों के काम आने के ख्याल से एक चिथड़ा भी बटोर रखता है और दूसरे की जरूरत होते हुए भी इस्तेमाल नहीं करने देता वह परिग्रही है। सक्षेप में परिग्रह या अपरिग्रह एक भावना है। सम्पत्तिवान भी यदि अपने को सम्पत्ति का ट्रस्टी मानता है तो वह अपरिग्रही है एवं अकिञ्चन व्यक्ति भी लोभ में फसा है तो वह परिग्रही है। अतः परिग्रह तृष्णा और लोभ है अपरिग्रह सन्तोष और त्याग की वृत्ति है।

अपरिग्रह केवल व्यक्तिगत नैतिक सद्गुण ही नहीं है, इसका सामाजिक आधार भी है। सर्वप्रथम तो संग्रह व्यक्ति से नहीं समष्टि से ही सम्भव है। यदि समाज असहयोग करे तो व्यक्ति के लिए सम्पत्ति का संग्रह करना तो दूर रहा, उसका अर्जन करने में भी वह अक्षम रहेगा। शायद इसी को ध्यान में रखकर मार्क्स ने कहा है कि पूँजी एक सामाजिक शक्ति है। (Capital is a social power) दूसरी तरफ परिग्रह के कारण सामाजिक विषमता बढ़ती है और फिर उससे ईर्ष्या-द्वेष, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि धर्माचार्यों ने दान को प्रतिष्ठित किया है। इस्लाम में जकात ईसाई धर्म में चैरिटी एव हिन्दू धर्म में दान की महिमा है। शकराचार्य ने तो दानं सविभागः' कह ही दिया है जिसका आधार लेकर विनोबाजी ने भूदान, सम्पत्ति दान, जीवन दान आदि की परम्परा चलायी है। 'सबै भूमि गोपाल की' या 'सम्पत्ति सब रघुपति के आही' जब कहा जाता है तो अपरिग्रह-धर्म परिपुष्ट होता है। केवल जमीन एव जायदाद ही नहीं हमारा जीवन भी अपने लिये नहीं बल्कि समाज के लिये है। यही भावना लेकर विनोबाजी एव जयप्रकाशजी ने 'जीवन दान' का अभियान प्रारम्भ किया था, जो अपरिग्रह-व्रत की पराकाष्ठा है। गाधीजी का ट्रस्टीशिप या विनोबाजी की विश्वस्त वृत्ति का सिद्धान्त भी अपरिग्रह व्रत की सामाजिक साधना है। जिस समाज में अपरिग्रह व्रत का परिपालन होगा, वहाँ पूँजीवाद की समस्या ही नहीं रहेगी और फिर उससे संघर्ष आदि के प्रश्न ही निरर्थक होंगे। किन्तु यदि समाज में व्यक्तिगत परिग्रह बढ़ेगा तो विषमता भी बढ़ेगी, शोषण भी होगा और फिर वर्ग-संघर्ष या रक्तिम-संघर्ष अनिवार्य है।

आध्यात्मिक दृष्टि भी अपरिग्रह के पक्ष में है। जब सभी सम्पत्ति ईश्वर की है तो उसे केवल अपना समझना ईश्वर-द्रोह है। इसीलिये उपनिषद्, त्याग, के पश्चात् भोग—'तेन त्यक्तेन भुजीथा.' और गीता 'यज्ञार्थात्कर्मणो' का आदेश देती है। बाइबिल में तो कहा ही गया है कि 'सूई के छेद से एक ऊँट

का निकल जाना सम्भव है किन्तु परिग्रही व्यक्ति ईश्वर के पास हरगिज नहीं पहुँच सकता ।' इस्लाम में भी परिग्रह की पर्याप्त भर्त्सना है ।^१

मनोवैज्ञानिक रूप से भी यदि हम विचार करें तो परिग्रही-व्यक्ति जितनी सुरक्षा का अनुभव करता है उससे अधिक असुरक्षा का ही अनुभव करता है । उसकी सम्पत्ति पर चोरो-डकैतों और असामाजिक तत्त्वों के अलावा समाज के अभावग्रस्त लोगों की आंखें लगा रहती हैं । फिर सम्पत्ति के अपहरण से व्यक्ति को आक्रोश भी होता है और कभी तो 'धनशोक', पुत्र-शोक' से भी बढ जाता है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिग्रह की कोई सीमा नहीं होती एव उसमें सदा एक चिरन्तन अतृप्ति की भावना रहती है । यह एक कष्टकारक प्रसंग होता है । अतः परिग्रह से मनोवैज्ञानिक सुख भी प्राप्त नहीं होता है ।

जिस प्रकार अहिंसा का वैचारिक आधार अनाग्रह या अनेकात दृष्टि है, उसी प्रकार इसका सामाजिक आधार अनासक्ति या अपरिग्रह है । व्यक्तिगत जीवन में हम जिसे अनासक्ति कहते हैं, सामाजिक जीवन में वही अपरिग्रह हो जाता है । असल में देखा जाय तो अपरिग्रह, अस्तेय और बहुत हद तक ब्रह्मचर्य व्रत भी अनासक्ति के ही व्यावहारिक रूप हैं । व्यक्तिगत जीवन में आसक्ति दो रूपों में अभिव्यक्ति होती है—परिग्रह-भाव एवं भोग-भावना जिनके वशीभूत होकर वह दूसरों के अधिकार की वस्तुओं का अपहरण करता है । इस प्रकार आसक्ति बाह्यतः तीन रूपों में होती है—(१) अपहरण या शोषण, (२) आवश्यकता से अधिक परिग्रह या सग्रह और (३) भोग । केवल हत्या या रक्तपात ही हिंसा नहीं है, परिग्रह भी हिंसा ही है क्योंकि बिना हिंसा (शोषण) के सग्रह असम्भव है । सग्रह के द्वारा दूसरों के हित का हनन होता है और इस रूप में परिग्रह हिंसा है । अपरिग्रह बाह्य-अनासक्ति है, अनासक्ति आंतरिक अपरिग्रह है । इसी प्रकार समाज या राष्ट्र की सग्रह एव शोषण वृत्ति ने मानव जाति को अपार कष्टों में डाला है ।

यही कारण है कि जैन परम्परा ने समविभाग और समवितरण को सामाजिक एव आध्यात्मिक साधना का आवश्यक अंग माना है ।^२ अनासक्ति की भावना को मूर्त्त रूप देने के लिए गृहस्थ जीवन में परिग्रह परिमाण और श्रमण जीवन में परिग्रह के त्याग का निर्देश है । दिग्म्बरत्व शायद आत्यन्तिक अपरिग्रही जीवन का सजीव प्रमाण है । 'उत्तराध्ययन' सूत्र के अनुसार समग्र जागतिक दुःखों का मूल कारण तृष्णा है । जिसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है उसका मोह समाप्त हो जाता है और जिसका मोह मिट जाता है उसके दुःख

१—कुरान शरीफ, ३४, ३५, ३४, ४६-५०, ३५, १, ३५, ५-६, ३५, १०, ३५, १६-२२, २७-२८, ३२ ।

२—उत्तराध्ययन सूत्र, १७, ११, प्रश्न व्याकरण सूत्र, २, ३, १ ।

भी मिट जाते हैं ।^१ तृष्णा असीम है और भौतिक साधन सीमित है । अतः सीमित साधनों से असीमित तृष्णा की पूर्ति हो नहीं सकती ।^२ तृष्णा ही परिग्रह का मूल है । आसक्ति ही परिग्रह है ।^३ आसक्ति की ही दूसरी सजा लोभ है और लोभ सद्गुणों का विनाशक है ।^४ इस अनासक्ति को बौद्ध एव वैदिक परम्पराओं ने भी स्वीकार किया है । गीता तो अनासक्ति-योग का काव्य है ही । गीता के अनुसार आसक्ति के कारण ही मनुष्य काम-भोग की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय की चाह करता है ।^५ सक्षेप में अपहरण, शोषण एवं सग्रह आदि की वृत्तियों के मूल में आसक्ति ही है । इसलिए गीता में आसक्ति और लोभ को नरक का द्वार कहा है ।^६ इसीलिए गीता अनासक्त या निष्काम कर्म का उपदेश देती है । भगवान् बुद्ध की दृष्टि में भी तृष्णा ही दुःख है ।^७ आसक्ति ही बन्धन है ।^८ जो भी दुःख होता है वह सब तृष्णा के कारण ही होता है ।^९ आसक्ति का क्षय ही दुःखों का क्षय है । जो व्यक्ति तृष्णा को वश में कर लेता है उसके दुःख उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं जैसे कमल पत्र पर रहा हुआ जल-विन्दु शीघ्र ही समाप्त हो जाता है ।^{१०} तृष्णा से दुःख वैसे ही बढ़ते हैं, जिस प्रकार खेतों में वीरण घास बढ़ती रहती है ।^{११} यों तो बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप से भव तृष्णा, विभव तृष्णा और काम तृष्णा है लेकिन सब भेद-उपभेद मिलाकर तृष्णा के १८ भेद माने गये हैं । बुद्ध की दृष्टि में भी परिग्रह के मूल में भी यही तृष्णा या आसक्ति है ।^{१२}

यह ध्यान देने की बात है कि जहाँ जैन, बुद्ध एव वैदिक परम्पराओं में अनासक्ति को व्यक्तिगत जीवन का सर्वमान्य मूल्य स्वीकार किया है, वहाँ जैन परम्परा ने अनासक्ति की बाह्य अभिव्यक्ति अपरिग्रह को भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन-धर्म माना है । यही कारण है कि ममत्व-विसर्जन के साथ सम्पदा-विसर्जन पर भी जैन विचारधारा जोर देती है जबकि वैदिक परम्परा

१—उत्तराध्ययन सूत्र, ३२, ८ ।

२—उत्तराध्ययन सूत्र, ८, ३८ ।

३—दशवैकालिक सूत्र, ६, २१ ।

४—वही, ८, ३८ ।

५—गीता, १७, १२ ।

६—गीता, १६, १६ ।

७—सयुत निकाय, २, १२, ६६, १, १, ६५ ।

८—सुत्त निपात, ६८, ५ ।

९—वही, ३८, ५७ ।

१०—धम्मपद, ३३६ ।

११—वही, १८६ ।

१२—महानिर्देसपालि, १, ११, १०७ ।

मे अनासक्त वृत्ति के लिए परिग्रह त्याग आवश्यक नहीं । जनक पूर्ण अनासक्त होते हुए भी राजकाज सम्भालते थे लेकिन जैन परम्परा का भरत पूर्ण अनासक्ति के आते ही राजकाज छोड़कर मुनि बन जाता है ।^१ बौद्ध परम्परा वैदिक एव जैन परम्परा के मध्य में है क्योंकि जहाँ जैन धर्म ने मुनि जीवन के लिए परिग्रह के त्याग और गृहस्थो के लिए परिग्रह-परिसीमन की बात की है, वहाँ बौद्ध धर्म ने केवल भिक्षु के लिए ही स्वर्ण-रजत रूप परिग्रह त्याग की अवधारणा प्रस्तुत की है । गृहस्थो के लिए परिग्रह-परिसीमन का प्रश्न भी नहीं उठाया गया है ।

असल मे अपरिग्रह का प्रश्न केवल वैयक्तिक नहीं, सामाजिक भी है । आज इसकी राष्ट्रीय एव जागतिक प्रासंगिकता भी है । परिग्रह, सग्रह और विसर्जन सभी सीधे-सीधे समाज-जीवन को प्रभावित करते हैं । यदि अर्जन सामाजिक-आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है तो सग्रह आर्थिक समवितरण को । इसी के विपरीत विसर्जन की वृत्ति लोक कल्याण को प्रभावित करती है । अतः परिग्रह-अपरिग्रह के प्रश्न पूरी तरह सामाजिक प्रश्न है । अपरिग्रह का सिद्धान्त वस्तुतः अनुचित अर्जन, अनैतिक सग्रह पर गदा-प्रहार है । अर्जन और संग्रह अपने आप मे बुरा नहीं लेकिन जब इनका आधार शोषण एवं विषमता हो जाता है तो फिर यह समाज के लिए जहर बन जाता है । अन्यायपूर्ण अर्जन एव शोषणाधारित सग्रह ही आर्थिक सघर्षों को जन्म देता है क्योंकि एक तरफ अनियंत्रित उपभोग, वैभव का वीभत्स प्रदर्शन और दूसरी ओर करुण ऋदन का नृत्य होता है, समाज में सम्पदा की विषमता बढ़ती है । फिर तो वर्ग-सघर्ष अनिवार्य हो जाता है और सामाजिक सुव्यवस्था एवं शान्ति दिवास्वप्न हो जाती है । यही कारण है कि मार्क्सवाद उत्पादन के साधन एव स्वामित्व को ही नहीं उसके उपभोग एव वितरण को सामाजिक व्यवस्था मे आबद्ध करते हैं किन्तु मार्क्सवाद का समष्टिगत अपरिग्रह राजदण्ड के आधार पर चलता है इसलिये उसे कई प्रकार की निरकुश व्यवस्थाएँ लादनी पडती है । समाजवाद जब तक ऊपर से लादा जाता रहेगा उसे सगीनो की साया एव तानाशाही का सम्बल चाहिये । वास्तव मे समाजवाद केवल राज्य ही नहीं, यह एक समाज-व्यवस्था और उससे भी अधिक एक जीवन-पद्धति है । इसलिये यदि समाजवाद को मंगलकारी बनना है तो फिर व्यक्तिगत जीवन मे भी अपरिग्रह का मूल्य स्वीकार करना होगा ।

लेकिन मार्क्सवादी समाजवाद का आधार-तत्त्व द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और भौतिकवादी जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य मे सम्भवतः तृष्णा और आसक्ति पर विजय सम्भव नहीं है क्योंकि जब आवश्यकता की वृद्धि की पूर्ति के राग मे ही रत रहना मानव जीवन का लक्ष्य है तो अपरिग्रह आदि की भावना उनके लिए एक दार्शनिक विसर्गति होगी । शायद मार्क्सवाद अभाव और अकिञ्चनता

१—यह कथन दिग्गम्बर मान्यता के अनुसार है—सम्पादक ।

निवारण की पावन भावना से प्रभावित होकर यह भूल जाता है कि भौतिक सुख, भोग एवं आवश्यकताओं की सीमा नहीं है। लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। कामभोग से काम तृप्त नहीं होता है। यद्यदि वृद्धावस्था में जवानी प्राप्त कर भी तृप्त नहीं हुए बल्कि काम तीव्रतर होता गया। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शान्त नहीं होती है, उसी प्रकार भौतिक सुखोपभोग से शान्ति एवं तृप्ति नहीं मिलती है। यही कारण है कि सुकरात ने कहा था—हम यदि सुख चाहते हैं तो हमें यह निर्णय करना होगा कि हम कितनी चीजों के बिना अपना काम चला सकते हैं—(How many things we can do without ?) उपभोक्तावादी संस्कृति के विरुद्ध आज पाश्चात्य जगत् में भी एक अभियान चल रहा है और स्वैच्छिक सादगी एक जीवन-पद्धति के रूप में अपनायी जा रही है। इस सदी के पाँचवें दशक में यह आन्दोलन शुरू हुआ था और आज कम से कम ५० लाख अमरीकी नागरिक तड़क-भड़क की जिन्दगी को छोड़ स्वैच्छिक रूप से सादगी को अपना चुके हैं। आज के असीमित आर्थिक विकास को शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं। शायद वे समझ रहे हैं कि असीमित ढंग से बढ़ती हुई उपभोक्ता संस्कृति का बोझ हमारी यह धरती सम्भाल नहीं सकेगी।^१

टालस्टाय अपनी कहानी - *How Much Land Does a Man Require* ? के माध्यम से बताने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति असीम तृष्णा के पीछे भले ही पागल होकर अपने जीवन की बाजी लगा देता है किन्तु अन्त में उसके शव को दफनाने भर के लिए ही भू-भाग उसके उपयोग में आता है। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति होने से उस वस्तु के विद्योह में दुःख का अनुभव होता है परन्तु आसक्ति नहीं होने पर दुःख नहीं होता है। यह भ्रान्त धारणा है कि सुख बाहरी वस्तुओं में है। मनुष्य की आसक्ति और आकांक्षा जिस वस्तु के लिये संग्रह की होती है, उसको पाने के लिये चिन्ता, वेचैनी आदि होती है किन्तु जैसे ही वह उसे प्राप्त कर लेता है, तत्काल उससे भिन्न अन्य वस्तु पाने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार इच्छाओं का क्रम चलता रहता है। प्रत्येक प्राणी की आशा (इच्छा) का गड्ढा इतना बड़ा होता है कि उसको भरने के लिये सारे ससार के समस्त पदार्थ भी थोड़े होते हैं—'आशागर्तः प्रतिप्राणी यत्र विश्वपणुपमम्।' शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है कि 'इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि पैसा ही हमें सुखी बना सकता है। स्वर्ण तो मनुष्य की आत्मा के लिये सबसे गह्रित विष है।' दुर्योधन ने भी अपने मामा शकुनि से कहा था कि 'सोना अग्नि के समान चमकदार तो होता है परन्तु अग्नि से भी अधिक जलन पैदा करता है, क्योंकि अग्नि तो छूने पर ही जलाती है जबकि युधिष्ठिर के पास भेट में प्राप्त सोने को देखकर मुझे जलन पैदा होती है।'।

१—Handerson, C, 'Learning to live Frugally', Span, New Delhi, July, 1979, p. 15

सच्चे सुख का स्रोत आत्मा के भीतर है—सन्तोष में है, अपरिग्रह में है—‘जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान ।’ असल में आसक्ति और परिग्रह हमें बन्धन में डालता है। आसक्ति की जननी ही मोह या मूर्च्छा है।^१ वाह्य परिग्रह मानसिक परिग्रह (आसक्ति) के बिना सम्भव नहीं है। फिर परिग्रह हिंसा को जन्म देता है। भगवान् महावीर ने अपरिग्रह व्रत पर इसलिये विशेष बल दिया कि वे जानते थे कि आर्थिक विषमता और आवश्यक वस्तुओं का अनुचित संग्रह सामाजिक जीवन को विघटित कर देने वाला है। धन का सीमांकन स्वस्थ समाज-निर्माण के लिये अनिवार्य है। धन सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है और उसके कुछ हाथों में सीमित होने से समाज का सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। जीवनोपयोगी वस्तुओं के संग्रह से समाज में अभाव की स्थिति पैदा होती है। पूँजीवाद का यही अन्तर्विरोध है। साम्राज्य-लिप्सा की भावना के पीछे भी परिग्रह की भावना है।

यह दुर्भाग्य है कि आज जब मानवता का लगभग तृतीयांश भाग भूख एवं अभाव से त्रस्त है, वहाँ दूसरी ओर वैभव और विलास का प्रगल्भ प्रदर्शन होता है। सयुक्त राष्ट्र अमरीका में अन्नादि के दाम नहीं गिरे, इसके लिए करोड़ों मन अन्न नष्ट कर दिया जाता है। दूध का दाम नहीं गिरे, इसके लिए लाखों गायें काट दी जाती हैं। यह सब सांस्कृतिक विकृति है जिसके कारण विश्व-शान्ति और विश्व-भ्रातृत्व को खतरा होता है।

इसलिए अपरिग्रह का विचार और आचार केवल परमार्थ-साधना का विषय नहीं, यह तो व्यक्तिगत जीवन के सच्चे सुख एवं स्वस्थ समाज-संरचना के लिये आवश्यक है। पूँजीवाद व्यक्तिगत परिग्रहवाद है तो साम्यवाद भी राज्य का परिग्रहवाद है। हमें इन दोनों से परे किसी स्वस्थ सामाजिक संरचना के विषय में सोचना चाहिये। मेरी विनम्र राय में गांधीजी का ट्रस्टीशिप का विचार हमें एक दिशा-निर्देश दे सकता है जहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व एवं राज्य के स्वामित्व दोनों का निराकरण किया जाता है। साथ-साथ ट्रस्टीशिप की भावना और योजना समाज-कल्याण के लिये ही है। असन्तोष और अधिकार-लिप्सा वैयक्तिक जीवन की अशान्ति के व्यक्त निदान है। भोग और लोभ की अदम्य कामना विश्व के समस्त पदार्थों को जीवन-यज्ञ के लिये हविष्य बना रही है। सामाजिक जीवन में यह व्यक्त है। यह दुर्भाग्य है कि बीसवीं सदी में जो देश जितना शक्तिशाली, धनवान और शिक्षित है, वह उतना ही अधिक शोषण, उत्पीड़न और संग्रह करने पर तुला हुआ है। ऐसी स्थिति में विश्व-शान्ति पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अतः अपरिग्रह विश्व-शान्ति का रक्षा कवच एवं समाजवाद का स्थायी आधार तत्त्व है। □

अपरिग्रह को अस्तेय से सम्बद्ध समझना चाहिये । वास्तव में चुराया हुआ न होने पर भी अनावश्यक संग्रह चोरी का सा माल हो जाता है । परिग्रह का अर्थ है, संचय या इकट्ठा करना । सत्यशोधक अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता । परमात्मा परिग्रह नहीं करता । वह अपनी आवश्यक वस्तु रोज की रोज पैदा करता है । अतः यदि हमारा उस पर विश्वास है तो हमें समझना चाहिये कि वह हमें आवश्यक चीज रोज की रोज देता है, देगा । औलियाओं का, भक्तों का यह अनुभव है । रोज के काम भर का रोज पैदा करने के ईश्वरीय नियमों को हम नहीं जानते अथवा जानते हुए भी पालते नहीं हैं । अतः जगत् में विषमता और उससे होने वाले दुःख भोगते हैं । धनी के घर उसके लिये आवश्यक अनावश्यक चीजें भरी रहती हैं, मारी-मारी फिरती हैं, खराब होती रहती हैं, दूसरी ओर उनके अभाव में करोड़ों मनुष्य भटकते हैं, भूखों मरते हैं, जाड़े से ठिठुरते हैं । यदि सब लोग अपनी आवश्यकता भर को ही संग्रह करे तो किसी को तंगी न हो और सबको सन्तोष रहे । आज तो दोनों ही तंगी अनुभव करते हैं । करोड़पति अरबपति होने को छटपटाता है, उसे सन्तोष नहीं रहता, कंगाल करोड़पति होना चाहता है । उसे पेट भरने भर को ही पाकर सन्तोष होना दिखाई नहीं देता, परन्तु कंगाल को पेट भर पाने का अधिकार है और समाज का धर्म है कि उसे इतना प्राप्त करा दे । अतः उसके और अपने सन्तोष के लिए शुरूआत धनी को ही करनी चाहिये । यह अपना अत्यन्त परिग्रह त्याग दे तो दरिद्र के काम भर को सहज में मिल जाय और दोनों पक्ष सन्तोष का सबक सीखें ।

आदर्श आत्यक्तिक अपरिग्रह तो उसी का कहा जायेगा जो मन से और कर्म से दिग्भ्रमर है । यहाँ तक कि वह पक्षी की भाँति बिना घर के, बिना वस्त्रों के और बिना अन्न के विचरण करता है । अन्न तो उसे रोज की जरूरत भर को भगवान देता रहेगा । इस अवधूत स्थिति को तो विरले ही पहुँच सकते हैं । हम मामूली दर्जे के सत्याग्रह के जिज्ञासुओं को तो चाहिये कि आदर्श को ध्यान में रख कर नित्य अपने परिग्रह की जाँच करते रहें और जहाँ तक बने उसे घटाते रहे । सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है । परिग्रह घटाते जाने से सच्चा सुख और सच्चा सन्तोष बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है । इस दृष्टि से विचारने

और बरतने पर हमें मालूम होता है कि आश्रम से हम लोग बहुत सा सग्रह ऐसा करते हैं कि जिसकी आवश्यकता सिद्ध नहीं कर सकते और ऐसे अनावश्यक परिग्रह से पड़ोसी को चोरी करने के लालच में फँसाते हैं। अभ्यास से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को घटा सकता है और ज्यो-ज्यों घटाता जाता है, त्यों-त्यों वह सुखी, शान्त और सब तरह से आरोग्यवान होता जाता है। केवल सत्य की, आत्मा की दृष्टि से विचारिये तो शरीर भी परिग्रह है। भोग की इच्छा के कारण हमने शरीर का आवरण ले लिया और उसे कायम रखा है। भोगेच्छा के अत्यन्त क्षीण हो जाने पर शरीर की जरूरत नहीं रह जाती। सर्व व्यापक आत्मा शरीर रूपी पिजड़े में कैसे बन्द रह सकता है? यह पिजड़ा बनाये रखने का अनर्थ कैसे कर सकता है? दूसरे को कैसे मार सकता है? यो विचार करते हुए हम आत्यंतिक त्याग को पहुँच जाते हैं और शरीर की स्थिति पर्यन्त उसका उपयोग केवल सेवार्थ करना सीख जाते हैं और यहाँ तक कि सेवा ही उसकी वास्तविक खुराक हो जाती है। उसका खाना-पीना, सोना-बैठना, जागना-ऊघना सब सेवा के लिए ही होता है। इससे उत्पन्न सुख ही सच्चा सुख है। इस प्रकार बरतने वाला मनुष्य अन्त में सत्य की भाँकी करेगा। इस दृष्टि से हम सबको अपने परिग्रह पर विचार कर लेना चाहिये।

यह याद रखे कि वस्तुओं की भाँति विचार का भी परिग्रह होना चाहिये। अपने दिमाग में निरर्थक ज्ञान भर लेने वाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वर से विमुख रखते हैं अथवा ईश्वर के प्रति न ले जाते हों वे सब परिग्रह के अन्दर आते हैं और इसलिये त्याज्य हैं। भगवान् की 'गीता' के तेरहवें अध्याय में दी हुई ज्ञान की यह परिभाषा हमें ख्याल में लानी चाहिये। अमानित्व इत्यादि गिना कर कहा गया है कि उससे भिन्न सब अज्ञान है। यदि यह वचन सत्य हो और सत्य है ही—तो हम आज जो बहुत-कुछ ज्ञान के नाम से सग्रह करते हैं, यह अज्ञान ही है और उससे लाभ के बदले हानि होती है, दिमाग फिर जाता है, अन्त में खाली हो जाता है, असन्तोष फैलता है और अनर्थ बढ़ते हैं। इससे यह मतलब नहीं कि मदता अभीष्ट है। प्रत्येक क्षण प्रवृत्तिमय होना चाहिये। पर यह प्रवृत्ति होनी चाहिये सात्विक, सत्य की ओर ले जाने वाली। जिसने सेवा धर्म स्वीकार किया है वह क्षण भर भी सुस्त नहीं रह सकता। यहाँ तो सारासार का विवेक सीखने की बात है। सेवा-परायण को यह विवेक सहज प्राप्त होता है।



परिग्रह का अर्थ है अपनी सम्पत्ति, धन दौलत के प्रति ममत्व भाव रखना । अपरिग्रह का अर्थ है विषयासक्ति का त्याग । इस व्रत के लिये उन सभी विषयों का परित्याग करना पड़ता है जिसके द्वारा इन्द्रिय सुख की उत्पत्ति होती है । ऐसे विषयों के अन्तर्गत सभी प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध है । मनुष्य सासारिक विषयों में आसक्त होने के कारण बन्धन में पड़ जाता है । फल यह होता है कि उसे पुन-पुन. जन्म ग्रहण करना पड़ता है और वह तब तक मोक्ष नहीं पा सकता जब तक कि विषयों से अनासक्त नहीं हो जाता ।

मानव की अभिलाषा रहती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे । अस्तु, उसे चाहिये कि अपनी आवश्यकता से अधिक जो धन सम्पत्ति, साधन सामग्री उसके पास उपलब्ध है, उसका प्रयोग सत्कार्य, परोपकार, सार्वजनिक हित के कार्यों, दीन दुःखी व असहायों की सेवा में मुक्त भाव से कर, मानव जीवन को कृतार्थ बनावे । यही अपरिग्रह का मूल मन्त्र है ।

कवि रहीम ने भी कहा है—

तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान ।

कह 'रहीम' पर काज हित, सपत्ति सचहि सुजान ॥

इस दोहे में महावीर का अपरिग्रह का सिद्धान्त स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ।

महावीर के समान ही अन्य पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी सम्पत्ति के सचय व परित्याग के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं ।

प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने 'रिपब्लिक' में लिखा है—प्रथम तो जितनी कम से कम सम्पत्ति नितान्त आवश्यक है, उससे अधिक सम्पत्ति किसी को नहीं रखनी चाहिये । दूसरे किसी के पास ऐसा घर, भण्डार (कोष) नहीं होना चाहिये जो कि सबके स्वेच्छापूर्ण प्रवेश के लिये नित्य खुला न रहता हो । उनकी भोजनादि सामग्री इतनी मात्रा में और ऐसी होनी चाहिये जो कि संयमी एवं साहसी योद्धा भटों के लिये उपयुक्त हो एवं यह उसको अन्य नागरिकों

सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित प्रकार से उनकी संरक्षता की तृप्ति के रूप में इतनी मात्रा में मिल जानी चाहिये कि न तो वर्ष के अन्त में शेष रहे और न कम ही पड़े। रही सोने-चाँदी की बात सो जबकि उनको देवताओं से दिव्य प्रकार का स्वर्ण और रजत नित्य ही अपनी आत्मा के अन्दर प्राप्त है, तो उनको मृत्युलोक की निम्नकोटि की धातु की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अन्तरात्मा में विद्यमान धातु पूर्णतया शुद्ध है जबकि सासारिक व्यवहार में आने वाले सिकके के कारण असंख्यों पाप हो चुके हैं।

प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने कहा है, 'संपत्ति वही तक संचित की जानी चाहिये जहाँ तक कि उससे अन्य लोगों को हानि न हो।' उसके अनुसार सम्पत्ति का सर्वोत्तम सिद्धान्त व्यक्तिगत अधिकार व सार्वजनिक उपयोग है। वे कहते हैं 'सम्पत्ति स्वयं कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसके गलत उपयोग में है।'

सन्त आगस्टाइन के अनुसार धनिक और निर्धन दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं फिर भी वे सांसारिक वस्तुओं के अधिकार को आत्मा की प्रगति में और ईश्वर के असीम प्रेम के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा मानते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी अपरिग्रह के बारे में अपने विचार निम्न प्रकार से व्यक्त किये हैं, 'अपरिग्रह का पालन करने के लिये केवल धन संचय न करना ही पर्याप्त नहीं है प्रत्युत भविष्य के लिये किसी भी रूप में किसी प्रकार का संचय न करना और उसकी रक्षा भी न करना आवश्यक है।' वे यह मानते हैं कि अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को ग्रहण करके उसे भविष्य के लिये संचित करना अपरिग्रह का उल्लंघन है। उनके विचार में अपरिग्रह के अनुसार आचरण करने का अर्थ यह है कि मनुष्य निरन्तर श्रम करते हुए भी समाज से उतना ही ग्रहण करे जितना उसके जीवन के लिए अनिवार्य हो, शेष सब कुछ उसे समाज के कल्याण के लिये समर्पित कर देना चाहिये। गाँधीजी का यह कथन है कि मनुष्य अपने शरीर को भी सुख-भोग का साधन न मानकर सम्पूर्ण मानव जाति तथा प्राणी मात्र की सेवा का साधन समझे और यदि आवश्यक हो तो इस महान् लक्ष्य की पूर्ति के लिये अपने शरीर का परित्याग करने में भी सकोच न करे। स्पष्ट है कि अपरिग्रह का दृढतापूर्वक पालन करने के लिये मनुष्य को अपनी आवश्यकताएँ अधिकाधिक सीमित करनी होंगी। उनका यह दृढ विश्वास था कि यदि सभी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपरिग्रहानुसार आचरण करे तो समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का अन्त हो सकता है और मनुष्य का जीवन अधिक शान्तिपूर्ण एवं सुखमय हो सकता है। यदि सभी मनुष्य विशेषतः धनवान् व्यक्ति वास्तव में अपरिग्रह का निष्ठापूर्वक पालन करे तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिये सुख और शान्ति का

मार्ग प्रशस्त हो सकता है तथा अन्याय, शोषण एवं संघर्ष को रोका जा सकता है ।

सम्पत्ति के सम्बन्ध में गाँधीजी ने ट्रस्टीशिप (न्यासधारिता) के सिद्धान्त को अपनाने का सुझाव दिया है । इसके अनुसार मूल रूप से साधनों पर निजी स्वामित्व ऐसा हो जैसा कि एक ट्रस्टी का होता है । व्यक्ति अपने साधनों का प्रयोग निजी उद्देश्यों में न करके सामाजिक हित में करे । साधनों को समाज का माने और अपने आपको उसका ट्रस्टी माने । इससे सभी आर्थिक विषमता का अन्त होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से यह अपरिग्रह पर जोर देता है । उनका कहना था कि 'यह धरती अपने प्रत्येक निवासी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन यह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती है ।'

प्रसिद्ध विचारक आचार्य विनोबा भावे ने गाँधी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए, 'सर्व भूमि गोपाल की' अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्रम दान, सम्पत्ति दान, ग्राम दान आदि की विचारधारा समाज के समक्ष रखी ।

प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री एव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विषय के अध्यक्ष प्रोफेसर जे. के. मेहता ने भी आवश्यकताओं को कम से कम करने पर जोर दिया है । उनके अनुसार प्रत्येक आवश्यकता की उपस्थिति मनुष्य को दुःख देती है । आवश्यकता की पूर्ति पर उसे क्षणिक सुख मिलता है । वे कहते हैं कि आवश्यकताओं की अभिवृद्धि का क्रम सुख में नहीं बल्कि दुःख में वृद्धि करने वाला होता है । उनके अनुसार परम सुख प्राप्त करने के लिये मनुष्य को आवश्यकता विहीन अवस्था को प्राप्त करना होगा । उनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन में सभवतः पूर्ण आवश्यकता रहित स्थिति को प्राप्त न कर सके, परन्तु जैसे-जैसे वह अपनी आवश्यकताओं में कमी करेगा परम सुख के समीप पहुँच जावेगा । इन विचारों में भी स्पष्टतः अपरिग्रह की भावना दिखाई पड़ती है ।

उपर्युक्त प्रस्तुत विचारों के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि वर्तमान में राष्ट्र, समाज व व्यक्ति को आत्मिक शान्ति प्राप्त करनी है, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी है, अपने आपको सुश्रावक प्रतिस्थापित करना है तो उसके सामने अपरिग्रह का व्रत अंगीकार करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित अपरिग्रह सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्त्व नहीं रखता वरन् समाज की सम्पूर्ण आर्थिक संरचना में एक विशेष स्थान रखता है। अपरिग्रह का सिद्धान्त धर्म और अर्थ के मध्य व्याप्त सम्बन्ध और इसके परिणामों को व्यापक रूप से अभिव्यक्त करता है। "अपरिग्रह" अथवा "परिग्रह" के स्वरूप, व्यवहार और प्रभाव का अंकन व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के जीवन से स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। अनेक अर्थशास्त्रियों, धार्मिक व राजनीतिक विचारधाराओं ने परिग्रह व अपरिग्रह की प्रवृत्ति का आर्थिक निरूपण भी किया है। प्रो. लेविस, मेक्सवेबर, कार्ल मार्क्स, लेनिनवाद, प्रोटेस्टेन्ट नीतिशास्त्र में परिग्रह के स्वरूप व परिणामों की विवेचना की है जो धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से अध्ययनार्थ है।

इसके पूर्व कि हम परिग्रह तथा अपरिग्रह के स्वरूप व व्यवहार का विवेचन करें, दोनों के बीच व्याप्त अन्तर स्पष्ट करना उचित होगा। "परिग्रह" एक तृष्णा है जो सदैव अतृप्त रहती है। परिग्रह एक मूर्च्छाभाव है जो मनुष्य को विविध प्रकार की पापमय प्रवृत्तियों में धकेलता है। यह एक आसक्ति है जो मानव को सासारिक पदार्थों के प्रति आसक्त रखती है। सक्षिप्त में मूर्च्छाभाव से सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने की प्रवृत्ति परिग्रह है।

दूसरी ओर अपरिग्रह (परिग्रह-परिमाण व्रत) एक अणुव्रत है जो इच्छाओं को सीमित करता है, इच्छाओं और आवश्यकताओं में अन्तर करता है व साधनों की सीमितता को स्वीकार करते हुए उचित साधनों के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर देता है। किसी लेखक ने अपरिग्रह की परिभाषा देते हुए "मोह के उदय से होने वाली 'पर' में ममत्त्व बुद्धि से निवृत्त होना" कहा है। अपरिग्रह का अणुव्रत अनासक्ति पर जोर देता है। वह परिग्रह को अनेक पापों व बुराइयों का जन्मदाता मानता है। परिग्रह का वणवर्ती मनुष्य अब्रह्मचर्य, असत्य, चोरी व हिंसा की ओर अग्रसर होता है। परिग्रह से ग्रसित व्यक्ति काम, मोह-माया के जंजाल में फसा रहता है और अनुचित व अनावश्यक की प्राप्ति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से "परिग्रह"—

“आसक्ति” है और अपरिग्रह “अनासक्ति” । अपरिग्रह की प्रवृत्ति से ही मनुष्य में ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय व ग्रहिसा का उदय हो सकता है अर्थात् भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित चारों अणुव्रतों की प्राप्ति अपरिग्रह के महत्त्वपूर्ण अणुव्रत पर निर्भर करती है ।

संक्षेप में अपरिग्रह का उदात्त आदर्श परिग्रह को मूर्च्छा, अविवेक, आसक्ति, अनर्थों की जड़, पिशाच प्रवृत्ति मानता है । अपरिग्रह का मूल, संयम, इच्छा-शक्ति पर नियंत्रण अथवा अनासक्ति पर जोर देता है । अपरिग्रह के आदर्श के अनुसार परिग्रह के मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग पाँच कारण बताये हैं । आगम के अनुसार मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद आदि आन्तरिक परिग्रह के चौदह भेद हैं ।

परिग्रह-अपरिग्रह का एक सैद्धान्तिक धार्मिक-आर्थिक पक्ष भी है । प्रो. स्पैंगलर के अनुसार मनुष्य की आर्थिक नीतियों में धार्मिक प्रवृत्तियों का सफलता से प्रभाव देखा जा सकता है । उसने आर्थिक विकास का विश्लेषण करते हुए उनमें मानवीय प्रवृत्ति के मूल्यों को स्पष्ट किया है । प्रो. लेबिस जैसे अर्थशास्त्री ने यह भी कहा है कि प्रायः आर्थिक व्यवहार मानव मूल्यों का संहार भी कर देता है । मेक्सवेवर ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “प्रोटेस्टेन्ट एथिक्स एण्ड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म” में स्पष्ट किया है कि आर्थिक जीवन पर धार्मिक मूल्यों के प्रभाव के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता । वेवर के अनुसार “धर्म को उद्योग व अपरिग्रह दोनों का समान विकास करने में सहयोग करना चाहिये ।” प्रोटेस्टेन्टवाद के अनुसार “उत्पादन बढ़ाना परिग्रह नहीं है वरन् उत्पादन-वृद्धि में उत्पन्न अविवेकी आनन्द की ओर उन्मुख होना परिग्रह है और वह प्राकृतिक रूप से हानिकारक है ।” अर्थशास्त्री रोबिन्स का “इच्छाओं पर संयम अथवा असीमित इच्छाये व सीमित साधन” का सिद्धान्त हमारे अपरिग्रह के सिद्धान्त के बहुत निकट है । गांधीजी ने सम्पत्ति को एक धरोहर माना है । उनका ट्रस्टी-शिप का सिद्धान्त आर्थिक परिग्रह के अनुचित प्रभावों से समाज को मुक्त करता है । सैद्धान्तिक दृष्टि से सार रूप में अपरिग्रह का सिद्धान्त मनुष्य को धन-सचय, सम्पत्ति-सचय अथवा अन्य प्रकार के लाभ-सचय से रोकता है ।

परिग्रह-अपरिग्रह का एक व्यावहारिक आर्थिक पक्ष भी है जो विशेष महत्त्व का है । “परिग्रह” से ग्रसित चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र, सम्पूर्ण जगत् को आर्थिक पृष्ठभूमि में देखता है । समाज में वर्गीय आधार को स्वीकार कर गरीब व अमीर का भेद करता है, आर्थिक प्रभाव को मानकर गरीब का शोषण करता है तथा अपनी आर्थिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता रहता है । राष्ट्रीय स्तर पर, परिग्रह की प्रवृत्ति, पूंजीवाद को जन्म देती है, आर्थिक शोषण-साम्राज्यवाद को प्रबल

करता है, उत्पादन बढ़ाकर मंडियों के विस्तार पर जोर देता है तथा आर्थिक लाभ से प्रेरित राष्ट्र युद्ध व हिंसा को समर्थन देने लगते हैं। मार्क्सवाद परिग्रह से उत्पन्न पूंजीवाद को समाप्त कर शोषणविहीन समाजवाद की चर्चा करता है। मार्क्सवाद के निम्न पाँच स्वरूप अपरिग्रह को समझने के लिये महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद के अनुसार :—

- (१) मानव का इतिहास आर्थिक प्रभावों से प्रतिबन्धित है।
- (२) समाज में दो वर्ग हो गये हैं — शोषक व शोषित।
- (३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त।
- (४) शोषक के विपरीत शोषित का आन्दोलन।
- (५) अंत में शोषित की विजय तथा एक नये समाजवादी समाज का निर्माण।

आर्थिक परिग्रह से परास्त राष्ट्र आर्थिक संग्रह को बढ़ावा देते हैं, गरीब का आर्थिक शोषण करते हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म देते हैं तथा पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद परिग्रह का परिचायक है और समाजवाद अपरिग्रह पर आधारित विचारधारा है।

आज हमें अपरिग्रह के सिद्धान्त को केवल धार्मिक परिधि में न देखकर उसे सम्पूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व के सन्दर्भ में देखना चाहिये। इस दृष्टि से अपरिग्रह—सिद्धान्त, उत्पादन वृद्धि, नयी खोजों, तकनीकी विकास को सकुचित नहीं करता है बल्कि आर्थिक होड़, आर्थिक साम्राज्यवाद और आर्थिक हिंसा की रोक पर जोर देता है। आज के सन्दर्भ में अपरिग्रह का सिद्धान्त व्यक्ति-विकास को सही गति प्रदान करता है और विश्व को अंधाधुन्ध होड़ से सयमित कर एक लोकतान्त्रिक समाजवादी शान्तिपूर्ण समाज के निर्माण में सहयोग देता है। इस प्रकार अपरिग्रह का सिद्धान्त केवल व्यक्तिगत मूल्यों तक ही सीमित नहीं है बल्कि व्यापक अर्थ में आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में योग देने वाला सिद्धान्त है।



परिग्रह—जल

जालस्स जहा अते रमति, मच्छा भय अयाणंता ।

तह संगदिमु जीवा, रमति ससारमगणता ॥

—भगवती आराधना १२७५

जाल के भय को नहीं जानने वाली मछलियाँ जैसे जाल के समीप खेलती-कूदती हैं, वैसे ही संसारी जीव संसार-भय से रहित परिग्रह में रमण करते हैं।

मनुष्य अकेला जन्म लेता है। जन्म के साथ उसके पूर्व जन्म के संस्कार साथ आते हैं। शारीरिक विकास के साथ-साथ वे संस्कार माता-पिता, परिवार, समाज, धर्म, राजनीति आदि का परिवेश पाकर विकसित होते रहते हैं। संस्कार बीज रूप होते हैं। परिवेशगत खाद, पानी, हवा, प्रकाश आदि पाकर वे अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होते हैं। सामान्यतः देखने में आता है कि यदि बीज की नस्ल अच्छी होती है, उर्वरक होती है तो उससे अच्छा फल मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य के सर्वांगीण विकास में संस्कारों की भूमिका उसकी विविध प्रवृत्तियों और गतिविधियों को बहुत दूर तक प्रभावित करती है।

मनुष्य के विकास में प्रकृति और समाज का बड़ा योगदान है। सद्-संस्कार पाकर मनुष्य प्रकृति और समाज के साथ अपना आत्मीय और अनुरागात्मक सम्बन्ध जोड़ता है पर यदि संस्कार कुत्सित हैं तो वह प्रकृति और समाज की सुविधाओं का और शक्ति का केवल अपने स्वार्थ के लिए उपभोग करने का भाव विकसित करता है जिससे उसकी दृष्टि भोगमूलक बनती है और यदि उसमें अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम, दया, मैत्री और सहयोग का भाव जाग्रत होता है तो वह अपने संकुचित स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रकृति और समाज की सम्पदा का उपयोग दूसरों के लिए करने के लिए, उसमें सहयोगी बनने के लिए, प्रवृत्त होता है। तब उसमें उपयोगमूलक परमार्थ दृष्टि विकसित होती है। प्रकारान्तर से प्रथम प्रकार की दृष्टि में परिग्रह की भावना और दूसरे प्रकार की दृष्टि में अपरिग्रह की भावना अनुस्यूत रहती है।

परिग्रह के मूल में ममता या मूर्च्छा भाव निहित रहता है, जो भोगेच्छा का परिणाम है। भोग का मुख्य साधन मन और इन्द्रियाँ हैं। यदि मन की वृत्ति भोगोन्मुखी होती है तो इन्द्रियाँ बेलगाम घोड़ों की भाँति विषयों की ओर दौड़ने लगती हैं। आज हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, उसमें भोगवृत्ति की प्रधानता है। प्रकारान्तर से हम आज की संस्कृति को उपभोक्ता संस्कृति कह सकते हैं। इस संस्कृति में वास्तविक अभाव को दूर करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ कृत्रिम अभाव पैदा कर, उपभोग की भूख बढ़ाकर आवश्यकताओं का विस्तार किया जाता है। इस प्रकार पूर्ति की अपेक्षा मांग बढ़ाकर अतिरिक्त लालसा का क्षेत्र विस्तृत किया जाता है। व्यक्ति इस दुष्चक्र में सुख समझने

लगता है और उसके लिए येन-केन-प्रकारेण साधन जुटाने के लिए वेचन और व्यग्र रहता है। आवश्यकताओं को इच्छा समझकर वह उनकी पूर्ति में अपनी चेतना और विवेक को निम्न स्तर पर उतार लाता है और ऐसी मानसिकता में जीने लगता है जहाँ दूसरों से अधिक से अधिक प्राप्ति का भाव निरन्तर बना रहता है। यही नहीं जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए वह सदा चिन्तित रहता है।

कामना पूर्ति और भोग लिप्सा का दवाव मनुष्य की संवेदना को कुण्ठित कर देता है। अपने इर्द-गिर्द जो प्रकृति और समाज है, उसके प्रति लगाव के बजाय, बिखराव और दोहन के बजाय शोषण की वृत्ति पनपने लगती है। प्रकृति की थल, जल और वायु सम्बन्धी जो सतुलित सम्पदा है उसे असतुलित बनाकर वह अपने लिए अधिक भोग सामग्री जुटाना चाहता है। परिणामस्वरूप प्रदूषण के रूप में भयकर समस्या आज हमारे सामने आने लगी है।

भोग की लिप्सा व्यक्ति को जड और मूर्च्छित बना देती है। उसकी शक्ति का क्षरण होने लगता है और वह धीरे-धीरे अपनी प्राण चेतना खो बैठता है। सयम की शक्ति का क्षरण होने के कारण वह निम्नस्तरीय भोग भूमि का ससार जो अन्ततः दुःख रूप है, अपने चारों ओर विकसित कर लेता है। यही ससार नरक है जिसके शास्त्रों में सात प्रकार बताये गये हैं। हमारी दृष्टि से पहले स्तर रत्नप्रभा में भोग का सुख रत्न की चमक की तरह आकर्षित करता है। सुख-प्रियता के भ्रम में प्राणी डूबा रहता है। दूसरे स्तर शर्कराप्रभा में शक्कर की मिठास की तरह भोग का सुख मधुर लगता है। तीसरे स्तर बालुका प्रभा में रस रहता ही नहीं। भोग का सुख रेत की तरह नीरसता में बदल जाता है। चौथे स्तर पकप्रभा में प्राणी विषय सुख के दलदल में फसकर द्वन्द्व की स्थिति में जीने लगता है। भोग-सुख की दासता में आवद्ध प्राणी दुःखी होते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता। पाँचवे स्तर धूमप्रभा में उसकी दृष्टि धूमिल हो जाती है और जीवन में धुँआ की तरह निराशा छा जाती है। छठे स्तर तमप्रभा में प्राणी विमूढ बन जाता है। उसे चारों ओर अधकार ही अधकार दिखाई पड़ता है। सातवें स्तर महातम प्रभा में वह हीन भावना से ग्रस्त होकर निविड़तम में डूब जाता है दुःख के गर्त में फंस जाता है। ये सातों अनुभव भोगवृत्ति की पूर्ति के लिये किये गये आरम्भ-परिग्रह की प्रवृत्तियों और उनके दुःखद परिणामों के क्रमिक स्तर को द्योतित करते हैं।

इस नारकीय दुःख से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब उपयोग दृष्टि का विकास होता है। उपयोग दृष्टि में विवेक का, कृतज्ञता का भाव होता है। उसमें इच्छाओं का नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य रहता है, सयम और शक्ति का समुचित सतुलन रहता है। अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता की भावना रहती है। इस कारण मानसिक वृत्तियों

बिखरती नहीं, जुड़ती है। उनमें बिखराव नहीं, भराव होता है। ममत्व नहीं, समत्व होता है। इसी उपयोग को जीव का लक्षण कहा गया है।

आज हम जिस व्यापक विश्व सकट से गुजर रहे हैं उसके मूल में उपभोग और उपयोग मूलक दृष्टि का द्वन्द्व है और उत्तरोत्तर यह द्वन्द्व अधिक बढ़ता जा रहा है। इस द्वन्द्व को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि भोगलिप्सा को नियन्त्रित किया जाय, आवश्यकताओं को कम किया जाय और उपभोग-परिभोग के जो पदार्थ हैं उनका नियमन किया जाय। स्वैच्छिक राशनिग पद्धति से—आत्म-सयम से हम न केवल अपनी अतः प्रकृति को सन्तुलित करते हैं वरन् बाह्य पर्यावरण को भी शुद्ध बनाते हैं। सत कवीर ने भोगोन्मुखी मन को नियन्त्रित करने के लिए संयम रूप अक्रुश की जो बात कही है, वह बड़ी सटीक है—

मैमंता मन मारि के, घर ही माहे घेरि ।

जब ही चाले पीठि दे, अक्रुश देदे फेरि ॥

शब्द निरुक्ति की दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि उपभोग में 'उप' और 'भोग' दो शब्द हैं। भोग शब्द 'भुज्' धातु से बना है जिसके मुख्य दो अर्थ हैं। एक खाना, पीना, आस्वाद लेना, शारीरिक भूख मिटाना और दूसरा अर्थ है पालन करना, रक्षा करना। 'उप' का अर्थ है—समीपता या निकटता, चेष्टा और प्रयत्न। इस प्रकार उपभोग का एक अर्थ हुआ चेष्टापूर्वक पदार्थ के प्रति ममत्व स्थापित कर शारीरिक सुख पूर्ति के लिए उसका भोग करना और दूसरा अर्थ है पदार्थ के प्रति आत्मीय भाव स्थापित कर उसके पालन या रक्षण के लिए सचेष्ट रहना। यह दूसरा अर्थ आज गौण हो गया है। ज्यों-ज्यों यह दूसरा अर्थ प्रधान बनता जाता है त्यों-त्यों उपभोग में उपयोग का भाव बढ़ता जाता है। उपयोग में भी दो शब्द हैं। 'उप' और 'योग'। योग 'युज्' धातु से बना है जिसका अर्थ है मिलना, जुड़ना, स्थिर होना। 'उप' का अर्थ है योग्यतापूर्वक। इस प्रकार उपयोग का अर्थ हुआ योग्यतापूर्वक मिलना या जुड़ना अर्थात् अपनी समस्त योग्यताओं को परस्पर जोड़ने में संयुक्त करना। इस प्रवृत्ति में भोग की अपेक्षा त्यागभाव की प्रधानता रहती है। यह त्यागभाव दूसरों के प्रति आत्मीय और समर्पण का भाव विकसित करता है। इससे दृष्टि विशुद्ध बनती है। यह विशुद्ध दृष्टि हंस की तरह है जो सार तत्त्व को ग्रहण करती है। उसके विपरीत जो भोग दृष्टि है वह बगुले की तरह है जो विषय रूप जल का आचमन कर, संसार-सागर को दूषित कर देती है—

बगुली नीर बटालिया, सायर चड्या कलक ।

और पखेरू पी गये, हस न वोवे चच ॥

ऐसी उपयोग दृष्टि अहिंसा, सयम और तप रूप धर्माराधना से ही सम्भव है। ०००

भारतीय संस्कृति और विघेषतः जैन या श्रमण संस्कृति भोग प्रधान न होकर त्याग प्रधान रही है। सामान्य गृहस्थ से लेकर सेठ साहूकार और राजा महाराजा तक भोगो को ठुकराकर त्याग मार्ग पर अग्रसर होते रहे हैं। त्यागी आत्माओं के चरणों में सभी के मस्तक झुकते रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यहाँ सुख की अवधारणा ही भोग के स्थान पर त्याग में निहित मानी गई है।

मानव मन की शुभाशुभ वृत्तियाँ ही शुभाशुभ प्रवृत्तियों की जनक हैं। युद्ध, सहार और अशांति सर्वप्रथम मानव मन में ही उद्भूत होती है और तब वे बाहर प्रकट होती है। विश्वव्यापी सघर्ष और मूल्यों के महान् संकट का मूल कारण मानव-मन की भोगवृत्ति ही है। मनोवैज्ञानिक इनकी चुनौतियों का सामना करने में विफल ही रहे हैं।

भोगवृत्ति—अर्थ एवं अवधारणा

भोगवृत्ति को विजय करने के लिए इसे समझना आवश्यक है। वृत्ति एक आंतरिक अवधारणा है। यह एक विचारणा और भावना है जो मन और विचारों से संबंधित प्रत्यय है। हमारी वृत्तियाँ ही हमारे विभिन्न व्यवहारों का कारण हैं। यही कारण है कि भगवान् महावीर आदि सभी तीर्थंकरों ने संसार की समस्याओं का मूल कारण बाहरी जगत् में न खोजकर मानव के अतर्जगत में खोजा है।

भोगवृत्ति पदार्थों एवं परिजनो के प्रति आसक्ति की भावना है। वह ममत्व का व्यवहार है जिसके दल-दल में फँसा हुआ प्राणी उससे मुक्ति का उपाय जानते हुए भी मुक्त नहीं हो सकता। 'उत्तराध्ययन' सूत्र में बताया गया है कि भोगवृत्ति वाला मानव कीचड़ में फँसे हाथी की तरह उसमें धँसता जाता है। स्थल देखकर भी किनारे नहीं आ सकता।^१

भोगासक्त मानव मन भोग्य पदार्थों को ही सारभूत समझता है। वह इन्द्रिय विषयों को ही सार्थक मानते हुए उनमें सुखानुभूति करता है और उन्हें शाश्वत मानता है। शास्त्रकारों ने 'सल्लकामा, विसकामा' कहकर इन्द्रिय विषयों को

विषतुल्य बताया है ।^१ परन्तु भोगी आत्मा उनमें अमृत तत्त्व का दर्शन करती और उन्हें सुखदायक मानती है । शास्त्रों में जहाँ भोगों को क्षणिक सुख देने वाला और अनर्थों की खान माना है^२ वहाँ भोगी मन उन्हें शाश्वत एवं सार्थक मानने वाला होता है ।

भोगों की लालसा मानवमन को पागल बना देती है । भोग्य पदार्थों में तन्मय बना वह अपने आत्मस्वरूप का भान भुला देता है । उसका भोगासक्त मन भोगों के परिणाम का विचार न करते हुए भोगान्ध बन जाता है ।^३ वह विवेकशून्य बनकर भोग भोगने में ही जीवन की सफलता समझने लगता है । भोगी मन इन्द्रिय विषयों को भोगते हुए कभी सतोष का अनुभव नहीं करता और अमर्यादित जीवन जीते हुए इन्द्रिय विषयों में डूबा रहता है । आचार्य हेमचन्द्र ने समभाव की साधना की चर्चा करते हुए निर्ममत्व भाव का उल्लेख किया है ।^४ इससे ज्ञात होता है कि भोगवृत्ति का एक घटक ममत्व भाव है । यह मेरेपन, पदार्थों के साथ मेरेपन का भाव भोगवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाला होता है ।

भोगवृत्ति एक व्यापक अवधारणा है जो खानपान की वस्तुओं तक ही सीमित न होकर सभी इन्द्रियों के विषयों का समावेश करती है । खान-पान के अतिरिक्त देखने, सूँघने, सुनने एवं स्पर्श करने सबधी सभी पदार्थों का भोग भी भोगी मन करना चाहता है और उनमें सुख अनुभव करता है । सभी इन्द्रिय-विषयों की अपेक्षा से भोगवृत्ति की यह व्यापक धारणा स्वीकार की जानी चाहिए, केवल भोगी या केवल कामी इन्द्रियों की अपेक्षा से ही नहीं ।

भोगवृत्ति की इस व्याख्या के बाद अब इन्द्रिय-निग्रह की अवधारणा को समझ लेना उपयोगी होगा ।

इन्द्रिय-निग्रह—अर्थ एवं अवधारणा

जैन दर्शन में इन्द्रिय-निग्रह का अर्थ इन्द्रियों पर नियंत्रण करना या इन्द्रियों को वश में करना ही है, परन्तु उसका स्वरूप जैन दर्शन का अपना है । उसके साधन और उसका साध्य अपना है । जैन दर्शन इन्द्रियों के अज्ञानपूर्वक दमन के स्थान पर शमन पर बल देता है । इन्द्रिय-निग्रह के लिए यहाँ इन्द्रिय-सवर, इन्द्रिय-सयम, इन्द्रिय-शमन तथा इन्द्रिय विषयों की मर्यादा जैसे नामों का

१ उत्तराध्ययन सूत्र, अध्याय ६, गाथा ५३

२ वही, अध्याय १४, गाथा १३

३ उत्तराध्ययन सूत्र, अध्याय १६, गाथा १८

४ योग सूत्र—आचार्य हेमचन्द्र, चतुर्थ प्रकाश, श्लोक ५५

प्रयोग हुआ है। इन्द्रियों के विषय हैं और वे इन्द्रियों के समक्ष आँगे ही। परन्तु हमारी चेतना इन्द्रिय-विषयो के माध्यम से विकार ग्रस्त न हो, शुभाशुभ विषयो में राग-द्वेष की परिणति न करे, यही इन्द्रिह-निग्रह की अवधारणा है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध करना साध्य है और इन्द्रिय-निग्रह उसका साधन है। प्रभु महावीर का कथन है कि जब तक इन्द्रियाँ हीन नहीं हो जाती, तब तक धर्माचरण करलो। क्योंकि इनके बिना धर्म भी नहीं हो सकता।^१ मुक्ति के साध्य के लिए इन्द्रिय-सवर की साधना का प्रयोग ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। इन्द्रिय-संवर चारित्र्य का एक अंग है, जिसकी साधना सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनपूर्वक होनी चाहिए।

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में संयम और तप से आत्मा को वश करने की बात कही गई है, बन्धन और दण्ड से नहीं।^२ इससे भी इन्द्रिय निग्रह की धारणा स्पष्ट होती है कि इन्द्रिय निग्रह संयम और तप से करना उचित है। इन्द्रिय और मन को मारना नहीं अपितु उन्हें साधना ही जैन धर्म का आघोष है। इन्द्रिय-संयम और इन्द्रिय-सवर दोनों में सम्यक्ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक इन्द्रियों को जीतने का कथन है।

मनोवैज्ञानिकों के उदात्तीकरण (Sublimation) की प्रक्रिया से भी उच्च भावना जैन दर्शन की इन्द्रिय-निग्रह की धारणा में निहित है जो केवल अशुभ से शुभ तक ही सीमित न होकर चेतना के शुद्ध स्वरूप तक पहुँचाने की व्याख्या करती है। वीतरागता की साधना उसी का उच्चतम रूप है।

इच्छाओं को सीमित करने में भी इन्द्रिय-निग्रह की ही सकल्पना निहित है। इन्द्रियों के विषयो को आवश्यकतानुसार मर्यादित करके भी इन्द्रिय-निग्रह की विवेकपूर्वक साधना की जा सकती है। अमर्यादित जीवन खतरनाक है और मर्यादित जीवन सुख-शान्ति का आधार है। ‘ज्ञाताधर्मकथांग’ में दो कछुओं के दृष्टांत से इसे स्पष्ट किया गया है। कछुए की तरह अपनी इन्द्रियों को संयमित करने में ही जीवन का हित निहित है।

‘योगसूत्र’ में हेमचन्द्राचार्य ने समभाव की साधना की चर्चा करते हुए उदासीनता या तटस्थता के भाव का उल्लेख किया है।^३ उनके अनुसार इन्द्रिय विषयो के होते हुए भी उनके प्रति तटस्थ रहकर अथवा उदासीन रहकर उनमें रुचि नहीं लेते हुए, इन्द्रिय-निग्रह की साधना की जा सकती है।

१ महावीर की साधना का रहस्य, मुनि नथमल, पृ ७२

२ उत्तराध्ययन सूत्र, अव्ययन १, गाथा १६

३ योग सूत्र—आचार्य हेमचन्द्र, प्रकाश ४, गाथा ५५-५६

जैन साधना पद्धति में तपोयोग में समिति, ग्रन्थि और इन्द्रिय प्रति-संलीनता की व्याख्या के सन्दर्भ में इन्द्रिय विषयो के अग्रहण और प्राप्त विषयो में राग-द्वेष नहीं करने का उल्लेख है। इन्द्रिय निग्रह के लिए यहाँ अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा दी गई है। बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी बनने की साधना भी इन्द्रिय निग्रह की साधना है।^१

भोग से त्याग की ओर

भोगवृत्ति एवं इन्द्रिय निग्रह की अवधारणा को दृष्टि में रखते हुए भोग से त्याग की ओर प्रवृत्ति जैन दर्शन का अभीष्ट है। संपूर्ण त्याग ही श्रेष्ठ और उत्तम है परंतु आगार धर्म के अनुसार गृहस्थ भोग्य पदार्थों की मर्यादा करके उनका परिमाण करके भी त्यागमय जीवन जी सकता है।

नैतिक शान्तिपूर्ण एवं स्वस्थ जीवन के लिए भोगोपभोग वस्तुओं का परिमाण सुखमय जीवनयापन के लिए आवश्यक है। 'भोगे रोगभयम्' के अनुसार भोग रोगों का घर है। भोग अनेकविध रोगों को जन्म देकर जीवन को भार बना सकते हैं जिससे स्वास्थ्य चौपट होकर जीवन की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति जितनी अधिक आवश्यकताएँ बढ़ाएगा, उन्हे मर्यादित और सीमित नहीं करेगा, उतना ही स्वयं के लिए तथा समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्याय और अनीति का सहारा लेना होगा और यही से अनैतिकता की बुनियाद पड़ जायगी। वह समाज की आँखों में काँटे की भाँति खटकने लगेगा। वीतराग परमात्मा ने इसीलिए आगार धर्म का उपदेश दिया।

न्यायपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए भोगोपभोग-परिमाण का जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। 'उपासकदशाग' सूत्र में आनन्दादि श्रावकों द्वारा ग्रहण किया गया व्रती जीवन, मर्यादित जीवन-गृहस्थो के लिए आदर्श है। आनंद आदि ने श्रीमन्त होते हुए भी आहार-विहार आदि में अन्य लोगों के समान ही अपनी स्थिति बना रखी थी, जिससे विषमता का निवारण हुआ। लोगों के मन में ईर्ष्या के स्थान पर उनके प्रति समाज में श्रद्धा के भाव जागृत हुए। सामाजिक जीवन में व्याप्त विषमता के निवारण हेतु, सुखी जीवन हेतु भोगोपभोग परिमाण वरदान सिद्ध हुआ है।

मनोविजय, इन्द्रिय-विजय एवं श्रुत-साधना द्वारा भोगवृत्ति पर विजय पाने का प्रयास भोगोपभोग परिमाण के लिए आवश्यक है। 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २३वें अध्याय में केशी-गीतम संवाद के माध्यम से बताया गया है कि मन

१. जैन साधना पद्धति में तपोयोग, मुनि श्रीचन्द्र 'कमल', पृष्ठ ६६

पर विजय करके पाँचों इन्द्रियों पर विजय की जा सकती है और फिर क्रोधादि कषायों को भी जीता जा सकता है। उन्मार्ग में जाते हुए मन को श्रुत रूपी रस्सी से साधा जा सकता है। “इन्द्रियों पर कावू किये विना कषायों को जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता।”^१

भोगवृत्ति पर विजय करने के लिए वैराग्य भावना परम सहायक है। मन यदि ससार की तन, धन एवं परिवार की नश्वरता का विचार करे तो उसमें इन भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी। यह विरक्ति भाव मानव मन को नया मोड़ देने में समर्थ है। फिर अभ्यास तो सबसे बड़ा गुरु है। क्रमशः कुछ परिमाण करते हुए उपभोग परिभोग परिमाण के पूर्णव्रत को ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होगी।

पदार्थों की ओर से मन को हटाकर मानव मन यह चिंतन करे कि जिन पदार्थों को प्राप्त करने में भी दुःख है, प्राप्त भोगों के संरक्षण में भी दुःख है और पदार्थों के वियोग में भी दुःख है। पदार्थों की नश्वरता, उनकी जड़ता और आत्मा की अमरता, चेतनता के विचार से भेद विज्ञान के द्वारा भोगों से उपरति विकसित हो सकेगी। पदार्थों को केवल पदार्थ रूप में ही देखकर उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करने का अभ्यास त्यागवृत्ति को दृढ़ीभूत कर सकेगा। केवल ज्ञाताद्रष्टा बनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करने का अभ्यास निश्चित ही भोगों के प्रति आकर्षण को समाप्त कर सकेगा। ममत्व भाव के घटाने से समत्व भाव की वृद्धि होगी। संसार के सारे पदार्थ मिल जायें तब भी भोगों से तृप्ति संभव नहीं। यह तो सतोष और मर्यादा से ही संभव है। इन विचारों का पुनः-पुनः अभ्यास भोगवृत्ति के विजय योग्य आचार को मूर्त रूप दे सकेगा। योग साधना इसके हल में अत्यंत सहायक हो सकती है। योग साधक इस पर विचार कर हल सुभावे।

वृत्तियों और विशेषतः भोगवृत्ति पर विजय के लिए मनोवैज्ञानिकों, शरीरवैज्ञानिकों, धर्म एवं दर्शनवेत्ताओं के मिलेजुले प्रयास अपेक्षित है।



भोग प्रकृति की प्रधान व्यवस्था है। सामग्रियाँ उपभोग की साधन मात्र है। योग अमरत्व देता है। भोग मृत्यु। रतिपति कामदेव रसराज शृंगार के स्वामी है। शृंगार की अनुभूति, भोग, उपभोग और सभोग से होती है। जीव मात्र भोग से जन्मा, भोग-उपभोग में पला, बड़ा हुआ और भोग में ही काल-कवलित हो जाता है।

लेकिन मानव ! मानव तो सर्व ससारी जीवों में श्रेष्ठतम प्राणी है। ऐश्वर्य से युक्त, सर्वेन्द्रियो से परिपूर्ण, मन, मस्तिष्क एवं आत्मज्योति से ज्योतित एवं मंडित है।

आत्मज्योति का मूलाधार प्रेम और सत्य है। यही उसके आदर्श है। त्याग उनकी प्राप्ति का प्रशस्त पथ है। चिर अमरत्व चरित्र प्रधान है। प्रेम और सत्य शाश्वत है। मोह बन्धन है। वासना नश्वर है। भोग निकृष्ट और संभोग निकृष्टतम है।

परिग्रह की सम्पन्नता, सत्ता का मद और यौवन का दर्प मानव को दानव बना देता है। उसे एक ही रस प्यारा होता है—शृंगार और भोग। जो इनसे विरत हो जाते हैं वे दानव से मानव, मानव से देव और देव से सिद्ध बन जाते हैं।

पहला रूप

मैंने शृंगार को भोगना चाहा। उसे संवारना चाहा, भोग और सभोग से मैंने सुख और वैभव की पराकाष्ठा को देखा और देखा। भोगविलास की चरम सीमा को। सुनी—भूख-प्यास की चीखे और क्रन्दनयुक्त चीत्कारे। प्रकृति का ताडव और चीत्कारों की वीभत्स ध्वनियाँ। किये प्रकृति के सौन्दर्य में भयावह विद्रूपता के दर्शन। फिर भी मैं उसकी गहराइयों में गोते लगाता रहा। मैंने देखा कि वह जीर्ण, शीर्ण, स्वादहीन अपने कर्माँ पर सिर धुनता हुआ रो रहा था। अपने मित्र विरह और करुणा के साथ।

दृश्य अत्यन्त ही वीभत्स और दयनीय था। मैं सिहर उठा।

दूसरा रूप

मैं भूख और प्यास से त्रस्त विश्व के हर द्वार पर गया। मुझे न भोजन मिला न पानी। मिला सिर्फ परिहास, घृणा, धुतकार, उपेक्षा और मृत्यु। मैं थकित कंकाल लिये एक भव्य अट्टालिका के द्वार पर रुका। अन्दर झांका। अन्तरंग में रंगरेलियाँ मनाई जा रही थी। नारी के पद चापो की मंद-मंद थिरकन और मृदंग की थाप पर घुंघरुओं की रुनभुन सुनी जा सकती थी। नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की भीनी-भीनी महक। सभी कुछ मन-मस्तिष्क को मोहित एव मर्माहत करने के लिये काफी था।

मैंने द्रुत वाणी में पुकारा—मैं भूखा हूँ। प्यासा हूँ। मुझे कुछ खाने को दो। पीने को दो। भीतर से नाना प्रकार के लोग आये, जिनमें नर-नारियाँ दोनों थी। एक अनन्य सुन्दरी अनावृत्त रूप में मेरे समक्ष आकर बोली—“लो, मुझ से अपनी भूख मिटालो। अपनी प्यास बुझालो। ये सब भी यही कर रहे हैं।” इस तरह मेरा उपहास करती हुई विकृत हँसी हँसने लगी। खड़ा हुआ समाज भी हँसने लगा।

मेरी पहली भूख-प्यास तो शांत हुई नहीं। दूसरी भूख-प्यास जागृत हो गई। मैं चीख उठा। भूख-प्यास के गठबन्धन ने मेरे प्राण ले लिये।

‘कामातुराणां न भय न लज्जा।’

भोग की अतृप्ति मनुष्य को भूखा भेड़िया बना देती है।

तीसरा रूप

त्रेता युग की बात है। नगर के बाहर बावड़ी पर कुछ नारियाँ अर्ध अनावृत्त होकर स्नान कर रही थी। आठ दस वर्ष का एक नग्न बालक, सहज भाव से बावड़ी की ओर देखता हुआ दौड़कर निकल गया। नारियाँ नहाती रही। उनमें न कोई हरकत हुई न किसी तरह की परेशानी। उनका कार्य यथावत् चलता रहा।

बावड़ी के पास ही एक तपस्वी ऋषि का आश्रम था। दो मिनट बाद ऋषि आश्रम से बाहर निकले नगर में जाने के लिये। मार्ग में बावड़ी पडती थी। अपने गतव्य की ओर गमन करते हुए ऋषि के मन में कुछ विकृति आ गई। मैं विकार था। एक पल के लिये ऋषि की दृष्टि नहाती हुई नारियों की ओर उठ गई।

नारियों में एकाएक हलचल मच गई। किसी ने मस्तक ठक लिया। किसी ने वक्षस्थल। कोई सिकुड़ कर बैठ गई। किसी ने दूसरी की ओट लेली। एक महिला से रहा नहीं गया। बोल उठी—“भुए के पैर तो मसानो में लटक गये

है। मुनि होकर भी मन नहीं मार सका। ढोंगी कहीं का, बड़ा तपस्वी बना फिरता है।”

बात ऋषि के कानों तक नहीं पहुँच सकी। ऋषि चला गया।

घटे भर बाद जब मुनि वापस लौटे, नारियां नहा चुकी थी। वस्त्र समेट रही थी। मुनि ने बावड़ी पर विराम कर नारियों से पूछा—“मेरे जाने के पूर्व दस वर्ष का एक नग्न बालक इधर से गुजरा था आप सबको निहारते हुए। लेकिन आप में किसी तरह की हरकत या हलचल नहीं हुई थी। किसी तरह का ऐतराज भी नहीं किया था। मुझ को इधर से जाते हुए देखकर आप सब इतनी चवरा क्यों गई थीं?”

एक वृद्ध महिला ने उत्तर दिया—“आपके प्रश्न का उत्तर आप अपनी आँखों से पूछिये। ये आँखे ही तो सब अनर्थों की जड़ हैं। ऋषिवर! भोग मे अतृप्ति, वैराग्य मे विकृति का पथ प्रशस्त करती है।” ऋषि का मस्तक शर्म से झुक गया। बिना कुछ बोले, ऋषि नतमस्तक आश्रम को चले गये।

चौथा रूप

शिव पार्वती विश्व-भ्रमण पर निकले। मार्ग में एक बानर भूखा प्यासा ज्वर से पीड़ित धूप में पड़ा तड़प रहा था। ममतामयी पार्वती से उसका दारुण दुःख देखा नहीं गया। दया से द्रवित हो विनम्र शब्दों में बोली—“प्राणनाथ! इस दुःखिया को कष्ट मुक्त कर दीजिये।”

“विषयों के लोभी इस बानर की मृत्यु सन्निकट है। इसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो।” शिव ने कहा।

“नही देव! इस दुःखिया का दुःख तो आपको दूर करना ही होगा।” पार्वती ने दृढ किन्तु विनम्र शब्दों में प्रार्थना की।

“तुम नहीं मानोगी, पार्वती! अच्छा—उपाय करता हूँ” कहते हुए शिव ने बानर से पाँच कदम दूर एक गोल घेरा बनाकर, उसमें एक पका हुआ केला रख दिया। पश्चात् बानर से बोले—“हे बानर! तुम मुक्ति चाहते हो या मृत्यु?”

“मुक्ति कौन नहीं चाहता, भगवन्!” बानर का स्वर उभरा।

“तब देखो—तुम्हारे से पाँच कदम दूर एक गोल घेरे में पका हुआ केला रखा है। यदि दस मिनट तक तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जायेगी। खा लिया तो मृत्यु निश्चित है।” शिव ने कहा और चल दिये। बानर शांत था। शिवजी की बात सुनते ही श्रवणेन्द्रिय जागृत हो गई। श्रवणेन्द्रिय ने चक्षुइन्द्रिय को इशारा किया। वह भी सचेष्ट हो गई। केले को देखा। केला पका हुआ, पीला-पीला और मधुर सुगन्धी से युक्त है। दृष्टि विचलित हुई।

दूसरा रूप

मैं भूख और प्यास से त्रस्त विश्व के हर द्वार पर गया। मुझे न भोजन मिला न पानी। मिला सिर्फ परिहास, घृणा, धुतकार, उपेक्षा और मृत्यु। मैं थकित कंकाल लिये एक भव्य अट्टालिका के द्वार पर रुका। अन्दर भाका। अन्तरंग में रंगरेलियाँ मनाई जा रही थी। नारी के पद चापों की मद-मंद थिरकन और मृदंग की थाप पर घुंघरुओं की रुनभुन सुनी जा सकती थी। नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की भीनी-भीनी महक। सभी कुछ मन-मस्तिष्क को मोहित एव मर्माहत करने के लिये काफी था।

मैंने द्रुत वाणी में पुकारा—मैं भूखा हूँ। प्यासा हूँ। मुझे कुछ खाने को दो। पीने को दो। भीतर से नाना प्रकार के लोग आये, जिनमें नर-नारियाँ दोनों थी। एक अनन्य सुन्दरी अनावृत्त रूप में मेरे समक्ष आकर बोली—“लो, मुझ से अपनी भूख मिटालो। अपनी प्यास बुझालो। ये सब भी यही कर रहे हैं।” इस तरह मेरा उपहास करती हुई विकृत हँसी हँसने लगी। खड़ा हुआ समाज भी हँसने लगा।

मेरी पहली भूख-प्यास तो शांत हुई नहीं। दूसरी भूख-प्यास जागृत हो गई। मैं चीख उठा। भूख-प्यास, के गठबन्धन ने मेरे प्राण ले लिये।

‘कामातुराणां न भयं न लज्जा।’

भोग की अतृप्ति मनुष्य को भूखा भेड़िया बना देती है।

तीसरा रूप

त्रेता युग की बात है। नगर के बाहर बावड़ी पर कुछ नारियाँ अर्ध अनावृत्त होकर स्नान कर रही थी। आठ दस वर्ष का एक नग्न बालक, सहज भाव से बावड़ी की ओर देखता हुआ दौड़कर निकल गया। नारियाँ नहाती रही। उनमें न कोई हरकत हुई न किसी तरह की परेशानी। उनका कार्य यथावत् चलता रहा।

बावड़ी के पास ही एक तपस्वी ऋषि का आश्रम था। दो मिनट बाद ऋषि आश्रम से बाहर निकले नगर में जाने के लिये। मार्ग में बावड़ी पड़ती थी। अपने गतव्य की ओर गमन करते हुए ऋषि के मन में कुछ विकृति आ गई। मैं विकार था। एक पल के लिये ऋषि की दृष्टि नहाती हुई नारियों की ओर उठ गई।

नारियों में एकाएक हलचल मच गई। किसी ने मस्तक ढक लिया। किसी ने वक्षस्थल। कोई सिकुड़ कर बैठ गई। किसी ने दूसरी की ओट लेली। एक महिला से रहा नहीं गया। बोल उठी—“मुए के पैर तो मसानों में लटक गये

है। मुनि होकर भी मन नहीं मार सका। ढोंगी कहीं का, बड़ा तपस्वी बना फिरता है।”

बात ऋषि के कानों तक नहीं पहुँच सकी। ऋषि चला गया।

घंटे भर बाद जब मुनि वापस लौटे, नारिया नहा चुकी थी। वस्त्र समेट रही थी। मुनि ने बावड़ी पर विराम कर नारियों से पूछा—“मेरे जाने के पूर्व दस वर्ष का एक नग्न बालक इधर से गुजरा था आप सबको निहारते हुए। लेकिन आप मे किसी तरह की हरकत या हलचल नहीं हुई थी। किसी तरह का ऐतराज भी नहीं किया था। मुझ को इधर से जाते हुए देखकर आप सब इतनी घबरा क्यों गई थी ?”

एक वृद्ध महिला ने उत्तर दिया—“आपके प्रश्न का उत्तर आप अपनी आँखों से पूछिये। ये आँखे ही तो सब अनर्थों की जड है। ऋषिवर ! भोग में अतृप्ति, वैराग्य में विकृति का पथ प्रशस्त करती है।” ऋषि का मस्तक शर्म से झुक गया। बिना कुछ बोले, ऋषि नतमस्तक आश्रम को चले गये।

चौथा रूप

शिव पार्वती विश्व-भ्रमण पर निकले। मार्ग में एक बानर भूखा प्यासा ज्वर से पीड़ित धूप में पडे़ तड़प रहा था। ममतामयी पार्वती से उसका दारुण दुःख देखा नहीं गया। दया से द्रवित हो विनम्र शब्दों में बोली—“प्राणनाथ ! इस दुःखिया को कष्ट मुक्त कर दीजिये।”

“विषयों के लोभी इस बानर की मृत्यु सन्निकट है। इसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो।” शिव ने कहा।

“नही देव ! इस दुःखिया का दुःख तो आपको दूर करना ही होगा।” पार्वती ने दृढ किन्तु विनम्र शब्दों में प्रार्थना की।

“तुम नहीं मानोगी, पार्वती ! अच्छा—उपाय करता हूँ” कहते हुए शिव ने बानर से पाँच कदम दूर एक गोल घेरा बनाकर, उसमें एक पका हुआ केला रख दिया। पश्चात् बानर से बोले—“हे बानर ! तुम मुक्ति चाहते हो या मृत्यु ?”

“मुक्ति कौन नहीं चाहता, भगवन् !” बानर का स्वर उभरा।

“तब देखो—तुम्हारे से पाँच कदम दूर एक गोल घेरे में पका हुआ केला रखा है। यदि दस मिनट तक तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जायेगी। खा लिया तो मृत्यु निश्चित है।” शिव ने कहा और चल दिये। बानर शांत था। शिवजी की बात सुनते ही श्रवणेन्द्रिय जागृत हो गई। श्रवणेन्द्रिय ने चक्षुइन्द्रिय को इशारा किया। वह भी सचेष्ट हो गई। केले को देखा। केला पका हुआ, पीला-पीला और मधुर सुगन्धी से युक्त है। दृष्टि विचलित हुई।

दूसरा रूप

मैं भूख और प्यास से त्रस्त विश्व के हर द्वार पर गया । मुझे न भोजन मिला न पानी । मिला सिर्फ परिहास, घृणा, धुतकार, उपेक्षा और मृत्यु । मैं थकित कंकाल लिये एक भव्य अट्टालिका के द्वार पर रुका । अन्दर भाका अन्तरग में रगरेलियाँ मनाई जा रही थी । नारी के पद चापो की मंद-मंद थिरकन और मृदंग की थाप पर धुंधरुओं की रुनभुन सुनी जा सकती थी । नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की भीनी-भीनी महक । सभी कुछ मन-मस्तिष्क को मोहित एवं मर्माहत करने के लिये काफी था ।

मैंने द्रुत वाणी से पुकारा—मैं भूखा हूँ । प्यासा हूँ । मुझे कुछ खाने को दो । पीने को दो । भीतर से नाना प्रकार के लोग आये, जिनमें नर-नारियाँ दोनों थी । एक अनन्य सुन्दरी अनावृत्त रूप में मेरे समक्ष आकर बोली—“लो, मुझ से अपनी भूख मिटालो । अपनी प्यास बुझालो । ये सब भी यही कर रहे हैं ।” इस तरह मेरा उपहास करती हुई विकृत हँसी हँसने लगी । खड़ा हुआ समाज भी हँसने लगा ।

मेरी पहली भूख-प्यास तो शांत हुई नहीं । दूसरी भूख-प्यास जागृत हो गई । मैं चीख उठा । भूख-प्यास के गठबन्धन ने मेरे प्राण ले लिये ।

‘कामालुराणा न भय न लज्जा ।’

भोग की अतृप्ति मनुष्य को भूखा भेड़िया बना देती है ।

तीसरा रूप

त्रेता युग की बात है । नगर के बाहर बावड़ी पर कुछ नारियाँ अर्ध अनावृत्त होकर स्नान कर रही थी । आठ दस वर्ष का एक नग्न बालक, सहज भाव से बावड़ी की ओर देखता हुआ दौड़कर निकल गया । नारियाँ नहाती रही । उनमें न कोई हरकत हुई न किसी तरह की परेशानी । उनका कार्य यथावत् चलता रहा ।

बावड़ी के पास ही एक तपस्वी ऋषि का आश्रम था । दो मिनट बाद ऋषि आश्रम से बाहर निकले नगर में जाने के लिये । मार्ग में बावड़ी पड़ती थी । अपने गतव्य की ओर गमन करते हुए ऋषि के मन में कुछ विकृति आ गई ।
मे विकार था । एक पल के लिये ऋषि की दृष्टि नहाती हुई नारियों की ओर उठ गई ।

नारियों में एकाएक हलचल मच गई । किसी ने मस्तक ढक लिया । किसी ने वक्षस्थल । कोई सिकुड़ कर बैठ गई । किसी ने दूसरी की ओट लेली । एक महिला से रहा नहीं गया । बोल उठी—“मुए के पैर तो मसानो में लटक गये

है। मुनि होकर भी मन नहीं मार सका। ढोंगी कहीं का, बड़ा तपस्वी फिरता है।”

बात ऋषि के कानों तक नहीं पहुँच सकी। ऋषि चला गया। घटे भर बाद जब मुनि वापस लौटे, नारिया नहा चुकी थी। वस्त्र सभे रही थी। मुनि ने बावड़ी पर विराम कर नारियों से पूछा—“मेरे जाने के पूर्व दस वर्ष का एक नग्न बालक इधर से गुजरा था आप सबको निहारते हुए। लेकिन आप में किसी तरह की हरकत या हलचल नहीं हुई थी। किसी तरह का ऐतराज भी नहीं किया था। मुझ को इधर से जाते हुए देखकर आप सब इतनी चबरा क्यों गई थी?”

एक वृद्ध महिला ने उत्तर दिया—“आपके प्रश्न का उत्तर आप अपनी आँखों से पूछिये। ये आँखे ही तो सब अनर्थों की जड़ हैं। ऋषिवर ! भोग में अतृप्ति, वैराग्य में विकृति का पथ प्रशस्त करती है।” ऋषि का मस्तक शर्म से झुक गया। बिना कुछ बोले, ऋषि नतमस्तक आश्रम को चले गये।

चौथा रूप

शिव पार्वती विश्व-भ्रमण पर निकले। मार्ग में एक बानर भूखा प्यासा ज्वर से पीड़ित धूप में पड़ा तडप रहा था। ममतामयी पार्वती से उसका दारुण दुःख देखा नहीं गया। दया से द्रवित हो विनम्र शब्दों में बोली—“प्राणनाथ ! इस दुःखिया को कष्ट मुक्त कर दीजिये।”

“विषयों के लोभी इस बानर की मृत्यु सन्निकट है। इसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो।” शिव ने कहा।

“नही देव ! इस दुःखिया का दुःख तो आपको दूर करना ही होगा।” पार्वती ने दृढ़ किन्तु विनम्र शब्दों में प्रार्थना की।

“तुम नहीं मानोगी, पार्वती ! अच्छा-उपाय करता हूँ” कहते हुए शिव ने बानर से पाँच कदम दूर एक गोल घेरा बनाकर, उसमें एक पका हुआ केला रख दिया। पश्चात् बानर से बोले—“हे बानर ! तुम मुक्ति चाहते हो या मृत्यु ?”

“मुक्ति कौन नहीं चाहता, भगवन् !” बानर का स्वर उभरा।

“तब देखो—तुम्हारे से पाँच कदम दूर एक गोल घेरे में पका हुआ केला है। यदि दस मिनट तक तुम इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। खा लिया तो मृत्यु निश्चित है।” शिव ने कहा और चल दिये। बानर था। शिवजी की बात सुनते ही श्रवणेन्द्रिय जागृत हो गई। श्रवणेन्द्रिय भुइन्द्रिय को इशारा किया। वह भी सचेष्ट हो गई। केले को देखा। केला हुआ, पीला-पीला और मधुर सुगन्धी से युक्त है। दृष्टि विचलित हुई।

गृहस्थ धर्म (श्रावक धर्म) का विधान

भारतीय संस्कृति वैदिक व श्रमण संस्कृति का समन्वय रूप है। वैदिक परम्परा प्रवृत्ति प्रधान तथा श्रमण-परम्परा निवृत्ति मार्ग (सन्यास मार्ग) प्रधान है। आगे चलकर उभय विचारधारा के सहज सान्निध्य ने परस्पर विचारधारा को ग्रहण करने का प्रयत्न किया। गृहस्थ प्रवृत्ति विचारधारा को जहाँ वैदिक धर्म ने मुख्य रूप से ग्रहण किया वहाँ जैन परम्परा में भी गृहस्थ विचारधारा को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला। इसी प्रकार निवृत्ति मार्ग से वैदिक संस्कृति भी प्रभावित हुई। चतुर्विध संघ की स्थापना व्यवस्था से श्रावक-श्राविका (गृहस्थ धर्म) को तीर्थ रूप स्थान मिला। तीर्थकर, जैन परम्परा में सर्वोच्च व्यक्ति हैं, महामानव हैं, वे भी अपनी देशना के प्रारम्भ में “नमो तित्थस्स” तीर्थ को नमस्कार करते हैं। तीर्थ कहे, संघ कहे, एक ही बात है। श्रावक-श्राविका (गृहस्थ) धर्म भी तीर्थ में समाविष्ट है।

श्रावक धर्म की महत्ता

‘सूत्र कृतांग’ सूत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि गृहस्थ धर्म का स्थान भी आर्य है तथा समस्त दुःखों का अन्त करने वाला मोक्षमार्ग है। यही नहीं ‘उत्तराध्ययन’ सूत्र में यहाँ तक कह दिया है ‘सति एगेहि भिक्खुहि गारत्था संजयोत्तरा’ अर्थात् कुछ गृहस्थ ऐसे भी हैं जो श्रमणों की अपेक्षा सयम के पालन में श्रेष्ठ होते हैं। यह वह समय था जब गृहस्थ केवल उपासक मात्र ही नहीं, वह श्रमण साधकों के चारित्र्य का सहायक था। उसे यह भी अधिकार प्राप्त था कि यदि कोई मुनि या आर्यिका श्रमण धर्म का सम्यक् रूप से पालन नहीं करता है तो उसको पृथक् भी कर देता था। उसकी आध्यात्म साधना का स्तर भी उच्च था।

श्रावक के वारह व्रत

श्रावक के वारह व्रतों में पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत व चार शिक्षाव्रत हैं। आगम द्वारा प्रतिपादित यह श्रावकाचार इस लोक और परलोक दोनों दृष्टियों से कल्याणकारी है। इसके व्यवहार से ऐहिक और आगामी जीवन दोनों ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। श्रावक के वारह व्रत हैं—(१) अहिंसा अणुव्रत

(२) सत्य अणुव्रत (३) अचौर्य-अणुव्रत (४) स्वपत्नी सतोष व्रत (५) परिग्रह परिमाण व्रत (६) दिक् परिमाण व्रत (७) उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत (८) अनर्थ दण्ड विरमण व्रत (९) सामायिक व्रत (१०) देशावकासिक व्रत (११) पौषधोपवास व्रत (१२) अतिथि संविभाग व्रत ।

उपर्युक्त बारह व्रत एक अच्छे नागरिक की आचार संहिता है । इनके अतिचारो (दोषो) का गहन चिन्तन किया जाय तो कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन सुखी बन सकता है । समाज मे व्याप्त अनैतिकता, तस्करी, मांसाहार, मद्यपान, विलासिता तथा संग्रह वृत्ति को दूर करने के लिये बारह व्रतो के प्रचार की उपादेयता आज अधिक बढ गयी है । मै सोचता हूँ इसके चिन्तन व पालन से समाज नयी करवट ले सकेगा ।

बारह व्रतों में गुणव्रतों का स्थान

जो व्यक्ति महाव्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उनके लिये शास्त्रों में पाँच अणुव्रतो का विधान है । पर अणुव्रतो के पालन करने मे भी ऐसी अनेक बाधाएँ उपस्थित होती है जिनके कारण कठिनाइयाँ आती है । उनसे बचने के लिये तीन गुणव्रतो और चार शिक्षाव्रतो का विधान किया है । तीन गुणव्रत, अणुव्रत-पालन में शक्ति संचार के साथ उन्हें निर्मल रखने में भी सहायता प्रदान करते है । जिस तरह शरीर तब ही उपयोगी व सार्थक है जब तक उसमें प्राण है, उसी तरह गुणव्रत होने पर ही मूल अणुव्रत उपयोगी व कार्य साधक हो सकते है । दिक् परिमाण व्रत अगीकार करने वाले को वृत्ति-संकोच और ममत्व का त्याग करना पडता है । जहाँ दिक्व्रत द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर के पदार्थों के भोग की निवृत्ति होती है वहाँ उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत मे मर्यादित क्षेत्र मे रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा हो जाती है । वस्तुतः इस व्रत द्वारा साधक के जीवन को सात्विक और सादा बनाने का प्रयास किया गया है तथा अनर्थदण्ड परित्याग व्रत मर्यादित छूट मे भी निष्प्रयोजन किये जाने वाले पाप कर्मों से उपासक को बचाता है । इस प्रकार से ये एक-दूसरे के पूरक है व मूल अणुव्रतो को पुष्ट व शुद्ध बनाते है ।

उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत विवेचन

श्रावक के बारह व्रतो मे ७वाँ व्रत उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत है । यह व्रत दिक्व्रत द्वारा मर्यादित क्षेत्र मे रहे हुए उपभोग-परिभोग की मर्यादा बाँधता है । जीवन-निर्वाह के लिये पदार्थों का उपभोग-परिभोग आवश्यक है । उपभोग पदार्थ वे है जो एक बार काम में लाने पर दूसरे समय पुनः उपभोग नहीं किये जा सकते । उपभोग के टीकाकार ने इस प्रकार व्याख्या की है—
“उपभोगः सकृद्भोगः स चासनपानुलेपनादिनाम्” अर्थात् जो एक बार भोगा

जाने पर पुनः न भोगा जा सके । जैसे एक वार जो भोजन दाल, रोटी हमने खा ली है उसे पुनः खाया नहीं जा सकता । इस प्रकार की वस्तुएँ उपभोग के अन्तर्गत आती हैं । इसके विरुद्ध जो वस्तु एकवार से अधिक वार यानि पुनः-पुनः काम में लायी जा सके वे वस्तुएँ परिभोग पदार्थों के अन्तर्गत आती हैं । दूसरे शब्दों में जो वस्तु शरीर के आंतरिक भाग से भोगी जा सकती है, उसको भोगना उपभोग और जो शरीर के बाहरी भोगों से भोगी जा सकती है, उस वस्तु को भोगना परिभोग है ।

इस प्रकार उपभोग्य और परिभोग्य वस्तुओं के विषय में मर्यादा करना ही उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का उद्देश्य है । अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य वे वस्तुएँ जो शरीर रक्षा व क्षुधा मिटाने के लिये आवश्यक हैं वे अशन के अन्तर्गत हैं । जो वस्तुएँ पेय हैं अर्थात् पीने योग्य हैं वे 'पान' हैं । वे वस्तुएँ जो उपभोजन (नाश्ता) के रूप में खायी जाती हैं उनकी गणना खाद्य में की जाती है । जो पदार्थ केवल स्वाद के लिये या मुख शुद्धि के लिये खाये जाते हैं उनकी गणना स्वाद्य में है । सारांश यह है कि श्रावक को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिये, राजस-तामस आहार उसके लिए त्याज्य है । सातवां व्रत अंगीकार करने वाले व्यक्ति के लिये खान-पान की मर्यादा आवश्यक है, इसी तरह परिभोग में आने वाली वस्तुओं की भी मर्यादा अनिवार्य है । इस व्रत द्वारा गृहस्थ अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली प्रत्येक वस्तु की संख्या, मात्रा आदि निर्धारित करता है । उपभोग और परिभोग में आने वाली वस्तुओं को ग्रंथकारों ने २६ बोलों में संगृहीत किया है वे निम्न हैं—

(१) उल्लणिया विहि परिमाण—हाथ-मुँह पोछने के लिये रुमाल, टुवाल आदि की मर्यादा ।

(२) दन्तणविहि परिमाण—दन्त धावन सम्बन्धित पदार्थों की मर्यादा,

(३) फलविहि परिमाण—मस्तक को स्वच्छ करने के लिये आंवला, त्रिफला आदि फल की मर्यादा ।

(४) अभ्यगणविहि परिमाण—त्वचा सम्बन्धी विकारों को दूर करने के लिये तैलादि द्रव्यों की मर्यादा ।

(५) उवट्टणविहि परिमाण—शरीर में स्फूर्ति और मैल हटाने के लिए उवट्टन के सम्बन्ध में मर्यादा करना ।

(६) मज्झणविहि परिमाण—स्नान विधि का परिमाण अर्थात् स्नान की मर्यादा या स्नान के लिये जल परिमाण करना ।

(८) विलेपणविहि परिमाण—वस्त्र परिधान बाद शरीर को शीतल तथा सुशोभित करने वाले चंदन, केसर, कुंकुम आदि की मर्यादा ।

(९) पुष्पविहि परिमाण—पुष्पों की मर्यादा ।

(१०) आभरणविहि परिमाण—शरीर पर धारण किये जाने वाले आभूषणों की मर्यादा ।

(११) धूपविहि परिमाण—वायु शुद्धि के लिये धूपादि की मर्यादा ।

(१२) पेज्जविहि परिमाण—पेय पदार्थ—जिनसे अजीर्णादि विकार मित कर क्षुधा आदि की वृद्धि होती है, उनकी मर्यादा ।

(१३) भक्खणविहि परिमाण—नाशते के रूप में खाये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा ।

(१४) ओदणविहि परिमाण—अग्नि द्वारा उबाल कर खाये जाने वाले पदार्थों जैसे चावल, थूली आदि की मर्यादा ।

(१५) सुप्पविहि परिमाण—दाल आदि की मर्यादा ।

(१६) विगयविहि परिमाण—विगय वे पदार्थ है जो भोजन को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनाते है, जैसे दूध-दही, घृत, तेल, गुड, शक्कर की मर्यादा । (मधु और मक्खन विशेष विगय है, मद्य और मांस महा विगय है जो सर्वथा त्याज्य है ।)

(१७) सागविहि परिमाण—सूखे या हरे शाक की मर्यादा ।

(१८) माहुरविहि परिमाण—मधुर फल, आम, जामुन इसी प्रकार सूखे फल द्राक्षा-बादाम आदि की मर्यादा ।

(१९) जिमणविहि परिमाण—क्षुधा निवारणार्थ खाये जाने वाले पदार्थ जैसे रोटी बाटी, पूड़ी आदि की मर्यादा ।

(२०) पाणीविहि परिमाण—पानी की मर्यादा ।

(२१) मुखवासविहि परिमाण—मुख शुद्धि के लिये खाये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा ।

(२२) उवाहणविहि परिमाण—उपानह अर्थात् जूते, खड़ाऊ, चप्पल की मर्यादा ।

(२३) वाहणविहि परिमाण—वे साधन जिन पर चढ़ कर भ्रमण या प्रवास किया जाता है जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैलगाड़ी, टैम्पो, टैक्सी, कार आदि की मर्यादा ।

(२४) सयणविहि परिमाण—सोने-वैठने के काम में आने वाली वस्तुओं की मर्यादा । जैसे—पलंग, खाट, आसन-मेज कुर्सी आदि ।

(२५) सचित्तविहि परिमाण—सचित्त यानि जीव सहित पदार्थों की मर्यादा ।

(२६) द्रव्यविहि परिमाण—इस बोल द्वारा उपर्युक्त जिन पदार्थों की मर्यादा की है, उन पदार्थों को द्रव्य रूप में संग्रह कर उनकी मर्यादा (जो वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिये अलग से प्रयोग में की जाती है वह भिन्न द्रव्य है) ।

उल्लिखित २६ बोल में से प्रथम ११ बोल शरीर को स्वच्छ, स्वस्थ व सुशोभित बनाने वाले पदार्थों से सम्बन्धित है । मध्य के १० बोल खान-पान में आने वाले पदार्थों से सम्बन्धित है । शेष अन्त के ५ बोल शरीर-रक्षा और गृहस्थाश्रम को प्रतिष्ठित करने वाले है ।

उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार

उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत दो प्रकार का है—भोजन सम्बन्धी और कर्म सम्बन्धी । शास्त्रकारों का कथन है कि 'उपभोग परिणाम वए दुविहे पन्नते, तंजहा भोयणाओ य कम्मओय' । प्रथम भोजन परिमाण व्रत के पाँच अतिचार है—

(१) सचित्ताहारे—इसका अर्थ है सचित्त पदार्थ का आहार । जिस आहार में जीव विद्यमान है, उसे सचित्त कहते हैं—जैसे धान, बीज, जल, वनस्पति आदि । ऐसी वस्तुओं की मर्यादा होने पर भी भूल से खाना अतिचार है ।

(२) सचित्त पडिबद्धाहारे—अर्थात् वस्तु तो अचित्त है पर उस अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु सम्बन्धित कर खाना सचित्ताहार है । जैसे हरे पत्तों के द्रोण में दूध, मिठाई आदि का सेवन करना ।

(३) अप्पोलिओसहिभक्खणया—यानि जो वस्तु पूर्ण पक्व नहीं है तथा जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते, ऐसी वस्तु खाना । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसी वस्तुएँ जो पूरी तरह न पकी है, लाभ की अपेक्षा हानिदायक होती है ।

(४) दुप्पोलिओसहिभक्खणया—ऐसी वस्तु जो पकी हुई तो है परन्तु बहुत अधिक पक गयी है पक कर विगड़ गयी है या जिसे पकाने की रीति घृणित है, ऐसी वस्तु का भक्षण करना इस अतिचार के अन्तर्गत है ।

(५) तुच्छोसहिभक्खणया—अर्थात् तुच्छ औषध से तात्पर्य उन वस्तुओं में है जिनमें क्षुधा निवारक मात्रा भाग कम होता है तथा व्यर्थ या फेंकने का भाग अधिक होता है ।

कर्मादान अतिचार

सातवे व्रत के कर्म सम्बन्धी १५ अतिचार हैं जिन्हें कर्मादान के अतिचार कहा जाता है। श्रावक के लिये इन साधनों (कर्मों) द्वारा आजीविकोपार्जन करने का निषेध किया गया है। आजीविका का प्रभाव उपभोग-परिभोग पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इनमें से कुछ कर्मादान ऐसे भी हैं जो संसार में निन्दनीय माने जाते हैं तथा जिनके कारण जीवों की अत्यन्त विराधना होती है। कर्मादान पन्द्रह है जो निम्न है—

(१) इगालकम्मे—यानि अगार कर्म—कोयले बनाकर बेचना तथा इससे अपनी आजीविका चलाना।

(२) वणकम्मे यानि वन कर्म—जंगल के वृक्षों व बाँस आदि काट-काट कर तथा बेचकर आजीविका चलाना।

(३) साड़ीकम्मे यानि साटिककर्म—बैलगाड़ी-घोड़ागाड़ी आदि वाहन बना कर बेचना।

(४) भाड़ीकम्मे यानि भाड़ी कर्म—पशुओं को किराये पर देकर आजीविका करना।

(५) फोड़ीकम्मे यानि फोड़ी कर्म—कुदाली हल, सुरंग आदि से पृथ्वी का विदारण करना और उससे निकले हुए पत्थर, मिट्टी, धातु आदि खनिज पदार्थ को बेचना।

(६) दन्त वाणिज्जे—दाँत का व्यापार करना।

(७) लक्खवाणिज्जे—लाख वृक्षों का रस है, उसमें त्रस जीवों की अधिक हिंसा होती है और लाभ अधिक नहीं होता।

(८) रसवाणिज्जे यानि रस का व्यापार—यहाँ रस से मतलब मदिरा ही है। गुड़, शक्कर, तेल, घृत, दूध और दही आदि का व्यापार रस वाणिज्य के अन्तर्गत नहीं आता। शास्त्र में रस वाणिज्य से सुरा आदि निषिद्ध वस्तुओं को ही लिया गया है।

(९) विष वाणिज्जे यानि विष का व्यापार—जीवन नाशक अफीम, सखिया आदि पदार्थों की गणना इसके अन्तर्गत आती है।

(१०) केसवाणिज्जे यानि केश व्यापार—दासियों के त्रय-विक्रय से सम्बन्धित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कन्या विक्रय, दहेज प्रथा इसी के अन्तर्गत है।

(११) जतपोलणया कम्मे यानि यंत्र द्वारा पीलने का कार्य—यह कर्म महा आरम्भ ही है—ऐसे कार्य से अनेक त्रस जीवों की हिंसा होती है।

(१२) निलक्षण कम्मे—यानि पशुओं को नपुंसक बनाकर आजीविका चलाना ।

(१३) दवग्गीदावणया कम्मे यानि वन दहन करना—दहन क्रिया द्वारा भूमि को स्वच्छ करने की प्रक्रिया द्वारा जीविका चलाना ।

(१४) सरदहतलाय सोसणया कम्मे—यानि तालाव, नदी आदि के जल सुखा कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का धंधा करना ।

(१५) असईजण पोसणिया कम्मे—कुल्टा स्त्रियों का पोषण करना तथा व्यभिचार कराकर द्रव्य प्राप्त कर आजीविका चलाना ।

ऊपर लिखित दस कर्म और पाँच वाणिज्य ये पन्द्रह कर्मादान श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य है । ये व्यवसाय जनता को प्राकृतिक लाभ से वंचित रखने वाले भी है । आज के परिप्रेक्ष्य में उनके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है । आज भी प्रथम दो कर्म के कारण, वृक्ष कटते जा रहे हैं—प्रदूषण बढ़ रहा है । वृक्षों के अभाव में स्वास्थ्यवर्द्धक वायु (आक्सीजन) की कमी हो रही है । वृक्षारोपण आज की अनिवार्य आवश्यकता हो गयी है । फोड़ी कम्मे के अन्तर्गत खेती के लिए भूमि तैयार करना अभीष्ट नहीं । शास्त्रकारों ने कृषि कर्म को फोड़ी कर्म माना होता तो आनन्द को श्रावक पद से प्रशंसित नहीं करते । रस वाणिज्य का रोग भी बढ़ रहा है । मदिरा पान या उसके व्यवसाय से कौटुम्बिक व राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हो रहा है । केश-वाणिज्य का अर्थ भी नये सन्दर्भ में करना होगा—दहेज प्रथा का भीषण रूप हमारे सामने है । समाज के अनेक युवक-युवतियों का इस दुष्प्रथा के कारण शोषण हो रहा है । जंतपीलणया कम्मे—यह व्यवसाय आज मुख्य हो गया है—पर सच तो यह है कि यत्रवाद के प्रभाव से लोगो का जीवन परावलम्बी होता जा रहा है । अल्पारभी कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे है । राष्ट्र का चारित्रिक पतन व स्वास्थ्य का भी नाश हो रहा है । भोपाल की गैस त्रासदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ।

साराश यही कि पन्द्रह कर्मादान का त्याग मूल ब्रतो में गुण उत्पन्न करने वाला तथा चित्त में समाधि स्थापित करने वाला है, अतः ये श्रावक के लिए त्याज्य है ।

श्रावक का उत्तरदायित्व

वर्तमान में हमने यही समझ लिया है कि धर्म, संस्कृति-रक्षण तथा आध्यात्मिक साधना श्रमण वर्ग का ही कार्य है । श्रावक वर्ग ने अपने कर्तव्यों और उसके लिए निर्धारित आचारवृत्ति को सर्वथा विस्मृत कर दिया है । हम आचार माधु समाज में ही देखना चाहते हैं । श्रावक-आविका के चारित्रिक

अपरिग्रह · विचार]

कोई मापदण्ड नहीं रहा है। श्रमण वर्ग के शिथिलाचार का उल्टा श्रावक वर्ग का ही है। आज हमें न श्रमण जीवन के आध्यात्मिक मूल हैं और न अपने कर्तव्यों का। श्रावक जीवन की शुद्धि की प्राथमिक सप्तव्यसनो की पृथकता है। आज दुर्व्यसन समाज में बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन निःशेष होता जा रहा है। नये सिरे से वर्तमान देशकाल को देखते हुए श्रावक की आचार संहिता बनानी होगी, जिससे श्रावक की पहचान हो सके।

उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत की उपर्युक्त समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि गृहस्थो (श्रावकों) के लिये व्रत प्रतिपादित आचार-नियम वर्तमान सामाजिक, राष्ट्रीय सन्दर्भ में अत्यन्त उपयोगी है। ये आचार युगानुकूल देश-काल के परिप्रेक्ष्य में नये अर्थों में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। आज पुनः श्रावक की आचार विधि पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये, तब ही पुनः प्राचीन प्रतिष्ठा उपार्जित कर सकेंगे तथा जीवन में शान्ति का अनुभव कर सकेंगे।



निःस्वार्थता का फल

फारस देश का बादशाह नोशेरवां अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। एक बार वह जंगल में शिकार करके लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा-सा व्यक्ति सड़क के किनारे अखरोट का एक छोटा-सा पौधा लगा रहा है।

बादशाह ने घोड़े से उतर कर कहा—“जानते हो यह पौधा वृक्ष का रूप धारण करेगा और इसमें अखरोट लगने में कई वर्ष लगेंगे। तब तक तुम शायद ही जीवित रह पाओगे। तब तुम क्यों मेहनत कर रहे हो ?”

विनम्रता से वह वृद्ध बोला—“राजन् ! मैं अब तक दूसरो के लगाये वृक्षो के बहुत फल खा चुका हूँ, इसलिये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मुझे भी दूसरो के लिये पेड़ लगाने चाहिये। अपने फल खाने की आशा से ही पेड़ लगाना तो स्वार्थ है।”

बादशाह उसका जवाब सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे दरवार में सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया।

जैन आगमों में अपरिग्रह-विचारणा

□ श्री केवलमल लोढ़ा

श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 'दशवैकालिक सूत्र' अ. ६, गा. ११ में प्ररूपणा की है कि 'सव्वे जीवावि इच्छंति जीविउं न मरिज्जिउं'—सभी जीव जीना चाहते हैं न कि मरना । यहाँ कौन से जीवन की अपेक्षा है तो प्रभु ने 'आचारांग सूत्र' १-श्रु, २-अ, ३-उ में फरमाया कि—'सव्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्ख पडिकूला'—समस्त प्राणी दुःख के प्रतिकूल सुख की अभिलाषा करते हैं । उस सुखमय जीवन हेतु मनुष्य प्रायः मनोनुकूल विषयो में निरन्तर गतिशील रहते हैं, परन्तु उन विषयो में सुख अल्प और बहुधा दुःख ही प्रतिफलित होता है । ऐसा क्यों ? क्या अपनाया हुआ मार्ग वास्तविक सुख का कारण न होकर, दुःख का मूलभूत हेतु है ? इसका विश्लेषण करते हुए देवाधिदेव ने तथ्य को प्रगट किया कि मनोवांछित विषय आश्रव रूप होने से दुःखजन्य है । इस आश्रव व उसके प्रतिपक्षी संवर का विशद् विवेचन दसवें अंग 'प्रश्न व्याकरण सूत्र' में गुम्फित है ।

आश्रव व संवर की परिभाषा ग्रन्थकारों ने यह की है कि आश्रव 'आसमन्तात श्रवन्ति प्रविशन्ति कर्माणि येन सः आश्रव' अर्थात् जिन कारणों से आत्मा में कर्म चारो ओर से प्रविष्ट होते हैं वह आश्रव है । 'संविनन्ते निरुद्ध्यन्ते कर्म कारणानि येन भावेन स संवरः ।' यानि आत्मा में जिन कारणों से प्रविष्ट होते हुए कर्म रुक जावे, वह संवर है । आश्रव नवीन कर्मों का प्रवाह, संसार का हेतु है और संवर मोक्ष का यानि संसार क्षय करके अव्याबाध सुख की प्राप्ति ।

हिंसा, असत्य, चौर्य, अरब (मैथुन) और परिग्रह ये पाँच मुख्य आश्रव के भेद हैं और इनके विपरीत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच संवर हैं । सामान्यतया पाँचो ही संवर आत्मगुणों के वृद्धिकरण, उपयोगी, आनन्ददायक और अन्ततोगत्वा मोक्ष फल के दायक हैं; परन्तु यहाँ अपरिग्रह का कथन करना इष्ट है । अतः इसका विवेचन किया जा रहा है ।

पाँचो संवरो में मूल भूमिका रूप अपरिग्रह है क्योंकि अपरिग्रह अहिंसा का पोषक है । लोभ विना द्वेष नहीं होता और द्वेष ही हिंसा का जनक है । अतः फलित हुआ कि लोभ के अभाव में हिंसा नहीं पनपती । यानि हिंसा का नीव रूप सृजक लोभ ही है । लोभ या लालचवश मनुष्य धन के अर्जन, सग्रह

सरक्षण मे भूठ बोलता है, चोरी करता है और परिग्रह के मद में व्यभिचार करने मे भी नही हिचकता । निलोभी क्यों भूठ बोलेगा, क्यों चोरी करेगा और वह व्यभिचारी भी क्यों होगा ? इन दोनो का ३६ का अंक—अर्थात् जहाँ प्रकाश है वहाँ ये अंधेरे रूप अवगुण नही रह सकते । इसलिये अहिंसा, सत्य, अचौर्य की जड अपरिग्रह है । और 'आचारांग सूत्र' अ. ५, उ. २, सूत्र १५५ मे कहा है कि जो परिग्रह से विरत है उसमे ब्रह्मचर्य होता है । अर्थात् अपरिग्रही ब्रह्मचारी है ।

अपरिग्रह को समझने के लिये परिग्रह का ज्ञान पहले होना आवश्यक है । आगमकारों ने परिग्रह की व्याख्या करते हुए कहा है—'परिगृह्यते आदीयतऽस्मादिति परिग्रहः । मूर्च्छाभावेन ममेति बुद्धया गृह्यते इति परिग्रहः ।' किसी वस्तु का समस्त रूप से ग्रहण करना अथवा ममत्व बुद्धि से, मेरेपन की बुद्धि से मूर्च्छावश जिसे ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह है । परिग्रह द्रव्य से ६ प्रकार का—क्षेत्र, वत्थु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुविय (घर बिखरी का सामान) और भाव से १४ प्रकार का है—मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद । 'दशवैकालिक' अ. ४ व आचाराग (श्रु. १, अ. ५, उ. २) मे परिग्रह ६ प्रकार का बतलाया है । से अप वा, बहु वा, अणु वा, थूल वा, चित्तमत वा अचित्तवत वा एतेसु चेव परिग्रहावन्ती । परन्तु भगवती सूत्र श. १८, उ. ७ मे परिग्रह के तीन-तीन भेद भी किये है । १. कम्मपरिग्रहे, २. सरीर परिग्रहे, ३. बाहिर भडमतोवगरण परिग्रहे उपधि ममत्व बुद्धया परिग्रहमाणस्तु परिग्रह । सचित्त, अचित्त, सीसाए । इस सूत्र मे यह भी स्पष्ट किया है कि भवनपति से वैमानिक देव, चक्रवर्ती, वासुदेव, राजा, सेठ, साहूकार आदि मनुष्य, तिर्यच और नारकी सभी परिग्रही है । पन्नवणाजी सूत्र पद ८ मे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह रूप चार संज्ञाओं की चारो गति के जीवो के अल्पबहुत्व मे बतलाया है कि इन चारो संज्ञाओं में परिग्रह संज्ञा सबसे कम तिर्यचो मे, नारकी मे आहार और मैथुन से परिग्रह संज्ञा वाले अधिक, मनुष्य में भय और आहार संज्ञा से परिग्रह संज्ञा वाले ज्यादा और देवगति मे तीनों संज्ञाओं से परिग्रह संज्ञा वाले संख्यात गुणा अधिक है । इससे प्रमाणित होता है कि समस्त ससारी जीव लोभ रूपी पिशाच से ग्रसित है और यही प्रमुख कारण है कि लोभ को 'पाप का बाप' की संज्ञा दी गई है । धन का आकाक्षी जीव हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार आदि किसी भी पाप-कुर्म करने से नही डरता । परिग्रह मे हस्ती के पैर की तरह समस्त पाप समाये हुए है । यह मोक्ष के लिये बाधक अर्गला रूप प्रतिबंधक है ।

राग-द्वेष रूपी आत्म परिणाम भाव परिग्रह है और उनसे जो पुद्गलों का सचय होता है वह द्रव्य परिग्रह है । आत्मा का शुद्ध परिणाम भाव संवर है जो आते हुए कर्मों का निरुधक है । भाव संवर मे अपरिग्रह मुख्य है जिसकी

व्याख्या आगमकारों ने यह की है—“न विद्यते धर्मोपकरणाद्वे शरीरोपभोगाय स्वलोऽपि परिग्रहस्य स यथा । प्रत्याख्यात परिग्रहे साधी ।” अभिधान राजेन्द्र कोष, प्रथम भाग ।

न विद्यते परिसमन्तात् सुखार्थं गृह्यति इति परिग्रह । यस्यां साव-परिग्रह—जिसने किसी भी प्रकार का पदार्थ शारीरिक सुख हेतु ग्रहण नहीं किया है । उसे अपरिग्रह कहते हैं । ऐसे सम्पूर्ण रूप से अपरिग्रही विश्व में पंच महाव्रतधारी श्रमण निर्ग्रन्थ ही है । ‘आवश्यक सूत्र’ में यह उनका पाँचवां महाव्रत है ।

श्रमण निर्ग्रन्थ तीन करण तीन योग से समस्त प्रकार के परिग्रह के त्यागी है । फिर भी वे अपने शरीर के निर्वाह के लिए शीत, गर्मी की रक्षा व धार्मिक क्रिया करने हेतु वस्त्र, पात्र, धार्मिक उपकरण आदि रखते ही हैं । क्या यह परिग्रह नहीं है ? इसके समाधान में स्वयं चरम तीर्थकर ने ‘दशवैकालिक’ सूत्र अ. ६, गाथा २१ में प्ररूपणा की है—

ण सो परिग्रहो वृत्तो, णायपुत्तेण ताइणा ।

“मुच्छा परिग्रहो वृत्तो” इह वृत्त महेसिणो ॥

छः कार्यों के रक्षक, ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर ने अनासक्ति भाव से वस्त्र, पात्र आदि रखने को परिग्रह नहीं कहा है, किन्तु मूर्च्छाभाव को ही (वस्तु पर आसक्ति रखने को) परिग्रह कहा है । इसी अध्ययन की १६वीं गाथा में प्रभु ने चेतावनी दी है कि पदार्थ का संग्रह करना तो दूर, सिर्फ संग्रह की इच्छा (मानसिक सकल्प) करने वाला साधु, साधु नहीं वरन् गृहस्थ है—

लोहस्सेस अणुप्फासो, मण्णे अण्णयरामवि ।

जे सिया संणिहिकामे, गिही पव्वाइए ण से ॥

अनेक आगम शास्त्रों में अपरिग्रह सम्बन्धी वर्णन उपलब्ध है परन्तु उसका सागोपांग विवेचन ‘प्रश्नव्याकरण सूत्र’ में ही है । इसके पंचम अपरिग्रह संवर द्वार में निम्न विन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है—

(१) अन्तरंग परिग्रह से विरति ।

(२) अपरिग्रह का महत्त्व व स्वरूप ।

(३) अपरिग्रह की पहिचान ।

(४) अपरिग्रह व्रत को पुष्ट करने वाली पाँच भावनाएँ ।

श्रमण निर्ग्रन्थ समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग कर अकिंचन भिक्षु होता है, फिर भी उसके मन में व्यक्त वस्तुओं पर ममता मोह रूप अन्तरंग परिणाम न होवे और दोषों से जागरूक हेतु इस संवर द्वार में ३३ वोलों की प्ररूपणा की

गई है जैसे एक प्रकार का असंयम, दो भेद राग, द्वेष, इस तरह से एक २ बोल की वृद्धि करते हुए तैतीसवें बोल में तैतीस प्रकार की आशातना टालने का निर्देश है। हेय, ज्ञेय, उपादेय रूप इन बोलों की आराधना करने से अपरिग्रही साधक अपनी मंजिल की ओर निर्विघ्नता से प्रगति करता है।

अपरिग्रह की महिमा और स्वरूप का कथन आगमकारों ने श्रेष्ठ वृक्ष की उपमा द्वारा किया है।

महावीर स्वामी के श्रेष्ठ वचनों से प्ररूपित परिग्रह-निवृत्ति ही उसका विस्तार है और सम्यक्त्व ही उस वृक्ष की मूल है। धृति (धैर्य) ही उसका स्कंध और विनय-नम्रता उसकी वेदिका (थला) है। अपरिग्रह का तीन लोक में विस्तृत यश इसका तना है और पाँच महाव्रत रूप इसकी विशाल शाखाये है। अनित्य आदि वारह भावनार्ये अपरिग्रह वृक्ष की त्वचा (छाल) और शुभध्यान, प्रशस्त योग और ज्ञानरूप पत्ते और अंकुर से यह वृक्ष शोभित है। निर्लोभ आदि गुण रूप फूलों से यह वृक्ष अलंकृत है और शील ही उसका सौरभ है। अनाश्रव नवीन कर्मों का अग्रहण ही उसका फल है। इस अपरिग्रह का बीज मोक्ष का बोधि बीज रूप है और यही उसकी मिना सार रूप है। इस उपमा के अन्त में शास्त्रकार बतलाते हैं कि मेरु पर्वत के शिखर के चोटी के समान यह मोक्ष जाने के लिए निर्लोभता श्रेष्ठ मार्ग का शिखर रूप है, यानि अपरिग्रह मोक्ष के मार्गों में सबसे श्रेष्ठ है।

अपरिग्रही के लिए बहुमूल्य, अल्पमूल्य वस्तुओं का सग्रह न करना, सचित्त पदार्थ त्याज्य है और प्रासुक एषणीय पदार्थ ही ग्राह्य है। व कौन कौनसे दोष टालना, वस्त्र, पात्र आदि कितने रखने का कल्प है। इन सब प्रवृत्तियों के विधि-निषेध रूप आचरण आगम पाठ 'जत्थ न कप्पइ.....भायणभंडोगहि उवगरण' में दृष्टव्य है।

अपरिग्रही साधक की पहिचान उसके समता, क्षमा, सरलता, मृदुता, सत्य आदि गुणों और तदरूप आचरण से प्रतिबिम्बित होती है, जिसका विस्तृत विशद वर्णन मूल पाठ 'एव से संजते विमुते एगे चरेज घम्म' में निहित है। उसकी कुछ भाकी यहाँ प्रस्तुत है।

१. निम्ममे, निन्नेह बंधणे — परिग्रह से अममत्व भाव और स्नेह बंधन से रहित।
२. वासी चदण समाण कप्पे — अपकारी और उपकारी पर समान दृष्टि रखने वाला।
३. सभे य माणवमाणणाए — मान-अपमान में समभावी।

४. समित राग दोषे — राग-द्वेष का शमन करने वाला ।
 ५. सव्व भूयाण शरणे — सभी प्राणियों का शरणभूत (आश्रय देने वाला) ।
 ६. सव्व जग वच्छले — विश्व वात्सल्य भाव से परिपूर्ण ।
 ७. सच्च भाषके — सत्य भाषी ।
 ८. सुह दुक्ख निव्विसेसे — सुख और दुःख जिसके लिये समान है ।
 ९. पोक्खर पतं व निरूव लेवे — कमल के पत्ते के समान निर्लेप ।
 १० अनिलोव्व अपडिबद्धे — वायु के समान प्रतिबन्ध से रहित ।
 ११. जीविय मरणास विप्पमुक्के — जीने और मरने की इच्छा से रहित ।
 १२. निस्सयं निव्वण चरित्त धीरे कायेण फासयते — चरित्र परिणाम के विच्छेद से रहित ।
 निरतिचार चारित्र का धारीसाधक काया से पालन करने वाला ।
 १३. सततं अज्झप्पज्झाण जुतं — निरन्तर अध्यात्म ध्यान में संलग्न ।
 १४ निहुए निभूत (उपशांत) ।
 १५. एग चरेज्ज धम्मं — एकाकी चारित्रधर्म का आचरण करने वाला ।

त्यागी के रूप में अपरिग्रही को 'दशवैकालिक सूत्र' अ. २, गाथा ३ में—
 जे य कंते विपे भोए, लद्धे विपिट्टिकुव्वइ ।
 साहिणे चयइ भोए, सेह चाइत्ति वुच्चइ ॥

प्रदर्शित किया है । जो मनोहर प्रिय भोगने योग्य वस्तुओं को प्राप्त कर और भोगने में स्वाधीन होते हुए भी उनकी तरफ पीठ कर देता है अर्थात् त्याग देता है, वही सच्चा त्यागी अर्थात् अपरिग्रही है ।

ऐसे महात्यागी साधक आगम के पृष्ठों में यत्र तत्र चमक रहे हैं । उनमें से दो उदाहरण 'उत्तराध्ययन' सूत्र के यहाँ प्रस्तुत हैं—

अध्ययन ६—नमिराज ऋषि

से देव लोग सरिसे, अतेउरवरगओ वरेभोए ।
 भु जित्तु नमिराया, बुद्धो भोगे परिच्चयई ॥ ३ ॥

मिहिल सपुर-जणवय, वलमोरोह च परियण सव्वं ।
 चिच्चा अभिनिक्खंतो, एगत महिडिओ भवय ॥ ४ ॥

देवलोक के समान उत्तम काम भोगों, अन्त.पुर, राज्यलक्ष्मी सबको त्याग कर नमिराज ऋषि दीक्षित हो गये ।

अध्ययन १४—इषुकार नरेश और उनकी कमलावती रानी

चइत्ता विउलं रज्ज, काम भोगे य दुच्चए ।

निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥ ४६ ॥

विशाल राज्य और दुस्त्यज्य काम भोगो को छोडकर राजा और रानी भी विषय आसक्ति से रहित, इच्छाओं से रहित, स्नेह (कुटुम्बीजनों के प्रेम) रहित, बाह्य-अन्तरंग परिग्रह से मुक्त हुए ।

आगमज्ञो ने अपरिग्रह व्रत की सुरक्षा हेतु पाँच भावनाओं का निर्देशन किया है । सबसे प्रथम मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों के कर्णगोचर होने पर साधक कैसी दृष्टि रखे, उसका कथन निम्न प्रकार से किया है । श्रोत इन्द्रिय की जय करने की भावना—

मणुन्न भद्दएसु ण तेसु समणेण, सज्जियव्व, न रज्जियव्व, न गिज्जिभयव्व,
न हसियव्व, न मुज्जिभयव्व, न विनिग्घाय, आवज्जियव्व न लुभियव्वन
न तुसियत्त्व ।

मनोज्ञ और प्रिय शब्दों को सुनने पर संयमी को उन पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और राग भी नहीं करना चाहिए, न गृद्धि भाव रखे और न विस्मयपूर्वक हँसे, उनमे मूर्च्छित न होवे, न उन पर न्योछावर हो । उनको पाने के लिए ललचावे नहीं और प्राप्त होने पर प्रसन्नता प्रकट न करे ।

अमणन्नु पावएसु ण तेसु समणेण रूसियव्व, न हीलियव्व, न निदियव्व,
न खिसियव्व न छिदियव्व, न भिदियव्व न वहे यव्व ।

अमनोज्ञ और अशुभ पापकारी वचनों को सुनकर श्रमण रोष नहीं करे, न उनकी हीलना, अवज्ञा, निंदा करे, न उन पर खीझना चाहिए और न उस वस्तु को तोडे (भागे) भेदन कर भयानवे शब्दों से डरावे और न मारपीट करे ।

जिस प्रकार श्रोतेन्द्रिय के शुभ-अशुभ शब्दों के कर्णगोचर होने पर सम भाव रखने की शिक्षा दी गई है, वैसे ही चक्षु इन्द्रिय के विषय सुन्दर प्रिय रूप और कुरूप अप्रिय रूप देखकर, मनमोहक सौरभ और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों का घ्राण इन्द्रिय के सयुक्त होने पर, मधुर स्वादिष्ट और कडवे नीरस व्यंजनो के रसना इन्द्रिय के सयोग होने पर और कोमल, मृदु और रूक्ष-कठोर पदार्थों के स्पर्श होने पर संयमी अनुकूल सयोग पर हर्ष से आह्लादित न होवे और विपरीत प्रसंगो पर डाट फटकार, तिरस्कार, नाक भौंह सिकोड़ना, घृणा नफरत न करता हुआ ऐसा चिन्तन करे कि यह तो पुद्गलो का पूरन गलन धर्मा स्वभाव है, जो पलटता ही रहता है । जो वस्तु आज आकर्षक और लुभावनी है, वही कालान्तर मे अदर्शनीय और घृणा पात्र बन जाती है । युवावस्था में जो शरीर का निखार

होता है वही बुढापे में कुरूप हो जाता है । पुद्गलों के गुण धर्म परिवर्तन सम्बन्धी छठे अंग 'ज्ञाताधर्म कथाग' के वारहवें अध्ययन मे सुबुद्धि प्रधान ने खाई (नगर के गंदे नाले) के पानी को जो महा दुर्गन्धमय, अणुभ वर्ण, गंध, रसवाला था, उसको प्रयोग द्वारा सुगन्धित, स्वादिष्ट और पथ्य रूप मे परिवर्तन कर नृप को आस्वादन कराया । राजा भी उस पानी को पीकर विस्मित हुआ । इसका सुन्दर अनुपम दृष्टान्त है । 'उत्तराध्ययन सूत्र' के ३२ वे अध्ययन मे भी प्रभु ने यही भाव दर्शाये है । उसका सार निम्न गाथा में निचोड रूप में भर दिया है—

जे सह रूव रस गधमागए, फासे य सपप्य मणुण्णपावए ।
गेही पओसं न सरेज्ज पंडिए, स होति दंते, विरए, अकिचणे ॥

जो मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गध और स्पर्श की प्राप्ति में राग नहीं करता और अमनोज्ञ पर द्वेष नहीं करता, वही पंडित है, विरत, शांत, अकिचन यानि अपरिग्रही है ।

परिग्रह यानि दुष्ट सयोग पर प्रीति-रतिभाव और अनिष्ट पर अप्रीति-अरति भाव ये दोनो ही मानसिक सकल्प विकल्प, जन्म-मरण रूप ससार है और अपरिग्रह यानि इन भावों से विमुक्त होना या समभाव रखना ही ससार से किनारा करना है । दूसरे शब्दो मे अपरिग्रह मोक्ष का भव्य द्वार है जिसके आराधन से जीव साधक कालान्तर मे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है ।

गरीब या दुःखी ?

'लू' नगर की एक पिछडी बस्ती में रहते थे दार्शनिक 'युआन सीन' । फूस की झोंपड़ी, टूटा छप्पर, गीला फर्श, मटकों से बनी खिड़की । ऐसे टूटे-फूटे घर में वे रहते थे और फुरसत के समय मस्ती से भरे हुए एकतारा बजाया करते थे ।

अमीर 'त्सी कुंग' अपनी शानदार बग्घी मे बैठकर उनसे मिलने गये । गली इतनी छोटी थी कि उनकी बग्घी उसमें घुस ही न सकी । उन्हें पैदल जाना पडा ।

युआन सीन अतिथि का स्वागत करने दरवाजे पर आये । फटा जूता, पत्तो की टोपी, पुराने कपडे पहने उन्हें देखकर कु ग ने कहा—“ओह, सन्त, आप इतने दुःखी, दरिद्र, सकटग्रस्त ।”

युआन मुस्कराये और बोले—“मिने सुना है—धन के अभाव में मनुष्य गरीब भर रहता है । दुःखी वे हैं जो अज्ञानग्रस्त है । वताओ तो—मैं गरीब हुआ या दुःखी ?”

त्सी कुंग सिटपिटाये से एक काने में खडे थे ।

मसीही धर्म में अपरिग्रह सिद्धान्त

□ डॉ० ए० बी० शिवाजी

विश्व के समस्त धर्मों में किसी न किसी रूप में अपरिग्रह की चर्चा की गई है। अपरिग्रह का प्रत्यय सदाचार के अन्तर्गत आता है। वास्तव में अपरिग्रह सद्गुण है जिसका पालन करने से समस्त क्लेशों से बचा जा सकता है और मानव, यदि आस्तिक हो तो अपने मोक्ष पाने के मार्ग को सरल बना सकता है। यदि नास्तिक हो, तो सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। यदि अस्तित्ववादी हो तो उसे अपने प्रामाणिक (authentic) अस्तित्व का ज्ञान हो सकता है। अपरिग्रह जहाँ नकारात्मक प्रत्यय है वही मानव अस्तित्व सकारात्मक है। इसी कारण ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने अपरिग्रह भावना पर बल दिया है।

भारतीय संस्कृति में अपरिग्रह को सद्गुण के रूप में देखा जाता है। पातजलि ने अपरिग्रह की परिभाषा में इसे असांसारिकता संन्यास का दृष्टिकोण बताते हुए कहा है कि अपरिग्रह भौतिक सम्पन्नता के प्रति उदासीनता की दृष्टि है जिसका पालन न करने से हिंसा और अन्य कई दुष्कर्म होते हैं। इस कारण परिग्रह असत्य और हिंसा को जन्म देते हैं। विज्ञान भिक्षु ने इसकी व्याख्या अलग प्रकार से की है। उनका मत है कि परिग्रह की भावना में दम्भ और आसक्ति, स्वामित्व की भावना के साथ युक्त रहती है।^१

जैन धर्म में अपरिग्रह के सिद्धान्त की व्याख्या व्यापक रूप से की गई है। जैन धर्म ने ही आन्तरिक एवं बाह्य परिग्रह में भेद किया है। जैन धर्म यह बताता है कि “दुःख का मूल परिग्रह है और सुख का मूल अपरिग्रह।” जैसा कि कहा गया है—

“मुच्छा परिग्रहो वृत्तो इह वृत्तं महेसिणा।”^२

अपरिग्रह के स्वरूप के विषय में श्री मधुकर मुनि के शब्दों को स्मरण रख सकते हैं। उनके शब्द हैं “केवल प्राप्त वस्तुओं का संग्रह ही परिग्रह नहीं

१ Ethics of Hindus S. K. Maitra, P 223

२ दशवंकालिक ६/२१

है, किन्तु जो अप्राप्त है, पर उनके लिए मन में लालसा हो तो वे भी परिग्रही है, यानी जिनकी कामना की जा रही है वे अप्राप्त वस्तुएँ भी परिग्रह है।^१

वर्तमान की भौतिकवादी एवं असंतुलित विचारधारा मे अपरिग्रह की विचारधारा ही मानव के लिए सम्बल बन सकती है। अपरिग्रह भावना ही मानव अस्तित्व को सर्वनाश से बचा सकती है।

‘श्रीमद् भगवद् गीता’ में आसक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ‘गीता’ इस तथ्य पर जोर देती है कि चाहे संग्रह करो, किन्तु उस संग्रह की वस्तु मे आसक्ति न हो। यह तथ्य मानव मनोविज्ञान के विपरीत है, क्योंकि संग्रह करना ही प्रवृत्ति के अन्तर्गत है। यद्यपि ‘गीता’ में अर्जुन द्वारा बोले गये कई सवाव अपरिग्रह की विश्लेषणात्मकता को प्रकट करते हैं फिर भी अपरिग्रह का क्षेत्र इतना व्यापक है कि मनुष्य का अस्तित्व और उसका सार दोनो ही एक ही शब्द में व्याप्त हैं।

बौद्ध धर्म ने अपना नीति शास्त्र, चार आर्य सत्यों पर ही आधारित किया है। गौतम बुद्ध की दृष्टि मे दुःख, दुःख का कारण, दुःख निरोध और दुःख दूर करने के उपाय ही मानव को अपरिग्रही बना सकते हैं। जीवन की हर तृष्णा संसार के जीवों को बांधे रखती है किन्तु, तृष्णा पर विजय पाना ही मानवीय दुःखो से, चाहे भौतिक दुःख हो, आधिभौतिक हो अथवा आध्यात्मिक दुःख हो, मुक्त होना है। यहाँ हम एक बात कहना चाहेगे कि मानवीय जीवन में दुःख सबसे बड़ा शिक्षक है। दुःख ही वह सोपान है जिसके द्वारा सुख तक पहुँच कर, दुःख रूपी सोपान को गिरा दिया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हम मानवीय अस्तित्व को अपरिग्रह के संदर्भ में देखे और मानवीय जीवन के उच्च मूल्यों को स्थापित करने में सहायक हो।

मसीही धर्म मे अपरिग्रह सिद्धान्त की विवेचना का भी अपना महत्त्व है क्योंकि यीशु मसीह का जीवन स्वयं में एक अपरिग्रही का जीवन था और इस कारण उन्होंने अपने प्रवचनों में कई स्थानों पर परिग्रही होने की निन्दा की है और अपने जीवन के द्वारा यह बताने का यत्न किया है कि अपरिग्रह ही वह मार्ग है जो आत्मोन्नति मे सहायक बनता है। उनके अपरिग्रही होने का सबसे बड़ा प्रमाण उनके ही शब्दों मे दिखाई पड़ता है जब कि एक शास्त्री ने उनसे कहा था, ‘हे गुरु, जहाँ कहीं तू जायेगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा।’ तब यीशु मसीह ने उत्तर मे कहा था, “लोमडियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परन्तु मनुष्य के पुत्र (यीशु मसीह) के लिए सिर घरने की भी जगह नहीं है।”^२ अर्थात् यीशु मसीह के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जिससे उन्हें

१ अपरिग्रह-दर्शन : मधुकर मुनि, पृ ८-९

२ मत्ती ८ : १९-२०

आसक्ति हो। न उनमें बाह्य और न ही आन्तरिक परिग्रह की भावना थी। प्रभु यीशु मसीही दिव्य पुरुष थे। अपरिग्रह पर उनके वचन किसी सामान्य पुरुष के नहीं अपितु ऐसे अवतार के हैं जिसने बिना पाप के पृथ्वी पर जन्म लेकर, क्रूस की मृत्यु सहकर, यह सार्थक कर दिया कि जीवन जीने के लिए एक अपरिग्रही का क्या महत्त्व है।

आज के युग में धन, सम्पत्ति का सग्रह मानव जीवन के लहू में इस प्रकार मिल गया है कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व को ही खो दिया है। वह यह भूल गया है कि हर तथ्य की अधिकता ही बुराई है (Every thing in excess is bad)। इस धन, सम्पत्ति के सग्रह ही ने भयकर विष का रूप ले लिया है जो सतुष्टि तो प्रदान नहीं करता अपितु मानवीय वेदना को प्रतिक्षण बढ़ाता ही जाता है। प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि “मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु हर एक वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा।”^१ इसी कारण मसीही धर्म धन को इतना महत्त्व नहीं देता क्योंकि ईश्वर और धन दोनों में विरोधाभास है। मनुष्य दोनों को चुन नहीं सकता। एक सुन्दर उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि “कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, ‘तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।’ इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि अपने प्राण के लिए यह चिन्ता न करना कि हम क्या खाएँगे? और क्या पीएँगे? और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहिनेंगे? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढकर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो। वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खल्लो में बटारोते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते।”^२ प्रश्न मानव मूल्य का है। आज मानव मूल्यों का पतन हो चुका है।

मानव मूल्यों के पतन में मनुष्य को धनी बनने के लिए नाना प्रकार से परिश्रम और कार्य करना पड़ता है। वह धनी बनने के लिए उतावला है। किसी भी रूप से वह धन कमाना चाहता है। पुराने नियम की पुस्तक ‘नीति वचन’ में इस पर प्रकाश डाला गया है। वहाँ लिखा है “धनी होने के लिए परिश्रम न करना”^३ तथा “लोभीजन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता है कि वह घटी में पड़ेगा।”^४ इसका अर्थ यह नहीं है कि मसीही धर्म निष्क्रियता सिखाता है किन्तु यह एक चेतावनी का रूप है जिसका

१ मत्ती ४ . ४

२ मत्ती ६ . २४-२६

३ नीति वचन २३ . ४

४ नीति वचन २८ : २२

मनोवैज्ञानिक कारण है। यही आसक्ति का रूप है। प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि “जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।”^१

मसीही धर्म का स्पष्ट मत है कि जीवन का मूल्य धन, सम्पत्ति से आका नहीं जा सकता। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि “किसी का जीवन उसकी सम्पत्ति की बहुतायत से नहीं होता।”^२ इस सदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टान्त में कहा था कि “किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूँ। कुछ सोचने के बाद उस धनी पुरुष ने कहा, “मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और सम्पत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सम्पत्ति रखी है। चैन कर, खा, पी, सुखी रह।” इतना कहने के बाद वह ईश्वर की आवाज, अर्थात् अन्तर्तम की आवाज सुनता है कि “हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, वह किसका होगा?”^३ प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि “ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परन्तु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं।” वास्तविकता यह है कि मसीही धर्म को धन, सम्पत्ति बढ़ाने पर एतराज नहीं है। मसीही धर्म इस बात की शिक्षा देता है कि “चाहे धन, सम्पत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना।”^४

प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टान्तों का बहुत अधिक प्रयोग किया है ताकि जन-साधारण भी उनकी बातों को समझ ले। वे एक दृष्टान्त में बताते हैं कि उनके पास एक व्यक्ति आया और पूछने लगा, “हे गुरु, अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ?” यीशु मसीह ने कहा, तुझमें एक बात की घटी (कमी) है, जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर कगालो को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।^५ यीशु मसीही ने चारों ओर देखकर शिष्यों को उपदेश दिया कि “धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।” आगे उन्होंने कहा— “परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है।”^६

१ लूका १२ : ३४

२ लूका १२ . १५

३ लूका १२ . १६-२०

४ भजन संहिता ६२ : १०

५ लूका १० २१-२२

६ लूका १० : २५

मसीही धर्म में एक धनवान और गरीब मनुष्य की कथा है जो रोचक होने के साथ ही शिक्षा भी प्रदान करती है । कथा इस प्रकार है :—

एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपडे और मलमल पहनता और प्रति-दिन सुख-विलास और धूमधाम के साथ रहता था और लाजर नाम का एक कगाल घावो से भरा हुआ उसकी डेवही पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे । कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे और ऐसा हुआ कि वह कगाल मर गया । स्वर्ग के दूतों ने उसे लेकर इब्राहीम की गोद में पहुँचाया । वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया । अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखे उठाई, और दूर से इब्राहीम की गोद में लाजर को देखा तो उसने पुकार कर कहा—“हे पिता इब्राहीम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूँ ।” परन्तु इब्राहीम ने कहा, “हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएँ ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएँ । परन्तु अब वह यहाँ शान्ति पा रहा है और तू तड़प रहा है ।”^१

इसी प्रकार एक लोभी भण्डारी की कथा है । कथा के विस्तार से मैं उसको यहाँ उद्धृत नहीं कर रहा हूँ किन्तु उसके मुख्य अंश मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ । कहा गया है कि “जो थोड़े-से-थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है और जो थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है, इसलिये जब तुम अधर्म के घन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा ?”^२

मसीही धर्म भले कामों में धनी बनने की सलाह देता है । पवित्र शास्त्र में लिखा है—“अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाडते हैं और जहाँ चोर संध लगाते और चुराते हैं परन्तु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाडते हैं और जहाँ चोर न संध लगाते और न चुराते हैं ।”^३

प्रभु यीशु मसीह के चेले भी अपरिग्रह का पालन करते हुए लोगों को सिखाते रहे । पौलुस जिसने मसीही धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया, अपने एक पत्र में लिखता है कि “क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर

१ लूका १६ १६-३१

२ लूका १६ १-१३

३ मत्ती ६ १६-२०

अपने आपको नाना प्रकार के दुःखों से छलनी बना लिया है।”^१ इसी प्रकार एक अन्य पत्र में विश्वासियों (अनुयायियों) को लिखता है कि “तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बना कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ।”^२

उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हम अपनी सचिंत पूँजी का सदुपयोग इस रीति से करें कि गाँव-गाँव में अस्पताल हों, लघु-उद्योग हों, ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला हर व्यक्ति मानव-कल्याण के उस दर्शन को समझ सके जिसमें मानव मूल्य सर्वोत्तम हों। मानव-धर्म आज के युग की पुकार है। क्या हम सुनेंगे? □

१ तिमथियुस की पत्री ६ १०

२ करिन्थियो की पत्री ८ ६

भारतेन्दु की दानशीलता

एक बार भारतेन्दुजी की प० अम्बिकादत्त व्यास के साथ साहित्यिक चर्चा चल रही थी। भारतेन्दुजी किसी उक्ति पर बेहद खुश हो गये थे। उस समय भारतेन्दुजी के पास द्रव्य का अभाव था। परन्तु उनके शरीर पर लगभग डेढ़ हजार की पोषाक एवं कीमती चीजे थी। उसी समय मानस शकावली वाले प. नन्दन पाठक आ पहुँचे। उनके साथ एक गरीब ब्राह्मण था। भारतेन्दुजी को गरीब ब्राह्मण की ओर इशारा करके बताया—“इनकी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है पर इनके पास द्रव्य का अभाव है। आपकी दानशीलता से परिचित है, इसलिये आपके पास आये है। आप इनकी कुछ सहायता कीजिये।”

भारतेन्दुजी पाठकजी की बात सुनकर मुस्कराये। बोले—“इस समय मेरे पास रुपये तो हैं नहीं, परन्तु अपनी कुल पोषाक दिये देता हूँ। शहर में इसको बेचने से कन्या के विवाह लायक द्रव्य तो निकल आयेगा।”

इतना कहकर उन्होंने सारी पोषाक उतार कर देदी। साथ-ही-साथ घड़ी, छड़ी आदि भी देकर व्यासजी का दुशाला ओढ़ लिया। इस पर व्यासजी ने एक दोहा कहा जिसका आशय था—काशी की पश्चिमी सीमा पर सतयुग में राजा हरिश्चन्द्र ने अपना सब कुछ दान दे दिया था और आज के युग में वादशाह हरिश्चन्द्र ने काशी की पूर्वी सीमा पर अपना सर्वस्व दान दे दिया है। इस उक्ति पर प्रसन्न होकर भारतेन्दुजी ने अपने हाथ की नगजडी अंगुली निकाल कर व्यासजी की अंगुली में पहना दी। एक हाथ से उन्होंने अंगुली पहनाई दूसरा हाथ उनके मुख पर रखकर कहा—“अब आगे कुछ मत कहना मेरे पास अब कुछ देने को नहीं है।”

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the top section.

Handwritten text on the right side of the page.

Main body of handwritten text, consisting of approximately 25 lines of dense script.

Vertical text on the left margin, including words like 'श्री', 'सर्व', 'के', 'न', 'जली', 'हीने', 'मत', 'हंसात्'.

“जो नमाज कायम करते हैं और जकात देते हैं और वे ऐसे हैं जो आखिरत पर विश्वास करते हैं ।”
(सूरे अन्नमल, ३)

“मेरे जो बंदे ‘ईमान’ लाए हैं उनसे कह दो कि ये ‘नमाज’ कायम करें और हमने जो कुछ दिया है उसमें से छिपाकर और खुले रूप में खर्च करे, इससे पहले कि वह दिन आये जिसमें न कोई सौदा होगा और न कोई मित्रता होगी (यानि योमे-हिसाब या निर्णय का दिन) ।
(सूरे-इब्राहीम, ३१)

‘जकात’ अरबी भाषा का शब्द है जिसके मानी है—पाक और शुद्ध होना, बढ़ना, विकसित होना । पारिभाषिक रूप में जकात उस निश्चित धन को कहते हैं जिसको अपनी कमाई और माल में से निकालना और उसे अल्लाह के बताए हुए शुभ कार्यों में व्यय करना आवश्यक है । जैसे मुसाफिरो, मुहताजो और दीन-दुःखियो की सेवा करना, ऋणी व्यक्तियों को ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाना, अल्लाह के दीन के लिए की जाने वाली चेष्टाओं में खर्च करना आदि ।

जकात को जकात इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है और उसे विकसित होने का अवसर मिलता है । मनुष्य का मन, बढी हुई सासारिक मोहमाया से छुटकारा पाता है और उसका माल भी पाक हो जाता है और उसमें बरकत होती है । जकात की व्यवस्था में पूरे समाज का कल्याण है ।

‘जकात’ देना आखिरत को याद रखने का उत्तम उपाय है । आदमी अपना माल खर्च करके उसे उसकी ओर लौटाता है जिसने उसे यह माल दिया था । इसी प्रकार उसे अपनी जान को भी उसी की ओर लौटाना है, अतः इसके साथ विनम्रता का होना भी आवश्यक है । इस पहलू से इसमें नमाज की विशेषता आ जाती है ।

जो व्यक्ति अल्लाह के दिये हुए धन में से अल्लाह के बन्दो का हक नहीं निकालता उसका धन भी अपवित्र ही रहता है और मन और आत्मा को भी शुद्धता प्राप्त नहीं होती ।
(कुरआन, रामपुर, पृ. १२३०)

वापिक आमदनी पर जकात फर्ज है, अनिवार्य है । इसका निर्धारण नौकरी, व्यापार, पशुधन, भवन, उपवन, कृषि-उत्पादन, मूल्यवान वस्तुओं आदि पर किया जाता है । जब मनुष्य को वर्ष में कभी भी अचानक आमदनी होती है तो उस आमदनी का ५वाँ भाग ‘खुम्स’ के रूप में खैरात करना अनिवार्य है । ‘खुम्स’, ‘जकात’ से पृथक् है । और जब मनुष्य स्वयं परिश्रम करके कुछ उपलब्ध करता है तो उस उपलब्धि का १०वाँ हिस्सा उसे खैरात करना होता है । इस प्रकार ‘जकात’, ‘खुम्स’ और ‘अश्र’ अनिवार्य दान या खैरात के अन्तर्गत आते हैं । जकात से ईश्वर की कृपादृष्टि मिलती है ।

इस्लाम मे 'सदका' देना भी आवश्यक समझा गया है, इसका निर्देश भी कुरान मे अंकित है। सदका देने से मनुष्य को बुराइयो से छुटकारा मिलता है। उसका मन-मस्तिष्क शुद्ध होता है—

“और यदि तुम खुले तौर पर सदका दो तो यह भी अच्छी बात है और यदि उसे छिपाकर गरीबो को दो, तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है और वह तुम्हारी कितनी ही बुराइयो को दूर कर देगा।” (सूरे-अल-बकर, २७१)

“हे नबी ! तुम उनके मालो मे से सदका लेकर उन्हें पाक करो और उनकी आत्मा को विकसित करो तथा उनके लिए दुआ करो। नि.संदेह तुम्हारी दुआ उनके लिए सन्तोष-निधि है।” (सूरे-अल-तौबा, १०३)

खुदा की राह मे दान देना या खैरात करना सदका कहलाता है। 'सदका' शब्द 'सिद्क' से व्युत्पन्न है और इसका अर्थ है सच्चाई और निष्ठा। सदका देने से मनुष्य का ईमान, उसका धर्म पुख्ता होता है, वह अधिक निष्ठावान बनता है, उसका ईमान-धर्म और अधिक सच्चा होता है। जो खुदा का सच्चा बदा होता है वह खुदा की राह मे सदका देता है। जकात', 'खुम्स', 'अश्र', 'सदका' या और कोई खैरात वही अल्लाह को स्वीकार्य है जो अपने खून-पसीने से कमाई जाने पर दान की जाए। पूर्ण ईमानदारी से कमाया गया धन शुद्ध धन है और उसी मे से जकात, सदका आदि देना जायज है, उचित है, वरना बेईमानी से, चार सौ बीसी से, स्मगलिंग से, जमाखोरी से कमाई गई दौलत से जकात या सदका आदि नहीं स्वीकार किया जा सकता है। जो लोग रुपया बैंक आदि मे जमा कर उस पर सूद लेते है और उस सूद को जकात, सदका आदि मे खर्च कर धर्मनिष्ठ या दानशील बनते है, खुदा की नजर मे ऐसा सूद का रुपया स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। इस्लाम में सूद लेना और सूद देना दोनों 'हराम', वर्जित घोषित किये गये है।

“तुम नेकी और वफादारी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी उन चीजो मे से खर्च न करो जो तुम्हे प्रिय है, और जो चीज भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसका जानने वाला है।” (सूरे अल-इमरान, ६२)

अल्लाह की राह में प्रिय वस्तु दान देना, खैरात करना बहुत उच्च स्थान रखता है। यहाँ धन-सम्पत्ति, वाग, कारखाने, औलाद यदि खुदा की याद मे बाधक हो तो मनुष्य यकीनन घाटे मे रहेगा। इसलिए कुरान मे साफ-साफ उल्लेख कर दिया गया है—“ऐ ईमान वालो ! माल और औलाद की मुह्वत तुमको खुदा की याद से गाफिल न करदे, जो ऐसा करेगा वह स्वयं खसारे (घाटे) मे रहने वाला है।”

कुरान और फरमाता है—

“अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथ से अपने आपको हलाकत में न डालो कि खुदा की राह में खर्च न करने के मानी हलाकत और वरवादी के है।”

“और जो लोग सोने-चाँदी के खजाने जमा करके रखते हैं और उनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको सख्त अजाव (यातना) की खुशखबरी सुना दीजिए।”

“सोने-चाँदी की टिकियों को तपा-तपा कर उनसे उनकी पेशानियों को दागा जायेगा।”

खुदा तो यह भी पसन्द नहीं करता कि मनुष्य ऐसा व्यापार, कारोबार करे जिससे वह खुदा को भूल जाये— “ला तुल ही हिम तिजारातुन-वला वईउन अन जिक्ूरिल्लाह।” इससे स्पष्ट है कि मनुष्य जो भी कामधवा करे वह हर समय अल्लाह का स्मरण करे, उसकी याद से विमुख न हो, उसकी कृपा, मेहरबानी का हरदम शुक्र करता रहे। जो कुछ देता है उसे सिर आँखों पर रखे, न लालची बने और न ही कजूस बने कि जो अल्लाह ने दिया है उसमें से अल्लाह की राह में, उसके नाम पर कुछ खर्च ही न करे।

आज समाज में भौतिकवाद की दुहाई दी जा रही है। चारों तरफ लूट-खसोट का बाजार गर्म है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, असत्य हमारे जीवन का अंग बनते जा रहे हैं, हमारा समाज बुरी तरह परिग्रहवाद के अभिशाप में जकड़ता जा रहा है। इस्लामी समाज भी परिग्रहवादी बन रहा है। वह कुरान के रास्ते से, पैगम्बर मुहम्मद साहब की शिक्षाओं से दूर होता जा रहा है। धन ने इतनी गहरी जडे जमाली है कि प्रत्येक व्यक्ति अब दुआ-सलाम भी धन-स्तर को देखकर करता है। इस्लामी संस्कृति भौतिकतावादी नहीं है, लेकिन आज वह भी घोर भौतिकतावादी बनती जा रही है। इस्लाम धर्म के अनुयायी भी काले-धन के व्यापार में जुटे हैं। वे भी बैंक में रुपया जमाकर उस पर से सूद ग्रहण करना हराम नहीं समझते। अजीब तरह के पतन की ओर जा रही है इस्लामी संस्कृति भी। इस्लामी समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को तस्लीम किया गया है लेकिन शोषण को स्वीकार नहीं किया गया। किसी व्यक्ति को कम मजदूरी देना या अधिक काम लेना उचित नहीं। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसके काम की उजरत मिल जानी चाहिए। “माल हराम पर पला हुआ मास परवान नहीं चढ़ता, वल्कि उसका असल ठिकाना जहन्नूम की आग है।” (तिरमिजी हदीस) कुरान का इशार्द है—“ए लोगो! जो ईमान लाये हो आपस में एक दूसरे के माल वातिल तरीको (अनुचित साधनों) से न खाओ।” (अन्निसा

२६) । इस्लाम ने जहाँ अनुचित-साधनों से दौलत जमा न करने की बात कही है वहाँ जमाखोरी व जखीराअन्दोजी को भी बहुत बुरा और समाज के, व्यक्ति के लिए हानिकारक माना है । अंधाधुन्ध दौलत कमाने को इस्लाम नापसन्द करता है । उसने जमाखोरी करके, बनावटी अभाव व किल्लत पैदा करके अनुचित लाभ उठाने को पसन्द नहीं किया, यह एक ऐसा अपराध है जिसे इस्लाम क्षम्य नहीं समझता । पैगम्बर साहब फरमाते हैं—“जिसने चालीस दिन तक खाद्य सामग्री को जमा करके रखा उसको अल्लाह से कोई वास्ता नहीं, न अल्लाह को उसकी परवाह है ।” इस्लाम ने चोरी-डकैती की सजा भी सख्त रखी है । यहाँ चोरी में हाथ काटना तक जायज करार दिया गया है । यह सजा हिंसात्मक और अमानवीय जरूर लगती है, लेकिन समाज को अपराधों से पाक रखने के लिए इस प्रकार की कठोर सजा का विधान आवश्यक और उचित है ।

इस्लाम में फजूलखर्ची भी पसन्द नहीं की गई और न ही कजूसी पसन्द की गई । यहाँ हृद से गुजरना दोनों रूपों में बुरा ठहराया गया है । कुरान में इर्शाद है—“फजूलखर्च न करो, फजूलखर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा (कृतघ्न) है ।”

बनीइस्त्राईल २६, २७ में एक स्थान पर कहा गया है—“खाओ पीओ, मगर हृद से न गुजरो, अल्लाह हृद से गुजरने वालों को पसन्द नहीं करता ।”

(अल-एराफ ३१)

इस्लाम ने जकात, सदका को बड़ा दर्जा दिया है, उन्हें इबादत में शामिल किया है । जैसे रोजा, नमाज इबादत है और फर्ज है उसी प्रकार जकात, सदका भी फर्ज और इबादत में शामिल है । लेकिन यहाँ गरीबों, असहायों, अनाथों, कगालों को धनी लोगों के रहमोकरम पर, उनकी दयादृष्टि पर नहीं छोड़ दिया गया है, बल्कि इसमें धनी लोगों से धन प्राप्त करने को उनका हक-अधिकार दिया है, यह कोई धनी लोगों का एहसान नहीं है । यह तो कानून से भी प्राप्त किया जाता है । अन्य हकूमतों में टैक्स द्वारा धनी वर्ग से धन वसूल किया जाता है, सरकार आयकर, सम्पत्तिकर आदि लगाती है, लेकिन यहाँ जकात, सदकात द्वारा निर्धन वर्ग धनी वर्ग पर कर लगाता है ।

मुसलमान रमजान में एक महीने के रोजे रखते हैं । रोजा या उपवास का अन्य धर्मों में भी विशेष महत्त्व है । रमजान के रोजों से धनी को भी भूख-प्यास की शिद्दत का एहसास होता है और उसमें भी मानवीय गुणों का विकास होता है, वह भी समय या परहेजगारी को सीखता है । रोजों की समाप्ति पर जिस दिन ईद मनाई जाती है उस दिन नमाज जाने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति पर जिसके पास साढ़े बावन तोला चाँदी या सात तोले सोना हो या जिसने एक

मकान किराये पर उठाया हो और एक मकान में स्वयं रहता हो वह सदका देने का पाबन्द है। और उसे अपने घर वालों का प्रति व्यक्ति पौने दो सेर गेहूँ या इसका मूल्य फित्त्रे के रूप में देना होता है, जिस पर जकात देना फर्ज होता है उस व्यक्ति पर सदका-फित्त्रा भी वाजिब, अनिवार्य होता है। और जो व्यक्ति सदका देता हो या सदका देने की हैसियत रखता हो उसे जकात लेना उचित नहीं है। सदका फित्त्रे देने से गरीब आदमी भी ईद की खुशियो में शरीक हो सकते हैं, वे भी अपने को समाज का एक अभिन्न अंग समझ सकते हैं।

जैन धर्म में अपरिग्रह में आवश्यकता, इच्छापरिमाण के अनुसार धन-संग्रह को उचित ठहराया गया है और वस्तुओं के प्रति 'मूच्छ्रा' या 'ममत्व' को परिग्रह कहा है। इस्लाम में भी धनसंग्रह में सयम और उचित साधनों को आवश्यक माना है। इस्लाम में मनुष्य की आवश्यकता को भी नजर में रखा गया है, जिस व्यवस्था में मनुष्य की आवश्यकतानुसार वस्तुएँ न मिले, जरूरत की चीजे प्राप्य न हो उस समाज में शांति कैसे रहेगी? इस्लाम इस बात को स्वीकार नहीं करता कि एक तरफ तो दौलत का दरिया बहता हो और दूसरी तरफ लोग अभाव और तगी का जीवन व्यतीत करते हो। पैगम्बर मुहम्मद साहब ने 'माले-गनीमत' को तकसीम करते हुए एक हिस्सा अविवाहित को और दो हिस्से विवाहित को देना निश्चित किया। हजरत अली ने टैक्स वसूल करने के नियम को रसूले अकरम की नीति के अनुसार निर्धारित किया और टैक्स वसूल करने वालों को हिदायत दी कि लोगों के गर्मी या जाड़े के वस्त्र, खाने का सामान, सवारी के पशु मत बेचना, और न टैक्स वसूल करते हुए किसी को कोड़े लगाना। -

इस्लामी अर्थव्यवस्था न्याय और सन्तुलन पर आधारित है। यहाँ धनसंग्रह को न्याय, ईमानदारी, मेहनत, सयम की सीमा में ही उचित ठहराया गया है। धन सम्पत्ति में से खैरात करना, सदका, जकात आदि देना भी आवश्यक घोषित किया है। इस्लामी समाजवाद की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है, यहाँ सूद, जुआ, सट्टा, शराब या अन्य नशीले पदार्थों के द्वारा धन कमाने को 'हराम' (वर्जित) घोषित किया गया है। राज्य के लिए यह सब हराम माने गये हैं। इस्लाम में तो मेहनत की कमाई को हलाल (उचित) माना गया है। पैगम्बर-खुदा का इर्शाद है—

“खुदा के सामने प्रतिष्ठित, आदरणीय वह है जो ज्यादा परहेजगार है।”

“परहेजगारी के सिवाय और किसी वस्तु की विना पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर फजीलत नहीं है। सब लोग आदम की आलाद है और आदम मिट्टी में बने थे।” एक उदाहरण देखिए—जैसे मनुष्य काँटों से अपना दामन

बचाकर चलता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति बुराई से, गुनाह से अपना दामन बचायेगा वही परहेजगार कहलायेगा ।

इस्लाम में सम्पत्ति एकत्रित करना अनुचित माना गया है । धन संग्रह करना, उसे छिपाकर रखना या खर्च न करना इस्लाम के विरुद्ध है । ऐसा करने से समाज की अर्थव्यवस्था बिगडती है और मनुष्य-मनुष्य के बीच सम्बन्धों में दरार पड़ती है, साथ ही मनुष्य और ईश्वर के सम्बन्ध भी प्रभावित होते हैं । धन लिप्सा मनुष्य को ईश्वर से विमुख करती है । मनुष्य से पूछा जायेगा कि उसने यह माल-दौलत कैसे प्राप्त की और कैसे खर्च की ? इस्लाम में भिक्षावृत्ति को अच्छा नहीं समझा, लेकिन धन को अनाथों, मिस्कीनों, गरीबों, मुसाफिरों में बाँटना उचित ठहराया । इस्लाम का अपरिग्रह-विचार का सम्बन्ध दोनों लोको से, जहाँ इहलोक को सुविधाओं, सुख-साधनों से पूर्ण बना सकते हैं, वहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका महत्त्व है । यह मोक्ष का, नजात का साधन बन सकता है । □□□

खलीफा का वजीफा

खलीफा का वजीफा तय करना निहायत मुश्किल काम था । लोग सोच न पाये कि उन्हें कितना वजीफा दिया जाय । जब कोई हल न सूझा तो उन्होंने निर्णय किया कि खलीफा से ही कहा जाए कि वे अपना वजीफा बाँध लें ।

वे सब मिलकर खलीफा के पास पहुँचे । उन्हें परेशान देखकर खलीफा ने पूछा, “आप सब लोग किस बात से परेशान हैं ?” लोगों ने अपनी परेशानी बताई, तो वे हँस पड़े, “इतनी सी बात । अच्छा यह बताइये, मदीना में किसी मजदूर को आप रोजाना कितनी मजदूरी देते हैं ?”

“मजदूर की रोजाना मजदूरी तो बहुत कम है । न तो उससे आपका गुजारा होगा और न वह आपके रतबे के लायक होगी ।”

“रतबे से मजदूरी का क्या ताल्लुक । फिर एक बात और है । मजदूर जितनी मजदूरी लूँगा, तो मुझे यह भी मालूम होगा कि एक मजदूर उतने में किस तरह गुजारा करता है । यदि मुझे लगेगा कि वह कम है, तो मैं मजदूरों की तनखाह बढ़ाने की कोशिश करूँगा । इससे मेरा वजीफा भी बढ़ जाएगा ।”

ये खलीफा और कोई नहीं हजरत अबूबकर थे ।

परिग्रह का सामान्य अर्थ किसी वस्तु का ग्रहण करना है। जैन धर्म के अध्यात्म अर्थ में कर्मों का ग्रहण तथा ग्रहण करने के साधनों व कारणों को परिग्रह कहा गया है। कर्मरूपी परिग्रह का क्षेत्र बहुत व्यापक है। परिग्रह के इस भावात्मक (आभ्यन्तरिक) रूप के बुद्धि द्वारा भेद करे तो अनन्त भेद हो सकते हैं। इन भेदों अथवा अवस्थाओं को हम मुख्य रूप से छह भागों में बाँट सकते हैं:—

१. असंयत अवस्था—मिथ्यात्व से लेकर अविरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थान तक यह अवस्था होती है। इस अवस्था में भोग (परिग्रह) त्यागने योग्य है, यह अनुभूति तो होती है परन्तु भोग त्यागा नहीं जाता।

२. संयत-असंयत अवस्था—इस अवस्था में इन्द्रियों पर क्रमशः नियंत्रण करते हुए विषय-त्याग की ओर बढ़ा जाता है। ज्यों-ज्यों विषय-त्याग होता जाता है त्यों-त्यों बाह्य भोगों के साधन और कारण छूटते जाते हैं।

३. प्रमत्त संयत अवस्था—इस अवस्था में इन्द्रिय-नियंत्रण एवं भोग-सामग्री के त्याग के साथ-साथ चित्तवृत्ति पर भी नियन्त्रण होता जाता है। जिससे प्रमत्तता में कमी आती है।

४. संयत अवस्था—इस अवस्था में इन्द्रियों पर नियंत्रण होने के फलस्वरूप विषय-सुख की अभिलाषा पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य बढ़ता जाता है।

५. मोह-विजय अवस्था—इस अवस्था में चैतसिक संस्कारों के कारण उत्पन्न क्रोध, मान, माया आदि विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए मोह कर्म को क्षय किया जाता है। इस अवस्था में किंचित् लोभ के संस्कार शेष रह जाने से इन्द्रियों में जो उत्तेजना होती है, वह संस्कार नाश के साथ समाप्त हो जाती है।

६. सयोगी केवली अवस्था—इस अवस्था में मोह के क्षय हो जाने के कारण ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म पूर्ण क्षय हो जाते हैं। यहाँ इन्द्रियाँ पदार्थों के सम्पर्क में आने पर भी उनसे किंचित् भी प्रभावित नहीं होती। यह अपरिग्रह-जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। □□□

द्वितीय खण्ड



अपरिग्रह : व्यवहार



सरोवर मे जिस प्रकार जल आने के मार्ग होते है उसी प्रकार जल के निकलने के भी मार्ग होते है । यदि किसी सरोवर मे जल आता तो रहे, परन्तु जाने का कोई मार्ग न हो तो सरोवर की क्या स्थिति होगी ? पाल टूट जायेगी, तट टूट जावेंगे और जल उ.पर से बह निकलेगा । और यदि जल बहता ही बहता रहे, आने के रास्ते बन्द हो गये हो तो ? धीरे-धीरे सरोवर सूख जावेगा ।

गृहस्थ जीवन भी एक सरोवर है । जल की तरह उसमे भी धन आने-जाने के रास्ते बने होते है जिन्हे 'आय' और 'व्यय' कहते है । यदि केवल आय ही आय हो, धन आता रहे, पर व्यय का कोई समुचित कार्य न हो तो गृहस्थ जीवन की मर्यादा टूट जायेगी और यदि व्यय ही व्यय होता रहे, आय का द्वार बन्द हो गया तब भी जीवन का सरोवर सूख जावेगा, दरिद्रता छा जावेगी । इस प्रकार गृहस्थ जीवन मे 'आय और व्यय के दोनों मार्ग समुचित रूप से चलते रहने चाहिये । आय के अनुसार व्यय और व्यय के अनुकूल आय ये दोनो स्रोत जब व्यवस्थित रहते है तो जीवन का सरोवर सदा हरा-भरा और परिपूर्ण रहता है । इस सिद्धान्त को आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने, जो स्वयं एक महान् नीतिज्ञ आचार्य थे, इस प्रकार व्यक्त किया है—

व्ययमायोचित कुर्वन् वेष वित्तानुसारतं ।

गृहस्थ आय के अनुसार व्यय करता हुआ और वैभव के अनुरूप रहन-सहन रखता हुआ सुखी होता है ।

चार पुरुषार्थों की जीवन-दृष्टि

सद्गृहस्थ की मर्यादा को बताने वाले ये दो सूत्र-जीवन की आर्थिक नीति के आधार स्तम्भ कहे जा सकते है । जीवन मे चार प्रकार के पुरुषार्थ बताये गये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । धर्म सबसे पहला पुरुषार्थ है, जीवन के अम्युदय एवं श्रेयस् का यह मूल आधार है । धर्म की व्याख्या ही आचार्यों ने की

है—यतोऽभ्युदययनिश्रेयससिद्धिः स धर्म^१ । जिससे जीवन का भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो, वह धर्म है । धर्म के बाद जीवन में अर्थ का महत्त्व है । इसमें भी दो दृष्टियाँ हैं— पहली दृष्टि यह है कि अर्थ से ही जीवन के व्यावहारिक कार्य सिद्ध होते हैं । अर्थ गृहस्थ जीवन की धुरी है, इसी के आधार पर सब व्यवहार बनते हैं और चलते हैं । आचार्य सोमदेव ने अर्थ की परिभाषा करते हुए कहा है—

यतः सर्वप्रयोजन् सिद्धिः सोऽर्थः^२ ।

जिससे सब अर्थ (प्रयोजन) की सिद्धि हो सकती हो वह है अर्थ । अर्थ के बिना सब व्यर्थ है । इसलिये भौतिक जगत् में अर्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि आध्यात्मिक जगत् में धर्म का है । इसलिये अर्थ के बाद धर्म को महत्त्व दिया है ।

दूसरी दृष्टि यह —कि जीवन में अर्थ का महत्त्व तो है, किन्तु अर्थ ही सब कुछ नहीं है । अर्थ वही सार्थ (सफल) है जो धर्म से प्राप्त हो, जो न्याय-नीति एवं मर्यादा के अनुसार प्राप्त हो सके वही अर्थ जीवन में सुख एवं आनन्द दे सकता है । इसलिये धर्म के बाद अर्थ को रखने का अभिप्राय है धर्म से अनुबंधित अर्थ । धर्म रहित अर्थ-अनर्थ होता है—“अर्थोऽह्यनर्थमूल” जैसा शंकराचार्य ने कहा है, वह उसी धर्म भावना रहित अर्थ के लिये कहा है ।

अर्थ के बाद “काम” बताया गया है, इसका भी भाव यही है कि अर्थ जब होगा तभी तो “काम” होगा । काम का अर्थ है—इन्द्रियों की तृप्ति—‘सर्वेन्द्रिय प्रीतिः स कामः’^३ । समस्त इन्द्रियों की प्रीति-प्रसन्नता, वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त तृप्ति—यह है काम । अर्थ के बिना काम संभव नहीं सकता । पास में पैसा होगा तभी मनुष्य उसका उपभोग कर सकेगा । पास में फूटी कौड़ी न हो, ठनठनपाल मदनगोपाल हो और रोज रबड़ी रसगुल्ला उडाना चाहे तो ? कोई हलवाई काका-मामा है जो मुफ्त में देता रहे । बिना पैसे के मनुष्य इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिये अर्थ के बाद “काम” को पुरुषार्थ बताया गया है । आचार्यों ने कहा है—“अर्थ” धर्म के अनुकूल रहना चाहिये और काम-धर्म एवं अर्थ दोनों के अनुकूल होना चाहिये—धर्मार्थविरोधेन—कामं सेवेत ततः सुखीस्यात्^४ धर्म एवं अर्थ को ध्यान में रखकर जो “काम” का सेवन करता है, वह जीवन में कभी दुःखी नहीं होता ।

१—वैशेषिकदर्शन, सूत्र १

२—नीतिवाक्यामृत (अर्थ समुद्देश १)

३—नीतिवाक्यामृतत (काम समुद्देश १)

४—नीतिवाक्यामृत (काम समुद्देश २)

मोक्ष अन्तिम पुरुषार्थ है, वह तीनों पुरुषार्थों का अन्तिम प्राप्तव्य है, मजिल है। तीनों पुरुषार्थ जब इस मजिल की ओर बढ़ते हैं, तभी वे महत्त्वपूर्ण हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने यहाँ तक कह दिया है कि—मोक्ष के अभिमुख चलने वाले धर्म, अर्थ एवं काम परस्पर विरोधी नहीं, किन्तु सहयोगी हो सकते हैं और जिन शासन में उनका निषेध नहीं है।^१

धन का नियोजन

अब प्रश्न यह है कि नीतिपूर्वक कमाये हुए धन का नियोजन किस प्रकार करे कि आय-व्यय का सन्तुलन बना रहे और जीवन की गाड़ी में रुकावट न आये।

कौटिल्य अर्थशास्त्र और प्राचीन सूत्रों आदि में भी इस विषय का वर्णन मिलता है कि गृहस्थ सर्वप्रथम अपनी आय पर विचार करे कि वह कितना कमाता है और कैसे कमाता है? अन्याय से कमाया हुआ एक पैसा भी उसके धन में मिलना नहीं चाहिये, नहीं तो जैसे मन भर दूध को काजी की एक बून्द फाड़ डालती है वैसे ही समस्त धन दूषित हो जाता है।

कमाई के शुद्ध उपायो पर विचार करके फिर यह सोचना चाहिये कि जितना वह कमा रहा है उससे उसके परिवार का भरण-पोषण किस प्रकार हो, धर्म एवं परोपकार के कार्य कैसे सध सकें, घर पर आये अतिथि की सेवा कैसे हो, व्यापार आदि का संचालन किस प्रकार करे और भविष्य में समय पर काम आने के लिये कुछ पचाकर कैसे रखे? इन सब व्यवस्थाओं को सोचकर समुचित प्रबन्ध करना ही अर्थ का उचित नियोजन कहलाता है। प्राचीन समय में अर्थ का नियोजन चार प्रकार से किया जाता था।^२

१. धन का एक भाग व्यापार में लगा रहता था।
२. एक भाग से घर की व्यवस्था, अतिथि-सेवा तथा दान आदि कार्य किये जाते थे।
३. एक भाग अपने आश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण में लगाया जाता था।
४. एक भाग भविष्य के लिये, निधि रूप में सुरक्षित रखा जाता था।

१—धम्मो अत्थो कामो भिन्नेते पिडिया पडिनवत्ता ।

जिणवयण मि उ तिन्ना, असवत्ता होति नायव्वा ॥

—दशकालिक नियुक्ति २६०

२—वेणिए—उपानकदशाग व रायपसेणी सूत्र

कही-कही इसी से मिलते-जुलते तीन धेत्रों में धन लगाने का भी वर्णन आया है—

एकेन भोगे भुञ्जेय्य दीहि कम्म पयोजयो ।
चतुर्थं च निधापेय्य आपदामु भविस्सति ॥

—दीघनिकाय ३/८/४

गृहस्थ धन का एक भाग अपने स्वयं के खर्च के लिए उपयोग करे, दो भाग व्यापार आदि कर्म क्षेत्र में लगाये तथा चौथा भविष्य में विपत्ति आदि में काम आने के लिये रक्षित रख छोड़े ।

भगवान् महावीर के दस श्रावको में आनन्द श्रावक सबसे प्रथम था । उसका जीवन वास्तव में ही आनन्दमय था । उसके पास वारह करोड़ की सम्पत्ति थी । उसने अपनी सम्पत्ति का तीन भागों में बंटवारा कर रखा था । चार करोड़ सोनैये भूमि में सुरक्षित रखे थे । चार करोड़ व्यापार में लगे हुए थे और चार करोड़ घर वगैरह, भूमि, आभूषण, जायदाद आदि में बिखरे हुए थे । इस प्रकार उसने अपनी सम्पत्ति का नियोजन एक सुन्दर तथा व्यवस्थित रीति से कर रखा था । व्यापार में जब कभी उसे आवश्यकता होती तो दूसरों से मागने की या कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी । भूमि में सुरक्षित धन का उपयोग यही था कि वह समय पर काम आ सके । आज जो काम बैंको से लिया जा रहा है, किसी समय में वही काम भूमिगत धन से लिया जाता था । जब आवश्यकता हुई उपभोग किया, जब आवश्यकता नहीं रही, भूमि में डाल दिया । पुराने लोगों की व्यापारिक बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी । वे नफे-नुकसान के लिये सदा सावधान और उसे बर्दाश्त करने की तैयारी रखते थे । कहा जाता है—व्यापार समुद्र की यात्रा के समान है । उसमें कब कोई भोका आ जाये और नाव को डगमगादे, कुछ पता नहीं चलता । समुद्र यात्री अपनी मजिल पर पहुँचकर मालामाल हो सकता है पर बीच में उसे हमेशा सावधान और खतरे का सामना करने को तैयार रहना पड़ता है । यही स्थिति व्यापार की है । उसमें लाभ की आशा रहती है पर हानि के लिये भी अपने को तैयार रखना पड़ता है । नुकसान में घबरा जाने वाला, थोड़े से घाटे में दिवाला निकालने वाला, सच्चा व्यापारी नहीं हो सकता ।

नीतिकारो ने बताया है—व्यापारी दो प्रकार के होते हैं । कुछ व्यापारी वट वृक्ष के समान होते हैं और कुछ एरड के समान । वट वृक्ष धीरे-धीरे बढ़ता हुआ सैकड़ों-हजारों शाखाएँ फैलाकर महावृक्ष का रूप धारण कर लेता है । हजारों वर्षों तक सर्दी, गर्मी, वर्षा और आँधी तूफान में खड़ा रहता है । इसका रहस्य है—वह बाहर में जितना विनाल होता है, उसकी जड़ें भूमि में उतनी ही गहरी होती हैं ।

वट वृक्ष की तरह जो व्यापारी होते हैं बाहर में उनके व्यापार का जितना फैलाव होता है, भीतर में उनकी आर्थिक नींव उतनी ही मजबूत होती है। सैकड़ों-हजारों वर्षों की प्रतिष्ठा और पूँजी उनकी गहराई में जमी रहती है। बाजार के जबर्दस्त उतार-चढ़ाव और हानि-लाभ में भी उनकी नीचे हिलती नहीं, हर आँधी-तूफान का मुकाबला करने की शक्ति होती है उनमें।

एरंड का वृक्ष भी आपने देखा होगा। कितना जल्दी तैयार होता है। आज बीज डाला और चार महीने में लहलहाने लग गया। साल भर में तो उसकी कतारे तैयार हो जाती है और समाप्त होने में भी कितना समय लगता है। एक हवा का तेज झोंका आया, थोड़ी जोरदार गर्मी पड़ी और एरंडिया का नामोनिशान भी नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं एरंड बाहर में तो काफी फैल जाता है, किन्तु जमीन के अन्दर उसकी नींव नहीं रहती। और जिसकी जड़ नहीं, वह ससार में कितने दिन टिकेगा?

कुछ व्यापारी—काले-धोले करके हाथ फेरी और बेईमानी करके बहुत जल्दी ही बढ जाते हैं, बाहर में बड़ा भारी दिखावा करते हैं। पूँजी हजार की और शान करोड़ की। परन्तु उनकी नींव कितनी होती है? बरसाती मेंढक की तरह आज जो टर्र-टर्र कर रहे हैं, थोड़ी धूप निकलते ही उनका कहीं पता नहीं चलता। जिन्हें बनते देर नहीं लगती, उन्हें बिगड़ते भी क्या देर लगेगी। और इतनी जल्दी वे कैसे बनते हैं? न्याय की कमाई बरकत जरूर करती है, किन्तु वाद के पानी की तरह रातों-रात नहीं बढ़ती। जिन्हें रातों-रात लखपति बनने की हवस होती है वे अन्याय करते हैं, गलत रास्तों से धन कमाने की चेष्टा करते हैं, उनके सामने न्याय-नीति का महत्त्व नहीं होता, केवल पैसे का महत्त्व होता है। किन्तु आप जानते हैं, अन्याय का पैसा जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है।

मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक लोमड़ी किसी बगीचे के पास से निकली। बगीचे में सेब, दाड़िम, अमूर आदि देखकर उसके मुँह में पानी छूट आया। बगीचे की तार की वाड़ थी, उसमें से घुसने की कोशिश की, किन्तु शरीर मोटा ताजा था इसलिये घुस नहीं सकी। लोमड़ी ने सोचा शरीर को कुछ पतला करके इसमें घुसूँ और फिर मनमाने फल खालूँ। तो वह तीन दिन तक वहाँ भूखी-प्यासी पड़ी रही, पेट कुछ पतला हुआ तो तार में घुसकर बगीचे में चली गई।

लोमड़ी ने बगीचे में खूब फल खाये। पहले में भी ज्यादा मोटी हो गई। अब बाहर निकलने के लिये तार में घुसी तो फिर फँस गई। बिचारी छुटपटाट पर कोई रास्ता नहीं था, अब फिर तीन-चार दिन भूखी रही और कुछ दुःखी हुई तो बाहर निकल सकी।

तो लोमड़ी का फल खाना क्या भाव पडा ? पाप की कमाई भी इसी तरह की है। वह एक बार दिखावा लाती है पर कुछ ही दिन में व्याज सहित वापस जाने में भी देर नहीं लगाती।

खर्च की व्यवस्था

मैं बता रहा था—गृहस्थ जीवन में आय का स्रोत सबसे महत्त्वपूर्ण है, वह जितना शुद्ध और सुदृढ होगा उतना ही वह धन चिरस्थायी होगा। इसीलिये व्यापार नीति भी शुद्ध होनी चाहिये, विवेकपूर्ण होनी चाहिये। खरी कमाई सदा बरकत करती है और खोटी कमाई तकलीफदेह होती है।

आय का स्रोत शुद्ध होने के बाद गृहस्थ अपने व्यय के स्रोत पर भी विचार करता है। व्यय के सम्बन्ध में सबसे पहली बात तो यह सोचता है कि उसकी आय से व्यय कम होना चाहिये। जैसा कि पहले बताया है—आय का एक भाग भविष्य के लिये सुरक्षित रखना चाहिये। नीति का कथन है—‘आपदर्थं धन रक्षेत।’ आपत्ति काल के लिए कुछ धन बचाकर रखना चाहिये। गृहस्थ के पीछे परिवार है, माता-पिता, पत्नी-पुत्र और नौकर-चाकर आदि अनेक व्यक्तियों का सम्बन्ध उसके साथ जुड़ा रहता है। वीमारी, विवाह, शिक्षा आदि अनेक ऐसे आकस्मिक प्रसंग आते हैं जिन पर उसे एक साथ अधिक खर्च करना पड़ता है। अब यदि उसके पास कुछ सुरक्षित निधि नहीं है, थोड़ी बहुत पूँजी जमा नहीं है तो क्या हालत होती है, आप ही जानते हैं।

भविष्य के लिये बचाने के बाद जो बचता है, उसी में से गृहस्थ अपने चालू खर्च की व्यवस्था करता है। यदि खर्च कम और आमदनी अधिक है तब तो कोई चिन्ता की बात नहीं, किन्तु यदि इससे उलटा है तब अवश्य ही चिन्ता की बात है। नीति का कहना है—‘आयमनालोच्य व्ययमानो वैश्रमणोऽपि श्रमणायते।’ आय का विचार किये बिना अर्थात् आय से अधिक व्यय करने पर तो कुवेर भी भिखारी बन जाता है, कारू का खजाना भी खाली हो जाता है तो साधारण गृहस्थ की बात तो क्या ? राजस्थानी में एक कहावत है—

दीवालो काढे तीन जणा, हुण्डी, चिट्ठी विणज घणा ।
तू क्यो रोवे चौथा जणा ? म्हारे आमद कम, खर्चा घणा ॥

हुण्डी, चिट्ठी और व्यापार वाले तीन आदमी फिर मे घूम रहे थे उन्होंने जब एक चौथे आदमी को मुँह लटकाये बैठे देखा तो पूछा—“भाई ! क्या बात है, हम तो रोए तो रोए, तू क्यो रोता है ?”

उसने कहा—“भाई ! क्या कहूँ ? मेरे तो खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है वम, इसी फिर मे रात-दिन रोना आता है।”

7. c
इस तरह आमदनी से ज्यादा खर्च वाला हमेशा चिन्तित रहता है ।
इसलिये पुराने सत कहा करते हैं—

“तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौड़ ।”

अर्थात् जितनी लम्बी रजाई हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिये । रजाई छोटी हो, और पैर रात में इधर-उधर बाहर निकालोगे तो सर्दी में ठिठुर कर ठाकुर बन जाओगे । उसी प्रकार आमदनी कम हो, और खर्चा ज्यादा करोगे तो गाडी चल नहीं सकेगी ।

कजूसी नहीं, किफायतशारी

मैं देखता हूँ, आज के युग में साधारण परिवारों की स्थिति बड़ी नाजुक है । अर्थशास्त्रियों का कहना है कि संसार में भारत के आदमी की प्रति व्यक्ति औसतन आय सबसे कम है । अमेरिका का एक व्यक्ति जहाँ दस रुपये रोज कमाता है वहाँ भारत का एक व्यक्ति प्रतिदिन दो आने से आठ आने तक औसतन कमाता है । यह आँकड़ा अवश्य ही भारतीयों की कम आय का सूचक है । किन्तु यह भी तो बात है कि भारतवासियों का जीवन स्तर या रहन-सहन का खर्च भी संसार में, शायद सबसे कम है । आय में जितना अन्तर है, उतना ही रहन-सहन के स्तर में भी अन्तर है, इस कारण यह विषमता इतनी दुःखदायी भी नहीं है । फिर संसार के अन्य देशों में आज जितनी फैशन और फिजूलखर्ची बढी है, भारत में अब भी उतनी नहीं है । हाँ, अब भारत में धीरे-धीरे फैशन और फिजूलखर्ची का रोग बढ रहा है, और इसी कारण सामान्य गृहस्थ का जीवन अस्त-व्यस्त होता जा रहा है ।

गाँधीजी ने एक जगह लिखा है—“मनुष्य अर्थ की कमी के कारण उतना परेशान नहीं है जितना आर्थिक अव्यवस्था के कारण । वास्तव में यह एक तथ्य है । मनुष्य अपनी आमदनी के अनुसार व्यवस्था रखे, ठीक से बजट बनाकर चले तो वह अनेक परेशानियों और फिजूलखर्चियों से बच सकता है । यह ठीक है कि खर्च-वर्च में कजूसी करना भी बुरा है, रहन-सहन का स्तर नीचा रखना भी उचित नहीं और अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा एवं पद के अनुसार उसे समय पर खर्च करना तो पड़ता है, पर आप जानते हैं—कजूसी और चीज है व किफायतशारी और चीज । कजूसी बुराई है, किफायतशारी गुण है । इसी प्रकार फैशन और फिजूलखर्ची दुर्गुण है, किन्तु सफाई, स्वच्छता तथा उदारता सद्गुण हैं । आज के युग में आप लोग कहते हैं—महगाई से परेशान हो गये । किन्तु मैं सोचता हूँ वास्तव में लोग महगाई से उतने परेशान नहीं हैं. जितने कि फिजूलखर्ची से हैं । खाने-पीने में, रहन-सहन में, शादी-विवाह में जिस प्रकार अव्यवस्थित एवं अनावश्यक खर्च किये जाते हैं, उन पर यदि सोचा जाय और कुछ नियंत्रण किया जाय तो सम्भव है महगाई को पीड़ा इतनी नहीं मताये । □

सर्वथा अपरिग्रही होना गृहस्थ के लिये दुर्लभ है । फिर भी अपरिग्रह वृत्ति के उपाय हो सकते हैं ।

अपरिग्रह वृत्ति के उपाय

पहला उपाय यह है कि व्यक्ति अधिक साधन-सामग्री का सग्रह होने पर उसे अपना न माने, समाज का माने । अर्थात् जो कुछ भी सजीव-निर्जीव पदार्थ उसके पास है, उन्हे वह समाज की धरोहर समझे, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी समाज या राष्ट्र की सम्पत्ति समझे, स्वयं को उन सब सामग्री का ट्रस्टी (संरक्षक) माने । अथवा उन सबको वह पराया (समाज की मालिकी का) माने, स्वयं को केवल उनकी व्यवस्था करने वाला मुनीम या मैनेजर समझे । बाहर से सभी व्यवहार करते हुए भी अन्तर से वह इन सबसे अलग रहे ।

शास्त्र में दो प्रकार की मक्खी का दृष्टान्त देकर इसे समझाया गया है । एक बूरे की मक्खी होती है, जो जब चाहे तब बूरे पर से उड़ जाती है और दूसरी होती है—चासनी की मक्खी । चासनी पर बैठने वाली मक्खी, चासनी में आसक्त होकर उसमें फँस जाती है, वह उड़ नहीं सकती । वह वही चासनी में फँस कर अपने प्राण खो बैठती है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति अपरिग्रह वृत्ति का होता है, वह कितनी ही श्रेष्ठ भौतिक साधन-सामग्री क्यों न हो, या कितने ही निकट के रक्त सम्बन्ध क्यों न हों, उनके ममत्व में नहीं फसता । वह बूरे की मक्खी की तरह जब चाहे तब उड़ सकता है । मगर जो चासनी की मक्खी की तरह परिग्रह वृत्ति वाला होता है, वह सग्रह किये हुए साधनों या सम्बन्धों में फस जाता है और अपनी जिन्दगी उसी में खत्म कर देता है ।

सम्यग्दृष्टि श्रावक इन सब भौतिक साधनों या सम्बन्धों को पर वस्तु समझता है । वह इनमें आसक्त या ग्रस्त नहीं होता । जैसा कि 'वृहदालोयणा' में कहा है—

“जै जै समदृष्टि जीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।
अन्तर से न्यारो रहे, ज्यूं धाय खिलावे बाल ॥”

सम्यग्दृष्टि श्रावक लोक दृष्टि में जिन्हे बाह्य परिग्रह कहते हैं, उन सबको रखता है, परन्तु उन सबको वह अपना नहीं मानता । जैसे मालिक के लडके को स्तनपान कराने वाली धायमाता बच्चे को खिलाती-पिलाती है, उसका सब तरह से पालन-पोषण करती है, परन्तु अन्तर में वह समझती है, यह मेरा लडका नहीं, मालिक का है । मैं तो सिर्फ इसकी संरक्षिका हूँ । इसी प्रकार की निर्लिप्तता का आदर्श श्रावक या सम्यग्दृष्टि सद्गृहस्थ रखे । वह उसकी मोह-ममता में फसे नहीं, इससे उसका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं और न ही किसी प्रकार का व्यवहार रूकेगा बल्कि अनिष्ट सयोग या इष्ट वियोग के समय उसे किसी प्रकार का शोक या आर्तध्यान नहीं होगा ।

जैसे एक मुनीम है, वह अपने सेठ की दुकान पर बैठता है, लाखों रुपये अपने हाथ से वह रखता व देता है, किन्तु दुकान में मुनाफा या घाटा होने पर वह यही सोचता है कि यह तो सेठ का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं । इसी प्रकार अपरिग्रह वृत्ति वाला व्यक्ति अपने पास के धन को समाज रूपी सेठ का समझकर स्वयं को उसका व्यवस्थापक एवं ज्ञाता-द्रष्टा समझता है ।

महात्मा गांधी ने पू जीपतियों को ट्रस्टीशिप की भावना बताई थी । उनके ट्रस्टीशिप के विचार को भी जमनालालजी बजाज ने अपना लिया था । वे अपनी सम्पत्ति को राष्ट्र व समाज की सम्पत्ति मानते थे । जब भी गांधीजी को देश सेवा के लिये सम्पत्ति की जरूरत पड़ी, जमनालालजी ने मुक्त हस्त से दिया । वे कहते थे—वापूजी, यह सब सम्पत्ति या साधन-सामग्री आपकी है, आपकी चीज आपको लेने में क्या सकोच है ?

जो व्यक्ति बूरे की मक्खी की तरह अपरिग्रह वृत्ति के सिद्धान्त को अपना लेते हैं, वे समय आने पर तुरन्त अपनी (अपने पास सरक्षित) साधन-सामग्री को देश के लिये देने में कभी हिचकिचाते नहीं ।

भामाशाह को कौन नहीं जानता ? जब मेवाड़ पर परतन्त्रता के सकट के काले-काले वादल मडरा रहे थे, महाराणा प्रताप का धैर्य नष्ट हो चुका था, वे मेवाड़ भूमि को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिये तैयार हो गये थे तभी भामाशाह ने अपनी सर्वस्व सम्पत्ति देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी । उन्होंने कहा—“यह सम्पत्ति मेरी नहीं, मेवाड़ भूमि की है । मैंने मेवाड़ भूमि की सेवा करके प्राप्त की थी, अब यह मेवाड़ भूमि को ही अर्पित करता हूँ ।” अगर भामाशाह अपनी सम्पत्ति पर मोह करके चिपके रहते

तो मेवाड भूमि को परतन्त्र होने से कभी नहीं बचा सकते थे । यह गृहस्थ मे रहते हुए अपरिग्रह वृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है ।

दूसरा अपरिग्रह वृत्ति का उपाय है—धन-सम्पत्ति या साधन-सामग्री या सम्बन्धों से निर्लिप्त रहना, निर्मोही रहना । यद्यपि निर्मोही या निर्लिप्त रहना बहुत ही कठिन है, परन्तु जिसे अपरिग्रह वृत्ति अपनानी है, जिसका लक्ष्य अपरिग्रह होता है, वह संसार मे रहता हुआ भी, सासारिक पदार्थों का उपभोग करता हुआ भी अन्तर से निर्लेप या निर्मोही रहता है । इस सम्बन्ध मे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण प्रसिद्ध है ।

भरत चक्रवर्ती के पास ऋद्धि, समृद्धि, सत्ता, साधन, सामग्री आदि सासारिक सुख-साधनों का कोई ठिकाना नहीं था । फिर भी अन्तर मे वे यही मानते थे कि ये सब साधन मेरे नहीं है । मैं उनका नहीं हूँ । मेरा तो यह शरीर भी अपना नहीं है ।

वस्तुतः भरत चक्रवर्ती की अपरिग्रह वृत्ति का आदर्श विरले ही गृहस्थो मे मिलता है । काजल की कोठरी मे रहते हुए भी काला धब्बा न लगने देना, कितना कठिन कार्य है । मगर इतना कठिन होते हुए भी यह असम्भव एव अव्यवहार्य नहीं है । जनक (नमिराज) विदेही का नाम भी इसी कोटि के महान् पुरुषो मे लिया जाता है, कि वे राज्य ऋद्धि और वैभव के बीच रहते हुए निर्लेप एव निरासक्त थे ।

तीसरा व्यावहारिक रूप यह है कि गृहस्थ का सर्वथा परिग्रह मुक्त होना अतीव दुष्कर है, फिर भी वह जितना परिग्रह रखना चाहता है, उसकी सीमा बाध ले, उसका परिमाण करले । परिग्रह की जब मर्यादा बांध ली जाती है तो उस गृहस्थ को उससे अधिक वस्तुओं या धन का सग्रह करने की इच्छा नहीं होती । उसकी लालसाओं, इच्छाओं या तृष्णा पर ब्रेक लग जाता है । वह अपनी इच्छा से अपने परिग्रह साधन-सामग्री की सीमा कर लेता है । साथ ही जितनी वस्तुओं (धन-धान्य आदि) की सीमा करता है, उस सीमित परिग्रह पर भी वह अपना ममत्व एव स्वामित्व स्थापित न करने का अभ्यास करता है । यद्यपि वह अपने परिमित परिग्रह के प्रति ममत्व और स्वामित्व के त्याग करने मे पूर्णतया सफल नहीं होता तथापि उसका लक्ष्य अपरिग्रह वृत्ति की ओर जाने का होता है । ब्रती श्रावक का यह मनोरथ होता है कि वह दिन धन्य होगा, जिस दिन मैं आरम्भ एवं परिग्रह से सर्वथा मुक्त बनूँगा । यही मेरे जीवन का आदर्श होगा । इस आदर्श को प्राप्त करने के लिये ही वह अपरिग्रही त्यागी श्रमणो का उपासक बनता है, परिग्रह, परिमाण व्रत को स्वीकार करता है । इमे शान्त्रकारो ने इच्छा -- परिमाण व्रत कहा है । इसका रहस्य यह है कि

व्रती श्रावक ने परिग्रह वस्तुओं की जितनी सीमा रखी है, उतनी सीमा तक वह नहीं पहुँचना चाहता है। उसकी इच्छा परिग्रह वृद्धि की नहीं होनी चाहिये तभी यह व्रत निभ सकता है। आवश्यकताएँ और कभी-कभी कल्पित आवश्यकताएँ मनुष्य बढ़ा लेता है। किन्तु यह निश्चित मानिए कि मनुष्य जितनी-जितनी आवश्यकताएँ बढ़ाता है, उसकी चिन्ता भी उतनी ही अधिक बढ़ती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की। और फिर एक बार आवश्यकता बढ़ाने और अधिक खर्च करने की आदत हो गई तो फिर मनुष्य इतना आदी हो जाता है कि उतने से कम में निर्वाह नहीं कर सकता। अगर बरबस निर्वाह करना भी पड़े तो वह मन-ही-मन चिन्तित और दुःखित होता है। दूसरों की समृद्धि देख कर जलता है। इसलिये इच्छाओं पर कन्ट्रोल करना परिग्रह परिमाणव्रती श्रावक के लिये अनिवार्य बताया है।

परिग्रह परिमाणव्रत का प्राण

कई लोग यह कहा करते हैं कि हमारे पास चाहे ५ हजार की पूंजी या साधन-सामग्री हो, लेकिन हम अपनी परिग्रह मर्यादा करते समय ५ लाख या ५० लाख की कर देंगे। इसमें भी अधिक पूंजी बढ़ गई तो स्त्री-पुत्रों के नाम से अलग-अलग कर देंगे। परन्तु ऐसा करना परिग्रह परिमाण व्रत का उद्देश्य नहीं समझना है। परिग्रह परिमाण व्रती का उद्देश्य परिग्रह को घटाने का होना चाहिये, बढ़ाने का नहीं। और मर्यादा भी इतनी अधिक रखना ठीक नहीं। जितने से निर्वाह हो सके, उतनी ही, बल्कि परिवार बुद्धि की सम्भावना को देखकर उससे कुछ अधिक परिग्रह मर्यादा रखी जाये तो श्रावक के परिग्रह परिमाण व्रत का आदर्श रह सकता है। परिग्रह परिमाण व्रत का प्राण भी यही है कि जितना भी परिग्रह पास में हो, या पास में होने से परिवार के निर्वाह होने की सम्भावना हो, उतनी ही परिग्रह की मर्यादा रखी जाये। और मर्यादा में रखे हुए परिग्रह पर भी ममत्व एवं स्वामित्व को त्याग करने का अभ्यास किया जाए। खासतौर से अपनी दौडती हुई इच्छाओं, आवश्यकताओं पर संयम किया जाए, अपने अनावश्यक खर्च में कटौती की जाए। परिग्रह परिमाण व्रत लेकर अनापशनाप खर्च करते जाना, आवश्यकताओं पर कोई नियन्त्रण न करना व्रत के प्रति वफादारी नहीं है।

अपरिग्रह वृत्ति की ओर जाने के लिये सर्व प्रथम आवश्यकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है कि वह आवश्यकता वास्तव में अनिवार्य है क्या? क्या इसके बिना मेरा या मेरे परिवार का काम ही नहीं चल सकता? क्या हम आवश्यकता के बिना भी मेरा काम चल सकता है या यह आवश्यकता कल्पित और अपनी विलासी मनोवृत्ति की प्रतीक है? इसके बाद संयम और तप की दृष्टि से तथा अहिंसा के दृष्टिकोण से उन आवश्यकताओं पर विचार करना

चाहिये कि इस आवश्यकता की पूर्ति से मेरे इन्द्रिय-संयम और तप मे कोई आँच तो नहीं आएगी ? इस पदार्थ का सेवन न करूँ तो क्या हानि हो सकती है ? इस आवश्यकता की पूर्ति से सप्त कुव्यसनो मे किसी कुव्यसन की पूर्ति तो नहीं होती ? अगर होती है तो यह आवश्यकता त्याज्य है । अथवा यह भी सोचा जाए कि इस आवश्यकता की पूर्ति से कोई त्रस जीवो की हिंसा या स्थावर जीवो का अतिवध तो नहीं होगा अगर त्रसजीवो की हिंसा से वह आवश्यक चीज निष्पन्न होती हो, और आपकी आवश्यकता उसी चीज की है तो आपके अहिंसाणुव्रत के भंग होने की सम्भावना है, उस आवश्यकता की पूर्ति से । उदाहरणार्थ—मान लो, आप समाज मे अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिये विवाह जैसे प्रसंगो पर बहुत बड़ा भोज देते है, इतनी अधिक विजली का उपयोग करते है, बहुत बड़ा शो करते है, इतनी अधिक भट्टियाँ जलाते है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही शराव का दौर भी चलाते है अथवा शहतूत के कीड़ो को मार कर बने हुए रेशमी कपडों का उपयोग करते है, तो इन सब मे त्रस जीवो की अत्यधिक हिंसा होने की सम्भावना है । अतः दो कारण तीन योग से सकल्पी हिंसा का त्याग करने वाले श्रावक के लिये इस प्रकार हिंसाजन्य आवश्यकताओ की पूर्ति के समय अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिये । प्रतिष्ठा अनावश्यक खर्च करने से नहीं बढ़ती । प्रतिष्ठा बढ़ती है, परोपकार एव स्व-परकल्याण के कार्य करने से ।

इसलिये अपरिग्रह वृत्ति को सुदृढ बनाने के लिये विवेकी सद्गृहस्थ को परिग्रह परिमाण व्रत ग्रहण करने पर भी इस फिजूलखर्ची से बचना चाहिये । अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो उसका प्रदर्शन मत कीजिए । व्यर्थ के कार्यों मे, हिंसाजनक आरम्भ समारम्भो मे, व्यर्थ के दिखावो में खर्च मत कीजिए । खर्च करना ही हो तो जन कल्याण के कार्यों मे अपने धन का सदुपयोग कीजिए, सघ की सेवा में, दीन-दुःखियो और मूक पशुओ की दया के कार्यों मे अपने धन को लगाइए । अपने धन पर से ममत्व हटाकर उसे सार्वजनिक सेवा कार्यों मे खर्च कीजिए । बदले मे किसी प्रकार की प्रसिद्धि या नामवरी की कामना मत रखिए ।

आज समाज मे कई कुरूडियो और कुरीतियो का बोलवाला है । आए दिन समाज की बलिबेदी पर हजारो मासूम लडकियो की बलि होती है—दहेज के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, तिलक, वीटी आदि के नाम पर । दहेज कम देने पर बेचारी लडकी को ससुराल वालो की ओर से नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं, उसे आत्म-हत्या के लिये विवश कर दिया जाता है । कई लडकियो पर उनके समुराल के अहिंसकनामधारी क्रूर लोग मिट्टी का तेल छिडक कर जला देते हैं । यह मानव हत्या को प्रेरित करने वाली दहेज-पिशाची क्या

अहिंसक श्रावक के लिये आवश्यकता के नाम पर उपादेय है, अपनाने योग्य है ?

इसी प्रकार राजस्थान में कई जगह मृत्युभोजों की कुप्रथा है। किसी के सगे-सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर जाति के पंच उस परिवार के लोगों पर दबाव डाल कर मृत्युभोज (मौसर, औसर या किरियावर) करने के लिये बाध्य करते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वह बेरोजगार हो, उसके घर में कोई कमाने वाला न हो, फिर भी इस प्रकार की वेसिर-पैर की कुरूढि का पालन कराया जाता है। मैं तो स्पष्ट कहूँगा, मृतभोज सरासर मानव हिंसा को उत्तेजना देने वाला है। हिंसा केवल जान से मारने से ही नहीं होती। १० प्राणों में से मनबल प्राण, कायाबलप्राण आदि को दबाना, सताना भी प्राणातिपात है, हिंसा है, इसलिये आप लोग बेखबर नहीं होंगे। अतः समाज में जो भी फिजूलखर्ची कराने वाली कुरीतियाँ या कुरूढियाँ हैं, वे आवश्यक नहीं हैं, उन्हें अनावश्यक समझकर उनका त्याग करना चाहिये।

आज तो फैशन का भूत इतना सवार हो गया है कि खानपान और रहन-सहन, पोशाक और देशाटन सर्वत्र लोग व्यर्थ खर्च करते हैं। इनमें बहुत सा खर्च तो देखा-देखी होता है। व्याह-शादियों में लोग खान-पान के पीछे अनापशनाप खर्च करते हैं, वे आगा-पीछा नहीं सोचते कि हमारी देखा-देखी जाति के गरीब आदमी को भी इसी प्रकार पिसना पड़ेगा, कर्जदारी के कारण उनकी कमर टूट जावेगी। बहुत से लोग घर पर भोज देने के बदले आलीशान खर्चीले होटल में भोज देते हैं। एक भोज पर ४०-५० हजार खर्च कर देना आम बात है। महापरिग्रहियों की इस वृत्ति-प्रवृत्ति को देखकर अपरिग्रह वृत्ति को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है ? जो अपरिग्रह की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे भी ऐसी प्रवृत्तियाँ देखकर हतोत्साह हो जाते हैं।

सादी साडियों से भी काम चल सकता है किन्तु ५०० से लेकर १००० रुपये की एक-एक साडी खरीदेंगे, भेट देंगे या घर की स्त्रियाँ पहनेंगी। क्या अपरिग्रह वृत्ति की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति इस अनावश्यक खर्च पर कटीती नहीं कर सकता ? क्या काली-महाकाली, कृष्णा, चन्दनवाला, मृगावती साध्वियों की त्यागपूर्ण कथा सुनने वाली वहने सादी साडी में काम नहीं चला सकती ? प्रतिष्ठा तो त्याग और सादगी से मिलती है, और वह स्थायी भी होती है।

मेरे इशारे को आप समझिए और अपरिग्रह वृत्ति की ओर बढ़ने के लिये समाज में प्रचलित अहितकर और अव्ययवर्द्धक ऐसी अनावश्यक कुरूढियों-कुरीतियों को चुन-चुन कर धक्का देकर निकालिए। आप स्वयं इनका त्याग कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए।

चाहिये कि इस आवश्यकता की पूर्ति से मेरे इन्द्रिय-संयम और तप में कोई आँच तो नहीं आएगी ? इस पदार्थ का सेवन न करूँ तो क्या हानि हो सकती है ? इस आवश्यकता की पूर्ति से सप्त कुव्यसनो में किसी कुव्यसन की पूर्ति तो नहीं होती ? अगर होती है तो यह आवश्यकता त्याज्य है। अथवा यह भी सोचा जाए कि इस आवश्यकता की पूर्ति से कोई त्रस जीवो की हिंसा या स्थावर जीवो का अतिवध तो नहीं होगा अगर त्रसजीवो की हिंसा से वह आवश्यक चीज निष्पन्न होती हो, और आपकी आवश्यकता उसी चीज की है तो आपके अहिंसाणुव्रत के भंग होने की सम्भावना है, उस आवश्यकता की पूर्ति से। उदाहरणार्थ—मान लो, आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिये विवाह जैसे प्रसंगों पर बहुत बड़ा भोज देते हैं, इतनी अधिक विजली का उपयोग करते हैं, बहुत बड़ा शो करते हैं, इतनी अधिक भट्टियाँ जलाते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही शराब का दौर भी चलाते हैं अथवा शहतूत के कीड़ों को मार कर बने हुए रेशमी कपड़ों का उपयोग करते हैं, तो इन सब में त्रस जीवो की अत्यधिक हिंसा होने की सम्भावना है। अतः दो कारण तीन योग से संकल्पी हिंसा का त्याग करने वाले श्रावक के लिये इस प्रकार हिंसाजन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के समय अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिये। प्रतिष्ठा अनावश्यक खर्च करने से नहीं बढ़ती। प्रतिष्ठा बढ़ती है, परोपकार एवं स्व-परकल्याण के कार्य करने से।

इसलिये अपरिग्रह वृत्ति को सुदृढ बनाने के लिये विवेकी सद्गृहस्थ को परिग्रह परिमाण व्रत ग्रहण करने पर भी इस फिजूलखर्ची से बचना चाहिये। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो उसका प्रदर्शन मत कीजिए। व्यर्थ के कार्यों में, हिंसाजनक आरम्भ समारम्भों में, व्यर्थ के दिखावों में खर्च मत कीजिए। खर्च करना ही हो तो जन कल्याण के कार्यों में अपने धन का सदुपयोग कीजिए, सघ की सेवा में, दीन-दुःखियों और मूक पशुओं की दया के कार्यों में अपने धन को लगाइए। अपने धन पर से ममत्व हटाकर उसे सार्वजनिक सेवा कार्यों में खर्च कीजिए। बदले में किसी प्रकार की प्रसिद्धि या नामवरी की कामना मत रखिए।

आज समाज में कई कुरुदियो और कुरीतियों का बोलवाला है। आए दिन समाज की बलिवेदी पर हजारों मासूम लडकियों की बलि होती है—दहेज के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, तिलक, वीटी आदि के नाम पर। दहेज कम देने पर बेचारी लडकी को समुराल वालो की ओर से नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं, उसे आत्म-हत्या के लिये विवश कर दिया जाता है। कई लडकियों पर उनके समुराल के अहिंसकनामधारी क्रूर लोग मिट्टी का तेल छिडक कर जन्ना देते हैं। यह मानव हत्या को प्रेरित करने वाली दहेज-पिशाची क्या

अहिंसक श्रावक के लिये आवश्यकता के नाम पर उपादेय है, अपनाये योग्य है ?

इसी प्रकार राजस्थान में कई जगह मृत्युभोजों की कुप्रथा है। किसी के सगे-सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर जाति के पंच उस परिवार के लोगों पर दबाव डाल कर मृत्युभोज (मीसर, औसर या किरियावर) करने के लिये बाध्य करते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वह बेरोजगार हो, उसके घर में कोई कमाने वाला न हो, फिर भी इस प्रकार की वेसिर-पैर की कुरुडि का पालन कराया जाता है। मैं तो स्पष्ट कहूँगा, मृतभोज सरासर मानव हिंसा को उत्तेजना देने वाला है। हिंसा केवल जान से मारने से ही नहीं होती। १० प्राणों में से मनवल प्राण, कायावलप्राण आदि को दवाना, सताना भी प्राणातिपात है, हिंसा है, इसलिये आप लोग देखवर नहीं होंगे। अतः समाज में जो भी फिजूलखर्ची कराने वाली कुरीतियाँ या कुरुडियाँ हैं, वे आवश्यक नहीं हैं, उन्हें अनावश्यक समझकर उनका त्याग करना चाहिये।

आज तो फैशन का भूत इतना सवार हो गया है कि खानपान और रहन-सहन, पोशाक और देणाटन सर्वत्र लोग व्यर्थ खर्च करते हैं। इनमें बहुत सा खर्च तो देखा-देखी होता है। व्याह-शादियो में लोग खान-पान के पीछे अनापशनाप खर्च करते हैं, वे आगा-पीछा नहीं सोचते कि हमारी देखा-देखी जाति के गरीब आदमी को भी इसी प्रकार पिसना पड़ेगा, कर्जदारी के कारण उनकी कमर टूट जावेगी। बहुत से लोग घर पर भोज देने के बदले आलीशान खर्चीले होटल में भोज देते हैं। एक भोज पर ४०-५० हजार खर्च कर देना आम बात है। महापरिग्रहियों की इस वृत्ति-प्रवृत्ति को देखकर अपरिग्रह वृत्ति को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है ? जो अपरिग्रह की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे भी ऐसी प्रवृत्तियाँ देखकर हतोत्साह हो जाते हैं।

सादी साडियों से भी काम चल सकता है किन्तु ५०० से लेकर १००० रुपये की एक-एक साडी खरीदेंगे, भेंट देंगे या घर की स्त्रियाँ पहनेगी। क्या अपरिग्रह वृत्ति की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति इस अनावश्यक खर्च पर कटौती नहीं कर सकता ? क्या काली-महाकाली, कृष्णा, चन्दनबाला, मृगावती साध्वियों की त्यागपूर्ण कथा सुनने वाली बहने सादी साडी से काम नहीं चला सकती ? प्रतिष्ठा तो त्याग और सादगी से मिलती है, और वह स्थायी भी होती है।

मेरे इशारे को आप समझिए और अपरिग्रह वृत्ति की ओर बढ़ने के लिये समाज में प्रचलित अहितकर और अपव्ययवर्द्धक ऐसी अनावश्यक कुरुडियों-कुरीतियों को चुन-चुन कर धक्का देकर निकालिए। आप स्वयं इनका त्याग कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए।

सैर-सपाटों के नाम पर भी आए दिन अपरिग्रही भगवान् महावीर के उपासक लाखों रुपये व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं। सैर-सपाटा ही करना ही तो पद यात्राओं का आयोजन कीजिए, जिससे आपको देश और दुनिया का अनुभव हो या फिर वाहन आदि की व्यवस्था करके कम खर्च में भी यात्राएँ की जा सकती हैं। मनोरजन और स्वार्थ त्यागी महापुरुषों के दर्शन तथा सत्सग आदि की दृष्टियों से धर्म यात्रा ही तो उससे द्रव्य और भाव दोनों तरह से लाभ होगा। अपरिग्रह वृत्ति की ओर बढ़ने के लिये इस वारे में भी पूरा विवेक रखना चाहिये।

कई लोग कहते हैं कि लोगो के पास दो नम्बर का पैसा अधिक जमा हो गया है, उसका उपयोग कहाँ करें? जैसा कि अमेरिका आदि विदेशो के लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे और साधनो की कोई कमी नहीं, परन्तु उनका उपयोग कहाँ और कैसे करें? यह हम नहीं जानते। आमतौर पर ऐसे अनावश्यक धन का उपयोग भोग-विलास और आमोद-प्रमोद में, या दुर्व्यसनो के पोषण अथवा फेशन में अथवा लडके-लडकी के विवाह में खुल कर खर्च किया जाता है। परन्तु आपसे बढ़ कर धन तो भगवान् महावीर के आनन्द, कामदेव आदि १० श्रावको के पास था किन्तु वे सामाजिक कुरुदियो, सैर-सपाटो में या दुर्व्यसन अथवा फेशन में खर्च नहीं करते थे। समाज के दीन-हीन, असहाय, विधवा, निर्धन, अपाहिज, वृद्ध आदि लोगो की सेवा में, या परोपकार में उनका धन खर्च होता था। आप 'उपासकदशाग' सूत्र उठा कर देखिए। उन्होने वस्त्र कितने सीमित रखे थे—

“नन्नत्थ एणेण खोमजुयलेणं अवसेस सव्व वत्थविहि पच्चक्खामि ।”

सिर्फ एक जोड़ कार्पासिक-कपास से बने हुए वस्त्र के सिवाय सब वस्त्रो का प्रत्याख्यान-त्याग करता हूँ। बताइये, आनन्द जैसा बारह करोड़ सोनैयो का मालिक और सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र पहिनने के लिये! आनन्द श्रमणोपासक के पास श्रावक व्रत ग्रहण करने से पहले भी बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राओ की सारी मिल्कियत थी और व्रत ग्रहण करने के बाद भी उतनी ही मिल्कियत की परिग्रह मर्यादा रखी। अपनी मर्यादा बढ़ाई नहीं, बल्कि पहले की जितनी ही रखी, फिर भी उन्होने अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाई नहीं, घटाई ही। धन का सदुपयोग समय-समय पर वे करते रहते थे, परन्तु अनावश्यक रूदियो में या फेशन में, फिजूल खर्च नहीं करते थे। क्या अपरिग्रहवृत्ति का यह आदर्श प्रेरणादायक नहीं है?

आनन्द का अपरिग्रह वृत्ति का आदर्श

इसके अतिरिक्त जिन्दगी की सध्या के समय आनन्द श्रमणोपासक ने

अपने घरदार, धन-सम्पत्ति और कारोवार से मोह ममत्व छोड़ दिया था। अपना घर वार, सम्पत्ति और कारोवार अपने बड़े लड़के को अपनी विरादरी के लोगों की उपस्थिति में साँप कर स्वयं ने श्रावक प्रवृत्ति (निवृत्ति) ग्रहण कर ली। जीवन के अन्तिम क्षण तक वे धर्म-ध्यान एवं आत्म-शुद्धि में संलग्न रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के 'योगेनान्ते तनुत्यजाम्' (अन्तिम समय में योग मार्ग में रहते हुए शरीर त्याग करने) के आदर्श को जीवित रखा, अपरिग्रह वृत्ति के आदर्श को पाया। क्या आज के वृद्ध सद्गृहस्थ भाई-बहन (श्रावक-श्राविका) आनन्द श्रमणोपासक के इस आदर्श से प्रेरणा नहीं लेंगे? पर मैं देखता हूँ कि हमारा श्रावक वर्ग इस द्वारे में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वह धन कमाने और जोड़-जोड़कर रख जाने में तो बहुत आगे है, परन्तु आत्मा के लिये अपरिग्रह धर्म रूपी धन कमाने में बहुत ही दुर्बल है, असावधान है। इस ओर की चिन्ता बहुत कम लोगों को है।

ये और इस प्रकार के कुछ उपाय अपरिग्रह वृत्ति के हैं। यही अपरिग्रह की व्यावहारिक भूमिका है। जिस व्यक्ति के जीवन में सन्तोष आ जाता है, जो आत्म स्वभाव में लीन हो जाता है, जिसे आध्यात्मिक जीवन का आनन्द आ जाता है, उसकी वृत्ति परिग्रह घटाने, इच्छाओं और आवश्यकताओं को अल्पाति-अल्प करने की रहती है। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में अपरिग्रह वृत्ति की झलक होगी, उसके कण-कण में अपरिग्रह वृत्ति रम जाएगी।



त्याग

इन्दौर में बापू के सभापतित्व में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। सेठ हुकमचन्द ने बापू तथा उनके सहयोगियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सबके लिए शानदार आसन, चादी की थालियाँ, कटोरियाँ और अन्य पात्र बड़े करीने से सजाये गये थे। यह सब देखकर बापू थोड़ा हँसे, उनके लिए तो सभी पात्र सोने के रखे गये थे। फिर बापू ने कस्तूरबा से झोली माग कर उसमें से अल्युमीनियम के बरतन निकाले और सोने के बरतनों के स्थान पर जमा दिये।

सेठजी ने बापू से सोने के बरतनों में ही भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर बापू ने कहा—“यदि अल्युमीनियम के बरतनों से ही काम चल सकता हो तो सोने के बरतन क्यों काम में लाये जायें। हाँ, यदि आप गरीबों की सेवा के लिए देना चाहे तो ले सकता हूँ।” दीन-दलितों के बन्धु के सामने सेठजी का सिर झुक गया।

—डॉ० भैरू लाल गर्ग

अपरिग्रह :

सिक्का, श्रम, वस्तु, व्यक्ति,
विवेक और साध्य के संदर्भ में

□ स्वामी शरणानन्द

प्राकृतिक नियमानुसार प्राणियों की माँग वस्तुओं की है सिक्के की नहीं। आवश्यकता वस्तुओं का उत्पादन शारीरिक और बौद्धिक श्रम तथा प्राकृतिक मूल पदार्थों के द्वारा ही होता है। किसी सिक्के से किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। किन्तु जब समाज में सिक्के का महत्त्व श्रम से अधिक हो जाता है तब व्यक्तियों में सिक्का-संग्रह करने की रुचि उत्पन्न होती है और ज्यो-ज्यो संग्रह बढ़ता जाता है त्यों-त्यों व्यक्ति में आलस्य, विलास तथा अभिमान का जन्म होता है, जिसके होते ही अकर्मण्यता, पराधीनता और परिच्छिन्नता में प्राणी आबद्ध हो जाता है।

सिक्के का महत्त्व बढ़ने से और श्रम का महत्त्व घट जाने से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने आधीन मानने लगता है। जब व्यक्ति अपने को किसी व्यक्ति के आधीन पाता है तब उसमें हीनपरिज्ञान (Inferiority complex) उत्पन्न होता है और जो अपने आधीन किसी व्यक्ति को मानता है उसमें मिथ्या अभिमान उत्पन्न होता है। दीनता तथा अभिमान के उत्पन्न हो जाने पर परस्पर में आत्मीयता नहीं रहती, जिसके न रहने से प्रियता की अभिव्यक्ति ही नहीं होती।

सिक्के का आविष्कार आवश्यक वस्तुओं के आदान-प्रदान में सुविधा रहे इस दृष्टि से हुआ होगा किन्तु आज उसने अपना प्रभाव ऐसा जमाया है कि साधारण व्यक्तियों की तो कौन कहे, बड़े-बड़े कलाकार, विज्ञानवेत्ता और साहित्यिकों को भी अपने आधीन कर लिया है। यदि सिक्के का महत्त्व न रहे तो मानव समाज में आलस्य, विलास एवं अकर्मण्यता तो बहुत ही कम हो जाय। आज श्रमी वर्ग भी श्रम के महत्त्व से दूर है। वह भी उसके बदले में वोनस लेकर ही प्रसन्न होता है। सिक्के के महत्त्व ने मजदूर और महाजन दोनों ही को पागल बना दिया है। ऐसी भयकर परिस्थिति में यदि परस्पर एकता का प्रचार करना है तो सिक्के से श्रम का महत्त्व बढ़ाना होगा। श्रम के महत्त्व बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि श्रम के बदले में अधिक सिक्का प्राप्त करना ही स्वभाव बना लिया जाय। श्रम के महत्त्व का अर्थ है कि व्यक्ति किसी न किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन में ही प्राप्त सामर्थ्य तथा योग्यता को व्यय करे। वस्तुओं का सम्पादन

करने पर भी इस बात का ध्यान रहे कि वस्तुओं के बदले में सिक्के का संग्रह नहीं करना है। समाज का वह वर्ग जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता—बालक, रोगी आदि—उन्हे आवश्यक वस्तुएँ अपने आप ही देने का विधान बना लिया जाय। तभी श्रम का वास्तविक महत्त्व बढ़ सकता है। श्रम को सिक्के में बदलने से श्रम का महत्त्व नहीं बढ़ता। सिक्के के आधार पर एक देश दूसरे देश को विनाश की सामग्री देकर एक स्थायी विद्रोह की भावना को जन्म देता है। यदि सिक्के का महत्त्व मानव के जीवन से मिट जाय तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक परस्पर एकता स्थापित हो सकती है। वस्तुओं के उत्पादन के साधन प्राकृतिक नियमानुसार व्यक्तिगत नहीं हैं तो फिर उत्पादित वस्तुएँ व्यक्तिगत कैसे हो सकती हैं? अर्थात् नहीं हो सकती। वस्तु व्यक्ति की सेवा के लिए है, केवल अपने सुख-भोग के लिए ही नहीं। जीवन में रस की माँग है। सुख-भोग का रस व्यक्ति को पराधीनता तथा जडता में आवद्ध करता है और सेवा का रस मानव को उत्तरोत्तर स्वाधीनता तथा चिन्मयता की ओर अग्रसर करता है। इस दृष्टि से सेवा, सुख-भोग की रुचि को खाकर व्यक्ति और समाज में वास्तविक एकता स्थापित करने में समर्थ होती है।

प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य कोई आँक नहीं सकता, वही वस्तु देश, काल के भेद से अधिक तथा कम मूल्य की मान ली जाती है। यदि वस्तु का अपना कोई मूल्य होता तो यह विपमता न होती। मूल्य है वस्तु की आवश्यकता तथा सिक्के के संग्रह में। जिस प्रकार मानव समाज विद्युत उत्पादन कम्पनी को सिक्का देकर उसका मनमाना व्यय करता है और कम्पनी अवसर पाकर मूल्य बढ़ाती रहती है। यदि विद्युत का उद्गम सूर्य अपनी रुचि के अनुसार मूल्य माँगना आरम्भ कर दे तो कौन व्यक्ति, वर्ग तथा समाज ऐसा होगा, जो उसे चला सके? प्राकृतिक नियम तो ऐसा है कि जो वस्तु जितनी ही अधिक उपयोगी होती है उतनी ही सुगमता से प्राप्त होती है। जैसे रत्नों की अपेक्षा स्वर्ण तथा चाँदी, चाँदी से अन्न, अन्न से जल, जल से प्रकाश, प्रकाश से वायु और वायु से आकाश उत्तरोत्तर सुगमतापूर्वक स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इस प्राकृतिक विधान का आदर करने पर यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जीवनोपयोगी वस्तुएँ अमूल्य हैं, उनका कोई मूल्य चुका नहीं सकता। असमर्थता-काल में आवश्यक वस्तु विधान के अनुसार स्वतः प्राप्त होती है। इस दृष्टि से रोगी और बालक के विकास के लिए सभी उत्पादन वर्गों तथा देशों को उत्पादित वस्तु आदरपूर्वक भेंट करना चाहिये। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो कभी असमर्थ न रहा हो और उसका पोषण तथा शिक्षण समाज के श्रम तथा प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा न हुआ हो। वही व्यक्ति जब उत्पादन करने के योग्य हो जाता है तब उत्पादित वस्तुओं को अपनी मान लेता है और उनके बदले में सिक्के के संग्रह में लग जाता है। इस प्रमाद का बड़ा ही भयकर परिणाम हुआ है।

श्रमी वर्ग यदि श्रम के बदले में उदारता का सम्पादन करे तो उससे उत्पादित वस्तुएँ उन्हे भेंट हो सकती है, जो उत्पादन नहीं कर सकते। इसका बड़ा ही सुन्दर परिणाम यह होगा कि जब वह वर्ग, जिसे उदारतापूर्वक वस्तुएँ भेंट की गई थी समर्थ होगा तब उसके स्वभाव में भी उत्पादित वस्तुओं को भेंट करने की सद्भावना जागृत होगी, जिससे प्रेरित होकर परम्परा में उदार चरित्र मानव उत्पन्न होते रहेगे। जिस वर्ग तथा समाज में चरित्र व्यक्तियों की उत्पत्ति अधिक होती है, वह वर्ग तथा उदार समान व्यापक हो जाता है। इतना ही नहीं, वह किसी अन्य वर्ग तथा समाज से शासित नहीं रहता। कारण कि राष्ट्र प्रणाली की माँग समाज को तभी होती है जब मानव समाज उत्पादित वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का उदारतापूर्वक सद्व्यय नहीं करता। उदारता व्यक्ति में करुणा तथा प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करती है। करुणा सुख-भोग की रुचि को और प्रसन्नता नीरसता को खा लेती है। सुख-भोग की रुचि तथा नीरसता का नाश होते ही जीवन में निर्विकारता आ जाती है, जिसके आते ही दिव्य-चिन्मय-जीवन से अभिन्नता हो जाती है और पारस्परिक सघर्ष सदा के लिए मिट जाता है। इस दृष्टि से श्रमी वर्ग को उदारता अपना लेना अनिवार्य है।

अब यदि कोई यह कहे कि उदारता तो उन्हे अपनानी चाहिये जिन्होंने सिक्को का संग्रह किया है। यह बात स्थूल दृष्टि से तो ठीक ही मालूम होती है परन्तु यदि हम गभीरतापूर्वक विचार करे तो यह स्पष्ट विदित होता है कि संग्रही के आस-पास जो श्रमी वर्ग है, उसने भी सिक्के के महत्त्व को ही अपना लिया है। तभी वह बहुत से साथियों के अधिकारों का अपहरण संग्रही द्वारा कराता रहता है। यदि श्रमी वर्ग में उदारता आ जाय तो संग्रही बेचारा विवश होकर संग्रह का सदुपयोग करने लगे। अपने-अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए शारीरिक तथा बौद्धिक श्रमी संग्रही के आधीन हो जाते हैं। यह श्रमी वर्ग का प्रमाद है।

इसका अर्थ कोई यह न समझे कि यह विचारधारा तो संग्रही को निर्दोष सिद्ध करती है। पर बात ऐसी नहीं है क्योंकि संग्रह ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता है त्यों-त्यों संग्रही की चेतना जड़ता से आच्छादित होती जाती है। संग्रही की अपेक्षा श्रमी में चेतना अधिक रहती है। प्राकृतिक नियमानुसार सुधार का आरम्भ उसी से होता है जिसमें चेतना अधिक है। अतः श्रमी वर्ग के सुधार में ही समाज का सुधार निहित है। आज तक किसी भी संग्रही के द्वारा समाज का उत्थान नहीं हुआ। एक-एक उदात्त चरित्र मानव के पीछे करोड़ों व्यक्ति चले। इससे भी यही सिद्ध होता है कि बौद्धिक श्रमी के द्वारा शारीरिक श्रमी का उत्थान और इन दोनों के उत्थान में ही समाज का उत्थान है। यदि मिल के मैनेजर, इंजीनियर और रसायनज्ञ (Chemist) अपनी उत्पादित वस्तुओं का दुरुपयोग न करने दें तो कोई भी संग्रही दुरुपयोग करने में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता।

परतु श्रमी वर्ग के मन में सिक्के का इतना प्रलोभन हो गया है कि वह सोचने लगता है कि यदि संग्रही के मन की बात पूरी न की तो मुझे निकाल दिया जायेगा और मेरे स्थान पर अनेक साथी आ जायेंगे । इस भय से भयभीत होकर श्रमी वर्ग संग्रही के अन्याय का समर्थन करने लगता है । अब निष्पक्ष भाव से विचार करो कि सुधार का दायित्व श्रमी वर्ग पर अधिक है अथवा संग्रही पर ?

श्रमी संग्रही के बिना रह सकता है किन्तु संग्रही श्रमी के बिना नहीं रह सकता । पर आज श्रमी अपने महत्त्व को भूल गया है और श्रम के बदले में अपनी व्यक्तिगत भुविधाओं पर ही ध्यान देता है । व्यक्तिगत सुख लोलुपता का प्रलोभन, सर्व हितकारी सद्भावनाओं को सबल नहीं होने देता । उसी का यह परिणाम हुआ है कि श्रम संग्रह के आधीन है । संग्रह का महत्त्व श्रमी के प्रमाद से बढ़ा है । यदि श्रम का महत्त्व बढ़ाना है तो श्रमी को अपना सुधार करना होगा । जो व्यक्ति, वर्ग तथा समाज अपने विकास तथा ह्रास का कारण अपने से भिन्न को मानता है उसका न तो विकास ही होता है और न ह्रास ही रुकता है । प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक मानव अपने विकास में स्वाधीन है । पर कब ? जब मिली हुई योग्यता, सामर्थ्य तथा वस्तु का दुरुपयोग न करे । व्यक्तिगत रूप से जिस किसी को जो कुछ मिला है, वह उस वर्ग का है, जिसमें अभाव है । मिला हुआ देने पर ही और मिलेगा । देकर न माँगना ही प्राकृतिक नियम के अनुसार अपने विकास का साधन है । पर इस रहस्य को कोई विरले तत्त्वदर्शी ही जानते हैं ।

न माँगने का अर्थ भूखा, नगा रहकर मर जाना नहीं है । न मागने का अर्थ है देने वाले की प्रसन्नता के लिए आवश्यक वस्तु स्वीकार करना अथवा यों कहो कि अधिकार लालसा से रहित कर्तव्यनिष्ठ होना । कर्तव्य का ज्ञान मानव मात्र के निज-विवेक में विद्यमान है । विवेक-विरोधी कर्म के त्याग से ही श्रम का महत्त्व बढ़ सकता है और श्रम का महत्त्व बढ़ने से ही सिक्के का महत्त्व घट सकता है, जिसके घटते ही संग्रह की रुचि मिट सकती है और आलस्य, अकर्मण्यता तथा विलास का अन्त हो सकता है, जिसके होते ही शरीर और विश्व में, व्यक्ति और समाज में, दो वर्गों में, दो देशों में, वास्तविक एकता हो सकती है ।

स्वाधीन व्यक्तियों के प्रादुर्भाव से ही समाज में स्वाधीनता सुरक्षित रहती है । स्वाधीन समाज न तो किसी से भयभीत होता है और न किसी को भय देता है । भयभीत समाज ही युद्ध सामग्री का संग्रह करता है । यदि श्रमी वर्ग युद्ध की भावना में सहयोग न दे तो युद्ध सामग्री ज्यों की त्यों, जहाँ की तहाँ रखी रहेगी, उसका कोई उपयोग न होगा । परस्पर का सघर्ष युद्ध सामग्री के बल पर नहीं रोका जा सकता । मानव में यदि विद्यमान मानवता का विकास हो जाय तो सघर्ष का नाश हो सकता है । इस दृष्टि से प्रत्येक मानव पर मिली हुई ५

योग्यता तथा सामर्थ्य के सदुपयोग का दायित्व है। कर्तव्यपरायणता कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के जीवन से व्यापक होती है। उसे वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा नहीं फैलाया जा सकता। भयभीत समाज कभी भी सघर्ष का अन्त नहीं कर सकता। निर्भयता की अभिव्यक्ति तभी होती है जब अपने अधिकार के त्याग और दूसरों के अधिकार की रक्षा में तत्परता बनी रहे। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, समाज तथा देश के हित में व्यय करे और विनाशकारी सामग्री का उत्पादन न करे।

श्रमी वर्ग सिक्के के प्रलोभन से रहित होकर विनाशकारी वस्तुओं के उत्पादन से असहयोग कर अपने श्रम द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करे किन्तु उन्हें व्यक्तिगत न माने। ऐसे साधक ही व्यक्ति और समाज की एकता का दर्शन कर श्रम के महत्त्व से सिक्के का महत्त्व घटाकर, सग्रह की भावना को मिटाकर, शान्ति की स्थापना द्वारा परस्पर एकतापूर्वक सघर्ष का नाश कर सकते हैं। यह निर्विवाद सत्य है।

सिक्के की उपयोगिता एकमात्र सुविधापूर्वक वस्तुओं के आदान-प्रदान में है। वास्तव में तो जीवन में सिक्के की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में आवश्यकता वस्तु की है। परन्तु जब मानव समाज वस्तु का महत्त्व व्यक्ति से अधिक मान लेता है तभी व्यक्ति का निर्माण रुक जाता है। व्यक्ति को स्वयं सुन्दर बनाने के लिए वस्तुओं का महत्त्व व्यक्तियों से कम करना होगा अर्थात् सिद्धान्त रूप से यह बात माननी होगी कि वस्तु व्यक्ति के विकास के लिए है। जब जीवन में वस्तु से व्यक्ति का महत्त्व अधिक हो जाता है तब निर्लोभता की अभिव्यक्ति होती है। जिसके होते ही प्राकृतिक नियम के अनुसार वस्तुओं का अभाव मिट जाता है। यह भौतिक विज्ञान का नियम है। पर आज इस नियम पर सर्वसाधारण की दृष्टि ही नहीं जाती। उसका बड़ा ही दुष्परिणाम हुआ है। निर्लोभता प्रकृति का वह विधान है जो आवश्यक वस्तुओं को अपने आप उत्पन्न करता है। इसका अनुभव मानव मात्र कर सकता है। यह ऐसी बात नहीं है, जिसका अनुभव प्रयोग सिद्ध न हो। निर्लोभता आते ही प्राप्त वस्तुओं का उपयोग व्यक्तियों की सेवा स्वभाव से ही होने लगता है। सग्रह की रुचि का जन्म ही नहीं होता और न वस्तुओं में ममता ही होती है। अप्राप्त वस्तुओं की कामना की तो कौन कहे, लोभ रहित होते ही वस्तुओं से अतीत के जीवन में प्रवेश हो जाता है अर्थात् निर्लोभता मानव को विवेकयुक्त जीवन से अभिन्न कर देती है। इस दृष्टि से वस्तु से व्यक्ति को अधिक महत्त्व देना हितकर ही सिद्ध होता है।

व्यक्ति से वस्तु को अधिक महत्त्व देने से व्यक्तियों में वस्तुओं की दासता उत्पन्न होती है। वस्तुओं की दासता वस्तुओं का सदुपयोग

नहीं करने देती और न विवेक का आदर ही रहता है। विवेक का अनादर होते ही अविवेक की उत्पत्ति हो जाती है और फिर अकर्तव्य का जन्म हो जाता है। अकर्तव्य ही परस्पर संघर्ष का कारण है। संघर्ष से वस्तु और व्यक्ति दोनों ही का विनाश होता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार वस्तुओं की उत्पत्ति व्यक्तियों के हितार्थ होती है। उन वस्तुओं का महत्त्व व्यक्तियों से अधिक कर देना मगलमय विधान का हनन करना है। विधान का विरोध किसी के लिए भी, कभी भी हितकर सिद्ध नहीं होता। अतः वस्तु से व्यक्ति को अधिक महत्त्व देना अनिवार्य है।

वस्तुओं की दासता से रहित मानव न तो वस्तुओं का दुरुपयोग ही करता है और न वस्तुओं के आश्रय के आधार पर अपना महत्त्व मानता है क्योंकि वस्तु-युक्त होने से व्यक्ति का महत्त्व नहीं है। व्यक्ति का महत्त्व विवेक-वित् होने में निहित है। इस दृष्टि से विवेकी मानव को अविवेकियों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व देना है। इतना ही नहीं, अविवेकी मानव, मानव के श्रेष्ठ में अमानव है। अमानव को पशु कहना पशु की निन्दा है, कारण कि पशु में विवेक जाग्रत नहीं है। इससे उस पर विवेकी होने का दायित्व नहीं है किन्तु मानव मात्र में विवेक जाग्रत है, इस कारण उस पर दायित्व है कि वह विवेकी का आदर न करे अर्थात् प्रत्येक वर्ग, समाज तथा देश का वही मानव आदरणीय है, जो विवेकी है। व्यक्ति के महत्त्व को इतना न बढ़ा दिया जाय कि अपने मत, सम्प्रदाय, वर्ग तथा देश का अविवेकी मानव भी अन्य मत, सम्प्रदाय, वर्ग और देश के विवेकी के समान मान लिया जाय। अनेकों अविवेकियों की अपेक्षा एक विवेकी कहीं उच्चकोटि का मानव है। इतना ही नहीं, विवेकी कोई भी हो उसके परामर्श को आदर देना और अन्य की तो कौन कहे, अविवेकी माता-पिता, नेता आदि की भी बात को न मानना हितकर सिद्ध होता है, अनेक घटनाओं से ऐसा अनुभव हुआ है। इस कारण विवेकवित् होने पर ही व्यक्ति आदरणीय है।

यह नियम है कि जब तक जीवन में विवेक का साम्राज्य रहता है तब तक जाने हुए असत् के त्याग की सामर्थ्य नष्ट नहीं होती। प्राकृतिक नियमानुसार जाने हुए असत् के त्याग में ही समस्त विकास निहित है। इस दृष्टि से मानव मात्र को विवेक का आदर करना है। विवेक वह प्रकाश है, जिसमें बुद्धि-दृष्टि द्वारा मानव इन्द्रिय-दृष्टि पर विजय प्राप्त करता है। विवेक के प्रकाश से बुद्धि में सामर्थ्य आती है और फिर वह अनावश्यक और अशुद्ध संकल्पों को पूरा करने का समर्थन नहीं करती, जिससे अनावश्यक और अशुद्ध संकल्प पूरे हुए बिना अपने आप मिट जाते हैं और अनावश्यक एवं शुद्ध संकल्प पूरे होकर मिट जाते हैं, जिनके मिटते ही बुद्धि भगवती विश्राम पाती है और प्रत्येक प्रवृत्ति अन्त में निर्विकल्पता सुरक्षित रहती है। निर्विकल्पता से अराग होना भी वि

सिद्ध ही है। निर्विकल्पता से असंग होते ही वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर करने में विवेक ही मुख्य साधन है।

विवेक का महत्त्व सत्य की ओर अग्रसर होने में है, विवाद में नहीं। विवेक साधन है, साध्य नहीं। साधन का अनुसरण सिद्धिदाता है किन्तु साधन की ममता साधन के रूप में असाधन है। साधन को ममता से रहित न होने में ही साधन की पूर्णता निहित है। अतः विवेक का महत्त्व व्यक्ति से बहुत ऊँचा है, परन्तु विवेक का उपयोग सत्य की खोज में है, विवेकी कहलाने में नहीं। विवेकी कहलाने की रुचि में विवेक का अनादर है, इस कारण विवेक से भी अपने साध्य को अधिक महत्त्व देना है क्योंकि साध्य में अगाध, अनन्त, नित-नव प्रियता ही मानव की वास्तविक भाग है। अतः सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक और विवेक से अपने साध्य को अधिक महत्त्व देना है। उद्देश्य पूर्ति तथा संघर्ष का अन्त एव शान्ति की स्थापना करने के लिए उपर्युक्त क्रम स्वीकार करना प्रत्येक मत, सम्प्रदाय, वर्ग, समाज तथा देश के व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है।



जन्नत और दोजख

बगदाद में उन दिनों सत फलीज की धूम थी। लोग उनके ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान से अत्यन्त प्रभावित थे। उनकी प्रशंसा बगदाद के खलीफा हारुन-उल-रशीद तक भी पहुँची। उनके हृदय में भी सत के दर्शन की इच्छा जागी। एक दिन वे अपने एक खास वजीर के साथ सत फलीज के पास पहुँचे। सत की असाधारण विद्वत्ता से खलीफा बहुत प्रभावित हुए। ज्ञान चर्चा के बाद जब वे चलने लगे तो उन्होंने एक हजार दीनारों की थैली सत के चरणों पर रख दी।

सत ने मुस्कराकर थैली लौटा दी और कहा—“जहाँपनाह ! मैंने आपको जन्नत तक जाने का रास्ता बताया। बदले में आप मुझे दोजख की राह पर क्यों वकल रहे हैं ?”

मनुष्य समूह में रहने वाला प्राणी है। इसलिए उसे केवल व्यक्तिगत सुख-सुविधा की अभिलाषा न रखकर सुख-दुःख, लाभ-हानि, उन्नति-अवनति आदि हर बात का सामूहिक दृष्टि से विचार करना सीखना चाहिये। जिन सुख-सुविधाओं का हम आज उपभोग करते हैं, वे हमारे या और किसी अकेले की पैदा की हुई नहीं हैं। वे समग्र मानव जाति के परिश्रम से, ज्ञान से, सद्गुणों से निर्माण होकर हम तक पहुँची हैं। परमात्मा द्वारा निश्चित प्रकृति के धर्मों या गुणों, निसर्ग की शक्ति और मानव समाज की शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों के समुच्चय से और सहायता से हमारे धारण, पोषण और रक्षण के तथा सुख-सुविधाओं के सारे साधन पैदा होते रहे हैं। मनुष्य के साथ रहने वाले गाय, घोड़ा, बैल जैसे जानवरों के परिश्रम का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। यह बात भी ध्यान में रखकर हमें परमात्मा के प्रति, मानव-जाति के प्रति और अपने साथ रहने वाले प्राणियों के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिये। हम मानव-परिश्रम से पैदा होने वाले साधनों पर जीते हैं। इसलिए इस परिश्रम में हमें कर्तव्य-बुद्धि से परिश्रम के रूप में अपना हिस्सा सदा सन्तोषपूर्वक देना चाहिये। ऐसा किये बिना हमारा जीना, दुनिया की मेहनत से पैदा हुई साधन-सम्पत्ति का उपयोग करना, इससे मुफ्त लाभ उठाना निरा मानवद्रोह है, अधर्म है। उसमें कृपणता, चोरी, जड़ता, कृतघ्नता, स्वार्थ, अन्याय वगैरा अनेक दुर्गुणों और पापों का समावेश होता है।

श्रम विभाजन का सिद्धान्त

जीवन निर्वाह के लिए प्रत्येक मनुष्य सब तरह के परिश्रम खुद नहीं कर सकता। परन्तु सबके परिश्रम का सब लोग न्यायपूर्वक उपयोग करे, तो सबका जीवन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। इस प्रकार के न्याय और सुव्यवस्थित नियमन से समाज कई तरह से सम्पन्न और समर्थ बनता है। जीवन के लिए सब प्रकार के जरूरी परिश्रम प्रत्येक मनुष्य अकेला अलग-अलग करने बैठे, तो मानव का विकास नहीं हो सकेगा। जिससे मनुष्य की सामाजिकता नष्ट हो जायगी और सम्भव है सारी मानव जाति ही नष्ट हो जाय। इसलिये समाज सुख-सुविधा और उन्नति के लिए श्रम की तरह ही श्रम विभाजन भी जरूरी

समाज के धारण, पोषण, रक्षण और उन्नति के लिए आवश्यक साधन-सम्पत्ति पैदा करने की जिम्मेदारी प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म के रूप में सन्तोषपूर्वक स्वीकार करनी चाहिये। यह धर्म मानव-जीवन का प्राण है। मानव-धर्म के न्याय श्रम विभाजन की दृष्टि से यह सिद्धान्त निकलता है कि इस धर्म का आचरण किये बिना शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक किसी भी प्रकार के मानव परिश्रम से निर्मित किसी भी साधन-सम्पत्ति का या सुख-सुविधा का अपने जीवन में किसी को भी उपयोग करने का हक नहीं है।

धर्म्य जीवन की महत्त्वाकांक्षा

इस धर्म के लिए जो विद्यायें और कलायें जरूरी हैं, उनमें प्रवीणता प्राप्त करके सबके हित की दृष्टि से उनका सदा उपयोग करते रहना ही हमें अपना जीवन कार्य समझना चाहिये। परमात्मा की ओर से कुदरती तौर पर ही प्राप्त हुई हमारे अंग-प्रत्यग की सारी शक्तियों का विकास करके और उन्हें शुद्ध करके उनका सतत उपयोग करने से हमारी शक्तियाँ सतेज और शुद्ध रहती हैं। कोई भी शस्त्र या हथियार काम में लेते रहने से ही तीक्ष्ण और तेजस्वी रहता है, नहीं तो जग लगकर खराब हो जाता है। इसी तरह हमारी शक्तियों को उचित गति देते रहने से और उनका सत्कार्य में उपयोग करते रहने से हमारे अंग-प्रत्यग और उनकी शक्तियाँ, हमारी बुद्धि और हमारा मन शुद्ध रहता है। नहीं तो ये सब निकम्मे हो जाते हैं और जड़ता, आलस्य आदि दुर्गुणों से हमारा नाश हो जाता है। केवल अपनी सुख-सुविधा या अर्थोत्पादन के लिए उनका उपयोग करना जीवन की उदात्तता और व्यापकता की दृष्टि से अत्यन्त हीन वस्तु है। सबके हित की दृष्टि रखकर अपने व्यवसाय में से अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी या मेहनताना लिया जाय, उससे ज्यादा अर्थलाभ या लोभ का उद्देश्य कभी न रखा जाय। हम सब इस प्रकार के पवित्र और धर्म्य जीवन की महत्त्वाकांक्षा रखें तो हमारे जीवन सार्थक होंगे और तभी किसी समय मानव जाति के सम्पूर्ण सुखी होने की आशा रखी जा सकती है।

न्याय और अन्याय विभाजन के परिणाम

यह महत्त्वाकांक्षा पूरी हो, इसके लिए हममें श्रम विभाजन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे किसी भी व्यक्ति या वर्ग पर दूसरे से ज्यादा भार न पड़े और किसी भी व्यक्ति या वर्ग को दूसरे व्यक्ति या समाज के परिश्रम का फल दूसरों में ज्यादा न मिले। इस प्रकार जिस समाज में समता के सिद्धान्त पर मेहनत और फल का वंटवारा होता है, वह समाज अनेक प्रकार से समर्थ, सम्पन्न और स्थायी बनता है। उस समाज में सबका परस्पर पोष्य-पोषक संबंध होता है। परन्तु जिस समाज में इस प्रकार श्रम-विभाजन की न्याय व्यवस्था

नहीं होती, उसमें एक ओर गुलामी और खुशामद तथा दूसरी ओर विकास और सुख-सुविधा के नाम पर स्वार्थ, अत्याचार, जुल्म, दुष्टता, ऐश आराम, विकार-वशता, मुफ्तखोरी, जडता और आलस्य वगैरा दुर्गुण बढ़ते रहते हैं। इस कारण समाज में शोषित और शोषक वर्ग निर्माण होते हैं। व्यक्ति-व्यक्ति और वर्ग-वर्ग में परस्पर भक्ष्य-भक्षक का सम्बन्ध बढ़ता जाता है। सारा समाज दिनो-दिन अवनत होता जाता है और फिर थोड़े ही समय में वह किसी बलवान समाज का गुलाम बन जाता है। जिस समाज में परिश्रम करने वालों से परिश्रम द्वारा पैदा होने वाली साधन-सम्पत्ति का मुफ्त लाभ उठाने वाले वर्ग की संख्या अधिक होती है या उसे समाज में ज्यादा महत्त्व और प्रतिष्ठा मिलती है, वह समाज छिन्न-भिन्न हुए बिना नहीं रहता। धर्म और अध्यात्म की भ्रामक कल्पनाओं, कला के नाम पर विलास को मिले हुए महत्त्व, धन को दी गई अनुचित प्रतिष्ठा वगैरा के कारण श्रम-विभाजन का और उसके फलों के न्याय वितरण की पद्धति का समाज में लोप हो जाता है। इसके कारण पुरुषार्थहीनता, दम, स्वच्छदता आदि बढ़ती जाती है और कुल मिलाकर सारा समाज पतन की ओर जाता है।

धर्मनिष्ठ समाज

इस दृष्टि से विचार करे तो समाज की सुस्थिति के लिये परिश्रम, श्रम का उचित विभाजन और समता के सिद्धान्त पर उसके फल का उचित बटवारा— ये तत्त्व हर व्यक्ति को जचने चाहिये और तदनुसार उसे आचरण करना चाहिये। सदा कार्यरत रहकर उससे तैयार होने वाली साधन-सम्पत्ति में से अपने गुजारे से जरा भी ज्यादा की उम्मीद न रखने का सिद्धान्त सबको मजूर होना चाहिये। इस तरह के तत्त्वनिष्ठ समाज को ही धर्मनिष्ठ समाज कहा जा सकता है। समाज में इस प्रकार की तत्त्वनिष्ठा और सद्गुणों की वृद्धि के लिए हमें खुद तत्त्वनिष्ठ और सद्गुणी बनना चाहिये। इसी निष्ठा पर मानव जाति का उत्कर्ष और उन्नति अवलम्बित है।

एक जमाने में भारतवर्ष के लोगो में इस प्रकार की तत्त्वनिष्ठा थी। उस समय यह माना जाता था कि जीवन केवल धर्म के लिए है। उस समय समाज में यह भावना थी कि हम परमेश्वरी शक्ति के, पूर्वजों के, ज्ञानी पुरुषों के, मनुष्य मात्र के और मनुष्य के साथ रहने वाले तमाम प्राणियों के ऋणी हैं। उस जमाने के लोगो की दिनचर्या ऐसी थी, जिससे सदा इस बात का तीव्र भान रह सके कि अनाहुति के निमित्त से इन सबके प्रति कृतज्ञता-बुद्धि प्रकट किये बिना हमें भोजन करने का हक नहीं है। उस समय प्रजा में इस प्रकार की सामूहिक धर्मनिष्ठा थी कि जीवन में जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, वह हमारे अकेले के परिश्रम या ज्ञान का फल नहीं है, बल्कि सबके परिश्रम और ज्ञान का फल है, और उनके

प्रति कृतज्ञ रहकर हमे केवल अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति जितना ही लेने का अधिकार है। उस समय आजकल जैसे भौतिक आविष्कार नहीं हुए थे, सुख के साधन भी आज जितने नहीं थे, न इतनी वैभव सम्पन्नता ही थी। परन्तु उस वक्त लोगो मे मानवता थी, मानव धर्म जाग्रत था। उनके जीवन से हमे बहुत कुछ सीखना है। हम अपना वर्तमान धर्म निश्चित करने और उसके अनुसार चलने के लिए उनके जीवन से कुछ ग्रहण कर सके, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा।

अनोखा उपहार

प्राचीन युग की बात है। मिस्र मे नकिवेन नाम का बुद्धिमान राजा राज्य करता था। राजा नकिवेन बड़ा ज्ञानी था। प्रजा में खुशहालो छाई हुई थी।

एक बार राजा की भक्ति पर प्रसन्न होकर आकाश देव ने राजा को दर्शन देते हुए कहा—‘ले वत्स ! यह तलवार ।’

‘इसे लेकर मैं क्या करूँगा ?’ कौतूहल से राजा ने पूछा।

‘अरे ! इसे लेकर तुम विश्वविजयी बन जाओगे ।’

‘नहीं ! देव मुझे विश्वविजयी नहीं बनना। जिसको पाने के लिए हजारों का नर-संहार करना पड़े ।’

‘अच्छा ! ले यह पारसमणि ।’ देव ने फिर उपहार देना चाहा।

‘नहीं ! नहीं ! पारसमणि लेकर मुझे कौनसी अतुल धन-सामग्री एकत्रित करनी है। यह सब कौनसी मेरे साथ जायेगी ।’

‘तो फिर मैं तुम्हे क्या दूँ ? हाँ—स्वर्ग की अप्सरा को भेज देता हूँ ।’ देव ने आँखे गडाकर राजन् से मानो पूछा।

‘नहीं देव ! मुझे सासारिक भोग-विलासिता की किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। आप देना ही चाहते है तो कोई ऐसी चीज दे जिससे सभी प्राणी आपस मे स्नेह से रह सके, न कि बैर-भावना से दुनिया की शान्ति को भग करके मानवीय जीवन को कलकित करे ।’

‘ठीक है वत्स ! यह लो फूल की डाली। इसे जहाँ बोवोगे वही यह प्रेम पुष्प की वारिण करेगी। वहाँ जड़-चेतन, शत्रु-मित्र सबमे प्रेम का सामजस्य सौरभ भर देगी ।’

राजा ने वह अनोखा उपहार स्वीकार किया और उस फूल की डाली से स्वयं व प्रजा को सबक सिखलाया कि संग्रह के स्थान पर सभी मे, एक-दूसरे मे अपने-अपने मुखो को न्याँछावर करना चाहिए।

अपरिग्रहः कुछ विचारणीय बिन्दु

□ श्री कि० घ० नशरुवाला

परिग्रह और स्वामित्व

परिग्रह और स्वामित्व के बीच का भेद समझ लेना आवश्यक है। किसी चीज को जुटाना व उसे सम्भालकर रखना और जब जिसे उसकी जरूरत हो तब उसे उसका उपभोग न करने देना—यह परिग्रह है, किन्तु इसके साथ मुमकिन है कि निजी स्वामित्व का दावा न हो।

परन्तु मनुष्य आमतौर पर सिर्फ़ इन्ही दृष्टि में परिग्रह नहीं करता। किसी वस्तु का संग्रह वह महज संभाल कर रखने के लिये ही नहीं करता, बल्कि उस पर वह अपने स्वामित्व का भी दावा करता है। अर्थात् वह खुद ही भविष्य में उसका उपभोग करना चाहता है या अपने ही लोगों को करने देना चाहता है। इसके अलावा यदि हमारे कई लोग विपत्ति में पड़े हों और उस समय वे उसका उपभोग करना चाहें, तो भी वह उन्हें रोकने का भरसक प्रयत्न करता है। यह स्वामित्व चाहें, किसी व्यक्ति का हो, कुटुम्ब का हो या किसी संस्था अथवा वर्ग का हो, इन सबमें पदार्थ के केवल संग्रह और रक्षण का भाव नहीं है बल्कि स्वामित्व का भी भाव या दावा है। दूसरे शब्दों में आप-पर का भाव है, पक्षा-पक्ष है और विपम दृष्टि है। और जिस अंश तक यह सब है, उस अंश तक उसने ईश्वर के प्रति अश्रद्धा भी है।

परिग्रह के भेद

खाने-पीने के पदार्थ, ईबन, स्याही, पैंन्सिल, साबुन, दन्तमंजन आदि का संग्रह एक प्रकार का है। ये पदार्थ ऐसे हैं कि यों ये भले ही बहुत दिनों तक रखे रह सके, किन्तु जिस दिन इन्हें इस्तेमाल करेंगे उसी दिन इनका कुछ भाग सदा के लिए कम हो जाता है। एक रोटी एक बार ही खाई जा सकती है, एक साबुन की टिकिया एक बार घिस गयी तो घिस ही गयी। ये सब चीजें एक ही बार में खत्म हो जाने वाली हैं। यह संग्रहणीय पदार्थों का एक प्रकार हुआ।

घर, साज-सामान, कपड़ा-लत्ता, बरतन-भांडे, हल, ज़रखा आदि श्रीजार, गहने, पुस्तकें आदि वस्तुएँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल करने से घिसती जरूर है परन्तु वह बसारा धीमा होता है और सारे पदार्थ पर फैला हुआ

है। इससे ये चीजें लगभग समूची ही एक साथ काम में आती हैं व एक ही साथ घिसती भी जाती हैं। अतः वे एक बार ही नहीं बल्कि वर्षों तक काम में आती रहती हैं। हम चाहे परिग्रह के सिद्धान्त को मानते हों, चाहे अपरिग्रह का व्रत धारण किये हों, यदि ऐसे पदार्थों के विषय में हमारी आदतें निश्चित हो गयी हों तो उनके सम्बन्ध में हमारी नीति एक ही रहती है, और वह यह है कि ये पदार्थ जिस तरह ज्यादा समय तक अच्छी हालत में रखे जा सकें उसी तरह रख कर सावधानी से उनका उपयोग करना। घरों और सस्थाओं में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज वे इस्तेमाल के लिये लेते हैं, उसे फिर सभाल कर उसकी जगह नहीं रखते। इस आदत को हम अच्छी नहीं समझते, बल्कि लापरवाही कहते हैं। सब बड़े-बूढ़े उन्हें ऐसी आदतों के लिये टोका करते हैं। बड़े-बड़े सत भी जो अपरिग्रह व्रत का पालन बड़ी कठोरता से करते हैं, इस आदत को बुरी ही कहते हैं। इस्लाम में कही पढ़ा है कि हजरत मुहम्मद ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि चीजों का उपयोग हाथ रोककर ही करना चाहिये।

अब तीसरे प्रकार के सग्रह का विचार करें। सोना, चांदी आदि धातुओं तथा हीरा, माणिक आदि का सग्रह तीसरे प्रकार का परिग्रह है। वर्षों तक पड़े रहकर भी ये पदार्थ बहुत कम काम में लाये जाते हैं। गहने, बरतन या औजारों के रूप में ही ये काम में आ सकते हैं, किन्तु ये चीजें पड़े-पड़े बिगड़ती नहीं। इससे जहां मालिकाना हक मान लिया जाता है, वहाँ ये भी मूल्यवान् हो जाती हैं। फर्ज कीजिए कि मेरे पास १० मन अनाज है। मैं समझता हूँ कि शायद मुझे उसकी जरूरत न पड़े। इसे मैं अपनी निजी सम्पत्ति समझता हूँ। आपको इस गल्ले की जरूरत है लेकिन आपके पास सोना-चांदी का सग्रह है। उसे आप अपनी भी निजी चीज समझते हैं। मेरा संग्रह आपके सग्रह की अपेक्षा अधिक नाशवान् है। यदि मैं अपने गल्ले को न निकाल डालूँ, तो उसके खराब हो जाने का अन्देश है। अब यदि स्वामित्व का ख्याल मेरे मन में न हो तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरा यह अनाज खराब हो जायेगा। फिर या तो मुझे उसे जलाना पड़ेगा या फैंकना पड़ेगा या गाड़ना पड़ेगा। अतएव यदि आप इसे ले जायें, तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। परन्तु चूँकि मुझ में स्वामित्व का भाव है, मैं ऐसा नहीं करता। बल्कि मैं कहता हूँ कि यह अनाज मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। अगर मैं इसकी सभाल नहीं कर सकता तो मैं इसे जला डालूँगा या जमीन में गाड़ दूँगा। यदि आपको इसकी जरूरत है तो आप अपना सोना-चांदी इसके बदले में दीजिये तो मैं सोचूँगा। क्योंकि आप खुद भी ऐसे ही मालिकाना हक को मानते हैं, इससे मेरी इस बात में आपको कोई अनौचित्य नहीं दिखाई देता।

इस तरह यह स्थिति संसार-व्यवहार का नियम बन गयी है। यदि स्वामित्व का अधिकार और उससे उत्पन्न लेन-देन का व्यवहार न हो, लेकिन

सिर्फ परिग्रह या संग्रह की ही भावना हो तो मनुष्य घर, अनाज, कपड़े, वरतन आदि को संभाल कर रखें, एहतिघात से काम में लें और जो ज्यादा हो, उसे विगडने न दे। फिर वे सोना-चांदी या सिक्के या पाटो से भण्डार नहीं भरेंगे। लेन-देन के व्यवहार के बिना इन चीजों की खपत बहुत कम—गहने, वरतन या अजाारों के लिये ही होती है। और गहने आदि चाहे जितने ही बनाये जायें पर उनको एक सीमा तो होगी ही।

इस प्रकार परिग्रह में दो भाव मिले हुए हैं—भविष्य की आवश्यकता के लिये संग्रह और हिफाजत तथा स्वामित्व का हक। श्रेयार्थी की दृष्टि से इन दोनों में भेद रहता है।

अब एक और दृष्टि से भी हमें परिग्रह का विचार करने की आवश्यकता है।

ऊपर जो परिग्रह के प्रकार बताये गये हैं, वे थोड़े या ज्यादा समय में नष्ट हो जाने वाली किन्तु वाह्य सम्पत्ति के ही हैं। यह सम्पत्ति ऐसी है कि परिग्रही स्वयं उसका उपयोग न कर सके तो दूसरे कर सकते हैं। परिग्रही यदि मर जाय तो उससे परिग्रह नाश नहीं हो जाता।

किन्तु इस वाह्य सम्पत्ति के अलावा मनुष्य के पास दूसरी स्वाधीन सम्पत्ति भी होती है, और वह भी उसके निर्वाह-साधन में उतनी ही सहायक होती है, जितनी कि वाह्य सम्पत्ति। यह है उसका शारीरिक बल, बुद्धि, विद्या, चरित्र आदि। ऐसी कोई भी विशेषता जिसके पास होती है, उसे उस अंश तक वाह्य सम्पत्ति के संग्रह का महत्त्व कम मालूम होता है, और यह विश्वास तथा निश्चिन्तता रहती है कि मेरा निर्वाह किसी तरह हो ही जायेगा। एक तरह से यह सम्पत्ति सोना-चांदी के संग्रह जैसी है, क्योंकि यह खाद्य वस्तु नहीं है परन्तु जिसके द्वारा खाद्य वस्तु मिल सकती है। दूसरी दृष्टि से इसका महत्त्व सोने-चांदी के भण्डारों से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह बाहरी वस्तु नहीं है, न चोरी जा सकती है न उपभोग से कम ही होती है। तीसरी बात यह है कि वह खुद अपने ही काम में आ सकती है, वारिसों या दूसरों को दी नहीं जा सकती।

इन सब में भी चरित्र धन सबसे अधिक मूल्यवान् सम्पत्ति है, क्योंकि शरीर-बल, वृद्धावस्था और रोग से नष्ट हो जाता है, बुद्धि को भी बीमारी लग सकती है, विद्याओं के भूल जाने अथवा जमाना बदलने पर निरुपयोगी हो जाने की संभावना रहती है, परन्तु चरित्र इन समस्त आपत्तियों से परे है।

विविध दृष्टियाँ

परिग्रह का निषेध करने में और उस पर प्रहार या क-

सत्पुरुषों की भूमिका एकसी दिखाई नहीं देती है । कही उन्होंने परिग्रह के नाम पर सिर्फ स्वामित्व की भावना का ही निषेध करना चाहा है । कभी-कभी अतिरिक्त अथवा अमर्याद परिग्रह का भी निषेध किया है । कही-कही निर्वाह के लिये किये जाने वाले श्रम का भी निषेध किया गया है और कही तो दिगम्बर दशा का आदर्श उपस्थित किया गया है ।

हमें चाहिये कि हम इन सब वचनों का महत्त्व एकसा न समझे ।

अपरिग्रह के मूल में यह दृढ़ श्रद्धा रहती है कि परमेश्वर सब प्राणियों का पालक और पोषक है—‘जब दात न थे तब दूध दियो, अब दात दिये कहा अब न दे है’ फिर अब भी वह इतना ही नहीं देगा कि केवल प्राण शरीर में टिके रहे, बल्कि सब वास्तविक जरूरतें पूरी कर देगा । गरीब और अमीर का भेद देखकर आमतौर पर हम ऐसी शिकायत करते हैं कि समाज में न्याय-नीति नहीं है, किन्तु अपरिग्रही साधु इस विषय में दो प्रकार के विचार प्रदर्शित करते हैं । कुछ तो कहते हैं :—

राम भरोखे बैठ कर, सबका मुजरा लेत ।

जितनी जाकी चाकरी, उतना वाको देत ॥

अर्थात् राम प्रत्येक को उसकी पात्रता के हिसाब से देता है । फिर कई बार वे यह भी कहते हैं कि परमेश्वर “चीटी को कन व हाथी को मन” देता है । अर्थात् प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देता है । सारांश यह कि किसी को ज्यादा व किसी को कम मिलता है, उसका कारण परमेश्वर का अन्याय नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि में उन व्यक्तियों की पात्रता या आवश्यकता इतनी ही है । अधिक उखाड़-पछाड़ करने वाला वैसा करके भी अधिक प्राप्त नहीं कर सकता । इसके विपरीत ऐसा भी अनुभव होता है कि जो त्याग का प्रयत्न करते हैं, उन्हें कई बार अपनी इच्छा से अधिक स्वीकारना या भोगना पड़ता है । इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की दृष्टि में किसी की पात्रता या आवश्यकता अधिक हो, तो वह उसे जबरदस्ती भी अधिक उपभोग की सामग्री प्रदान करता है ।

कुछ लोगों को ये बातें अबुद्धि की लगेंगी । पर बात यह है कि आमतौर पर लोगों को यह अन्देशा रहता है कि यदि हम समय पर सम्पत्ति का संग्रह न कर लेंगे तो कठिनाई में पड़ जायेंगे और इसलिये वे उसे बढ़ाने की चिन्ता करते रहते हैं, परन्तु कई मनुष्य अपना यह अनुभव बताते हैं कि उन्हें परिग्रह-त्याग से जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई । जंगल भी उनके लिये मगल बन गया है । उनकी जरूरतें अकल्पित रूप में पूरी हो गयी हैं, और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी और जड़ सृष्टि भी इस तरह उनके अनुकूल हो गयी है, मानो उनकी सेवा ही करना चाहती हो । अतएव उनका यह विश्वास हो गया है कि

विद्वान्मन्त्रः ।

लोग, जिन्ना करते हैं, चीन आदि देश में रहते हैं वे हीबर के प्रति अपनी अच्छी
बारा है दुख पाते हैं। जो लोग परमेस्वर पर विश्वास रखते हैं, उनकी
वृत्ता वह कुछ ही रहती है। किन्तु जो अपनी दीर्घदृष्टि, मितव्ययता, होशि-
वारी मेधम अदि पर विश्वास रखते हैं, उनको भी देना तो वही है, परन्तु उनके
आस जितने मनुष्य के देना है। उससे उन्हे यह मान्य नहीं पड़ता कि हमें भी
परमेस्वर ही देना है, बल्कि यह आशय होता है कि हमें वह अपने पुरोहार्य में
मिन्ना है।

जुंकि मनुष्य को परमेस्वर के इस विश्वन्मत्त के विषय में बार-बार अनु-
भव हुआ है, उनके मन में व्यवहारी मनुष्य की परिग्रह-मन्त्रकी चिन्ताओं के प्रति
अनादर रहता है। इनके विपरीत व्यवहारी मनुष्यों की कठिनाइयों और दुखों का
बार-बार अनुभव होता रहता है, और वे देखते हैं कि जिन लोगों ने ऐसे अवसरों
के लिये परिग्रह रख छोड़ा है, वे मने में रहते हैं। अतः मन्त्रों की ऐसी वाणी में
उन्हे केवल मान्यता मान्य होती है इनके अनादर की वार के यह भी देखते हैं
कि वृत्त में मनुष्य अपने मन का आनन्द उन्के के लिये ही ऐसी बातें कहा करते
हैं, क्योंकि वे अपनी उदारता के लिये परिग्रही व्यक्तियों को सेवा किया करते हैं,
और उनकी उदारता पर ही अपनी चिन्तनी बन्द करते हैं। इससे मन्त्रों के
ऐसे मन्त्रों पर उनकी अच्छी चम्के नहीं पती।

परन्तु मन्त्र वात तो यह है, कि मन्त्रों के पाप को प्रकार की सम्पत्तियाँ
होती हैं, जिन्की कुछ उन्हे भी पूरी जानकारी नहीं होती, न परिग्रह वातों की
ही होती है। फिर भी वेतों को उनकी थोड़ी बहुत कल्पना व कीन्द्र भी होती
है। ये दो सम्पत्तियाँ हैं—चरित्र और संकल्प-बल। मनुष्य कुछ चरित्रवान् है
या न हो, परन्तु चरित्र के प्रति थोड़ा बहुत आदर व पूज्यभाव रहना सब
लोगों के मन में होता है। अतः जब किसी मन्त्र में वे सम्पुष्ट चरित्र-वत् देखते
हैं, तब उनके मन में उसकी सेवा करने की प्रेरणा उठती है। उन्त को तो अपने
चरित्र का अभिमान होता ही नहीं, अतः वह यह नहीं मानता कि वे जो मन्त्र
पूजा, मुक्तिवाले उसे मिलनी हैं, वे उन्के चरित्र के कारण हैं, बल्कि यह मानना
है कि यह सब परमात्मा की कृपा से मिल रहा है।

इस चरित्र-बल को मनुष्य के मन्त्रों के पूर्वजन्म का व्यवहार से मन्त्र
महत्त्व रहता है। या तो उनका पूर्वजन्म मनुष्य में होता हो, और उसे अपने
कर उन्हे गरीबी अतिशय की होगी, अथवा वह वे भी परिग्रह करते अपने
जीविका बनाने थे, तब अतिव्यय प्रवृत्तियों, उद्योगिता और सेवा-रूपे
जीवन के स्पष्ट लक्षण रहे होंगे। फिर जब उन्हे सब परिग्रह करने
करने का मार्ग छोड़ा तब आनन्द के कारण नहीं, बल्कि जिसे वे
उद्देश्य के लिये छोड़ा होगा। यह चरित्र-बल तब उन्के उन्के उन्के

करने का तीव्र संकल्प जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति में बहुत कारणीभूत होते हैं। क्योंकि आखिर जीवन की समस्त प्राप्तियों का मूल कारण तो आत्मा की सत्य-संकल्पता ही है। अतएव जहाँ कहीं तीव्र संकल्प है, वहाँ उसे सिद्ध करने के लिये आवश्यक सामग्री निर्माण करने की शक्ति भी मौजूद ही रहती है। इस तरह अपरिग्रही साधु को जो अकल्पित रूप से अपनी जरूरतें पूरी होने का अनुभव होता है, उसका कारण यह है कि कसी उदात्त हेतु को सिद्ध करने का संकल्प वह करता है और उसके लिये इन जरूरतों को पूरा होना लाजिमी हो जाता है।

इस प्रकार साधु पुरुषों को बाह्य परिग्रह की या निर्वाह के लिये मेहनत करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती और अपने अनुभव के बल पर वे दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि जिसकी जो जरूरत होगी, वह उसे अवश्य मिल जावेगी।

तात्पर्य यह है कि ससारो और साधु दोनों के अनुभवों में सत्याश है। ससारियों को सग्रह के अभाव में विपत्तियों का जो अनुभव होता है वह निर्विवाद है, परन्तु इससे वे सग्रह का महत्त्व जरूरत से ज्यादा समझ बैठते हैं। इधर सतों को यह स्पष्ट अनुभव होता है कि वे जो चाहते हैं सो उन्हें जरूर मिल जाता है। इससे वे परिग्रह को ही नहीं बल्कि श्रम की भी कीमत कुछ नहीं समझते और इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी करने के लिये किसी न किसी को परिग्रह और श्रम की चिन्ता करनी ही पड़ी है।

अधिक सत्यपूर्ण विचार इन दोनों के बीच में है, यानी

१. परिग्रह और मालिकाना हक में भेद करने की जरूरत है, और श्रेयार्थी पहले तो जितना हो सके स्वामित्व का भाव घटावे अर्थात् जिसको आवश्यकता हो उसे अपने परिग्रह का उपभोग करने की अधिक छूट दे। हाँ, आज की परिस्थिति में इस विचार की कार्यरूप में परिणति एक सीमा में ही हो सकती है, परन्तु इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता जरूर है।

२. परिग्रह और श्रम का भी भेद समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति अपरिग्रह का आदर्श रखे तो हो सकता है कि उसमें न तो कोई बुराई हो और न समाज को ही कोई हानि पहुँचे, परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विचार रखे और उसका प्रचार करे कि 'अजगर करे न चाकरी पछी करे न काम'. तो इससे समाज की अवश्य हानि पहुँचेगी और पाखण्ड तथा आलस्य की वृद्धि होगी। इसके विपरीत यह सिद्धान्त कि सिर्फ आज की ही रोटी कमा लो (अर्थात् मेहनत करके प्राप्त करो) श्रम-पोषक होते हुए भी अपरिग्रह का है और श्रेयसाधक भी है।

३. फिर परिग्रह और हिफाजत के भेद को भी समझ लेना चाहिए। जो चीज इस्तेमाल से आज ही घिस या विगड नहीं जाती उसे जतन से रखना

परिग्रह तो है, परन्तु यह एक सद्गुण है और आवश्यक है। ऐसा न करना दोष में शामिल है। किन्तु केवल संग्राहक बुद्धि से ऐसी चीजों का जत्था बढ़ाते ही जाना अतिरेक है। ऐसा ही समझना चाहिये कि सतो ने जो परिग्रह पर प्रहार किया है, वह ऐसे अतिरेक पर है।

४. यह समझ लेने की आवश्यकता है कि अपरिग्रह तथा परिग्रह दोनों सिद्धान्त उदात्तपन के खिलाफ हैं। जिस चीज के उपभोग की आज जरूरत नहीं है उसको भी परिग्रह न रखने की दृष्टि से खर्च कर डालना अपरिग्रह नहीं, बल्कि पदार्थों पर अत्याचार है अथवा स्वेच्छाचारिता है। इसी तरह अपने उपभोग के लिये सृष्टि के समस्त रस-कस को अधिक से अधिक खींच लेने की वृत्ति रखना मनुष्य का प्रकृति पर अत्याचार है। अपरिग्रह के सूक्ष्म अर्थ का विचार करे तो मालूम होगा कि साहूकारों की स्थापित सर्राफे की दुकानों पर या निजी तिजोरियों पर विश्वास रखने के बदले ईश्वर के प्राकृतिक बैंक पर विश्वास रखना अपरिग्रह का आचरण है। परन्तु इस प्रकार मनुष्य के स्थापित बैंक में से जितना रुपया रोज उठाया जाय उतना फिर जमा करने की चिन्ता न की जाय, तो फिर एक दिन अपना खाता वहाँ से उठ ही जाता है। इसी तरह इस प्राकृतिक बैंक से रोज-ब-रोज जितना हम खींचते हैं उतना ही हमें जगत् की भिन्न-भिन्न रूप में सेवा व श्रम के द्वारा फिर प्रकृति को लौटा देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसका विश्वास "अपरिग्रह" के या "ईश्वर सबका पालन-पोषण करता है"। इस सिद्धान्त पर नहीं बैठ सकता। अतः कुदरत का मितव्यय से उपभोग करना परिग्रही या अपरिग्रही दोनों के लिये समान रूप से आवश्यक नियम है। इससे यह भी समझ में आयेगा कि कुछ साधुओं के अपने हाथ में आई मनुष्योपयोगी चीजों को चाहे जहाँ फेंक देने, या हर किसी को देकर उनको बरवाद करने, या उन्हें लुटाकर अपनी धन-सम्बन्धी उपेक्षा बताने में प्रायः अविवेक ही होता है। किसी भी वस्तु का त्याग उचित रीति से और उचित मात्रा में ही करना चाहिये।

५. चरित्र और उदात्त सकल्प भी एक प्रकार का धन ही है। अतएव हमें यह समझना चाहिये कि केवल बाह्य सामग्री एकत्र करने के लिए किये गये श्रम से ही निर्वाह नहीं होता, बल्कि उसके जुटाने में चरित्र व उदात्त सकल्प भी कारणीभूत होते हैं, और इसलिये उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना और उन पर विश्वास रखना भी सीखना चाहिये।

६. हमारे परिग्रह और भोगों की एक सीमा होनी चाहिये। अपने समय में उनकी क्या मर्यादा होनी चाहिये, इसका विचार सुज्ञजनों को स्वयं करते रहना चाहिये। समझना चाहिये कि भोगों की विविधता और रसिक वृत्ति जीवन का आदर्श नहीं बल्कि सादा, मेहनती व अल्पसाधन युक्त जीवन ही सच्चा जीवन है।

७. सोना, चादी, जवाहरात आदि को उनकी उपयोगिता के मुकाबले में जरूरत से ज्यादा महत्त्व मिल गया है। सिक्के के तौर पर इनका उपयोग जो लाजिमी बना दिया गया है, वह बहुत अनर्थों का कारण हुआ है। किन्तु यह विषय अर्थशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। अतएव यहाँ उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ तो इतना ही कह सकते हैं कि रसिक पुरुष गहने आदि के रूप में इनका व्यवहार करेंगे ही और संभव है इसका कोई इलाज हमें न भी मिले, परन्तु सिक्के के रूप में इनका उपयोग लाजिमी कर देना अर्थ व श्रेय दोनों का विरोधी है। अतः श्रेयार्थी को इनका परिग्रह करने के मोह में न पडना चाहिये।



अपरिग्रह का आदर्श

यूनान के सत अफरायत का जीवन अत्यन्त सरल था, वे सादगी और पवित्रता में विश्वास करते थे। वे एथेन्स नगर के बाहर एक गुफा में निवास कर ईश्वर चिन्तन करते थे। वे सूर्यास्त के बाद केवल एक रोटी खाकर अपनी क्षुधा शान्त करते थे। एक साधारण चटाई पर सोते थे। वे एक मोटा-सा वस्त्र धारण करते थे।

एक दिन वे अपनी गुफा से बाहर बैठे थे कि सम्राट फिलिप उनसे मिलने आया।

सत को भेट देने के लिये अपने साथ वह वेशकीमती वस्त्र भी लाया था। सम्राट ने सत का अभिवादन कर कहा—“ये वस्त्र उच्चकोटि के कारीगरों द्वारा निर्मित है, कृपया इन्हे स्वीकार करे।”


संत ने शान्त भाव में उत्तर दिया—“फिलिप, क्या आप इसे ठीक समझते हैं कि एक पुराने स्वामिभक्त नौकर को इसलिये निकाल दिया जाय कि दूसरा नया व्यक्ति उससे ज्यादा खूबसूरत और काम करने वाला है।”

“नहीं, ऐसा तो कदापि उचित नहीं है।” सम्राट ने उत्तर दिया।

“तो फिर अपने वस्त्र वापस ले जाइये ! मैंने जिस वस्त्र को बीस वर्षों से अनवरत धारण किया है उसके रहते दूसरा नहीं रख सकता। मेरी आवश्यकता इसी से पूरी हो जायगी।” सत ने कहा।

इस प्रकार सत की पवित्र अपरिग्रह वृत्ति मुखरित हो उठी। सम्राट फिलिप वस्त्र लेकर वापस चला गया।

□ श्याम मनोहर व्यास



परिग्रह की भरमार

प्रायः आदमी को जितनी चीज की उसे वास्तव में जरूरत होती है, उससे बहुत अधिक अपने पास रखता है। उसे आशंका रहती है कि पीछे यह चीज मिले या न मिले। वह सोचता है कि आज के लिए ही नहीं, कल के लिए भी, इसी माह के लिए नहीं, अगले माह के लिए भी, इसी साल के लिए नहीं अगले साल के लिए भी तो चाहिये। यही नहीं, वह अगली पीढ़ी के लिए भी सग्रह करके रखना चाहता है। इसी प्रकार उसके सग्रह की सीमा नहीं रहती, उसकी अधिकाधिक की चाह बनी रहती है। यहाँ तक कि वह उस चीज की ठीक सार-सभाल भी नहीं कर पाता। वह यह नहीं सोचता कि मेरे पास जो चीज अधिक पड़ी है, उसकी समाज में अन्य लोगों को कितनी जरूरत है।

संग्रह चोरी है

जो लोग बहुत अधिक सग्रह करके रखते हैं—अधिकांश आदमी अपनी असली जरूरत से ज्यादा सम्पत्ति रखते हैं वे समाज के प्रति कितने क्रूर, निर्दय और दोषी हैं, इसका वे विचार नहीं करते। सब लोग कहते हैं और मानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है। पर विचार कर देखा जाय तो चोरी के अपराध से कौन मुक्त है, क्योंकि जिस चीज की मुझे आज जरूरत नहीं है, उसे अपने पास रखना और दूसरों को उसके उपभोग से वंचित करना चोरी ही है। कहा गया है—‘मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्ति को जो अपनी मानता है, वह चोर है, और उसे दण्ड मिलना चाहिए। [भागवत ७/१४/८]

चोरी और अस्तेय : गाँधीजी के विचार

गाँधीजी ने कहा है—‘दूसरे की चीज को उसकी आज्ञा के बिना लेना तो चोरी है ही, पर मनुष्य अपनी मानी जाने वाली चीज की भी चोरी करता है—जैसे एक बाप अपने बच्चों को जनाये बिना उनसे छिपाने की नीयत रख कर गुपचुप कोई चीज खा ले। पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीज की जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकार में वह है उससे चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही ले, तो वह भी चोरी होगी। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिए। ऐसी चोरी ससार में ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजों के सम्बन्ध में होती है। मुझे अमुक फल की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उसे खाता हूँ, तो वह चोरी है। वस्तुतः अपनी आवश्यकता की मात्रा को मनुष्य हमेशा जानता नहीं है, और प्रायः हम सब अपनी जरूरतों को आवश्यकता से अधिक बताते और इससे अनजाने चोर बन जाते हैं। विचारने पर मालूम होगा कि हम अपनी बहुतेरी जरूरतों को घटा सकते हैं। अस्तेय व्रत पालन करने वाला उत्तरोत्तर अपनी

आवश्यकताएँ कम करता जायगा । इस ससार मे अधिकतर दरिद्रता अस्तेय के भग से हुई है । ['मगल प्रभात' पुस्तक से उद्धृत]

अस्तेय व्रत : शरीर-परिश्रम द्वारा सम्पत्ति-निर्माण

अस्तेय व्रत की विशेषता यह है कि यह अर्थप्राप्ति के साधन पवित्र रखने पर जोर देता है । यह अर्थप्राप्ति की पद्धति का नियमन करता है । श्री विनोबा ने बताया है कि अस्तेय कहता है—“शरीर का निर्वाह मुख्यतया शरीर-श्रम से, याने उत्पादक परिश्रम से होना चाहिए । शरीर-श्रम के बगैर अगर हम अन्न खाते हैं तो हम एक खतरा पैदा करते हैं । सर्व सामान्य लोगों के लिए अस्तेय पालन तभी होगा, जब, जिसे शारीरिक क्षुधा है, वह शारीरिक परिश्रम करे । दुनिया की आज की बहुत सी विपमताएँ, बहुत से दुःख और बहुत से पाप शरीर-श्रम को टालने की नीयत से पैदा हुए हैं । वैसी नीयत रखने वाला गुप्त या प्रकट रूप से चोरी करता है । इसलिए अस्तेय व्रत शरीर-परिश्रम द्वारा सम्पत्ति-निर्माण पर जोर देता है । ['सर्वोदय', दिसम्बर, ५२]

अपरिग्रह : समाज से ऋण-मुक्ति

जिस प्रकार अस्तेय अर्थशक्ति की पद्धति का नियमन करता है, अपरिग्रह प्राप्त करने योग्य धन के परिमाण का नियमन करता है । आचार्य विनोबा के शब्दों में “शरीर-परिश्रम से जो उत्पन्न होगा, उसी का उपयोग करेंगे, ऐसा नियमन हम मानते हैं तो अपरिग्रह की बहुत सी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि शरीर-परिश्रम से इतना अत्यधिक पैदा हो ही नहीं सकता कि उसमें से मनुष्य ढेर संग्रह कर सके ।” लेकिन फिर भी अस्तेय के साथ अपरिग्रह के अलग नियमन की जरूरत रह जाती है । यद्यपि शरीर-परिश्रम से अत्यधिक पैदा नहीं हो सकता, तथापि अधिक पैदा हो सकता है । और अगर उसका भी उपयोग दूसरों को दिये बगैर किया जाता है तो खतरा पूरा नहीं टलता । बचपन से हमने अनेक का उपकार ले लिया है । उसकी निष्कृति के लिए शरीर-परिश्रम के मान्य तरीके से भी जो हमने कमाया हो, उसका हिस्सा समाज को देना लाजमी हो जाता है । उसमें सम्यक् विभाजन का उद्देश्य होता है । इसलिए वह दान का स्वरूप है, यद्यपि यह ऋण-मुक्ति का प्रकार है ।

समाज में चोरी और भिक्षा-वृत्ति को मिटाने के लिए

अपरिग्रह की आवश्यकता

जब समाज में कुछ आदमी बहुत अधिक संग्रह करेंगे तो दूसरों को उनकी आवश्यकता के लिए भी काफी न मिलेगा । कहीं-कहीं ऊँचे टीले बनाये जायेंगे तो दूसरे स्थानों में गहरे गड्ढे रहने वाले ठहरे । जिन लोगों को शरीर-यात्रा के लिए खाना-कपड़ा नहीं मिलेगा, वे चोरी करेंगे या भीख मांगेंगे । अगर हम

जायेगा । बैंकों आदि में या किसी व्यक्ति विशेष के पास इनको बड़े परिमाण में रखा ही नहीं जायेगा । जुदा-जुदा घरों में भी इनके रखने की ऐसी बात न होगी । अपवाद-रूप, कुछ विशेष अवसरों पर काम में लाने के लिए ये बहुत परिमित रूप में ही रखे जा सकेंगे । इनका अधिक संचय चोरी के माल की तरह अप्रतिष्ठाजनक समझा जायगा ।

इस प्रकार जब समाज में अपरिग्रह होगा, तो उसका व्यावहारिक रूप यह होगा कि सम्पत्ति खास-खास व्यक्तियों के पास बहुत अधिक—उनकी आवश्यकता से कहीं अधिक न होकर, वह घर-घर में बंटी रहेगी, जिससे वह सब के काम आये, कोई उसके उपयोग से वंचित न रहे । जैसे रक्त या खून शरीर के सब अंगों में समान रूप से होने से शरीर शक्तिमान होता है; और एक अंग में बहुत अधिक और दूसरे अंगों में बहुत कम होने से शरीर सुडोल नहीं होता और ठीक काम नहीं करता, इसी प्रकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन के लिए आवश्यक साधन-सम्पत्ति होने से समाज-रूपी शरीर शक्तिमान और सुखी होगा ।

कुछ बुनियादी मान्यताएँ

अपरिग्रही समाज के मनुष्य के लिए कुछ मान्यताएँ जरूरी हैं । उदाहरण के लिए उसके व्यक्तियों को मानना चाहिए कि—

१. परमात्मा हम सब का परम पिता है । हम सब उसकी सतान हैं । इसलिए ससार में सब मनुष्यों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए ।

२. किसी भी प्रकार की सम्पत्ति हो, वह प्रकृति—भूमि, जल, वायु, आकाश और प्रकाश से मिलती है या उसकी सहायता से बनती है । पृथ्वी हम सबकी माता है । उससे या उसकी सहायता से प्राप्त सब सम्पत्ति पर सब का समान अधिकार है । इसलिए जैसे जल, वायु, आकाश और प्रकाश का सबकी आवश्यकतानुसार उपयोग करने का अधिकार है, इसी तरह भूमि भी सबको उनकी आवश्यकता के अनुपात से सुलभ होनी चाहिए ।

३. सम्पत्ति का उत्पादन समाज की सहायता बिना नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सम्पत्ति का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करे उससे अधिक अपने पास रखकर दूसरों को उसके उपयोग से वंचित न करे । समाज हित की दृष्टि से ही आदमी को किसी सम्पत्ति का उपयोग करना चाहिए ।

४. सम्पत्ति सब घर-घर बंटी हुई हो । निकम्मी चीजों का संग्रह तो विल्कुल ही न किया जाना चाहिए । अच्छी उपयोगी चीजों के संग्रह में ऐसा क्रम

रहे कि जो चीज जितनी कम उपयोग में आये, उतनी ही कम संग्रह की जाय । पैसे का संग्रह बहुत ही कम, कुछ विशेष दशाओं में उपयोग के लिए हो । सम्पत्ति के लिए शरीर-श्रम किया जाय, जीवन श्रम-प्रधान हो ।

अपरिग्रह केवल साधु-सन्यासियों के लिए नहीं, “समाजाय इदम्”

अपरिग्रह की बात कुछ नयी नहीं है । बहुत पुराने समय से विचारकों द्वारा इसका आदर्श उपस्थित है । परन्तु अहिंसा, सत्य आदि अन्य गुणों की भाँति यह अभी तक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माना गया है । गाँधीजी ने विविध जीवन-सिद्धान्तों का सामाजिक क्षेत्र में, सामूहिक पैमाने पर उपयोग किया । किन्तु अब भी अधिकतर आदमी इन्हे साधु-सन्यासियों के लिए ही ठीक मानते हैं । आवश्यकता है कि सभी आदमी—वे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हों—इन्हे अच्छी तरह अपनावे । श्री विनोबा ने कहा है—

‘सामान्य लोग अपरिग्रह के विचार को इतना बड़ा मानते हैं कि वह तो गाँधीजी या विनोबा जैसे कुछ संन्यासियों के लिए ही हो सकता है, ऐसा उनका ख्याल है । समाज में व्यवस्था भी कुछ इस तरह की हुई कि अपरिग्रह कुछ खास लोगों के लिए सुरक्षित रखा गया । गृहस्थ ने उसे अपनी मर्यादा के बाहर माना, यद्यपि अन्तिम लक्ष्य के तौर पर उसने उससे इन्कार नहीं किया, परन्तु संन्यासियों और फकीरों के आदर्श को अपना अन्तिम लक्ष्य मानकर भी उसने अपने जीवन की रचना परिग्रह के आधार पर ही रखी ।

“लेकिन जब आप एक धर्म-विचार के ही ऐसे टुकड़े कर देते हैं कि वह कुछ खास लोगों के लिए सुरक्षित है, तब उससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता । और ऐसा हुआ भी । गृहस्थ-जीवन में परिग्रह को स्थान देने से कुछ भलाई तो हुई, परन्तु कुछ लोगों ने परिग्रह को अपना हक मान लिया और जब कुछ लोगों ने परिग्रह को लाजमी माना तो धर्म-विचारकों ने भी लोभी लोगों के मुकाबले के लिए उसे जायज माना । देखते-देखते निर्लोभी भी लोभी बन गये । परिग्रह और अपरिग्रह के बीच इस तरह की दीवार खड़ी हो गयी और जो ज्यादा परिग्रही बने, जिन्होंने परिग्रह की कोई मर्यादा ही नहीं मानी, वे दुनिया के सिर पर सवार हो गये ।”

इन सबसे मुक्ति दिलाने का मार्ग बताते हुए विनोबा जी ने कहा—“जिस तरह यज्ञ में आहुति देते समय हम कहते हैं कि “इन्द्राय इदम् न मम, वरुणाय इदम् न मम” (यह इन्द्र के लिए है, मेरा नहीं है, यह वरुण के लिए है, मेरा नहीं है), उसी तरह आज हम जो भी उत्पादन करें, चाहे वह खेती में करते हों या फैक्ट्री में, हमें मानना चाहिए कि वह “समाजाय इदम् न मम, राष्ट्राय इदम् न मम” है । (यह समाज के लिए है, मेरा नहीं है, यह राष्ट्र के लिए है, मेरा नहीं

है) । हर आदमी अपने मन से कहेगा कि तू तो समाज में एक नौकर के रूप में काम करेगा और समाज तुझे जो देगा, उसे तू स्वीकार करेगा । हरेक के दिल में यह भावना होनी चाहिए कि जो सम्पत्ति मेरे पास है, जो खेती मेरे पास है, जो अक्ल मेरे पास है, जो परिवार मेरा है, वह सब समाज के लिए है । अगर हमें वैभव बढ़ाना है, सम्पत्ति और लक्ष्मी बढ़ानी है, तो वह सब समाज की बढ़ानी है । समाज-रूपी नारायण की लक्ष्मी होगी । हम तो उस नारायण के केवल सेवक मात्र हैं ।”

अपरिग्रह पर आधारित समाज-रचना

विनोबाजी कहते हैं—“हमें तो अपरिग्रह के आधार पर समाज निर्माण करना है । अपरिग्रह का अर्थ यह नहीं कि शंकर की तरह भभूत लगाकर बैठ जाना । भभूत तो लगानी है, पर कुबेर को भी हाथ में रखना है । यह कुबेर घर-घर में होगा और इस तरह समाज में सबके लिए सम्पत्ति होगी । आज भविष्य की चिन्ता सबको करनी पड़ती है, लेकिन फिर चिन्ता भविष्य की तो क्या, शाम की भी नहीं करनी होगी, क्योंकि सबको सब चीजे सदा के लिए उपलब्ध हो सकेंगी । और अगर जवानी में हम अपरिग्रह की साधना करते हैं तो वृद्धावस्था में समाज को हम भार-भूत नहीं बनेंगे । ऐसे अपरिग्रही सेवकों की बुद्धि की वृद्धावस्था तक अत्यन्त विकास हुआ होगा ।”



धन और धर्म

अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में निश्चित धारणा बना लीजिये कि धन कभी तारने वाला नहीं है, धर्म ही तारने वाला है । यदि आप लक्ष्मी के दास न बनकर लक्ष्मी के पति बन गये तो लक्ष्मी आपके चरण चूमती रहेगी ।

दुनिया की सभी धर्म-परम्पराओं ने अपरिग्रह, असंग्रह, सादगी और स्वैच्छिक गरीबी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्यतः आवश्यक माना है। जैन तथा योग परम्परा में अपरिग्रह या असंग्रह को पांच महाव्रतों में मान्य किया गया है। ईसा मसीह ने स्वैच्छिक गरीबी को ईश्वरीय राज्य की आवश्यक शर्त माना है। उन्होंने कहा कि गरीबों को ही विश्व का उत्तराधिकार मिलेगा। परिग्रह की निन्दा में उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुई के छेद में से ऊंट का निकलना संभव भी हो सकता है, पर धनी का प्रवेश स्वर्ग में हो जाना बिल्कुल असम्भव है। इस्लाम धर्म में भी संयम, गुरुवत और फकीरी की सराहना की गई है।

पर जैन परम्परा में परिग्रह और अपरिग्रह का विश्लेषण और विस्तार जितना किया गया है, उतना अन्य किसी परम्परा में नहीं मिलता। वस्तुओं के ममत्वमूलक संग्रह को परिग्रह कहा गया है। ममत्वमूलकता का ही दूसरा नाम आसक्ति है। आसक्ति से परिग्रह बढ़ता है और परिग्रह से आसक्ति बढ़ती है। जितनी आसक्ति बढ़ती है उतनी ही हिंसा बढ़ती है तथा समाज में विषमता को बढ़ावा मिलता है।

परिग्रह नौ प्रकार के माने गये हैं :—(१) क्षेत्र, (२) वस्तुएं, (३) हिरण्य, (४) सुवर्ण, (५) धन, (६) धान्य, (७) द्विपद, (८) चतुष्पद, (९) कुप्य। श्रमण के लिए सब प्रकार का परिग्रह अनुचित माना गया है। वह स्वयं कोई संग्रह करता नहीं, दूसरों से कराता नहीं तथा करने वालों का समर्थन करता नहीं। श्रमण पूर्णतया अनासक्त और अकिंचन रहता है। अपरिग्रह व्रत की पूर्णता के लिए पाँचों इन्द्रियों के विषयों—रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के प्रति पूर्ण अनासक्ति का भाव आवश्यक माना गया है। इस ममत्व अथवा आसक्ति को ही हृदय-ग्रन्थि कहा गया है। जो इस ग्रन्थि को छेदता है, वही निर्ग्रन्थ कहलाता है। इस ग्रन्थि के छेदन के कारण ही महावीर सम्भवतः “निगण्ठ” कहलाये।

गृहस्थ साधक के लिए पूर्ण अपरिग्रह सम्भव नहीं है इसलिए उसके लिए अपरिग्रह के वजाय ‘परिग्रह परिमाण’ को अणुव्रत के रूप में मान्य किया गया। इसके अन्तर्गत उपर्युक्त नौ प्रकार के परिग्रह के संबंध में गृहस्थ अपने

आवश्यक वस्तुओं की मर्यादा निश्चित कर शेष समस्त वस्तुओं के ग्रहण एवं संग्रह का त्याग कर देता है अर्थात् उन पर उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती। इस अपरिग्रह व्रत के पाच अतिचार भी बतलाये गये हैं जिनसे आडे-टेढे चलकर उस सोमा के अतिक्रमण को रोका जा सके। दूसरी ओर तीन गुणव्रतों के द्वारा इस व्रत की रक्षा तथा विकास का भी प्रयत्न किया गया है। वे हैं—(१) दिशा परिमाण व्रत, (२) उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत, (३) अनर्थ दण्ड विरमण व्रत। फिर इन गुण व्रतों के अतिचारों का विश्लेषण कर इनकी अनुपालना को दृढ़ करने का प्रयत्न किया गया है।

सारी दुनिया में विचारकों के सामने यह सवाल है कि समाज में लोग गरीब-अमीर, दुःखी-सुखी, रोगी-स्वस्थ क्यों हैं और सत्कर्म करने वाले भी दुःखी और अभावग्रस्त देखे जाते हैं और अत्याचारी-अनाचारी भी सुखी और समृद्ध दिखाई देते हैं, इस विचित्रता और विषमता के क्या कारण हैं? इसका जवाब कुछ धर्मों ने ईश्वर को स्थापित करके दिया कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए जो कुछ होता है उसकी मर्जी से, उसके आदेश से होता है अतः दुःख, हीनता, रोग आदि से बचना है तो वह ईश्वर की भक्ति से, उसकी दया से ही संभव है। अनीश्वरवादियों ने भलाई-बुराई को अच्छे-बुरे कर्मों का परिणाम माना, पर उसकी विचित्रता और विषमता के समाधान के लिए उन्हें पुनर्जन्म मानना पड़ा ताकि विषमता का जवाब पिछले जन्मों के नाम पर दिया जा सके। अनेक ईश्वरवादी धर्मों ने भी पुनर्जन्म तथा कर्मवाद स्वीकार किया।


इस विषमता और सांसारिक द्वन्द्व का आर्थिक समाधान मार्क्स और यूरोप के ईसाई समाजवादियों ने भी सोचा। उन्होंने पाया कि सारे विश्व में प्राकृतिक साधनों के विषम वितरण और निर्जा सम्पत्ति के विचार और उत्तराधिकार की पद्धति के कारण लोगों के पास संपत्ति का विषम एकीकरण हुआ। प्राकृतिक साधनों में धरती, खेत और गाव, कस्बे और नगर तथा खाने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। जल सबधी साधनों—नदी-नालो तथा समुद्र का भी इसमें भाग रहा। इन साधनों से प्राप्त उपज और उससे तैयार माल विषमता-मूलक मालिकी के कारण विषमता को बढ़ाने वाले अर्थात् गरीब को अधिक गरीब और मालदार को अधिक धनी बनाने वाले होते गये। उत्तराधिकार के नियम के कारण मालदार वाप का बेटा बिना परिश्रम के मालदार होता गया। फिर व्याज, किराया, मुनाफा, विजय और दान भी मालदार की मालदारी को बढ़ाते गये। गरीब को गरीबी और कर्म ही उत्तराधिकार में मिला और मालदार को जमीन, जायदाद, खेत, पशु और नकद धन मिला, जिनकी कीमते अपने आप बिना मेहनत के लगातार बढ़ती गई तथा उनको बढ़ाने वाली मेहनत पर भी उसका अधिकार बढ़ता गया। मार्क्स का कथन है कि सारी निजी पूंजी चोरी

है—इसमें नैहन्तकर्म की नैहन्त ने पूंजीपति के मालदार बनने की कल्पना कहानी छिपी है, यद्यपि इसमें सत्य का एक अंश हो है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, मान्यता और कानून, इस विपन्नता, शोषण और चप्याप के लिए जिम्मेदार हैं। सत्ता और सम्पत्ति के जोषको के हाथ में केन्द्रित हो जाने के कारण यह संभव हुआ है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण, सम्पत्ति के समाजीकरण और व्यक्ति के अज्ञान को हटाने तथा उसके तप-को अधिक तेजस्वी बनाने से ही समतापूर्ण, सहयोगी तथा उन्नतिशील समाज बन सकता है और मरने के बाद मिलने वाला कल्पित स्वर्ग और मोक्ष मानव को इसी जीवन में साकार हो सकता है।

शोषण करने वालों को सम्पत्तिविहीन कर देना चाहिए। इसे मार्क्स और उनके सहचिन्तकों ने क्रान्ति माना। रूस में लेनिन ने और चीन में माओ ने तलवार के जोर से व्यक्तिगत परिग्रह को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पर वह स्वैच्छिक अपरिग्रह नहीं था इसलिए लोगों के मन में से परिग्रह की मूर्च्छा समाप्त नहीं हुई और वे मुक्त जीवन की ओर अग्रसर नहीं हो सके। वे पूर्व की भाँति ही हिंसा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और भोग में लिप्त रहे। टालस्टाय, हैनरीजाज, गांधी और विनोबा ने सत्ताधारियों, सामन्तों, पूंजीपतियों, औद्योगिकों और व्यापारियों द्वारा किये जा रहे शोषण को समझा और निजी संपत्ति-परिग्रह की मूर्च्छा और उसके अनौचित्य को भी समझा पर उस अपरिग्रह की प्राप्ति हिंसा और जोर-जवर्दस्ती से करने के बजाय प्रेम से, समझाने-बुझाने और शान्त में लोकतान्त्रिक कानून से करने का उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि सारी निजी सम्पत्ति परिग्रह, पाप है, शोषण है, क्योंकि प्रकृति के सारे साधन ईश्वर के हैं, समाज के हैं। इसलिए धरती और प्राकृतिक साधन मनुष्यों के अधिकार में रहने ही नहीं चाहिये। विनोबा ने ग्रामदान के द्वारा सारी भू सम्पत्ति पर से व्यक्ति का अधिकार समाप्त कर दिया और उस पर समाज का अधिकार स्थापित कर दिया। उपयोग का अधिकार समाज की ओर से व्यक्ति पर रहा। इस प्रकार भूमि तथा प्राकृतिक साधनों पर से जिसका अधिकार समाप्त हो जाता है, उसकी मूर्च्छा भूमि सबधी परिग्रह से समाप्त हो जाती है।

गांधीजी ने ट्रस्टीशिप के विचार द्वारा समाजशास्त्र की विशेषता की कि सामान्य जन के स्तर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों के अलावा सारी सम्पत्ति-सारा परिग्रह समाज का है, उसका है ही नहीं। वह उस अतिरिक्त सम्पत्ति का समाज के हित में दूरनी मान है। दूरनी के रूप में ही उसे इसका समाज के हित में उपयोग करना चाहिये। गांधीजी ने कहा— "अपनी बुद्धि, कौशल और परिश्रम से मनुष्य जो कुछ कमावे, पर उस कमाई में उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसमें उसकी कोई मूर्च्छा नहीं होगी, उसका मोह नहीं होगा। अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज

छोड़कर सारी सम्पत्ति समाज की हो जायेगी और समाज के हित में व्यय होगी। इस प्रकार प्रत्येक क्रम में एक ग्राम ट्रस्ट होगा, जिसमें सारी भू-सम्पत्ति निहित होगी और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सारी कमाई ट्रस्ट में जमा होती रहेगी। व्यक्ति और परिवार निजी उपभोग के लायक सीमित परिग्रह ही रखेंगे और बाकी सारा परिग्रह समाज के हित में अर्पित रहेगा। व्यवस्था इस ट्रस्ट की ग्राम सभा तथा उसके द्वारा निर्वाचित ट्रस्ट प्रबन्ध समिति द्वारा होगी और उसके संचालन में सारे परिवारों के मुखिया शामिल होंगे। वे यथेष्ट कमाई करेंगे, पर सारी अतिरिक्त कमाई ट्रस्ट को सौंप देंगे और स्वयं लगभग अपरिग्रही संन्यासी की तरह रहेंगे। परिवार के सारे सदस्य भी न्यूनतम परिग्रह से अपना जीवन-यापन करेंगे। उनकी परिग्रह की मूर्च्छा समाप्त हो जायेगी और वे समाज सेवा के श्रम तथा तप के द्वारा श्रमण तथा तपस्वी बनेंगे। हिंसा और असत्य से वे मुक्त होंगे और उनका जीवन सात्विक संतोष और आनन्द से परिपूर्ण हो जायेगा।”



वस्तु का उपयोग

एक बार पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के यहाँ खुदीराम बोस नाम के एक सज्जन पधारे। विद्यासागर ने उन्हें नारंगियाँ खाने को दीं! खुदीरामजी नारंगियों को छीलकर उसकी फाँके चूस-चूसकर फेंकने लगे। यह देखकर विद्यासागर बोले—“देखो भाई! इन्हें फेंको मत, ये भी किसी के काम आ जायेगी!”

खुदीराम बोले—“इन्हें आप किसे देंगे?”

विद्यासागर ने हँस कर कहा—“इन्हें आप खिड़की के बाहर रख दें और वहाँ से हट जायें तो अभी पता लग जाएगा।”

खिड़की के बाहर उन चूसी हुई फाँकों को रखने पर कुछ कौएँ उन्हें लेने आ गये।

अब विद्यासागर ने कहा—“देखो! भाई, जब तक कोई पदार्थ किसी भी प्राणी के काम में आने योग्य है, तब तक उसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। उसे इस प्रकार रखना चाहिये कि धूल-मिट्टी लगकर वह नष्ट न हो जायें और अन्य प्राणी उसका उपयोग कर सकें।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने दीन-दुःखियों की सेवा करने के लिये अपना सर्वस्व दान कर दिया था। हर प्राणी की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे।

□ श्याम मनोहर व्यास

□ श्री रणजीतसिंह कूमट

बच्चे ने जन्म लिया नहीं कि रोना शुरू कर दिया। क्या चाहिये ? भूख लगी है—दूध चाहिये। माँ ने छाती से लगाया, दूध मिला और चुप। कुछ घड़ी बाद फिर भूख लगी, फिर रोया और फिर दूध मिलने पर चुप। कितनी सीधी सादी माँग है और कितना सरल उपाय है। पर आदमी का बच्चा रोता ही जन्मा है और जीवन पर्यन्त ही रोता है। मरते वक्त भी उसका रोना नहीं छूटता। विरले ही होते हैं जो इस रोने के क्रम से छूट पाते हैं।

बचपन का रोना तो सब समझते हैं। दया भी आती है। परन्तु जन्म भर यह आदमी क्यों रोता है ? जब तक मृत्यु नहीं आती। कभी वस्तु की चाह के लिये रोता है तो कभी चाही वस्तु के वियोग के लिये रोता है। कभी नहीं चाहने वाली वस्तु के मिलन से रोता है। कुछ न कुछ वस्तु उसे चाहिये। इसी चाह की पूर्ति की उघेडबुन में वह जीवन भर रोता रहता है।

अब यह रोना केवल भूख-प्यास या कपड़ा-मकान का हो तो भी कोई बात है। अब तो चाह और कई गुना बढ़ जाती है। विकराल रूप भी लेती जा रही है। कोई अन्त नहीं है। धन चाहे करोड़ों में हो जावे परन्तु अभी चाह पूरी नहीं हुई। नौकर, चाकर, धन-धान्य, हीरा, जवाहरात सब हाजिर है। हुकूमत व सल्तनत भी हाजिर है। वांदियाँ, गुलाम और हूर की परियाँ भी हाजिर है। परन्तु इन सबके बाद भी क्या रोना बन्द हो गया ? अभी तो बहुत बाकी है। वस चाह का अन्त नहीं है।

अब चाह को पूरी करने में जुटा है। भूठ, चोरी, कपट, हिंसा इन सबका उपयोग चाह को पूरी करने के लिए ही करता है। जब धन, जन, जमीन प्राप्त करने ही है तो सब ही उपाय आवश्यक है, औचित्य की कसौटी की कोई आवश्यकता नहीं। हिंसा, चोरी और भूठ की जब सहायता ली जाती है तो किसी अन्य का हक छीना ही जावेगा, हत्या की ही जावेगी और अपने सुख के लिए किसी और का चैन समाप्त किया जावेगा। होड यही होगी कि कौन संग्रह में अधिक कुशल और ताकतवर है और दूसरो से बटोर कर स्वयं के खजाने में भरती कर सकता है। संग्रह की हविस में प्रियजन की हत्या, कपट के विभिन्न उपाय, चोरी, डकैती या अन्य कई जघन्य कृत्यों से इतिहास भरा पड़ा है और

आज भी यही क्रम चल रहा है। संग्रह की प्रवृत्ति एक वार चल पड़ी तो उस प्रवृत्ति के पोषण के लिए सब कर्म होते हैं जो वर्जित है। संग्रह संघर्ष की जड़ है जो न केवल दूसरों का सुख चैन छीनता है स्वयं को भी अशान्त करता है। यही है परिग्रह जिसके त्याग के लिए महावीर ने आवाज उठाई और कहा— 'परिग्रह पाप का मूल है और इसके त्याग से ही धर्म है।'

संग्रह या परिग्रह पर आघात अन्य कई महात्मा व पैगम्बरों ने भी किया है। ईसा मसीह ने कहा 'सुई की नोक से ऊँट का निकलना सम्भव है परन्तु स्वर्ग के द्वार से धनी आदमी का निकलना सम्भव नहीं है।' मोहम्मद साहब ने अपने धन का चालीसवाँ हिस्सा हर वर्ष जकात के रूप में देने का फरमान किया।

संग्रह या परिग्रह का सामाजिक व आर्थिक विश्लेषण जितना मार्क्स व यथार्थ ढंग से मार्क्स ने किया, उतना किसी अन्य दार्शनिक ने नहीं किया। मार्क्स ने सारे इतिहास और विश्व के क्रियाकलापों का आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर एक नया अर्थ दिया और बताया कि हम सब जो भी कार्य करते हैं या नीति की घोषणा करते हैं अपने निहित स्वार्थों के हितों की रक्षा के लिये करते हैं। राज्य जिसे हम अपने जीवन का आवश्यक अंग मानते हैं, वह भी निहित स्वार्थों के हितों के लिये वनी संस्था है। धर्म और इसके उपदेश भी पैसै वालों के व शक्तिशाली वर्गों की रक्षा के लिए वने हैं और गरीबों के लिए अफीम का कार्य करते हैं जिससे गरीब धर्म के नशे में रहे और विद्रोह न करे।

सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को हम प्राकृतिक देन मानकर चलते हैं और समाज में जाति, वर्ग और विषमता को कर्मों का फल बताते हैं। परन्तु मार्क्स इस बात से सहमत नहीं है। प्रारम्भ में कुछ ऐसे सिद्धान्त चले थे कि राज्य करने के लिये भगवान ही किसी को राजा के रूप में जन्म देता है और वही राज्य करने के लिए अधिकृत होता है। इन सिद्धान्तों से यही सिद्ध किया जाता था कि राज्य का राजा भगवान द्वारा निर्धारित है और उसकी आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य है। इस मान्यता के आधार पर राजा का प्राकृतिक साधनों को अपनी इच्छानुसार वाँटने व उपयोग करने का एकाधिकार मिला, कुछ लोग जो राजा के नजदीक थे, वे सभी सुविधाओं का उपयोग करते थे और शेष जनता उनकी सेवा या गुलामी करती थी। राजा के निर्देशन में शोषण होता था और उसका औचित्य दार्शनिक देते थे कि यह भगवान के फरमान के अनुरूप है।

धीरे-धीरे अर्थ व्यवस्था बदली। कृषि का स्थान उद्योग ने लिया और पूँजीपति ने राजा का स्थान लिया। अब जिसके पास उत्पादन के साधन अधिक होंगे वही और अधिक उत्पादन कर सकेगा, मजदूरों को रोजगार दे सकेगा और उन पर आर्थिक व सामाजिक नियन्त्रण कर सकेगा। पूँजीपति मजदूरों का

शोषण करता है और अब अर्थव्यवस्था व राज्य का नियन्त्रण पूँजीपति करते हैं। राज्य का नया रूप बनता है। राजा का स्थान चुनी हुई ससद लेती है और चुने वे ही जाते हैं जिनको पूँजीपति का अनुमोदन है। यह सरकार अब पूँजी-पतियों के इशारे पर चलती है और ऐसे नियम और कानून बनाती है जिससे पूँजीपति का पोषण हो, उसके हितों की सुरक्षा हो और उसे शोषण की पूरी छूट हो। कहने को यह राज्य प्रजातन्त्र है परन्तु यह ऊपरी दिखावा है। वास्तव में नियन्त्रण उसी का है जो पूँजीपति या सरमायेदार है। जब तक उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण कुछ हाथों में है वे शेष जनता का शोषण करते ही रहेंगे। यही वर्ग-सघर्ष की जड़ है। इससे समाज में सघर्ष और विद्रोह पनपता है।

जब राज्य अपने हाथ में है, कानून अपना पक्ष करता है और थोड़ी-सी मेहनत करने से संग्रह की चक्की आसानी से चल जाती है तो कौन मूर्ख होगा जो इस संग्रह की दौड़ में भाग नहीं लेगा ? जन्म से ही देखेगा कि यह जीवन संग्रह की दौड़ है और जो जितना इस व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर फायदा उठाता है, वह उतना ही धनी और इज्जत वाला बनता है। जिसको जरा भी मौका मिलता है वह मध्य वर्ग से उच्च मध्य वर्ग की ओर दौड़ लगाता है और उच्च मध्यवर्ग से उच्चतम वर्ग की ओर दौड़ लगाता है। जिसके पास कोई साधन नहीं है, वह मजदूरी करना ही अपना भाग्य समझता है। यही उसका धर्म है। जीवन भर जूझता रहता है दो जून की रोटी के लिये। समझ में उसके आता नहीं कि किस प्रकार वह अपना स्तर सुधारे। दार्शनिक और धर्म के नेता जब उसे यह उपदेश देते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है, वह पूर्व संचित कर्मों का फल है तो अपनी गरीबी को पूर्व जन्म का फल मानकर संतोष कर लेता है। उसके मन में यदि कभी धनी व्यक्ति पर रोष भी आया तो धर्म की वाणी सुन कर शान्त हो गया। धर्म उसका यही रहा कि ईमानदारी से काम करे और जीवनभर मेहनत करे अपने वर्तमान जीवन को पूर्व कुकर्मों का फल समझ कर। यदि अच्छा धनी, चक्रवर्ती जैसा जीवन प्राप्त करना है तो इस जन्म में अच्छे कर्म करे जिससे अगला जन्म सुधरे। यदि यह धर्म की अफीम मिल गई कि अगला जन्म सुधारना है और उसके लिए इस जीवन में ईमानदारी व संतोष से रहना है तो फिर धनी वर्ग चैन से रह सकता है क्योंकि निर्धन वर्ग तो अपने वर्तमान को अपना भाग्य मानकर संतोष कर रहा है। संतोष उसका सबसे बड़ा धन है और वह धन धनी लोगों के करोड़ों रूपयों से भी बड़ा है। दोनों वर्ग भाग्यशाली रहे—धनी वर्ग चैन से सो रहा है कि कोई विद्रोह करने वाला नहीं और उनकी आत्मा को भी संक्लेश नहीं क्योंकि जो धन उनके पास है वह पूर्व कर्मों के फल से है और उसकी मान्यता है कि यदि गरीब दुखी है तो उसके पूर्व जन्म के कुकर्मों से। दूसरी ओर गरीब वर्ग सुखी है कि उन्होंने अगले जन्म की बुकिंग कराली है और ईमानदारी से व संतोष से रह रहे हैं और संतोष ही धनी धन सर्वश्रेष्ठ धन है।

धर्म की इस अफीम के बावजूद भी यदि कुछ सिरफिरे ऐसे मिले कि जो इस शोषण की प्रक्रिया को जान गये और वर्ग को भड़का कर आवाज उठाने की कोशिश करें तो राज्य के कानून और व्यवस्था ऐसी है जो उनको हमेशा दबाती रहेगी। कभी विद्रोह की आग को भड़काने ही नहीं देगी। इसके बावजूद भी कभी आग भड़की तो घनी वर्ग के पाले गुण्डे और लठैत उनको दबा देंगे और कानून उन गुंडों को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि साजिश हो गई है। मुट्ठी गरम हो गई है। रिश्वत ने वह सब काम कर दिया जो अब तक कानून नहीं कर पा रहा था। कानून का अर्थ निकालने और कानून को लागू करने वाले को रिश्वत के माध्यम से अपनी तरफ कर लिया और अब जो गरीब वर्ग को दबाने की प्रक्रिया में समाज सुधारक कानून भी बाधक बने थे, उनको निष्प्रभावित कर दिया।

मार्क्स का मानना है कि यह सब व्यवस्था, कानून, धर्म और अनेकानेक संस्थाएँ जैसे अखबार, वकील, न्याय, सब घनी व प्रभावशाली वर्ग का समर्थन करने के लिए हैं। अतः इसका एकमात्र उपाय है कि संग्रह पर रोक लगाओ और कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक रखे ही नहीं। सब अपनी क्षमता के अनुसार समाज को दे और आवश्यकतानुसार लें। यह समाजवाद का आदर्शवादी सिद्धान्त मार्क्स ने दृष्टा के रूप में देखा, प्रतिपादित किया और कल्पना की कि एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें न शोषक होगा न शोषित और तब किसी राज्य या सरकार की भी आवश्यकता न होगी। सब आदर्शवादी ढंग से रहेंगे और जब संग्रह किसी एक व्यक्ति या वर्ग के पास होगा ही नहीं तो संघर्ष भी नहीं होगा। यह आदर्श समाज के स्वरूप की चरम सीमा होगी।

कल्पना आदर्शवादी थी और वास्तव में एक ऐसा आदर्श जहाँ सब भौतिक व मानसिक रूप से सुखी रह सकते हैं। परन्तु ऐसे समाज की स्थापना का जो मार्ग सोचा या बताया, वह कभी भी उस आदर्श तक नहीं पहुँचा सकता। इस ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा था कि पूँजीवादियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष होगा और एक दिन सगठित श्रमिक जीतेंगे व समाज के सारे उत्पादन के साधन समाज के अधीन कर लेंगे। जिस समाज का जन्म संघर्ष के मार्ग से होगा वहाँ से संघर्ष समाप्त कैसे हो सकता है? संघर्ष पुनः संघर्ष को ही जन्म देगा चाहे उसका रूप पलट जावे। यही हुआ। सोवियत संघ व चीन ने संघर्ष से समाजवाद स्थापित किया, जबरदस्ती थोपा और लाखों व्यक्ति मौत के घाट उतारे गये। आज भी सत्ता दल व अन्य वर्गों के मध्य संघर्ष है और नित प्रति भगड़े इसी बात के होते हैं कि कौन सत्ता को हथियाये? मूल में प्रवृत्ति सत्ता व संग्रह की है और केवल जन साधारण पर समाजवाद थोपा हुआ है। वे भी जब मीका लगता है अपनी संग्रह प्रवृत्ति को जाहिर करते हैं।

महावीर, गांधी और मार्क्स के आदर्श में कोई अन्तर नहीं है। तीनों का आदर्श है कि समाज को हम क्षमता के अनुसार दे और अपनी आवश्यकता के अनुसार ले। संग्रह न करे बल्कि अपनी योग्यता या धन का लाभ दूसरो को दे। परन्तु मार्क्स आदर्श स्थापित करने के बाद आदर्श को प्राप्त करने के तरीके पर ध्यान नहीं देता जबकि महावीर और गांधी तरीके पर ही नहीं समाज के प्रमुख अंग 'मानव' और उसके मनोविज्ञान पर ध्यान देते हैं। जब तक मानव स्वयं नहीं बदलेगा, ऊपर से थोपा हुआ तन्त्र अस्थायी रहेगा। मानव की प्रवृत्ति को बदले बिना स्थायी समाज का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता।

भगवान महावीर ने अपरिग्रह को इसीलिए अत्यधिक महत्त्व दिया और अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर परिग्रह पर सीमा लगाने का उपदेश दिया। साधु के लिये तो पूर्ण अपरिग्रह का उपदेश दिया परन्तु गृहस्थ के लिये भी सीमित अपरिग्रह का। महावीर ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि सीमा कितनी हो पर इस बात पर जोर दिया कि सीमा अवश्य बाधे। सीमा के उपरान्त जो भी आवे, वह समाज को अर्पण करे।

यह कितना मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। यदि भगवान महावीर अमुक सीमा बाधते तो आने वाले शिष्य या अनुयायी उस सीमा के औचित्य पर विवाद करते। परन्तु सीमा जब स्वयं अपनी इच्छा से गृहस्थ बाध रहा है तो विवाद कैसा ? जोर इस बात पर नहीं है कि सीमा कितनी हो, जोर इस बात पर है कि सीमा अवश्य हो। आवश्यकता है मनोवृत्ति में परिवर्तन की। व्यक्ति की इच्छा अनन्त है और इच्छा पूर्ण करने की सीमा नहीं। परन्तु महावीर ने कहा— इस इच्छा पर ही सीमा लगाओ और चाहे वह सीमा काफी दूर है इसकी परवाह न करो, परन्तु सीमा अवश्य लगाओ। एक बार सीमा लगी कि प्रवृत्ति में मोड़ आयेगा, मनोवृत्ति संग्रह की बदलेगी और इसका उपयोग समाज के लिए होने लगेगा।

गांधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त भी इसी पर आर्धारित है। जितनी आवश्यकता है उतना रखो व शेष को समाज का ट्रस्टी बनकर समाज के लिए उपयोग में लाओ। ट्रस्टी होने के नाते सारे धन को अमानत मान कर रखो। यह भी मनोवैज्ञानिक रूप से धन के प्रति मूर्च्छा छोड़ने में सहायक है। मूर्च्छा ही तो परिग्रह है। जब धन को अमानत माना तो धन से मूर्च्छा हटेगी। जब तक धन अपना माना तब तक मूर्च्छा रहेगी। महावीर ने मूर्च्छा को ही परिग्रह की सज्ञा दी। परिग्रह छोड़ने के लिये द्रव्य में सीमा करने का निर्देश दिया। जब सीमा का पालन करेगा, सीमा से अतिरिक्त धन का दान करेगा तो जो सीमा के भीतर धन है उस पर से भी मोह हटेगा। सीमा के भीतर का रुपया या बाहर दोनों पर छाप एक सी है अतः मोह तो दोनों से है परन्तु जब सीमा से बाहर का

रुपया दान दिया तो मोह का खंडन हुआ। एक वार मोह टूटा कि जैसे किला टूटता है वैसे मोह का विसर्जन होने लगता है। जब तक देने की वजाय लेने में प्रवृत्ति है तब तक घोर परिग्रह में व्यक्ति घूमता है। परन्तु एक वार लेने के साथ देने लगता है तो उसका मोह खंडित होने लगता है और अन्त में लेना छूटता है और देने में प्रवृत्ति बनती है।

अपरिग्रह एक व्यक्ति या एक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा करने से समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। यह सामूहिक आवश्यकता है। सब की प्रवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है। यह प्रवृत्ति पहले राजा से चले और जन-जन तक पहुँचे तो सही समाजवादी समाज का निर्माण हो सकता है। राज्य में उच्चस्थ व्यक्ति चाहे वंश मन्त्री हो या अधिकारी, सब इस नियम का पालन करे तो समाज की सग्रहवादी प्रवृत्ति बदल कर अपरिग्रहवादी हो सकती है। लेकिन उच्चस्थ व्यक्ति तो धन का संग्रह करें और जन-जन को अपरिग्रह का उपदेश दे तो समाज का अपरिग्रह के सिद्धान्त पर निर्माण असम्भव है।

आज की आवश्यकता है समाज के नव-निर्माण की। अपरिग्रह के आधार पर समाज का निर्माण हो। आज जो होड़ लगी है संग्रह और व्यक्तिगत मौज-मस्ती की, उसे समाप्त कर धन संग्रह की प्रवृत्ति सीमित करने और आवश्यकताओं को सीमित करने पर बल देना होगा। तभी यह समाज सुखी समाज बन सकेगा, अन्यथा पश्चिमी देशों के सब दुःख व बीमारियाँ हम अपने यहाँ आयात कर लेगे और तब भारतीय संस्कृति का तो नाश हो ही चुका होगा, हम सब अपने विनाश की भी तैयारी कर चुके होंगे। भारतीय संस्कृति की रक्षा में ही हम सब की रक्षा निहित है। इस सच का एकमात्र आधार है अपरिग्रह। हम सब धन का संग्रह का रोना बन्द करे और जो है उसका, सदुपयोग कर, अपने साथी और समाज के अन्य व्यक्तियों पर ध्यान दे और सब समानता व सरसता का जीवन जीवें तो सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं।



कोई दिन-दुःखिया जब किसी के द्वार पर भीख माँगने आता है, तब प्रायः उसे डांट कर कहा जाता है—“चल हट यहाँ से, यहाँ क्या तेरे बाप की धरोहर बरी है?” ऐसा कहने वाले लोगों से पवन भी कदाचित् यही कह दे तो कैसी बीते ?

□ डॉ. सी. एस. बरला

भारतीय योजना आयोग का ऐसा अनुमान है कि १९८४ में समूचे देश में २७.३ करोड़ व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे थे। देश की जनसंख्या में इनका अनुपात ३७ प्रतिशत से अधिक था। यदि यह मान लिया जाए कि देश की जनसंख्या के अनुपात में ही निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि होगी तो अगले १५ वर्षों में इनकी संख्या लगभग ३८ करोड़ तक पहुँच जाएगी।

वस्तुतः सरकार द्वारा जिस आधार पर निर्धनता की परिभाषा की गई है वह दोषपूर्ण है। भारत में सरकारी तौर पर निर्धन व्यक्ति उसे माना जाता है जिसे अपनी दैनिक खुराक में २,१०० कैलोरी से कम प्राप्त होता हो। परन्तु कपड़ा, आवास, मूलभूत शिक्षा आदि की आवश्यकताओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि इन्हें भी शामिल किया जाए तो निश्चित तौर पर देश की ५५ प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता की रेखा से नीचे मानी जा सकती है। प्रश्न है, निर्धनता की समस्या अथवा आर्थिक विपन्नता की उत्पत्ति क्यों होती है? वस्तुतः इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में अनेक शताब्दियों से शोषण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसने सम्पत्ति तथा आय-सृजन के स्रोतों का स्वामित्व कुछ हाथों में केन्द्रित कर दिया। इसके फलस्वरूप निर्धन तथा सम्पन्न लोगों की आय का अन्तराल बढ़ता गया तथा बचत-निवेश के केन्द्रीकरण के कारण उत्पादन का लाभ भी कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता रहा। इसी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि एक ओर समाज के कुछ व्यक्तियों को आय का अधिकांश भाग प्राप्त होता रहा, जबकि दूसरी ओर बहुसंख्यक, साधनहीन लोग अनवरत रूप से विपन्नता के गर्त में जाते रहे।

कार्ल मार्क्स ने लगभग १४० वर्ष पूर्व इस समस्या पर गम्भीर चिन्तन किया। उन्होंने पूँजीपतियों की शोषण की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि इस शोषण के फलस्वरूप उत्तरोत्तर निर्धन, विपन्न सर्वहारा वर्ग का विस्तार होता रहेगा और अन्ततः ये ही लोग सगठित होकर पूँजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करके साम्यवाद की स्थापना करेंगे।

हम लोग मार्क्स के विचारों से भले ही सहमत न हों और भले ही अपने

सस्कारों के कारण हिंसक क्रांति का अनुमोदन न करते हो, फिर भी यह तो हमें स्वीकार करना ही होगा कि पूँजीवादी व्यवस्था में धन, पूँजी या सम्पत्ति का संग्रह अपरिहार्य है। यह भी हमें विदित है कि संग्रह का मूल "मूर्च्छा" या परिग्रह है। एक व्यक्ति जब संग्रह करता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके चेतन अथवा अचेतन मस्तिष्क में यह भावना निहित रहती है कि वह अपने लिए, अपने परिजनो के लिए अथवा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद भविष्य बनाना चाहता है और बस यही से शोषण तथा उससे उत्पन्न वर्ग संघर्ष का सूत्रपात हो जाता है।

परिग्रह अथवा "मूर्च्छा" का मूल है मोह अथवा ममत्व। जैन दर्शन की सूक्ष्म मीमांसा करने पर ज्ञात होता है कि परिग्रह का स्थूल रूप भौतिक साधनों के प्रति आसक्ति हो सकता है, परन्तु यदि व्यक्ति को अपने रूप, ज्ञान, शौर्य अथवा आचरण के प्रति राग उत्पन्न हो जाए तो यह भी परिग्रह ही माना जाएगा।

यूनान में नार्सीसस नामक एक युवक रहता था। एक दिन उसने पानी में अपनी परछाई देखली तथा स्वयं की सुन्दरता पर मुग्ध हो गया। स्वयं पर मुग्ध होने की इसी प्रवृत्ति को नार्सीसिज्म कहा जाने लगा। कहने का अभिप्राय यह है कि मूर्च्छा केवल धन या सम्पत्ति से ही यही परिग्रह नहीं है। राग का परित्याग देवत्व का परिचायक है, चाहे वह भौतिक साधनों के प्रति राग हो अथवा अभौतिक साधनों के प्रति।

परिग्रह का आर्थिक पक्ष

परिग्रह का आर्थिक पक्ष भौतिक साधनों यथा धन या लक्ष्मी के प्रति आसक्ति का बोध कराता है, परन्तु महावीर का अपरिग्रह धन या सम्पत्ति को पूर्णरूपेण निरर्थक नहीं मानता। महावीर कहते हैं, धन या सम्पत्ति एक सीमा तक ही आवश्यक है। अन्य शब्दों में, धन का संग्रह मर्यादित रूप में करना चाहिए।

कल्पना कीजिए हम अमर्यादित रूप में धन का संग्रह करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे लोभ की उत्पत्ति होगी। यदि हम अक्षम हैं तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे और इससे क्रोध रूपी कषाय की उत्पत्ति होगी। यदि हम सक्षम हैं तो हम दूसरो का शोषण करके धन का संग्रह करेंगे और यही से वर्ग-संघर्ष का प्रारम्भ हो जाएगा। अस्तु, परिग्रह से शोषण प्रारम्भ होता है और इससे समाज में संघर्ष तथा अस्थिरता का वातावरण सृजित होता है। सम्पन्न वर्ग में संग्रह की प्रवृत्ति जितनी बलवती होगी, उतनी ही विपमताएँ

बढ़ेगी, तथा समाज के कमजोर वर्ग में उतना ही अधिक असतोष व आक्रोश बढ़ेगा ।

महात्मा गांधी ने जीवन के चार स्वरूप बतलाए हैं । प्रथम स्वरूप एक शेर के जीवन का है । शेर कोई सग्रह नहीं करता, और अन्य प्राणियों का शिकार करके जीवन यापन करता है । दूसरा स्वरूप मधुमक्खी का है । वह मधु का संचय करती है । उसे अपने छत्ते एव उसमें निहित मधु से बड़ा मोह रहता है । परन्तु अन्ततः इन्सान अग्नि प्रज्वलित करके मधुमक्खियों को भगा देता है और स्वयं मधु प्राप्त कर लेता है । जीवन का तीसरा स्वरूप एक गाय का है । गाय यदि स्वयं तृप्त है तो अपने बछड़े को दूध पिलाती है । यदि उसे चारा व दाना-पानी नहीं मिलता तो उसे अपने बछड़े से भी कोई प्रयोजन नहीं है । इन सबसे भिन्न स्वरूप एक मा का होता है जिसे अपने आपसे मोह नहीं है, और जो स्वयं भूखी रहकर भी अपनी सन्तान को भोजन देती है । महात्मा गांधी प्रश्न करते हैं—आप जीवन का कौनसा स्वरूप प्राप्त करना चाहेंगे ? निश्चय ही एक विवेकशील व्यक्ति न तो शेर की भाँति किसी अन्य प्राणी को मारकर अपना पेट भरना चाहेगा, और ना ही मधुमक्खी की भाँति बूँद-बूँद मधु किसी अन्य व्यक्ति के लिए संचय करना चाहेगा । एक विवेकशील व्यक्ति के जीवन का स्वरूप “स्व” से हटकर “पर” के लिए होता है । यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति धनोपार्जन करते समय संचय की इच्छा न करे अथवा “स्व” का परित्याग कर दे तो शोषण को समाप्त करके हम अपनी अधिकांश समस्याओं का सहज ही समाधान कर सकते हैं ।

ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त

भगवान् महावीर के युग में भी आनन्द तथा महाशतक जैसे बड़े-बड़े श्रेष्ठ थे । प्रभु की वाणी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना व्यापार नहीं छोड़ा और न ही सम्पूर्ण सम्पत्ति का परित्याग किया । हा, उन्होंने परिग्रह की मर्यादा अवश्य निर्धारित कर दी । महात्मा गांधी भी कहते हैं कि यदि आपके पास सम्पत्ति है तो आप स्वयं को इसका ट्रस्टी मानिए—स्वामी नहीं । यदि आप स्वयं को ट्रस्टी मानते हैं तो करोड़ों की सम्पत्ति होने पर भी अपरिग्रही हैं । इसके विपरीत यदि किसी भिखारी को अपने भिक्षा पात्र से भी मोह है तो वह परिग्रही होगा ।

राजा भर्तृहरि ने अपना राजपाट-वैभव सभी त्याग दिया । सन्यासी होकर वे वन में चले जा रहे थे कि मार्ग में कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी । भुक्कर उसे उठाया तो पाया कि वह तो काच का टुकड़ा था, सूर्य की रोशनी में चमक रहा था । समूचे वैभव को छोड़ने पर भी उनकी धन के प्रति आसक्ति शायद कुछ शेष रह गई थी ।

बहुत से बन्धु अपनी सम्पत्ति का एक अंश दान कर देते हैं। परन्तु साथ ही यह अपेक्षा भी करते हैं कि दानवीरों को सूची में सबसे ऊपर उनका नाम हो। दान का महत्त्व है, परन्तु यश की कामना को परिग्रह ही माना जाएगा। सच्चा अपरिग्रही यश या कीर्ति की अपेक्षा से दान नहीं करेगा। क्योंकि यश या कीर्ति सापेक्ष है, तथा हमसे बड़ा कोई दानी होने पर हमारा स्थान गौण हो जाएगा। फिर “स्व” की कीर्ति का मोह क्यों? वस्तुतः कभी-कभी हम इस तथ्य को विस्मृत कर देते हैं कि जिस सम्पदा का हमने संचय किया है, नैतिक ही नहीं अपितु कानूनी दृष्टि से भी उसके एक अंश के ही हम स्वामी हो सकते हैं। यश या कीर्ति के मोह में पडकर जब हम सार्वजनिक रूप से इसका एक भाग दान करने की घोषणा करते हैं तो यह परिग्रह तो है ही, उन राजकीय अधिकारियों के लिए एक खुला आमंत्रण भी है जो कर-बचकों की तलाश कर रहे हैं।

ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान शताब्दी में हुए दोनो महायुद्धो (१९१४-१९१९ तथा १९३९-१९४५) का मूल कारण यह था कि विश्व की बड़ी औद्योगिक शक्तियाँ अन्य देशो पर अपना आर्थिक वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। अपनी-अपनी वस्तुओं के बाजार का विस्तार करने की चाह में ये शक्तियाँ उलझ पडी, तथा समूचा विश्व युद्ध की ज्वाला में जल उठा। वैसे प्राचीन काल में भी अनेक युद्धो की पृष्ठभूमि में आर्थिक कारण ही निहित हुआ करते थे। यदि वे सभी शासक अथवा राज्याध्यक्ष धन-सम्पदा की चाह पर अंकुश रखते तो इन युद्धों की विभीषिका से मानव जाति को बचाया जा सकता था।

औद्योगिक विस्तारवाद के प्रभाव

कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूँजीवाद के अन्तर्गत एक छोटा उद्योगपति (कैप्टेन) उत्तरोत्तर बड़ा और अन्ततः सबसे बड़ा उद्योगपति (फोल्ड मार्शल) बनना चाहता है। आज विश्व के प्रत्येक देश में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। जानते हैं आर्थिक सत्ता के इस अनियंत्रित विस्तार की परिणति किस रूप में होती है? कहा जाता है कि न्यूयार्क महानगर का वायुमंडल इतना प्रदूषित हो रहा है कि जहरीली गैस की एक परत हमेशा हवा में तैरती रहती है। जापान में १९४६ के बाद औद्योगिक विकास तेजी से हुआ, उसके कारण संकड़ो-हजारो टन मर्करी समुद्र में नियमित रूप से प्रवाहित किया जाता रहा। इस मर्करी ने सामुद्रिक मछलियों को जहरीला बना दिया तथा जिन व्यक्तियों ने नियमित रूप से समुद्र के किनारे पाई जाने वाली इन मछलियों का उपभोग किया वे असाध्य बीमारियों के शिकार हो गये।

हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि राजस्थान के पाली व कोटा आदि

औद्योगिक नगरों में भी पानी में प्रदूषण की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। हम लोग भोपाल गैस दुखान्तिका के विषय में सोचकर ही सिहर उठते हैं। यह सब औद्योगिक विस्तारवाद की ही देन है तथा मानव की निर्बाध रूप से अपनी आर्थिक सत्ता को विस्तृत करने की लालसा का परिणाम मात्र है। यदि उद्योग-पति अथवा श्रेष्ठवर्ग के लोग परिग्रह को मर्यादित करले तो विश्व को प्रदूषण के घातक प्रभावों से बचाया जा सकता है।

हमें आज विचार करना होगा कि अपनी धनलिप्सा पर अंकुश लगाकर हम समाज के दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करने, तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों का शोषण करने से स्वयं को रोके। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का दायित्व काफी सीमा तक हमारा स्वयं का है, न कि विपन्न व साधनहीन व्यक्तियों के कर्म मात्र का। यही विषमता समाज को विघटित कर रही है। स्वधर्मी भाइयों की सहायता का प्रयास स्तुत्य है परन्तु हमें उनकी समस्याओं के मूल को पहचान कर ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के अनुरूप अपना आचरण बनाना होगा। हम अपनी सम्पत्ति का एक भाग किसी स्वधर्मी बन्धु की सहायतार्थ देकर स्वयं-भू दानवीर और बड़े हो जाएँ तथा वह व्यक्ति हेय हो जाए, यह भी हमारे परिग्रह का ही एक रूप माना जाएगा।

अब वह समय आ गया है जब हम भगवान् महावीर के अपरिग्रह के पावन सन्देश को समझे तथा उस पर आचरण करते हुए समाज में सौहार्द, स्नेह तथा स्थिरता लाते हुए दीर्घकालीन प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने का सकल्प करें। यदि हम ऐसा करने में समय रहते असफल रहे तो या तो आर्थिक समानता लाने हेतु हमें सर्वहारा वर्ग के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा, अथवा सरकार की नीतियाँ हमारी संचय-वृत्ति पर अंकुश लगाएंगी। फिर हम प्रभु महावीर के बताए हुए मार्ग पर स्वेच्छा से ही क्यों न चले ?

दान-दीपक

‘दाहू’ दीया है भला, दिया करो सब कोय ।
घर में घरा न पाइये, जो कर दिया न होय ॥
—सत दाहू

तबही लगी जीवो भली, दीवो परै न घीम ।
बिन दीवो जीवो जगत, हमै न रुचै ‘रहीम’ ॥
—रहीम

अस्तेय और अपरिग्रह प्रायः साथ-साथ लिये जाते हैं। अपरिग्रह का अर्थ आज तक लोगों ने यह किया है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीज नहीं रखते। लेकिन अपरिग्रह की वृत्ति का अर्थ यह है कि अपनी जरूरत की चीज भी जो मैं रखता हूँ, वह अपने स्वामित्व के लिये नहीं रखता। अपनी जरूरत की चीज तो रखता हूँ, लेकिन जरूरत की चीज पर मेरा स्वामित्व नहीं। जैसे शरीर पर भी हमने अपना स्वामित्व नहीं माना। जो लोग परमार्थी होते हैं या सेवक होते हैं, उन्होंने यह माना है कि यह शरीर धर्म का साधन है। भक्त कहते हैं कि यह भगवान् का आयतन है। भगवान् के रहने का मंदिर है। लेकिन सेवक लोग कहते हैं कि यह तो समाज की थाती है। यह शरीर समाज की धरोहर है और यह मेरे पास है, इसलिये इसके विषय में मेरे मन में ममता नहीं होनी चाहिये। यदि शरीर के लिये भी ममता नहीं है, तो फिर शरीर यात्रा के लिये जो चीज आवश्यक है, उनके सम्बन्ध में स्वामित्व की कोई भावना कैसे हो सकती है? यह अपरिग्रह, असंग्रह का अतिम विचार है। अस्तेय में से असंग्रह आता है। अस्तेय के लिये इतना काफी है कि मैं दूसरे की प्रिय वस्तु का हरण नहीं करता, लेकिन अपरिग्रह इससे एक कदम आगे जाता है।

अपरिग्रह कहाँ तक जाता है, यह समझने के लिये हम गाँधी की ट्रस्टीशिप की बात भी समझ ले। उसके बारे में लोग चाहे जैसा लिखते हैं और चाहे जैसा कहते हैं। वे यह मानते हैं कि ट्रस्टीशिप का मतलब यह है कि तुम्हारे पास जो धन है, वह धन समाज के लिये है, यह समझकर वह धन बढ़ाते ही चले जाओ। समाज के लिये है, तो समाज के लिये बढ़ा रहा हूँ।

लोगों ने ट्रस्टीशिप का मतलब यह कर लिया है कि व्याज भी लेते जाओ और उस धन को बढ़ाते भी चले जाओ। उसके विषय में आसक्ति भी रखो। अन्त में केवल इतना करो कि इसका भोग भगवान् को लगा दिया करो। जैसे हम सवा सेर मिठाई लेकर मन्दिर में जाते हैं, एक पेड़े का भोग लगा देते हैं, बाकी के पेड़े तो हमारे हैं ही। यह भगवान् का प्रसाद हो गया।

सोचने की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने व्रत के रूप में सत्य-अहिंसा-अस्तेय का प्रतिपादन किया, उसने भला ट्रस्टीशिप का अर्थ ऐसा किया होगा?

ट्रस्टीशिप का अर्थ यह है कि परम्परा से और परिस्थिति से जो धन मुझे प्राप्त हो गया है, उसे दूसरो का समझकर जल्दी से जल्दी उससे मुक्त हो जा, नहीं तो ट्रस्टीशिप का कोई अर्थ ही नहीं है। किशोरलाल भाई ने सार्वजनिक मस्थाओं के बारे में लिखा था कि सार्वजनिक निधियों को भी हम ब्याज ले लेकर बढ़ाते हैं और उसका सरक्षण करना अपना कर्तव्य समझते हैं। यदि व्यक्तिगत परिग्रह, व्यक्तिगत सग्रह निषिद्ध है, तो सार्वजनिक सग्रह भी कम निषिद्ध नहीं है।

ट्रस्टीशिप के दो पहलू हैं। एक है—सक्रमण काल का पहलू। सक्रमण काल के लिये यह व्यवस्था है। पू जीवादी समाज व्यवस्था से हमें श्रमनिष्ठ समाज-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना है, इसके लिये सग्रह के विसर्जन की आवश्यकता है। सग्रह का यह विसर्जन व्रतनिष्ठा से होना चाहिये, याने व्यक्ति का शुद्धिकरण होना चाहिये। क्रांति की प्रक्रिया में व्यक्ति के शुद्धिकरण की, व्यक्ति की चित्तशुद्धि की योजना "हृदय-परिवर्तन" कहलाती है। क्रांति की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसमें व्यक्ति को चित्तशुद्धि की योजना हो इसलिये जिन्हें आज आनुवंशिक अधिकार से विरासत में संपत्ति मिल गयी है या कानून से मिल गयी है या जिन लोगो ने पहले खरीद ली है या कमा ली है, उन लोगो से गांधीजी कहते हैं कि इस संपत्ति को अपनी मत समझो। समाज की धरोहर या थातो समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे तुम बढ़ाते चले जाओ। वस्तुतः उसका मतलब यह है कि तुम्हें यह चिन्ता होनी चाहिये कि कब मैं यह सम्पत्ति समाज को लौटा देता हूँ और कब मेरा चित्त शान्त होता है। धनिको के लिये, मालिको के लिये, सम्पत्तिमानो के लिये गांधीजी के ट्रस्टीशिप का सही अर्थ है कि उन्हें सग्रह का विसर्जन करना है। यदि यह अर्थ उन्होंने नहीं लिया और यह माना है कि गांधीजी का यह मतलब था कि तुम मे सग्रह की कुशलता है, इसलिये सग्रह ही बढ़ाते जाओ और यह मान लो कि अपने समाज के लिये वह सग्रह कर रहा है, इसमें से तुम हलवा-पूड़ी के रूप में प्रसाद लेते जाओ और दूसरो को बाजरे की रोटी के रूप में कभी-कभी देते जाओ, तो उसका ऐसा मतलब उनके मन में कभी हो ही नहीं सकता।

ट्रस्टीशिप का दूसरा पहलू यह है—केवल धनिक ही ट्रस्टी नहीं है, श्रमिक भी ट्रस्टी है। बहुत सम्पत्ति, धन या सग्रहवाला ही नहीं, अल्प सग्रहवाला भी ट्रस्टी है। उसे भी अपने आपको ट्रस्टी ही मानना चाहिये। जहाँ वह काम करता है, वह काम समाज का काम है। उस काम के उपकरण भी समाज के हैं, उसके अपने नहीं हैं। उनका वह ट्रस्टी है। हम पहले यह माँग करते हैं कि उत्पादन के साधन उत्पादक के कब्जे में होने चाहिये। बाद में हम यह माँग करते हैं कि उत्पादक भी उनका ट्रस्टी होगा। वे साधन उसके अपने नहीं होंगे। वह उन उपकरणों का और उत्पादन का अपने-आपको मालिक नहीं मानेगा।

जितना उत्पादन वह करेगा, उतने उत्पादन का भी वह अपने आपको मालिक नहीं मानेगा ।

सग्रह परायण मनुष्य ने कहा कि “तुम ईमानदारी से यदि धन कमाते हो, तो उस धन पर तुम्हें अधिकार है ।” उसकी ईमानदारी का मतलब यही है कि होड़ में तुम जीत जाते हो, तो उस धन पर तुम्हारा अधिकार है ।

दूसरे ने कहा—“यह चढा-उतरी और होड़ की पद्धति से जो धन कमाया जाता है, यह चोरी ही है । जितनी सम्पत्ति है, वह सब चोरी ही है । “स्तेन एव सः” ‘भगवद्गीता’ में कहा गया । सारी संपत्ति, सारा संग्रह यदि चोरी है, तो उसके निराकरण के लिये सग्रहवान् से कहा कि तुम अपने को अपने सग्रह का थातीदार मानो, निधिपालक मानो, न्यासघर मानो । तुम समाज की ओर से उसे रखो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी जल्दी खर्च कर सको, उतनी जल्दी उसे खर्च कर डालो और समाज की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ । जिनके पास अल्प सग्रह है, उनके लिये गाँधीजी कहते हैं, “तुम जो कमाते हो, अपनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन अपनी मेहनत की कमायी हुई रोटी पर भी तुम्हारा अधिकार न हो । भूख का अधिकार है, रोटी भूख के लिये है । तुम्हारे पेट में भूख है, इसीलिये भूख का अधिकार रोटी पर अवश्य है । परन्तु तुम्हारे पड़ौस में कोई भूखा है तो उसे बाँट दो । तुम्हारे पास आधी रोटी हो, तो उस आधी को भी बाँट दो । गरीब आदमी या अल्प संग्रहवान् व्यक्ति का भी अपनी मेहनत की उपज पर और अपनी मेहनत के उपकरणों पर स्वामित्व नहीं माना जाता । इसी का नाम है ‘ट्रस्टीशिप’ यह शाश्वत ‘ट्रस्टीशिप’ है ।



पवित्रता की कसौटी

अगर अनुचित लोभ-लालच में फँसे नहीं हो, दिन-रात हाय-पैसा, हाय-पैसा नहीं करते रहते हो, बल्कि न्याय-नीति के साथ निर्वाह के योग्य धन उपार्जन करके सन्तोष मान लेते हो और परमात्मा के भजन के लिए समय बचा लेते हो, बड़े-बड़े प्रलोभन के सामने होने पर भी मर्यादा से नहीं गिरते हो और धर्म के पथ पर अग्रसर होते चले जा रहे हो तो निःसन्देह तुम्हारा मन पवित्र है ।

□ जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म० सा०

□ श्री नारायण देसाई

गांधीजी ने सत्याग्रह आश्रम की नियमावलि में सत्य, अहिंसा आदि एकादश व्रतों को स्थान देकर जो तब तक व्यक्तिगत गुण माने जाते थे, उन्हें सामाजिक मूल्य का रूप दिया। अपरिग्रह भी उन एकादश व्रतों में एक प्रमुख व्रत था।

यों तो अपरिग्रह का पाठ तो मानवता को हजारों वर्षों से मिलता आ रहा है, किन्तु आज वह व्रत जितना प्रासंगिक है, उतना शायद पहले कभी नहीं था।

चीज-वस्तुओं का अभाव अपरिग्रह नहीं है। विपुल सामग्री होते हुए भी उनसे स्वेच्छापूर्वक अलग रहने को अपरिग्रह कहते हैं। आज जब विश्व में विपुल सामग्री उपलब्ध है तभी अपरिग्रह का व्रत अधिक प्रस्तुत एवं प्रासंगिक बनता है। आज जितनी विपुलता है उतनी ही विषमता भी है। जगत में आर्थिक विषमता आज जितनी है, शायद पहले कभी नहीं थी। विषमता को दूर करने के लिए, सम्पन्न लोगों के लिए अपरिग्रह स्वीकार करना एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन जाता है।

अति श्री में तथा उपभोगवाद के संयोग से विश्व के अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन-ब-दिन गहरी बनती जा रही है। विश्व-शांति एवं मनुष्यता के अस्तित्व के लिए ही यह खाई खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अतः आज अपरिग्रह केवल संयम और तपस्या का नहीं बल्कि मानवता की आत्मरक्षा का प्रश्न बन गया है।

मनुष्य ने आज जिस गति से वसुधारा के वस्तुओं का उपभोग शुरू किया है, उससे यह नौबत आई है कि कुछ दशाब्दियों में ही बहुत सारे ऊर्जा-स्रोत दुर्लभ हो जायेंगे। इस अवस्था में वस्तुओं के उपभोग के सम्बन्ध में संयम से बरतना या वसुधा का तकाजा बन गया है।

अपरिग्रह का अर्थ गरीबी का बटवारा नहीं है। अपरिग्रह का अर्थ मन को इतना अमीर बनाना कि उसे अधिक वस्तुओं के परिग्रह की आवश्यकता ही न रहे।

मन के आनन्द का सम्बन्ध वस्तुओं के संग्रह से नहीं, संतोष से है। उपभोग की इच्छा, महत्त्वाकांक्षा या लोलुपता के कारण बढ़ाया गया परिग्रह

नित्य निरंतर अधिक परिग्रह करने को तरसाता है । इस प्रकार की अदम्य तरस का न संतोष से संबध है न शांति से, न सुख से ।

अपरिग्रह का जितना आग्रह जैन धर्म में रखा गया, उतना शायद और किसी धर्म में नहीं रखा, किन्तु जैनियों में परिग्रहियों की सख्या कुछ कम नहीं पाई जाती । शायद इसका कारण यह है कि अपरिग्रह को हमने व्यक्तिगत गुण भर माना, सामाजिक मूल्य नहीं माना, अपरिग्रह आदि को मुनियों का धर्म मान कर श्रावकों के लिए उसे उतना अपरिहार्य नहीं माना । इस अवस्था को बदल कर अपरिग्रह को सार्वत्रिक धर्म बनाया जाये, तभी विपुलताग्रस्त और दरिद्रताग्रस्त विश्व का कल्याण होगा ।□□□

प्रायश्चित

बहुत समय पहले की बात है । किसी जगल में एक साधु रहता था । उसने तपोबल के माध्यम से कई विद्याएँ अर्जित कर रखी थीं । वक्त गुजरता गया । लोगो में उसकी छवि निखरती गई । साधु की ख्याति के बारे में वहाँ के राजा ने भी सुना तो वह भी आश्रम में पहुँचा । राजा ने साधु के दर्शन किये और साधु से निवेदन किया कि वो कुछ दिन उसके महल में गुजारे । साधु ने राजा के अत्याचारों की गाथाएँ सुन रखी थीं । फिर कुछ सोचकर उसने राजा का निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया । महल में साधु, राजा के अत्याचारपूर्ण कर्माये धन में आमोद-प्रमोद में डूब गया । नित्य भाति-भाति के व्यंजन खाकर उसकी बुद्धि खराब हो गई ।

एक दिन मौका पाकर उसने रानी के कीमती हार अपने चोगे में रख लिए और महल से फरार हो गया । भागते-भागते वह थककर चूर हो गया और जगल में भूख लगने पर उसने फल तोड़कर खाये कि उल्टी-दस्त लगने प्रारम्भ हो गये । उधर महल में रानी के आभूषणों की चोरी का समाचार जगल की आग की भाँति फैल गया । पहरेदार चोर-साधु की तलाश में जमीन-आसमान एक कर रहे थे । कई बार दस्त हो जाने के बाद साधु को अपने कुकृत्य पर क्षोभ हुआ । उल्टे पावों वह महल लौट गया । राजा ने आश्चर्य से पूछा—“पहले चोरी की फिर वापिस लौटाने क्यों आये ?” साधु ने कहा—“राजन् ! तुम्हारे काले अन्न को खाकर मेरी बुद्धि विकृत हो गई लेकिन वन का स्वच्छ फल खाकर उसने मेरे हृदय में वसे मैल को निकाल दिया । उससे मुझे वास्तविकता का बोध हो गया ।” यह सुनते ही राजा की आँखें खुल गईं कि वास्तव में जबरदस्ती, अनैतिक रूप से सगृहीत विपुल-सम्पदा का परिणाम कितना कष्टकारी होता है । उसने साधु से क्षमा मागी और वचन दिया कि वह न्याय व दयालुता के माध्यम से शासन चलायेगा ।

□ मनोज आंचलिया

अपरिग्रह : समाजवादी समाज-रचना का आदर्श

□ डॉ. उम्मेदमल मुनोत

भगवान् महावीर के चिन्तन में जितना महत्त्व अहिंसा को मिला, उतना ही अपरिग्रह को भी मिला। उन्होंने अपने प्रवचनों में जहाँ-जहाँ आरम्भ (हिंसा) का निषेध किया, वहाँ-वहाँ परिग्रह का भी निषेध किया।

परिग्रह क्या है ?

उचित-अनुचित का विवेक किए बिना आसक्ति के रूप में वस्तुओं को सब ओर से पकड़ लेना, जमा करना और मर्यादाहीन गलत असामाजिक रूप में उपयोग करना। वस्तु न भी हो, यदि उसकी आसक्ति मूलक मर्यादाहीन अभीप्सा है, तो वह भी परिग्रह है। इसलिए महावीर ने कहा था—मूच्छा परिग्रहो—मूच्छा, मन की ममत्व दशा ही वास्तव में परिग्रह है। जो साधक ममत्व से मुक्त हो जाता है, वह सोने-चाँदी के सिंहासन पर बैठा हुआ भी अपरिग्रही कहा जा सकता है। इस प्रकार भ० महावीर ने परिग्रह की, एकान्त जड़वादी परिभाषा को तोड़कर उसे भाववादी, चैतन्यवादी परिभाषा दी।

अपरिग्रह का मौलिक अर्थ

भ० महावीर ने बताया, अपरिग्रह का सीधा सादा अर्थ है—निस्पृहता, निरीहता। 'गीता' में भी कहा गया है जो पुरुष सम्पूर्ण कामों का त्याग कर ममत्व रहित व अहंकार रहित निस्पृह जीवन बिताता है, वह स्थितिप्रज्ञ है।^१

वस्तुतः भ० महावीर के अपरिग्रहवादी चिन्तन की पाँच फलश्रुतियाँ आज हमारे समक्ष हैं—

१. इच्छाओं का नियमन।
२. समाजोपयोगी साधनों के स्वामित्व का विसर्जन।
३. शोषणमुक्त समाज की स्थापना।
४. निष्काम बुद्धि से अपने साधनों का जनहित में सविभाग।
५. भौतिक व आध्यात्मिक शुद्धि।

^१ गीता अ० २, श्लोक ७।

१. इच्छाओं का नियमन

इच्छा ही सबसे बड़ा बधन है, दुःख है। जिसने इच्छा का निरोध किया—उसे मुक्ति मिल गई। इच्छा-मुक्ति ही वास्तव में संसार-मुक्ति है। इसलिए सबसे प्रथम इच्छा और आकांक्षाओं पर संयम करने का उपदेश महावीर ने दिया। बहुत से साधक, जिनकी चेतना इतनी प्रबुद्ध होती है कि वे अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, महाव्रती-संयमी के रूप में पूर्ण अपरिग्रह के पथ पर बढ़ते हैं, किन्तु इससे अपरिग्रह केवल संन्यास क्षेत्र की ही साधना मात्र बन कर रह जाता है। अतः सामाजिक क्षेत्र में अपरिग्रह की अवतारणा के लिए उसे गृहस्थ धर्म के रूप में भी एक परिभाषा दी गई। महावीर ने कहा—सामाजिक प्राणी के लिए इच्छाओं का सम्पूर्ण निरोध, आसक्ति का समूल विलय यदि सम्भव न हो, तो वह आसक्ति को क्रमशः कम करने की साधना कर सकता है, इच्छाओं को सीमित करके ही वह अपरिग्रह का साधक बन सकता है।

इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं। उनका जितना विस्तार करते जाओ, वे उतनी ही व्यापक, असीम बनती जाएँगी, और उनसे कष्ट एवं अशांति बढ़ती जाएगी। इच्छाएँ सीमित होंगी, तो चिंता और अशांति भी कम होगी। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए महावीर ने 'इच्छा परिमाणव्रत' का उपदेश दिया। यह अपरिग्रह का सामाजिक रूप था। बड़े-बड़े धन-कुवेर, श्रीमंत एवं सम्राट् भी अपनी इच्छाओं को सीमित-नियंत्रित कर मन को शांत एवं प्रसन्न रख सकते हैं। और साधनहीन साधारण लोग भी, जिनके पास सर्वग्राही लंबे-चौड़े साधन तो नहीं होते, पर इच्छाएँ असीम दौड़ लगाती रहती हैं, वे भी इच्छा-परिमाण के द्वारा समाजोपयोगी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी अपने अनियंत्रित इच्छा प्रवाह के सामने अपरिग्रह का एक आन्तरिक अवरोध खड़ा कर उसे रोक सकते हैं।

२. समाजोपयोगी साधनों के स्वामित्व का विसर्जन

स्वामित्व-विसर्जन का सीधा अर्थ है—वस्तु से अपनी मालकियत हटा लेना। जीवन के साधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, और हम सब प्रकृति के पुत्र हैं, अतः भाई हैं। जीवन के साधनों में सब समान हिस्सा रखते हैं और कोई उनके स्वामी नहीं है। हर व्यक्ति मात्र सरक्षक है, जो अपनी अपेक्षा के अनुसार योग-क्षेम के साधन ले, शेष औरों के लिए छोड़ दे, जिनको आवश्यकता है। महावीर कहते हैं—अपनी आवश्यकता के लिए लेने से पूर्व यह देख लो कि क्या इससे कम में भी मेरा काम चल सकता है? क्या इससे दूसरे की आजीविका का विच्छेद तो नहीं हो जायेगा? इन परिस्थितियों में वह अपनी आवश्यकताओं को और कम करके शेष सम्पत्ति से अपने स्वामित्व को हटा

ले । स्वामित्व-विसर्जन तभी हो सकता है, जब अपनी आवश्यकताएँ सीमित हो ।

राष्ट्रपिता गांधीजी ने भ० महावीर के इसी सूत्र को ट्रस्टीशिप का रूप दिया । स्वामित्व-विसर्जन की यह परिभाषा समाज में सम्पत्ति के आधार पर फैली अनर्गल विषमताओं का प्रतिकार करने में सफल सिद्ध हो सकती है । मनुष्य जब आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति व वस्तु के सग्रह पर अपना अधिकार हटा लेता है, तो वह समाज और राष्ट्र के उपयोग के लिए उन्मुक्त हो जाती है, इस प्रकार अपने आप ही एक सहज समाजवादी अन्तरप्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है ।

३. शोषणमुक्त समाज की स्थापना

महावीर शोषण मुक्त व्यवसाय से प्राप्त आय को भी व्यक्ति की अपनी नहीं मानते । विसर्जन स्वामित्व का अस्वीकार है और स्वामित्व अह का विस्तार । स्वामित्व टूटने पर आवश्यकता बचती है, जिसे भी उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत द्वारा महावीर अधिकाधिक सीमित करते जाने का आदर्श देते हैं । श्रावक की तीन मनोकामनाओं में सर्व प्रथम यह है कि मैं अल्पतम आरम्भ और अल्पतम परिग्रह पर कब पहुँच सकूँगा ? पूर्ण अपरिग्रह यानी स्वामित्व का विलोप महावीर का मूल आदर्श है, जहाँ विषमता व शोषण का बीज ही समाप्त हो जाता है । मानवीय शोषण को तो उन्होंने प्रायश्चित्त-योग्य बड़ी हिंसा कहा है । इसके अतिरिक्त सम्भवतः महावीर ही एक व्यक्ति थे, जिन्होंने पशु पर अधिक भार नहीं लादने तक का भी निर्देश श्रावकीय आचार-व्यवस्था में दिया ।

महावीर ने छोटे-छोटे उद्योगों को अपने दर्शन में स्थान दिया—जिससे अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह हो, धन का विकेन्द्रीकरण हो, विषमता दूर हो तथा क्षेत्रीय स्वावलम्बन हो । महावीर का दिशा परिमाण व्रत इस दिशा में स्पष्ट निर्देश है । छोटे उद्योगों में भी शोषण न हो, इसके लिए महावीर ने सजगता वरतने का निर्देश दिया ।

गांधीजी का सर्वोदय तथा विनोबा के भूदान एवं ग्राम स्वराज्य की धारणा के पीछे जो सत्य है, वह उद्योग-व्यापार के अतिचारों के वर्जन तथा परिमाण व्रत के भीतर निहित है । इस प्रकार के विकेन्द्रित एवं लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकास का उदाहरण जापान है, जिसके लिए अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री हर्मन कोन का कहना है कि इस शताब्दी के अन्त तक वह संसार का सबसे धनी और शक्तिशाली राष्ट्र होगा । अतः महावीर ने

कहा, उसकी मूल भावना को समझकर हमारे जीवन में उसके उपादानों द्वारा उसकी व्याख्या और क्रियान्विति अपेक्षित है ।

४. निष्काम बुद्धि से अपने साधनों का जनहित में संविभाग

भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—

“असविभागी न ह्यु तस्स मोक्खो ।”

ढाई हजार वर्ष पहले की अर्धमागधी की यह गाथा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी कितनी महत्त्वपूर्ण है । इसका अर्थ भी समझना पड़ेगा ।

असविभागी किसे कहते हैं ? जो अपने साधनों का, अपनी प्राप्त सामग्री का, जो कुछ इन्सान ने पाया है उसका, अपने साथियों में, अपने आस-पास के जगत् में अगर सविभाग अर्थात् सम्यक् वितरण नहीं कर रहा है, तो वह बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । कोरा वितरण ही नहीं, वितरण में तो सिर्फ वांटने का ही सवाल है । यहाँ विभाग शब्द है, उसका स्पष्ट अर्थ होता है, विशिष्ट भाग । मतलब यह है कि तुम्हें जो प्राप्त है, उसमें जनता का भी हिस्सा है, तुम्हारे साथियों का भी हिस्सा है, तुम जैसे ही चैतन्य और भी है, उनका भी भाग है । इसलिए उस भाग-हिस्से को देते समय, ठीक तरह से उचित विभाग करना सविभाग कहलाता है । किसी लज्जा, भय से नहीं, किसी प्रकार के आतंक से नहीं, अहं से भी नहीं, बिल्कुल सहज भाव में विभाग करना, जैसे स्नेही भाई अपने भाई के लिए करता है । भ० महावीर ने सविभाग की बात इसलिए कही कि संसार में जितने द्वन्द्व, जितनी पीड़ाएँ, जितने संघर्ष खड़े होते हैं—इन्सान-इन्सान के बीच में, वे प्रायः इसी असविभाग के कारण होते हैं । मैत्री वहाँ से विदा हो जाती है । जहाँ भी द्वन्द्व खड़े हो, समझ लीजिए वहाँ जीवन के आधारभूत साधनों का ठीक तरह से सविभाग नहीं हो पाया है । यह प्रश्न आज का नहीं है, हजारों-लाखों वर्षों पहले का है ।

समष्टि चेतना के लिए व्यक्ति अपने आप में क्या करे ? यह सनातन सवाल रहा है । भ० महावीर का दर्शन उत्तर में कहता है — व्यक्ति अपने आपको समष्टि का एक अंग मान कर चले और आस-पास के जगत् से उसे जो भी प्राप्त हो, वह जगत् का है, यह मानकर समष्टि के लिए अर्पण करके उसका उपभोग करे । जैसा कि ‘ईशावास्योपनिषद्’ में भी कहा है—

“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेनत्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध. कस्यविद घनम् ?”

इन चराचर जगत् में जो कुछ भी है, वह सब ईश से व्याप्त है । यानी

जैन दृष्टि से समष्टि में समाविष्ट है। उसका त्याग (संविभाग) करके उपभोग करो। किसी भी पदार्थ पर ललचाओ मत। यह धन, यह ऐश्वर्य किसका है? अर्थात् किसी एक का नहीं, समाज का है। 'ईशावास्योपनिषद्' भ० महावीर के संविभाग-दर्शन की ही साक्षी दे रहा है। यहाँ जैन दर्शन और वैदिक दर्शन एक है। वास्तव में यही तो समाजवाद की मूल आत्मा है।

भ० महावीर ने मानव जाति के छोटे-बड़े सभी वर्गों के अधिकार का प्रश्न भी संविभाग से हल किया। वास्तव में जो अभाव है, वही दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। और जब अभाव होता है, तो पीड़ित मानव कुछ का कुछ कर गुजरता है। अतः अभाव की समस्या का हल होने में ही मानव जाति का कल्याण है और अभाव का हल संविभाग है। संविभाग के सिवाय और किसी उपाय से वह हल नहीं हो सकता। अतः महावीर का यह दर्शन इन्सान की समस्या की जड़ पर पहुँचता है।

ढाई हजार वर्ष का संसार हमारे समक्ष है। इतिहास की आँखों से उससे पहले के संघर्षरत जगत् का भी हम अवलोकन कर रहे हैं। महाभारत और रामायण का युद्ध भी हम देखते हैं। इतिहास के पन्नों पर भ० महावीर के युग का वह चेटक-कोणिक का भयंकर संग्राम भी हमने पढ़ा और सुना है। आज भी हम कई युद्ध देख रहे हैं। इन सबके मूल में मानव का अन्धा स्वार्थ है और है असंविभाग के कारण भड़की हुई आग। अगर कोई एक जाति या धर्म के नाम पर इस समस्या को हल करना चाहे, इस आग को बुझाना चाहे, तो वह असफल होगा। एक जाति या धर्म के नाम पर किया गया समाधान कुछ दूर तक तो चल सकता है, लेकिन आगे चलकर किसी न किसी रूप में वह असंतोष की आग भड़के बिना नहीं रहेगी। आखिर जो अभाव है, वह एक न एक दिन उभर कर ऊपर आएगा ही। इसलिए एक जाति के और एक धर्म के लोग भी लड़ते हैं। और तो क्या एक परिवार के लोग भी झगड़ते हैं, विभक्त होते हैं। दो भाई—जो एक ही रक्त के होते हैं, उनका भी बँटवारा होता है। धर्म के नाम पर, जाति और परिवार के नाम पर कब तक एकता रखेगा मनुष्य? कब तक किसी को भुलावे में डाल रखेगा वह? बगला देश का उदाहरण ले लीजिए। एक धर्म के होते हुए भी अलग हो गए। चालाक लोग वास्तविक सत्य को दबाने के लिए जाति और धर्म आदि के भूठे नारे खड़े कर देते हैं। साधारण लोग उनके भुलावे में आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि मूल प्रश्न गुप्त और छोरे हैं, जनता को भुलावे में डालने के लिए बताए जाते हैं कुछ और, लेकिन यह भुलावा अधिक देर तक नहीं टिक सकता। एक बार भले ही कोई किसी को छोरे में डाल दे। मगर सत्य आखिर एक न एक दिन खुल कर रहता है।

अतः जो संघर्ष या द्वन्द्व होते हैं या अभाव पैदा होते हैं, वे सामान्य

ठीक तरह से वितरण न करने से होते हैं और इसके समाधान का विशुद्ध उपाय है भ० महावीर का सविभाग ।

५. भौतिक व आध्यात्मिक-शुद्धि

जगत्-जगत् है अपने आप में आध्यात्मिक जगत् अन्दर में है और बाह्य जगत् है बाहर में । बाहर में भी रहता है इन्सान ! ऐसा नहीं कि वह सब कुछ अन्दर में ही रह रहा है । आत्मा शरीर के साधनों की पूर्ति बाह्य जगत् से करती है । तो ऐसी स्थिति में विचार कीजिए कि इन्सान की क्या भूमिका है ? ये जो कुछ लोगो ने जगत् के भौतिक और आध्यात्मिक दो टुकड़े अलग-अलग कर रखे हैं, जीवन के ये दो रूप पृथक्-पृथक् बना रखे हैं, सब गलत है, और निरंतर आध्यात्मिकता के नाम पर भौतिकता को ठुकराने की जो बात कही जाती है, वह भी आधारहीन है ।

हमारे ऋषि-मुनि कह सकते हैं कि पैसा शैतान है, वह आदमी को गिराता है और उससे विवेक नष्ट होता जाता है । यह बात पैसे का महत्त्व मानकर ही कही जा सकती है । क्या सचमुच पैसे में इतनी ताकत है कि मनुष्य पर उसका काबू रहे ? पैसे की कीमत है और वह भी राज्य अथवा हमारे द्वारा आँकी गई है । अब यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह पैसे को सिर पर चढाता है या पैरो के तले दबाता है या कि जेब में रखता है । नदी और कुएँ में आदमी डूबकर मर जाता है । क्या यह पानी की शैतानियत है ? पानी न शैतान है, न भगवान् । पानी किसी को मार नहीं डालता, मार नहीं सकता । आदमी अपनी ही कमजोरी, असमर्थता या अज्ञान से डूबता-मरता है । समझ-बूझकर पानी से काम लिया जाय तो सब ठीक है । वह "जीवन" ही है । पानी न हो तो प्राण तक जा सकते हैं । यही बात पैसे की है । पैसा सिर्फ पैसा है । उसे हम सिर्फ पैसा समझे और समझ-बूझकर उसका सदुपयोग करें, तो वह बड़े काम का भी है ।

अर्थ-व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं—पूँजी और श्रम । इनमें भी सर्वोच्च स्थान श्रम का है । महावीर ने श्रम को जितनी प्रतिष्ठा दी, उतनी शायद ही मार्क्स दे पाया हो । उन्होंने कहा—जो श्रम करता है, वही श्रमण है अर्थात् सत है । "श्रम ही साधना" है—यह बात विचारक-संसार में टॉलस्टाय कह पाया था, जिसे रूस की जनता साम्यवाद का एक प्रचेता मानती है । उससे भी पूर्व महावीर ने श्रम को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दी थी ।

धर्माचार्यों या महापुरुषों ने आर्थिक दृष्टि से विपन्न व्यक्ति को निर्धन माना और इस स्थिति के लिए उसके पूर्व-कर्मों को जिम्मेदार माना । भगवान् महावीर का यह स्पष्ट आघोष रहा है कि गरीबी सग्रह और शोषण

(असंविभाग) का परिणाम है। इस विषय में मार्क्स महावीर के बहुत निकट है। दोनों ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य की अभावग्रस्तता या गरीबी उसके भाग्य का फल नहीं है।

इसलिए यथार्थवाद कहता है कि जीवन के दो टुकड़े न करो। टुकड़े करने से समस्या का हल नहीं है, और न आध्यात्मिकता के नाम पर भौतिकता को ठुकराने से ही कुछ होगा। पानी गंदा है तो गंदा होने से उसे फैंक मत दो। प्यास तो लगेगी ही, तब पानी की मांग भी होगी। अतः जैसा भी पानी है, उसको शुद्ध करो, उसे छानो, उसका परिष्कार करो और उसका उपयोग कर प्यास बुझाओ। अतः भौतिक जीवन को परिष्कृत करो, शुद्ध करो और उसका उपयोग करके आवश्यकता की प्यास बुझाओ। कोई भी धर्म जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं को ठुकरा नहीं सका है। जगत् में धन, सम्पत्ति या ऐश्वर्य के जितने भी जीवनोपयोगी रूप हैं, क्या जैन धर्म उसका कोई द्वेषी है? क्या जैन धर्म यह चाहता है कि सारा ससार दरिद्र, कगाल या भिखमंगा बन जाए? क्या उसका मकसद यह है कि सारा ससार आज ही मुनि बन जाए और संथारा करके बैठ जाए? क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? क्या फिर किसी से किसी को कोई अपेक्षा नहीं रहेगी? क्या फिर इस जीवन में कोई दूषण ही नहीं आने पाएगा?

अगर हम अन्तर की गहराई में उतर कर देखें तो हमारे सामने यह स्पष्ट भासित होगा कि ऐसा न कभी हुआ है, और न कभी होगा। इसका अर्थ यह है कि विश्व जगत् में हमारा व्यावहारिक जीवन दूषित हो गया है, दूषित मनोवृत्ति के कारण से समाज का धन दूषित हो गया है, ऐश्वर्य दूषित हो गया है, सिंहासन दूषित हो गए हैं, राजनीति दूषित हो गई है, परिवार दूषित हो गए हैं। इन सबके परिष्कार के लिए हमारी मनोवृत्ति का संस्कार करना होगा। उसे शुद्ध करके उसका सही रूप में उपयोग करना होगा।

ऐसी स्थिति में भ० महावीर का कहना है कि तुम अन्दर के जगत् में भी रह रहे हो और बाह्य जगत् में भी रह रहे हो। तुम विराट् हो। तुम्हारा जीवन उभयमुखी है। जब तक जगत् में रह रहे हो, तब तक दोनों तरफ परिष्कार की आवश्यकता है। अन्दर को भी मांजो, अन्दर को भी निखारो। अन्दर भी बहुत से भूत-प्रेत, शैतान और हैवान हैं। वहाँ भी बहुत से साप और अजगर फुंकार मार रहे हैं। इनको भी साफ करो। और बाह्य जीवन में भी परिवार, राष्ट्र, समाज और जगत् में जो विग्रह, कलह, द्वन्द्व खड़े हैं, संघर्ष के अजगर फुंकार रहे हैं, दूषित वातावरण है। उनका भी परिष्कार करो, परिमार्जन करो। जीवन में शान्ति इकतरफा नहीं हुआ करती। जीवन उभयमुखी है। इसलिए शान्ति भी उभयमुखी ही होगी।

भ० महावीर का स्पष्ट कथन है कि जीवन के सत्य का ठीक यथार्थ सत्य के रूप में दर्शन करो, भावुकता के रूप में नहीं। केवल भावुकता समस्या को हल नहीं कर सकती। सत्य के पीछे गहरा विवेक जागृत होना चाहिए, चिन्तन-मनन की बुद्धि होनी चाहिए। चिन्तन के बिना सत्य का यथार्थ मृत रहता है, सचेतन नहीं होता। अतः देश, काल, व्यक्ति एवं परिस्थिति आदि के समग्रता प्रधान चिन्तन से सत्य के मूल को पकड़ो। मूल को पकड़ोगे तभी जाकर जीवन का परिष्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

यह दुर्भाग्य का विषय रहा है कि महावीर को गत २५०० वर्षों में दुनिया के लोगो ने समझने और अनुसरण करने का प्रयास किया ही नहीं। अन्यथा विश्व में एक महान् रक्तहीन आर्थिक क्रान्ति होती और हमारे सामाजिक-आर्थिक तंत्र का समाजवादी आधारों पर नवनिर्माण कभी का हो जाता। अपरिग्रह के सिद्धान्त को मानने वालों ने महापरिग्रह का जीवन चुना, सविभाग के प्रचेता के नाम पर स्वामित्व, विषमता, शोषण एवं हिंसा का मार्ग चुना। फलतः वर्ग-संघर्ष एवं घृणा का वातावरण बन गया, जो निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः हमारे सम्मुख इस गहरे अन्धकार में विकल्प स्पष्ट है—अपरिग्रह, जो समाजवादी समाज रचना का भारतीय आदर्श है, इसे अपनाकर ही मानवता को राहत दिलाये, अन्यथा खूनी क्रान्ति का सामना करें।



सच्ची शान्ति

शान्ति नहीं तब तक जब तक,
 सुख-भाग न नर का सम हो ।
 नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
 नहीं किसी को कम हो ॥
 ऐसी शान्ति राज्य करती है,
 तन पर नहीं हृदय पर ।
 नर के ऊँचे विश्वासो पर,
 श्रद्धा, भक्ति, प्रणय पर ॥

—रामधारीसिंह 'दिनकर'

अपरिग्रह : व्यावहारिक चुनौतियाँ

□ डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय

धर्म की एक सार्वभौमिक धारणा है और एक साम्प्रदायिक । सभी 'धर्मों' में बाह्य नियमों या आचार के भीतर धर्म की सार्वभौमिक धारणा मिलती है । अर्थात् 'धर्म' का प्रतीयमान लक्षण तो 'आचार' होता है, बाहरी चिह्न, नियमानुशासन, आचरण के सूत्र, विधि-निषेध के अनुशासन-आदेश, 'यह करो, यह मत करो' इत्यादि । उदाहरण के लिए जैन-बौद्ध-इस्लाम-हिन्दू-ईसाई धर्मों में वेष-भूषा, खान-पान, आराधना, पूजा, व्यवहार-वर्तव्य, शिष्टाचार आदि के आचार-गत नियम भिन्न-भिन्न हैं । ऊपर से, इन्हीं लक्षणों से धर्मविशेष की पहचान होती है । ये आचार भी, धर्मविशेष की विचारधारा या आइडियोलॉजी पर आधारित होते हैं । विचार से आचारको पृथक् नहीं किया जा सकता और इस विचारधारा में धर्मविशेष की विश्व दृष्टि (वर्ल्ड व्यू) मूल्य व्यवस्था (Value-system) और मिथक (Myth) या पौराणिकता भी सम्मिलित रहती है ।

किन्तु, इस विचारधारा में एक अतर्वस्तु ऐसी भी होती है जो सार्वजनिक, सर्ववर्गीय, सार्वभौम और सार्वकालिक मानव-कल्याण के आदर्श पर आधारित होती है । वस्तुतः इसी धरातल पर, मानवध्येयों के इसी उच्च धरातल पर, सर्वधर्मों की एकता सिद्ध होती है किन्तु व्यवहार में धर्मों का रूप संकीर्ण और साम्प्रदायिक होता है । वे पृथक् पहचान के लिए अपना-अपना आचार-विचार दूसरों से अलग रखकर इन चिह्नों के लिए आपस में विग्रह करते रहते हैं और मानव समाज की मूल एकता को विखंडित करते हुए साम्प्रदायिक समाज (Cult-society) की रचना और रक्षा करते हैं ।

अतएव धार्मिक-साम्प्रदायिकता से बचने का एक उपाय तो यही है कि धर्मों के मूल का अनुसंधान हो जो एक ओर मिथक या विश्वास या पौराणिकता पर आधारित होता है तो दूसरी ओर मानवहित के चरम आदर्शों पर ।

उदाहरण के लिए सभी धर्मों का सार यह है कि किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुँचाना अधर्म है—

सबसे अक्कांत दुःखा य
अओ सबसे अहिसिया

सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय लगता है अतः किसी की हिंसा मत करो ।

इस अहिंसा की उच्चतम धारणा में मन-वचन-कर्म से किसी को कष्ट न देना शामिल है । स्पष्ट है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का प्रयोग शोषण है और शोषण सबसे बड़ी हिंसा है ।

परहित सरिस धरम नहि भाई ।

पर पीडा सम नहि अधमाई ॥ (तुलसी)

सर्वे वेदा न तत्कुर्युः सर्वे यक्षाश्च भारत ।

सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च, यत्कुर्यात् प्राणिना दया ॥

(शांतिपर्व, महाभारत)

प्राणियों पर दया जो फल देती है वह चारों वेद भी नहीं दे सकते और तीर्थों के स्नान तथा पवित्र स्थान भी यह फल नहीं दे सकते ।

‘गीता’ में विकारो के मूल में तृष्णा^१ या इच्छा या लोभ को माना गया है, जैन-बौद्ध-धर्मों में भी तृष्णा ही सर्वदुःखकारक मानी गई है । तृष्णातृप्ति के लिए ही हिंसा करनी पड़ती है अतः जब तक तृष्णा है तब तक हिंसा अनिवार्य है ।

इस रूप में, तृष्णा, हिंसा और उन पर आधारित संग्रह या परिग्रह के आत्यंतिक निर्मूलन के चरम आदर्श को मानव जीवन का ध्येय सिद्ध करने वाली यह तर्क पद्धति, रागात्मक सामान्य जीवन को पापमय सिद्ध कर देती है और वैराग्यमय जीवन ही निष्पाप, निर्विकार और मुक्तिकारक प्रमाणित हो जाता है ।

प्रायः सभी पारम्परिक-समाजों में यह माना जाता है कि राग-द्वेषपरक सामान्य आहारविहारात्मक निद्रामैथुनमय जीवन में उच्चता असम्भव तो नहीं पर दुःसाध्य है, अतः सन्यास को श्रेष्ठ माना गया है और इसी धारणा के कारण सामान्य जन लगभग एक करोड़ साधु-सन्यासियों-वैरागी-औघडो-अवधूतो को पाल पोस रहा है और बदले में उनसे डाँट फटकार पा रहा है, अपराधभाव पनपा रहा है । इन करोड़ों पुरोहितों तथा बाबालोगों और बाह्यों में निश्चय ही कई श्रेष्ठ साधक होते हैं, कई पहुँचे हुए अतर्दृष्टि-सम्पन्न सिद्ध भी किन्तु अधिकतर बावासमाज में अधविश्वास-पाखण्ड-प्रपंच और पापपोपलीला ही दिखाई पड़ती है और यह पूरा समुदाय, परजीवीवर्ग (पैरासाइट्स) बन गया है जो सामान्य जन में अधविश्वास जगाता रहता है और आधुनिक विज्ञान-शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के विचारों और मूल्यों को व्यर्थ कर देता है । वर्गीय समाज की यथास्थिति बनाए रखने में एक बहुत बड़ा कारक यह बाबा समाज भी है जो

चरम आदर्श की बातें करता है और व्यापक जनहित में किसी भी तब्दीली का विरोधी है । यह जनएकता में मुख्य बाधक समुदाय है ।

अतएव अमूर्त और चरम धारणा के रूप में, धर्मों ने, अनेक प्रत्ययो (कसैप्ट्स) को सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत किया है । यदि व्यवहार की बात छोड़ दे तो कथनी के रूप में उच्च आदर्शों का आकर्षक विधान धर्मों में उपलब्ध है और इस सार्वभौम स्तर पर सभी धर्मों में अविरोध है ।

इन्हीं सार्वभौम प्रत्ययों में जैन धर्म का अपरिग्रह का सिद्धान्त है जो समाजवाद और पूँजीवाद के संघर्ष के इस युग में अत्यन्त प्रासंगिक है ।

ऊपर कहा जा चुका है कि विकारों के मूल में इच्छा या तृष्णा होती है और भवचक्र इसी की पूर्ति के संदर्भ में शुरू होता है । परिग्रह से ही तृष्णा की तृप्ति होती है, अपरिग्रही या तो इच्छा ही न रखे या इच्छा रखने पर मन के भीतर लोलुपता न पाले अतः आदर्श तो यही है कि इच्छा का सम्पूर्ण निर्मूलन ही हो तभी कोई व्यक्ति अपरिग्रही हो सकता है । परिग्रही कभी मुक्त नहीं हो सकता—

चित्तमतमचित्त वा, परिगिज्भ कसामचि ।

अन्न वा अणुजाणइ, एव दुक्खाणा मुच्चइ ॥

किन्तु यह चरम आदर्शवाद सामान्य जीवन के परे की वस्तु है, अतः अपरिग्रह को वस्तुओं का त्याग न मानकर जैन धर्म में मनोवैज्ञानिक दशा के रूप में भी माना गया है । साधको-सिद्धो-वैरागियों के लिए तो ठीक है कि वे अपरिग्रह का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करें, परम अकिचन् रहे किन्तु तब सामान्य जीवन असंभव होगा ।

अतः जैनमत में अपरिग्रह के मनोवैज्ञानिक प्रकार को माना गया है । आचार्य श्री शय्यभव के अनुसार परिग्रह मूर्च्छा अर्थात् आसक्ति का नाम है । जैन शब्द, 'मूर्च्छा' बहुत सटीक शब्द है क्योंकि वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति के क्षणों में चेतना मूर्च्छित रहती है, इसमें जानज ताटस्थ्य नहीं रहता, वस्तु और व्यक्तियों के प्रति चिपकाव की मनोदशा में स्वतंत्र बुद्धि सोच-विचार का कार्य बन्द कर देती है ।

यदि अपरिग्रह मनोदशा है तो वह भीतरी अवस्था है और वह वस्तुओं और व्यक्तियों के संग्रह की दशा में भी रह सकती है—

मूर्च्छ्या रहिताना तु जगदेवा परिग्रह.

(ज्ञानसार)

आसक्ति न हो तो सारे संसार का ऐश्वर्य भी मनुष्य को विकृत/विचलित नहीं कर सकता अतः इस रूप में अपरिग्रह का अर्थ है, अनासक्ति और अनासक्ति

वस्तु से असम्बन्धित होती है या हो सकती है क्योंकि—अनासक्त व्यक्ति, वैभव और अधिकारों के बीच भी मनसा तटस्थ रह सकता है, जब चाहे उस सुख को छोड़ सकता है और मूर्च्छित / आसक्त व्यक्ति वैरागी हो जाने पर भी, मन ही मन लोलुपता पाले रखता है, अतः अपरिग्रह, आतरिकता है, बाह्यता नहीं।

इसी रूप में जनक, याज्ञवल्क्य और कृष्ण ने अनासक्त योग या जीवन-मुक्तावस्था की धारणा का प्रवर्तन किया था। 'गीता' में अनासक्त योग या कर्म-योग का विशदीकरण मिलता है और इस ग्रंथ में सामान्य जीवन या कर्ममय जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन की एकता स्थापित की गई है कि जो वरेण्य है, श्रेष्ठ है, कर्त्तव्य है, उसे अनासक्त होकर करो।

यदि अपरिग्रह का अर्थ अनासक्ति है तो वैराग्य धारण करना आवश्यक नहीं रहता क्योंकि सामान्य जीवन जीते-भोगते हुए भी जब भीतर से, जल में कमल-पुष्पवत् रहा जा सकता है तब असामान्य वैरागी जीवन जीकर आत्म-निषेध की क्या आवश्यकता है ?

जैनधर्म में अपरिग्रह के कई भेद किए गए हैं—

क्षेत्र परिग्रह—ये दो प्रकार के हैं। सिंचित भूमि को सेतु और असिंचित भूमि को केतु कहा गया है। क्षेत्र के प्रति आसक्ति ही क्षेत्र-परिग्रह है।

वास्तु—भवन के प्रति आसक्ति। खात (तलघर) उच्छृत और खातो-च्छृत आदि भवनो के प्रकार होते हैं।

हिरण्य (स्वर्ण), धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुप्य आदि वस्तुएँ परिग्रह के अन्य रूप हैं। इनमें 'द्विपद' शब्द रोचक है। 'द्विपद' का अर्थ है, दास, दासी, मोर, हंस आदि दो पैरों वाले प्राणी। क्योंकि प्राचीनकाल में दास प्रथा प्रचलित थी, विशेषकर गृहदास प्रथा। अतः दासों को "द्विपद" कहकर उन्हें दो पैरों वाले पक्षियों-पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। तथाकथित आदर्शवादी-अपरिग्रही, कितने असवेदनशील हो सकते हैं, विषमता के समर्थक, यह इस एक ही उदाहरण से प्रमाणित है।

अहिंसा के घोर समर्थक जैन और बौद्ध समाजों में भी, वैराग्य के क्षेत्र में, सघों में तो समता थी पर सामान्य जीवन में दास प्रथा के विरुद्ध कोई घृणा नहीं थी। इसीलिए अपरिग्रह यदि मात्र मानसिक प्रत्यय है, समाज में वस्तुओं और व्यक्तियों से वह असम्बन्धित है तो वह कितना क्रूर हो सकता है, कितना अपरिवर्तनवादी, यह स्पष्ट है।

आदर्श रूप में जैनमत में तो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व को भी परिग्रह माना गया है किन्तु इस उच्च परिग्रह के प्रचारको-प्रवर्त्तको ने वर्ग-वैषम्य का कभी विरोध नहीं किया अर्थात् वर्ग-हिंसा-वर्गशोषण पर प्रबल प्रहार

नहीं किया। यही कारण है कि जैन और बौद्ध मतों की भूमिका जागरणकारी, मानवीय और सुधारक की भूमिका रही है, क्रान्तिकारी नहीं। आज जैन समाज यथास्थिति का सम्पोषक समुदाय है।

यदि अपरिग्रह को मात्र मानसिक प्रत्यय माना जाता रहेगा, तो यही होगा, यथास्थिति बनी रहेगी। अहिंसक समाज बनाने के लिए जरूरी है कि मनुष्य मात्र के लिए जीवन धारण और विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं या ससाधनों की व्यवस्था की जाए और यह “दान” द्वारा न हो क्योंकि “दान” से याचक में हीनभाव और दानी में अहम्मन्यता उपजेगी ही, इससे बचाव असंभव है। अतः अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य आदि मानवीय आदर्शों की मात्र परिकल्पना न कर उन्हें वास्तविक जीवन में चरितार्थ कर सकने वाली सामाजिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। मात्र व्यक्ति में परिवर्तन के लिए धार्मिक प्रयत्न, अपर्याप्त, भ्रान्तिकारी और अपूर्ण है, परिवर्तन वर्गीय संरचना में होने चाहिए ताकि एक अहिंसक-समसमाज बन सके।

जैनधर्म के अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के चरम आदर्श यकीनन प्रेरक है किन्तु उन्हें समाज में चरितार्थ नहीं किया जा सका। शताब्दियों से ऋषि, मुनियों, सिद्ध साधकों ने चरम आदर्शों का प्रचार किया है किन्तु समाज में न अहिंसा आ पाई, न अपरिग्रह। साधुओं और गृहस्थों की समान अन्तरवाली व्यवस्था जो बनी वह यथावत चली आ रही है। धर्म आचार के रूप में प्रचलित रहा है, व्यवहार में वही सूक्ष्म हिंसा, शोषण और परिग्रह रहता आया है। परिग्रही दान देकर अपने अपराध भाव को दूर करना चाहते रहे हैं किन्तु दान से अपराध भाव समाप्त नहीं होता, वह अपराध के त्याग से होता है।

अतएव चरम आदर्शों का प्रचार भी जन साधारण की दृष्टि से, वितरण न्याय के अभाव में मात्र उपदेश सा लगता है, प्रवंचक आवरण भी क्योंकि परिग्रही समाज अपने शोषण से किए गए संग्रह को छिपाता है।

मैं समझता हूँ कि यह आधारभूत चुनौती है, जैन समाज के सम्मुख भी कि अमूर्त चरम आदर्शों का प्रचार होता रहे और व्यवहार में वैषम्य, हिंसा और शोषण की व्यवस्था और बर्ताव बना रहे अथवा परिग्रह के ससाधनों का निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए, भूमि, उद्योग आदि का समाजीकरण कर दिया जाए ताकि परिग्रह का वस्तुगत आधार ही समाप्त हो जाए और वर्गहीन अहिंसक समाज बनाया जा सके।

ग्रूथो ने कहा था कि—‘सम्पत्ति चोरी है’ तो उसका अर्थ यह था कि सम्पत्ति पर, वायु और जल की भाँति भूमि, निधि, कारखाना या अन्य ससाधनों पर निजी स्वामित्व की परिकल्पना परिग्रही कल्पना है और निजी स्वामित्व चौर्यकर्म या दस्युता है क्योंकि शोषण के बिना सम्पत्ति बनती नहीं है।

अतः समाजवादी व्यवस्था में ही व्यवहार्य-अपरिग्रह का जैन सिद्धान्त चरितार्थ हो सकता है, पूँजीवादी व्यवस्था में अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, न्याय और समानता की बात सोचना आत्मभ्रम है ।

वस्तुतः जैनशास्त्रों में—जो ऊँचे मानवादार्श है, वे सही है, सच्चे भी है पर वे अमूर्त्त (Abstract) और अव्यवहार्य है । वे व्यक्ति के विकास की सभावना पर निर्भर है । निश्चय ही जैन समाज में कुछ महान् व्यक्ति अपरिग्रही हो सकते है, है भी, किन्तु उससे सम्पूर्ण समाज की मुक्ति की कोई सभावना नहीं बनती ।

धर्म वैयक्तिक मुक्ति के लिए प्रेरणा देते है और 'अणुव्रत' के रूप में सुधार की । बौद्धमत में अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व की कल्पना बहुत मनोहर है । सुखावती स्वर्ग में जाने की योग्यता होने पर भी बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर ने स्वर्ग स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब तक प्रत्येक प्राणी का दुःख दूर नहीं होता, तब तक वे स्वर्ग नहीं जाएँगे । कहा जाता है कि अवलोकितेश्वर आज भी ऊर्ध्वलोक से नीचे की ओर सकरुण-नेत्रों से देख रहे है ।

अनुत्तर योगी महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों और जैन मुनियों ने व्यक्तिशः मानवीय दुर्बलताओं का अतिक्रमण कर त्याग और आत्मानुशासन की उच्चतम परम्परा कायम की । उनके उपदेशों में वस्तुतः स्वतंत्रता, समता और बधुत्व की क्रान्तिकारी प्रेरणा विद्यमान है किन्तु व्यवहार (Practice) में उनके नाम पर जो सम्प्रदाय बना, वह परिग्रह का प्रतीक बन गया ।

इतिहास का यह कोई आश्चर्य नहीं है बल्कि यह अनिवार्य था क्योंकि चरम आदर्श प्रेरक होने पर भी मात्र कुछ व्यक्तियों को प्राकृतिक प्रवृत्तियों से परे ले जाते है जबकि बहुसंख्यक समाज उन्हें 'भगवान' मानकर पूजा करने लगता है और व्यवहार में परिग्रही, हिंसक और वैषम्यवर्धक जीवन व्यतीत करता है ।

अतएव समाजवैज्ञानिकों ने पुरानी धार्मिक विचारधाराओं के स्थान पर समाज अभियांत्रिकी (Social Engineering) का विकास किया । प्रधो-क्रोपाटकिन जैसे अराजकतावादियों और मार्क्स-एगिल्स जैसे साम्यवादियों ने व्यवहार्य आदर्शों का प्रकल्प प्रस्तुत किया और अमूर्त्त सिद्धान्तों/दर्शनों को 'अफीम' में खोए रहने की जगह कहा कि अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक व्याख्याओं का चक्कर छोड़कर इस विषम-परिग्रही-हिंसक और शोषक समाज व्यवस्था को बदलो और वर्ग शोषणमुक्त समाज की स्थापना करो ।

वस्तुतः जैनमत के महामुनियों का अपरिग्रही-आग्रह, सच्चे समाजवादी समाज की स्थापना से ही पूरा होगा । जैनमत के मूल में सार्वभौम समतावादी धारणाएँ है, उन्हें समाज में चरितार्थ करने की चुनौती जैन-अजैन सभी सज्जनों को स्वीकार करनी चाहिए । □ □ □

अपरिग्रह : व्यक्ति और समाज के सन्दर्भ में

□ डॉ प्रेम सुमन जैन

वर्तमान युग के विकासशील व्यक्ति एवं समाज के जीवन में जितनी अधिक भौतिक समृद्धि आयी है, उतनी मात्रा में ही उसे अनुभव होने लग गया है कि वास्तविक सुख वस्तुओं के संग्रह में नहीं है। धन के सविभाग, विसर्जन से ही कुछ आत्मिक शान्ति मिल सकती है। जीवन का सार ग्रन्थी होने में नहीं है, निर्ग्रन्थ के पथ की तलाश में है। तृष्णा के तिरोहित करने में है। भारतीय धर्म-दर्शन में तृष्णा से मुक्ति एवं त्याग की भावना आदि का अनेक ग्रन्थों में प्रतिपादन है, किन्तु अपरिग्रह के स्वरूप एवं उसके परिणामों का सूक्ष्म विवेचन जैन ग्रन्थों में ही अधिक हुआ है। पार्श्वनाथ के चातुर्याम विवेचन से लेकर प. आशाधर तक के 'श्रावकाचार' ग्रन्थों में पाच व्रतों के अन्तर्गत परिग्रह-परिमाण व्रत की सूक्ष्म व्याख्या की गयी है। उस सबका विवेचन यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है। मूल बात इतनी है कि जैन गृहस्थ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ अपरिग्रह व्रत को भी जीवन में उतारे। वस्तुतः यह पाचवा व्रत कसौटी है श्रावक व साधु के लिये। यदि वह अहिंसा आदि व्रतों के पालन में प्रामाणिक रहा है तो वह परिग्रही हो नहीं सकता और यदि वह परिग्रही है तो अहिंसा आदि व्रत उससे सधे नहीं है। अपरिग्रह के इस दर्पण में आज के भारतीय समाज का मुखौटा दर्शनीय है।

परिग्रह की सबसे सूक्ष्म परिभाषा 'तत्त्वार्थ सूत्र' में दी गयी है—'मूर्च्छा परिग्रहः।' भौतिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा व ममत्व का भाव रहना मूर्च्छा है। इसी बात को 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र आदि ग्रन्थों में विस्तार से दिया गया है। अन्तरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह की बात कही गयी है। आत्मा के निज गुणों को छोड़कर क्रोध, लोभ आदि परभावों को ग्रहण करना अन्तरंग परिग्रह तथा ममत्व भाव से धन, धान्य आदि भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना बाह्य परिग्रह है।

प्रश्न यह है कि जिस परम्परा के चिन्तक परिग्रह से सर्वथा निर्लिप्त होकर विचरे, जिनके उपदेशों में सबसे सूक्ष्म व्याख्या परिग्रह के दुष्परिणामों की की गयी, उसी परम्परा के अनुयायियों ने परिग्रह को इतना क्यों पकड़ रखा है? भौतिक समृद्धि के कर्णधारों में जैन समाज के श्रावक अग्रणी क्यों हैं? भगवान् महावीर के समय में भी श्रेष्ठजन थे। उनके बाद भी जैन धर्म में सार्थवाहों की कमी नहीं

रही। मध्ययुग के शाह और साहूकार प्रसिद्ध हैं। वर्तमान युग में भी जैन धर्म के श्रीमन्तो की कमी नहीं है। ढाई हजार वर्षों के इतिहास में देश की कला, शिक्षा व संस्कृति इन श्रेष्ठजनों के आर्थिक-अनुदान से संरक्षित व पल्लवित हुई है। किन्तु इस वर्ग द्वारा संचित सम्पत्ति से पीड़ित मानवता का भी कोई इतिहास है क्या? इनके अन्तर्द्वन्द्व और मानसिक पीडा का लेखा-जोखा क्या है किसी ने? भौतिक समृद्धि की नश्वरता का आठों पहर व्याख्यान सुनते हुए भी परिग्रह के पीछे यह दीवानगी क्यों है? कौन है इसका उत्तरदायी? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने से ही व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में अपरिग्रह को समझा जा सकेगा।

भारतीय समाज की संरचना की दृष्टि से देखें तो महावीर के युग तक वर्णगत व्यवस्था प्रचलित हो चुकी थी। किन्तु अहिंसा की उसमें सर्वाधिक प्रमुखता होने से कृषि और युद्धवृत्ति को अपनाते वाले वर्ग ने जैन धर्म को अपना कुलधर्म बनाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाया। व्यापार व वाणिज्य में हिंसा का सीधा सम्बन्ध नहीं था, अतः जैनधर्म वैश्यवर्ग के लिये अधिक अनुकूल प्रतीत हुआ। और वह क्रमशः श्रेष्ठजनों का धर्म बनता गया। इस तरह श्रीमन्तो के साथ व्यापारिक समृद्धि और जैनधर्म दोनों जुड़े रहे। विभिन्न प्रकार के दानों द्वारा परिग्रह-संग्रह की अपरोक्ष स्वीकृति मिलती रही।

श्रेष्ठजनों के साथ जैनधर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से वह दिनो-दिन मंहगा होता गया। मूर्ति-प्रतिष्ठा, मंदिर-निर्माण, दान की अपार महिमा आदि धार्मिक-कार्य बिना धन के संभव नहीं रह गये। साथ ही इन धार्मिक-कार्यों को करने से स्वर्ग की अपार सम्पदा की प्राप्ति का प्रलोभन भी जुड़ गया। व्यापार-वृद्धि वाले श्रावक को यह सौदा सस्ता जान पड़ा। वह अपार धन अर्जित करने लगा। उसमें से कुछ खर्च कर देने से स्वर्ग की सम्पदा भी सुरक्षित होने लगी। साथ ही उसे वर्तमान जीवन में भी महान् दानी व धार्मिक कहा जाने लगा। इस तरह परिग्रह और धर्म एक दूसरे के बराबर आकर खड़े हो गये। महावीर के चिन्तन से दोनों परे हट गये।

परिग्रह-सचय का तीसरा कारण मनोवैज्ञानिक है। हर व्यक्ति सुरक्षा में जीना चाहता है। सुरक्षा निर्भयता से आती है और निर्भयता पूर्णता से। व्यक्ति अपने शरीर की क्षमता को पहिचानता है। उसे अग्ररक्षक चाहिये, सवारी चाहिये, घूष एव वर्षा से बचने के लिये महल चाहिये। और वे सब चीजे चाहिये जो शरीर की कोमलता को बनाये रखें। इसीलिए इस जगत में अनेक वस्तुओं का संग्रह है। शरीर की अपूर्णता वस्तुओं से पूरी की जाती है। शरीर के सुख का जिसे जितना अधिक ध्यान है, वह उतनी ही अधिक वस्तुओं के संग्रह का पक्षपाती है। इन वस्तुओं के सामीप्य से व्यक्ति निर्भय बनना चाहता है। धर्म, दान-पुण्य उसके शरीर को स्वर्ग की सम्पदा प्रदान करेंगे इसलिए उसने धर्म को

भी वस्तुओं की तरह संग्रह कर लिया है। वस्तुओं को उसने अपने महल में संजोया है। धर्म को अपने बनाये हुए मन्दिर में रख दिया है। इस तरह इस लोक और परलोक दोनों जगह परिग्रही अपनी सुरक्षा का इन्तजाम करके चलता है।

आधुनिक युग में परिग्रही होने के कुछ और कारण विकसित हो गये हैं। भय के वैज्ञानिक उपकरण बढ़े हैं। अतः उनसे सुरक्षित होने के साधन भी खोजे गये हैं। वर्तमान से असंतोष एवं भविष्य के प्रति निराशा ने व्यक्ति को अधिक परिग्रही बनाया है। पहले स्वर्ग के सुख के प्रति आस्था होने से व्यक्ति इस लोक में अधिक सुखी होने का प्रयत्न नहीं करता था। अब वह भ्रम टूट गया है। अतः साधन-सम्पन्न व्यक्ति यही स्वर्ग बनाना चाहता है। स्वर्ग के सुखों के लिये रत्न, अस्त्रादि आदि चाहिये सो व्यक्ति जिस किसी तरह से उन्हें जुटा रहा है। और उस अपव्यय को रोक रहा है जो वह धर्म पर खर्च करता था। पहले व्यापार और धर्म साथ-साथ थे। अब धर्म में भी व्यापार प्रारम्भ हो गया है।

परिग्रह के प्रति इस आसक्ति के विकसित होने में आज की युवा पीढ़ी भी एक कारण है। पहले व्यक्ति अपने परिवार व सम्पत्ति के प्रति इसलिए ममत्व को कम कर देता था कि उसे विश्वास होता था कि उसके परिवार व व्यापार को उसकी सन्तान सम्हाल लेगी। वृद्धावस्था में वह निःसंग होकर धर्म ध्यान कर सकेगा। कारण कुछ भी हों, किन्तु परिवार के मुखिया को आज की युवा-पीढ़ी में यह विश्वास नहीं रहा। वह अपने लिये तो परिग्रह करता ही है, पुत्र में ममत्व होने से उसके लिये भी जोड़कर रख जाना चाहता है। न केवल पुत्र अपितु दामादों का पोषण भी पुत्री के पिता के ऊपर आ गया है। ऐसी स्थिति में यदि वह परिग्रह न करे तो करे क्या? समाज में तो उसे रहना है। पहले एक पिता अपने चार बेटों का भरण-पोषण कर लेता था, किन्तु आज चार बेटे एक पिता के भार को नहीं उठा पा रहे हैं। यह सब मनोवृत्तियों के परिवर्तन का खेल है।

वर्तमान सामाजिक मूल्यों से भी परिग्रह-वृत्ति प्रभावित हुई है। चक्रवर्ती सम्राटों व सामन्तों का वैभव साहित्य में पढते-पढते हमारी आँखें चौधिया गयी है। समाज में हमने उसे प्रतिष्ठा देनी प्रारम्भ कर दी है जो वैभव सम्पन्न है। नैतिक-मूल्यों के धनी हमारी उगलियों पर नहीं चढते। युवापीढ़ी के कलाकारों, चरित्रवान् युवकों व चिन्तनशील व्यक्तियों की हमें पहिचान नहीं रही। बनावटी-पन की इस भीड़ में महावीर का चिन्तन कहीं खो गया है। जीवन-मूल्य को हमने इतना अधिक पकड़ लिया है कि जीव-मूल्य हमारे हाथ से छिटक गया है। और जब जीव का, आत्मा का, निर्मलता का मूल्य न रह ही पनपेगी। कीचड़ ही कीचड़ नजर आयेगी। जड़ता में मूर्च्छा नहीं।

निर्ग्रन्थ दशन इसी मूर्च्छा को तोड़ने की बात करता है । भगवान् महावीर का चिन्तन यही से प्रारम्भ होता है । परिग्रह के इन परिणामों से वे परिचित थे । वे जानते थे कि व्यक्ति जब तक स्वयं का स्वामी नहीं होगा, वस्तुएँ उस पर राज्य करेंगी । उसे इतना मूर्च्छित कर देगी कि वह स्वयं को न पहिचान सके । जिस शरीर को उसने धरोहर के रूप में स्वीकार किया है, उस शरीर की वह स्वयं धरोहर हो जाय इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी ? अतः महावीर ने आत्मा और शरीर के भेद-विज्ञान से ही अपनी बात प्रारम्भ की है । विना इसके अहिंसा, अपरिग्रह आदि कुछ फलित नहीं होता । अतः अपरिग्रह की साधना के लिये मूर्च्छा को तोड़ना आवश्यक है ।

व्यक्ति और समाज के सन्दर्भ में अपरिग्रही होना कठिन नहीं है । समझ का फेर है । साधन-सम्पन्न व्यक्ति आज हर रह से पूर्ण होना चाहता है, निर्भय होना चाहता है और चाहता है कि उसका सुख अपरिमित हो, कभी न समाप्त होते वाला । इस सबके साथ वह धार्मिक भी रहना चाहता है । समाज में प्रतिष्ठित भी । इस सबके लिये उसने दो रास्ते अपनाकर देख लिए । त्याग का और संग्रह का मार्ग । हजारों वर्षों से वह दान करता आ रहा है । करोड़ों का उसने संग्रह भी किया है । किन्तु छोड़ने और बटोरने की इस आपाधापी में उसने जीवन को जिया नहीं । हमेशा उसका कर्तापन, अहं सिर उठाकर खड़ा रहा है । इसीलिए उसकी अन्य उपलब्धिया बौनी रह गयी । वह जमाखोर, पू जीपति, पाखण्डी न जाने किन-किन नामों से जाना जाता रहा है । अतः अब ये दोनों रास्ते बदलने होंगे । केवल दान देने से अपरिग्रही नहीं हुआ जा सकता, उसके लिये आसक्ति का त्याग भी जरूरी है ।

महावीर का चिन्तन सही मार्ग खोजने में बहुत उपयोगी है । उन्होंने अहिंसा से अपरिग्रह तक का मार्ग प्रशस्त किया । उनकी पहली शर्त है कि तुम अपना गन्तव्य निश्चित करो । बनावटोपन के रास्ते पर चलना है तो स्वप्न में जीने के अनेक ढंग हैं । और यदि बाहर-भीतर एक-सा रहना है तो आत्मा और शरीर की सही पहिचान कर लो । आत्म-ज्ञान जितना बढ़ता जायेगा, उतने तुम अहिंसक होते जाओगे । जगत् के प्राणियों के अस्तित्व को अपने जैसा स्वीकारने से तुम उनके साथ झूठ नहीं बोल सकते । कपट नहीं कर सकते । शरीर से स्वामित्व मिटते ही चोरी नहीं की जा सकती । क्योंकि तुम्हारी आत्मा के विकास के लिये किसी परायी वस्तु की अपेक्षा नहीं है । सत्य और असत्य को जीने वाला व्यक्ति परिग्रह में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता । किसके लिए वस्तुओं का संग्रह ? आत्मा निर्भयी है । पूर्ण है । सुखी है । फिर परिग्रह का क्या महत्त्व ? वह तो शरीर के ममत्व के त्याग के साथ की विसर्जित हो गया । यह है महावीर की दृष्टि में अपरिग्रही होने का महत्त्व । इसी के लिये है—अणुव्रतों और महाव्रतों की साधना ।

प्रश्न हो सकता है कि परम्परा से परिग्रह में आकंठ डूबे रहने से एका-एक आत्म-ज्ञान की समझ कैसे जागृत हो सकती है ? व्यापार-वाणिज्य को अचानक छोड़ देने से देश की अर्थ-व्यवस्था का क्या होगा ? अथवा किसी एक या दो व्यक्तियों के अपरिग्रही हो जाने से शोषण तो समाप्त नहीं होगा ? प्रश्नों की इस भीड़ में महावीर की वाणी हमें सम्बल प्रदान करती है ।

जैन धर्म को कितना ही निवृत्तिमूलक कहा जाय, किन्तु वह प्रवृत्ति मार्ग से अलग नहीं । उसमें केवल वैराग्य की बात नहीं है । समाज के उत्थान की भी व्यवस्था है । 'स्थानांग' सूत्र में दस प्रकार के जिन धर्मों का विवेचन है, वे गृहस्थ के सामाजिक दायित्वों को ही पूरा करते हैं । अणुव्रतों का पालन, बिना समाज के सम्भव नहीं है । श्रावक जिन गुणों का विकास करता है, उनकी अभिव्यक्ति समाज में ही होती है । अतः महावीर ने अपरिग्रही होने की प्रक्रिया में समाज के अस्तित्व को निरस्त नहीं किया है ।

गृहस्थ-जीवन में रहते हुए हिंसा, परिग्रह आदि से बचा नहीं जा सकता, यह ठीक है । किन्तु महावीर का कहना है कि श्रावक अपनी दृष्टि को सही रखे । जो काम वह करे उसके परिणामों से भलीभाँति परिचित हो । आवश्यकता की उसे सही पहिचान हो । जीवनयापन के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनको प्राप्त करने के क्या साधन हैं, तथा उनके उपभोग से दूसरों के हित का कितना नुकसान है आदि बातों को विचारकर वह परिग्रह करने में प्रयुक्त हो तो इससे कम से कम कर्मों का बन्ध उसे होगा । श्रावक के बारह व्रत एवं ग्यारह प्रतिमाएँ आदि का पालन गृहस्थ को इसी निस्पृही वृत्ति का अभ्यास कराता है । इसी से उसे आत्म-ज्ञान की समझ विकसित होती है । व्यक्ति को उपयोग एवं उपभोग के अन्तर को समझना होगा । वस्तुओं के उपयोग से वे दूसरों के काम भी आ सकती हैं, किन्तु जब उनका उपभोग होने लगता है तब वे एक के पास संगृहीत हो जाती हैं । उनका सविभाग नहीं हो पाता ।

अपरिग्रही होने के लिये दूसरी बात प्रामाणिक होने की है । उसमें वस्तुओं की मर्यादा नहीं, अपनी मर्यादा करना जरूरी है । सत्य-पालन का अर्थ यह नहीं है कि व्यापारिक गोपनीयता को उजागर करते फिरे । इसका आशय केवल इतना है कि आपने जिस प्रतिशत मुनाफे पर व्यापार करना निश्चित किया है, उसमें खोट न हो । जिस वस्तु की आप कीमत ले रहे हैं, वह मिलावटी न हो । और अस्तेय का अर्थ है कि आपकी व्यापारिक सीमा है उसके बाहर की वस्तु का अनावश्यक सग्रह नहीं किया जाय । इन अतिचारों से बचते हुए यदि जैन गृहस्थ व्यापार करता है तो वह देश के व्यापार को प्रामाणिक बनायेगा । आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुरूप समृद्ध भी । तब उसकी दुकान एवं मन्दिर में कोई अन्तर नहीं होगा । व्यापार और धर्म एक दूसरे के पूरक होंगे ।

प्रश्न रह जाता है समाज में व्याप्त शोषण व जमाखोरी की प्रवृत्ति को बदलने का । महावीर का चिन्तन इस दिशा में बड़ा संतोषी है । पूरे समाज को बदलने का दिवास्वप्न उसमें कभी नहीं देखा गया, किन्तु व्यक्ति के बदलने का पूरा प्रयत्न किया है । इसलिए महावीर का समाज अशुभ से शुभ की ओर, हेय से उपादेय की ओर जाने में किसी समारोह की प्रतीक्षा नहीं करता । भीड़ का अनुगमन नहीं चाहता । और न ही किसी राजनेता या बड़े व्यक्ति के द्वारा उसे उद्घाटन की आवश्यकता होती है । क्योंकि ये सभी मूर्च्छा के कार्य हैं, ममत्व और आकाक्षा के । इसीलिए महावीर की दृष्टि से तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थिति से बदलाहट के लिये आगे आ सकता है । उसके परिवर्तन की रश्मियाँ समाज को प्रभावित करेगी ही । व्यक्ति में जब अनासक्ति दृष्टि हो तो समाज में सविभाग स्वयमेव आयेगा । ममत्व के हटते ही समत्व का द्वार खुलेगा ।



सुकृत की सीख

[तर्ज—लालुन लील करूगी]

सुकृत करले रे मू जी, थारी पडी रहेला पू जी ॥ टेर ॥

कूड कपट करने चतुराई, घणी जमाई पेढी ।

भोला ढोला काल डकोला, प्राते निकली सीढी ॥ सु. १ ॥

कूड कपट कर माया मेली, नीठ-नीठ कर सरची ।

पाव पलक मे परभव पहुँचो, पड़ी रही सब खरची ॥ सु. २ ॥

अधिको लेवे ओछो तोले, बोले मधुरी वानी ।

एडा मारे घडी उड़ावे, कर-कर अन्तर काणी ॥ सु. ३ ॥

(कर्मादान अकारज करने, धन मेल्यो नवि खूटे ।

कुलजम काल रावले लेवे, वध कायाना छूटे ॥ सु. ४ ॥

निखरो खाय पहरे पण निखरो, सुख भर नीद न सोवे ।

नर सुखियो दीठो नही इणसु, तो पिण इणने रोवे ॥ सु. ५ ॥

पीपल-पान कान कु जर को, डाभ अणी जल जाणो ।

इणसु मोह करे सो मूरख, अन्तर-ज्ञान पिछाणो ॥ सु ६ ॥

सेखे काल कुचामण नगरे, चेत महीने आया ।

‘रतनचन्द्र’ कहे मू जी मिनखे, सेठी पकड़ी माया ॥

आज का समाजशास्त्र वस्तुतः अपरिग्रह का नही वरन् आधुनिकता का समाजशास्त्र है। सामाजिक सत्य तथा सामाजिक विकास की आधुनिकतापरक व्याख्याएँ तथा अवधारणाएँ पारम्परिक अपरिग्रही सामाजिक अवधारणाओं से नितान्त भिन्न ऐसी अवधारणाएँ हैं जिनका सूत्रपात १७वीं शताब्दी के पुनरुत्थानवादी यूरोप की प्रबोधनात्मक (एनलाइटनमेट) विचारधाराओं में हुआ था। इस युग ने धर्म तथा आध्यात्म की रहस्यात्मक सत्य विषयक अनुभूतियों तथा धारणाओं को पुराणपथी ढकोसला मानकर अस्वीकार कर दिया था तथा ज्ञान की तार्किक-वैज्ञानिक विधि के रूप में एक ऐसी विधि का सूत्रपात किया था जिसके द्वारा सत्य का वस्तुपरक अनुसंधान सम्भव हो सके तथा ऐसे शक्ति सम्पन्न ज्ञान की उपलब्धि हो सके जो मानव को बाह्य प्रकृति पर विजय दिला पाने में सक्षम हो। ज्ञान की इस विजय प्रबोधिनी अवधारणा के कारण ही आधुनिक विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का वर्तमान विकास सम्भव हो सका है। वर्तमान समाजशास्त्र का सूत्रपात भी इसी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्रान्ति के परिप्रेक्ष्य में हुआ था जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न सामाजिक दोषों तथा कुरीतियों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन कर उनका निराकरण करना था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सफल विकास तथा उससे प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए समाज की अवधारणा भी एक वृहद् सम्पन्न अथवा विशाल जैविक जन्तु के रूप में की गई थी जिसकी सरचना में व्यक्ति की निजी चेतना अथवा स्वातंत्र्यबोध को कोई विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं था। समाज के यथार्थ या सत्य को व्यक्ति या मानव के सत्य से पृथक् घोषित किया गया था। अगस्त कोत, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, पार्सस आदि अनेक समाज शास्त्रियों की सिद्धान्त रचनाएँ तथा समाज सम्बन्धी व्याख्याएँ इसी कोटि की विज्ञानवादी यात्रिक व्याख्याएँ हैं।

इन समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों में सत्य के सम्बोध (परसेप्शन) तथा व्यक्ति व समाज के विकास-सप्रत्ययों में कही भी अपरिग्रह का स्थान नहीं है क्योंकि यहां विकास या प्रगति की अवधारणा मूलतः एक आयामी, वहिर्मुखी आर्थिक-तकनीकी प्रगति की ही अवधारणा है, मनुष्य की आत्मोन्नति तथा समाज की ऊर्ध्व चैतन्यात्मक मूल्यात्मक प्रगति की अवधारणा नहीं है। वान्तव

मे अपरिग्रह जैसे मूल्य का समावेश ऐसे समाजशास्त्र में ही सम्भव है जहा कि वहिर्मुखी यांत्रिकता के स्थान पर मानव की चैतन्यात्मक सत्ता की प्रतिष्ठा अधिक मुखरित हो। पश्चिम मे भी इस कोटि का चिन्तन तथा चितक वर्ग रहा है। किन्तु उसका महत्त्व ऐतिहासिक अधिक तथा व्यावहारिक कम है। इस कोटि के पश्चिमी समाज-शास्त्रियों में टोनीज, मैक्सगेलर, सोरोकिन, लीविस ममफर्ड, शूमाखर आदि को लिया जा सकता है। पारम्परिक भारतीय चिन्तन का तो 'अपरिग्रह' आधार स्तम्भ ही कहा जा सकता है और इस जीवन मूल्य का अनुक्रम उपनिषद्कालीन आरण्यक सस्कृति और भगवान बुद्ध तथा महावीर स्वामी से लेकर महात्मा गांधी तक सतत् प्रवहमान रहा है। भारतवर्ष मे भी जीवन मूल्य के रूप मे अपरिग्रह का वास्तविक क्रम-भग मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन द्वारा आरोपित पाश्चात्यीकरण की धारा द्वारा हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वातंत्र्य संग्राम भी मूलत मात्र राजनैतिक आन्दोलन न होकर जहा एक ओर भारतीय सामाजिक सास्कृतिक परम्परा के मूल आदर्शों पर बरबस लादी जा रही एक ह्यासोन्मुखी परकीय सभ्यता के विरुद्ध आवाज थी, वही दूसरी ओर सम्पूर्ण विश्व को ही निगलती हुई वैज्ञानिकता तथा औद्योगिक क्रान्ति के नाम पर इस आधुनिक यांत्रिक जड़ता के विरुद्ध मानवता को सावधान करने का प्रयत्न था।

इस प्रकार समाज चिन्तन तथा समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र मे परम्परा प्रधान अपरिग्रही समाज की अवधारणा तथा भौतिक समृद्धि और धन सचयन को ही सुख-शांति का आधार एव प्रमुख जीवन मूल्य स्वीकार करने की आधुनिकतावादी प्रवृत्ति दोनो ही दो पृथक् सम्प्रदायो तथा मतावलम्बियो मे विभाजित रही है और उनके परस्पर समन्वय के प्रयास की अवधारणा भी विशेष रूप से व्यक्त नही हुई है।

वास्तव मे 'अपरिग्रह' भी स्वयं मे एक एकाकी तथा सम्पूर्ण जीवन-मूल्य न होकर कुछ अन्य मूल्यों या पुरुषार्थों जैसे ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा तथा अस्तेय के साथ जुड़ा है और ये सभी मूल्य संयुक्त रूप से मानव विकास या उत्थान की एक निश्चित भूमिका का निर्माण करते है। इस कोटि के पारम्परिक जीवन मूल्यों के सन्दर्भ मे फ्रायड या चार्ल्स डार्विन की सकल्पना से भिन्न मानव पशु साम्राज्य का ही एक विकसित अंग नही तथा कार्ल मार्क्स एवं अन्य प्रगतिवादी विज्ञानवादी समाज-शास्त्रियो द्वारा अवधारित केवल एक आर्थिक सामाजिक प्राणी ही नही वरन् इनसे कही अधिक उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित एक ऐसा सचेतन प्राणी है जिसका प्रमुख लक्ष्य अपने 'स्व' में ही अन्तर्भूत दिव्यता तथा मूल स्वातंत्र्य का अन्वेषण करना है। इस प्रकार अपरिग्रही मूल्य परम्पराओं का सकेन्द्रण सयत्रित अथवा सस्थावद्ध सामाजिक समदृष्टिवादिता नही वरन्

स्वातन्त्र्य अन्वेषी समूर्त मानव रहा है और समाज व्यवस्था भी एक निरपेक्ष तत्र न होकर मानव तथा मूल्यसापेक्ष व्यवस्था हो जाती है ।

मानव मूल्यान्वेषिणी समाज व्यवस्थाओं में जैसे भारतीय परम्परा में, इस प्रकार जितना बल मनुष्य के आन्तरिक विकास तथा रूपान्तरण पर दिया गया है उतना महत्त्व सामाजिक परिवर्तन या क्रान्ति को नहीं दिया गया है । इसी कारण कभी-कभी इस परम्परा को स्थैर्यवादी परम्परा के रूप में भी देखा जाता है किन्तु यह सत्य नहीं है । वास्तव में यह परम्परा 'प्रवृत्तिजन्य' ऐहिक परिवर्तनों का नहीं बरन् लोकोत्तर मूल्यों की अर्थात् सनातन या शाश्वत मूल्यों के अन्वेषण की परम्परा है, केवल कर्म सापेक्षता की नहीं बरन् कर्मयोग की अर्थात् कर्मफल के परित्याग की अपरिग्रही परम्परा है । इस परम्परा में बाह्य जागतिक परिवर्तन, प्रकृति-विजय तथा अर्थ-सचय उतना महत्त्वपूर्ण नहीं हुआ जितना कि मनुष्य की मनोविजय तथा वृत्तियों का आन्तरिक रूपान्तरण महत्त्वपूर्ण रहा है ।

यदि साख्य का श्रेणी-विभाजन स्वीकार कर कहे तो कह सकते हैं कि जहाँ अपरिग्रही प्राच्य परम्पराएँ मुख्यतया 'पुरुषान्वेषिणी' अर्थात् आत्ममुखी परम्पराएँ रही हैं, पश्चिमी समाजशास्त्र अधिकांश 'प्रकृति-अन्वेषिणी, मूलक वहिर्मुखी तथा समाजतत्रवादी समाजशास्त्र रहा है जिसमें मनुष्य या व्यक्ति की लोकोत्तरता (ट्रांसेन्डेन्टलिटी) तथा निजी आत्मा-सत्ता को कोई विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रकार जीवन आदर्श के रूप में अपरिग्रह मनुष्य की आत्म-अन्वेषण प्रक्रिया से जुड़कर उसके अन्तःविकास का अंग बनता है । इसकी सहयोगी विकास-क्रिया के रूप सामाजिक संगठन के विकास को भी रूपायित तथा प्रभावित करता है, अतः ऐसे समाज की संकल्पना बृहद्कायी नगर प्रधान आधुनिकतावादी भौतिक विकास की अवधारणा न होकर लघुकायी अन्तर्मुखी तथा आत्मनिर्भर समुदायों की अवधारणा होगी । मानव की आत्मान्वेषी अन्तर्मुखता तथा प्रकृति अथवा प्रवृत्ति प्रधान वहिर्मुखता का सम्बन्ध सरचना के आकार तथा जटिलता से सहज जोड़ा जा सकता है । ज शास्त्री टोनीज, मैक्सशेलर तथा शूमाखर ऐसे अपरिग्रही लघुकायी (समुदायों) को ही वरेण्य स्वीकार करते हैं तथा ऐसे सरल उपलब्ध सत्य आचरण, प्रेम तथा सौहार्द, अहिंसा, शांति, सम्बन्धों की प्रगाढ़ता जैसे मानवीय मूल्यों को प्रधानता के जनित्र बृहद्कायी नागर समाजों की जटिलता, निर्व्यक्तिकता, निरन्तर बढ़ती हुई भोगोन्मुखी

आपराधिकता (क्रिमनेलिटी) तथा मानव जीवन को आच्छादित करती यांत्रिक दासता के अपक्षधर है ।

इस प्रकार अपरिग्रही समाज में मानव-सुख की अवधारणा जहा उसकी अपरांगमुखी स्वाधीन सत्ता के अन्वेषण, उससे उद्भूत अन्तःशांति तथा अन्तःरस के अनुसंधान की सकल्पना है, आधुनिकतावादी भौतिकवादी समाज-तंत्रों में मानव-सुख का अन्वेषण आत्म शांति में नहीं वरन् विज्ञान तथा तकनीक द्वारा बहिर्प्रकृति के अधिकाधिक दोहन द्वारा उत्पन्न विलास सामग्रियों तथा साधन-सुविधाओं के विकास और सचयन पर आश्रित है । अतः ऐसे समाजों में सचित 'सम्पत्ति' (प्रापर्टी) का एक विशेष अर्थ तथा उसके नियमन की भी एक विशेष व्यवस्था होती है । समाजवादी समाज-तंत्र जहां निजी सम्पत्ति को मानव शोषण तथा सामाजिक अन्याय का प्रमुख कारण मानते हुए उस पर समाज अथवा सरकार का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं और इस प्रकार मानव अथवा व्यक्ति को अनिवार्य अपरिग्रह के लिए विवश करते हैं, पूँजीवादी समाज निजी सम्पत्ति के नियमन में सरकारी हस्तक्षेप को अत्यधिक कम कर मानव के सम्पत्ति लोभ को सामाजिक विकास की अभिप्रेरणा में घटाकर परस्पर प्रतिस्पर्धा को पुष्ट कर सामाजिक विकास का उपक्रम रचते हैं । दोनों ही प्रकार के समाज-तंत्रों में परिग्रह अर्थात् सम्पत्ति सग्रह के नियमन की चेष्टा निहित है, या कहे दोनों ही प्रकार को समाज व्यवस्थाओं में 'परिग्रह' तथा 'अपरिग्रह' का एक द्विविधित द्वन्द्व (डायलेक्टिक्स) विद्यमान है जो मानव के अन्तः अन्वेषण जैसे मूल पुरुषार्थ के अभाव में किसी उच्चतर भूमि पर सश्लिष्ट नहीं हो पाते हैं । तत्त्वतः आत्मानुसंधान जैसे मौलिक मूल्य के अभाव में अपरिग्रह की भी विशेष सार्थकता सिद्ध नहीं होती क्योंकि मनुष्य की बहिर्मुखी ऐन्द्रिकता के दबाव में सत्यानुसंधान, आत्मानन्द, सेवा-सुख, ईश्वर-भक्ति या मनोशांति जैसी किसी आभ्यन्तरिक तृप्ति के बिना मानव मन को ऊर्ध्वमुखी रख पाना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव है । इसी कारण अपरिग्रह प्रधान समाज व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास को उतना महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ है जितना कि व्यापक अर्थों में मनुष्य के शैक्षिक विकास को (मात्र साक्षरता प्रधान ज्ञान नहीं) — परा तथा अपरा दोनों ही प्रकार की विद्याओं को इस शिक्षा धारा में समान महत्त्व प्राप्त रहा है । योग अथवा आत्म-अनुसंधान अपरिग्रही परम्पराओं का मूल आधार है तथा एक योगी की प्रतिभा ही प्रत्येक मानव तथा शिक्षा-दर्शन की आदर्श प्रतिभा है । इस अर्थ में अपरिग्रह युक्त समाज के विकास या उत्थान का निकष केवल भौतिक सम्पदा या सुख-सुविधाओं का विकास या सग्रह नहीं वरन् शील या चरित्र सम्पन्न आत्म-वृत्त सृजनशील मानव समूहों के निर्माण का निकष है । किसी समाज में लोग साक्षर कितने हैं, जन-संचार साधनों का कितना उपयोग करते हैं, महत्त्वाकांक्षी कितने हैं, राजनैतिक गतिविधियों के प्रति कितने

जागरूक है जैसे आधुनिकता के समाजशास्त्रीय सूचकाकों द्वारा ऐसे समाज के विकास का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं होगा। महात्मा गांधी द्वारा अवधारित राम राज्य तथा स्वावलम्बी समाज रचना के सकल्प को आधुनिकतावादी समाज शास्त्री तथा अर्थशास्त्री कई बार एक प्रतिगामी विचार के रूप में अस्वीकार कर देते हैं। वास्तव में महात्मा गांधी ने वर्तमान युग के अनुरूप अपरिग्रह के सामाजिक अर्थ को व्यापकता प्रदान करते हुए सम्पत्ति-संग्रह की मानव वृत्ति को 'ट्रस्टीशिप' की अवधारणा से जोड़कर एक व्यापक मानवीय आधार प्रदान किया था। जहां मार्क्सवादी सकल्पनाएँ धन सम्पत्ति को व्यक्ति के निजी अधिकार क्षेत्र से हटाकर उसे सरकारी क्षेत्र में अधिकृत कर लेती हैं (यहां तक कि व्यक्ति स्वयं भी सरकारी सम्पत्ति का ही एक भाग होता है, उसका अपना निजी स्वातंत्र्य-बोध नगण्य प्रायः होता है) तथा इसके विपरीत पूँजीवादी या 'स्वतंत्र' देशों में सभी आर्थिक-सामाजिक उपक्रम व्यक्ति-स्वातंत्र्य ('प्रवृत्ति' जन्य स्वातंत्र्य) का अंग बनकर एक खुली प्रतिस्पर्धा (बाजार) या दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। महात्मा गांधी भारतीय पारम्परिक चिन्तन के अनुरूप सम्पत्ति को उसके इन प्रचलित सन्दर्भों से निकालकर दिव्यता या भगवत सत्ता के उच्च आदर्श सन्दर्भों से जोड़ते हैं। मूलतः प्रकृति-जगत का अंग होने के नाते धन-सम्पत्ति पर मात्र व्यक्ति या मानव समूह का ही अधिकार नहीं वरन् मूलतः वह दिव्य-सत्ता के अधिकार क्षेत्र की वस्तु है अतः कुछ न कुछ अंशों में उस पर सभी जीवधारि प्राणियों का अधिकार है, जिस व्यक्ति के पास वर्तमान में वह सम्पत्ति केन्द्रित है वास्तव में वह उसका अधिकारी नहीं वरन् 'ट्रस्टी' या रक्षक है और इस रूप में साधारण भोक्ता की तुलना में ऐसे रक्षक का दायित्व उस सम्पत्ति के प्रति अधिक गहन होता है। इस प्रकार 'सम्पत्ति' या सम्पदा को महात्मा गांधी मानव जीवन के उदात्त एवं उच्चतम सन्दर्भ से जोड़कर तथा पुनः उसे साधारण जीवन के निम्न आधारों या स्तरों तक उतार कर व्यावहारिक बनाने की चेष्टा करते हैं। उनके इस सम्पूर्ण चिन्तन का आधार उनकी मानव मात्र में अटूट श्रद्धा या विश्वास है। उनकी दृष्टि में मानव केवल प्रतिस्पर्धा, सघर्ष, ईर्ष्या-द्वेष जैसी निम्न वृत्तियों का पुज एक हीन पशु नहीं वरन् अतः सम्भावनाओं का पुज एक दिव्य सत्ता है, अमृत पुत्र है अतः उनका समस्त चिन्तन इसी आधार तथा आदर्श की ओर सकेन्द्रित है। इसी कारण उनकी अपरिग्रह तथा 'ट्रस्टीशिप' की अवधारणाएँ निकटस्थ रूप में 'सत्याग्रह' की अवधारणा से भी जुड़ी हुई हैं। भगवत सत्ता को उन्होंने 'सत्य' की ही अनन्त सत्ता के रूप में ग्रहण किया है। 'सत्याग्रह' उनकी दृष्टि में जहां आत्मनिरीक्षण तथा आत्मशुद्धि का एक प्रखर साधन है, वहीं बहिर्जगत की शुद्धि तथा मुक्ति का भी एक सशक्त माध्यम है। किसी देश या राष्ट्र को निजी सम्पत्ति स्वीकार कर उसका शोषण करने वाली विदेशी सत्ता का गांधीजी ने 'सत्याग्रह' के अहिंसक हथियार द्वारा ही उच्छेदन किया था और इसी अहिंसक बल का

उपयोग निजी, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी क्षेत्र में व्याप्त मिथ्याचार (सत्य-विच्युति) के परिमार्जन के लिये किया जा सकता है ।

वास्तव में पारम्परिक अपरिग्रहवादी आत्म-अन्वेषणी धारा तथा 'प्रकृति'वादी आधुनिक विज्ञानवादी धारा, इन दोनों चिंतन धाराओं तथा इन पर अवलम्बित समाज-रचना की अवधारणाओं में आज अन्तराल इतना अधिक बढ़ गया है कि महात्मा गांधी के समाज रचना की सकल्पना भी उनके देहान्त के तुरन्त बाद राजनेताओं तथा प्रबुद्धजन द्वारा स्वप्नवत् अस्वीकार कर दी गई और उसका स्थान ग्रहण किया आधुनिकतावादी वृहद्कायी पंचवर्षीय योजनाओं तथा महानगरीय कल-कारखानों ने । ये विकास योजनाएँ लघुकायी ग्रामीण समुदायों के स्वावलम्बन की अपेक्षा केन्द्रीकृत अर्थनीतियों पर आधारित परावलम्बन की योजनाएँ अधिक थी, भारतीय सामाजिक ढांचे को पश्चिमी समाज के अनुरूप ढालने की योजनाएँ अधिक थी । गांधीवादी अपरिग्रही तथा सत्याग्रही चिन्तन के एकदम प्रतिकूल इन सरकारी नीतियों का भारत के प्रबुद्ध वर्ग विशेष रूप से समाजशास्त्रियों ने भी परम्परा के आधुनिकीकरण के नाम पर पर्याप्त गुणगान किया ; किसी व्यापक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा मनुष्य निर्माण की जगह अर्थ एवं भौतिक सम्पदा की रचना पर अधिक बल दिया गया । समाज निर्माण के इस विकास-विकल्प के जो सामाजिक परिणाम प्रकट हुए हैं, वे हमारे सामने हैं । सम्पत्ति और सम्पदा, सस्थाओं और वृहद्कायी ढांचों का तीव्र गति से विस्तार हुआ है किन्तु 'मनुष्य' कहीं खो गया है, सर्वत्र एक मानवीय ह्रास तथा विसंगति दिखाई देती है ।

आधुनिकतावादी समाज वैज्ञानिक इस मानवीय ह्रास को अपनी मूल्य-मुक्त वस्तु-परक दृष्टि से प्रगति या विकास के लिए समाज द्वारा चुकाई गई कीमत की सजा देगा और विज्ञान व तकनीक को असीमित प्रगति की दुहाई देते हुए एक मुखद् भविष्य के लिए आशान्वित भी करेगा किन्तु वास्तविकता उसकी इस धारणा से कहीं अधिक गहन और गम्भीर है ।

वास्तव में आधुनिकतावाद के नाम पर घटित इस मानवीय ह्रास का उपचार जिसे आज अणु-आयुधों की होड़ से लेकर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा व्यक्ति के जीवन में निरन्तर बढ़ती हुई अर्थहीनता में सहज देखा जा सकता है, केवल अच्छे प्रशासन-प्रबन्ध अथवा तकनीकी आविष्कारों द्वारा नहीं किया जा सकता है । वास्तव में अतिशय भोग द्वारा उत्पन्न इस रुग्ण चेतना के आरोग्य लाभ के लिये किसी तत्र-रचना की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि मूल्यापेक्षी मानव के निर्माण की है और यह कार्य केवल अपरिग्रह तथा आत्मान्वेषण जैसे मूल्यों पर आधारित एक नये जीवन दर्शन तथा नई आचार संहिता की स्थापना द्वारा ही सम्भव हो सकता है । और इस सन्दर्भ में

समाज शास्त्र की कार्य भूमिका तथा मूल स्थापनाओं में भी आमूल परिवर्तन करना होगा, उन्हें अधिक व्यापक या फलदायी बनाना होगा। अपरिग्रह का समाजशास्त्र वास्तव में प्रचलित समाजशास्त्र से भिन्न मूल्य निरपेक्ष समाज-विज्ञान नहीं वरन् मानव जीवन के उदात्त मूल्यों के प्रति सकल्पित समाज का शास्त्र होगा जिसका यथार्थ-बोध प्रकृति विज्ञानों की भांति मात्र जो कुछ है अर्थात् प्रदत्त तथ्यों के विश्लेषण तक ही सीमित न रहकर अपने अध्ययन क्षेत्र में जो होना 'चाहिये' उसे भी सम्मिलित करेगा, केवल सरकारी नीतियों का अनुगामी या पोषक शास्त्र (पॉलिसी विज्ञान) अथवा मात्र बौद्धिक रस पिपासुओं की तर्क-क्रीडा न होकर मानव की सामाजिक अपेक्षाओं को भी समाहित करेगा। सत्य, शिव तथा सुन्दर का उद्घाटन ही ऐसे मानवीय समाज शास्त्र को प्रमुख प्रेरणा होंगे। आधुनिक युग में मैक्सगेलर, सोरोकिन, श्री अरविन्द तथा गांधी का चिन्तन इसी कोटि के समाजशास्त्र की भूमिका है।

समाज के वस्तुविश्लेषण के साथ समाज तथा उसके सदस्यों को उनके मूल लक्ष्यों के प्रति निरन्तर सावधान करना भी समाज शास्त्र का प्रमुख कार्य होना चाहिये। ऐसे समाज शास्त्र को आधुनिक अर्थशास्त्र की इस मान्यता से कि मनुष्य के सुख का मूल उसकी आर्थिक मांगों की अधिकाधिक पूर्ति में निहित है के विपरीत इस सत्य या मान्यता को स्थापित करना होगा कि सुखी जीवन वास्तव में इच्छाओं की अभिवृद्धि और उनको अविवेकी (अताकिक नहीं) तृप्ति में नहीं वरन् इसके प्रतिकूल उनके परिसीमन तथा उनसे मुक्ति प्राप्त करने में है।

यह सत्य है कि वर्तमान युग में जहाँ विश्व का आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक नेतृत्व पश्चिमी राष्ट्रों के हाथों में है, किसी अपरिग्रही समाज अथवा समाजशास्त्र की सकल्पना कर पाना तथा भौतिक ऐश्वर्यों से सम्मोहित आधुनिक विद्वत् वर्ग में उसे स्वीकृत करा पाना अत्यन्त कठिन कार्य है, फिर भी आज के तनाव ग्रस्त जीवन में अपरिग्रह, शांति तथा अहिंसा जैसे मूल्यों की स्थापना की चेष्टा अप्रासंगिक न होगी। पश्चिमी देशों में अतिशय भौतिकता तथा भोगवाद के प्रति बढ़ती हुई जुगुप्सा, धर्म तथा भारतीय आध्यात्म के प्रति अधिकाधिक उत्सुकता तथा स्वीकृति, अणुआयुधों तथा भावी युद्ध की विभीषिका के प्रति भयातुरता तथा शांति के प्रति बढ़ते हुए प्रयास ऐसे मूल्यात्मक अपरिग्रही समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि की रचना करने के लिए आज पर्याप्त कारण बन गये हैं। वास्तव में आधुनिक परिग्रही युग की त्रासदी ही भावी अपरिग्रही समाज की पूर्व पीठिका है और भारतीय समाजशास्त्रियों को इसमें विशेष भूमिका निभानी है। □□

आजकल योग के सम्बन्ध में पर्याप्त जन-अभिरुचि दिखाई पड़ती है। योग को विभिन्न कोणों से परिभाषित एव व्याख्यायित किया जा रहा है। सामान्यतः, भौतिकता के तापो से संतप्त मनुष्य योग से त्वरित फल प्राप्त करने का यत्न कर रहा है। शारीरिक निरोगता, शरीर-यष्टि की स्वस्थता एव मानसिक-शांति हेतु योग अत्यधिक सहायक हो रहा है। किन्तु मनुष्य का व्यक्तित्व भग्न और खण्डित ही बना हुआ है। इसका सम्भवतः कारण यह है कि हम योग के अखण्डित स्वरूप का न तो अर्थ ही जानते हैं और न हम उसे आज के युग की आवश्यकता के अनुकूल अपना ही पाते हैं। परिणामतः योग से होने वाले स्थायी लाभों से हम वंचित ही रहते हैं। व्यष्टि और समष्टि के कल्याणार्थ यह परमावश्यक है कि हम योग का सही अर्थ समझे और उसमें निहित सार-तत्त्व को मनसा, वाचा, कर्मणा आत्मसात् करें।

योग की परम्परा भारत में अत्यधिक प्राचीन है। इस देश के आध्यात्मिक-चिन्तन की तीन मुख्य धाराओं—नैगम (वेदमूलक), बौद्ध और जैन—में योग की प्रचुर चर्चा है। नैगम वाङ्मय में योगियों की कथाएँ आती हैं और योगाभ्यास सम्बन्धी उपदेश मिलते हैं। बौद्ध ग्रन्थ योग और योगियों की चर्चा से भरे पडे हैं। बुद्ध का जीवन ही योग का पुष्कल प्रमाण है। अर्हत-पद जहाँ पहुँच कर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, योग-जन्य समाधि का पुरस्कार है। जैन धर्म में योग की चर्चा अपेक्षाकृत कम है, यहाँ योग की जगह तपश्चर्या को दी गयी है। पर प्रकारान्तर से योग सम्मत जीवन-शैली का ही प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार से योग की धारा अप्रतिहत रूप से भारत-भूमि पर प्रवाहित होती रही है। योग, जन-जीवन में इतना घुल मिल गया है कि धर्म, अध्यात्म, तत्र, साधना, भक्ति, चमत्कार, जादू-टोना आदि का पर्याय सा बन गया है। प्रारम्भ में योग नितान्त गुह्य विषय था, गुरु और शिष्य के बीच का सवाद था, वैयक्तिक साधना का मार्ग था। इसलिए इसमें रहस्य एवं अलौकिकता का तत्त्व समाविष्ट हो गया। फलस्वरूप, योग सम्बन्धी अनेकानेक भ्रात-धारणायें उत्पन्न हो गयीं। कालान्तर में योग की मूल अवधारणा विस्मृत सी हो गयी और इस जीवन-विज्ञान को अपने-अपने ढंग से समझा जाने लगा। वर्तमान युग तक आते-आते योग, मात्र व्यायाम, जिम्नास्टिक, रोगोपचार का साधन एव मन की शांति

देने वाला माध्यम मात्र रह गया है। महर्षि पतञ्जलि की मूल अवधारणा को भुला दिया गया तथा योग विषयक पूर्ण सदृशन की उपेक्षा कर दी गयी। परिणाम यह हुआ कि योग को खंड-खंड रूप में देखा जाने लगा। योगासनों की लोकप्रियता अथवा भावातीत ध्यान या संभोग से समाधि अथवा कुछ विलक्षण योगियों द्वारा समय-समय पर किये गये अलौकिक चमत्कारों में ही योग सिमट कर रह गया। नैतिक आचरण—व्यक्तिगत एवं समष्टिगत के नियमन में योग की महती भूमिका को नजरअन्दाज कर दिया गया। योग मात्र एक फैशन बन गया।

हम यह भूल गये कि महर्षि पतञ्जलि एक महान् समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपने अष्टांग-योग की रचना 'व्यक्ति' के आत्म-निर्माण एवं विकास हेतु की थी तथा व्यक्ति के माध्यम से समाज का उन्नयन ही उनका अभीप्सित था। उनकी योग सम्बन्धी धारणा नितान्त वैज्ञानिक एवं साधनापरक है। 'योगदर्शन' के रचनाकार के दृष्टि-पथ में मनुष्य का नैतिक शुद्धाचरण प्रमुख था। इसीलिए उन्होंने यम-नियमों को वरीयता-क्रम में पहला स्थान दिया। ये यम-नियम व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक आचरण की मूल भित्ति हैं। इनके सतत अभ्यास से मनुष्य में शुचिता उत्पन्न होती है, योग-मार्ग में प्रशस्त होने की पात्रता प्राप्त होती है। यह प्रणाली एक सखिलष्ट प्रणाली है—यम-नियम एक-दूसरे से गुँथे हुए हैं तथा एक-दूसरे के पूरक हैं। ये मनुष्य को पूर्णता प्रदान कर उसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की इन्द्रियातीत स्थिति तक पहुँचाते हैं।

व्यक्ति का कल्याण तथा उसके द्वारा-समष्टि-कल्याण ही योग-दर्शनकार का मुख्य इष्ट था। इस सदी में योग के सम्बन्ध में प्रभूत साहित्य लिखा जा रहा है, योग द्वारा स्वास्थ्य-सौन्दर्य, रोगमुक्ति, स्लिमिंग आदि के नुस्खे बताये जा रहे हैं। पर, यम-नियम सम्बन्धी चर्चा का प्रायः अभाव सा ही है। इस उपेक्षा का कारण सम्भवतः मनुष्य-की भौतिकता सकुल प्रवृत्ति है अथवा त्वरित फल प्राप्त करने का उतावलापन है। योग को इस प्रकार खडित स्वरूप में देखा जा रहा है। यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) तथा नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान) आज के मनुष्य-जीवन की परम आवश्यकता है। यदि मनुष्य आज के युग की भयावह त्रासदी से मुक्ति पाना चाहता है तो यह जरूरी है कि वह यम-नियम पर आधारित योगमय जीवन-शैली को अपनाये और फिर, विज्ञान के इस परिग्रही युग में मनुष्य को अपरिग्रही बनकर विनाश से बचना है, अन्यथा, उसकी परिग्रह-प्रवृत्ति उसे जायेगी।

आज के गति-प्रधान एवं वैभवोन्मुख युग में किंचित् विचित्र सी लगे, पर सत्य तो यह है कि

मानव की कोई गति भी नहीं। इस अपरिग्रह की प्रवृत्ति को योग के सतत अभ्यास से अर्जित किया जा सकता है।

केवल योग की जीवन-प्रणाली में आस्थावान् व्यक्ति ही अपरिग्रह की ओर उन्मुख हो सकते हैं। अपरिग्रह की बात जैन धर्म में पंचम व्रत के रूप में मिलती है तथा इसे नैतिक-आचरण में बड़ा स्थान दिया गया है। योगदर्शन में अपरिग्रह पाँचवा यम है। वास्तव में किसी न किसी रूप में प्रत्येक धर्म अथवा चिन्तन में अपरिग्रह की अवधारणा का समर्थन किया गया है। अपरिग्रह क्या है? अपने स्वार्थ के लिए ममतापूर्वक बन, सम्पत्ति और भोग-सामग्री का संचय करना परिग्रह है, इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है। यह बात सूत्र रूप में कही गयी है, पर अपरिग्रह व्यक्ति की त्यागोन्मुख एवं अनासक्तिपरक वैराग्योन्मुख जीवन-दृष्टि का नाम है। जो अपरिग्रही है वह सच्चा योगी है, महात्मा है, महान् सन्त है। जहाँ कही भी परोपकार, दान, त्याग, वैराग्य का प्रसंग आयेगा, वहाँ अपरिग्रह अवश्य रहेगा। इसलिए यह परमावश्यक है कि आत्म-विकास के पथ पर चलने वाला साधक अपरिग्रह की स्थिति तक पहुँचने का क्रमशः सतत अभ्यास करे। योग के माध्यम से यह स्थिति सम्भव हो सकती है। जब व्यक्ति अपरिग्रही बन जायेगा तो शेष यम-नियम अपने आप सध जायेंगे, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है यम-नियम आपस में अन्तर्ग्रथित हैं तथा मनुष्य के आध्यात्मिक-उद्धार में समग्र रूप से योगदान देते हैं। जिस व्यक्ति में संचय-सग्रह की प्रवृत्ति का अभाव होगा—वह हिंसा, द्वेष, वैमनस्य आदि दोषों से मुक्त रहेगा, वह सत्यशील होगा क्योंकि वह निर्भय होगा, वह किसी की सम्पत्ति को क्यों चुराना चाहेगा? (अस्तेय), ऐसा व्यक्ति संयमी होगा और ब्रह्मचर्य का निर्वाधि रूपेण पालन करेगा। उसके जीवन में शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान स्वतः ही प्रविष्ट हो जायेंगे। इस प्रकार से अपरिग्रह का अनुसरण करता हुआ व्यक्ति न केवल आत्मोत्थान की दिशा में अग्रसर होगा अपितु वह समाज में प्रेम, सद्भाव, करुणा, मैत्री मुदिता, विश्व-बन्धुत्व प्रभृति दिव्योन्मुख मानवीय गुणों से एक विशेष वातावरण का निर्माण करेगा। अपरिग्रह का अभ्यासी व्यक्ति वैयक्तिक-विघटन तथा सामाजिक-वैषम्य पर पूर्णविराम लगाने में एक सार्थक तथा प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा।

परिग्रह के मूल में मनुष्य के चित्त में संचित पाँच मल विशेष कारण बनते हैं। जब तक चित्त इन मलों से मुक्त नहीं हो पाता, मनुष्य अपरिग्रही नहीं बन सकता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश—मनुष्य को परिग्रह के गर्त में ढकेलते हैं। इन अशुद्धियों का प्रक्षालन योग से ही सम्भव है। शौच—वाह्य एवं आन्तरिक—इन मलों को धो डालता है; सन्तोष, अपरिग्रह को सबल प्रदान करता है, तप के द्वारा मनुष्य परिग्रह के सम्मोहन से मुक्त होता है; स्वाध्याय चित्त में शुचिता एवं आत्मानुशीलन की पूर्वपीठिका तैयार करता है।

ईश्वर-प्रणिधान का अभ्यास कर मनुष्य निश्चिन्त भाव से अपना कर्म करता हुआ अपरिग्रह की दिशा में आगे बढ़ता है क्योंकि उसे भगवान कृष्ण के वचन याद रहते हैं—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां,
ये जना पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

“जो एकाग्र मन से एकमात्र मेरी भक्ति करते हैं और प्रत्येक क्षण अनन्य भाव से मुझमें स्थित है, मैं उनके योगक्षेम की व्यवस्था कर देता हूँ। उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और सर्वदा के लिए उनकी रक्षा करता हूँ।”

इस प्रकार से अपरिग्रही से ईश्वर के प्रति आस्था एव अपने कर्म के प्रति विश्वास-श्रद्धा होती है। वह निष्काम रूप से ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ का पालन करता है। उसे विश्वास है कि यदि वह सतत कर्मशील रहे तो उसे चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। वह कर्म करता है अनासक्त भाव से, ईश्वर का आदेश मानकर—वह फिर कर्म-बन्धन में क्यों कर बंधेगा? उसे अनावश्यक संग्रह की क्यों आवश्यकता हो? कल की वह चिन्ता क्यों करे? यदि उसमें कौशल है तो वह जब चाहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ अथवा अन्य साधन जुटा सकता है। जो व्यक्ति मन से निर्बल है, जिसमें आत्म-विश्वास की कमी है, ईश्वरार्पण में जिसकी श्रद्धा नहीं—वही व्यक्ति परिग्रह की ओर बढ़ता है। योग के सतत अभ्यास से व्यक्ति में संयम, शक्ति, आत्म-विश्वास आदि गुणों का विकास होता है।

सच्चा अपरिग्रही ‘अपने’ (‘आत्मानं विद्धि’ या ‘Know Thyself’) को जानता है। योग दर्शनकार कहते हैं, “अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथन्ता सवोधः” (साधन पाद ३६)। इस प्रकार के आत्म-ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। उसे पता है कि भोगों के भोग से तृप्ति नहीं होती। भर्तृ हरि के उपदेश का मर्म वह जानता है—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता
स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।
कालो न यातो वयमेव याता
स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ।

—“भोगों को हमने नहीं भोगा, किन्तु हम ही भोगे गये। तप नहीं तपे

गये, किन्तु हम ही तपे गये । समय नहीं कटा किन्तु हम ही कट गये, सचमुच तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।”

उसे सासारिक भोगों की निस्सारता का ज्ञान होता है और वह जानता है कि—

न जातु काम. कामानामुपभोगेन शाभ्यति ।
हविषा कृष्ण वत्सर्वे भूय एवाभिवर्धते ॥

“आग में चाहे हवन की कितनी भी सामग्री डाली जाये आग की तृप्ति नहीं होती वह और उद्दीप्त हो जाती है, उसी प्रकार भोग जितने भी भोगे जाये भोगेच्छा की तृप्ति नहीं होती । वह और भी बढ़ती ही जाती है ।”

उसका आदर्श कबीर के शब्दों में कहा जा सकता है—

साई एता दीजिए, जामे कुटुम्ब समाय ।
मै भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥

अपरिग्रह का भाव ‘योगदर्शन’ में वर्णित ‘वैराग्य’ से तथा ‘गीता’ में प्रतिपादित ‘अनासक्ति’ से जुड़ा हुआ है । यह स्थिति सतत अभ्यास से प्राप्त होती है । जब व्यक्ति योग की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसमें आत्म-ज्ञान का प्रकाश चमकने लगता है । वह सत्य-असत्य, नित्य-अनित्य, सार-निस्सार, जड-चेतन का भेद जान जाता है । वह व्यक्ति योग के द्वारा चित्तवृत्तियों (प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति) एवं चित्त-विभ्रमों (व्याधि, स्त्यान, सशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति-दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व) का निरोध करता हुआ, ‘योगस्थ’ होकर कर्म करता है । कर्म की प्रक्रिया में अनासक्त रहता है । कर्म में कौशल अर्जित करता हुआ, फलेच्छा से वियुक्त हो, ‘कर्ता’ के भाव से नहीं जुड़ता । जब किसी व्यक्ति की इस प्रकार की मन स्थिति हो जाती है तो वह अपरिग्रह की ओर बढ़ने लगता है । वह स्वार्थपरता एवं सकीर्णता की कारा से निकल प्राणिमात्र को दिव्य-तत्त्व का अंश मानने लगता है । सही अर्थों में ऐसे व्यक्ति को ‘वीतराग’, ‘स्थिरधी’ या ‘स्थितप्रज्ञ’ कहा जाता है । योग-दर्शन में, गीता में और विभिन्न धर्मों में योग की इस विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन मिलता है ।

अपरिग्रह में आत्मावलम्बन, कार्यकौशल, श्रम की गरिमा, ईश्वरार्पण तथा त्यागशीलता स्वतः ही आ जाते हैं । योग की प्रक्रिया अपने आठ सोपानों (अष्टांग योग) के द्वारा व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान करती है, उसे ‘जागृत’ करती है ‘मूर्च्छा’ से । चेतना के सभी स्तर योग से प्रभावित होते हैं । मनुष्य का समग्र रूपेण दिव्यान्तरण हो जाता है । अनुदात्त, उदात्त होकर व्यक्ति को भीतर से

बदल देता है। यम-नियम उसे नैतिक आचरण का अभ्यास कराते हैं, आसन प्राणायाम—उसके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, प्रत्याहार की प्रक्रिया उसे अन्तर्दर्शन सिखाती है। धारणा, ध्यान, समाधि—उसे उसके गतव्य—कैवल्य तक पहुँचाते हैं।

अपरिग्रह और 'युक्त' जीवन का गहरा सम्बन्ध है। अपरिग्रही व्यक्ति 'युक्त' जीवन का अभ्यासी होता है। ऐसा व्यक्ति योग का सही लाभ उठाता है—

युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा ।
—गीता ६/१०

वह अपना 'जमीर' कभी नहीं बेचता, क्योंकि उसे इच्छाओं पर विजय प्राप्त होती है। वह शायद कहता है—

अपना जमीर बेचकर, खुशियाँ खरीद लें
ऐसे तो इस जहाँ में, तलबगार हम नहीं।

वह निर्भय एवं निष्काम होता है। उसे मृत्यु से भी भय नहीं क्योंकि—

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुव जन्म मृतस्य च
तस्माद परिहार्योऽर्थे न त्व शोचितुमर्हसि ।
—गीता २/२७

उसकी आवश्यकताये सीमित होती है, उसे लोभ नहीं सताता, लिप्सा उसके पास नहीं फटकती। ऐसा अपरिग्रही 'या निशा सर्वभूतानां तस्याम् जागर्ति सयमी' का प्रदीप्त साक्ष्य होता है।

अपरिग्रह का मार्ग अत्यन्त कठिन है। आज के युग में इसे 'महाव्रत' के रूप में अपनाना सामान्यतः कठिन ही है तथापि इसे 'अणुव्रत' के रूप में अंगीकार किया जा सकता है। शनैः-शनैः व्यक्ति गतव्य तक पहुँच सकता है। अपरिग्रह के राही के सामने अनेकानेक चुनौतियाँ होती हैं। इन अवरोधों के सम्बन्ध में शिवानन्द आश्रम, ऋषिकेष के सन्त स्वामी कृष्णानन्दजी कहते हैं, "हमारे भीतर एषणाये विविध प्रकार से और नाना कोटियों के प्रलोभनों के रूप में प्रकट होती हैं, अतः इस पथ पर अग्रसर होते समय सर्वप्रथम आपको प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। उसे आप जीत नहीं सकते। लोभ, लोभ के रूप में नहीं आता, अतः उसे कोई रोक नहीं सकता। दुष्ट यदि दुष्ट के रूप में आये तो आप उसे पहचान लेंगे, अतः वह सन्त के रूप में आता है और उसे आप समझने

में भूल कर जाते हैं। इन्द्रिय-सुख भोग और अहं-तुष्टि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन जाते हैं। 'यह तो हमारे लिए अनिवार्य है, इसकी हमें तीव्र आवश्यकता है', 'यह आवश्यक प्रलोभन नहीं'—आप अपने समक्ष ऐसे ही तर्क प्रस्तुत कर देते हैं। आसक्ति को दयालुता मान लेते हैं। काम और लोभ को जीवन की आवश्यकता समझ लेते हैं। अहंकार और स्वार्थपरता को जनहिताय और परहिताय समझ लिया जाता है। मिथ्या वस्तु को गलती से सत्य समझ लिया जाता है। ससार को ईश्वर, दुःख को सुख, और भ्रम को सिद्धि मान लिया जाता है। आत्म-पथ पर इन प्रलोभनों से मुठभेड़ होती है।”

अतएव, यह परमावश्यक है कि अपरिग्रह का पथिक इन प्रलोभनों से सावधान रहे। 'बाह्य अपरिग्रह' तथा 'आन्तरिक अपरिग्रह'—समन्वित रहे। यदि ऊपर से हमने वस्तुओं से नाता तोड़ लिया, पर मन से हम यह न कर पाये तो वह अपरिग्रह नहीं होगा, मात्र आत्म-प्रवंचन ही होगा। 'वैराग्य' एव 'अभ्यास' से यह स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

योग की वैज्ञानिक-प्रक्रिया व्यक्ति में अपरिग्रह की भाव-भूमि तैयार करती है। हमारे भीतर का त्याज्य, हेय तत्त्व रचनाशील तत्त्व में बदल जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय योग संस्थान बम्बई के संस्थापक महान् योगी श्री योगेन्द्रजी का कथन यहाँ उल्लेखनीय है : “Yoga is the triumph of human endeavour against what is evil in Nature, it is the mastery over its forces and it is the Symbol of the maximum in the psychic achievement and evolution of Man. The ultimate achievement of Yoga is the transformation of personality (चित्त) from the disintegrated into the integrated one, and from the ignoble to the noble being” योग के द्वारा मनुष्य दिव्य-चेतना से संस्पर्शित होता है, अपरिग्रह का मार्ग उसे जड़ से चेतन की ओर ले जाता है।

आज के विश्व को अपरिग्रह की नितात आवश्यकता है। विज्ञान की अनेकानेक उपलब्धियाँ मनुष्य को 'परिग्रह' की अन्धेरी गुफाओं में ले जा रही हैं। परिग्रह ही मनुष्य के अवसान का कारण बनता जा रहा है। भौतिकता की अन्धी दौड़ में हम अपने 'स्वरूप' को भूलते जा रहे हैं। मानव, शांति के लिए छटपटा रहा है। पर उसे शांति कहाँ ? परिग्रह की प्रवृत्ति राग, द्वेष, वैमनस्य, शक्ति-सचय, शस्त्र-संग्रह, स्वार्थपरता, वैषम्य के रूप में यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रकट हो रही है। मनुष्य में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, उसे अपने पर भरोसा नहीं, 'अपनों' पर भरोसा नहीं, ईश्वर पर भरोसा नहीं। भविष्य को सुरक्षित बनाने के भ्रम में वह परिग्रह की ओर दौड़ रहा है। चारों ओर आघाघापी मची हुई है।

इस स्थिति में योग ही मानव को बचा सकता है । व्यष्टि के स्तर पर 'अपरिग्रह' व्यक्ति का परिष्कार करेगा । उसे आनन्द की अनुभूति करायेगा, उसे निर्द्वन्द्व बनायेगा, अभय-दान देगा, उसको पूर्णता की ओर ले जायेगा । समष्टि के स्तर पर अपरिग्रह, विश्वबन्धुत्व के भाव को पुष्ट करेगा, सुख-शांति का संवाहक बनेगा । यह तभी सम्भव होगा जब हम योगमय जीवन-शैली का वरण करेंगे, उसके अखण्डित स्वरूप (Holistic Form) में । यदि अपरिग्रह में मनुष्य की प्रतिष्ठा हो गयी तो हिंसा का अन्त हो सकेगा । अपरिग्रह के होने पर अहिंसा तो स्वतः फलित होगी ही । यदि लोभ नहीं है तो द्वेष क्यों उत्पन्न होगा और द्वेष के बिना हिंसा का जन्म कैसे होगा ? अपरिग्रह की भावना में 'ईशोवास्यो पनिषद्' का यह स्वर भी मिला रहना चाहिए—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

यदि 'त्यक्तेन भुंजीथा' का भाव, कर्म करते हुए यदि रहे तो अपरिग्रह की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी । अपरिग्रही सच्चे आनन्द की अनुभूति कर सकेगा—

सुकू दिल मयस्सर हो तलब में गैर मुमकिन है ।

सुकू चाहे तो इसा अपनी दुनिया मुस्तसर कर ले ।

अपरिग्रह की इससे अच्छी परिभाषा हो नहीं सकती ।



यह अन्न गरीबों के लिए है !

सन् १३१३ की बात है । गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा । सभी लोग दाने-दाने के लिए तरस रहे थे । सेठ जगडूशाह ने गाँव-गाँव में सदाव्रत खोलकर भूखों को अन्न बाँटना शुरू कर दिया था । वहाँ के महाराजा ने जब यह बात सुनी तो जगडूशाह को ससम्मान राजमहल में बुलाया और उनकी दानशीलता की प्रशंसा की और कहा—“सेठजी ! सुना है, आपके पास अनाज के ६००-७०० कोठार भरे पड़े हैं, मैं आपसे दान नहीं माँगना चाहता, सिर्फ अपनी प्रजा को जीवित रखने के लिए उन्हें मोल खरीदना चाहता हूँ ।”

“राजन् ! मेरे पास जो अनाज के कोठार हैं, उनमें से एक भी दाना मेरा अपना नहीं है, फिर बेचूँ क्या ?” सेठजी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया ।

यह सुनकर महाराजा ने सेठजी के कोठारों की जाँच करवाई तो प्रत्येक कोठार में ताम्रपत्र पर खुदा हुआ मिला कि 'यह अन्न गरीबों के लिए है ।'

जगडूशाह की अद्भुत उदारता, कर्षणा और निर्लोभता के सामने महाराजा का सिर झुक गया ।

□ राजीव भानावत

जैन धर्म विश्व धर्म है। इसका प्रत्येक सिद्धान्त आत्मा को सुख, स्वास्थ्य एवं परम शांति प्राप्त कराने वाला है। इस परम पवित्र धर्म के प्रत्येक नियम, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार पालन कर सकता है। नियमोपनियम को सच्चे हृदय व सही रूप से पालन करने से जहाँ एक ओर आत्मा का उत्थान व परम शान्ति प्राप्त होती है, वही दूसरी ओर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त किया जा सकता है।

जीवन में कष्ट व दुःख से छुटकारा पाने व परम शान्ति प्राप्त करने के लिये ही परिग्रह-परिमाण व्रत का पालन करना जैन दर्शन में आवश्यक बतलाया है। प्रत्येक गृहस्थ परिग्रह की मर्यादा करके शान्ति से जीवन यापन कर सकता है, जिससे व्यर्थ की चिन्ता, फिक्र, मानसिक तनाव आदि से छुटकारा पाया जा सकता है।

वर्तमान में बढ़ते हुए औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण ने स्पर्द्धा, प्रतिस्पर्द्धा, इच्छा, सग्रह, चिन्ता, वैमनस्य, कटुता, मानसिक तनाव आदि को बहुत अधिक बढ़ाया है। आज का मानव उपर्युक्त सभी जंजालों में फंसा हुआ है, इसी के फलस्वरूप मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तथा मानसिक तनाव के कारण नाना प्रकार के आधुनिक रोगों से मानव ग्रस्त होता जा रहा है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग एवं मानसिक रोगों का कारण मानसिक तनाव ही है। इन रोगों पर अकुशल लगाने हेतु जैन दर्शन में बताये गये परिग्रह-परिमाण व्रत के पालन करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

स्वास्थ्य की अवधारणा

स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि "HEALTH IS THE STATE OF COMPLETE PHYSICAL, MENTAL & SOCIAL WELL-BEING, NOT MERELY THE ABSENCE FROM DISEASE OR INFIRMITY."

अर्थात् स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अच्छेपन की स्थिति है, न कि रोग व दुर्बलता से मुक्ति मात्र ही।

स्वास्थ्य के उक्त तीन पहलुओं में 'आध्यात्मिक स्वास्थ्य' का समावेश भी किया गया है। इस पहलू से जीवन को सही अर्थ में उपयोगी बनाया जा सकता है।

मानसिक एवं आध्यात्मिक आरोग्यता को बनाये रखने में जैन धर्म में अनेक नियम व उपनियम बताये हैं, इनमें परिग्रह से हटाव मुख्य है।

परिग्रह क्या है ?

साधारण शब्दों में जिसे ग्रहण किया जावे, वह 'परिग्रह' है। ग्रहण उसे ही किया जाता है जिससे ममत्व है, जिससे किसी प्रकार का ममत्व नहीं है, उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता न निश्चयपूर्वक पास ही रखा जाता है। इस प्रकार जिसको ममत्व भाव से ग्रहण किया जाता है, वही 'परिग्रह' है।

स्वर्गीय पूज्य आचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज के प्रवचनानुसार परिग्रह का अर्थ ममत्वभाव है, इसलिये जिनसे ममत्वभाव है, वे समस्त वस्तुएँ परिग्रह में हैं। जो क्रोध, मान, माया, लोभ का उत्पादक है, वही परिग्रह है। शास्त्रकारों का कथन है कि ज्ञान, ससार बन्धन से मुक्त करने वाला है, लेकिन यदि उसके कारण किञ्चित् भी अभिमान उत्पन्न हुआ है, तो वह ज्ञान भी परिग्रह है। धर्म-पालन के लिये शरीर का होना आवश्यक है, परन्तु यदि शरीर से थोड़ा भी ममत्व है, तो शरीर परिग्रह है। इस प्रकार जिसके प्रति ममत्व भाव है, जिससे काम, क्रोध, लोभ या मोह का जन्म हुआ है, वह परिग्रह है। परिग्रह आत्मा के लिये बन्धन है, जिससे आत्मा पुनः पुनः जन्म-मरण करती है। परिग्रह आत्मा के लिये बोझ है, जो आत्मा को उन्नत नहीं होने देता और मोक्ष की ओर नहीं जाने देता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिग्रह के कुप्रभाव स्पष्ट रूप से विद्वानों ने व्यक्त किये, किन्तु शारीरिक, मानसिक विकार उत्पन्न करने में भी परिग्रह महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

विद्वानों ने, परिग्रह के बाह्य व आभ्यन्तर दो भेद किये हैं। आभ्यन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि को माना है, जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः मन से है, मस्तिष्क से है तथा जिनका निवासस्थान भी मन ही है, अर्थात् जो मन अथवा हृदय से ही सम्बन्ध रखते हैं और विचार रूप हैं, उन सबकी गणना आभ्यन्तर परिग्रह में है। बाह्य परिग्रह के विद्वानों ने दो भेद बताये हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ भेद में वे समस्त पदार्थ आ जाते हैं, जिनमें जान नहीं है, किन्तु जो निर्जीव है—जैसे—वस्त्र, पात्र, चाँदी, स्वर्ण, सिक्का, घन, सम्पत्ति, मकान, जायदाद आदि। चैतन्य भेद में, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, वृक्ष आदि समस्त सजीव पदार्थों का ग्रहण हो जाता है। यह संसार, जड़ और चैतन्य के संयोग से ही है। ससार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, वह या तो

जड़ है या चैतन्य है। इसलिये जड़ और चैतन्य भेद में ससार के समस्त पदार्थ आ जाते हैं। जैन-दर्शन में परिग्रह के बारे में गहराई से विस्तृत वर्णन किया है। जैन-दर्शन के अनुसार—पदार्थ परिग्रह नहीं है, किन्तु उसके प्रति जो ममत्व भाव है, वह ममत्व भाव ही परिग्रह है।

परिग्रह को वृक्ष के रूप में माना गया है। परिग्रह रूपी वृक्ष की जड़ तृष्णा है। मणि, हीरे, जवाहरात, सभी प्रकार के रत्न; तथा मूल्यवान् पदार्थ, सोना-चादी आदि द्रव्य, स्त्री, परिजन, नौकर, चाकर आदि द्विपद; घोड़ा, हाथी, बैल, भैस, ऊँट, भेड़, बकरी, गाय आदि चतुष्पद; रथ, गाड़ी, मोटर, स्कूटर आदि वाहन; अन्न आदि भोज्य पदार्थ; पानी, शर्वत आदि पेय पदार्थ; वस्त्र, बर्तन, सुगन्धित द्रव्य व घर, खेत, जमीन, पर्वत, खदान, ग्राम, नगर आदि पृथ्वी की इच्छा-मूर्च्छा, इसी परिग्रह रूपी वृक्ष की जड़ है। प्राप्त वस्तु की रक्षा चाहना और अप्राप्त वस्तु की कामना करना, यह परिग्रह वृक्ष का मूल है। क्रोध, मान, माया, लोभ इसके स्कन्ध (कन्धे) हैं। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए की गई अनेक प्रकार की चिन्ताये, इस वृक्ष की डालियाँ हैं। इन्द्रियो के काम-भोग, इस वृक्ष के पत्ते, फूल तथा फल हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्लेश इस वृक्ष का कम्पन है। इस प्रकार परिग्रह एक वृक्ष के समान है, जिसका विस्तार ऊपर लिखा गया है।

इच्छा या मूर्च्छा का नाम ही ममत्व या परिग्रह है। मन में सासारिक पदार्थों की इच्छा होती है। मन की चंचलता से इच्छा का जन्म होता है। मन विशेषतः इन्द्रियानुगामी होता है। वह इन्द्रियों के साथ जाना अधिक पसन्द करता है। बाधा न होने पर मन इन्द्रियों के प्रिय मार्ग पर ही चलता है तथा इन्द्रियाँ स्वयं द्वारा ग्राह्य विषयो में ही सुख मानती हैं। यद्यपि विषयों को ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं, उनका काम पदार्थों का ज्ञान कराना है, लेकिन जब बुद्धि मन के अधीन हो जाती है और मन इन्द्रियो का अनुगामी बन जाता है, इन्द्रियो के साथ हो जाता है, तब इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं तथा विषयो में सुख मान कर उनकी ओर दौड़ने लगती हैं। परिग्रह के अन्तर्गत जहाँ भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा करना, प्रयास करना, न मिलने, नहीं प्राप्त होने पर निराश, हताश होना, मानसिक तनाव को जन्म देता है। उसी प्रकार इन्द्रियो की इच्छाओं की पूर्ति के लिये अधिक खाना, तामसिक भोजन खाना, संयम रहित जीवन यापन करना, अधिक विषयभोग में लिप्त रहने से पाचन संस्थान सम्बन्धी व अन्य रोगों का पैदा होना समाविष्ट है।

परिग्रह से मानव-स्वास्थ्य की हानि

जैन शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ परिग्रह है, वहाँ कलह का,

असतोष का, अशांति का बोलवाला है, जो मानव स्वास्थ्य को चौपट कर देता है। मानव परिग्रह से लिप्त होने से रात-दिन येन-केन प्रकारेण अर्थ उपार्जन में लगा रहता है, उसका जीवन असंयमित व अस्वास्थ्यकर हो जाता है। वह चलती-फिरती मशीन की तरह, कोलाहलयुक्त अशांत जीवन व्यतीत करता है। परिग्रह के कारण ही मानव क्रोध, द्वेष, दुर्व्यसनों से घिरा रहता है, अतः परिग्रह ही मानव के समस्त दुःखों का कारण है। वह स्वयं को भी दुःख में डालता है और दूसरों को भी। परिग्रह व्यक्ति व समाज दोनों का ही नुकसान करता है। इससे न व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और न समाज का स्वास्थ्य ही अच्छा रहता है। परिग्रह आध्यात्मिक हानि का कारण तो बनता ही है, साथ ही साथ इससे शारीरिक हानि भी होती है।

परिग्रह के कारण ही इच्छा-मूर्च्छा का ममत्व होता है। इससे सग्रह करने की प्रवृत्ति का जन्म होता है। मानव खाद्य पदार्थों का, सम्पत्ति का आवश्यकता से अधिक सग्रह करता है, जिससे अन्य जरूरतमंद लोगों की मूलभूत आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं होती है। इस कारण लोगों को नगा-भूखा रहना पड़ता है। इसी कारण समाज में विकृतियाँ पैदा होती हैं, चोरी, डाका, लूटमार, हत्या, छीना-भपटी आदि समस्याओं का जन्म होता है। मानव का मानव से समाज में सम्बन्ध, स्नेह, व्यवहार दूषित हो जाता है, स्वास्थ्य का एक पहलू 'सामाजिक अच्छापन' प्रायः नष्ट होता सा दिखाई पड़ता है। मानवीय दरारे गहरी होती जाती हैं। अशांति, क्लेश से मानव जीवन बिलकुल ही अस्वास्थ्यकर व विकृत हो जाता है।

परिग्रह के वशीभूत होकर मानव बिना श्रम किये ही सासारिक सुख भोगना चाहता है, स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की इच्छा रखता है, तथा ठूस-ठूस कर खाता है। अभिमान में डूबा रहता है, अधिक धन, मुनाफा कमाने की लालसा के वशीभूत होकर अमानवीय गलत कार्य करता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है, फलस्वरूप स्वयं के स्वास्थ्य को तो चौपट करता ही है, अन्य लोगों को भी रोगग्रस्त होने में सहायता पहुँचाता है।

परिग्रह के कारण ही दो प्रकार की पोषण सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याएँ हमारे देश में व्याप्त हैं—एक ओर तो लोग खूब-खूब खाते हैं, भूख से अधिक खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं तथा अति पोषण (over-nutrition) के कुप्रभावों से पीड़ित होते हैं जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया, बदहजमी, आम्लाशय व आंतों के छाले (व्रण) आदि। शारीरिक श्रम नहीं करने से उपर्युक्त वर्णित कुप्रभावों का स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। आज का आम व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित है। दूसरी ओर अन्न के अधिक सग्रह से स्वार्थ-लिप्सा व येन-केन-प्रकारेण मुनाफा अधिक कमाने के लालच के

फलस्वरूप कई व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नसीब नहीं होता। महंगाई बढ़ती है, लोग जीवन के लिये दो जून रोटी जुटाने में भी असमर्थ होते हैं, फलस्वरूप अधिकांश लोग अल्प-पोषण या पोषण की कमी (under nutrition) से पीड़ित होते हैं, जैसे—प्रोटीन-कैलोरी की कमी के रोग, विटामिन 'ए' की कमी के रोग, रक्तहीनता आदि। इस प्रकार पोषण सम्बन्धी रोगों का कारण परिग्रह है, शोषण, संग्रह की वृत्तियाँ हैं, आवश्यक पोषण सम्बन्धी वस्तुओं का गलत वितरण है।

परिग्रह के जाल में फँसा हुआ व्यक्ति धन कमाने की चेष्टा में खाद्य पदार्थों में मिलावट करके आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है। आँतों के रोग, पक्षाघात, रक्ताल्पता, मिर्गी के दौरे, अंधापन, जिगर की खराबी आदि रोग खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण होते हैं। सरसों के तेल में आरगेमोन ऑयल मिलाने से नजर की कमजोरी, हृदय रोग, अर्बुद, महामारीय जलशोध, गिरी के तेल, बादाम के तेल में खनिज तेल मिलाने से जिगर में खराबी कैसरीय प्रभाव (जिसके कारण कैसर हो जाता है)। अरहर या चने की दाल के बेसन में खेसरी दाल मिलाने से पक्षाघात तक हो जाता है। हल्दी में लेडक्रोमेट (पीला) मिलाने से रक्ताल्पता, अंधापन, मिर्गी के दौरे आदि रोग हो जाते हैं। मिलावट सम्बन्धी जघन्य अपराध जिससे आम जनता का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है परिग्रह के कारण ही होता है। धन कमाने का परिग्रह इन सबका कारण है।

परिग्रह, निर्दयता भी लाता है, हृदय को कठोर बनाता है। परिग्रह के लिये ही दुर्व्यसनो का सेवन किया-कराया जाता है। मांस भक्षण, मदिरा पान, जुआ, निन्दा, चुगली, भांग, गाँजा, मोर्फिया, हिरोइन आदि के प्रयोग से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ आधुनिक युग में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती हैं। परिग्रह के कारण ही अफीम, हिरोइन आदि का व्यापार लुक-छिपकर यहाँ-वहाँ होता ही रहता है। राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ तथा युवा वर्ग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ में मादक द्रव्यों के उपयोग व व्यापार का बहुत बड़ा हाथ है।

परिग्रह के कारण ही मानव, स्वास्थ्य के लिये उपयोगी प्रकृति-प्रदत्त-पर्यावरण—पेड़-पौधे, जंगलो आदि का नाश करने में लगा हुआ है। हरियाली, पेड़-पौधे, जंगल स्वास्थ्य के लिये घातक प्रभावों को दूर करके स्वास्थ्यवर्धक जलवायु तैयार करते हैं, मानव की स्वार्थ-लिप्सा, लोलुपता, सम्पत्ति की अभिलाषा प्रवृत्ति ने इन सबको नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। परिग्रह के लिये हिंसा, झूठ, परदारागमन, परदाराहरण करने से रतिज रोगों की उत्पत्ति में सहायता मिलती है। परिग्रह के लिये स्वयं के शरीर से भी द्रोह करके

सद्व्यवहार से स्वयं को दूर रखा जाता है तथा प्रकृति विरुद्ध भोजन, मैथुन, नशा आदि कार्य जो शरीर के लिये हानिप्रद हैं, किये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं ।

इस प्रकार परिग्रह के कारण पाप करने सम्बन्धी आदतों के जन्म से कर्म-वन्धन होता है, दुःख का कारण तैयार होता है, साथ ही मानव का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है । जितने भी आधुनिक रोग हैं—उनका कारण परिग्रह सम्बन्धी वृत्तियाँ हैं । उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, मादक पदार्थों के सेवन के जहरीले प्रभाव, पोषण सम्बन्धी रोग, सभी प्रकार के मानसिक रोग—आत्म हत्या, मानव हत्या, मानसिक तनाव, रतिज रोग, मानव जीवन में अशान्ति, दुर्घटना, मधुमेह, कैंसर, घुम्रपान के घातक प्रभाव, बदहजमी, खाद्य पदार्थों में मिलावट के हानिकारक प्रभाव आदि अनेक रोग व स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक असंतुलन का मुख्य कारण परिग्रह ही है । इच्छाओं की दासता, असंयमित, अमर्यादित जीवन जीने के तरीके, रात-दिन धन-संग्रह आदि के दूषित तौरतरीकों के कारण ही मानव अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हो रहा है । परिग्रह के कारण होने वाले पापों, अनर्थों का पूर्णरूपेण वर्णन कर सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों को व्यक्त करना यहाँ कठिन है ।

अपरिग्रह व्रत एवं स्वास्थ्य-वृद्धि

परिग्रह से निवर्तने के लिये जो व्रत स्वीकार किया जाता है उसका नाम 'अपरिग्रह व्रत' है । अपरिग्रह के धारण करने से इहलौकिक एवं पारलौकिक लाभ प्राप्त होते हैं ।

इन्द्रिय भोग के पदार्थों पर नियन्त्रण, संग्रहवृत्ति पर अंकुश, इच्छाओं का दमन, सन्तोष करना, शान्ति रखना, लालसा, अभिलाषा का त्याग, सात्त्विक जीवन, शारीरिक श्रम करना, क्रोध, लोभ का त्याग, चिन्ता रहित जीवन, कलह से मुक्त जीवन, त्यागमय जीवन, खाने-पीने में संयमता, मादक पदार्थों का त्याग, ईर्ष्या, वडाई, अभिमान का त्याग, कचन, कामिनी से दूर रहने का प्रयास (साधु जीवन के लिये आवश्यक), प्रेम, स्नेहयुक्त जीवन थापन आदि कार्य—कलाप अपरिग्रह व्रत के अन्तर्गत आते हैं । जिनका पालन करने से रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य वृद्धि (उत्थान) को बनाया जा सकता है । 'पहला सुख निरोगी काया' तब ही पाया जा सकता है जबकि जीवन मर्यादित, संयमित व अपरिग्रह के सिद्धान्तों पर आधारित हो । जैन संस्कृति में युगों-युगों से आध्यात्मिक—आत्मिक उत्थान हेतु कई सिद्धान्त, नियम, उपनियम, क्रियाएँ आदि का उल्लेख तो उपलब्ध है ही, किन्तु इन नियमों के द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य

भी बनाया जा सकता है। अपरिग्रह के सिद्धान्त के पालन करने से ही जीवन में शान्ति, मानसिक व आधुनिक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। नियमित, संयमित दिनचर्या, नैतिक आचार, विचार, सदाचार, सद्व्यवहार, इन्द्रिय-निग्रह, ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास, शुद्ध व पौष्टिक सात्विक आहार, स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण आदि कार्य-कलाप अपरिग्रह के अन्तर्गत आते हैं, जिससे स्वास्थ्य बनाया जा सकता है, रोगों का निवारण किया जा सकता है। आधुनिक जीवन का व्यवहार "HURRY, WORRY & CURRY, जो कई घातक आधुनिक रोगों जैसे रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक रोग एवं आतों व आमाशय के व्रण आदि के लिये उत्तरदायी है उन पर अपरिग्रह के द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है तथा "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय" के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।



बहू की बुद्धिमत्ता

एक सेठजी थे। उनके पुत्र का विवाह होने पर जो बहू घर में आई वह बड़ी विनीत, निर्भीक और धर्ममर्मज्ञ थी।

घर में आकर उसने देखा कि सेठजी धर्मनिष्ठ तो हैं पर हैं बड़े कंजूस। उनका व्यवहार देखकर उसका मन खिन्न हो उठा।

एक दिन उसने सड़ी जवार के आटे की मोटी काली रोटी बनाकर सेठजी को परोसी। पहला कौर मुँह में रखते ही वे थू-थू कर बोले—“बेटी, घर में आटा तो बहुत है। रोटी बनाने के लिए तूने यह सड़ी जवार का आटा कहाँ से मगवा लिया ?”

बहू ने तन्मत्तापूर्वक उत्तर दिया—“आपने जो अन्नसत्र खोल रखा है। उसमें भूखों को ऐसे ही आटे की रोटी बनवाकर दान की जाती है। मैंने सुना है जैसा यहाँ दिया जाता है, वैसा ही परलोक में मिलता है। बेचारे भूखे लोग तो पेट की आग बुझाने के लिए ऐसी सड़ी-गली रोटी खा लेते हैं पर परलोक में आप ऐसी रोटी कैसे खा सकेंगे। यही सोचकर मैंने अन्नसत्र से वह आटा मंगवा लिया और आपको उसकी रोटी बनाकर परोसी ताकि अभी से आपको वैसी रोटी खाने का अभ्यास हो जाय।”

बहू की सटीक बात सुनकर सेठजी की आँखें खुल गईं और उन्होंने अच्छे अन्न का प्रवन्ध कर दिया।

पर्यावरण-शुद्धि और उपभोग-परिमाण व्रत

□ श्री संजीव भानावत

सम्पूर्ण सृष्टि में अपनी कुछ कतिपय विशेषताओं के कारण मनुष्य सर्व-श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। उसमें सोचने, विचारने और चिन्तन करने की विशेष क्षमता है। अपनी इन्ही विशेषताओं के कारण मनुष्य विकास की प्रारम्भिक अवस्था से आज इस यात्रिक युग में पहुँच गया है।

व्यक्ति में दो प्रकार की सामान्य प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं—मानवीय और पाशविक। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों, 'जिन्हे सत् तथा असत् प्रवृत्ति भी कह सकते हैं', में आपस में संघर्ष चलता रहता है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति काम, क्रोध, मान, मोह आदि कुप्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता जाता है, उसके आत्मिक गुण निखरते जाते हैं अर्थात् उसमें मानवीय प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। यदि मनुष्य इन कुप्रवृत्तियों का दास बन जाता है तो उसमें पाशविक अथवा दानवीय वृत्तियाँ घर करने लगती हैं तथा उसकी सुख-शांति नष्ट होने लगती है।

ये मानवीय प्रवृत्तियाँ मन से संबद्ध होती हैं। मन अत्यन्त चंचल एवं गतिशील होता है। इसी कारण विविध साधनाओं का मूल मन को नियंत्रित करना है। मन इच्छाओं का अपरिमित भंडार है। इच्छाओं की यह अनन्तता सुखी जीवन जीने की राह में प्रमुख बाधा है। व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि वह येनकेन प्रकारेण अपनी इच्छा की पूर्ति करे। एक इच्छा के पूरा होते ही फिर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छाएँ लगातार पनपती रहती हैं और मनुष्य वस्तुओं के भोग में, इच्छाओं की सम्पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता समझ बैठता है पर इच्छाएँ पूरी होती नहीं।

जीवन में सुखी रहने के लिए आवश्यक है—इच्छाओं का नियंत्रण। भगवान् महावीर ने इसे इच्छा परिमाण, परिग्रह-परिमाण कहा है। इसका तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। संग्रह वृत्ति व्यक्ति को स्वार्थी तथा ऐन्द्रिय भोग की ओर प्रवृत्त करती है। संग्रह वृत्ति से वस्तु विशेष के प्रति ममत्व की भावना बढ़ती है। यह ममत्व भाव ही परिग्रह कहा गया है—

“मुच्छा परिग्रहो वृत्तो ।” (दशवैकालिक ६/२०)

यह मूर्च्छा भाव ज्ञान व विवेक दृष्टि को मंद कर देता है । विवेकपूर्ण ढंग से चिन्तन-मनन न कर पाने के कारण व्यक्ति स्वयं अपने लिए समस्याओं का घेरा तैयार कर लेता है । उसका कार्य-संसार अपने तक ही सीमित हो जाता है, दूसरों के प्रति करुणा और आत्मीयता की भावना कम होती हुई क्रमशः सूख जाती है और व्यक्ति निर्मम तथा कठोर बन जाता है । अप्राप्य वस्तु को पाने की लालसा तथा प्राप्त वस्तु को बनाये रखने का प्रयत्न व्यक्ति को दुःखी, सतप्त और स्वार्थी बना देता है ।

अधिक भोगोपभोग की सामग्री संचित होने पर एक विशेष प्रकार का अहंकार जाग्रत होता है और दूसरो को दीन-हीन समझ कर अपने अहंका पोषण होने लगता है । भोग-सामग्री के संचय और सवर्धन के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के छल-छद्म करने लगता है और लाभ के साथ-साथ उसकी लोभवृत्ति निरन्तर बढ़ती रहती है । इस प्रकार परिग्रह का दुष्चक्र व्यक्ति को क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायो मे जकड कर उसे आन्तरिक रूप से विकारग्रस्त बनाकर भयाक्रान्त और पीड़ित बनाये रखता है । इससे उसके आन्तरिक जीवन का संतुलन विगड़ जाता है ।

परिग्रह का भाव हमारी चित्त वृत्तियों को विकारग्रस्त करता है । व्यक्ति के पास रही हुई किसी वस्तु को जिस पर उसका ममत्व है, यदि कोई लेना चाहे या छीनना चाहे, अपने उपभोग में लाना चाहे तो उस पर क्रोधभाव पैदा होता है और अहित करने की प्रवृत्ति सक्रिय होती है ।

व्यक्ति की अंतःप्रकृति का सम्बन्ध बाह्य प्रकृति से भी है । जब अंतःप्रकृति भोग के अतिरेक से दूषित बनती है तब वह बाह्य प्रकृति का भी शोषण करने लगती है । इससे बाह्य प्रकृति का संतुलन विगड़ जाता है । आज की वैज्ञानिक शब्दावली में यही पर्यावरण या प्रदूषण है । प्राकृतिक नियमों के साथ मानवीय खिलवाड़ के दुष्परिणामों से हम सब अवगत हैं । थल, वायु तथा जल इन तीनों के प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है ।

आज व्यक्ति अपनी कुछ निहित सुविधाओं के लिए वृक्षों की तेजी से कटाई कर रहा है । जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं । इससे एक ओर जहाँ अकाल की विभीषिका से हमें जूझना पड़ रहा है वही रेगिस्तान भी बढ़ता जा रहा है । वृक्षों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता था । खानों से कोयला तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भी तेजी से निकाले जा रहे हैं । उससे इनके भंडारों के समापन का खतरा तो हो ही गया है, साथ ही भूकम्प, बाढ़ आदि की भी अधिकता बढ़ने लग गयी है । इससे प्राकृतिक संतुलन विगड़ने लगा है ।

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आजकल हम खेतों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। इनसे क्षणिक लाभ भले ही हो जाए किन्तु धरती की उर्वरता पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनका प्रभाव इतनी धीमी गति से होता है कि हमें इसका अहसास ही नहीं हो पाता है।

थल प्रदूषण की भाँति जब पर्यावरण में वायु के संगठन में परिवर्तन होता है तो उससे वायु प्रदूषण फैलता है। ऐन्द्रिय भोगों के लिए अधिकाधिक साधन जुटाने और घन अर्जन करने के लिए औद्योगिककरण के नाम पर कल कारखानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी चिमनियाँ जहरीला धुआँ उगलकर आसपास के वातावरण को भी जहरीला बना देती है। इससे ऑक्सीजन कम होती जाती है। विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा किए जाने वाले आणविक विस्फोटों ने भी पर्यावरण को प्रदूषित किया है। इन आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जो सारे वातावरण में फैल जाती हैं।

प्रदूषण के कारण वायुमण्डल में कार्बन मोनोआक्साइड गैस तथा सल्फर डाइआक्साइड फैल जाती है। इनका प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है। इनसे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और व्यक्ति न्यूमोनिया, कैंसर, दिल की बीमारियों और टी० बी० आदि का शिकार हो जाता है। कारखानों में कार्यरत मजदूर की आँखें उत्तेजना के फलस्वरूप भारी-भारी तथा लाल बनी रहती हैं क्योंकि फेफड़े श्वसन क्रिया के मुख्य अंग हैं तथा प्रदूषण से सीधे प्रभावित होते हैं।

प्रदूषण का ही यह कारण है कि शहरी व्यक्ति सदा कमजोर रहता है। शीघ्र थकान, सिर चकराना, आलस्य, खाँसी, जुकाम आदि की आम शिकायत अधिकांश व्यक्तियों को रहती है। प्रदूषक पदार्थ हमारे रक्त द्वारा अवशोषित हो जाते हैं तथा मस्तिष्क, जिगर और गुर्दों को प्रभावित करते रहते हैं।

आज का विश्व अत्यन्त तीव्र और गतिशील हो गया है। कुछ ही घंटों में व्यक्ति विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच सकता है। वायुयानों, राकेटों, कारों, कल कारखानों में चलती मशीनों आदि का धुआँ ही नहीं शोर भी वायु प्रदूषण का मुख्य हिस्सा है। ध्वनि तरंगों की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वे मानव शरीर के सवेदनशील तंतुओं पर अपना कुप्रभाव डाल कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये तरंगे हमारी त्वचा, आँख, हृदय, पाचनतंत्र तथा मस्तिष्क अधिक प्रभावित करती हैं कि व्यक्ति समय से पूर्व ही वृद्ध दिखाई दे उसकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है, कार्यक्षमता नष्ट हो ८ बार उसकी श्रवण शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। केन्द्रीय स्नायु तंत्र पर भी घातक प्रभाव पड़ता है।

विश्व की महाशक्तियों द्वारा किए जाने वाले ।।

प्रक्रिया से जल प्रदूषण का भी खतरा हो गया है। कारखानों में से निकलने वाले अन्तिम पदार्थ जो उपयोगी नहीं है, पाइपो द्वारा नदियों, झीलों या समुद्रों में विसर्जित कर दिए जाते हैं जिनसे जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार वायु की भाँति जल भी जहरीला होता जा रहा है। अशुद्ध जल से पीलिया, पथरी, ग्रांथ्रशोध व अन्य अनेक घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।

अधिकाधिक भोग और परिग्रह की प्रवृत्ति ने उत्पादनो के विक्रय की खोज में नये बाजार तलाशने की हॉड को जन्म दिया है जिससे नयी औप-निवेशिक संस्कृति का विकास हो रहा है। नयी औपनिवेशिक संस्कृति में व्यक्ति तनाव, कुण्ठा, सत्रास, अतृप्ति, अनास्था, एकाकीपन जैसी मनोवृत्तियों से ग्रस्त होकर जीवन निर्वाह कर रहा है। इस संस्कृति ने वर्तमान में हिंसा व युद्ध को प्रोत्साहन दिया है। व्यक्ति यंत्रों का गुलाम होता जा रहा है। सहज मानवीय संवेदनाएँ लुप्त होती जा रही हैं।

पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पर भी पड़ता है। वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से काफी कुछ सीखता है। पर्यावरण को दूषित कर हमने प्रकारान्तर से पूरी पीढ़ी के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक बनने का खतरा मोल ले लिया है। व्यक्ति के संस्कार-निर्माण से लेकर सम्पूर्ण सृष्टि की शुद्धता को बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि हम सारी प्रकृति के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करें। 'परस्परौपग्रहो जीवानाम्'—परस्पर उपकार करते हुए जीना यह भारतीय आदर्श हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिये।

उक्त विवेचन से यह आभास होना सहज है कि इस असंतुलन के मूल में परिग्रह-भोगवृत्ति ही मुख्य है। सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता। इन आवश्यकताओं के लिए धन-संग्रह करना भी आवश्यक है। इस सचय को अनुचित नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह ध्यान अवश्य रहना चाहिये कि धन-उपार्जन के स्रोत शुद्ध हो तथा इस उपार्जन में किसी का शोषण और उत्पीड़न न हो। उपार्जित धन पर ममत्व भाव न रखकर उसका सामाजिक हित में उपयोग करने की तत्परता भी व्यक्ति में होनी चाहिये। जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है किन्तु जब ये आवश्यकताएँ मन की इच्छाएँ बनकर बढ़ने लगती हैं तो परिग्रह बढ़ जाता है।

महावीर के अपरिग्रह दर्शन में इच्छा-परिमाण पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसे व्यवसायों का भी निषेध किया है जिनसे प्राकृतिक संतुलन विगड़ता है। आज हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसे

महावीर ने ढाई हजार वर्ष पूर्व ही महसूस कर लिया था। उन्होंने इन व्यवसायों को कर्मादान मानकर सर्वथा त्याग देने की बात कही। जैसे “इगालकम्मे” अर्थात् जगलात आदि को खेती योग्य जमीन तैयार करने के लिए जला देना। “वणकम्मे” अर्थात् लकड़ी आदि के लिये जगलो को कटवा देना।

इच्छा—परिमाण के साथ उपभोग-परिमाण व्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इच्छा—परिमाण मात्र इच्छाओं को सीमित करता है, किन्तु उपभोग-परिमाण इसका क्रियात्मक पक्ष है। उपलब्ध आय एवं साधनों के उपयोग को यह व्रत नियंत्रित करता है। व्यक्ति के मर्यादित जीवन की दृष्टि से २६ वस्तुओं का मर्यादाओं का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है जिनकी परिपालना करते हुए व्यक्ति नैतिक-आध्यात्मिक विकास यात्रा की ओर बढ़ सकता है।

अपरिग्रही जीवन व्यक्ति को सयमी, आस्थावान् तथा सुखी बनाता है। यह जीवन दर्शन न सिर्फ व्यक्ति को जीवन के प्रति सही दृष्टि प्रदान करता है वरन् समाज में उसकी महत्त्वपूर्ण भागीदारी को भी स्वीकृति देता है। कहा भी गया है कि जब मनुष्य दैविक और मानुषिक (मनुष्य सम्बन्धी) भोगों से विरक्त हो जाता है, तब वह आभ्यन्तर और बाह्य परिग्रह को छोड़ कर आत्म-साधना में जुट जाता है—

“जया निव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ।

तया चयइ सजोग, सन्भितर बाहिर ॥”

(दशवैकालिक ४/१७)



आचार-शुद्धि / विचार-शुद्धि

विचार-शुद्धि के बिना आचार-शुद्धि बनावटी है। वह टिकाऊ नहीं होती। वैसे आचार-शुद्धि सर्कस के शेर की तरह होती है। जैसे सर्कस का शेर वकरी के साथ रहता है, किन्तु वह विचारों की शुद्धता के कारण नहीं, वरन् केप्टिन के कोड़े के डर के कारण ऐसा करता है। यह शुद्धि चिरस्थायी कभी नहीं हो सकती।

यदि आप लोक लाज से, राजा के भय से या गुरुजनो की फटकार के भय से आचार-शुद्धि रखते हैं, उसमें आपके मनोयोग का समर्थन नहीं है तो ऐसी आचार-शुद्धि बालू के ढेर पर बने हुए महल के समान है, जो न जाने कब ढह जाय।

—आचार्य श्री हस्तोमलजी म०

मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास में जो कि लगभग ३,००० वर्ष का है, आदमी ने २,१०० युद्ध लड़ने में लगभग २,७०० वर्ष बिताये और मात्र ३०० वर्ष ही शान्ति रही है। इतिहास का यह युद्ध-उन्मादी दौर समाप्त हो गया हो ऐसा नहीं लगता। आज भी आदमी की सभ्यता विध्वंस के कगार पर जा पहुँची है। हमारी पूरी की पूरी मानवीय सभ्यता “बारूद के ढेर पर” खड़ी है और हमारी जरा सी गलती इस सम्पूर्ण विश्व को नेस्तनाबूद कर सकती है। शायद महावीर के बाद पहली बार आदमी “पूर्ण हिंसा” को प्राप्त हुआ है जबकि उसके पास ५०,००० हाइड्रोजन बम और हजारों परमाणु बमों का जखीरा विध्वंस के लिए उपलब्ध है। आज की इस सभ्यता ने हर व्यक्ति को भले ही शान्ति और चैन की सास नहीं लेने दी हो, किन्तु उसे मौत की नींद सदैव के लिये सुला देने की व्यवस्था अवश्य की है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमने इतना अधिक विध्वंस इकट्ठा कर लिया है कि हम इस धरती को कम से कम २२ बार नष्ट कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि भविष्य में कोई विश्वव्यापी युद्ध हुआ तो हमारी इस सभ्यता का नामोनिशान मिट जायेगा और हम पत्थर युग में पुनः लौट जायेंगे, जहाँ से पहली बार आदमी की सभ्यता की यात्रा प्रारम्भ हुई थी।

यह विध्वंस व्यक्ति-व्यक्ति के असन्तोष का केन्द्रीय रूप है। मानवीय सभ्यता के विध्वंस के कगार तक पहुँचने की यह यात्रा बताती है कि मनुष्य मूलतः अहिंसक स्वभाव का होने के बावजूद हिंसा का यह एकत्रीकरण क्यों? शायद विश्व की ४५० करोड़ की आबादी के “केन्द्रीभूत असन्तोष की विध्वंसक परिणति” यह एकीकृत हिंसा है। इसलिये इस विनाश से यदि हमें बचना हो तो हमें व्यक्ति-व्यक्ति के असन्तोष को दूर करना होगा। असन्तोष जो लोभ और तृष्णा और आवश्यकताओं के विस्फोट से है, असन्तोष जो गरीबी के दुष्चक्र से है, असन्तोष जो ‘स्व’ को न जानने से है, असन्तोष जो परिग्रह से है, असन्तोष जो एकान्तिक दृष्टिकोण और अपने अहं से है, असन्तोष जो मात्र स्वयं को ही सही समझने से है, असन्तोष जो रंग, रूप, जाति, वर्ग, वर्ण से जनित ऊँच-नीच और सामाजिक, आर्थिक अन्याय से है और असन्तोष जो दुःख का मूल कारण न समझने में है। जब तक यह असन्तोष क्षार-क्षार होकर व्यक्ति-व्यक्ति में गल

नहीं जाता, हम एक अहिंसक मनुष्य और अहिंसक समाज का निर्माण नहीं कर पायेगे। एक नई मनुष्यता पैदा करने का मौसम आ गया है।

भौतिक दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और रंग भेद तथा नस्लभेदी विषमताएँ पूरे विश्व में विद्यमान हैं। दुनिया की ४५० करोड़ की आबादी में लगभग २५० करोड़ की आबादी गरीबी और अति गरीबी की स्थिति में जीवन बिता रही है। उन्हें जीवन की पांच बुनियादी सुविधाएँ—रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और शिक्षा उपलब्ध नहीं हैं। दुनिया की यह गरीबी और अति गरीब आबादी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में केन्द्रित हो गई है। इन गरीब देशों के आधे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और जो स्कूल जाते हैं, उनमें भी लगभग आधे अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते। भयानक गरीबी और कुपोषण से एक तिहाई बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं।

दूसरी ओर अर्थ सत्ता का केन्द्रीयकरण इतना अधिक है कि विश्व के समृद्ध देशों की २० प्रतिशत आबादी अविकसित और गरीब, शेष विश्व की ५० प्रतिशत उपभोग सामग्री को चट कर जाती है। आय, व्यय, उपभोग और वचत की भयानकतम विषमताएँ हैं। भारत में तो ये और भी ज्यादा हैं। एक अनुमान के अनुसार देश के २१२ औद्योगिक परिवारों के पास हिन्दुस्तान की ७२ प्रतिशत औद्योगिक सम्पदा केन्द्रित है। कुछ लोगों की आमदनी १० लाख रुपया रोज है तो कुछ की मात्र ७ रुपये रोज। ऊँच-नीच की भावनाएँ और हरिजनो को जलाने की घटनाएँ केवल भारत में ही होती हो ऐसी बात नहीं है। रंगभेद और नस्ल भेद की घृणित परम्परायें यूरोप और अफ्रीका में भी फैली हुई हैं। भारत की ७२ करोड़ जनसंख्या में से ४२ करोड़ आबादी “गरीबी की रेखा से नीचे का” जीवन जीती है और ५२ करोड़ लोग निरक्षर हैं। फिर २५ करोड़ युवा शिक्षित बेकार हैं और ५ करोड़ अशिक्षित बेकार।

विषमता, भूख, अज्ञान, बेकारी, भयानक गरीबी, अधविश्वास और अहं-वादिता ने आज के आदमी को विचार के आधार पर शून्य, आदर्श के आधार पर खोखला और कर्म के आधार पर चेतन शून्य बना दिया है। हम ‘समत्व के सूर्य सागर’ में स्नान नहीं कर पा रहे हैं और अहं जन विषमता की अन्तहीन अंधेरी गली में भटक गये हैं। इस अन्तहीन अंधेरी गली से “समता के मूरज” की ओर हमें ‘अपरिग्रह की तेजस्विता’ ही ले जा सकती है, “विषमता के उबलते दावानल से” “गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त” ही बचा सकता है, ताकि प्रजा-तन्त्र की दीपशिखा आदमी की इयत्ता और गरिमा को प्रकाशमान कर उसे “मनुष्य से भगवान तक बन जाने की आत्मजयी यात्रा” करने के जन्म निष्ठ अधिकार की रक्षा कर नयी प्रभाती की ओर ढकेल सके।

अपरिग्रह तो जीवन रूपी जल में कमल की तरह है। यह एक प्रकार से अस्पर्श योग है। चीजे छुएँ न, बस यही जीवन साधना है। चीजे यदि आपको छू ले तो परिग्रह हो जाता है। चीजे न छुएँ तो अपरिग्रह हो जाता है। असली अपरिग्रह—चीजे न छुएँ, यह बोध साध लेना है। चीजे छोड़कर भाग जाना, न भाग जाना, गौण बात है। उसका कोई मूल्य नहीं है। भौतिक पदार्थों के विवेक को जो अपने भीतर स्थापित करेगा, वह धीरे-धीरे अपरिग्रह की जीवन स्थिति को प्राप्त कर लेगा। अपरिग्रह, भगवान महावीर की बड़ी से बड़ी देनो में से एक है।

इस ससार में सभी मनुष्य और जीव सुख चाहते हैं, कोई भी दुःख नहीं चाहता। किन्तु धरती आज दुःखों से भर गई है। इस सब में महावीर ने एक नई अन्तर्दृष्टि दी और उनकी यह अन्तर्दृष्टि इस एक बात पर खड़ी है कि हर मनुष्य अपने कष्ट को, दुःख को, पीडा को एक-एक करके दूर करने की चेष्टा कर रहा है—फिर चाहे वह धन खोजता हो, यश खोजता हो, पद खोजता हो, प्रतिष्ठा खोजता हो, वह अपने दुःख को दूर करने का उपाय कर रहा है। बिना यह जाने कि दुःख क्या है और किसे है? इससे वह कभी दुःख को दूर कर नहीं पायेगा। क्योंकि एक दुःख दूर करेगा और दूसरा दुःख घेर लेगा, क्योंकि दुःख का मूल कारण मौजूद रहेगा। तो महावीर कहते हैं कि अगर मनुष्य के मूल दुःख को हम समझे और दूर करना चाहे तो एक-एक दुःख को दूर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस शरीर के पीछे हम सारे दुःख और पीडाओं को दूर करने में लगे होते हैं, वह शरीर हम नहीं है। एक-एक दुःख को जो दूर करेगा, वह शरीर से बधा रहेगा और जो सारे दुःखों के मूल में भाकेगा, वह पायेगा कि हम शरीर से अलग हैं।

महावीर कहते हैं, समस्त दुःख का मूल क्या है? दुःख का मूल है तादात्म्य, यह आयडेन्टिटी कि मैं शरीर हूँ और सारे आनन्द का मूल यह है कि मैं जान लूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। आज तक यह असम्भव हुआ है कि वह जो भीतर बैठा है उस पर कुछ भी घटा हो और दुःखों का कारण यह प्रतीति है कि वह हम पर घट रहा है। जीवन में कुछ भी नहीं है, जो आत्मा पर घटित हो सके। इस जगत की कोई शक्ति आत्मा को छू नहीं सकती। जो भी छूता है, शरीर को छूता है। इसलिये महावीर की मूल शिक्षा इस बात में है कि प्रतिक्षण हम जाने कि हम शरीर नहीं हैं। हमें स्मरण होना चाहिये कि देह चलती है, मैं देखता हूँ। वासना चलती है, मैं द्रष्टा हूँ। मन चलता है, मैं नहीं चलता। सारे चलन, परिवर्तन और गति के बीच जो स्थिर प्रज्ञा है जिसे गीता में श्रीकृष्ण ने 'स्थिर प्रज्ञ' कहा है, वह आत्मप्रज्ञ मैं हूँ। यही आत्म-प्रज्ञता की स्थिति आने पर अहिंसा आती है, अपरिग्रह आता है। क्योंकि जिसे यह दिखाई पड़ने लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसमें चीजे टकटकी करने का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा और वह

'अस्पर्श' को उपलब्ध हो जायेगा । चीजों के बीच होकर भी वह चीजों से मुक्त हो जायेगा । अतः चीजों से बंधे नहीं, उनसे मोह न रखे, अन्यथा आप उन्हीं में उलभ जायेंगे ।

एक साधु हुआ और एक बादशाह ने उसे बहुत प्रेम किया । उसे राज-महल में बुलाया और वह चला आया । उस रात वह बहुमूल्य पलग पर सोया । तो बादशाह को सोते समय सन्देह हुआ कि यह सच्चा साधु नहीं दीखता । हमने कहा—महल में चलो और एक बार भी इन्कार किये बिना वह महल में चला आया । फिर सुबह हुई तो बादशाह ने कहा मुझे एक सदेह होता है तो वह साधु हसने लगा । उसने कहा वह तो हमने तभी समझ लिया था जब हम महल में प्रवेश कर रहे थे । हमने तभी जान लिया था कि तुम्हारी दृष्टि घूम गई है । तो बादशाह ने कहा कि मुझे तो रात भर नीद नहीं आई कि तुम में और हम में क्या फर्क है । तब साधु ने कहा कि मेरे साथ गाव के बाहर चलो, वही उत्तर दिये देते हैं । वे गाव के बाहर गये, नदी-नाले और गाव समाप्त हो गया, दोपहर हो गई । बादशाह ने कहा क्या मूर्खता है, उत्तर देना है दो । और आगे से क्या मतलब ? साधु बोला—और आगे ही मेरा उत्तर है । अब हम लौटेंगे नहीं । तुम भी मेरे साथ चलते हो ? तो बादशाह ने कहा—मेरे राज्य का, रानी का, प्रजा का, राजकुमार का क्या होगा ? तो साधु ने कहा—फर्क नजर आये तो जान लेना । हम जाते हैं, हमारा पीछे कुछ नहीं है । तुम्हारे पीछे सब कुछ है । हम फिर दरख्त के नीचे सो लगे और उससे भी कोई मोह नहीं होगा । तुम परिग्रह और मोह में उलभोगे और उलभते ही रहोगे । यही है 'अस्पर्श योग' जिसे हम अपरिग्रह वृत्ति कह सकते हैं ।

क्योंकि परिग्रह तो बन्धन है जो आदमी को वेड़ियों में जकड़ देता है और तृष्णा के पानी में, अधरे रास्ते से धकेल देता है, जहाँ आदमी पाप के सावन में नहाता रहता है, इसलिये महावीर ने कहा—

“मुच्छा परिग्रहो बुद्धो” (मुच्छा ही परिग्रह है) तथा “प्रश्न व्याकरण सूत्र” में भी कहा गया है—

“नत्थि एरिसो पासो पड्विधो अत्थि,
सव्व जीवाण सव्व लोए ।”

परिग्रह के समान दूसरा कोई जाल नहीं है जिसमें व्यक्ति बंधा है, और मुक्त हो नहीं पाता । वह लाभ के अन्तहीन रास्ते पर भटक

महावीर कहते हैं—“जहा लाहो तहा लोहो
अर्थात् ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता है, लोभ बढ़ता

अतः हम कह सकते हैं कि अपरिग्रह को भी

मानवीय असन्तोष की मुक्तिदाता औषधि है। इसलिये महावीर ने कहा कि यदि जीवन में आनन्द पाना हो तो दूसरों को दुःख देने में असमर्थ हो जाओ। किन्तु आज तो हम शायद आनन्द पाने को दूसरों को दुःख देने को भी सीढियाँ बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी आनन्द को उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि वह जितना दुःख दूसरों में व्याप्त करता रहेगा, उतना ही गहरा दुःख उसके भीतर प्रविष्ट हो जायेगा। इसे महावीर कर्मबंध कहते हैं।

शायद इसीलिये अपरिग्रह आज के असन्तोष की अमृत धारा है जिसमें समस्त मानवता शीतल स्नान कर आनन्द को उपलब्ध हो सकती है।

गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त हमारी दृष्टि में 'आर्थिक समता का सूरज है' जिसकी किरणें इस धरती पर न्याय, समता और गरिमा की फसल तैयार कर सकती हैं। वे सामाजिक विषमता के दावानल को रोक सकती हैं और अशान्त विश्व को शान्ति का पाठ पढा सकती हैं।

गांधी ने जिसके बारे में विख्यात वैज्ञानिक आइन्सटीन ने कहा था कि "आने वाली पीढियाँ इस बात पर आश्चर्य करेगी कि कोई गांधी जैसा हाड-मांस का पुतला भी कभी इस धरती पर चला था—जिसने उस साम्राज्य को 'अहिंसा' के माध्यम से अपने टापू में वापिस भेज दिया, जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था।" सत्य के अनेक प्रयोग किये हैं। ट्रस्टीशिप का यह सिद्धान्त भी उनके सत्य के प्रयोग का ही एक परिणाम है जिसके माध्यम से आज की आर्थिक सामाजिक विषमता को जड़ से मिटाने की कोशिश की गई है। क्योंकि गांधी से बड़ा दूसरा आदमी हिन्दुस्तान की नब्ज को पहचानने का दावा करने वाला कोई नहीं हुआ।

ट्रस्टीशिप का यह सिद्धान्त इस अहिंसक अवधारणा पर आधारित है कि अनेकानेक कलाओं की तरह धन कमाना भी एक कला है। जो व्यक्ति इसमें अधिक निष्णात होगा, वह अधिक धनपति होगा। तो इसलिए गांधी ने कहा कि अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादकता और धन के उपयोग की दृष्टि से यह मानकर कि आप "पैसे के ट्रस्टी" हैं, न्यासी हैं—उसे उत्पादक कार्यों में लगावे, समाज हित में प्रयुक्त करे। उससे बंधे नहीं क्योंकि इस बात का कोई सामाजिक मूल्य नहीं है कि आप रोज, शाम और सुबह हलवा पूरी खाते हैं। यह आपकी निजी पसन्दगी हो सकती है। सामाजिक मूल्य और इयत्ता इस बात में है कि समाज के हर व्यक्ति को दोनों समय भरपेट रोटी खाने को उपलब्ध हो। और गांधी का यह न्यासवाद इस दिशा में बढ़ाया गया एक सार्थक कदम है। जो जैन आगमों में आये उन शानदार कथानकों की मूल भावना के अनुकूल है जिनमें जैन व्यापारी और धनपति अपने तिजारती जहाज और वेड़े लेकर जब विदेशों में व्यापार करने जाते थे तो अपने पूरे क्षेत्र में यह उद्घोषणा करवाते थे कि जो

भी व्यक्ति उनके साथ विदेशो मे व्यापार करने चलना चाहे, वह चल सकता है । उसे पूंजी चाहिये तो वह हम देगे तथा व्यापार मे अगर हानि हुई, तो भी हम उठायेगे । यदि लाभ हुआ तो मात्र १० प्रतिशत हम लेगे, शेष ९० प्रतिशत वह स्वयं रखेगा । आर्थिक समृद्धि और समता की यह प्रक्रिया उस दौर मे बड़ी जीवन्त थी । आज उसी प्रक्रिया को परिवर्तित रूप मे अर्थात् गांधी के न्यासवाद के रूप मे हमें अपनाना चाहिए तो आर्थिक समता का नया सूरज इस धरती पर हम ला सकते है और एक अहिंसक समाज और मनुष्य का निर्माण कर सकते है ।

इसलिये भी कि इस पर हमने वर्षो चर्चा और मंथन मे गुजार दिये है कि यदि उपलब्ध 'धन' को सब लोगो में समान रूप से बाट दिया जाय तो भी उत्पादन, आय, गरीबी और भूख समाप्त नही होगी । इसलिए उपलब्ध अर्थ को ट्रस्टी समझकर समाज-हित मे, उत्पादन-कार्य मे प्रयुक्त किया जाय तो ही एक शान्ति और भूख से मुक्त अहिंसक समाज का, एक नये आदमी का निर्माण इस धरती पर हम कर सकते है । सही अर्थो मे 'प्रजातन्त्र' इस धरती पर ला सकते है ताकि उपनिषद के उस ऋषि की भावना को हम साकार कर सकें जिसमे कहा गया है कि—

“असतो मा सद्गमयः
तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्भामृतमगमयः”

अर्थात् हम असत्य से सत्य की ओर, अधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर बढे । यही अपरिग्रह का सन्देश है । जहाँ हम मनुष्य से भगवान् बन सकते है । कम से कम 'अहिंसक मनुष्य' तो बन ही सकते है जिसे समता की किरणे प्रस्फुटित हों ।



मूर्च्छा अन्तर की बेहोशी

मूर्च्छा मूलक सग्रह ही है,
एक मात्र शोषण का मूल ।
शोषण से ही पैदा होते,
जनता मे विग्रह के शूल ॥
मूर्च्छा अन्तर की बेहोशी,
परम ज्योति पर तम की धूल ।
निज-हित, पर-हित दोनो से ही,
करती जन-मन को प्रतिकूल ॥

□ उपाध्याय श्री अमर मुनि

संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो दुःख, अशान्ति और अमंगल चाहता हो, प्रत्येक प्राणी सुख, शान्ति और आनन्दमय जीवन जीने की अभिलाषा, आकांक्षा और इच्छा रखता है। परन्तु आज का मानव शान्ति चाहते हुए भी अपने ही हाथों अशान्ति के बीज बो रहा है। हमारी कठिनाई यह है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा करते नहीं। हम आम का वृक्ष चाहते हैं, परन्तु बीज आम का बोते हैं तो भला हमें आम की प्राप्ति कैसे होगी? कोई मनुष्य नवनीत की प्राप्ति के लिए पानी को ही बिलौने लगे तो क्या उससे मक्खन की प्राप्ति हो जाएगी? पानी को बिलौते-बिलौते मनुष्य अपनी जिन्दगी पूर्ण करदे, परन्तु उसे मक्खन तो क्या भाग भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य आज अशान्ति के बीज बोकर चाहता है कि मुझे शान्ति मिले, भला यह कैसे सम्भव है?

आज का मानव भौतिकता की चकाचौध में पागल की तरह विना स्के दौड़ते-भागते ही जा रहा है और यह दौड़ कोई आत्म-शान्ति के लिए नहीं और न ही शाश्वत सुखो की प्राप्ति के लिए वरन् यह दौड़ परिग्रह की वृद्धि के लिए, चन्द चाँदी के कलदारों के लिए, नाशवान सम्पत्ति-जमीन-जायदाद के लिए हो रही है। आज हम निरंजन निराकार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम प्रभु महावीर के अपरिग्रह के महान् सिद्धान्त को छोड़कर परिग्रह की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ही अपना अनमोल जीवन लगाने के लिए कटिबद्ध हो गये हैं।

शास्त्र में परिग्रह दो प्रकार का बताया गया है : (१) द्रव्य परिग्रह और (२) भाव परिग्रह। परिग्रह का परिमाण करना, सीमा रखना, मर्यादा रखना, अपरिग्रह की श्रेणी में आता है और इसकी सीमा न रखना मर्यादा न करना परिग्रह में जाता है।

कोई-कोई तो कहते हैं महाराज साहब, मेरे पास तो आज सुवह खाने को है, शाम को नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है और आप परिग्रह की मर्यादा की बात बता रहे हैं। मानो आज मेरे पास सौ रुपये भी नहीं हैं और मर्यादा करली मैंने लाखों रुपयों की। लाख से ज्यादा नकद नहीं रखूंगा। भला, ऐसी मर्यादा करने से क्या लाभ? परन्तु वन्धुओ ! बात ऐसी नहीं है। लाभ कैसे

नहीं ? अरे आप एक सीमा में तो आ गये । रही बात ऐसी मर्यादा से क्या लाभ ? माना कि अभी कुछ नहीं है और एक साथ उसने लाख तक की मर्यादा करली है, तो जरूरी नहीं कि उसके सारे दिन एक जैसे ही रहेंगे । कब भाग्य पलटा खावे और वह घनाढ्य बन जावे, कौन जाने ?

हर एक चीज की-सीमा होनी चाहिए "अति सर्वत्र वर्जयेत" अरे और तो और समुद्र भी अपनी सीमा में, मर्यादा में रहता है । यदि वह सीमा छोड़ दे, अपनी मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा ? प्रलय मच जायेगी । अतः हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी सीमा में रहे ?

प्रश्न उठता है कि आनन्द श्रावक ने जिस समय परिग्रह-परिमाण का व्रत लिया, उस समय उसके पास बारह कोटि मोहरे तथा चालोस हजार गाये थी । इतनी की ही उनको मर्यादा थी, शेष का त्याग था । परन्तु उनके गृहवास काल की समाप्ति तक इन मोहरों से वृद्धिगत होकर जो रकम आई होगी तथा गायो से जो बछड़े आदि की वृद्धि हुई होगी, उसका उन्होंने क्या किया होगा ? यदि अपने पास रखा होगा तो मर्यादा कायम नहीं रही और न रखा तो क्या किया ?

इसका समाधान यह है कि आनन्द श्रावक ने वृद्धि की रकम को परोपकार में, सर्धर्मियों की सेवा में लगायी होगी और बढ़ती हुई गौ जाति को दान में दिया होगा । नहीं तो उनकी उतनी ही संख्या रहना असंभव है । आनन्द जैसा श्रावक अपनी की हुई प्रतिज्ञा से, मर्यादा से अथवा परिमाण से, फिसल जावे ऐसा नहीं हो सकता । जिसकी प्रशंसा भगवान् महावीर ने अपने मुखारविन्द से की, भला वह व्यक्ति कमजोर चरित्र वाला कैसे हो सकता है ?

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रो-वेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व, इनको शास्त्रकारों ने भाव परिग्रह कहा है । क्योंकि इन भाव परिग्रह का सीधा हमारे आत्मा के साथ संबन्ध है । जब तक ये हमारे जीवन में रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा को संसार-परिभ्रमण करना होगा और इन पर भी हमने परिमाण कर लिया तो क्रमशः आत्मा हल्की होती जावेगी । एक दिन ऐसा भी आयेगा कि हम सकल कर्मों का क्षय करके अव्यावाध सुखो को प्राप्त करेंगे ।

परन्तु अफसोस है कि भाव परिग्रह का परिमाण तो दूर रहा, द्रव्य परिग्रह का परिमाण भी आज मुश्किल हो गया है । प्रभु महावीर के सिद्धान्तों को गौरव में चिल्ला-चिल्लाकर गाने वाले अनुयायियों ! आज यह अपरिग्रह सिद्धान्त कहाँ गया ? साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकायें अपने-अपने मठ और महलों की सन्या दानों में लगे हुए हैं । उन्हें भगवान् की वाणी को पढ़ने के लिए फुरनन नहीं है । वे आज प्रभु के बताये हुए महामार्ग को छोड़कर, समाचारी के नियमों को तोड़-

कर, भाई-भाई से मुखडा मोड़कर और न जाने कितने गरीबों का खून निचोड़कर, एकमात्र परिग्रह को जोड़ने के चक्कर में लगे हुए है ।

अरे, मुमुक्षुओं ! कुछ सन्तोष करना सीखो । वरना यह लोभ, लालसा, महत्त्वाकांक्षा, इच्छाएँ तुम्हें ले डूबेगी । अगर लोभ पर हमें सच्ची विजय प्राप्त करनी है तो सन्तोष, जो आत्मा का निजी गुण है, उसे प्रकट करना होगा । बिना सन्तोष के हमारी इच्छाओं का अन्त नहीं हो सकता । कवि सुन्दरदास ने बड़े मार्मिक भाव अपने सवैये में कहे हैं :—

जो दस बीस पचास भये, शत होत हजार तो लाख मगेगी ।

कोटि अरब असंख्य भये, धरापति होने की चाह जगेगी ॥

स्वर्ग-पाताल को राज मिले, तृष्णा तबहु अति आग लगेगी ।

‘सुन्दर’ एक सन्तोष बिना, शठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी ॥



सम्पत्ति बनाम अमरता

महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थी—मैत्रेयी और कात्यायनी । जब महर्षि वानप्रस्थाश्रम में थे, उन्होंने एक दिन दोनों से कहा—‘अब मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, किन्तु उससे पहले अपनी सचिंत सम्पत्ति का तुम दोनों में विभाग कर देता हूँ ।’

इस पर मैत्रेयी ने कहा—‘स्वामिन् ! विभाग करने पर जो सम्पत्ति मुझे प्राप्त होगी, क्या वह मुझे अमर बना सकेगी ?’

महर्षि बोले—‘सम्पत्ति विलास की सामग्री दे सकती है, अमरता नहीं ।’

मैत्रेयी ने कहा—‘तो मैं ऐसी सम्पत्ति लेकर क्या करूँ जो मुझे अमर नहीं बना सकती ? जिस अमरता को पाने के लिए आप स्वयं सम्पत्ति छोड़ रहे हैं, उसी अमरता को मैं भी पाना चाहती हूँ ।’

इस पर महर्षि ने मैत्रेयी को धर्मोपदेश दिया और कात्यायनी को धन ।

□ श्री कल्याण ऋषि



अपरिग्रहवाद बनाम संरक्षता का सिद्धान्त

□ श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल

प्रत्येक धर्म में लोक-कल्याण के उद्देश्य से कुछ न कुछ व्रतों का पालन करने पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे पाँच व्रत जैन मान्यता की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं और वे हैं—१. अहिंसा, २. सत्य, ३. अस्तेय ४. ब्रह्मचर्य और ५. अपरिग्रह। इन सबमें अपरिग्रह का विशेष स्थान है।

परिग्रह के निषेध सूचक शब्द को अपरिग्रह कहते हैं। “परिसमन्तात् मोहबुद्ध्या गृह्यते य. स परिग्रहः” अर्थात् मोह (ममत्व) बुद्धि के द्वारा जो (पदार्थादि) चारों ओर से ग्रहण किया जाय, वह परिग्रह है। हमारे मन और इन्द्रियों की प्रकृति चंचल है, हर क्षण मन में अनन्त संकल्प-विकल्प जन्म लेते रहते हैं। इनकी दौड़ असीम होती है और नई-नई इच्छायें मन में आती रहती हैं। यही इच्छायें परिग्रह का मूल कारण बनती हैं।

मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार मानव के मन में सर्व प्रथम अनधिकृत सामग्री प्राप्ति की प्रबल इच्छा जन्म लेती है। तदनन्तर उसके सग्रह करने की दिशा में प्रवृत्ति होती है। इन सगृहीत वस्तुओं पर ममत्व हो जाता है, वही ममत्व आसक्ति का रूप धारण कर लेता है। जितना घना ममत्व होगा, उतनी ही सग्रह वृत्ति बढ़ती रहेगी। कोई भी व्यक्ति बाह्य रूप से अपरिग्रही दिखाई देता हो पर ममत्व भाव से युक्त होने पर वह अन्दर से उतना ही महापरिग्रही हो सकता है। इसी प्रकार ममत्व भाव से रहित अनासक्त वृत्ति वाला मनुष्य अतुल वैभव के बीच रह कर भी अपरिग्रही हो सकता है। वास्तव में अपरिग्रह किसी वस्तु के त्याग का नाम नहीं, अपितु किसी वस्तु में निहित ममत्व के त्याग का नाम है। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि वस्तु के अनावश्यक सग्रह को नियंत्रित करना हो तो उस वस्तु के त्याग से पूर्व उस वस्तु में निहित ममत्व का त्याग आवश्यक होगा।

हमारी आकाशाँ अनन्त होती है और ज्यो-ज्यो उनकी पूर्ति होने लगती है त्यों-त्यों ही लोभ और मोह बढ़ने लगता है और व्यक्ति अनैतिक ढंग में सग्रह में लग जाता है। उसकी बुद्धि पर मोह का एक ऐसा आवरण आ जाता है कि वह भले-बुरे का अन्तर कर ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में एक का मुग्न दूसरे का दुःख का कारण बन सकता है और उनसे विषमता का जन्म होता है।

आज लोग विभिन्न स्रोतों से असहजभाव से अर्थोपार्जन और संग्रह की दौड़ में तन्मय हो रहे हैं। इससे विषमता की खाई गहरी होती जा रही है। दुर्भाग्य से पैसा ही प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का मानदंड बन गया है। यह सही है कि सामाजिक व्यवस्था एव उदर पूर्ति का साधन धन है, पर तृष्णा के वशीभूत होकर जब साधन ही साध्य बन जाय, तब उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति विवेक-अविवेक, न्याय-अन्याय, भला-बुरा, उचित-अनुचित आदि का बिलकुल ध्यान नहीं रखता और संग्रह की वृत्ति घर कर लेती है। यह पूँजी जब कुछ के ही हाथों में सीमित होकर रह जाती है तब यही से पूँजीवाद का जन्म होता है जिसका दूसरा अर्थ है आर्थिक विषमता। यही आर्थिक विषमता ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य की जननी है, जो हमारे कष्टों का मूल कारण है।

‘दशवैकालिक सूत्र’ में भगवान महावीर ने कहा है—‘असविभागी न हु तस्स मोक्खो’ अर्थात् जो व्यक्ति बाटकर नहीं खाता, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। जैन शास्त्रों में सविभाग शब्द का प्रयोग समविभाजन या समान वितरण का द्योतक है। ‘परिग्रह-परिमाण’ का अर्थ है परिग्रह की सीमा निर्धारित करना अर्थात् अपनी अनिवार्य आवश्यकता के योग्य वस्तुये रखकर शेष को अभावग्रस्त लोगों में खुले दिल से वितरित करना, इसे परिग्रह का परिमाण कहा जायगा। गृहस्थ में रहते पूर्ण रूप से परिग्रह से छुटकारा पाना तो कठिन है पर उसकी परिसीमा निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार व्यावहारिक जीवन में लालसा से मुक्ति एव आत्मशान्ति हम ला सकें तो अपने दैनिक जीवन की हमारी अनेक व्याधियाँ सरलता से दूर हो सकती हैं।

आज गरीब-अमीर की भेद रेखा मिटाने के लिए समाजवाद-साम्यवाद की बात कही जाती है पर इससे तो आतंक, प्रतिद्वन्द्विता, प्रतिशोध एव आन्तरिक कलह आदि का जन्म होता है। वस्तुतः साम्यवाद समता मूलक समाज का बाह्य प्रयोग है पर इन बाह्य प्रयोगों की सफलता मानव के आन्तरिक घरातल (अपरिग्रह भावना) पर प्रतिष्ठित समता पर ही निर्भर करती है।

विपुल धन संग्रह से अपव्यय की आदत बनेगी और नैतिक मूल्यों पर आघात पहुँचेगा, जिन्हे खोकर कोई व्यक्ति कितना ही वैश्वीकरण ले, वह अपनी और समाज की दृष्टि में गिर जायेगा।

गांधी युग ने मानवता की नव रचना के लिए चा सर्वोदय, सत्याग्रह, समन्वय और साम्ययोग। हमारे जीवन में परम साम्य की प्रतिष्ठापना है। आर्थिक, मानसिक साम्य ये तीनों साम्य सफल जीवनयापन के आर्थिक असमानता को दूर करने का महत्त्वपूर्ण साधन सिद्धान्त है जिसके मूल में अपरिग्रह की भावना है।

में जो मूलभूत भावना निहित है, वह है धनिक अपने धन का मालिक नहीं, ट्रस्टी है। यह भावना श्रम और पूँजी के बीच का संघर्ष मिटाने, विषमता और गरीबी मिटाने तथा आदर्श एवं अहिंसक समाज की स्थापना करने में बहुत सहायक है। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विचारक जैनेन्द्रजी ने कहा था—‘पदार्थ परिग्रह नहीं है, उनमें ममत्व परिग्रह है।’

ट्रस्टीशिप की अवधारणा वर्तमान औद्योगिक युग की दृष्टि से अधिक विचारणीय है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने एक नयी सभ्यता को जन्म दिया है। यह सभ्यता २०० वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। इससे सारा विश्व प्रभावित हुआ है, अन्तर इतना ही है कि कहीं इसकी रफ्तार धीमी है और कहीं काफी तेज।

इस सभ्यता की कतिपय उपलब्धियाँ भी हैं जैसे उत्पादन की विकसित पद्धतियाँ, रक्षण के अच्छे साधन, निवास के लिए सुन्दर भवन, उन्नत शिक्षण पद्धति, खेल व मनोरंजन के आकर्षक साधन, काम में आने वाले उपयोगी औजार, चिकित्सा के अनूठे साधन व व्यवस्था, संचार, परिवहन और यातायात के तीव्रगामी साधन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर एवं सम्प्रेषण के अन्य अनोखे साधन आदि।

इसी प्रकार इस सभ्यता ने कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न की हैं—जैसे जन-संख्या, गरीबी, विषमता, राज्यवाद, सैन्यवाद, प्रदूषण, समाज विघटन, मालिक-मजदूर संघर्ष आदि।

आज के व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सर्वथा बदला हुआ है। वह अपनी आवश्यकताओं को बेरोकटोक बढ़ाता जाता है और कम से कम शरीर श्रम कर उनकी पूर्ति करने की आकांक्षा रखता है। उसके लिए ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ कोई अर्थ नहीं रखता। जो है उसी में सन्तोष रखना उसको रुचिकर नहीं। उसकी लालसा बढ़ती ही रहती है और उनका कभी अन्त नहीं आता। अतः इन सबके निराकरण के लिए ही गांधीजी ने ट्रस्टीशिप को एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया था जिसका उद्देश्य श्रम और पूँजी के बीच का संघर्ष मिटाने, विषमता और गरीबी हटाने, आदर्श अहिंसक समाज एवं ग्रही समाज की स्थापना था।

‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्य विद्धनम्।’

सर्वशक्तिमान के नाम पर त्यागकर, केवल उसी का उ-
तुम्हें प्राप्त है। तू किसी के धन की वासना न रख। इसी धर्म में
सबको छोड़कर मेरे साथ आओ, स्वेच्छा से गरीबी का वरण

कुरान में कहा गया है—सग्रह करने वाले (जमाखोर) स्वर्ग में प्रवेश नहीं पायेंगे ।

एक महान् विचारक का विचार था कि सम्पत्ति और आमदनी का एक हिस्सा समाज को देना चाहिए क्योंकि समाज से ही हम सम्पत्ति या आमदनी प्राप्त करते हैं । इन सभी के पीछे दिशा एक ही है ।

अपरिग्रह की भावना के उदाहरण हमको सभी युगों में देखने को मिलते हैं । राजा जनक और भरत राज्य के उत्कृष्ट ट्रस्टी के नमूने रहे हैं । अनेक राजे-महाराजे अपना सामन्ती शासन भी किसी देवता के प्रतिनिधि के रूप में ही करते रहे हैं ।

हर्षवर्द्धन का प्रति वष के अन्त में जमाकोष को जनता में बाँटना, भामा-शाह का राष्ट्र हित में सर्वस्व निष्ठावर कर देना, नासिरउद्दीन और औरंगजेब का कोई धन्धा करके जीवनयापन करना, सम्पत्ति व राज्य के समस्त साधन होते हुए भी ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के अच्छे उदाहरण हैं । साहित्य में भी ट्रस्टीशिप की भावना की एक झलक देखने को मिलती है । कवीर कहते हैं—

पानो बाढ़ै नाव में, घर में बाढ़ै दाम ।
दोनो हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

धन के सदुपयोग का कितना मार्मिक संकेत किया है उन्होंने । और भी—

साई इत्ता दीजिये, जामे कुटुम समाय ।
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥

गांधीजी की परिकल्पना के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में निम्न तत्त्वों पर बल दिया गया है :—

१. मानव का उद्देश्य धन, सम्पत्ति या सामाजिक कर्तव्यों की पूर्तिमात्र नहीं है वरन् आध्यात्मिक विकास है ।
२. सम्पत्ति का अपना स्थान है पर उसका मालिक बनना या मन चाहे ढंग से उपयोग करना उसके अधिकार-क्षेत्र में नहीं है ।
३. सम्पत्ति रखने का उद्देश्य सग्रह वृत्ति के सन्तोष के लिए न होकर मानवीय सुख और व्यक्ति का विकास होना चाहिये ।
४. धन सम्पत्ति की तरह ही मनुष्य में कोई बौद्धिक या शारीरिक गुण हो सकता है, इसे भी समाज की धरोहर मानकर समाज के

कल्याण के लिए ट्रस्टी की तरह उस गुण अथवा शक्ति का दूसरो के लिए उपयोग करें ।

इस प्रकार ट्रस्टीशिप व्यवस्था में अपरिग्रह भावना मूल आधार है । उसमे सम्पत्ति के अपहरण को कोई स्थान नहीं । इसमे मालिकी को समाप्त करना अभिप्रेत है, मालिकों को नहीं । इसमे वर्तमान पूँजीपति वर्ग को अपना सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है । ट्रस्टीशिप अर्थात् सरक्षता सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई अधिकार स्वीकार नहीं करती ।

गाधीजी कहते थे “फर्ज कीजिये कि विरासत या उद्योग-व्यवस्था के द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गयी । तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, मेरा तो उस पर उतना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी अपना गुजर करते हैं उसी तरह मैं भी इज्जत के साथ गुजर भर करूँ । मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार है और उसके हितार्थ उसका उपयोग होना आवश्यक है । वास्तव मे यह अहिंसा का सिद्धान्त भी है ।”

सग्रह की मनोवृत्ति के कारण शोषण, अप्रामाणिकता, निरपेक्ष व्यवहार, क्रूर-व्यवहार, विश्वासघात आदि विकसित होते हैं । ये सब विषमता को जन्म देते और उसको प्रज्वलित करते हैं अतः हमे सग्रह वृत्ति से दूर रहना होगा, यदि सामान्य जीवन को सुख शान्ति से व्यतीत करना अभिप्रेत हो । सामाजिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से ऐसा करना उपादेय है । □ □ □

आय बनाम खर्च

एक सेठ ने किसी विवेकी पुरुष को अपना रत्न-भंडार दिखाया । उसने सेठ के वैभव की प्रशंसा न कर उससे पूछा—सेठजी ! आपको इन हीरे-पन्ने, माणक-मोती से कितनी आय हो जाती है ? सेठ ने कहा—इनकी सुरक्षा के लिए पहरेदार रखे जाते हैं । अतः खर्च ही खर्च है ।

इस पर विवेकी पुरुष ने कहा—मेरे पड़ौस मे एक बुढिया रहती है । उसने दो पत्थर खरीद कर घट्टी (चक्की) बनाई है । उसकी आमदनी से वह अपना पेट भरती है और बाल-बच्चो का पेट पालन करती है, परन्तु करोड़ों रुपयों से आपने जो पत्थर खरीदे हैं, उनसे आपको कोई आमदनी नहीं, तो आप ही बताइये कि किसकी समझ ज्यादा है ?

सेठ को बात लग गई और तब उसने रत्न बेचकर उससे प्राप्त धन जन-हितकारी कार्यों में लगा दिया ।

□ रत्ना नलदाया

अपरिग्रह के सन्दर्भ में माक्स और महावीर

□ मुनि श्री रूपचन्द्र

माक्स का जीवन परम कारुणिक है। मानव मात्र के पीड़ित जीवन को देख कर उसके अन्तःकरण में जो करुणा का विस्फोट हुआ वह एक सीमा तक बुद्ध की विश्व-करुणा की ही प्रतिकृति है। उसके कारण, निवारण और साधनों की खोज भी बुद्ध के चार आर्य सत्यो की तरह सीधी और सपाट है। बुद्ध ने जैसे आत्मा, ईश्वर आदि से सम्बद्ध प्रश्नों को अव्याकृत कह कर हटा दिया था, कुछ वैसे ही माक्स भी धर्म को अफीम कहकर हटा देता है, क्योंकि जो धर्म का ज्ञात रूप है, वह अन्धविश्वास, भाग्यवाद एवं निष्क्रियता का समर्थक है, तथा जो मूल धर्म है, वह जन सामान्य तक पहुँच ही नहीं पाया है। वैसी ही स्थिति बुद्ध की रही होगी जब उन्होंने इन प्रश्नों को ही हटाया क्योंकि वे जानते थे कि उसकी भूमिका तक लोक-दृष्टि पहुँच ही नहीं पायेगी और लोक-दृष्टि तक उतर कर उनके शब्द अपनी अर्थवत्ता खोकर नये अन्ध-विश्वासो, मन की वासनाओं के स्रोत बनेगे। इसी कारण जो बुद्ध इन प्रश्नों को ही नकारते हैं, उनका जीवन प्रतिबिम्बित करता है इन्हीं के उत्तर को, और जो माक्स धर्म को अफीम कहता है उसका जीवन साकार करता है, प्रेम और करुणा, विश्व मैत्री एवं बलिदान की भावसत्ता और तदनुकूल आचार को। उसने शोषण, उसके कारण, कारणों को निवारित करने का लक्ष्य तथा उसके उपलब्धि के साधन निरूपित किये। लेकिन लोक-जीवन में उनसे शोषण-मुक्त समाज की अवतारणा न हो सकी।

माक्स-दर्शन की बुनियादी भूल

माक्स के दर्शन में एक बुनियादी भूल रही है और वह है—मानव के संस्थागत रूप पर ऐकान्तिक बल तथा उसके मानवीय रूप का सम्पूर्णतः विस्मरण। उसने अपने विचार का आधार यह सूत्र बनाया कि समाज में शोषण का कारण वर्ग-भेद मय सामाजिक ढाँचा है, जिसे बदल डालने पर उसका अन्त हो जावेगा। उसका द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद इसी प्रतिपत्ति पर आधारित है कि मन जैसी कोई सत्ता नहीं है, बाहरी परिस्थितियों के मानव पर जैव-रासायनिक प्रभावों को ही मन की अभिधा दी जाती रही है। अतः जैसा बाहरी वातावरण होगा, मन वैसा ही बन जायेगा। मानवीय मन की सारी प्रवृत्तियाँ बाहरी वातावरण को ही प्रतिबिम्बित करती हैं।

एमिल बर्न्स के शब्दों में—पदार्थ प्राथमिक सत्ता है, मन उसके आधार पर विकसित । अतः आदमी का शारीरिक अस्तित्व उसके अपने जीवन और जीवन के तरीकों के पहले आता है । दूसरे शब्दों में सिद्धान्त से पहले व्यवहार आता है । सस्थाएँ और विचार हर युग के वातावरण की उपज हैं । उनका स्वतन्त्र अस्तित्व और इतिहास नहीं है, उनके मूल में कोई विचार या मनोभाव नहीं, बल्कि उत्पादन के भौतिक प्रयास के समानान्तर उनका विकास होता रहता है ।

इस अवधारणा ने मानवीय मन और उसके वातावरण को बदलने की स्वतन्त्र क्षमता को एकदम अमान्य कर दिया । मानव और उसका मन वातावरण की, सस्थाओं की उपज है, उनको प्रतिबिम्बित मात्र करता है, अतः उन्हें बदलते ही समस्याओं का समाधान निकल जायेगा । मार्क्स भूल गया कि शोषण का जन्म पहले मन के घरातल पर अहंकार और स्वार्थ के रूप में होता है, तदनन्तर वह आचरण में उतरता है और सामूहिक आचरण सस्थाओं के रूप में प्रतिबिम्बित होता है । बाहरी ढाँचों को बदलते रहने पर भी मन का घरातल अगर वही है तो हर ढाँचा खोखला होगा जिसके छिद्रों से मन अपनी वासनाओं और कामनाओं की आपूर्ति करता रहेगा, शोषण और उत्पीड़न द्वारा । इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्टालिन या व्यक्तिवादी एकाधिपत्यवाद, जिसने सामाजिक सत्ता को अपनी पूजा का उपकरण बना डाला और मार्क्स के सामाजिक आदर्शों को अपने जीवन एव शासन काल में एकदम उलट दिया । इसी की निष्पत्ति था वह नौकरशाही वर्ग जो आर्थिक-राजनीतिक सत्ता पाकर उनका स्वयं स्वामी बन गया और शेष जनता का उत्पीड़क तथा शोषक भी, जबकि उसे यह सब सौंपा गया था एक लोकसेवा के उपकरण-रूप में, एक न्यास या ट्रस्ट रूप में ।

दूसरी भूल

दूसरी भूल मार्क्स ने, विशेषतः उसके उत्तराधिकारियों ने, जो की वह साध्य-साधनविवेक की विस्मृति थी । हिंसा नगी सत्ता है और सत्ता ही वैषम्य की जनक है । मार्क्स ने रक्तपात एव सहार की बात अपने पूरे वाङ्मय में नहीं बही यद्यपि 'सग्राम' की चेतावनी पूंजीवादी व्यवस्था को सर्वत्र दी है । लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने रक्त-क्रान्तियों को साम्यमूलक समाजक्रान्ति का आधार बनाया । पाशविक शक्ति से जो व्यवस्था प्रतिष्ठित होती है, वह अपने आपमें शोषणमयी होती है चाहे उसका रूप कुछ भी हो । जब आचारीय प्रतिमानों का समापन हो जाता है तब स्थिति और भी विषम हो जाती है । लेनिन ने कहा— "राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती, अनिवार्य आवश्यकता ही एवमात्र प्रयोजनीय वस्तु होती है । एक वदमाश मात्र वदमाश होने के कारण भी प्रयोज-

नीय हो सकता है। हमें धोखाधड़ी, विश्वासघात, कानून-भंग और भूठ बोलने आदि के लिए तत्पर रहना चाहिये। जिनसे हमारा मतैक्य नहीं है उनके प्रति हमारी शब्दावली ऐसी ही होनी चाहिए जिससे जन-साधारण के मन में उनके प्रति घृणा, विरक्ति और अरुचि पैदा हो।.. ” अतः साम्यवादी चिन्तन में ही आत्मघाती तत्त्वों का प्रवेश हो गया। साम्य एक नैतिक अपेक्षा है, नैतिकता का नकार साम्य का भी मूलतः नकार है। पूँजीपति मजदूरों का शोषण करे या मजदूर सत्ता ग्रहण कर पूँजीपतियों का, वैषम्य और शोषण दोनों स्थितियों में रहता है। पूँजीवाद व्यक्तिसत्ता पर टिका हो अथवा राजसत्ता पर, वह पूँजीवाद ही रहता है। इसी कारण साम्यवादी क्रान्तियों की निष्पत्ति राज्य पूँजीवाद-स्टेट कैपिटलिज्म में हुई। राज्य के मूल में भी व्यक्ति है, अतः वह मूलतः उसी प्रकार की पूँजीवादी व्यवस्था रह गयी जैसी कि पहले थी। उसके साथ एकदलीय तानाशाही जुड़ने से मानवीय बुनियादी स्वतन्त्रताओं का अपहरण भी हो गया। व्यक्ति की दासता और अधिक भयावह तथा असहनीय हो गयी। साम्यवाद की विकृतियों के बीज उसकी मूल वैचारिक आधार-भूमि में ही छिपे थे, जिनका प्रकट होना अपरिहार्य था।

महावीर की करुणा

महावीर की करुणा भी मानवमात्र की नहीं अपितु जीवमात्र की पीड़ा का सतत बोध कर उसके निवारणार्थ मार्ग खोज रही थी और वर्षों की तप-साधना के बाद उसने कुछ मूलभूत सत्य निकालकर प्रस्तुत किये। महावीर का अपरिग्रह, उनकी अहिंसा समग्र जीवन-सत्ता के परम सत्य को साकार करते हैं। परिग्रह को उन्होंने हिंसा माना है और अपरिग्रह को अहिंसा की एकमात्र शर्त। परिग्रह को उन्होंने मूर्च्छा माना है और अपरिग्रह को जागरण का प्रतीक। परिग्रह को उन्होंने शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार एवं वैषम्य के अलावा प्रमाद, लापरवाही, अज्ञान एवं आत्मविस्मृति का स्रोत भी अनुभव किया है। महावीर और मार्क्स की मूल दृष्टि में अन्तर यही है कि जहाँ मार्क्स को पूँजीवादी व्यक्ति घृणास्पद प्रतीत होता है, महावीर उसे करुणा का पात्र अनुभव करते हैं। क्योंकि वह वस्तु-केन्द्रित होकर अपनी आत्म-संज्ञा खो चुका है, जीवित शव की तरह आत्म चेतना-शून्य काल-यापन कर रहा है। चिन्ता, क्रोध, तनाव, वेदना के असंख्य शल्यों से अपने को निपीड़ित कर रहा है। किसी उन्मत्त कापालिक की तरह सर्वत्र घृणा तथा वैर का वन्ध कर रहा है। वह मूर्च्छित है, एक प्रकार का मानस-रोगी है जिसका सहानुभूतिपूर्वक उपचार अपेक्षित है और उसका एक मात्र मार्ग है उसकी चेतना का जागरण। परिग्रह का जन्म मन के घरातल पर जिस मूर्च्छा में होता है, वस्तु-जगत् के साथ चैतन्य का जो छलनामय तादात्म्य है उसी को तोड़ना आवश्यक है। भौतिक जगत् का घटनाचक्र तो मानव-चेतना के अतल गह्वर में घूमने वाले भाव-चक्र की प्रतिच्छाया मात्र है। अतः महावीर

का मार्ग है मन की चिकित्सा, अन्तः रूपान्तरण, चेतना का जागरण । वहीं से वह मानसिक अणु-विस्फोट हो सकता है जो व्यक्ति को भीतर-बाहर से बदल दे, उसके पारिवारिक-सामाजिक व जीवन-व्यवहार को परिवर्तित कर दे, शोषण एवं वैषम्य का उन्मूलन कर शोषण विहीन साम्य-मूलक समाज की रचना में जो निष्पन्न हो सके ।

इस दृष्टि से महावीर और मार्क्स की भूमिकाओं में एक बुनियादी अन्तर है । मार्क्स जहाँ ऊपरी अभिव्यक्तियों को बदलने का निष्फल प्रयास करता रहा है वहाँ महावीर उसे ही बदलने की प्रेरणा देते हैं जिसके वे सब प्रतिबिम्ब मात्र हैं । महावीर हिंसा का ही प्रतिकार करते हैं और शोषण हिंसा का एक प्रकार है । वे लोभ को निवारित करने की प्रेरणा नहीं देते अपितु उसके कारण और निवारण के स्रोत भी निरूपित करते हैं । प्रमाद हिंसा का मूल है, लोभ या अहं या वासना तीनों इसके प्रतिबिम्ब मात्र हैं मन के धरातल पर तथा शोषण और विषमता परिणतियाँ हैं उसकी । प्रमाद समाज का जितना शत्रु है उतना व्यक्ति का भी । अपितु व्यक्ति की सारी सत्ता को ही खा जाता है वह । अतः महावीर प्रमाद को ही हिंसा कहते हैं, कर्म बन्धन कहते हैं, मरण और नरक कहते हैं और उनका सारा विचार अप्रमाद पर केन्द्रित है । सम्पूर्ण व्यक्ति का रूपान्तरण उनका लक्ष्य है क्योंकि व्यक्ति ही बुनियादी इकाई है सारे सामाजिक राष्ट्रीय संगठनों की । महावीर मार्क्स से अधिक मूलग्राही हैं । उनका मार्ग लम्बा हो सकता है लेकिन एकमात्र सही मार्ग वही है । छोटे मार्ग की खोज में बहुत प्रयास हो चुके-फ्रांस की राज्य क्रान्ति से लेकर संसार के आधे देशों में साम्यवादी क्रान्ति तक और उनकी निष्पत्तियाँ मानवता के लिये कल्याणकारी नहीं रही हैं । मार्क्स ने हिंसा का जो मार्ग बताया उसमें भी सामान्य आचारीय प्रतिमानों का नकार नहीं था । छल, फरेब, कृतघ्नता और विश्वासघात के लिये उसमें स्थान नहीं था । वह हिंसा मात्र प्रतिक्रिया थी, मात्र विद्रोह थी । लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने सारे प्रतिमानों को ही नकार दिया । महावीर शोषण को हिंसा मानते हैं, हिंसा को एक प्रकार का शोषण ही मानते हैं । अतः शोषण से शोषण का विनाश सम्भव नहीं है, यह उनकी स्पष्ट मान्यता है । महावीर शोषण को अनाचार मानते हैं, तथा अनाचार मूलतः शोषण ही है, यह भी जानते हैं, अतः उनका मन्तव्य है कि अनाचार के एक प्रकार से उसके दूसरे उन्मूलन संभव ही नहीं है ।

शोषण का अस्वीकार

महावीर ने वैषम्य और शोषण के प्रतिकार का अहिंसक है । उसमें मानवीय चेतना की तेजस्विता नमवेत शक्ति है, संगठन का बल है । असहकार अन्तःकरणों का गाँधीजी ने भारत के स्वातन्त्र्य संग्राम में

द्वारा सर्वप्रथम तीन करण और तीन योग के रूप में निरूपित किये जा चुके हैं। महावीर के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति अपने में एक विस्फोटित परमाणु की तरह अपार शक्ति का साकार पुँज है जो सारे समाज में क्रान्तियों की एक श्रृंखला प्रसारित करने में समर्थ है, जैसे एक टूटा परमाणु ग्रेप सारे परमाणुओं में श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया (चेन रीएक्शन) पैदा कर अपार शक्ति का विस्फोट कर देता है। असहकार एवं अवज्ञा की शक्ति का जागरण अगर देश के सारे श्रमिकों में हो तो पूँजीपति उनका शोषण एक क्षण भी नहीं कर सकते। शोषण इसलिये होता है कि हम उसके प्रति भीतर से असहमत नहीं हैं। इसका कारण यह है कि इसमें से प्रत्येक शोषित दूसरों के लिये स्वयं शोषक बन जाता है, इस कारण शोषक की सत्ता का समापन नहीं कर पाता। अगर शोषण का भीतर से उन्मूलन हो तो एक छोटा सा समुदाय भी समाज को बदल सकता है। मूल समस्या सख्या की नहीं, शुद्धि की है। जिस देश का हर व्यक्ति दूसरे से पहले अपना काम अन्यायपूर्वक भी करवा लेना चाहता है, उससे भ्रष्टाचार कैसे विदा होगा? जिस समाज का हर व्यक्ति अपने से कमजोर को दबाकर आगे बढ़ जाना चाहता है, उस समाज में शोषणविहीन समत्व की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? मूल समस्या यह नहीं है कि शोषण है बल्कि यह है कि हमने उसे स्वीकार कर रखा है, प्रतिष्ठा दे रखी है। हर व्यक्ति अपने लिये शोषण का नकार करता है, दूसरों के लिए स्वीकार करता है। इस स्थिति में कितनी ही रक्त क्रान्तियाँ क्यों न हो, शोषण विहीन समाज सरचना एक असम्भव प्रकल्पना मात्र रहेगी।

जन-जन की चेतना का रूपान्तरण हो, शोषण के प्रति सब व्यापक सन्दर्भों में नकार का स्वर उठाये तो असहकार एवं अवज्ञा की शक्ति द्वारा समाज के सामने एक ऐसी क्रान्तिकारी स्थिति प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें बदलने या मिटने के अलावा उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहे। जो सगठित लोक-शक्ति, अवज्ञा और असहकार से एक विराट् साम्राज्य को स्वस्थ कर सकती है वह सारी मानवता के पुनर्नवीकरण में भी सक्षम है, लेकिन अहिंसा का अधिष्ठान समत्व है, अपने और दूसरों के मध्य मन के धरातल पर। अगर हमारे भीतर दूसरो से स्वयं को विशिष्ट समझने तथा उनके अहित की कीमत पर अपना हित-साधन करने की मूल प्रवृत्ति कायम है तो हम किसी भी क्रान्ति द्वारा, चाहे वह हिंसक हो या अहिंसक, समाज से शोषण का अन्त नहीं कर सकते। महावीर का मार्ग शुद्धि का है—धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई।

अगर महावीर के जीवन्त सत्त्यों का लोक-जीवन के धरातल पर सम्यक् अवतरण होता तो लोकतन्त्र का रूप ही बदल जाता, समाज की आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थाएँ ही बदल जाती, परिवार और व्यक्ति के अन्तःसम्बन्ध ही बदल जाते तथा समग्र मानवता का अन्तःरूपान्तरण हो जाता। □ • □

अपरिग्रह के अनन्य उपासक और साधक गांधीजी

□ श्री काशिनाथ त्रिवेदी

जिसने जीवन के शाश्वत सत्य को उसकी गहराई में जाकर भलीभाँति देख, समझ और परख लिया, उसके लिए अपने नित्य के जीवन में परिग्रह का कोई अर्थ और आकर्षण रह ही नहीं गया। उसने अनुभव से जान लिया कि परिग्रह तो मिट्टी के बने मानव की ही अपनी एक बहुत पुरानी कमजोरी है। सिरजनहार की सृष्टि में परिग्रह के दोष से लिप्त दूसरे कोई भू-चर, जल-चर और खे-चर प्राणी है ही नहीं। पशुओं और पक्षियों का, साँपो और अजगरों का, मगरों और मछलियों का अपना कोई परिग्रह अथवा सग्रह होता नहीं। उनके लिए वही सहज है और उसी में उनकी सारी शोभा और शक्ति समाई हुई है। पाँच तत्त्वों से बनी इस दुनिया में किसी भी तत्त्व का अपना कोई परिग्रह कहीं होता नहीं। किन्तु मनुष्य ही एक ऐसा अपवाद-रूप प्राणी है, जिसने परिग्रह की माया में अपने आपको बुरी तरह उलझा और फँसा लिया है। जिस हद तक वह इस माया में डूबा है, उस हद तक उसकी मनुष्यता का पोत-पानी गिरा है, उसका पुण्य और पुरुषार्थ क्षीण हुआ है और उसकी मानवता कुण्ठित होकर रह गई है।

अपने आरम्भिक जीवन में मनुष्य भी परिग्रही नहीं था। वह आज का अपना जीवन आज की स्थिति में जी लेता था, और कल का जीवन कल की स्थिति में जी लेने की उसकी तैयारी रहती थी। इसलिए उन दिनों, उस समय की स्थिति और परिस्थिति में उसके मन में सग्रह की कोई इच्छा जागी नहीं। उसकी आवश्यकता भी नहीं।

अपने विकास के क्रम में मनुष्य जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, एकाकी जीवन में हटकर सामूहिक जीवन की दिशा में उसने बढ़ना शुरू किया, अपने रहने के लिए घर बनाए, घरों के समूह के रूप में गाँवों की दुनिया खड़ी की, खेती की, गो-पालन की और घरेलू उद्योग-धन्धों की दिशा पकड़ी, तो उसके माथ सग्रह के रूप में वह परिग्रह की वृत्ति वाला बना। परिग्रह में उसने अपने लिए मृत्यु, दुविधा और सुरक्षा के दर्शन किए। आगे चलकर जब व्यक्तिगत या समूहगत परिग्रह की, सग्रह की भूख प्रबल बनी तो उसके कारण - विग्रह की दिना ने मृदा। इर्ष्या-द्वेष के चक्र में फँसा।

संतुष्ट रहने की वृत्ति में परिवर्तन आया और घर से लेकर समूची दुनिया तक परिग्रह की प्रचण्ड भूख ने मनुष्य को हिंसक, क्रूर, अत्याचारी और अनाचारी बनने की दिशा में मोड़ दिया। सदियों तक मनुष्यों की दुनिया में यही क्रम चला। कमोवेश यही आज भी सारी दुनिया में चलता दीख रहा है। परिग्रह के पाश से बंधा औसत मनुष्य आज इतना लोभी, लालची, स्वार्थी, कृपण और कठोर बन गया है कि अगर वह आज के अपने चेहरे को आईने में देखे तो देखकर भौचक ही रह जाए !

सदियों तक चली परिग्रह की इस पाशवी उपासना ने जब लोक-जीवन को पैशाचिकता की ओर मोड़ा, तो उससे चौक कर अन्तर्मुख जीवन जीने की रुचि-वृत्ति वाले कुछ लोकोत्तर पुरुषों ने फिर समाज का ध्यान परिग्रह से हटाकर अपरिग्रह की ओर खींचा। अपरिग्रह की महिमा बढ़ाने के लिए और परिवार में, समाज में तथा देश में अपरिग्रह के मूल्य और महत्त्व को पुष्ट करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने जीवन और व्यवहार को अपरिग्रह के साथ जोड़ा। देश में अपरिग्रहियों की एक लम्बी परम्परा चली। उसी परम्परा में बुद्ध, महावीर से लेकर गांधी-विनोबा तक के अपरिग्रही महापुरुष हमारे बीच आए। वे बार-बार दिशा दिखाते रहे, रास्ते खोलते रहे, चेतावनियाँ देते रहे, पर इस सारी अवधि में देश के ही नहीं, सारी दुनिया के आम आदमी का पिण्ड कुछ ऐसा बन गया कि परिग्रह के दोषों और दुष्परिणामों को जानते-समझते हुए भी वह परिग्रह के पाश से आज तक अपने को छुड़ा नहीं पाया है। परिग्रह की लालसा ने उसको बुरी तरह जकड़ लिया है। अपरिग्रह की बात सोचने और उसकी दिशा में अपने कदम बढ़ाने की कोई शक्ति उसमें शेष रही लगती नहीं है। आम आदमी की आज की मनःस्थिति और परिस्थिति ने उसको अपनी मनुष्यता और सामाजिकता से कोसों दूर हटा दिया है। मननशीलता अब उसके जीवन का जीता-जागता अंग रह नहीं गई है। आज वह मननशील कम, अनुकरणशील अधिक बन गया है। औसत आदमी अब आदमी न रहकर बन्दरो की बिरादरी में शरीक होता जा रहा है, और तारीफ यह है कि अपनी इस गिरावट का उसको न तो कोई रज और गम है और न उसके मन में इसके लिए कोई लाज-शरम ही रह गई है।

मानव जाति के इतिहास की इस लम्बी परम्परा को भेदता हुआ ईसा की उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हमारे बीच एक ऐसा महाप्राण पुरुष फिर आया, जिसने अपने समय की दुनिया को फिर अपरिग्रह की दिशा में मोड़ने का अपने बस-भर भगीरथ प्रयत्न किया। देश ने और दुनिया ने उसको 'महात्मा गांधी' के नाम से जाना और पहचाना। अपने निज के जीते-जागते उदाहरण से अपने देशवासियों को और अपने समय की दुनिया के लोगों को व्यवितगत और सामाजिक जीवन में अपरिग्रह की महिमा समझाते रहने का काम वे अपनी

अन्तिम साँस तक करते ही रहे । बीसवीं सदी में सार्थक और समर्थ अपरिग्रही जीवन जी लेने का जो एक अनोखा उदाहरण वे अपने समय की दुनिया के मामले छोड़ गए, उसकी वैसी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल ही है ।

गांधीजी अपने जमाने के उन बिरले लोगो में थे, जिन्होंने ईश्वर को सत्य मानने के साथ ही सत्य को ही ईश्वर मानने की बात भी पूरे जोर के साथ कही । वे अपने समय के सबसे बड़े सत्याग्रही माने गए । सत्य की अपनी उत्कट उपासना के कारण ही वे अपने समूचे जीवन को व्रत-निष्ठ बना सके । उनकी यह व्रत-निष्ठा ही उनको उन ग्यारह व्रतों की दिशा में ले गई, जिनको उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने आश्रमों के सामूहिक जीवन में प्रतिष्ठित करने का सजग प्रयत्न अविरत भाव से किया । सत्य की अपनी अखण्ड उपासना के कारण ही उन्होंने अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असग्रह, शरीर-श्रम, अस्वाद, अभय, सर्व धर्म-समानता, स्वदेशी और अस्पृश्यता को अपने जीवन-व्रतों के रूप में अंगीकार किया था । सन् १९१५ से लेकर १९४८ तक का उनका जीवन इन ग्यारह व्रतों की अनन्य उपासना में बीता । व्रत-पालन में उनके समान जागरूकता, तत्परता और चौकसाईं के उदाहरण हमारे लोक-जीवन में कहीं देखने को मिलते नहीं हैं । सत्य की परिपूर्ण उपासना और आराधना के लिए गांधीजी ने अपरिग्रह को अनिवार्य माना था । लोक-सेवा और समाज-जीवन के अपने लम्बे और विविध अनुभवों के फलस्वरूप वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि सत्य-निष्ठ जीवन जीने के लिए अपरिग्रह अनिवार्य है । परिग्रह में उनको कहीं सत्य के दर्शन नहीं हुए । इसलिए वे अपने जीवन-काल में उत्तरोत्तर अपरिग्रही बनते चले गए । लोक-सेवा की उत्कट लगन ने उनको अपरिग्रह की दिशा में मोड़ा । यही लगन उनको ब्रह्मचर्य दिशा में ले गई । २७-२८ से ३०-३२ वरस की उमर तक पहुँचते-पहुँचते द्रव्य के प्रति और वस्त्राभूषण के प्रति उनकी आसक्ति विचारपूर्वक क्षीण होती चली गई और अपनी लोक-सेवा के बदले में मिले कीमती उपहारों को अपनी नहीं, जनता की सम्पत्ति मानने का शुभ निश्चय वे कर पाए । इसके लिए उनको अपने मन के साथ और अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ काफी जूझना पड़ा । इसकी चर्चा करते हुए 'सत्य के प्रयोग' नामक अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था : 'मेरा यह मत बना है कि मार्क्सवादी सेवक के लिए निजी भेद नहीं हो सकती ।' अपने इस दर्शन पर वे अन्त तक चट्टान की तरह दृढ़ बने रहे । इसके माय विनी कोई समझौता उन्होंने कभी किया ही नहीं ।

दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक का उनका अपरिग्रह की उनकी उपासना और साधना का एक अपनी नारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा समय, सारा

देने का निर्णय कर लेने के बाद गांधीजी की अपनी न तो कोई गृहस्थी रही, न कोई स्थावर-जंगम सम्पत्ति रही और न अपने कोई स्वजन-परिजन ही रह गए। जो छोटा था, जो अल्पजीवी था, उसको छोड़कर, उससे कही ऊपर उठकर, वे विशाल और विराट् की दिशा में बढ़ते चले गए, जिसकी उत्तम परिणति उनके विश्व-कुटुम्ब में हुई ! 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का एक अनोखा उदाहरण वे अपने जीवन और अपने कार्य के द्वारा दुनिया के सामने सदा के लिए छोड़ गए। आत्म-दर्शन ने उनको विश्व-दर्शन के साथ जोड़ दिया। वे चराचर सृष्टि को अपने में और अपने को चराचर सृष्टि में देखने की रुचि, वृत्ति, दृष्टि और शक्ति वाले बन गए ! अपरिग्रह-सम्बन्धी उनका चिन्तन और आचरण उनको इतनी दूर तक ले गया। सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ और सबसे परे भी हूँ, ऐसी एक उदात्त भूमिका उनके जीवन और कार्य की बनती चली गई, अपने इसी चिन्तन के परिणामस्वरूप सन् १९३४-३५ के दिनों में देश के गरीब-से-गरीब आदमी के साथ जुड़कर जीने और काम करने के विचार से गांधीजी ने मगन-वाड़ी, वर्धा का अपना निवास छोड़ने और सेवा गाँव—जैसे हरिजनों की वस्ती वाले एक छोटे-से गाँव में, उनकी भोंपडी के ढग की ही अपनी एक भोंपडी बनवाकर उसमें रहना शुरू किया, और वही से सारे भारत की स्वतंत्रता के अपने आन्दोलनों को चलाया। अपरिग्रह की दिशा में उनका यह एक और मजबूत कदम रहा। अपनी इस कुटिया के कमरों में गांधीजी खजूर के पत्तों से बनी चटाइयाँ बिछवाते थे। उनसे मिलने के लिए आने वाले देश-विदेश के बड़े-छोटे सब लोग इन्हीं चटाइयों पर बैठ कर गांधीजी के साथ बातचीत करते थे। जो मेरे देश के गरीब-से-गरीब आदमी को नहीं मिलता, उसका उपयोग मैं कैसे करूँ ? यह सवाल उनके मन में बराबर बना रहता था। उसको अपनी बराबरी पर लाने के लिए उनका चिन्तन और उनके काम लगातार चलते रहते थे। अपरिग्रह ही उनकी उपासना की यह एक बड़ी मंजिल थी। इस मंजिल की तरफ वे तेज गति से बढ़ रहे थे। जब तक बढ़ सके, बढ़ते ही रहे। रुकने, थकने, हारने की कोई बात कभी उनके सामने रही नहीं। सेवा ग्राम—आश्रम का उनका जीवन, सुबह से रात तक की उनकी दिन चर्या, सर्वोदयी परिवार के जीवन के एक नमूने-सी बन गई थी। इसमें गरीब-से-गरीब आदमी के लिए भी गहरा आश्वासन भरा था।

अपरिग्रह के विषय में गांधीजी किस गहराई तक पहुँचे थे, इसकी जानकारी देने वाले उनके कुछ जीवन-प्रसंगों पर यहाँ हम थोड़ी निगाह डालें—

१. वस्त्र-त्याग

अपने जीवन-काल में सारे देश में घूमकर गांधीजी ने बहुत नजदीक से उस समय के अपने लोगों की भीषण गरीबी के जो दर्शन किए, उनके फलस्वरूप

गांधीजी ने उन दिनों साबरमती के तट पर रहते थे। एक दिन वे अपने हाथों चिट्ठियाँ लिखने में व्यस्त थे, तब उन्होंने अपने सामने खाम कर रही अपनी अंग्रेज शिष्या कुमारी मीरा बहन को देखा। मीरा बहन ने लिख चुकने के बाद मुझको अपने हाथों लई पिट्टी दिखाई दी। मैंने देखा कि वह बहन की पीठ पर चिकना बनाने के लिए मुझको नीम का पत्ता काट रहे हैं। सामने नीम का जो पेड़ खड़ा है, उनकी दो पत्तियाँ तोड़कर लाने का कहना है। गांधीजी के कहे कामों को उमंग और उत्साह के साथ करने का प्रयत्न करती थी। मीरा बहन फौरन उठी और नीम के पेड़ के पास पहुँच कर दो पत्तियाँ तोड़कर ले आईं। उन्होंने वह टहनी गांधीजी के सामने रखी। मुझको लिखने का काम पूरा हुआ, और गांधीजी ने अपना काम खर देखा, तो उनको नीम की पत्तियों वाली वह टहनी दिखाई दी। वे एकदम गम्भीर हो उठे। उन्होंने मीरा बहन को ध्या-भरी आवाज़ में उनसे पूछा, 'मीरा! क्या तुम नीम की दो पत्तियाँ चाहिए? फ़िर तुम वास्तु-वास्तु किसे देणा है! उतावली में किए गए तुम्हारे इस काम में अपरिग्रह का और दूसरा अन्तेय का। मुझको काम के लिए ऐसी दो वटी भूलें कर दें'

२. नीम को दो पत्तियाँ

गांधीजी ने उन दिनों साबरमती के तट पर रहते थे। एक दिन वे अपने हाथों चिट्ठियाँ लिखने में व्यस्त थे, तब उन्होंने अपने सामने खाम कर रही अपनी अंग्रेज शिष्या कुमारी मीरा बहन को देखा। मीरा बहन ने लिख चुकने के बाद मुझको अपने हाथों लई पिट्टी दिखाई दी। मैंने देखा कि वह बहन की पीठ पर चिकना बनाने के लिए मुझको नीम का पत्ता काट रहे हैं। सामने नीम का जो पेड़ खड़ा है, उनकी दो पत्तियाँ तोड़कर लाने का कहना है। गांधीजी के कहे कामों को उमंग और उत्साह के साथ करने का प्रयत्न करती थी। मीरा बहन फौरन उठी और नीम के पेड़ के पास पहुँच कर दो पत्तियाँ तोड़कर ले आईं। उन्होंने वह टहनी गांधीजी के सामने रखी। मुझको लिखने का काम पूरा हुआ, और गांधीजी ने अपना काम खर देखा, तो उनको नीम की पत्तियों वाली वह टहनी दिखाई दी। वे एकदम गम्भीर हो उठे। उन्होंने मीरा बहन को ध्या-भरी आवाज़ में उनसे पूछा, 'मीरा! क्या तुम नीम की दो पत्तियाँ चाहिए? फ़िर तुम वास्तु-वास्तु किसे देणा है! उतावली में किए गए तुम्हारे इस काम में अपरिग्रह का और दूसरा अन्तेय का। मुझको काम के लिए ऐसी दो वटी भूलें कर दें'

की जरूरत थी तुम इतनी पत्तियों वाली यह टहनी ले आई हो। क्या इससे अपरिग्रह का हमारा व्रत नहीं टूटा? अस्तेय के हमारे व्रत को धक्का नहीं पहुँचा? जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज़ को अपने पास रखते हैं, तो हम अपने अपरिग्रह और अस्तेय के व्रत को तोड़ते हैं।' गांधीजी काफी देर तक मीरा बहन को अपनी यह बात समझाते रहे। मीरा बहन की स्थिति तो ऐसी बनी कि काटो तो खून नहीं!

३. 'बापू! आप तो बहुत कंजूस लगते हैं।'

गांधीजी के एक बहुत जाने-माने साथी श्री मोहनलाल पण्ड्या एक दिन गांधीजी से मिलने और उनसे जरूरी बातचीत करने के लिए सावरमती के सत्याग्रह-आश्रम में पहुँचे। खेडा जिले में हुए किसानों के सत्याग्रह के दिनों में पण्ड्याजी ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। गांधीजी से बातचीत करने के बाद उस रात वे आश्रम में ही रहे। हृदयकुंज के सामने वाले खुले मैदान में जहाँ रात को गांधीजी की खटिया लगती थी, वही मोहनलाल पण्ड्या की भी खटिया लगी और उस रात वे वही सोए। दूसरे दिन बड़े सवेरे जब जागने की घण्टी बजी, तो गांधीजी सहित सब जागे। तभी मोहनलाल पण्ड्या का ध्यान गांधीजी की तरफ गया। वे उस समय दातौन करके हाथ-मुँह धो रहे थे। पण्ड्याजी को अचानक एक मजाक सूझा और वे बोले: 'बापूजी! आप तो बहुत ही कंजूस लगते हैं।' गांधीजी ने हँसते-हँसते पूछा! 'क्यों भाई, मैं तुमको कंजूस क्यों लग रहा हूँ?' पण्ड्याजी ने कहा: 'भुष्कल से आधा सेर पानी जिसमें रह पाए, ऐसी इस छोटी-सी लुटिया के पानी से आप दातौन भी कर लेते हैं, और मुँह-हाथ भी धो लेते हैं। यह देखकर मुझको तो बड़ा अचरज होता है। आप पानी की इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। यहाँ से १०० कदम यह सावरमती नदी बह रही है। इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसी हालत में आप इतने कम पानी से अपना काम क्यों चलाते हैं?' गांधीजी बोले: 'मोहनलाल भाई, यह सावरमती नदी मेरे बाप ने नहीं बनाई है। इस पर तो सारी चराचर सृष्टि का हक है। मैं इससे अपनी जरूरत के लायक पानी ही ले सकता हूँ। जरूरत से ज्यादा लेता हूँ तो चोरी का गुनाह करता हूँ। देखिए, इस लुटिया भर पानी से मैंने अपने दाँत भी माँज लिए, मुँह भी धो लिया, और हाथ भी धो लिए। मे कोई कसर नहीं हो तो मुझसे कहिए।' बेचारे मोहनलाल भाई क्या कहें वे तो खिसिया कर रह गए।

४ स्नान-घर के बरतनों की चोरी

उन दिनों सावरमती के सत्याग्रह-आश्रम की प्रार्थना-भूमि से कुछ गांधीजी का अपना एक स्नान-घर बना था। इस स्नान-घर में ताँबे-लोहे में गांधीजी के लिए नहाने का पानी भरा जाता था। स्नान

स्नान-घर पर ताला लगाने की जिम्मेदारी एक आश्रमवासी भाई को सौंपी गई थी। वह समय ऐसा था कि जब रात में अहमदाबाद के आसपास की वस्तियों से कुछ आवारा लोग आश्रम की हद में घुसकर छोटी-बड़ी चीजें चुरा लिया करते थे। एक रात गांधीजी के स्नान-घर का ताला खुला रह गया। संयोग से उसी रात आश्रम में कुछ चोर आए और गांधीजी के स्नान-घर को खुला पाकर वे स्नान-घर में रखे हुए ताँबे-पीतल के सब वस्तुएँ चुराकर ले गए। दूसरे दिन सुबह गांधीजी को इसकी जानकारी दी गई, तो इसमें उन्होंने अपना ही दोष देखा, और कहा कि नहाने का पानी भरने के लिए हमको इतने कीमती वस्तुएँ रखने की जरूरत ही क्या थी? हम अपने पास ऐसी कोई चीज रखें ही क्यों जिसको चुरा लेने के लिए किसी का मन ललचा जाए और वह चोर बन जाए? इसके लिए दोषी तो हम ही हैं। ऐसे अवसरों पर गांधीजी का मन बहुत ही सजग और सक्रिय हो उठता था। उन्होंने तुरन्त ही निश्चय किया कि अब उनके स्नान-घर में पानी भरने के लिए ताँबे-पीतल के कीमती वस्तुओं की जगह कैरोसिन के खाली कनस्तरो का ही उपयोग किया जाए। उन दिनों ये कनस्तर काफी सस्ते विकते थे। उस दिन से गांधीजी के स्नान-घर में पानी के संग्रह के लिए खाली कनस्तरो का ही उपयोग होने लगा।

५. मिट्टी का ढेला

एक शाम खेडा जिले के श्री मोहनलाल पण्ड्या फिर गांधीजी से मिलने और उनके साथ चर्चा करने के लिए सावरमती पहुँचे। उस रात उनको वही रुकना पड़ा। दूसरे दिन सुबह वे अपने हाथ में पानी-भरा लोटा लेकर दिशा-जगल के लिए निकले। लौटते समय आश्रम के हाल ही जोते गए क्षेत्र में वे उन्होंने मिट्टी का एक बड़ा-सा ढेला उठा लिया। वे नल के पास पहुँचे। पहले ढेले की थोड़ी मिट्टी लेकर उन्होंने उससे अपने हाथ धो लिए। फिर थोड़ी और मिट्टी लेकर वे अपना लोटा माँजने लगे। तभी गांधीजी उधर से निकले। उनकी चकोर आँख मिट्टी के उस बड़े-से ढेले पर टिकी। उन्होंने तुरन्त पूछा : 'मोहनलाल भाई, मिट्टी का यह इतना बड़ा ढेला यहाँ किन्तने गया है?' मोहनलाल भाई ने कहा-- 'बापू! यह तो मैंने गया है। दिशा-जगल में लौटते समय मैं क्षेत्र में से इनको उठा लाया हूँ।' गांधीजी बोले : 'क्यों उठा लाए हो?' जवाब में पण्ड्याजी ने कहा : 'बापू! मिट्टी से हाथ धोने और लोटा माँजने के लिए मैं इनको ले आया हूँ।' गांधीजी बोले : 'पण्ड्याजी, हाथ धोने और लोटा माँजने के लिए तो चुटकी-भर मिट्टी काफी होती है। यह ढेला तो टार्ट-तीन भेर वजन का लगता है। नल के पास इतने बड़ा ढेला क्यों जगल में है? यह यहाँ पड़ा रह गया, तो नल के पानी से भीतर का पानी कीचड़ पर देगा। कीचड़ पर पैर फिसलने से उलाउली से जाने जाना की बात भी लग सकती है। इस ढेले की जगह नल के पास नहीं है। इसको छार तुरन्त में निक'।

की जरूरत थी तुम इतनी पत्तियो वाली यह टहनी ले आई हो। क्या इससे अपरिग्रह का हमारा व्रत नहीं टूटा ? अस्तेय के हमारे व्रत को धक्का नहीं पहुँचा ? जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को अपने पास रखते हैं, तो हम अपने अपरिग्रह और अस्तेय के व्रत को तोड़ते हैं।' गांधीजी काफी देर तक मीरा बहन को अपनी यह बात समझाते रहे। मीरा बहन की स्थिति तो ऐसी बनी कि काटो तो खून नहीं !

३. 'बापू ! आप तो बहुत कंजूस लगते हैं।'

गांधीजी के एक बहुत जाने-माने साथी श्री मोहनलाल पण्ड्या एक दिन गांधीजी से मिलने और उनसे जरूरी बातचीत करने के लिए सावरमती के सत्याग्रह-आश्रम में पहुँचे। खेडा जिले में हुए किसानों के सत्याग्रह के दिनों में पण्ड्याजी ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। गांधीजी से बातचीत करने के बाद उस रात वे आश्रम में ही रहे। हृदयकुंज के सामने वाले खुले मैदान में जहाँ रात को गांधीजी की खटिया लगती थी, वही मोहनलाल पण्ड्या की भी खटिया लगी और उस रात वे वही सोए। दूसरे दिन बड़े सबेरे जब जागने की घण्टी बजी, तो गांधीजी सहित सब जागे। तभी मोहनलाल पण्ड्या का ध्यान गांधीजी की तरफ गया। वे उस समय दातौन करके हाथ-मुँह धो रहे थे। पण्ड्याजी को अचानक एक मजाक सूझा और वे बोले : 'बापूजी ! आप तो बहुत ही कंजूस लगते हैं।' गांधीजी ने हँसते-हँसते पूछा ! 'क्यों भाई, मैं तुमको कंजूस क्यों लग रहा हूँ ?' पण्ड्याजी ने कहा : 'मुश्किल से आधा सेर पानी जिसमें रह पाए, ऐसी इस छोटी-सी लुटिया के पानी से आप दातौन भी कर लेते हैं, और मुँह-हाथ भी धो लेते हैं। यह देखकर मुझको तो बड़ा अचरज होता है। आप पानी की इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। यहाँ से १०० कदम यह सावरमती नदी बह रही है। इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसी हालत में आप इतने कम पानी से अपना काम क्यों चलाते हैं ?' गांधीजी बोले : 'मोहनलाल भाई, यह सावरमती नदी मेरे बाप ने नहीं बनाई है। इस पर तो सारी चराचर सृष्टि का हक है। मैं इससे अपनी जरूरत के लायक पानी ही ले सकता हूँ। जरूरत से ज्यादा लेता हूँ तो चोरी का गुनाह करता हूँ। देखिए, इस लुटिया भर पानी से मैंने अपने दाँत भी मॉज लिए, मुँह भी धो लिया, और हाथ भी धो लिए। धोने में कोई कसर रही हो तो मुझसे कहिए !' बेचारे मोहनलाल भाई क्या कहते ? वे तो खिसिया कर रह गए।

४ स्नान-घर के बरतनों की चोरी

उन दिनों सावरमती के सत्याग्रह-आश्रम की प्रार्थना-भूमि से कुछ ही दूर गांधीजी का अपना एक स्नान-घर बना था। इस स्नान-घर में ताँबे-पीतल के बरतनों में गांधीजी के लिए नहाने का पानी भरा जाता था। स्नान के बाद

स्नान-घर पर ताला लगाने की जिम्मेदारी एक आश्रमवासी भाई को सौंपी गई थी। वह समय ऐसा था कि जब रात में अहमदाबाद के आसपास की वस्तियों से कुछ आवारा लोग आश्रम की हद में घुसकर छोटी-बड़ी चीजें चुरा लिया करते थे। एक रात गांधीजी के स्नान-घर का ताला खुला रह गया। संयोग से उसी रात आश्रम में कुछ चोर आए और गांधीजी के स्नान-घर को खुला पाकर वे स्नान-घर में रखे हुए ताँबे-पीतल के सब वरतन चुराकर ले गए। दूसरे दिन सुबह गांधीजी को इसकी जानकारी दी गई, तो इसमें उन्होंने अपना ही दोष देखा, और कहा कि नहाने का पानी भरने के लिए हमको इतने कीमती वरतन रखने की जरूरत ही क्या थी? हम अपने पास ऐसी कोई चीज रखे ही क्यों जिसको चुरा लेने के लिए किसी का मन ललचा जाए और वह चोर बन जाए? इसके लिए दोषी तो हम ही हैं। ऐसे अवसरों पर गांधीजी का मन बहुत ही सजग और सक्रिय हो उठता था। उन्होंने तुरन्त ही निश्चय किया कि अब उनके स्नान-घर में पानी भरने के लिए ताँबे-पीतल के कीमती वरतनों की जगह केरोसिन के खाली कनस्तरो का ही उपयोग किया जाए। उन दिनों ये कनस्तरो काफी सस्ते विकते थे। उस दिन से गांधीजी के स्नान-घर में पानी के सग्रह के लिए खाली कनस्तरो का ही उपयोग होने लगा।

५. मिट्टी का ढेला

एक शाम खेडा जिले के श्री मोहनलाल पण्ड्या फिर गांधीजी से मिलने और उनके साथ चर्चा करने के लिए साबरमती पहुँचे। उस रात उनको बही रुकना पड़ा। दूसरे दिन सुबह वे अपने हाथ में पानी-भरा लोटा लेकर दिशा-जगल के लिए निकले। लौटते समय आश्रम के हाल ही जोते गए खेत में वे उन्होंने मिट्टी का एक बड़ा-सा ढेला उठा लिया। वे नल के पास पहुँचे। पहले ढेले की थोड़ी मिट्टी लेकर उन्होंने उससे अपने हाथ धो लिए। फिर थोड़ी और मिट्टी लेकर वे अपना लोटा माँजने लगे। तभी गांधीजी उधर से निकले। उनकी चकीर आँखें मिट्टी के उस बड़े-से ढेले पर टिकी। उन्होंने तुरन्त पूछा : 'मोहनलाल भाई, मिट्टी का यह इतना बड़ा ढेला यहाँ किन्ने रखा है?' मोहनलाल भाई ने कहा—'बापू! यह तो मैंने रखा है। दिशा-जगल में लाँटने समय मैं खेत में से इसको उठा लाया हूँ।' गांधीजी बोले : 'क्यों उठा लाया हो?' जवाब में पण्ड्याजी ने कहा : 'बापू! मिट्टी में हाथ धोने और लोटा माँजने के लिए मैं इसको ले आया हूँ।' गांधीजी बोले : 'पण्ड्याजी, हाथ धोने और लोटा माँजने के लिए तो चुटकी-भर मिट्टी काफी होती है। यह ढेला तो दारि-नीन भैर वजन का लगता है। नल के पास इतने बड़े ढेले की क्या जरूरत है?' यह यही पड़ा रह गया, तो नल के पानी में भाँगकर बड़ा कौन्ट भर देगा। कीचड़ पर पैर फिसलने में उतावलों में जाने वालों को साँट भी लग सकती है। इस ढेले की जगह नल के पास नहीं है। इतने छोटे मुग्ध ही भैर

मे डाल आइए । यह वहाँ रहेगा तो चार दाने ज्यादा पैदा करके देगा । यहाँ नल के पास बना रहा तो यह कीचड़ बनकर किसी के हाथ-पैर तोड़ सकता है । इसकी जगह यहाँ नहीं, खेत में है ।' पण्ड्याजी बोले : 'वापू, मैं इसको फिर खेत में डाल आऊँगा ।' वापू ने कहा : 'आप पहले उठिए, ढेला अपने हाथ में लीजिए, और मेरे सामने ही इसको वापस खेत में डाल आइए । जब तक आप यह काम नहीं करेगे, मैं यही रुका रहूँगा ।' पण्ड्याजी ने ढेला उठाया और वे खेत की तरफ बढ़े । जब ढेला वापस खेत में पहुँच गया, तो गाधीजी को तसल्ली हुई, और वे अपने मुकाम की तरफ बढ़ गए । चुटकी-भर मिट्टी की जगह वड़े-से ढेले का सग्रह गाधीजी को इतना चुभा कि जब तक-ढेला अपनी असल जगह पर नहीं पहुँचा, वे उसकी चिन्ता करते रहे । अपरिग्रह के व्रतधारी की आँखें कितनी चकोर और मन कितना चौकस होना चाहिए, इसका एक अच्छा-सा उदाहरण हमको इस प्रसंग से मिलता है ।

अपरिग्रही गांधीजी के रोज-रोज के जीवन-प्रसंगों में से ऐसे तो अनगिनत प्रसंग दिए जा सकते हैं, जिनसे अपरिग्रह में उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त होती रही है । अपरिग्रह की अपनी इस अखण्ड उपासना और साधना के फलस्वरूप ही गांधीजी ने अपने समकालीनों के सामने ट्रस्टीशिप की अपनी अनोखी योजना रखी थी । उन्होंने अपने देश के उद्योगपतियों और धन कुवेरों को सलाह दी थी कि उनके पास उनकी अपनी आवश्यकता से अधिक जितनी चल-अचल सम्पत्ति है, उसके वे स्वयं स्वेच्छा से ट्रस्टी बन जाएँ और उसका उपयोग लोकोपयोगी कामों में करते रहने का व्रत ले लें । अपने पास धन-सम्पत्ति के रूप में जो भी कुछ इकट्ठा हुआ है, वह अपना नहीं है, उनका है जिन्होंने इसके इकट्ठा होने में अपना योगदान किया है । जनता से मिली चीज, जनता की मानकर जनता को ही वापस दे देने की, उसी के उत्थान और कल्याण में उसको लगाते रहने की रुचि और वृत्ति को गांधीजी ने विश्वस्त-वृत्ति माना था । परिवार, समाज और देश के स्वस्थ और सन्तुलित धारण-पोषण और सवर्धन-सगोपन के लिए लोक-जीवन में विश्वस्त-वृत्ति को परिपुष्ट करने के विचार से गांधीजी अपने जीवन के अन्तिम चरण में ट्रस्टीशिप पर बहुत जोर देने लगे थे । वे चाहते और मानते थे कि जो लोग शुद्ध रीति-नीति के साथ धन-सम्पत्ति के विपुल अर्जन की क्षमता रखते हैं, वे उसका अर्जन अपनी पूरी योग्यता और कुशलता के साथ करते रहे । ऐसे धनी-मानी लोगों के सामने उन्होंने एक ही मर्यादा रखी थी कि जो धन-सम्पत्ति उनके पास संचित हुई है, उसको वे अपनी न मानें, उस पर अपना कोई स्वामित्व न जताएँ । उसको समाज की मानें और समाज को ही निरन्तर समर्पित करते रहे । इसके मूल में 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पयो' की भावना काम करती रहे । जो चीज भगवान् से मिली है, उसको वापस भगवान् के ही हाथों में सौंप देने की उदात्त वृत्ति का

ही एक प्रकट रूप ट्रस्टीशिप है। स्वामित्व हमारा नहीं। स्वामित्व पूरे समाज का है। हम तो उसके रक्षक-भर है।

धन-सम्पत्ति से भी आगे बढ़कर गांधीजी ने तो ट्रस्टीशिप के विचार को इस हद तक आगे बढ़ाया कि मनुष्य अपने को अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का और अपनी वाणी आदि का भी स्वामी न माने। वह इन सबका उपयोग और विनियोग भी चराचर सृष्टि के हित में करता रहे। इन सबको प्रभु द्वारा सौंपी गई धरोहर माने।

गांधीजी ने 'ईशावास्य-उपनिषद्' के पहले मंत्र को अपनी सुबह-शाम की सामूहिक प्रार्थना में पहला स्थान इसी विचार से दिया था कि उसमें विश्वस्त-वृत्ति का सारा विचार बहुत परिणत रूप में प्रकट हुआ है।

अपरिग्रह की अपनी उत्कट उपासना और साधना के फलस्वरूप गांधीजी ने अपने समय की दुनिया के सामने सत्याचरण के और सत्य की उपासना के जो ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, वे चिरकाल तक लोकात्मा को उज्ज्वल और निर्मल बनाए रखने की दिशा दिखाते रहेंगे।

बीसवीं सदी को लॉचकर इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के लिए उतावली बनी हमारे समय की मानवता ने गांधी-जीवन-दर्शन को पीने-पचाने की दिशा पकड़ने में थोड़ी भी कमजोरी, शिथिलता या असावधानी दिखाई, तो आने वाला जमाना उसके लिए बहुत ही भयावना और सर्वनाशकारी बन सकता है।

आइए, परम मंगलमय प्रभु से हम सब नम्रतापूर्वक विनती करें कि वे हमसे हर एक के घट में जाग उठें और हमको असत्य से सत्य की दिशा में, अंधेरे से उजले की दिशा में और मृत्यु से अमरता की दिशा में बटते रहने की भरपूर शक्ति, भक्ति और दृष्टि दें।



□ इच्छा का समुद्र सदा अनृप्त रहता है, उसकी मांगें ज्यों-ज्यों पूरी की जाती हैं, त्यों-त्यों और गर्जन करता है। —विदेकानन्द

□ जो तमाम इच्छाओं में ऊपर उठ गया है उनके द्वारा भयानक नया एक तरह अनजाने, सहज और स्वाभाविक तौर में होती रहती है, जैसे एक ने खुशबू और सितारों ने रोगनी निकलती रहती है।

—न्यायी रामदीप

मे डाल आइए । यह वहाँ रहेगा तो चार दाने ज्यादा पैदा करके देगा । यहाँ नल के पास बना रहा तो यह कीचड़ बनकर किसी के हाथ-पैर तोड़ सकता है । इसकी जगह यहाँ नहीं, खेत में है ।' पण्ड्याजी बोले : 'बापू, मैं इसको फिर खेत में डाल आऊँगा ।' बापू ने कहा : 'आप पहले उठिए, ढेला अपने हाथ में लीजिए, और मेरे सामने ही इसको वापस खेत में डाल आइए । जब तक आप यह काम नहीं करेगे, मैं यही रुका रहूँगा ।' पण्ड्याजी ने ढेला उठाया और वे खेत की तरफ बढ़े । जब ढेला वापस खेत में पहुँच गया, तो गांधीजी को तसल्ली हुई, और वे अपने मुकाम की तरफ बढ़ गए । चुटकी-भर मिट्टी की जगह बड़े-से ढेले का सग्रह गांधीजी को इतना चुभा कि जब तक ढेला अपनी असल जगह पर नहीं पहुँचा, वे उसकी चिन्ता करते रहे ! अपरिग्रह के व्रतधारी की आँखें कितनी चकोर और मन कितना चौकस होना चाहिए, इसका एक अच्छा-सा उदाहरण हमको इस प्रसंग से मिलता है ।

अपरिग्रही गांधीजी के रोज-रोज के जीवन-प्रसंगों में से ऐसे तो अनगिनत प्रसंग दिए जा सकते हैं, जिनसे अपरिग्रह में उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त होती रही है । अपरिग्रह की अपनी इस अखण्ड उपासना और साधना के फलस्वरूप ही गांधीजी ने अपने समकालीनों के सामने ट्रस्टीशिप की अपनी अनोखी योजना रखी थी । उन्होंने अपने देश के उद्योगपतियों और धन कुबेरो को सलाह दी थी कि उनके पास उनकी अपनी आवश्यकता से अधिक जितनी चल-अचल सम्पत्ति है, उसके वे स्वयं स्वेच्छा से ट्रस्टी बन जाएँ और उसका उपयोग लोकोपयोगी कामों में करते रहने का व्रत ले लें । अपने पास धन-सम्पत्ति के रूप में जो भी कुछ इकट्ठा हुआ है, वह अपना नहीं है, उनका है जिन्होंने इसके इकट्ठा होने में अपना योगदान किया है । जनता से मिली चीज, जनता की मानकर जनता को ही वापस दे देने की, उसी के उत्थान और कल्याण में उसको लगाते रहने की रुचि और वृत्ति को गांधीजी ने विश्वस्त-वृत्ति माना था । परिवार, समाज और देश के स्वस्थ और सन्तुलित धारण-पोषण और सर्वधन-सगोपन के लिए लोक-जीवन में विश्वस्त-वृत्ति को परिपुष्ट करने के विचार से गांधीजी अपने जीवन के अन्तिम चरण में ट्रस्टीशिप पर बहुत जोर देने लगे थे । वे चाहते और मानते थे कि जो लोग शुद्ध रीति-नीति के साथ धन-सम्पत्ति के विपुल अर्जन की क्षमता रखते हैं, वे उसका अर्जन अपनी पूरी योग्यता और कुशलता के साथ करते रहे । ऐसे धनी-मानी लोगों के सामने उन्होंने एक ही मर्यादा रखी थी कि जो धन-सम्पत्ति उनके पास संचित हुई है, उसको वे अपनी न मानें, उस पर अपना कोई स्वामित्व न जताएँ । उसको समाज की मानें और समाज को ही निरन्तर समर्पित करते रहे । इसके मूल में 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पयो' की भावना काम करती रहे । जो चीज भगवान् से मिली है, उसको वापस भगवान् के ही हाथों में सौंप देने की उदात्त वृत्ति का

ही एक प्रकट रूप ट्रस्टीशिप है। स्वामित्व हमारा नहीं। स्वामित्व पूरे समाज का है। हम तो उसके रक्षक-भर है।

धन-सम्पत्ति से भी आगे बढ़कर गाधीजी ने तो ट्रस्टीशिप के विचार को इस हद तक आगे बढ़ाया कि मनुष्य अपने को अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का और अपनी वाणी आदि का भी स्वामी न माने। वह इन सबका उपयोग और विनियोग भी चराचर सृष्टि के हित में करता रहे। इन सबको प्रभु द्वारा सौंपी गई धरोहर माने।

गांधोजी ने 'ईशावास्य-उपनिषद्' के पहले मंत्र को अपनी सुबह-शाम की सामूहिक प्रार्थना में पहला स्थान इसी विचार से दिया था कि उसमें विश्वस्त-वृत्ति का सारा विचार बहुत परिणत रूप में प्रकट हुआ है।

अपरिग्रह की अपनी उत्कट उपासना और साधना के फलस्वरूप गाधीजी ने अपने समय की दुनिया के सामने सत्याचरण के और सत्य की उपासना के जो ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, वे चिरकाल तक लोकात्मा को उज्ज्वल और निर्मल बनाए रखने की दिशा दिखाते रहेगे।

वीसवी सदी को लॉघकर इक्कीसवी सदी में प्रवेश के लिए उतावली बनी हमारे समय की मानवता ने गाधी-जीवन-दर्शन को पीने-पचाने की दिशा पकड़ने में थोड़ी भी कमजोरी, शिथिलता या असावधानी दिखाई, तो आने वाला जमाना उसके लिए बहुत ही भयावना और सर्वनाशकारी बन सकता है।

आइए, परम मंगलमय प्रभु से हम सब नम्रतापूर्वक विनती करें कि वे हमसे हर एक के घट में जाग उठें और हमको असत्य से सत्य की दिशा में, अंधेरे से उजले की दिशा में और मृत्यु से अमरता की दिशा में बढ़ते रहने की भरपूर शक्ति, भक्ति और दृष्टि दें।



□ इच्छा का समुद्र सदा अतृप्त रहता है, उसकी मांगें ज्यो-ज्यो पूरी की जाती हैं, त्यो-त्यो और गर्जन करता है।
—विवेकानन्द

□ जो तमाम इच्छाओं से ऊपर उठ गया है उसके द्वारा भलाई सदा इस तरह अनजाने, सहज और स्वाभाविक तौर से होती रहती है, जैसे फूल से खुशबू और सितारों से रोशनी निकलती रहती है।

—स्वामी रामतीर्थ

हम मनुष्यों के विषय में एक विचित्र विरोधाभासी तथ्य यह है कि जो व्यवहार मूलतः बुद्धिसंगत लगता है, वही एक सीमा से परे जाने पर, अथवा एक सन्दर्भ के स्थान पर दूसरा सन्दर्भ ग्रहण करने पर अबौद्धिक एवं विवेकशून्य सिद्ध होता है।

परिग्रह अथवा संग्रह इस वैचित्र्य का दृष्टान्त प्रस्तुत करता है। 'आड़े वक्त के लिये कुछ बचाकर रखना चाहिए।' यह निर्देश दूरदर्शितापूर्ण एवं विवेकपूर्ण ही लगता है। 'जितना अर्जित करो वह सबका सब व्यय मत करो', 'वर्तमान की बचत भविष्य के सकट में अथवा सामान्य आवश्यकता में काम देती है, सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है, दूरदर्शिता की निशानी है।' इन बातों को मूर्खता अथवा विवेकहीनता की सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ यह आपत्ति की जा सकती है कि 'मितव्ययता' अथवा 'भविष्य के लिये बचत' परिग्रह अथवा संग्रह से भिन्न है। यह सही है। परन्तु बिना परिग्रह अथवा संग्रह के बचत का प्रश्न ही कहाँ उठता है। दूसरी ओर संग्रह का यह साधन पक्ष विस्मृत हो जाता है, संग्रह केवल संग्रह के लिये होने लगता है, अन्य आवश्यकता गौण एवं उपेक्षित होने लगती है, और संग्रह का व्यवहार संग्रह की वृत्ति में बदल जाता है तब दोष उत्पन्न होने की संभावना बनने लगती है। जो आपत्ततः विवेकपूर्ण था वह अमर्यादित रूप में विवेकशून्य व्यवहार का रूप ले लेता है।

इतनी बात तो सहज और स्पष्ट जान पड़ती है और लगता है कि इस बात को लेकर बहस की आवश्यकता नहीं। परन्तु विचार करने पर अनेक ऐसे पक्ष सामने आते हैं, जो इस सरल बात की सरलता को हर लेते हैं। कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता क्यों ? शुद्ध भौतिकवादी दृष्टि से कुछ लोग कहेंगे कि भविष्य की चिन्ता करना, भविष्य तथा वर्तमान दोनों को ही विगाडना है। वर्तमान तो चिन्ता में बीत जायगा और भविष्य की कौन जानता है। दूसरी ओर यदि आस्तिकों की दृष्टि को ले तो शायद यह कहा जायगा कि भविष्य को लेकर चिन्तित होना, विश्व की अतर्क्यी व्यवस्था में विश्वास का अभाव होना है। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उसकी वैश्वक नैतिक व्यवस्था में श्रद्धा रखते हैं, और अपनी रक्षा का भार अपने

ऊपर न डालकर स्वय ईश्वर पर रखते हैं, तो हमें भविष्य की चिन्ता नहीं सतायेगी फलतः भविष्य के लिये सग्रह और बचत की आवश्यकता भी नहीं होगी ।

एक दूसरे स्तर से कुछ भिन्न प्रकार का सन्दर्भ प्रस्तुत किया जा सकता है । सग्रह की वृत्ति इस बात पर आधारित नहीं है कि व्यक्ति क्या विश्वास करता है । उसकी पुष्टि और दृढीकरण वैयक्तिक विश्वासों पर आधारित न होकर उस सामाजिक संरचना से सम्बन्धित है, जिसका व्यक्ति घटक है । यदि समाज की संरचना जीवन की सुरक्षा और उत्थान के लिये उपयुक्त अवस्थाएँ उत्पन्न करने में अक्षम है, दूसरे शब्दों में, यदि सामाजिक अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें स्पर्धा प्रतियोगिता, संघर्ष और लूट-खसोट जीवन की प्रणाली का अंग है, तो निश्चय ही व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करेगा तथा उसकी प्रवृत्ति अधिकाधिक सग्रह की होगी । इस प्रकार की स्पर्धा एवं पारस्परिक संघर्ष में मर्यादा का प्रश्न नहीं उठता । दूसरे के हित, कल्याण का कोई प्रसंग नहीं होता । परिणाम के रूप में सारे समाज पर एक अमानवीय तन्त्र आ जाता है । इस तन्त्र में प्रत्येक प्रत्येक दूसरे पर सन्देह करता है, उसे हराने, नीचा दिखाने का प्रयास करता है और षडयन्त्र की रचना करता है । कहना न होगा कि इस तन्त्र में एक दुष्चक्र बन जाता है—संरचना—व्यवहार—संरचना । संरचना जिस व्यवहार को जन्म देती है, वह उसी संरचना को पुष्ट करता है । ऐसा लगता है कि मेरे पास जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक मैं सुरक्षित हूँ, उतनी ही शक्ति मेरे पास होगी तथा उसी मात्रा में मेरा प्रभुत्व और वर्चस्व होगा । और यही वह स्थिति है जिसमें मेरा सुख और समृद्धि संभव है ।

मेरा क्षेत्र मेरेपन से सोमित है । उसमें मेरे निकट परिवार के सदस्य हो सकते हैं. घने मित्र हो सकते हैं—यद्यपि यह विवाद की बात हो सकती है कि इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में मेरा कोई हो भी सकता है ? और फिर यह बात कोई महत्त्व नहीं रखती कि मेरे कर्म अथवा व्यवहार से किसी को हानि पहुँचती है अथवा किसका नाश होता है ।

मर्यादाहीन धन-संग्रह की नीति में मैं किस उद्योग को चुनता हूँ तथा उसकी क्या व्यवस्था करता हूँ, यह तब तक महत्त्वहीन है जब तक वह मेरे मूल उद्देश्य-धन संग्रह में सहायक है । यदि नशीली वस्तुओं के व्यापार से इष्ट धन की प्राप्ति होती है तो वही ठीक, मिलावट से लाभ होता है तो वह करना ही चतुराई है, आतंककारी को प्रशिक्षित करने से धनवान बनने की संभावना है तो वही कर्तव्य । यदि धूर्तता, मिथ्याचार, विलासिता, लोभ आदि से काम बनता है तो इनका उपयोग व्यवहार-कुशलता और होशियारी का परिचायक है । इस दुष्चक्र से कौन परिचित नहीं है, इसका अधिक वर्णन अपेक्षित नहीं है ।

इसके विपरीत एक अन्य सामाजिक संकल्प को लें जिससे ऐसी अवस्थाओं का पता चलता हो जिनमें इस बात का प्रावधान हो कि व्यक्ति की जीवनोपयोगी तथा जीवन के उत्कर्ष की आवश्यकताओं की उपयुक्त मात्रा में यथासमय पूर्ति होती रहती हो, तो संभवतः व्यक्ति की प्रेरणाएँ एवं वृत्तियाँ भिन्न रूप ग्रहण करेगी। ऐसी सामाजिक संरचना में संग्रह की वृत्ति के उभरने और दृढ़ होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। यदि मुझे मेरी योग्यता और क्षमता के अनुरूप काम मिलता है, बदले में रहने, खाने की सुविधा मिलती है, बीमार होने पर उपचार हो जाता है बच्चों की शिक्षा-दीक्षा निःशुल्क होती है, अवकाश के अवसरों पर यात्रा तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा दिये जाते हैं, और व्यक्ति में यह विश्वास बैठ जाता है कि सामाजिक संरचना वस्तुतः ऐसी व्यवस्था को पुष्ट करती है, तो संग्रह एक अनावश्यक एवं बुद्धिहीन कृत्य प्रतीत होगा।

सामाजिक संरचनाएँ अनेक रूप में प्रकल्पित की गई हैं। यहाँ उल्लिखित संकल्पनाएँ वस्तुतः ठीक इसी रूप में कही विद्यमान हैं, यह तो नहीं है। वस्तुतः ये वर्णन एक प्रकार से आदर्श रूपी हैं, विचार की सुविधा के रूप में उन्हें एक अतिरञ्जक अभिव्यक्ति दी गई है। अपने समाज में तथा अपने चारों ओर, जो समाज हम देखते हैं, वे न्यूनाधिक इन संकल्पनाओं के मिश्र रूप हैं। फलतः विद्यमान संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए न तो यह कहना ही पूरी तरह ठीक होगा कि संग्रह आवश्यक है और न ही यह कहना कि वह अनावश्यक है। इस स्थिति में यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि फिर इस प्रकार के उल्लेख का प्रयोजन ही क्या है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इस उल्लेख से यह पता चलता है कि सामाजिक संरचना तथा संग्रह के औचित्य में परस्पर कोई सम्बन्ध है। विज्ञ पाठकों के लिये यह मत साधारण जानकारी का विषय होगा कि बहुत सी अवधारणाएँ किसी सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि में ही सार्थक होती हैं।

किन्तु एक अन्य प्रश्न उपस्थित होता है। क्या यह आवश्यक है कि अर्थ-प्रधान अथवा स्पर्धा प्रधान समाज में संग्रह की वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में जन्म लेगी तथा पनपेगी, और इसी प्रकार क्या यह आवश्यक है कि कल्याण प्रधान समाज में किसी भी व्यक्ति में संग्रह की वृत्ति नहीं होगी या होती? क्या यह संभव नहीं है कि अर्थ प्रधान समाज में अनेक तथाकथित दवावों के रहते हुए भी कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो संग्रह न करते हों तथा संग्रह करना ठीक नहीं मानते हों जबकि कल्याण प्रधान समाज में तथाकथित दवावों के नहीं रहने पर भी कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो संग्रहशील हों तथा संग्रह को ठीक मानते हों? मानवीय स्वभाव की विलक्षणता को देखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में देने में कोई बाधा नहीं दीखती। और यदि यह ठीक है तो सामाजिक संरचना मात्र से संग्रह की वृत्ति

को पूर्णतया समझना संभव नहीं होगा । संरचना तथा सग्रह में कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । परन्तु ऐसा भी नहीं कि वे नितान्त असम्बद्ध हैं ।

यदि सग्रह के प्रश्न को संरचना के स्थान पर मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में देखा जाय तो कुछ और प्रकाश पड़े । परन्तु इस परिप्रेक्ष्य को रखकर विचार करने के पूर्व सामाजिक संरचना के बिन्दु से कुछ और पक्ष विचारणीय हैं । ये पक्ष पुरुषार्थ, चार आश्रम तथा चार वर्णों को कल्पनाओं से उभरकर आते हैं । पुरुषार्थ तथा चार आश्रमों की संकल्पना सग्रह को नकारती नहीं अपितु उसका स्थान निश्चित करती है । अर्थ और काम का स्वीकार तथा गृहस्थ का केन्द्रीय स्थान—इनके सन्दर्भ में सग्रह के औचित्य को निश्चित किया जा सकता है । परन्तु मूल्यों की निम्नोच्च शृङ्खला में धर्म का स्थान मर्यादा और अकुश का काम करता है । सग्रह हो परन्तु मर्यादा के साथ, ऐसे कि दूसरी आवश्यकताओं तथा मूल्यों का हनन नहीं हो, और साथ ही यह स्मरण रहे कि सगृहीत धन सार्वजनिक हित का साधन बनना चाहिए—शायद ट्रस्टीशिप की गाँधीवादी अवधारणा यहाँ कही जुड़ती है ।

दान की दृष्टि से चार वर्ण दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं । क्षत्रियों तथा वैश्यों के अनेक वर्गों में एक महत्त्वपूर्ण धर्म दान है । स्पष्ट है जब अपने पास कुछ होगा ही नहीं तो दान किसका होगा । तो सग्रह तो किया जाना चाहिए परन्तु दान हेतु । ब्राह्मण वर्ग एवं शूद्र वर्ग को दान का पात्र माना जा सकता है । ब्राह्मणों को तो बहुधा ये निर्देश दिये जाते रहे हैं कि उन्हें अपने पास धन जोड़कर नहीं रखना चाहिए तथा उसका दान और त्याग करना चाहिए क्योंकि उनका प्रमुख धर्म मूल्यों का बोध कराना तथा उनका संवर्धन है, और उद्योग उनका धर्म नहीं है, तो दूसरे वर्गों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें । परन्तु इस अवस्था में अधिक प्राप्त कर लेने पर उनके पास अतिरिक्त सम्पत्ति बच रह सकती है, तो निर्देश यह है कि उसका दान कर देना चाहिए । संक्षेप में हिन्दू सामाजिक संरचना में सग्रह की अस्वीकृति नहीं है, अपितु उसके नियमन का विधान है । यह बात लगभग कुछ परिवर्तित रूप में अन्य दृष्टियों से निर्धारित सामाजिक संकल्पनाओं के विषय में भी की जा सकती है । श्रमण परम्पराओं में गृहस्थ तथा मुनि का भेद ध्यान में रखना होगा, इसके पूर्व कि परिग्रह के विषय में कुछ कहा जा सके । पूर्ण अपरिग्रह केवल मुनियों के लिये ही निर्दिष्ट है ।

सामाजिक संकल्पना से स्वतन्त्र मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सग्रह को लेकर और पक्ष उभरते हैं । इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठाया जा सकता है—सग्रहशील प्राणी है? पशु जगत में कुछ पशुओं में १ है तथा कहीं-कहीं उसका उपयोगिता से कोई

इसके विपरीत एक अन्य सामाजिक संकल्प को ले जिससे ऐसी अवस्थाओं का पता चलता हो जिनमें इस बात का प्रावधान हो कि व्यक्ति की जीवनोपयोगी तथा जीवन के उत्कर्ष की आवश्यकताओं की उपयुक्त मात्रा में यथासमय पूर्ति होती रहती हो, तो संभवतः व्यक्ति की प्रेरणाएँ एवं वृत्तियाँ भिन्न रूप ग्रहण करेगी। ऐसी सामाजिक संरचना में संग्रह की वृत्ति के उभरने और दृढ होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। यदि मुझे मेरी योग्यता और क्षमता के अनुरूप काम मिलता है, बदले में रहने, खाने की सुविधा मिलती है, बीमार होने पर उपचार हो जाता है बच्चों की शिक्षा-दीक्षा निःशुल्क होती है, अवकाश के अवसरों पर यात्रा तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा दिये जाते हैं, और व्यक्ति में यह विश्वास बैठ जाता है कि सामाजिक संरचना वस्तुतः ऐसी व्यवस्था को पुष्ट करती है, तो संग्रह एक अनावश्यक एवं बुद्धिहीन कृत्य प्रतीत होगा।

सामाजिक संरचनाएँ अनेक रूप में प्रकल्पित की गई हैं। यहाँ उल्लिखित संकल्पनाएँ वस्तुतः ठीक इसी रूप में कही विद्यमान हैं, यह तो नहीं है। वस्तुतः ये वर्णन एक प्रकार से आदर्श रूपी हैं, विचार की सुविधा के रूप में उन्हें एक अतिरञ्जक अभिव्यक्ति दी गई है। अपने समाज में तथा अपने चारों ओर, जो समाज हम देखते हैं, वे न्यूनाधिक इन संकल्पनाओं के मिश्र रूप हैं। फलतः विद्यमान संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए न तो यह कहना ही पूरी तरह ठीक होगा कि संग्रह आवश्यक है और न ही यह कहना कि वह अनावश्यक है। इस स्थिति में यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि फिर इस प्रकार के उल्लेख का प्रयोजन ही क्या है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इस उल्लेख से यह पता चलता है कि सामाजिक संरचना तथा संग्रह के औचित्य में परस्पर कोई सम्बन्ध है। विज्ञ पाठकों के लिये यह मत साधारण जानकारी का विषय होगा कि बहुत सी अवधारणाएँ किसी सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि में ही सार्थक होती हैं।

किन्तु एक अन्य प्रश्न उपस्थित होता है। क्या यह आवश्यक है कि अर्थ-प्रधान अथवा स्पर्धा प्रधान समाज में संग्रह की वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में जन्म लेगी तथा पनपेगी, और इसी प्रकार क्या यह आवश्यक है कि कल्याण प्रधान समाज में किसी भी व्यक्ति में संग्रह की वृत्ति नहीं होगी या होती? क्या यह संभव नहीं है कि अर्थ प्रधान समाज में अनेक तथाकथित दवावों के रहते हुए भी कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो संग्रह न करते हों तथा संग्रह करना ठीक नहीं मानते हों जबकि कल्याण प्रधान समाज में तथाकथित दवावों के नहीं रहने पर भी कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो संग्रहशील हों तथा संग्रह को ठीक मानते हों? मानवीय स्वभाव की विलक्षणता को देखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में देने में कोई बाधा नहीं दीखती। और यदि यह ठीक है तो सामाजिक संरचना मात्र से संग्रह की वृत्ति

को पूर्णतया समझना संभव नहीं होगा । संरचना तथा संग्रह में कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । परन्तु ऐसा भी नहीं कि वे नितान्त असम्बद्ध हैं ।

यदि संग्रह के प्रश्न को संरचना के स्थान पर मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में देखा जाय तो कुछ और प्रकाश पड़े । परन्तु इस परिप्रेक्ष्य को रखकर विचार करने के पूर्व सामाजिक संरचना के बिन्दु से कुछ और पक्ष विचारणीय हैं । ये पक्ष पुरुषार्थ, चार आश्रम तथा चार वर्णों को कल्पनाओं से उभरकर आते हैं । पुरुषार्थ तथा चार आश्रमों की संकल्पना संग्रह को नकारती नहीं अपितु उसका स्थान निश्चित करती हैं । अर्थ और काम का स्वीकार तथा गृहस्थ का केन्द्रीय स्थान—इनके सन्दर्भ में संग्रह के औचित्य को निश्चित किया जा सकता है । परन्तु मूल्यों की निम्नोच्च शृङ्खला में धर्म का स्थान मर्यादा और अकुश का काम करता है । संग्रह हो परन्तु मर्यादा के साथ, ऐसे कि दूसरी आवश्यकताओं तथा मूल्यों का हनन नहीं हो, और साथ ही यह स्मरण रहे कि संगृहीत धन सार्वजनिक हित का साधन बनना चाहिए—शायद ट्रस्टीशिप की गाँधीवादी अवधारणा यहाँ कही जुड़ती है ।

दान की दृष्टि से चार वर्ण दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं । क्षत्रियों तथा वैश्यों के अनेक धर्मों में एक महत्त्वपूर्ण धर्म दान है । स्पष्ट है जब अपने पास कुछ होगा ही नहीं तो दान किसका होगा । तो संग्रह तो किया जाना चाहिए परन्तु दान हेतु । ब्राह्मण वर्ग एवं शूद्र वर्ग को दान का पात्र माना जा सकता है । ब्राह्मणों को तो बहुधा ये निर्देश दिये जाते रहे हैं कि उन्हें अपने पास धन जोड़कर नहीं रखना चाहिए तथा उसका दान और त्याग करना चाहिए क्योंकि उनका प्रमुख धर्म मूल्यों का बोध कराना तथा उनका संवर्धन है, और उद्योग उनका धर्म नहीं है, तो दूसरे वर्गों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें । परन्तु इस अवस्था में अधिक प्राप्त कर लेने पर उनके पास अतिरिक्त सम्पत्ति वच रह सकती है, तो निर्देश यह है कि उसका दान कर देना चाहिए । संक्षेप में हिन्दू सामाजिक संरचना में संग्रह की अस्वीकृति नहीं है, अपितु उसके नियमन का विधान है । यह बात लगभग कुछ परिवर्तित रूप में अन्य दृष्टियों से निर्धारित सामाजिक संकल्पनाओं के विषय में भी की जा सकती है । श्रमण परम्पराओं में गृहस्थ तथा मुनि का भेद ध्यान में रखना होगा, इसके पूर्व कि परिग्रह के विषय में कुछ कहा जा सके । पूर्ण अपरिग्रह केवल मुनियों के लिये ही निर्दिष्ट है ।

सामाजिक संकल्पना से स्वतन्त्र मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखते हुए संग्रह को लेकर कुछ और पक्ष उभरते हैं । इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या मनुष्य संग्रहशील प्राणी है ? पशु जगत में कुछ पशुओं में संग्रह की वृत्ति देखने में आती है तथा कहीं-कहीं उसका उपयोगिता से कोई

सम्बन्ध नहीं होता। चूहो में कागज, कपड़े की कतरने एकत्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनके लिए इनका कोई उपयोग होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता। चींटियों के विषय में प्रसिद्ध है कि उनका सामूहिक जीवन होता है, और वे भविष्य में उपयोग की दृष्टि से सग्रह करती हैं। और दृष्टान्त भी लिये जा सकते हैं। मानवों में, बालकों में तरह-तरह की नितान्त अनुपयोगी परन्तु देखने में चमकीली वस्तुओं को एकत्रित करने की वृत्ति देखी जाती है। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि सग्रह धन के अतिरिक्त अनेक दूसरी चीजों का भी हो सकता है। कुछ सग्रह तो इस प्रकार से हैं जिन्हें अपनाने के लिये युवकों और बालकों को विशेष रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, यथा डाक टिकटों का सग्रह, पुरातन वस्तुओं का सग्रह, पेड़-पौधों का सग्रह, विशिष्ट अवसरों पर यादगारों का सग्रह आदि। मानवीय स्वभाव तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कह सकते हैं कि मानव में सग्रह की वृत्ति तो होती है परन्तु वह किस रूप में अभिव्यक्त होगी, यह पहले से कहना संभव नहीं। महत्त्वपूर्ण बात यह देखना है कि यह वृत्ति व्यक्तित्व के अन्य पक्षों से कैसे जुड़ जाती है। अह-पोषण और इसके निमित्त विलक्षणता की प्राप्ति बहुधा किसी वस्तु के एकाधिकार के लिये प्रेरित करते हैं और वस्तु विशेष के सग्रह के लिये व्यक्ति को बाध्य करते हैं। बहुधा यह स्थिति अपने नकारात्मक रूप से जुड़ जाती है—जब किसी अन्य के पास वस्तु विशेष हो और मेरे पास न हो तो, अथवा एकाधिकार के कारण किसी और के पास वस्तु विशेष का होना, असहनीय हो जाता हो। ईर्ष्या, लोभ, मात्सर्य आदि स्वतः उभरने लगते हैं और व्यक्ति अपने चारों ओर अशान्ति का घेरा बना लेता है।

सामान्यतया संग्रह की बात अनेक वस्तुओं के लिये होती है, उसके साथ मात्रा-अतिक्रमण की बात भी आती है। इस दृष्टि से किसी वस्तु विशेष के आधिपत्य को सग्रह की सकल्पना में लाना उचित नहीं कहा जायगा। परन्तु, यदि प्राप्ति की इच्छा, उसके लिये सतत प्रयास, वस्तु का अपने पास न होने का कष्ट, वस्तु का दूसरे के पास होने का कष्ट आदि-आदि स्थितियों को ले तो ये दोनों अवस्थाओं में समान होती हैं। और फिर सग्रह या परिग्रह में मात्रा की बात वस्तुतः प्रमुख नहीं है, अपितु मात्रा उसके स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करती है।

विलक्षणता, प्रतिभा सम्पन्नता से भी सम्बन्धित है। व्यक्ति की पहचान और विलक्षणता बहुधा उसकी प्रतिभा के उन्मेष और उत्कर्ष पर आश्रित होती है। वर्तमान प्रसंग में, किसी वस्तु के गुण की पहचान तथा उसकी प्राप्ति के उपाय विनिष्ट प्रतिभा की अपेक्षा रखते हैं। इस ओर पहले संकेत हुआ है कि सुरक्षा तथा स्वातन्त्र्य की अनुभूति कभी-कभी इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति के पास कुछ है। ये कुछ बातें व्यक्ति के सन्दर्भ में सग्रह के कुछ एक ऐसे

पक्षों की ओर सकेत करती है जिनमे से कुछ तो निर्दोष, कुछ आवश्यक तथा कुछ अवाञ्छनीय प्रतीत होते हैं। किसी भी समाज मे व्यावहारिक स्तर पर व्यक्ति की श्रेष्ठता एव उत्कर्ष के लिये किसी प्रकार के तथा किसी मात्रा मे सग्रह अथवा परिग्रह को आवश्यक मानना होगा। इस सम्बन्ध मे जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष सामने आता है वह यह है कि नितान्त अपरिग्रह सम्पन्न मुनियो, सन्यासियो आदि के लिए समाज के कुछ लोगो अथवा वर्गों पर यह दायित्व आता है कि वे उद्यमशील हो तथा एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को बनाये रखने मे समर्थ हो जो वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम के लिये नैमित्तिक हो। यद्यपि सन्यासी समाज के सदस्य नहीं होते हैं, और न ही वे किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, आदर्श की दृष्टि से, समाज के लिये वे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। उनके चारो ओर चाहे-अनचाहे अनेक समस्याये खडी हो जाती हैं। उनसे अनेक कर्मकाण्ड जुड़ जाते हैं। और फिर समाज के शेष सदस्यो के दायित्वो मे एक दायित्व उनकी सेवा-सुश्रुषा को भी गिना जाता है। इन परिस्थितियो मे एक नैमित्तिक आर्थिक ढाँचा और तदरूप उद्योग उपस्थित हो ही जाते हैं और इस अवस्था मे किसी न किसी रूप मे सग्रह के औचित्य को स्वीकार करना ही पड जाता है। यहाँ स्मरण हो आता है कि दान तथा त्याग के निर्देश अप्रासंगिक हो जायेंगे, यदि सग्रह के औचित्य को स्वीकार न किया जाय। व्यापक दृष्टि से, अर्थात् हिन्दू-अहिन्दू दृष्टियो से (अहिन्दू दृष्टि से न केवल धर्मानुयायियो का सन्दर्भ ग्रहण करे अपितु सामाजिक व्यवस्था प्रधान दृष्टियाँ भी ले) यह कहा जायगा कि वर्तमान स्थिति मे न तो सग्रह उचित है और न दान। अपने ही देश को ले तो यह सन्दर्भ हमारा बयान तुरन्त भिखारियो की समस्या की ओर ले जाता है। भीख देना उतना ही दोषपूर्ण है जितना वस्तुओं अथवा धन का सचय। कदाचित् कुछ लोग भीख देने तथा दान करने मे भेद करना चाहे। इस सन्दर्भ मे अधिक चर्चा अभिप्रेत नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि भीख देना दोषपूर्ण मानते हुए भी त्याग की वृत्ति का स्वतन्त्र महत्त्व है। निपट व्यावहारिक स्तर पर भी त्याग की भावना न होने से परस्पर सहयोग, आवश्यकता पड़ने पर किसी की सहायता जैसे साधारण कर्म भी संभव नहीं होंगे।

यह एक विचित्र विरोधाभास है कि सग्रह एक ओर सुरक्षा, शक्ति और स्वतन्त्रता की भावनाओं को पुष्ट करने मे सहायक होता है, तो दूसरी ओर असुरक्षा और बन्धन की वृद्धि करने वाला भी होता है। यदि मेरे पास कुछ है ही नहीं अथवा कुछ भी ऐसा नहीं जिसमे अन्य का आकर्षण न हो, तो मुझे क्या खोने, किस हानि अथवा किस चोरी का भय हो सकता है। फिर कैसी असुरक्षा और कैसा बन्धन ? अनेक दार्शनिको का मानना है कि 'रखने' से अधिक 'होना' अधिक महत्त्वपूर्ण है। परिग्रह के विषय मे प्रो दयाकृष्ण से चर्चा होते समय उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि परिग्रह को लेकर व्यक्ति की दृष्टि से जीवन मे क्रमशः अनेक

परिवर्तन आते है। जो पहले आकर्षक अथवा उपयोगी लगता था वह बाद में अनुपयोगी तथा अनाकर्षक लगने लगता है। सग्रह के लिये भी तो कुछ सुविधाओं की अपेक्षा होती है, यदि वे सुविधाएँ उपलब्ध न हों तो विवशता की अवस्था में अपरिग्रह अपनाना पड़ सकता है—जैसा बहुधा पुस्तक प्रेमी अध्यापक के साथ होता है। किसी सीमा में यह अवस्था परिग्रह तथा अपरिग्रह की उन दशाओं को उजागर करती है जो सुविधा-असुविधा अथवा व्यावहारिक जरूरतों से सम्बन्धित होती है। दूसरे शब्दों में जिनका किसी आदर्श अथवा मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

परिग्रह का प्रश्न भौतिक वस्तुओं को लेकर तो उत्पन्न होता ही है, वह विचारों तथा अन्य व्यक्तियों के सन्दर्भ में भी उपस्थित होता है। कदाचित् विचारों पर स्वामित्व की भावना अधिक सूक्ष्म परन्तु अधिक आग्रही होती है। हठ अर्थात् अपने विचारों पर उस समय भी अड़े रहना जब उनकी आधारहीनता अथवा औचित्य अस्ति हो गया हो, दूसरे के विचारों को अपने पूर्वाग्रहों के कारण न समझ पाना, और फिर सत्य एवं वस्तुनिष्ठता का दावा करते हुए भी विचारों को पेटेन्ट या कॉपीराइट कराने का प्रयास कुछ एक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो विचार-परिग्रह के सन्दर्भ पर प्रकाश डालते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विचार वृत्तियों से कैसे जुड़ जाते हैं, अथवा उनमें परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध होता है। यदि इस पक्ष को गहराई से देखें तो विचार-परिग्रह व्यक्तित्व के स्वरूप से जुड़ जाता है। फिर व्यक्तित्व का परिष्कार अथवा उत्कर्ष विचार-परिग्रह अथवा अपरिग्रह से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो जाता है।

व्यक्ति-परिग्रह के दृष्टान्त तो इतिहास में भरे पड़े हैं। न केवल किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में रखना, अपितु उस पर लगभग उसी प्रकार का स्वामित्व दर्शाना जैसा वस्तुओं पर संभव है, दास प्रथा, बन्धुआ मजदूर प्रथा आदि के मूल माने जा सकते हैं। यह नितान्त भ्रान्ति है कि मेरा अपना मान उतना ही अधिक होगा जितने मेरे अनुयायी होंगे, जितने लोग मेरे प्रभाव में होंगे अथवा जितनों को मैं अपने वश में रख सकूंगा। यह भ्रान्ति तथा तद्जनित व्यवहार मानवीय गरिमा को सही रूप में ग्रहण न कर पाने का फल है। यदि एक व्यक्ति की गरिमा किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा की न्यूनता या अभाव की अपेक्षा रखती है तो वह गरिमा नहीं, और चाहे जो भी हो।

उपसंहार रूप में, परिग्रह का प्रश्न, वह चाहे किसी भी विषय से जुड़ा हो—वस्तु, धन, विचार अथवा व्यक्ति, अनेक स्तरों का उद्घाटन करता है तथा अनेक सन्दर्भों से युक्त है। इनको सुनिश्चित किये बिना परिग्रह 'क्यों' अथवा 'क्यों नहीं' का उत्तर देना भी विशेष काम का नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में केवल 'अपरिग्रह व्रत' साधक के सामने कोई सुनिश्चित दिशा का निर्देश नहीं करता। फलस्वरूप आगमों का अनुशीलन आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहाँ यह व्रत निरपेक्ष रूप में निर्दिष्ट नहीं हुआ है। □ □ □

जड़ पदार्थ : संस्कारतः अपरिग्रही

□ डॉ० धनराज चौधरी

भौतिकी आकलन से यह ससार पदार्थ और ऊर्जा का वैविध्यपूर्ण रचाव है। यहाँ बलों के कारण स्थिरता है और बिखराव बलों के क्षीण होने की दशा की अभिव्यक्ति है। सभी भौतिकी घटनाएँ जिनसे समझी जाती हैं, वे कार्यकारी बल तीन प्रकार के हैं। बृहदाकार वस्तुओं पर कार्यरत खिचाव प्रेम की ही भाषा है। यहाँ पूर्णता लिये आकर्षण है। इन आकर्षितों में अपना प्रकार नहीं, उनकी कोई भिन्न जाति नहीं। अन्तर केवल मात्रात्मक है। बृहद् परिसर में फैले गुस्त्विय आकर्षण के धागे, जिनसे बंधे आकाशीय पिण्ड निर्धारित राह पर चिरकाल से गतिमान हैं, दिखते नहीं। प्राकृतिक ताण में सूत की जरूरत अक्सर नहीं रहती। वस्तु स्वयं से उद्भूत बल क्षेत्र वाछित खिचाव पैदा करता है। दूसरी प्रकार, अल्प परिसर में सक्रिय बल—कुछ बलिष्ठ का कारक ध्रुवणता है। ये वैद्युत्—चुम्बकीय हैं। समानधर्मा प्रतिकर्षित हैं जबकि विपरीत आकृष्ट। समान और विपरीत प्रकृति के खिलवाड़ हेतु प्रकृति ने अल्प परिसर ही निर्धारित किया है। ये परमाण्वीय बल, नाभिक-क्षेत्र में महत्त्वहीन हो जाते हैं। परमाणु के क्रोड-नाभिक में चिर आकर्षण विद्यमान है। धन एव उदासीन दो भाँति के मूलकण हैं वहाँ मगर उनमें कोई स्थायी भेद नहीं। ये तीन बल पदार्थ का अस्तित्व बनाये हैं। समूह बना पदार्थ स्थैत नजर आता है मगर इसके रचयिता मूल तो अपने आकाश में सतत नृत्यरत हैं। जड़ पदार्थ की मस्ती का आधारभूत कारण ही यह है कि उनकी इकाई का अपना पृथकतया सचित कुछ भी नहीं। पृथको की उपस्थिति से उत्पन्न सामुदायिक प्रभाव वह योग पैदा करता है कि उनका अस्तित्व स्थायी हो चलता है।

पदार्थ में न तो निज उत्तेजना है, न खिन्नता, न ही है वहाँ उद्वेग। चंचलता उसका नैसर्गिक संस्कार नहीं। कृत्रिमतया प्रदत्त चापल्य वह अधिक कालाश तक सजोकर रखना पसंद नहीं करता। वह अपने को अपने में भिन्न-तो कभी दिखाना पसंद ही नहीं करता। पदार्थ के मूल अवयव परमाणु पर विचार करे तो इसका खुलासा होता है। ट्यूब लाइट की दमक, अणु के पुन अपने असचयी स्वभाव में लौट आने की कविता है। किसी परमाणु की संरचना के मूल घटक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, धनावेशित प्रोटॉन और निराविष्ट न्यूट्रॉन हैं। धनात्मक और उदासीन घटक परमाणु के नाभिक, जिसे हम ऊपर क्रोड नाम में जान चुके

है, की रचना करते हैं। इस क्रोड से निश्चित दूरी रखते हुए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन लास्य निमग्न रहते हैं। इनके नृत्य की निर्धारित परिधियां हैं। नैसर्गिक रूप में ये न तो अतिक्रमण और न ही कोई टकराव पसंद करते हैं। परमाणु की इस भाँति की स्वाभाविक व्यवस्था उसकी ऊर्जा की निम्नतम अवस्था से जानी जाती है। निम्नतम ऊर्जा अवस्थिति में, निर्दिष्ट क्षेत्र में, परिभ्रमण करते रहना पदार्थ (या परमाणु) के मूल घटकों का प्राकृतिक स्वभाव है। जब कभी परमाणु को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है, जैसे कि ट्यूब लाइट में उपस्थित अणुओं को विद्युत् शक्ति, तब वह अतिरिक्त ऊर्जा सोख ली जाती है। शक्ति के इस अधिग्रहण पर अप्राकृत हुआ परमाणु उच्च धरातल पर पहुँच जाता है। वैज्ञानिक शब्दावली प्रयुक्त करे तो कह लें कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षको में परिभ्रमण के लिए बाध्य किया गया है। बाध्य हुआ परमाणु इस अतिरिक्त ऊर्जा राशि को भविष्य के लिए सगृहीत कर स्वयं के पास नहीं रखना चाहता। कदाच, पराई इस ऊर्जा से वह बौखलाहट ही महसूस करता है। एक सैकण्ड के करोड़वें हिस्से में ही त्याग द्वारा छुटकारा पा अपनी पूर्ववस्था में लौट आना ही उसे श्रेयस्कर जान पड़ता है। एक क्षण में, पराई सम्पत्ति का यह विसर्जन एक नें नहीं बल्कि अनेको परमाणुओं ने किया, जिस कारण पीला प्रकाश दे रहे सोडियम लैम्पो से चौराहे का प्रत्येक मोड़ जगमगा उठा।

अद्भुत है जड पदार्थ जो अपना सार्वजनिक कोष (कॉमन फण्ड) रखते हैं। एक समुदाय में कुछ सदस्य उभय होते हैं जो किसी पितृ से ममत्व नहीं रखते। वे 'अ' के जितने अपने हैं, उतने ही 'ब' के। पूरे समुदाय के एकसे हैं इसीलिए तो वे 'मुक्त' विशेषण लिये हैं। किसी विद्युत् चालक पदार्थ (जैसे तांबा) में अधिसंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं—मोटे तौर पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु। इसके विपरीत कुचालक भोडल में इनकी मात्रा न सी ही है। इन 'मुक्तों' की पदार्थ में गति यादृच्छिक है, इनकी दिशा नियमित नहीं अतएव वे पदार्थ से सामान्यतया निकल नहीं पाते। ये अप्रतिबद्ध घटक-मुक्त इलेक्ट्रॉन ही समुचित परिस्थिति में विद्युत् धारा का निर्माण करते हैं। यदि ये अपने पितृ से सबद्ध रहते तो बल्व हमें रोशनी नहीं देता। प्रकृति प्रायः धक् सा रख देती है, क्योंकि जैसे ही हम प्रतिपक्षी वयान देना चाहते हैं वही हमें मुँह की खाना होता है। जड में भी दान ग्रहणशीलता है, मगर अत्यल्प मात्रा में। अस्तेयव्रती पदार्थ कुछ भिक्षा ग्रहण कर औघडदानी में रूपांतरित हो जाते हैं। ये पदार्थ न तो चालक कोटि के हैं न ही कुचालक। ये मध्यम श्रेणी के हैं जिन्हें अर्द्ध-चालक नाम से जाना जाता है। ट्राजिस्टर और बहुतासी इलेक्ट्रॉनिकी सुविधाएँ हैं ही इस कारण कि मध्यमवर्गी पदार्थों को जरा प्रलोभन दे उनमें अभूतपूर्व गुण-सत्ता पैदा की गई। यह, जरा-सा प्रलोभन वैज्ञानिक भाषा में 'अशुद्धि की मिलावट' कहा जाता है। अशुद्धि—आटा में नमक जितनी। चूटकी भर से

अधिक उपयोगी नहीं । इतनी सी वाह्य सम्पत्ति ग्रहण कर अर्द्धचालक प्रेरित हो जाता है कि वह अपने निजी विद्युत् वाहक लुटाये ।

अनावश्यक, अतिरिक्त भार से लदे रहना, जड़ पदार्थ का अपना धर्म नहीं है । भारत तत्त्व आरम्भ में तो इस जल्दी में उलीचता है कि मानो हलका-फुलका होकर ही दम लेगा । वस्तुतः दम तो वह हलका होने पर ही लेता है मगर अनैच्छित को त्यागने की गति शनैः शनैः क्षीण होती जाती है । अवाञ्छित की मात्रा कम होती चली गई । 'छोड़ने की चाल' मद हो चलती है, यद्यपि जारी रहती है । इस त्याग पर, निश्चय ही लुभावना वर्ण लिया वह तत्त्व काला पड़ जाता है । मगर पागलपन प्राकृत है । रेडियम चढा घड़ी का कांटा रात्रि के अधकार में समय इसी कारण बता रहा है कि प्रतिपल अतिरिक्त उलीचने को सकल्पित है भारत तत्त्व रेडियम । यूरेनियम को चैन तभी है जब कि वह सीसा हो जाय । नाभिक क्रोड़ हलका होकर ही स्थायित्व पाता है । भारी—रेडियो-धर्मी तत्त्वों की इस त्याग प्रकृति से ही वैज्ञानिक पुरातात्विक वस्तुओं की आयु का आकलन करते हैं । रेडियोधर्मी विखण्डन दर पर आधारित पृथ्वी की आयु का अनुमान सर्वमान्य है । दूसरी ओर, कृत्रिम रूप से भारत किये गये पदार्थ, प्रयोगशाला से इस तरह प्राप्त अतिरिक्त सम्पत्ति को सचित कर नहीं रखते । कृत्रिमतया रेडियोधर्मी बनाये पदार्थों की स्वतः त्याग प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही कैसर जैसे जटिल रोगों का उपचार संभव हुआ ।

आश्चर्य है, भौतिक पदार्थों का व्यवहार भौतिक सपन्नतायुक्त व्यक्तियों से बिल्कुल उलटा है । भौतिक तत्त्व जो हल्के हैं जैसे—कार्बन, नेत्रजन, ओषजन आदि वे ही जीवनदायी हैं । तत्त्व जिस मात्रा में हलका है उसी मात्रा में स्वतंत्र । पृथ्वी अपने इतने भार के दबदबे पर भी हाइड्रोजन को (जो सबसे हलका तत्त्व है) अपने वायुमण्डल में थामे नहीं रख पाती । अति भारी की तो प्रकृति ही विखण्डन है । अतिभारित यूरेनियम, फ्लूटोनियम का विखण्डन ही परमाणु बम की शक्ति है । विपरीत्य, बिल्कुल हलके सलयित होते हैं । मामूली का मिलन ही सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्राणदायक रश्मियों का स्रोत है । हलके तत्त्वों का यह निरन्तर मिलन है भी चक्रीय रूप में । परहिताय एक हुए, वाञ्छित भूमिका निभा पुन विलग हो गये फिर से मिलने को ।

जड़ की अपरिग्रहिता पर लिख वैज्ञानिक चेतना से परिचित घर से बाहर आया । पास के बालुई टीले पर बनती-बिगडती लहरियों की समझ की वह टोह ले पाये कि उसने ऊपर देखा : खारा था पानी । सूर्य का ताप ग्रहण कर शुद्धि-करण की प्रक्रिया में वह वाष्पित हो उठा । तप से प्राप्त शक्ति लिया वह अपनी रीं में मैदान की ओर बढ़ चला । त्यागो, इस ऊष्मा को—वाष्प ने सोचा,

उपलब्धि अन्य के लिए वरदायक हो तब कही तपस्या धन्य होगी ! तड़पड़ा रही, व्यथा मे आलोडित बालू पर भुकी निगाह ठहरी । मुपात्र को जोह वाष्प पसीज गई । विनम्र हो पानी बोला, मैं तो स्वाभाविक आकृति मे लौट रहा हूँ जबकि सवेग रहित होती बालू का बयान—रेगिस्तान भला बोला ही कब । पोर पोर में थाती को स्थान दिया उसने । जब तक चैतन्य कुछ समझे, जाने, तृप्त करती पराई धरोहर अपने उद्गम की ओर बढ चली होगी ।



वैभव बनाम कचरा

पूज्य श्री श्रीलालजी म. सा. के समय का किस्सा है । वीकानेर मे धर्म-निष्ठ श्रावक सेठ श्री गणेशमलजी मालू रहते थे । उनके यहाँ पशुधन बहुत था । प्रतिदिन छाछ बनती थी और सभी घरो मे बांटी जाती थी । आज तो छाछ का पानी भी दाम देने पर प्राप्त नहीं होता । मालूजी स्वयं छाछ बाटते थे ।

दीन-दुःखी, वेसहारा लोगो के बर्तनो में छाछ डालते वक्त उनमें चाँदी के सिक्के चुपचाप डाल देते थे । घर जाकर लोगो को पता चलता । कोई लौटाने आता तो बोल देते थे ये सिक्के मेरे नहीं, तुम्हारे ही होंगे । लेने वाले की प्रतिष्ठा मे आच न आये, उसे शर्मिन्दा न होना पड़े, तीसरे कान पर खबर न पड़े, इसका पूरा ख्याल मालूजी रखते थे ।

किसी तरह यह बात पूज्य श्रीलालजी म. सा. के कानो तक पहुँची । उन्होने मालूजी से पूछा—आप तो बहुत लाभ कमा रहे है ? मालूजी ने बताया—गुरुदेव ! यह कचरा वढता ही बहुत है । मैं जितना बाहर फेंकने की कोशिश करता हूँ, उतना ही यह वढता जा रहा है । आप ही तो फरमाते है कि—

पानी वाढे नाव मे, घर मे वाढे दाम ।
दोनो हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

सदाचार और एषणा : सामाजिक सन्दर्भ में

□ डॉ० वीरेन्द्र शेखावत

सदाचार या सम्यक् आचार का प्रश्न जैन, बौद्ध, औपनिषदिक व शैव दृष्टियों में सदैव महत्त्वपूर्ण रहा है। यद्यपि अनेक मौलिक मुद्दों पर ये सभी एकमत हैं लेकिन इनके बीच गहरे मतभेद हैं। उदाहरण के लिए सभी दृष्टियों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह को सदाचार का मूल आधार माना है, इन्हे धर्म का भी मूल कहा गया है। लेकिन एक ओर तो इनकी व्याख्या के बारे में मतभेद है, जैसे शैव आचार में ब्रह्मचर्य पालन का वह अर्थ नहीं है जो जैन आचार में है। दूसरी ओर विशेष परिस्थितियों में इनके त्याग का विधान भी है, जैसे औपनिषदिक आचार में किसी का जीवन बचाने हेतु साक्षी असत्य भाषण कर सकता है। लेकिन इन मूल आचारों के बारे में समस्या यह उत्पन्न होती है कि ये नितान्त वैयक्तिक हैं या सामाजिक हैं? यदि ये वैयक्तिक हैं तो कोई भी इनके अनुसार आचरण करने को बाध्य नहीं हो सकता, उस अवस्था में इनका क्या महत्त्व रह जाएगा। पुनः यदि ये सामाजिक हैं तो इनके त्यागने पर दण्ड की या प्रायश्चित्त की व्यवस्था होनी चाहिए जो धर्मशास्त्रों में देखने में नहीं आती। इस सन्दर्भ में एषणाओं का विचार, जो चरक संहिता^१ में उपलब्ध है, बहुत महत्त्वपूर्ण है। वहाँ प्राणैषणा, धनैषणा और परलोकैषणा इन तीन एषणाओं की प्राप्ति हेतु मानव को प्रयत्नशील रहने की सलाह दी गई है। सबसे पहले प्राणैषणा करनी चाहिए क्योंकि यदि प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अतः स्वस्थवृत्त के द्वारा तथा शोच्रतापूर्वक विकार शमन के द्वारा प्राणों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद धनैषणा करनी चाहिए क्योंकि प्राणों के रहते हुए धन का अभाव मृत्यु के समान है। अतः सुवृत्तिपूर्वक धनार्जन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद परलोकैषणा करनी चाहिए क्योंकि वर्तमान जीवन बाद में आने वाले जीवन का हेतु है और वह जीवन श्रेष्ठ हो इसके लिए सद्वृत्त, ज्ञान, तप आदि का प्रयत्न करना चाहिए। सामान्य जीवन में एषणाओं के महत्त्व को हम नकार नहीं सकते क्योंकि हम सभी इन्हे करते हैं। अब प्रश्न यह है कि इन एषणाओं का मूल आचारों से क्या सम्बन्ध है? सरसरी तौर पर विचार करें तो ये एषणाएँ मूल आचारों की विरोधी

१—चरक संहिता, सूत्र स्थान, अध्याय ११, गुलाव कु वरवा आयुर्वेदिक सन्ध्या, जाम-नगर, १९४६।

लगती है। फिर क्या एषणाओं का विचार भ्रामक है ? या कि मूल आचारों का विचार ही त्रुटिपूर्ण है ?

देह का महत्त्व सभी दृष्टियों में स्वीकारा गया है क्योंकि देह के माध्यम से ही आत्मा ससार-अनुभव या भोग प्राप्त करता है और उसी के माध्यम से कैवल्य या निष्वाण या मुक्ति या सदाशिवता को प्राप्त करता है। अतः देह को स्वस्थ रखना और उसका उचित पोषण सभी को स्वीकार्य होगा। अतः प्राणैषणा का औचित्य है। इसी प्रकार धन के बिना भोग नहीं हो सकता अतः धनैषणा का भी औचित्य है। क्योंकि आत्मा की ससारगति का प्रयोजन ही भोग और तत्पश्चात् कैवल्य है, इनके अभाव में वह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। यह असम्भव है कि आत्मा भोग के बिना ही मुक्त हो जाये। अतः भविष्यगति को श्रेयस्कर बनाने के लिए प्राणैषणा और धनैषणा को प्राथमिकता देने का भी औचित्य है। वस्तुतः, मूल आचारों को ध्यान में रखते हुए हम इन तीन एषणाओं में दो और जोड़ सकते हैं जिन्हें कामैषणा और भोगैषणा कहा जा सकता है। इनका महत्त्व भी लोकयात्रा में सभी को स्वीकार्य होगा। इन एषणाओं को हम जन्मसिद्ध कह सकते हैं क्योंकि ये सृष्टि के मूल प्रयोजन और प्राणिमात्र के जीवन के अर्थ के अनुकूल हैं। मानवमात्र स्वभावतः, प्रकृतित इन एषणाओं के लिए प्रयत्नरत है यद्यपि सभी उन्हें नीतिपूर्वक उपलब्ध नहीं करते। हर समाज और राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने सदस्यों व नागरिकों को इन एषणाओं की पूर्ति हेतु उचित परिस्थिति उपलब्ध कराए। यह कहा जा सकता है कि राज्य व्यवस्था का औचित्य इसी में होता है कि सभी को पाँच एषणाओं की उपलब्धि के उचित अवसर मिले अन्यथा मानव जीवन का वह अर्थ नहीं रह जायेगा जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रयोजन के विश्लेषण में हमें दिया है।

ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ किसी व्यक्ति के मे है। ऐसी स्थिति में अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या उसे अहिंसा त्याग देना चाहिए ? इसका उत्तर लगभग स्पष्ट है। यदि प्राणों का औचित्य है तो अवश्य उसे अहिंसा को त्याग देना चाहिए। तब मूल आचार का महत्त्व अत्यन्त सीमित हो जाएगा क्योंकि उसका स्थाओं व सर्वकालों में पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भोगैषणा पर आघात होता है तो उसे अपरिग्रह के मूल आचार चाहिए क्योंकि जिस समाज में उपभोग की वस्तुओं को गोदामों छिपा दिया जाता है वहाँ भोगैषणा पर आघात होता है अ पालन यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। तब अपरिग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार धनैषणा पर आघात होने पर धन पड़ेगा। तब इन मूल आचारों का क्या औचित्य

जहाँ एषणाएँ जन्मसिद्ध हैं वहाँ मूल आचार धर्मसिद्ध है। अर्थात् ये वे आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने में प्रयत्नशील मानव मानवता के उस चरम शिखर पर पहुँचता है जहाँ कि समाज व सस्कृति एक पूर्णता को प्राप्त करती है। इन मूल्य व आदर्शों का औचित्य उस जगद्दृष्टि या दर्शन या सृष्टि सिद्धान्त में है जिसमें मानव जीवन का अर्थ व प्रयोजन परिभाषित है। वस्तुतः थोड़ी परीक्षा करने पर हम पाते हैं कि ये आदर्श एषणाओं के विरोधी नहीं हैं। उदाहरण के लिए यदि सभी मानव अहिंसा के आदर्श पर चलते हैं तो प्राणैषणा की विवृद्धि होती है, प्राण अधिक सुरक्षित होते हैं, या सभी के अपरिग्रह का पालन करने से भोगैषणा भी मजबूत होती है। अहिंसा के आदर्शों की कठोरतम परिभाषा यह है कि व्यक्ति मन, वचन व कर्म से किसी को पीड़ित न करे। इसी तरह अपरिग्रह का आदर्श अपने कठोरतम रूप में एक दिन के अनिवार्य उपभोग से अधिक सग्रह न करने का सुभाव देता है और मात्र सन्तानोत्पत्ति हेतु सम्भोग ब्रह्मचर्य का आदर्श है, आदि। यद्यपि ये आदर्श पूर्णतः वैयक्तिक हैं और कोई भी इन्हें अपनाते के लिए व्यवहारतः या कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है लेकिन यदि अधिकतर लोग इन्हें मान ले तो सामाजिक दबाव के कारण अन्य भी इनका पालन करेंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण समाज इनका पालन करने लगेगा। लेकिन समाज एक सीमित इकाई होता है और मानव इतिहास में यह सदैव होता है कि यद्यपि कोई समाज-विशेष आदर्शों की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है लेकिन अन्य समाज जो उन आदर्शों के महत्त्व को नहीं समझते, जो अपेक्षा-कृत अर्धवर्तक हैं उन पर आघात करते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी समाज विशेष को उन आदर्शों की रक्षा के लिए ही उन आदर्शों की अवहेलना करनी पड़ती है। यही बात व्यक्ति के लिए भी सत्य है। व्यक्ति को बहुधा अपने आदर्शों की रक्षा हेतु ही उन आदर्शों को त्यागना पड़ता है क्योंकि कुछ व्यक्ति या प्राणी स्वभावतः हिंसक या परिग्रही आदि होते हैं।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल मूल आचारों पर बल देना या केवल एषणाओं के महत्त्व को स्वीकारना मानव स्वभाव के सही स्वरूप को अनदेखा करना है। वह एक साथ भोगोन्मुख और अपवर्गोन्मुख है। वह एक साथ ही प्राणैषणा करता व अहिंसा के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह एक साथ भोगैषणा और अपरिग्रह को प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। जब तक हम मानव स्वभाव के इस यथार्थ को भलीभाँति नहीं समझ लेते, जीवन के प्रयोजन को प्राप्त करने व लोकयात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने की हमारी नीति त्रुटिपूर्ण रहेगी। अतः एषणाएँ ही वो सीढ़ी हैं जिसके द्वारा, जिसके सहारे, जिसको लाघते हुए हम आदर्शों के शिखर पर पहुँचते हैं, उन्हें नकार कर या उनके बिना हम उस शिखर पर पहुँच नहीं सकते। इस सन्दर्भ में, मैं समझता हूँ कि शैव आचार अन्य सभी भारतीय आचारों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है।

लगती है। फिर क्या एषणाओं का विचार भ्रामक है? या कि मूल आचारो का विचार ही त्रुटिपूर्ण है?

देह का महत्त्व सभी दृष्टियों में स्वीकारा गया है क्योंकि देह के माध्यम से ही आत्मा ससार-अनुभव या भोग प्राप्त करता है और उसी के माध्यम से कैवल्य या निब्बाण या मुक्ति या सदाशिवता को प्राप्त करता है। अतः देह को स्वस्थ रखना और उसका उचित पोषण सभी को स्वीकार्य होगा। अतः प्राणैषणा का औचित्य है। इसी प्रकार धन के बिना भोग नहीं हो सकता अतः धनैषणा का भी औचित्य है। क्योंकि आत्मा की ससारगति का प्रयोजन ही भोग और तत्पश्चात् कैवल्य है, इनके अभाव में वह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। यह असम्भव है कि आत्मा भोग के बिना ही मुक्त हो जाये। अतः भविष्यगति को श्रेयस्कर बनाने के लिए प्राणैषणा और धनैषणा को प्राथमिकता देने का भी औचित्य है। वस्तुतः, मूल आचारो को ध्यान में रखते हुए हम इन तीन एषणाओं में दो और जोड़ सकते हैं जिन्हे कामैषणा और भोगैषणा कहा जा सकता है। इनका महत्त्व भी लोकयात्रा में सभी को स्वीकार्य होगा। इन एषणाओं को हम जन्मसिद्ध कह सकते हैं क्योंकि ये सृष्टि के मूल प्रयोजन और प्राणिमात्र के जीवन के अर्थ के अनुकूल हैं। मानवमात्र स्वभावतः, प्रकृतितः इन एषणाओं के लिए प्रयत्नरत है यद्यपि सभी उन्हें नीतिपूर्वक उपलब्ध नहीं करते। हर समाज और राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने सदस्यों व नागरिकों को इन एषणाओं की पूर्ति हेतु उचित परिस्थिति उपलब्ध कराए। यह कहा जा सकता है कि राज्य व्यवस्था का औचित्य इसी में होता है कि सभी को पाँच एषणाओं की उपलब्धि के उचित अवसर मिले अन्यथा मानव जीवन का वह अर्थ नहीं रह जायेगा जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रयोजन के विश्लेषण में हमने इसे दिया है।

ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ किसी व्यक्ति के प्राण सकट में है। ऐसी स्थिति में अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या उसे अहिंसा का आचार त्याग देना चाहिए? इसका उत्तर लगभग स्पष्ट है। यदि प्राणैषणा का कोई औचित्य है तो अवश्य उसे अहिंसा को त्याग देना चाहिए। तब अहिंसा रूपी मूल आचार का महत्त्व अत्यन्त सीमित हो जाएगा क्योंकि उसका तो सर्व अवस्थाओं व सर्वकालों में पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी की भोगैषणा पर आघात होता है तो उसे अपरिग्रह के मूल आचार को त्याग देना चाहिए क्योंकि जिस समाज में उपभोग की वस्तुओं को गोदामों में इकट्ठा करके छिपा दिया जाता है वहाँ भोगैषणा पर आघात होता है और अपरिग्रह का पालन यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। तब अपरिग्रह का महत्त्व भी क्षीण हो जाएगा। इसी प्रकार धनैषणा पर आघात होने पर अस्तेय आदि को त्यागना पड़ेगा। तब इन मूल आचारों का क्या औचित्य और महत्त्व है?

जहाँ एषणाएँ जन्मसिद्ध हैं वहाँ मूल आचार धर्मसिद्ध हैं। अर्थात् ये वे आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने में प्रयत्नशील मानव मानवता के उस चरम शिखर पर पहुँचता है जहाँ कि समाज व सस्कृति एक पूर्णता को प्राप्त करती है। इन मूल्य व आदर्शों का औचित्य उस जगद्दृष्टि या दर्शन या सृष्टि सिद्धान्त में है जिसमें मानव जीवन का अर्थ व प्रयोजन परिभाषित है। वस्तुतः थोड़ी परीक्षा करने पर हम पाते हैं कि ये आदर्श एषणाओं के विरोधी नहीं हैं। उदाहरण के लिए यदि सभी मानव अहिंसा के आदर्श पर चलते हैं तो प्राणैषणा की विवृद्धि होती है, प्राण अधिक सुरक्षित होते हैं, या सभी के अपरिग्रह का पालन करने से भोगैषणा भी मजबूत होती है। अहिंसा के आदर्श की कठोरतम परिभाषा यह है कि व्यक्ति मन, वचन व कर्म से किसी को पीड़ित न करे। इसी तरह अपरिग्रह का आदर्श अपने कठोरतम रूप में एक दिन के अनिवार्य उपभोग से अधिक संग्रह न करने का सुझाव देता है और मात्र सन्तानोत्पत्ति हेतु सम्भोग ब्रह्मचर्य का आदर्श है, आदि। यद्यपि ये आदर्श पूर्णतः वैयक्तिक हैं और कोई भी इन्हें अपनाते के लिए व्यवहारतः या कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है लेकिन यदि अधिकतर लोग इन्हें मान लें तो सामाजिक दबाव के कारण अन्य भी इनका पालन करेंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण समाज इनका पालन करने लगेगा। लेकिन समाज एक सीमित इकाई होता है और मानव इतिहास में यह सदैव होता है कि यद्यपि कोई समाज-विशेष आदर्शों की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है लेकिन अन्य समाज जो उन आदर्शों के महत्त्व को नहीं समझते, जो अपेक्षा-कृत अर्धवर्बर हैं उन पर आघात करते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी समाज विशेष को उन आदर्शों की रक्षा के लिए ही उन आदर्शों की अवहेलना करनी पड़ती है। यही बात व्यक्ति के लिए भी सत्य है। व्यक्ति को बहुधा अपने आदर्शों की रक्षा हेतु ही उन आदर्शों को त्यागना पड़ता है क्योंकि कुछ व्यक्ति या प्राणों स्वभावतः हिंसक या परिग्रही आदि होते हैं।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल मूल आचारों पर बल देना या केवल एषणाओं के महत्त्व को स्वीकारना मानव स्वभाव के सही स्वरूप को अनदेखा करना है। वह एक साथ भोगोन्मुख और अपवर्गोन्मुख है। वह एक साथ ही प्राणैषणा करता व अहिंसा के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह एक साथ भोगैषणा और अपरिग्रह को प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। जब तक हम मानव स्वभाव के इस यथार्थ को भलीभाँति नहीं समझ लेते, जीवन के प्रयोजन को प्राप्त करने व लोकयात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने की हमारी नीति त्रुटिपूर्ण रहेगी। अतः एषणाएँ ही वो सीढ़ी हैं जिसके द्वारा, जिसके सहारे, जिसको लाघते हुए हम आदर्शों के शिखर पर पहुँचते हैं, उन्हें नकार कर या उनके बिना हम उस शिखर पर पहुँच नहीं सकते। इस सन्दर्भ में, मैं समझता हूँ कि शैव आचार अन्य सभी भारतीय आचारों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है।

वहाँ इन मूल आचारो का महत्ता को स्वीकारा गया है लेकिन एषणाओ को अनदेखा नहीं किया गया । उस क्षेत्र मे अधिक शोध की आवश्यकता है ।

आचार पालन मे भी एक आचार दूसरे आचार में रुकावट उत्पन्न करता है । उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है, उसका बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और धनाभाव मे उसका यथासमय उपचार न हो पाने से मर जाता है । ऐसी अवस्था मे अपने आश्रित की प्राणरक्षा करने मे असमर्थ वह व्यक्ति उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी है । इसी प्रकार एक आचार की पालन प्रक्रिया उसी आचार की अन्य पालन प्रक्रिया मे बाधा बन सकती है, जैसे मै ध्यान व ज्ञान द्वारा सत्य का अनुसंधान करना चाहता हूँ लेकिन दूसरा भजन-कीर्तन द्वारा और वह सारे मौहल्ले को सिर पर उठा लेता है । इसी मे मुल्ला की बांग, पुजारी की शखध्वनि और वे लाउडस्पीकर शामिल है जिनसे नित्य व्यवधान होता है । स्पष्ट है कि आचारो के आधुनिक सन्दर्भ और उनकी पालनविधि पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है और यह जिम्मेवारी उन लोगो की है जो इस क्षेत्र मे सर्वाधिक सक्रिय है ।

आधुनिक काल में गाधीजी का प्रयास इन आचारो के पालन हेतु किया गया और वह सर्वविदित है । वस्तु. उनके जीवन का इतिहास प्रमुखतया इन आचारो की अनुपालना के प्रयास का इतिहास कहा जा सकता है । वे दूध इसलिए नहीं पीते थे कि इसमे बछडे के दूध की चोरी होती है लेकिन डाक्टर की सलाह पर उन्होने बकरी का दूध स्वीकार किया । अपरिग्रह के पालन मे भी गाधीजी बहुत जागरूक थे । उन्हे इनके पालन में कहाँ तक सफलता मिली और उनके अनुभव क्या थे, ये विचारणीय विषय है । लेकिन आधुनिक परिस्थितियो मे इनका अनुपालन कितना कठिन है, यह तो उनके जीवन से स्पष्ट ही है ।

व्यवहारशास्त्र या कानून के क्षेत्र मे कुछ आधुनिक समस्याएँ है जिन पर मूल आचारो और एषणाओ के प्रत्यय कुछ प्रकाश डाल सकते है । जैसे अधिकारों और कर्तव्यो का द्वय । एषणाओ को हम अधिकारो के रूप मे देख सकते है । अतः अपने प्राणो की रक्षा और स्वास्थ्य मानवमात्र का (प्राणिमात्र का भी) अधिकार है । इसी प्रकार धनैषणा, भागैषणा आदि । अतः अधिकार वे है जो जन्मसिद्ध या स्वतः सिद्ध है और उनका हनन मानव के अस्तित्व को नकारने के समान ही है । एषणाओ की प्राप्ति मे अव्यवधान या बाधाहितता ही मानव की स्वतन्त्रता है—कुछ परिस्थितियो मे वे आचार विरोधी हो तब भी । जब एषणाओ को गौण समझकर मूल आचारो को ही सर्वोपरि माना जाता है तो मानव स्वतन्त्रता का हनन होता है चाहे ऐसा धर्म सस्था करे या राज्य ? इसी

तरह मूल आचारो को कर्तव्यो के रूप मे देखा जा सकता है जो जगद्दृष्टि या धर्म द्वारा निर्धारित है । यदि इन कर्तव्यो का पालन न किया जाए तो मानव इन आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त नहीं करता जो मानवता को परिभाषित करते है, जिनसे मानव जीवन का अर्थ व प्रयोजन निर्धारित होता है । क्योंकि मूल आचार जगद्दृष्टि सापेक्ष है अतः भिन्न जगद्दृष्टियो मे भिन्न आचार या मूल आचारो की भिन्न व्याख्या सम्भव है । जो भी मानव किसी जगद्दृष्टि को धारण करता है उसके लिए उन आचारो का पालन स्वतः ही कर्तव्य बन जाता है क्योंकि किसी जगद्दृष्टि को धारण करने का मतलब ही यह है कि उसके अनुसार जगत को देखना और उन आदर्शों के अनुसार जीवन को जीना । अधिकार और कर्तव्य केवल व्यक्ति के ही नहीं, समाज और राज्य के भी होते है । किसी भी समाज को यह अधिकार है कि वह किसी जगद्दृष्टि के अनुसार जीवन को जिए और उसे निरन्तर विकसित करे तथा उसके अनुसार विचार एव कला मे उपलब्धियाँ करे । इसी प्रकार सार्वभौमिकता या स्वायत्तता हर राज्य का स्वतः सिद्ध अधिकार है । इसी प्रकार समाजो और राज्यों के अन्य समाजो व राज्यों के प्रति तथा अपने सदस्यो और नागरिको के प्रति कर्तव्य होते है, जो उस जगद्दृष्टि द्वारा परिभाषित होते है जिसको वे समाज और राज्य धारण करते है । इनमे सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आर्थिक सहयोग व बर्बर शक्तियो से रक्षा मे सहयोग, आदि तथा सदस्यो की एषणाओं की व्यवहारतः सुरक्षा और कर्तव्य पालन के लिए दण्ड व प्रेरणा व्यवस्था आदि है । यदि समाज और राज्य ही अपने कर्तव्यो से विमुख होते है तो यह निश्चित संकेत होता है कि जगद्दृष्टि में मौलिक परिवर्तन अपरिहार्य है ।

मानव इतिहास में यह अक्सर होता है कि आचार की अति के कारण एषणा-हानि और एषणा की अति के कारण आचार-भ्रष्टता होती है और समाज पुनः-पुनः ह्रासोन्मुख होते है । यह इसलिए होता है कि आचार और एषणाओं का सम्बन्ध अत्यन्त सूक्ष्म है और उनका तालमेल तथा साम्य बनाए रखना अपेक्षाकृत असरल है । जो समाज इस तालमेल के महत्त्व को समझ लेते है, वे सांस्कृतिक चिरस्थायित्व को प्राप्त होते है और ऐसे उदाहरण विरल होते है ।

यद्यपि व्यक्ति का महत्त्व राज्य से अधिक हो सकता है लेकिन व्यक्ति और राज्य का महत्त्व समाज से अधिक नहीं । समाज का प्रतिनिधित्व वे व्यक्ति करते है जो उसकी जगद्दृष्टि का सर्जन करते है और तर्क वौद्धिकवाद प्रक्रिया द्वारा उसका निरन्तर विकास करते है, अर्थात् समाज के धर्म की विवृद्धि करते है । अपरिग्रह जैसे उच्च आदर्शों को त्याग देने से ही समाजो में आर्थिक शोषण सम्भव होता है जिसके फलस्वरूप समाजो और राज्यों का ह्रास होता है ।

समाजों में साम्यभाव तभी बना रह सकता है जब एषणाओं और मूल आचारों रूपी उच्च आदर्शों का साम्य व सन्तुलन बना रहे ।*

- इस निबन्ध में लेखक ने सामान्य जन-जीवन में सदाचार और एषणा के सम्बन्ध पर विविध दृष्टियों से विचार करते हुए उनमें सामजस्य बैठाने का प्रयत्न किया है । यह आवश्यक नहीं है कि साधना के उच्च स्तर पर यह चरितार्थ होता हो ।—सम्पादक



आधी रोटी पर हक

एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे—‘सबको अपने-अपने हक की रोटी खानी चाहिए ।’ प्रवचन-सभा में उस देश का राजा भी उपस्थित था । उसने खड़े होकर पूछा—‘महात्मन् ! हक की रोटी कैसी होती है ?’

महात्मा ने कहा—‘किसी दृष्टान्त से यह बात पूरी समझ में नहीं आयेगी । साक्षात् देखना हो तो मेरे साथ चलो ।’

महात्मा और राजा दोनों उस नगर के एक मुहल्ले में पहुँचे जहाँ एक बुढिया रहती थी । महात्मा के सकेत पर राजा ने बुढिया के घर जाकर कहा—‘माई, मुझे हक की एक रोटी चाहिए ।’

बुढिया बोली—‘राजन् ! मेरे पास एक ही रोटी है, किन्तु उसमें से आधी हक की है और आधी बिना हक की ।’

राजा के बात समझ में नहीं आई । उसने प्रश्न किया—‘एक ही रोटी में से आधी हक की और आधी बिना हक की कैसे ?’

उत्तर में बुढिया ने कहा—‘मैं एक दिन चरखा कात रही थी । सायकाल का समय था । अन्धकार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था । इतने में एक मशाल-जुलूस आता हुआ दिखाई दिया । मैं मशालों के प्रकाश में सूत कातती रही । उस समय मुझे अपना दीपक नहीं जलाना पड़ा । जुलूस जब तक रुका रहा, तब तक मैंने जो सूत काता, उसे बेचकर आटा लाई और यह रोटी बनाई । श्रम मेरा था और प्रकाश मशाल-जुलूस का, इसलिए इस एक रोटी में आधी पर मेरा हक है और आधी पर मशाल-जुलूस का ।’

राजा ने यह सुनकर बुढिया को प्रणाम किया और राजमहल जाकर प्रजा के लिए अपना भंडार खोल दिया ।

आधुनिक युग में अपरिग्रह का मापदण्ड : एक चिन्तन

□ श्री मानमल कुदाल

आधुनिक युग में अपरिग्रह का मापदण्ड काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान् महावीर के समय में कर्मकाण्ड तथा हिंसा चरम सीमा पर बढ़ी हुई थी, परन्तु आधुनिक युग में परिग्रह अपनी सीमा लाघ चुका है। आगम ग्रन्थों में भी परिग्रह की सीमा के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। इनमें कहा गया है कि गृहस्थ को धन-धान्य आदि वस्तुओं की सीमा निश्चित करनी चाहिए। और इसी से प्रेरित होकर कई गृहस्थ परिग्रह की सीमा को बाधकर अपरिग्रह की ओर आगे बढ़े हैं। उन्होंने १०० गायों के बजाय ५० गायें, दस हाथी के बजाय ५ हाथी, लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बजाय हजारों स्वर्ण मुद्राएँ तथा कई मकानों के बजाय कुछ मकान रखे होंगे। इस तरह परिग्रह के त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया होगा और तत्कालीन समाज ने ऐसे लोगों को त्यागी कहकर सम्मानित भी अवश्य किया होगा, क्योंकि वे तो आगमों की सीधी-सादी भाषा के अनुसार ही अपने जीवन को ढाल रहे थे। परन्तु यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या इस प्रकार के त्याग को अपरिग्रह की संज्ञा दी जाय ? यहाँ हमें यह समझना भी आवश्यक है कि परिग्रह का लक्षण क्या है ? क्योंकि इसके लक्षण को जानकर ही हम परिग्रह-अपरिग्रह का निर्णय कर सकते हैं।

अपरिग्रहवादियों के सामने जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो उन्होंने अपरिग्रह को समझाने के लिये परिग्रह का लक्षण समझाया। अपरिग्रहवादी समझते थे कि जब परिग्रह का लक्षण समझा देगे तो इससे बचकर मनुष्य अपरिग्रही बन जायगा। अतः उन्होंने कहा जहाँ मूर्च्छा है, वहाँ परिग्रह है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे व्यक्ति के पास मकान, जमीन, जायदाद, धन-धान्य आदि कुछ भी न हो, फिर भी इनके प्रति आकर्षण, ममत्व, राग आदि हो तो वह निश्चित रूप से परिग्रही ही है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के पास सब कुछ उपर्युक्त साधन होते हुए भी यदि उन वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण, राग, ममत्व नहीं है, तो वह अपरिग्रही है।

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या परिग्रह का मूर्च्छा लक्षण कोरा व्यक्तिगत नहीं है ? क्या मूर्च्छा होने या न होने का ज्ञान हमें हो सकता है ? मूर्च्छा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको दूसरे व्यक्तियों में जान पाना ना कठिन है ही, अपने आप में जान पाना भी अत्यन्त कठिन है। अतः यह परिग्रह

ब्रह्मान्कार जैसी निद्रावृत्त वृत्तित घटनाएँ भी भोग-उपभोग की इच्छा का असय-मिन होना ही है और तो और इसी भोग-उपभोग की इच्छा ने निरीह पशुओं को मान के घाट उतारने पर मजबूर कर दिया है। लिपिम्बिक, जेम्पो, चमड़े व फर की बनी हुई वस्तुओं के कारण हजारों जानवरों की बलि रोज चढ़ाई जाती है, हजारों मामूम गायें मरे ग्राम कट रही हैं। इस तरह सामाजिक अपराध व हिंसा का बहुत बड़ा कारण हमारी भोग-उपभोग की इच्छा का विस्तार है।

भोग-उपभोग की इच्छा व्यक्ति व समाज के लिए ही नहीं राष्ट्र के लिए भी अहितकर है। भोग-उपभोग की वस्तुओं का संग्रह करने के लिये पैसों की आवश्यकता है। इसे एकत्रित करने के लिये राष्ट्र तक की बलि चढ़ा दी जाती है। पजाव में आज जो कुछ हो रहा है, उसके मूल में भी यही प्रवृत्ति है जिसका फायदा उठाकर समृद्ध राष्ट्र पैसों के बल पर कुछ लोगों को खरीदकर राष्ट्र विरोधी कार्य करवाते हैं। सरकारी कार्यालयों से फाइले गायब होना, भूठे अभियोग लगाकर गरीबों को फँसाना व अभियुक्त की रक्षा करना, वस्तु में मेल-समेल करना, देश के गुप्त रहस्यों को प्रकट करना, योग्य, ईमानदार व्यक्तियों की हत्या करवा देना जैसे अनैतिक कार्य इसी के आधार पर होते हैं। पैसों से किसी भी व्यक्ति को कभी भी खरीदा जा सकता है।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने इन सारे रोगों की दवा ट्रस्टीशिप बताई। वे सच्चे अर्थों में जैनी थे। उन्होंने भोग-उपभोग की वस्तुओं को व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के लिए बीमारी माना और उसका इलाज सम्पत्ति पर स्वामित्व की भावना को समाप्त करना बताया। हम सम्पत्ति के मालिक बनकर नहीं, उसके ट्रस्टी बनकर रहे। यही उनकी भावना थी।

• □ •

-
- सब शुद्धियों में धन की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है, क्योंकि जो धन में शुद्ध है वही शुद्ध है। —मनु
 - धन जमा करने मोती। १। धन ठीकरी है और उग्र
—सादी
 - जो जत्व
 - सबसे व फकीर

खर्च बोझ बनता जा रहा है, प्रेम की गंगा सूख रही है, कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं है। कचन व कामिनी के चक्कर में वह भूल गया है कि पैसा पलग व मखमली गद्दे दे सकता है, पर नीद नहीं, वह दवाइयाँ दे सकता है पर स्वास्थ्य नहीं, भोजन सामग्री दे सकता है पर भूख नहीं, लेकिन इसकी चकाचौध इतनी गजब की है कि हमारी सोचने-विचारने की शक्तियाँ कुंठित हो रही हैं। आज पश्चिम के लोगो के उदाहरण हमारे सामने हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। वहाँ पति को पत्नी पर विश्वास नहीं और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, बच्चो को माता-पिता पर विश्वास नहीं और माता-पिता को बच्चो पर विश्वास नहीं। वे अब उस द्वन्द्व में से निकलकर, फकीर की तरह बनकर 'हरे कृष्ण हरे राम' में लगे हैं और हम 'हरे कृष्ण हरे राम' के स्थान पर 'हाय पैसा' की ओर लगे हैं।

हमारे आचार्य भगवन्तो ने छद्मस्थो की इसी कमजोरी को देखते हुए उस परिग्रह रूपी अजगर की पूँछ छोटी करने के लिये उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का निरूपण किया। परिग्रह का या तो भोग किया जा सकता है या उपभोग। भोग का अर्थ है उसे एक बार उपयोग करना तथा उपभोग का अर्थ है बार-बार उपयोग कर सकना जैसे मकान, वस्त्र आदि।

भोग-उपभोग की वस्तुएँ २६ प्रकार की हैं—उल्लणविहि, दतणविहि, सचित्तविहि, द्रव्यविहि आदि। इन वस्तुओ की मर्यादा करने से हमारी आकाश के समान फैली इच्छाएँ थाली में चन्द्रमा के समान हो जायेगी। हम निश्चित सुखी जीवन का सूत्रपात कर सकेंगे। हमारा श्रम व शक्ति का ह्रास नहीं होगा, स्वास्थ्य की रक्षा कर पायेगे, चैन की नीद सो पायेगे। सामाजिक दृष्टि से भी परिग्रह परिमाण व्रत व उपयोग परिभोग-परिमाण व्रत बहुत लाभकारी है। व्यक्तियों से ही समाज बनता है। स्वार्थी व्यक्तियों से समाज ऐसे कगार पर आ जायेगा जहाँ दूसरे के दुःख-दर्द की किसी को परवाह भी नहीं होगी। सामाजिक हित गोल हो जायेगा। इसी परिग्रह की वृत्ति से समाज में आज दहेज आदि प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। जिसके परिणामस्वरूप आज कई लड़कियों को जीवन भर कुआरी रहने की मजबूर होना पड़ रहा है तथा दूसरी ओर पैसे के बल से हजारों लड़कियों का कौमार्य नष्ट किया जा रहा है। यदि भोग-उपभोग की वस्तुओ को सयमित कर लिया जाय तो यह अनाचार, अत्याचार व सामाजिक जीवन को तहस-नहस करने वाली कुप्रथाएँ अपने आप नष्ट हो जायेगी।

विज्ञान के विकास के साथ भोग-उपभोग की वस्तुओ में दिनोदिन बढ़ोतरी हो गई है अतएव दहेज जैसी सात्विक सांस्कृतिक परम्परा विषम बन गई है। अखबारों में रोज दहेज के कारण मरने-मारने की घटनाये पढ़ने को मिलती है।

□ श्रीमती सुशीला बोहरा

गृहस्थो की आजीविका के लिये नीतिशास्त्र व समाजशास्त्र ने ६ कर्म बताये हैं यथा शिल्प, सेवा, असि, मसि, कृषि और वाणिज्य । इन ६ कर्मों के द्वारा गृहस्थ अपने परिवार का भरण पोषण करता था, समाज व राष्ट्र की भी सेवा करता था । जिस देश में शिल्प, विद्याएँ और कला-कौशल बढ़े चढ़े होते हैं, वह देश भौतिक दृष्टि से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है । वहाँ की जनता सुखपूर्वक अपनी जिन्दगी बिताती है, दुष्काल के थपेड़ों और प्राकृतिक प्रकोपों का वह डट कर सामना कर सकती है । परन्तु जो लोग केवल धनोपार्जन को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाकर परकर्मों को सीखते हैं, उनके सामने समाज या राष्ट्र की सेवा करने या अपने परिवार का पोषण करने का कोई लक्ष्य नहीं होता, उनका लक्ष्य खूब पैसा कमाकर मौज शौक करना होता है । दुनिया मरे या जिए, समाज चाहे रसातल में जाय, चाहे राष्ट्र का नैतिक जीवन खतरे में पड़ जाय उनकी बला से । उन्हें तो पैसा चाहिये, फैशन और भोगविलास के साधन चाहिये । आज मनुष्यों की वृत्ति इसी होडा-होड में लगी हुई है । पैसे के लिए निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने को उतारू हो सकता है । वस्तु में मेलसमेल की जा सकती है, चोरी आदि की जा सकती है, स्त्रियों व बच्चों को मौत के घाट उतारा जा सकता है, गौमाता को कसाई के हाथ बेचा जा सकता है । जैन कहलाने वाले लोग घी में सूअर व गाय का मास मिला सकते हैं, भाई को कोर्ट कचहरी चढाया जा सकता है, पत्नी से दुराचार करवाया जा सकता है । सक्षेप में दुनिया का कोई ऐसा निकृष्ट कार्य ऐसा नहीं है जो इसके लिये नहीं किया जाता हो । लेकिन अफसोस यह है कि यह सब करने के बाद भी न दिन में चैन है न रात्रि को विश्राम ।

अतएव परिग्रह के प्रति ममत्व भाव किसी भी दृष्टि में मुखकर व हितकर नहीं । व्यक्तिगत दृष्टि से इसी की मूर्च्छा ने उसे बेभान बना दिया है । उसकी हालत मकड़ी के समान बन गई जो स्वयं अपने चारों ओर जाल का निर्माण कर उसी में फस जाती है । हम और आप भी मकड़ी की तरह ही इस जाल में उलझ रहे हैं । जितना परिग्रह बढ़ रहा है उतना ही तनाव बढ़ता जा रहा है । व्यक्ति आज सामाजिक प्राणी से अपने दायरे में बढ़ होता जा रहा है । उसका पारिवारिक दायरा सीमित होता जा रहा है, बूढ़े माता-पिता पर किया जाने वाला

खर्च बोझ बनता जा रहा है, प्रेम की गंगा सूख रही है, कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं है। कचन व कामिनी के चक्कर में वह भूल गया है कि पैसा पलग व मखमली गद्दे दे सकता है, पर नीद नहीं, वह दवाइयाँ दे सकता है पर स्वास्थ्य नहीं, भोजन सामग्री दे सकता है पर भूख नहीं, लेकिन इसकी चकाचौध इतनी गजब की है कि हमारी सोचने-विचारने की शक्तियाँ कु ठित हो रही है। आज पश्चिम के लोगो के उदाहरण हमारे सामने है। उनके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। वहाँ पति को पत्नी पर विश्वास नहीं और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, वच्चो को माता-पिता पर विश्वास नहीं और माता-पिता को वच्चो पर विश्वास नहीं। वे अब उस द्वन्द्व में से निकलकर, फकीर की तरह बनकर 'हरे कृष्ण हरे राम' में लगे हैं और हम 'हरे कृष्ण हरे राम' के स्थान पर 'हाय पैसा' को ओर लगे हैं।

हमारे आचार्य भगवन्तो ने छद्मस्थो की इसी कमजोरी को देखते हुए उस परिग्रह रूपी अजगर की पूँछ छोटी करने के लिये उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का निरूपण किया। परिग्रह का या तो भोग किया जा सकता है या उपभोग। भोग का अर्थ है उसे एक बार उपयोग करना तथा उपभोग का अर्थ है बार-बार उपयोग कर सकना जैसे मकान, वस्त्र आदि।

भोग-उपभोग की वस्तुएँ २६ प्रकार की हैं—उल्लणविहि, दतणविहि, सचित्तविहि, द्रव्यविहि आदि। इन वस्तुओ की मर्यादा करने से हमारी आकाश के समान फैली इच्छाएँ थाली में चन्द्रमा के समान हो जायेगी। हम निश्चित सुखी जीवन का सूत्रपात कर सकेंगे। हमारा श्रम व शक्ति का ह्रास नहीं होगा, स्वास्थ्य की रक्षा कर पायेगे, चैन की नीद सो पायेगे। सामाजिक दृष्टि से भी परिग्रह परिमाण व्रत व उपयोग परिभोग-परिमाण व्रत बहुत लाभकारी है। व्यक्तियों से ही समाज बनता है। स्वार्थी व्यक्तियों से समाज ऐसे कगार पर आ जायेगा जहाँ दूसरे के दुःख-दर्द की किसी को परवाह भी नहीं होगी। सामाजिक हित गोल हो जायेगा। इसी परिग्रह की वृत्ति से समाज में आज दहेज आदि प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। जिसके परिणामस्वरूप आज कई लड़कियों को जीवन भर कु आरी रहने को मजबूर होना पड रहा है तथा दूसरी ओर पैसे के बल से हजारो लड़कियों का कौमार्य नष्ट किया जा रहा है। यदि भोग-उपभोग की वस्तुओ को सयमित कर लिया जाय तो यह अनाचार, अत्याचार व सामाजिक जीवन को तहस-नहस करने वाली कुप्रथाएँ अपने आप नष्ट हो जायेगी।

विज्ञान के विकास के साथ भोग-उपभोग की वस्तुओ में दिनोदिन बढ़ोतरी हो गई है अतएव दहेज जैसी सात्त्विक सांस्कृतिक परम्परा विषम बन गई है। अखबारों में रोज दहेज के कारण मरने-मारने की घटनाये पढने को मिलती है।

बलात्कार जैसी निकृष्ट घृणित घटनाएँ भी भोग-उपभोग की इच्छा का असयमित होना ही है और तो और इसी भोग-उपभोग की इच्छा ने निरीह पशुओं को मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर दिया है। लिपिस्टिक, गेम्पो, चमडे व फर की बनी हुई वस्तुओं के कारण हजारों जानवरों की बलि रोज चढाई जाती है, हजारों मासूम गायें सरे आम कट रही हैं। इस तरह सामाजिक अपराध व हिंसा का बहुत बड़ा कारण हमारी भोग-उपभोग की इच्छा का विस्तार है।

भोग-उपभोग की इच्छा व्यक्ति व समाज के लिए ही नहीं राष्ट्र के लिए भी अहितकर है। भोग-उपभोग की वस्तुओं का संग्रह करने के लिये पैसों की आवश्यकता है। इसे एकत्रित करने के लिये राष्ट्र तक की बलि चढा दी जाती है। पंजाब में आज जो कुछ हो रहा है, उसके मूल में भी यही प्रवृत्ति है जिसका फायदा उठाकर समृद्ध राष्ट्र पैसों के बल पर कुछ लोगों को खरीदकर राष्ट्र विरोधी कार्य करवाते हैं। सरकारी कार्यालयों से फाइले गायब होना, भूठे अभियोग लगाकर गरीबों को फँसाना व अभियुक्त की रक्षा करना, वस्तु में मेल-समेल करना, देश के गुप्त रहस्यों को प्रकट करना, योग्य, ईमानदार व्यक्तियों की हत्या करवा देना जैसे अनैतिक कार्य इसी के आधार पर होते हैं। पैसों से किसी भी व्यक्ति को कभी भी खरीदा जा सकता है।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने इन सारे रोगों की दवा ट्रस्टीशिप बताई। वे सच्चे अर्थों में जैनी थे। उन्होंने भोग-उपभोग की वस्तुओं को व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के लिए बीमारी माना और उसका इलाज सम्पत्ति पर स्वामित्व की भावना को समाप्त करना बताया। हम सम्पत्ति के मालिक बनकर नहीं, उसके ट्रस्टी बनकर रहे। यही उनकी भावना थी।

• □ •

-
- सब शुद्धियों में धन की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है, क्योंकि जो धन में शुद्ध है वही शुद्ध है। —मनु
 - धन जमा करने में अपनी उम्र को मत खो। धन ठीकरी है और उम्र —सादी मोती।
 - जो जल्दी धनवान बन रहा है, निर्दोष नहीं हो सकता। —बाइबिल
 - सबसे बड़ा अमीर वह है जो गरीबों का दुःख दूर करता है और सबसे अच्छा फकीर वह है जो अपने गुजारे के लिए अमीरों का मुँह नहीं देखता। —सादी

आज विश्व में अशांति का एक बहुत बड़ा कारण भोग-उपभोग की तीव्र लालसा तथा अधिकाधिक सचय की वृत्ति है। उत्पादन की एक सीमा है परन्तु भोगो की इच्छा असीम है। वास्तव में मानव की असीम इच्छाओं और तृष्णा की विभीषिका ही परस्पर कलह और सघर्ष का कारण बनती है। हमने सुख बाह्य वस्तुओं में मान लिया है और हमारी विकृत मनोदशा इस भोग प्रधान विश्व में चारों ओर फैली हुई परिस्थितियों के कारण और भी वेग से भोगोप-भोग की ओर दौड़ती है। भोगो की प्राप्ति के लिये हमें दूसरों से सघर्ष की स्थिति में रहने तथा भोग्य वस्तुओं की निरन्तर चिन्ता करने को बाध्य होना पड़ता है। इससे व्याकुलता बढ़ती है और निराकुलता, जो कि वास्तविक सुख है, हमसे दूर होती जाती है।

परिग्रह परिमाण व्रत

भगवान् महावीर ने इसी कारण समस्त मानवता के सुख के लिये अपरिग्रहवाद का उपदेश दिया जिसकी प्रारम्भिक सीढ़ी परिग्रह परिमाण व्रत है। इसके अनुसार मानव को अपनी आवश्यकताओं की एक सीमा निर्धारित कर उसमें सन्तुष्ट रहना चाहिये। वस्तुतः अपरिग्रह की चरम परिणति तो दिगम्बरत्व है जहाँ लंगोटी तक में भी ममत्व नहीं रह जाता है तथापि परिग्रह परिमाण द्वारा इन्द्रियों के विषय एवं कषायों पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है। यह स्वेच्छया परिमाण-परिणति ही अपरिग्रहवाद है। यह महावीर द्वारा उपदिष्ट समाजवाद है जिसे व्यक्ति को स्वयं लागू करना है। वरबस किसी बाह्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक लादा हुआ नियन्त्रण सुखानुभूति नहीं करा सकता। परन्तु जो काम अतरंग इच्छा से किया जाता है, वही वास्तविक सुख की अनुभूति का कारण बन सकता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः ही अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को सीमित करते हुए वास्तविक सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिये। महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित हृदय परिवर्तन का सिद्धान्त इसी से उद्गमित होता है।

महावीर का अपरिग्रह का सदेश

भगवान् महावीर ने आर्थिक विषमता, भोगवृत्ति और शोषण की

बलात्कार जैसी निकृष्ट घृणित घटनाएँ भी भोग-उपभोग की इच्छा का असयमित होना ही है और तो और इसी भोग-उपभोग की इच्छा ने निरीह पशुओं को मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर दिया है। लिपिस्टिक, शेम्पो, चमड़े व फर की बनी हुई वस्तुओं के कारण हजारों जानवरों की बलि रोज चढाई जाती है, हजारों मासूम गायें सरे आम कट रही हैं। इस तरह सामाजिक अपराध व हिंसा का बहुत बड़ा कारण हमारी भोग-उपभोग की इच्छा का विस्तार है।

भोग-उपभोग की इच्छा व्यक्ति व समाज के लिए ही नहीं राष्ट्र के लिए भी अहितकर है। भोग-उपभोग की वस्तुओं का संग्रह करने के लिये पैसे की आवश्यकता है। इसे एकत्रित करने के लिये राष्ट्र तक की बलि चढा दी जाती है। पंजाब में आज जो कुछ हो रहा है, उसके मूल में भी यही प्रवृत्ति है जिसका फायदा उठाकर समृद्ध राष्ट्र पैसे के बल पर कुछ लोगों को खरीदकर राष्ट्र विरोधी कार्य करवाते हैं। सरकारी कार्यालयों से फाइले गायब होना, भूठे अभियोग लगाकर गरीबों को फँसाना व अभियुक्त की रक्षा करना, वस्तु में मेल-समेल करना, देश के गुप्त रहस्यों को प्रकट करना, योग्य, ईमानदार व्यक्तियों की हत्या करवा देना जैसे अनैतिक कार्य इसी के आधार पर होते हैं। पैसे से किसी भी व्यक्ति को कभी भी खरीदा जा सकता है।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने इन सारे रोगों की दवा ट्रस्टीशिप बताई। वे सच्चे अर्थों में जैनी थे। उन्होंने भोग-उपभोग की वस्तुओं को व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के लिए बीमारी माना और उसका इलाज सम्पत्ति पर स्वामित्व की भावना को समाप्त करना बताया। हम सम्पत्ति के मालिक बनकर नहीं, उसके ट्रस्टी बनकर रहे। यही उनकी भावना थी।

• □ •

-
- सब शुद्धियों में धन की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है, क्योंकि जो धन में शुद्ध है वही शुद्ध है। —मनु
 - धन जमा करने में अपनी उम्र को मत खो। धन ठीकरी है और उम्र मोती। —सादी
 - जो जल्दी धनवान बन रहा है, निर्दोष नहीं हो सकता। —बाइबिल
 - सबसे बड़ा अमीर वह है जो गरीबों का दुःख दूर करता है और सबसे अच्छा फकीर वह है जो अपने गुजारे के लिए अमीरों का मुँह नहीं देखता। —सादी

आज विश्व में अशांति का एक बहुत बड़ा कारण भोग-उपभोग की तीव्र लालसा तथा अधिकाधिक सचय की वृत्ति है। उत्पादन की एक सीमा है परन्तु भोगों की इच्छा असीम है। वास्तव में मानव की असीम इच्छाओं और तृष्णा की विभीषिका ही परस्पर कलह और सघर्ष का कारण बनती है। हमने सुख वाह्य वस्तुओं में मान लिया है और हमारी विकृत मनोदशा इस भोग प्रधान विश्व में चारों ओर फैली हुई परिस्थितियों के कारण और भी वेग से भोगोप-भोग की ओर दौड़ती है। भोगों की प्राप्ति के लिये हमें दूसरों से सघर्ष की स्थिति में रहने तथा भोग्य वस्तुओं की निरन्तर चिन्ता करने को बाध्य होना पड़ता है। इससे व्याकुलता बढ़ती है और निराकुलता, जो कि वास्तविक सुख है, हमसे दूर होती जाती है।

परिग्रह परिमाण व्रत

भगवान् महावीर ने इसी कारण समस्त मानवता के सुख के लिये अपरिग्रहवाद का उपदेश दिया जिसकी प्रारम्भिक सीढ़ी परिग्रह परिमाण व्रत है। इसके अनुसार मानव को अपनी आवश्यकताओं की एक सीमा निर्धारित कर उसमें सन्तुष्ट रहना चाहिये। वस्तुतः अपरिग्रह की चरम परिणति तो दिगम्बरत्व है जहाँ लगेटी तक में भी ममत्व नहीं रह जाता है तथापि परिग्रह परिमाण द्वारा इन्द्रियों के विषय एवं कषायों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यह स्वेच्छया परिमाण-परिणति ही अपरिग्रहवाद है। यह महावीर द्वारा उपदिष्ट समाजवाद है जिसे व्यक्ति को स्वयं लागू करना है। बरबस किसी वाह्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक लादा हुआ नियंत्रण सुखानुभूति नहीं करा सकता। परन्तु जो काम अतरंग इच्छा से किया जाता है, वही वास्तविक सुख की अनुभूति का कारण बन सकता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः ही अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को सीमित करते हुए वास्तविक सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिये। महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित हृदय परिवर्तन का सिद्धान्त इसी से उद्गमित होता है।

महावीर का अपरिग्रह का सदेश

भगवान् महावीर ने आर्थिक विषमता, भोगवृत्ति और शोषण की

समाप्ति के लिये मानव जाति को अपरिग्रह का महान् सदेश दिया। उन्होंने कहा—‘इच्छाहु आगाससमा अणतया’ कि इच्छाएँ आकाश के समान अनंत हैं और यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता है तो वह शोषक बन जायेगा। सग्रह वृत्ति पाप है। अतः यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का सग्रह करता है तो वह समाज में अपवित्रता का सूत्रपात करता है। जैन दर्शन की दृष्टि से सभी परिग्रह हिंसा से प्रत्युत्पन्न हैं क्योंकि सग्रह वृत्ति द्वारा व्यक्ति दूसरों के हितों का हनन करता है और इस रूप में सग्रह या परिग्रह हिंसा का ही एक रूप बन जाता है। अतः सही अर्थों में एक अपरिग्रही ही अहिंसक होता है। जैन दर्शन में व्यक्ति की माँग, वासना और शोषण की वृत्ति के नियंत्रण के लिये ब्रह्मचर्य, उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत तथा अस्तेय व्रत का विधान किया गया है। वस्तुतः परिग्रह समाज के लिये एक अभिशाप है क्योंकि वह समाज में विषमता उत्पन्न करने वाला है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, असयम आदि इसी की शाखाये-प्रशाखाये हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति इनका शिकार है। अतः आधुनिक युग के सदस्यों में इस सिद्धान्त का महत्त्व सर्वाधिक है।

जैन दर्शन में दान का महत्त्व

इतना ही नहीं, महावीर ने तो जिनके पास सग्रह है उन्हें दान का उपदेश दिया है। दान को जैन दर्शन में अतिथि-सविभाग कहा गया है जिसका अभिप्राय है कि जिनके पास है, वे उसे जिनके पास नहीं है, उन्हें उनका हिस्सा दान कर दे। दान अभावग्रस्त पर, कोई अनुग्रह नहीं है अपितु यह उनका अधिकार है। अतः जिन्हें दान दिया जा रहा है उन्हें वह साधन-सामग्री प्रेम पूर्वक, आदर के साथ व नि स्वार्थ भाव से दी जाय। दान के लिये सम विभाग शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है “असविभागी न हु तस्स मोक्खो” अर्थात् जो व्यक्ति सम विभाग और सम वितरण नहीं करता, उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है। वस्तुतः समविभाग और समवितरण सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक विकास के अनिवार्य अंग हैं। जब तक जीवन में सम-विभाग और समवितरण की वृत्ति नहीं आती है और अपने सग्रह का विसर्जन नहीं किया जाता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन या समत्व की उपलब्धि भी सम्भव नहीं होती। महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त भी इसी विचारधारा से उद्गमित है।

आवश्यकताओं को सीमित करें

व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कम-से-कम वस्तुओं का उपयोग करके करनी चाहिये। इन सबके सम्बन्ध में भी यथाशक्ति नियम लेने चाहिये तथा आत्मा के विकास एवं उन्नति की दृष्टि से नियमों में सशोचन एवं

समाप्ति के लिये मानव जाति को अपरिग्रह का महान् सदेश दिया। उन्होंने कहा—‘इच्छाहु आगाससमा अणतया’ कि इच्छाएँ आकाश के समान अनंत हैं और यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता है तो वह शोषक बन जायेगा। सग्रह वृत्ति पाप है। अतः यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का सग्रह करता है तो वह समाज में अपवित्रता का सूत्रपात करता है। जैन दर्शन की दृष्टि से सभी परिग्रह हिंसा से प्रत्युत्पन्न हैं क्योंकि सग्रह वृत्ति द्वारा व्यक्ति दूसरों के हितों का हनन करता है और इस रूप में सग्रह या परिग्रह हिंसा का ही एक रूप बन जाता है। अतः सही अर्थों में एक अपरिग्रही ही अहिंसक होता है। जैन दर्शन में व्यक्ति की माँग, वासना और शोषण की वृत्ति के नियंत्रण के लिये ब्रह्मचर्य, उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत तथा अस्तेय व्रत का विधान किया गया है। वस्तुतः परिग्रह समाज के लिये एक अभिशाप है क्योंकि वह समाज में विषमता उत्पन्न करने वाला है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, असयम आदि इसी की शाखाये-प्रशाखाये हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति इनका शिकार है। अतः आधुनिक युग के सदर्थ में इस सिद्धान्त का महत्त्व सर्वाधिक है।

जैन दर्शन में दान का महत्त्व

इतना ही नहीं, महावीर ने तो जिनके पास सग्रह है उन्हें दान का उपदेश दिया है। दान को जैन दर्शन में अतिथि सविभाग कहा गया है जिसका अभिप्राय है कि जिनके पास है, वे उसे जिनके पास नहीं है, उन्हें उनका हिस्सा दान कर दे। दान अभावग्रस्त पर, कोई अनुग्रह नहीं है अपितु यह उनका अधिकार है। अतः जिन्हे दान दिया जा रहा है उन्हें वह साधन-सामग्री प्रेम पूर्वक, आदर के साथ व निःस्वार्थ भाव से दी जाय। दान के लिये सम विभाग शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है “असविभागी न हु तस्स मोक्खो” अर्थात् जो व्यक्ति सम विभाग और सम वितरण नहीं करता, उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है। वस्तुतः समविभाग और समवितरण सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक विकास के अनिवार्य अंग हैं। जब तक जीवन में सम-विभाग और समवितरण की वृत्ति नहीं आती है और अपने सग्रह का विसर्जन नहीं किया जाता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन या समत्व की उपलब्धि भी सम्भव नहीं होती। महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त भी इसी विचारधारा से उद्गमित है।

आवश्यकताओं को सीमित करें

व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कम-से-कम वस्तुओं का उपयोग करके करनी चाहिये। इन सबके सम्बन्ध में भी यथाशक्ति नियम लेने चाहिये तथा आत्मा के विकास एवं उन्नति की दृष्टि से नियमों में सजोवन एवं

परिवर्तन करते रहना चाहिये । इस प्रकार की बात व्यक्तिगत और सामाजिक तथा भौतिकता और नैतिकता सभी दृष्टिकोणों से उपयोगी है क्योंकि इससे व्यक्तिगत चरित्र का विकास होता है तथा समाज की समस्याएँ सुलभती हैं । इस सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र के 'योगशास्त्र' की गाथा २/१०६ इस प्रकार है—

“असतोपम विश्वासभारम्भ, दुःख कारणम् ।

मत्वा मूर्च्छाफल कुर्यात्, परिग्रह नियत्रणम् ॥”

अर्थात् परिग्रह का परिमाण न करने से लोभ-तृष्णा का दबाव बढ़ने लगता है और इस तरह विशेष आरम्भ-समारम्भ एवं कषायों के बढ़ने से आत्मा की अधोगति होती है । तृष्णा का यदि समुचित नियत्रण हो तो परिग्रह की उपाधि कम हो सकती है और यह उपाधि जितनी कम होगी उतनी ही आत्मा में शांति होगी और परोपकार, सेवा, स्वाध्याय तथा भगवत्स्मरण का अधिकाधिक लाभ लिया जा सकता है ।

परिग्रह परिमाण यदि सामाजिक दृष्टि और सामाजिक सिद्धान्त बन जाय तो साम्यवाद अथवा समाजवाद का विवाद सरलता से शांत हो सकता है । वस्तुतः यह धर्म व्रत अच्छी से अच्छी समाज व्यवस्था का सर्जन करने वाला व्रत है । आधुनिक विश्व में भी सोवियत रूस, जनवादी चीन आदि साम्यवादी देशों में उत्पादित वस्तुओं की किस्में (Varieties) कम हैं अतः वे सग्रह को स्वतः ही हतोत्साहित करती हैं । परन्तु यह बाह्य प्रयोग है जबकि भोगोपभोग का व्रत आभ्यन्तर प्रयोग होने से स्वतः ही अधिक प्रभावशाली होगा ।

अपरिग्रह और अहिंसा

वस्तुतः महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय के तीनों सिद्धान्त एक दूसरे से घनिष्ठतया सम्बन्धित हैं । अहिंसा और अपरिग्रह तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । अहिंसा का सिद्धान्त अपरिग्रह के व्यवहार में ही लागू पड़ता है । वस्तुतः हमारा जीवन व्यवहार ही इस प्रकार का होना चाहिये कि अहिंसा हमारे जीवन का अंग बन जाय ।

जैन दर्शन में अहिंसा से अपरिग्रह का मार्ग प्रशस्त किया गया है । यह बात सही है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हिंसा और परिग्रह आदि से बचा नहीं जा सकता किन्तु इस सम्बन्ध में महावीर का उपदेश है कि श्रावक अपनी दृष्टि को ठीक रखे । जो काम वह करे, उसके परिणामों से भलीभाँति परिचित हो, आवश्यकता की उसे सही पहचान हो । जीवनयापन के लिये कितनी व किन् वस्तुओं की आवश्यकता है ? उनको प्राप्त करने के क्या साधन

है ? तथा उनके उपभोग से दूसरे के हितों की क्या हानि है ? आदि बातों पर विचार कर वह परिग्रह करने में प्रयुक्त हो तो इससे कम से कम कर्मों का बन्ध उसे होगा। श्रावक के बारह व्रतों का पालन गृहस्थ को इसी निस्पृही वृत्ति का आभास कराता है और इसी से उसके आत्मज्ञान की समझ विकसित होती है।

अतः हम निष्कर्ष रूप से इस बात को कह सकते हैं कि अपरिग्रह की विचारधारा का आधार प्रजातांत्रिक, धर्म निरपेक्षता एवं समाजवाद है। इसी विचारधारा पर महात्मा गाँधी ने अपने हृदय परिवर्तन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।



- सबसे बड़ा दान आदमी को इस लायक बना देना है कि उसे दान न लेना पड़े।

—तालमुद

- जो हाथ दुआ के वक्त खुदा की तरफ उठाये जाते हैं और मदद के वक्त बगलों में दबा लिये जाते हैं, उनसे क्या फायदा ?

—सादी

- जो कुछ हम दूसरों को देते हैं, वास्तव में वह सब हम अपने आपको दे रहे हैं। अगर इस तथ्य को पहचान लिया तो फिर ऐसा कौन होगा जो दूसरों को न दे ?

—महर्षि रमण

- जो किसी को न देकर आप ही खाता है, वह नष्ट हो जाता है।

—सामवेद

- दानी का धन घटता नहीं।

—ऋग्वेद

- दानी के चरित्र का पता दान की अपेक्षा दान देने के तरीके से अधिक लगता है।

—लैवेटर

प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक छोटा सा गाँव था। वहाँ के निवासी सरल, शांत एवं सुखी जीवनयापन करते थे। वही एक छोटा सा परिवार था— एक कृषक, उसकी पत्नी और तीन बच्चे। कृषक तथा उसकी पत्नी बड़े परिश्रमी थे। अपनी ४० बीघा जमीन में कृषि करते, प्राप्त उपज से गृहस्थी चलाते। जो कुछ मिलता, सतोषपूर्वक जीवन बिताते। जीवन का क्रम आनन्दपूर्वक निराबाध गति से चल रहा था।

एक दिन उस कृषक परिवार में उनका एक सम्बन्धी मिलने आया। कृषक ने आगन्तुक की आवभगत की। काफी समय पश्चात् मिलकर दोनों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। रात्रि में बहुत समय तक बातचीत का दौर चलता रहा। बातों ही बातों में कृषक ने अतिथि से पूछा, “इस समय आप कहाँ होकर आये हैं?” उसने कहा, “मैं इस समय स्वर्णभूमि से होकर आ रहा हूँ।”

“स्वर्णभूमि! यह कौन सी भूमि है तथा कहाँ पर है?” कृषक ने पूछा।

अतिथि बोला, “प्रिय बन्धु, वह भूमि वास्तव में स्वर्णभूमि ही है। वह सोना उगलती है। वह यहाँ से लगभग पचास मील दूर है।”

“आप वहाँ क्यों गये थे?”

“सुना था वह भूमि बहुत उपजाऊ है, वहाँ के लोग बहुत सीधे-सादे हैं। वहाँ चाहे जितनी भूमि बिना किसी मूल्य के प्राप्त की जा सकती है। इच्छानुसार चाहे जितनी भूमि प्राप्त कीजिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं।”

“आश्चर्य, महान् आश्चर्य! आपने कितनी भूमि वहाँ पर प्राप्त की?”

“बीस बीघा।”

*टालस्टाय की कहानी ‘How much land does a man need?’ के आधार पर लिखित।

बातचीत चलती रही । अर्द्ध-रात्रि पश्चात् दोनों सोये । प्रातःकाल होने पर आगन्तुक अपने स्थान पर लौट गया ।

×

×

×

कृषक के मन में काफी उथल-पुथल मच गई । “स्वर्णभूमि ! वह भी बिना मूल्य के । कैसे है वहाँ के लोग जो बिना मूल्य के ही भूमि यो ही लुटा देते है ? क्या यह बात सत्य हो सकती है ? एक बार प्रयास किया जावे ?”

“अभी मेरे पास किस बात की कमी है । जीवन मुख से बीत रहा है । क्यो व्यर्थ की झूट में पडूँ ?”

“पंगले, ऐसा स्वर्ण अवसर कब प्राप्त होने वाला है ? तू ही क्यों तेरे बेटे-पोते तक चैन की बंसी बजायेगे । तेरा क्या जाता है ? एक बार प्रयास तो कर ।”

अतर्द्धन्द्व चलता रहा । तृष्णा ने सतोष पर विजय पाई ।

कुछ दिन गृहस्थी तथा कारोबार ठीक करने में लग गये । स्वयं की भूमि में से आधी भूमि बेचकर नकद राशि अपनी अण्टी में ली, शायद नई भूमि लेने में आवश्यकता पड़ जावे । पत्नी तथा बच्चो को आश्वासन दिया कि वह स्वर्ण-भूमि में कुछ भूमि प्राप्त कर शीघ्र लौटेगा ।

×

×

×

चल पड़ा राही अपनी मंजिल पर ! मन अनेक आशाओं एव उमंगों से ओत-प्रोत था । भविष्य के सुनहले स्वप्न उसके पैरों को द्रुत गति दे रहे थे । कल्पना के अश्व बेलगाम दौड़ रहे थे । “खूब भूमि होगी मेरे पास । कुछ ही वर्षों में लक्ष्मी मेरे चरणों में लौटेगी । एक विशाल भवन बनाऊँगा जिसमें मेरे पौत्र-प्रपौत्र सुख से रहेगे । रोजमर्रा के झूटों से छुट्टी मिल जावेगी । समाज में मेरे समान कौन वैभवशाली होगा ?”

दो दिन की पद-यात्रा के बाद कृषक जा पहुँचा स्वर्णभूमि में । बाग-वगीचो, हरे-भरे खेतों को देख उसका मन-मयूर नाच उठा । चारों ओर पक्षी चह-चहा रहे थे । एक अद्भुत सौन्दर्य-साम्राज्य वहाँ व्याप्त था । दो दिन की थकान न जाने कहा लुप्त हो गई ?

ग्राम में पहुँचते ही ग्रामवासी आ पहुँचे उसका स्वागत करने । उन्मुक्त हृदय में उन्होंने उसका स्वागत किया । पारस्परिक अभिवादन के बाद वार्ता का सिलसिला चल पडा । कृषक बोला, “मैंने सुना है कि आपके यहाँ भूमि

मिलती है। भूमि कैसी है, किस भाव से मिलती है ? एक व्यक्ति को आप कितनी भूमि दे सकते हैं ? कृपा करके सभी बातें विस्तार से बताने का कष्ट करें।”

ग्राम के प्रमुख ने कहा, “आप भूमि के लिए चिंता न करें। आप रात्रि शांति से व्यतीत करें। कल जैसा आप चाहेगे, वैसा हो जाएगा।”

पर कृषक को चैन कहाँ था ? बोला, “मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। यदि आपको कोई बाधा न हो तो भूमि के बारे में बताने की कृपा करें।”

प्रमुख कहने लगा, “गाँव के पास ही स्वर्ण रूपा नदी बहती है। उसके पार अथाह भूमि है। यह भूमि थोड़े से परिश्रम से ही सोना उगलती है। वर्ष में तीन फसलें देती है। उपज की कोई सीमा नहीं। रही मूल्य की बात। हम भूमि का कुछ भी मूल्य नहीं लेते। जो बोता है, भूमि का वही स्वामी होता है।”

“मुझे कितनी भूमि मिल सकेगी ?” कृषक ने उत्सुकता से पूछा।

प्रमुख ने कहा, “जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ भूमि की कोई कमी नहीं है। आप चाहे जितनी ले सकते हैं। न उसका कुछ मूल्य है। आप कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व उस सामने वाले पहाड़ पर आ जाइए। सूर्योदय होते ही उस पहाड़ से नीचे उतर कर सूर्यास्त होने से पूर्व तक जितनी भूमि आप चल कर पार कर लेंगे तथा लौटकर पहाड़ के शिखर को छू लेंगे, वह सब भूमि आपकी हो जावेगी। न भूमि का कोई मूल्य, न कोई लगान। शर्त केवल यही है कि आप दिन भर चलकर चाहे जितनी भूमि पार कर लें, आपको सूर्यास्त से पूर्व पहाड़ पर पहुँच कर शिखर को छूना है, तभी आप उसके स्वामी हो सकेंगे।”

कृषक ने सुना और दग रह गया। कितने भोले-भाले और सांसारिक प्रपञ्च से शून्य है ये ग्रामवासी ! उसने सोचा। उनकी बात विश्वास में आने लायक कम ही थी। पर जिस सहजता से वह कही गई थी, उस पर अविश्वास भी नहीं किया जा सकता था।

कृषक ने रात में गहरी निद्रा लेने की कोशिश की ताकि प्रातः तरो-ताजा होकर उठे। पर मन में अनेक सकल्प-विकल्प उठ रहे थे। सुखद भविष्य की कल्पना उसकी निद्रा में बाधा डाल रही थी। अपने जीवन की परम आकांक्षा पूरी करने वह जा रहा था। उसने जैसे—तैसे रात्रि पूरी की। पौ-फटने से पूर्व वह जाग उठा।

सूर्योदय के पूर्व ही वह पहाड़ के शिखर पर जा पहुँचा। अनेक ग्रामवासी

तथा प्रमुख वहाँ आ पहुँचे थे। प्रमुख ने सारी प्रक्रिया कृषक को फिर से समझा दी तथा उसके प्रति अपनी हार्दिक शुभ कामनाएँ व्यक्त की।

x

x

x

भगवान् भास्कर के उदय होते ही चल पड़ा कृषक अपनी मंजिल पर। आशाओं एव उमंगों का अथाह समुद्र हृदय में उमड़ रहा था। भगवान् ने वह दिन आज ला ही दिया, जब वह अपार भूमि का स्वामी हो जावेगा। वह किस तरह अपनी कृतज्ञता भगवान् के प्रति व्यक्त करे ?

द्रुतगति से पहाड़ से नीचे उतरा। अपने चारों ओर फैली हुई विशाल शस्य-श्यामल भूमि का अवलोकन किया। सोचा—धीरे-धीरे चलकर तो वह बहुत कम भूमि पार कर पायेगा। अतः पूरी गति से दौड़कर पार करने का निश्चय किया। पूरी शक्ति लगाकर तेज दौड़ना प्रारम्भ किया। प्रातःकाल का समय था। दस बजते-बजते बहुत सी भूमि दौड़कर पार करली। भूख की कुछ बाधा हुई। साथ में रोटी बधी हुई थी। पर सोचा—रोटी खाने में समय क्यों नष्ट किया जावे ? इतने समय में कई बीघा भूमि पार कर लूँगा। अतः दौड़ चालू रही।

मध्याह्न का प्रखर सूर्य अपनी तेज ज्वाला से पृथ्वी को भुलसाने लगा। कृषक पसीने से तर-बतर हो रहा था। भूख भी बढ़ती जा रही थी। पर विश्राम के लिए फुरसत कहाँ थी ? तीसरा प्रहर हुआ। एकदम कृषक को ध्यान आया कि अभी तो उसने भूमि की केवल लम्बाई ही पार की है। बिना चौड़ाई के भूमि का क्षेत्र कैसे बनेगा ? अतः वह चौड़ाई पार करने के लिए दौड़ने लगा। पर जितनी लम्बाई वह अब तक दौड़कर पार कर चुका था, उतनी चौड़ाई पार करने के लिए न समय था और न शक्ति ही। अतः थोड़ी सी चौड़ाई पार करने के अलावा कोई चारा न था। एक ओर सूर्य की प्रचंड गर्मी, दूसरी ओर भूख और थकान उसे दौड़ने में बाधक हो रही थी। पर रुके तो कैसे ? समय भागा जा रहा था।

पर अनन्त का राही भागा जा रहा था। कभी वह सूर्य की ओर देखता और कभी पहाड़ के शिखर की ओर। पूरा साहस बटोर कर अपने गतव्य तक पहुँचने का प्रयास कर रहा था वह। सूर्य ज्यों-ज्यों अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, आशाओं-निराशाओं के उतार-चढ़ाव उसके मन में उथल-पुथल मचा रहे थे।

“क्यों मैंने बैठे-ठाले यह भंभट मोल लिया। क्या कमी थी मेरे जीवन में ? यदि सूर्यास्त के पूर्व पहाड़ के शिखर पर नहीं पहुँचा तो जीवन के सारे

अरमान धरे-धराये रह जायेंगे । क्या करूँ, किससे अपनी व्यथा कहूँ ? खैर, अब तो मजिल निकट ही है । हे भगवन् ! मुझे शक्ति दो, गति दो जिससे मैं अपनी यात्रा में सफल हो सकूँ ।”

राही हॉफ रहा था । पैर साथ नहीं दे रहे थे । एक बार फिर पहाड़ की चोटी की ओर देखा । ऊपर खड़े ग्रामवासी तथा प्रमुख उसे जल्दी से ऊपर पहुँचने का संकेत कर रहे थे । राही ने पूरा दम लगाकर प्रयास किया । जा पहुँचा चोटी के पास । लेटकर उसे छू ही लिया । चारों ओर हर्ष की तालियाँ बज उठी । पर ज्यों ही उसने चोटी को छुआ, उसके पैर के नीचे का एक पत्थर खिसक गया । उसके खिसकने के साथ ही, उसका पैर फिसला और वह अबाध गति से लुढ़कता हुआ पहाड़ की तलहटी में गहरे गड्ढे में जा गिरा और उसके प्राण पखेरू उड़ गये ।

स्वर्ण भूमि के वासी तथा प्रमुख नीचे आये और मृत कृषक को देखा और शोक व्यक्त किया । प्रमुख ने आदेश दिया, “इसको यही गाड़ दो । इसे इतनी ही भूमि की आवश्यकता है ।”



□ नौका जल में रहते हुए पार कर सकती है, परन्तु नौका में जल आते ही उसकी पार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए कि कहीं नौका में जल न आने पाये । इसी प्रकार साधक संसार में भले ही रहे, किन्तु संसार का माया-मोह साधक के मन में नहीं रहना चाहिये ।

□ श्रीमन्त तिजोरियाँ भरते जा रहे हैं, परन्तु इन तिजोरियों की फूटी-कौड़ी भी साथ नहीं जाने वाली है । अगर साथ ले जाना है तो कर्तव्य-धन, सेवा-धन, दया-धन और परोपकार-धन से अपनी तिजोरियाँ भर लो । यही धन साथ जाने वाला है; रुपयो, रत्नों और मुहरों से भरी तिजोरियाँ साथ जाने वाली नहीं है ।

□ साध्वी श्री विचक्षणश्रीजी

विभिन्न धर्मों में अपरिग्रह

- जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीजों का संग्रह करता है, दूसरो से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरो को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, उसका दुःख से कभी भी छुटकारा नही हो सकता ।

—जैन धर्म : सूत्रकृतांग १/१/१/२

- तृष्णा की नदियाँ मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती है । जो इनमे नहाकर सुख खोजते है, उन्हे बार-बार जन्म, मरण और बुढापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है ।

—बौद्ध धर्म तण्हावग्गो २४/८

- तू जब भोज दे तो अपने मित्रों, भाइयों, कुटुम्बियो या धनी पडौसियों को मत खिला । कही वे तुझे भोज देकर अपना बदला न चुका दे । तू भोज दे कगालो, लूलो, लगडो और अन्धो को । उनके पास बदला देने को कुछ न होगा, पर तुझे उसका पुण्यफल मिलेगा ।

—ईसाई धर्म : लूका १४/१२

- जो लोग बेईमानी से अनार्थों की दौलत हडप लेते हैं, वे अपने पेट में आग भर रहे है और उन्हे दोजख की आग मे जलना पड़ेगा ।

—इस्लाम धर्म : कुरान शरीफ ४/१०

- जो पैसा दान या दया के कामों मे खर्च नही किया जाता, वह दुष्ट का खजाना है ।

—पारसी धर्म : पहेलवी टैक्स्ट्स

- जब तू अपने पके खेत को काटे और भूल से खेत मे एक पूला छूट जाय तो उसे लेने के लिए मत लौट । उसे परदेशी, अनार्थ और विधवा के लिए पड़ा रहने दे ताकि परमेश्वर तेरे सब कामो मे तुझे आशीर्वाद दे ।

—यहूदी धर्म : व्यवस्था विवरण २४/१६

- तू सन्तोष की मुद्रा धारण कर । श्रम की भोली ले ध्यान की विभूति लगा । काल ही तेरी गुदड़ी है । काया तेरी कुंवारी रहे, निष्कलक रहे, पवित्र रहे । विश्वास ही तेरा डडा हो । सबको तू अपनी जमात का मान । मन को तू जीत ले, मानो तूने सारा जग जीत लिया ।

—सिक्ख धर्म : जपुजी साहिब

- संकलन—तृप्ति मेहता

परिशिष्ट

प्रवचनकार/लेखक

१. आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा०—प्रसिद्ध जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ । इनके विचार 'गजेन्द्र व्याख्यानमाला' से संकलित है ।
२. आचार्य श्री नानालालजी म० सा०—प्रसिद्ध जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ । इनके विचार 'जिणधम्मो' से संकलित है ।
३. आचार्य श्री जीतमलजी म० सा०—जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ । 'जैन धर्म की मौलिक उद्भावनाएँ' से विचार संकलित ।
४. पं० रत्न श्री हीरामुनि—प्रबुद्ध चिन्तक और वक्ता, आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के विद्वान् शिष्य । 'व्रत प्रवचन संग्रह' से विचार संकलित ।
५. मुनि श्री विनयकुमार 'भोम'—जैनमुनि, लेखक और कवि । स्व० युवा-आचार्य श्री मधुकर मुनि के शिष्य ।
६. श्री राजेन्द्र मुनि शास्त्री—जैनमुनि, शास्त्रज्ञ, लेखक । उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि के शिष्य ।
७. श्री सत्यनारायण गोयनका—प्रमुख तत्त्व चिन्तक और प्रखर वक्ता, विपश्यना-साधना के आचार्य । इनके विचार 'धर्मज्योति' से संकलित है ।
८. स्वामी रामसुखदास—रामस्नेही सम्प्रदाय से सम्बद्ध अनुभवी सत और प्रखर वक्ता । इनके विचार 'कल्याणकारी प्रवचन' से संकलित है ।
९. आचार्य रजनीश—मौलिक चिन्तक, तेजस्वी वक्ता, प्रसिद्ध ध्यान योगी । इनके विचार 'महावीर परिचय और वाणी' से संकलित है ।
१०. श्री जी० एस० नरवानी—उपसचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
११. डॉ० महेन्द्रसागर प्रचण्डिया—प्रसिद्ध जैन विद्वान्, चिन्तक और वक्ता । वाष्णोय कॉलेज, अलीगढ़ (उ० प्र०) में हिन्दी प्राध्यापक ।
१२. डॉ० दयानन्द भार्गव—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, प्रोफेसर एव अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
१३. श्री हरिभाई कोठारी—तत्त्वचिन्तक और प्रखर वक्ता, जयांक प्रकाशन ५१/६, मलावार हिल रोड, मुलुण्ड कॉलोनी, बम्बई-४०००८२ ।
१४. श्री धर्मचन्द्र जैन—टीचरफैलो, संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
१५. डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीति'—लेखक, कवि और समीक्षक, मंगल कलश, ३६४, सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़ (उ० प्र०) ।
१६. श्री जशकरण डागा—तत्त्व चिन्तक और स्वाध्यायी, संघपुरा, टीक ।

१७. डॉ० शान्ता भानावत—प्रिन्सिपल, वीर बालिका कॉलेज, जयपुर ।
१८. श्री अरुण जोशी—प्राध्यापक और लेखक, पुष्प सोसायटी, हिल ड्राइव, भावनगर—३६४००२ (गुजरात) ।
१९. श्री रमेश मुनि शास्त्री—जैनमुनि, लेखक और चिन्तक, उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि के विद्वान् शिष्य ।
२०. श्री कन्हैयालाल लोढ़ा—प्रबुद्ध चिन्तक, लेखक और स्वाध्यायी साधक, अधिष्ठाता—श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, बजाज नगर, जयपुर ।
२१. डॉ० भीकमचन्द्र प्रजापति—प्राध्यापक, बागड़ कॉलेज, डीडवाना ।
२२. डॉ० नेमीचन्द्र जैन—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, सपादक 'तीर्थकर', पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर ।
२३. श्री फूलचन्द्र मेहता चिन्तक और स्वाध्यायी, अशोकनगर, उदयपुर ।
२४. डॉ० रामजीसिंह—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, अध्यक्ष, गांधी विचार विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार) ।
२५. महात्मा गाँधी—राष्ट्रपिता, सत्य और अहिंसा के अनूठे प्रयोग-शिल्पी, इनके विचार 'मंगल प्रभात' पुस्तक से सकलित है ।
२६. श्री मदनलाल कटारिया—अध्यापक और लेखक, अरणोद ।
२७. डॉ० सी० एम० जैन—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, निदेशक-पत्राचार अध्ययन महाविद्यालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
२८. डॉ० नरेन्द्र भानावत—चिन्तक और लेखक, 'जिनवाणी' के सपादक, राज० विश्वविद्यालय, जयपुर के हिन्दी विभाग में एसोशिअट प्रोफेसर ।
२९. श्री चाँदमल कर्णावट—प्रसिद्ध तत्त्वचिन्तक, लेखक और स्वाध्यायी साधक, ३५, अहिंसापुरी, उदयपुर ।
३०. श्री केशरीकिशोर नलवाया—लेखक, ५२८/७, नेहरूनगर, इन्दौर ।
३१. पं० शोभाचन्द्र जैन—लेखक, ७३, राजमहल कॉलोनी, इन्दौर ।
३२. श्री केवलमल लोढ़ा—प्रमुख स्वाध्यायी, ए-८, महावीरनगर, जयपुर ।
३३. डॉ० ए० बी० शिवाजी—विचारक और लेखक, दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक, २७, रवीन्द्रनगर, उज्जैन ।
३४. डॉ० निजामुद्दीन—प्रमुख लेखक और समीक्षक, इस्लामिया कॉलेज, श्रीनगर (कश्मीर) में हिन्दी विभागाध्यक्ष ।
३५. श्री श्रीचन्द्र गोलेछा—प्रमुख रत्न व्यवसायी, तत्त्व चिन्तक और स्वाध्यायी, सी-२३, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर ।

३६. युवाचार्य श्री मधुकर मुनि—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक । इनके विचार 'साधना के सूत्र' से संकलित है ।
३७. श्री रतन मुनि—जैनमुनि, प्रबुद्ध चिन्तक, लेखक और वक्ता । इनके विचार 'साधना का राजमार्ग' से संकलित है ।
३८. स्वामी शरणानन्द—मौलिक विचारक और तत्त्व चिन्तक, अनुभवी सत । इनके विचार 'दर्शन और नीति' से संकलित है ।
३९. श्री केदारनाथ—प्रबुद्ध चिन्तक और मौलिक विचारक । इनके विचार 'विवेक और साधना' से संकलित है ।
४०. श्री कि० घ० मशरूवाला—प्रमुख सर्वोदयी विचारक और लेखक । इनके विचार 'संसार और धर्म' से संकलित है ।
४१. श्री भगवानदास केला—प्रमुख विचारक और लेखक । इनके विचार 'मालकियत का विसर्जन' से संकलित है ।
४२. श्री जवाहरलाल जैन—सर्वोदयी विचारक और लेखक । विनोवा ज्ञान मन्दिर, बापूनगर, जयपुर—१५ ।
४३. श्री रणजीतसिंह कूमट—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक । शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
४४. डॉ० सी० एस० बरला—चिन्तक और लेखक, राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एसोशिएट प्रोफेसर ।
४५. दादा धर्माधिकारी—प्रमुख सर्वोदयी विचारक और मौलिक लेखक । इनके विचार 'सर्वोदय दर्शन' से संकलित है ।
४६. श्री नारायण देसाई—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, प्राचार्य, सम्पूर्ण क्रांति विद्यालय, वेङ्गली—३६४६४१ ।
४७. डॉ० उम्मेदमल मुनोत—चिकित्सक और लेखक, सन्नादतगज, लखनऊ ।
४८. डॉ० विश्वंभरनाथ उपाध्याय—प्रबुद्ध लेखक और समीक्षक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, राज० विश्वविद्यालय, जयपुर ।
४९. डॉ० प्रेमसुमन जैन—प्रबुद्ध लेखक और चिन्तक, अध्यक्ष, जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाडिया वि० वि०, उदयपुर ।
५०. श्री आनन्द काश्यप—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान वि० वि०, जयपुर ।
५१. डॉ० नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम'—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, प्राध्यापक, अग्नेजी विभाग, लालवहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर ।

५२. श्री के० एल० पोकरना—व्याख्याता, स्वास्थ्य शिक्षा, निवारक एवं सामाजिक चिकित्सा विभाग, सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर ।
५३. श्री संजीव भानावत—सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर—३०२००४
५४. श्री उदय जैन—चिन्तक और लेखक, व-८, विश्वविद्यालय शिक्षक आवास, ए-बी. रोड, इन्दौर ।
५५. श्री धन्ना मुनि—आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के सुशिष्य
५६. श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल—प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, वी-८१, राजेन्द्र मार्ग, बापूनगर, जयपुर—३०२०१५
५७. मुनि श्री रूपेचन्द्र—जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक, लेखक और कवि
५८. श्री काशिनाथ त्रिवेदी—प्रबुद्ध विचारक, लेखक और शिक्षाविद्, गाँव पीपल्याणव, इन्दौर-४५२००१
५९. डॉ० राजेन्द्रस्वरूप भटनागर—चिन्तक और लेखक, राजस्थान विश्व-विद्यालय, जयपुर के दर्शन शास्त्र विभाग में एसोशियेट प्रोफेसर
६०. डॉ० धनराज चौधरी—लेखक और कथाकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के भौतिक शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर ।
६१. डॉ० वीरेन्द्र शेखावत—चिन्तक और लेखक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर ।
६२. श्री मानमल कुदाल—प्रभारी, आंगम, अहिंसा, समता एवं प्राकृत सस्थान, सुन्दरवास, उदयपुर ।
६३. श्रीमती सुशीला बोहरा—स्वाध्यायी एवं लेखिका, परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, जोधपुर
६४. डॉ० अमृतलाल गाँधी—विचारक और लेखक, जोधपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में रीडर ।
६५. श्री लाडूलाल जैन—लेखक, एस-६ (५६) ज्योति मार्ग, वापूनगर, जयपुर ।



परिग्रह निविट्ठायां वेर तेसि पवड्दई

—सुत्रकृतांग १/६/३

जो परिग्रह (संग्रहवृत्ति) में फँसे है, वे संसार में अपने प्रति वर ही बढ़ाते है।

With best compliments from :



M/s Prakash Chand Sobhag Chand


1418, Pitaliyon Ka Chowk, Johari Bazar

JAIPUR-302 003

Telephone : Resi. 40197, Off. 49405

अरामरणवेगेणं धुङ्कमाणान् पाणिणान् ।
बम्मो दीवो पइद्दा य नई सरणमुत्तमं ॥
जरा मरण के वेगों की पीड़ा से आहत जीवों के ।
है धर्म प्रतिष्ठा द्वीप और गति रक्षक उत्तम प्राणी के ॥

With best compliments from :



Tel. Res. 43981
Off. 41746

M/s SINGHI JEWELLERS

BAIRATHI HOUSE
JOHARI BAZAR, JAIPUR-3

किरिअ च रोयए धीरो ।

उत्तराध्ययन १८/३३

धीर पुरुष सदा क्रिया (कर्तव्य) मे ही रुचि रखते है ।

*With best compliments
from :*



Telex No 36-555 DEVE IN

Tele [Gram "RATAN"
Phone 4 0 9 2 3

Cosmopolitan Trading Corporation

**JEWELLERS, EXPORTERS & IMPORTERS OF PRECIOUS &
SEMI-PRECIOUS STONES**

SPECIALISTS IN EMERALDS

**BADER BHAWAN
NATHMALJI KA CHOWK
POST BOX NO. 27
JOHARI BAZAR
JAIPUR-302 003 (India)**